Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VII No. IV Supplement 2017

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

Associate Editor
Rakesh Kumar Maurya
Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VII **No. IV** **Supplement 2017**

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

Associate Editors
Rakesh Kumar Maurya
Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

Patron : **Dr. Lalji Tripathi,** *Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.*
Editor in Chief **: Dr. Anish Kr. Verma** *Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.*
Associate Editors : **Dr. Rakesh Kumar Maurya, Dr. Purusottam Lal Vijay, Mrs. Romee Maurya**
International Editorial Board : **Anna Malingdog,** *Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., De La Salle Univ., Philippines*
Abdul Qayyum, *Qadirabad Colony P.O. Choti Zareen Tehsil & Distt. D.G. Khan Punjab, Pakistan*

National Editorial Board

Prof. Rekha, Deptt. of Sociology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. N.K. Singh, Principal, R.H.S.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Deenbandu Tiwari, Associate Prof., Deptt. of Sociology, L.B.S.P.G College, Varanasi, U.P.
Dr. Rajeev Kumar Singh, Assistant Professor of Law, Law Collage Dehradun, Uttaranchal University, UK
Dr. Aparna Singh, Assistant Professor of Law, Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, U.P.
Dr. Pramod Kr. Shukla, Asst. Prof. Deptt. of Sociology,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, S.S.S.V.S Govt. P.G. College, Chunar, U.P.
Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana
Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Sociology & Anthropology, A.N. Sinha Inst. of Social Studies, Patna, Bihar
Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kr. Tiwari, Asst. Prof., School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha Uni., Greater Noida, U.P.
Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Jitendra Singh Goyal, Academic Counseller, IGNOU, Mahamaya Govt. Degree College, Mahona, Lucknow, U.P.
Dr. Neeraj Tiwari, President, Madhumay Educational & Research Foundation, Faizabad, U.P.
Dr. Neearj Kumar Shukla, HOD, B.Ed., Govt. P.G. College, Kashipur, U.S. Nagar, Uttrakhand
Mr.Shivendra Kr.Maurya, Editor in Chief, Unmesh: An International refereed research journal, Pratapgarh, U.P
Mr. Sudhanshu Chaubey, Editor in Chief, Tripathaga: An International refereed research journal, Varanasi, U.P.
Mr. Manjul Trivedi, Editor in Chief, Veethika : An International refereed research journal, Lucknow, U.P.

Advisory Board

Prof. Sushil Kumar Gautam, Head, Deptt. of Phy. Edu., M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, MOHD.H.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
Dr. Dhananjay Sharma, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad
Mr. Ashish Samuel Huri, Asst. Prof. Department of Teacher Education, Ewing Christian College, Prayagraj, U.P.
Mr. Kuldeep Birwal, Asst. Prof., Department of Education, Yash college of Education, Rurkee,Hariyana

Review Editor's

Dr. Kripa Kinjalkam, Asst. Prof., Department of Hindi, Iswar Saran Degree College,University of Allahabad, U.P.
Dr. Anju Sihare, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
Dr. Vijay Sankar Dwivedi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, Delhi University. Delhi
Dr. Surya Kant Tripathi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Archana Bhattacharjee, Asso. Prof., Deptt. of English and Academic Vice Principle, Kakojan College, Jorhat, Assam
Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Dinesh Kumar Tiwari, HOD, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, D.A.V.P.G. College, Azamgarh, U.P.
Dr. S.K. Pandey, Asst. Prof., Dept. of commerce ,Y.D. (PG) College,Lakhimpur-Kheri ,U.P.
Dr. Chandra Prakash Dubey, HOD, LIS, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Dr Sugriv Singh, Librarian Univ. Employment, Info. & Guidance Bureau, FCI Campus, Univ. of Alla, Allahabad, U.P.
Dr. S. Kandasamy, Asso. Prof. and Head, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan.
Dr. Vinod Kumar Saroj, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan, Rajasthan.
Dr. R. Panneer Selvam, Asst. Prof., Department of History, Gov. Arts College (A), Salem, Tamilnadu.
Dr. Vineet Kumar Guru, Assit. Prof., Department of History,GovernmentCollege,Bijawar,M.P.
Dr. Manoj Kumar Mishra, Asso. Prof. ,Dept. of Defence & Strategic Studies, S.G.R.P.G. College, Dobhi, Jaunpur, U.P.
Mr. Uday Pratap Singh, Asst. Prof., Dept. of Defence, Iswar Saran P.G. College, Allahabad, U.P.
Mr. Ashutosh Kumar Tripathi, Freelance Journalist, B.5/167, Avadgarvi, Shivala, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kumar Tripathi, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,S.M.R.D.P.G.College,Gazipur. U.P.
Dr. Anand Kumar, UGC-PDF, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow, U.P.
Dr. Santosh Kumar Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology,M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Rajendra Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, U.P
Prof. MC Sati, Department of Economics, HN.B. Garhwal University, UK
Mr. Kamlesh Goyal, Research Scholar, Department of Economics, Punjabi University, Patiala, Punjab
Dr. Arvind Kumar, Asst. Prof., Department of B.Ed., Raza college, Rampur, U.P
Dr. Pravin Kumar Tiwari, Asst. Prof., Department of Education., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P
Dr. R. Sekar, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, Thiruvalluar Gov. Arts College, Rasipuram, Namakkal, Tamilnadu.
Dr. Hemant Kumar Singh, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, S.P.M Gov. Digree College, Phaphamau, Alla., U.P.
Dr. Naresh Kr. Verma, Asst. Prof., Deptt. of Geography, Central University of Haryana,Mahendergarh
Dr. Arun Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Geography, S.P.M. Gov. Digree College, Phaphamau, Allahabad, U.P.
Dr. Amit Kr. Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, H.N.B. Gov. P.G. College, Naini, Allahabad, U.P.
Dr. Ram Narain Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, S.B. College (Affi. V.K.S. University), Ara, Bihar
Dr. Neetu Mishra, Asso. Prof., Department of Home Science, University of Allahabad, U.P.
Mrs. Vidya Verma, Asst. Prof., Deptt. of Home Science, Govt.Girls Degree College, Kannauj, U.P.

© Editor

Publication Date : 30 December,2017

Note: ***Scholars will be answerable to the contents of their articles.***
All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdication of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.

सम्पादकीय

21वीं सदी का यह दौर अपने आप में पूरी तरह से विकसित और अति आधुनिक समय का है। इसमें कोई दोराए नहीं कि इसके चलते हमारा देश दिन–ब–दिन विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वो समय है जब भूमंडलीकरण के चलते बाज़ार मनुष्यों के मूल्यों और मान्यताओं में भी प्रवेश कर चुका है। यह अति आधुनिकता कहीं–न–कहीं मनुष्यों को कई समस्याओं से घेर रही है।आज इंसान समस्याओं के इन घरों को तोड़ कर बाहर निकलने के प्रयासों में भारत की मूल संस्कृति'वसुद्यैव कुटुम्बकम' पर निरन्तर प्रहार करता जा रहा है। शायद इसलिए ही आज भारत की अपनी पौराणिक संस्कृति 'वसुद्यैव कुटुम्बकम' जिसका उद्देश्य 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' होता था की जगह 'अहम कुटुम्बकम' यानी एक जन हिताय एक ही जन सुखाय वाली भावना ने ले लिया है। जिन सपनों को बुनते हुए भारतीय जनता ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपनी जाने गवाँई कम–से–कम वो सपने यह तो बिल्कुल नहीं थे जो आज भारत में साकार हो उठे हैं।

मानव सभ्यता में सामाजिक चिंतन के इतिहास दृष्टि पर अगर विचार करें तो यह मानवीय संघर्षों के साथ ही प्रारम्भ होता है। ऐतिहासिक काल के सामाजिक परिवर्तनों एवं उनमें वृद्धि के साथ–ही–साथ उनका विस्तार भी होता जाता है। नब्बे के दशक के पश्चात् भारतीयों ने अत्यंत तेज़ी के साथ पश्चिमी संस्कृति में ढ़लना मुनासिब समझा और तेज़ी से ढ़ले भी। अब तो भारत में वो दौर आ चुका है,जब इस देश के कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य सब जगह लोगों की संस्कृति, हाव–भाव, रंग–ढंग, चाल–ढाल, उठना–बैठना, खाना–पीना, यहाँ तक कि अपनी मात्र भाषा और बोली तक सब कुछ पश्चिमी रंगों में रंग रहा है। यह पाश्चात्यकरण भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और इस पर चिंतन करना अब समय की माँग बन चुका है। क्योंकी हम और आप सभी भारतवासियों पर वेस्टर्न कल्चर अपनाने का होड़ मचा है जो हमारे समाज और संस्कृति के लिए खतरे का आगाज कर रहा है। समकालीन साहित्य इस खतरे पर निरंतर चिन्तनरत् रहता है और समाज को आईने की तरह उसकी दशा दिखाते हुए उसको दिशा देने का प्रयास करता है ।

साहित्यकार समाज में फैली इन सभी विद्रुपताओं के निरीक्षण–परीक्षण कर इनके प्रति अपने गहन चिंतन को साहित्य के माध्यम से समाज में लाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य केवल समाज कल्याण होता है।

साहित्य या साहित्यकार कभी यह दावा नहीं करते की उनके लेखन से समाज बदलेगा क्योंकी साहित्य द्वारा परिवर्तन की गति काफ़ी धीमी होती है जिसमें कई–कई वर्ष भी लगते हैं। यह सत्य है कि साहित्य दिशा प्रदान करता है जीने लायक वातावरण तैयार कर उस पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि साहित्य पढ़ा जाए तो हम इसमें समाज और संस्कृति हेतु अथाह् चिंतन देखेंगे जो हमें जीने लायक सकारात्मक वातावरण प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है ।

प्रस्तुत अंक के अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए **डॉ0 आनन्द कुमार,डॉ0 दिनेश कुमार, डॉ0 पुरुषोत्तम लाल 'विजय', डॉ0 संजय कुमार तिवारी, डॉ0 चन्द्रप्रकाश दूबे, डॉ0 अनुराधा** एवं अनन्य मित्र **डॉ0 अनूप कुमार 'श्रमिक',श्री पंकज सिंह** एवं **श्रीमती रोमी मौर्या** के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुत अंक में रह गयी त्रुटियों के लिए हम सभी पाठकों से क्षमा प्रार्थी है।

अन्त में, सभी लेखकों, पाठकों एवं अन्य विद्वतजनों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनसे सुझाव, सहयोग एवं आशीष की कामना करते हैं।

डॉ0 अनीश कुमार वर्मा
रवि कुमार

विषय–सूची

जैन दर्शन में आत्मा सम्बन्धी अवधारणा : एक दार्शनिक विश्लेषण 1–2
डॉ. तृप्ति सिंह
भास की रचनाओं में कलात्मक अभिव्यक्ति 3–4
डा0 स्वाती मिश्रा
आरक्षण : एक राजनीतिक औजार 5–6
डॉ0 मनोज कुमार सिंह
कृषि क्षेत्र हेतु विकास बैंकिंग 7–9
डॉ0 उदय गुप्ता
सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व 10–11
डॉ0 दिनकर मणि त्रिपाठी
रघुवीर सहाय का काव्य संसार 12–15
डॉ0 रोहित
वृहत्कल्पसूत्रभाष्य में वर्णित औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान 16–17
डॉ0 हरेन्द्र प्रताप सिंह
सीखने में थकावट, दुश्चिंता तथा अन्य कारकों का प्रभाव 18–19
डॉ0 प्रवीन कुमार सिंह'
उद्यमिता : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 20–22
डॉ0 अनिता चन्द
बलिया में 1942 ई. की अगस्त क्रान्ति 23–24
डॉ0 नेहा कुमारी
छायावाद दर्शन के निकष पर 25–27
डॉ0 मुकेश कुमार झा
जाति व्यवस्था का समाजसंहिता और सामाजिक पिछड़ापनः
एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 28–30
कुमारी अनामिका रानी
बाल–श्रम की समस्याएँ एवं उसके समाधान 31–32
डॉ0 जयकान्त कुमार
भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं का योगदान 33–34
डॉ0 ओम प्रकाश सिंह
बौद्ध धर्म में वृक्ष पूजा 35–36
डॉ0 चन्दन विश्वकर्मा
सिद्धार्थनगर जनपद की भौमिकीय संरचना एवं उच्चाविच 37–38
डॉ0 प्रेम प्रकाश मिश्र
सल्तनत काल में जजिया 39–41
डा0 अश्विनी यादव
वैदिककालीन राजनीति में महिलाएँ एवं कृषि का विकास : एक पुनरावलोकन 42–44
डॉ0 डॉक्टर संतोष कुमार
औद्योगिक विकास के सन्दर्भ में जिला उद्योग एवम उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र की भूमिका 45–47
महीप कुमार श्रीवास्तव
साहित्यिक पत्रकारिता 48–49
डॉ0 दयानन्द पाण्डेय

बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व 50–51
डॉ0 कुमारी अल्पना
अनुवाद और भाषा–विज्ञान में अंतः सम्बन्ध : एक विश्लेषण 52–54
डॉ0 देवर्षि कुमार मिश्र
स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता का योगदान : बिहार के संदर्भ में 55–56
डॉ0 राजीव कुमार
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र उपस्थिति की समस्या एवं समाधान 57–59
डॉ0 संजीव दत्त सिंह
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास 60–61
डॉ0 रामचन्द्र यादव
भवभूतिकृत उत्तररामचरितम् का मूलस्रोत 62–64
प्रतिभा कुमारी
कृषि व्यापारीकरण कृषि विकास का एक मुख्य घटक 65–67
डॉ0 नीरज कुमार
भारतीय संविधान एवं राष्ट्र निर्माण में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका :
एक ऐतिहासिक विश्लेषण 68–70
राकेश कुमार
पाल युगीन स्थापत्य कला एवं रंग विधान 71–72
डॉ0 उमेश कुमार सिंह
करकरी बेसिन (झारखंड) में उच्चावच का आकारमितिक विश्लेषण 73–74
डॉ0 अरूण कुमार सिंह
बौद्धकालीन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि प्रविधि 75–77
उपकरण और प्रौद्योगिकी
अकल राम
महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम् नाटक में संगीत–योजना : एक विवेचन 78–79
डॉ0 बाल कृष्ण शर्मा
हिन्दू धर्म में श्राद्ध : एक अध्ययन 80–81
डॉ० अशोक कुमार पाल
समकालीन परिदृश्य और नई कविता 82–83
डॉ. कमलेश कुमार मिश्र
उच्च शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा–आवश्यकता एवं महत्त्व 84–85
डॉ0 शैलेन्द्र कुमार
नारीवाद की अवधारणा 86–88
इन्दु श्रीवास्तव
समाज विज्ञानी राहुल जी : एक विष्लेषण 89–90
डॉ0 आलोक श्रीवास्तव
2017 की उत्तर प्रदेश विधान सभा में विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व 91–92
अभय राज सिंह
जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरणीय अवक्रमण : एक भौगोलिक अध्ययन 93–94
डॉ0 आलोक श्रीवास्तव
वैदिक कालीन भोजन व परिधान : अथर्ववेद के परिप्रेक्ष्य में 95–96
डॉ0 रूपेश कुमार सिंह
वैदिक सोम विज्ञान 97–98
डॉ0 प्रमोद कुमार
ग्रामीण परिवार की संरचना एवं प्रकार्य में परिवर्तन 99–100
डॉ0 (श्रीमती) मोहिनी मौर्य

राममय रामरंग 101–102
राजीव कुमार
वर्ण संकर या मिश्रित जातियों में से जातियाँ 103–105
डॉ0 संजय कुमार तिवारी
स्वतंत्रयोत्तर काल में कला–संस्कृति के क्षेत्र में डुमरांव राज की स्थिति 106–108
अनिल कुमार
प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थान 109–111
डॉ. रंजन कुमार
औपनिवेषिक भारत में पत्रकारिता 112–114
विनय कुमार
नक्सलवाद : आंतरिक प्रषासन को गम्भीर चुनौती (समस्या एवं समाधान) 115–116
डॉ0 धनन्जय सिंह
प्राथमिक शिक्षा के विकास के विभिन्न प्रयास 117–118
पूनम कुमारी
राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा तथा शिक्षक 119–120
डॉ0 शैलेश कुमार पाण्डेय
नक्सलवाद : कारण और निवारण 121–122
प्रकाश कुमार पासवान
ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एक तुलनात्मक अध्ययन : चनपटिया प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज चुहड़ी के संदर्भ में 122–125
डॉ0 अवधेश साह
प्रसाद जी की जीवन दृष्टि 126–127
नरेश प्रसाद
भाषा और हिन्दी साहित्य : एक अध्ययन 128–129
सुधा कुमारी
सांस्कृतिक नवजागरण का छायावादयुगीन साहित्य पर प्रभाव 130–131
डॉ0 साधना जायसवाल
धर्मशास्त्रों में नारी का धार्मिक–जीवन 132–134
मन्जू यादव
नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति एवं समस्याऐं 135–137
डॉ0 रामभजू राम
ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिला 138–139
डॉ0 ज्ञान प्रकाष मिश्र
सरयू–अचिरावती घाटी में भोजपुरी का क्रमिक विकास 140–141
डॉ0 राम कृपाल राय
पुराणों में पर्यावरण : एक विवेचना 142–143
डॉ0 अनिल कुमार यादव
शिक्षा का वाणिज्यीकरण एक विमर्श 144–146
डॉ0 ज्योत्स्ना पाण्डेय
ललीत कलाओं का मूलस्त्रोत – वेद 147–148
प्रो0 डॉ0 अविराज कृष्णराव तायडे
माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन 149–152
डॉ0 संगीता चौहान
भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति : एक अवलोकन 153–155
डॉ0 रीता मौर्या

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 1-2

जैन दर्शन में आत्मा सम्बन्धी अवधारणा : एक दार्शनिक विश्लेषण

डॉ0 तृप्ति सिंह*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर ,दर्शनशास्त्र विभाग, मोहम्मद हसन पी०जी० कालेज, जौनपुर,उ0प्र0

सारांश : भारत में जैन दर्शन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। यह दर्शन एक धार्मिक मत के रूप में भारत में आदरणीय स्थान रखता है। महावीर स्वामी ने अपने धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों द्वारा साधकों को अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आकर्षित किया है। एक लम्बी परम्परा को भारत में प्रसारित करने वाले जैन दर्शन में आत्मतत्त्व मूल सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है। **मुख्य शब्द** : जैन दर्शन, आत्मा और जीव, भौतिक पदार्थो, वर्हिआत्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा आदि।

जैन दर्शन में आत्मा और जीव समानार्थक हैं। जिस नित्य तत्त्व को अन्य भारतीय दर्शन आत्मा कहते हैं, उसे जैन दर्शन जीव तत्व कहते हैं। जैन दर्शन में चेतना को जीव का स्वरूप माना जाता है। चेतना जीव का (आत्मा का) सामान्य लक्षण है।[1] निम्नतर से लेकर उच्चतर जीवों तक चैतन्य सब जीवों में निरन्तर विद्यमान रहता है। जैन दर्शन में चैतन्य को, चेतना, ज्ञान और उपयोग आदि समानार्थक शब्दों द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है।[2] चेतना ही जीव का ऐसा लक्षण है जो उसे अन्य भौतिक पदार्थो से अलग करती है।[3] इस चैतन्य जीव में अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति, अनन्त दर्शन तथा अनन्त आनन्द निहित है। परन्तु ये गुण जीवों के कर्मों के कारण प्रगट नहीं होते। जब सम्पूर्ण कर्म हट जाते हैं, तब उपर्युक्त गुण पूर्णतया प्रगट हो जाते हैं। यह पूर्ण चैतन्यता है। यह 'केवल' अवस्था है। जो जीव इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उन्हें जैन दर्शन में 'जिन' कहा जाता है, क्योंकि ये वे जीव हैं जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जिनके समस्त कर्म क्षय हो गये हैं। जैन दर्शन चेतना के विकास के क्रम में इन्हें निम्नतर और उच्चतर श्रेणियों में विभाजित करता है। सबसे कम चेतना वाले जीव एक इन्द्रिय वाले हैं। जैन दर्शन कहता है कि कर्म जनित बाधा इनके चेतना को सीमित कर देती है, अर्थात् प्रगट नहीं होने देती है। स्पष्ट है कि इनमें भी पूर्ण चेतना है। परन्तु कर्मों के बाधा के कारण प्रगट नहीं हो पा रही है। उन जीवों को जिनमें दो से पाँच इन्द्रिय हैं, जैन दर्शन के अनुसार में मध्यम जीव हैं। क्योकि इनमें कर्म जनित बाधा निम्न स्तरीय जीवों से कम है। इसमें कृमि से लेकर मनुष्य तक सभी जीव आते हैं।[4] जैन दर्शन में जीव चैतन्य स्वरूप ही है, वह भौतिक तत्त्वों से नितान्त ही भिन्न है, तथा स्वतंत्र सत्ता है। जीव (चेतना) कर्मों के नाश द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रगट हो जातें है। अब उसे न तो भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है और न ही उसकी कोई भौतिक सीमा होती है। वह अशरीरी और सुख–दुख से परे हो जाता है। जैन दर्शन आत्मा (चेतना) को स्व–प्रमाणित मानता है। यह शरीर से भिन्न चेतन तत्त्व है, तथा चेतन स्वरूप भी है। यह नित्य और अविनाशी भी है। जब तक चेतना कर्मो के प्रभाव में है तभी तक वह सीमित है। जैसे ही बन्धन समाप्त होता है, यह अनन्त ज्ञान स्वरूप स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह अपने पूर्व कर्मों के कारण शरीर का आकार ग्रहण करती है। जबकि यह आकार कर्म जनित ही होता है न कि वास्तविक। अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा (चेतना) निराकार ही है। घोर भौतिकवादी चार्वाक चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानता है, जबकि जैन दर्शन शरीर से भिन्न नित्य स्वतंत्र तत्व चेतना को स्वीकार करता है। शरीर के आकार को ग्रहण करके भी आत्मा (चेतना) शरीर से भिन्न नित्य स्वतंत्र तत्व है। अतः जैन दर्शन में चेतना और आत्मा को एक ही माना गया है।

जैन दर्शन में आत्मा का मुख्य लक्षण उपयोग माना गया है। उपयोगों लक्षणः जीव। इस सूत्र के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। उपयोग में दर्शन–चैतन्य और ज्ञान–चैतन्य दो तत्व निहित है। प्रत्येक जीवात्मा में अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की शक्ति को दर्शन चैतन्य कहते है। अर्थात प्रत्येक जीव अपने प्रयत्न से ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। अर्थात पूर्ण चैतन्यता को उपलब्ध हो सकता है। दूसरा हैः – 'ज्ञान–चैतन्य।' अर्थात प्रत्येक जीव में बाह्य पदार्थो को भी जानने की शक्ति हैं। जीव इन दोनों शक्तियों का उपयोग करता है। हम कह सकते है कि उपयोग शक्ति ही जीवात्मा का मुख्य लक्षण है।'दर्शन–चैतन्य' अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के अनुभव को भी चार स्तरों में विभाजित किया गया है।'ज्ञान–चैतन्य' अर्थात् वाह्य पदार्थो का ज्ञान भी आठ भागों में विभाजित किया है। ये दोनों चैतन्य वास्तविक रूप में आत्म चैतन्य के विकास के स्तर को प्रगट करने के लिए विभाजित किये गये हैं। ज्यों–ज्यों साधक कर्मों का क्षय करता जाता है, चेतना का स्वरूप विराट होता जाता है। अन्ततः सभी कर्मों के क्षय से वह पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। जैन दर्शन यह स्वीकार करता है कि मुक्त अवस्था में आत्मा, अनन्त ज्ञान स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन में आत्मा ही चैतन्य है तथा शाश्वत और स्वभावतः स्वतंत्र है।

न्याय–वैशेषिक दर्शन चार्वाक से एक कदम आगे बढ़कर चेतना को अभौतिक तत्वों का गुण मानते है। न्याय–वैशेषिक भी चेतना और आत्मा को एक ही तत्व नहीं स्वीकार करते है। इन दर्शनों में चेतना आत्मा से भिन्न है। परन्तु जैन दर्शन में चेतना और आत्मा एक ही है।जैन दर्शन कहता है कि सभी आत्माओं में सभी प्रकार के चैतन्य विकसित नहीं होते है। आचार्य कुन्द कुन्द ने जीव के तीन प्रकार स्वीकार किये है, अर्थात 'जीव–चैतन्य' तीन प्रकार के हो सकते हैं। वर्हिआत्मा अन्तरात्मा और परमात्मा। बर्हिरात्मा वह आत्मा है जो शरीर से अपने को एक मानती है। अन्रात्मा वह आत्मा है जो बाह्य भौतिक वस्तुओं तथा चेतना (आत्मा) को भिन्न तत्व स्वीकार करता है। यही वह चेतना है जो समस्त अनुभवों का साक्षी है। परमात्मा (परम चेतना) वह चेतना है जो समस्त घातीय और अघातीय कर्मो का नाश कर परमोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यह चेतना का सर्वोच्च अवस्था है। यह अवर्णीय है। उपर्युक्त भेद जीवों के चेतना के विकास के आधार पर किये गये है। सभी जीव परम अवस्था अर्थात परम

चैतन्यता को प्राप्त कर सकते है। जीवों के विकास क्रम अर्थात चेतना के विकास क्रम को जैन दर्शन में गुण–स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्ततः समस्त गुणों के पार चेतना गुण स्थानातीत हों जाती है। यहॉ चेतना आनन्द रूप है, गुणातीत है।

चेतन और अचेतन में जगत को विभाजित करने वाले जैन दर्शन में चेतना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चेतना को यहॉ 'स्वयं प्रकाश' माना गया है। चेतना अर्थात् (जीव) को 'अणु' रूप न मानकर 'विभु' माना गया है। 'स्वयं' को और 'विषयों' को प्रकाशित करने वाला यह आत्मा मुक्त अवस्था में, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन अनन्त वीर्य और अनन्त आनन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह गुणातीत और निरपेक्ष अवस्था है।[5] जैन दर्शन चेतना (जीव) को मध्यम परिणामवाद के द्वारा शरीर परिणामी स्वीकार करता है। आकार परिवर्तन भौतिक तत्वों का गुण है। जैन–दर्शन चेतना को शरीर के आकार में प्रगट करता है, जो कि चेतना को भौतिक तत्वों के समीप ला देता है। आकार परिवर्तन को चेतना में भी आरोपित करना जैन दर्शन की तर्क व्यवस्था पर प्रश्न चिन्हं लगता है। यदि आत्मा शरीर परिणामी है तो शाश्वत और नित्य कैसे हो सकता है ? भौतिक तत्वों की भॉति उसमें भी विनाश का गुण होना चाहिए। शंकर कहते है कि आत्मा को छोटे जीव का आकार ग्रहण करने का अर्थ है कि उसमें से कुछ अंश नष्ट होता है तथा बड़े जीव का आकार ग्रहण करने का अर्थ है कि उसमें कुछ नया जुड़ गया है। इस प्रकार आत्मा में संकोच और विकास की कल्पना उसे चेतना के स्तर से नीचे ला देती है।[6] शंकर कहते हैं कि मध्यम आकार का जीव सभी प्रकार के शरीर में कैसे आ सकता है।[7] इस प्रकार भौतिक गुणों से युक्त जीव अनित्य है। जो अनित्य है, उसके मुक्ति की बात ही व्यर्थ है। जब मुक्ति ही नहीं है तो बन्धन कैसा?[8] जैन दर्शन में मुक्तावस्था के आकार को अनन्त और स्थाई कहा गया है। शंकर कहते हैं कि बन्धन के अवस्था में भी उनका स्वरूप स्थाई होना चाहिए, न कि परिवर्तनशील। राधाकृष्णन कहते है कि व्यवहारिक स्तर पर जीवों की अनेकता को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। जब जैन दर्शन यह कहता है कि जीवों का संकोच विकास अस्थाई है, मुक्तावस्था में यह नित्य अवस्था को प्राप्त करती है तो उसी तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जीवों की अनेकता भी मुक्तावस्था में नहीं रह जाती। यदि यह कहा जाय कि शरीर परिणामी जीव मुक्तावस्था में विभुरूप (असीम) हो जाता है तो यह तर्क संगत तभी होगा जब यह माना जाय कि जीव का शरीर परिणामी स्वरूप अज्ञान जन्य है, ना कि वास्तविक। राधा कृष्णन् अनेक चेतन तत्व के सिद्धान्त को तर्क संगत नही मानते। उनके अनुसार, मुक्त जीव के 'केवल स्वरूप' को ध्यान में रखा जाय तो चेतना अर्थात जीवों की अनेकता को तर्क संगत नहीं माना जा सकता है। यदि आत्मा अनेक है तो बाहय पदार्थ एवं शारीरिक बन्धन सदैव बाधक रहेगें। ऐसी दशा में मोक्ष की अवधारणा सम्भव ही नहीं है।

राधा कृष्णन के अनुसार व्यवहारिक तथा मनौवैज्ञानिक स्तर पर जीवों की अनेकता को स्वीकार करना उचित ही प्रतीत होता है। जैन दर्शन यह भी स्वीकार करता है कि 'केवली' में अर्न्तदृष्टि द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है कि अन्तर्दृष्टि तो विचार के ऊपर की दृष्टि है, जहॉ कोई भी भेद नहीं है, जिसे अद्वैत, शून्य तथा परम सत् कहा जा सकता है। यदि परम सत् भेद रहित है तो व्यवहारिक जगत को आभाष ही करना उचित होगा। अर्थात, शंकर के अद्वैतवाद के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन अनेकान्तवादी यर्थाथवादी सिद्धान्त द्वारा चेतना के स्वरूप को समझाने में असमर्थ है। जैसा कि राधाकृष्णम् कहते है कि आधे रास्ते में ही ठकर जाने के कारण जैन मत अनेकतावादी यर्थाथता का प्रतिपादन कर सका है।[9]

सन्दर्भ :

1. भगवद्गीता शंकर भाष्य 2:18
2. न्याय भाष्य 2,3,37,40
3. चैतन्य लक्षणों जीवः। शड्दर्शन समुच्चय कारिका 49.
4. उपयोगों लक्षणों जीवः। त0सू0 2/8
5. तत्र चेतना लक्षणों जीवः। त0सू01/4
6. तत्त्वार्थ सूत्र – 2/22
7. कुन्दकुन्दन का प्रवचन सार – 10
8. ब्रह्म सू0 शांकर भाष्य – 2.2.34
9. अनित्यत्वात्मानम् प्रसञ्येत – वृ0 सू0 शांकर भाष्य 2.2.34

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 3-4

भास की रचनाओं में कलात्मक अभिव्यक्ति

डॉ0 स्वाती मिश्रा*
*असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास विभाग),श्री रामचन्द सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,लोहटी सरैया, अयोध्या,उ0प्र0

सारांश : किसी भी युग विशेष की सांस्कृतिक उन्नति में कला का विशेष योगदान रहता है। कला और जीवन के मणिकांचन सहयोग से ही कलाकार सजीव कलाकृति का सृजन करता है। भारत में कला को लोकानुरंजन का पर्याय माना गया है। क्षेमराज ने शिवसूत्र विमर्शिवी में कला को वस्तु का रूप संवारने वाली कहा है– कलयति स्वरूपं आवेशयति वस्तूति वा। गोधे के अनुसारः– महान सत्य की प्रतिकृति कला है। माइकल एंजलो का मत है कि सच्ची कलाकृति दैवी पूर्णता की प्रतिकृति होती है। (The true work of art is bat a shadow o dicine perception)[1] हर्बट रीड के विचार में कला विचार अभिव्यक्ति का माध्यम (Art is a made of expression) है।[2] मूलतः किसी भी कार्य को भली प्रकार करने की प्रक्रिया कला है जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मन्दिर बनाना, गीत गाना काव्य रचना आदि। यहाँ भली प्रकार शब्द अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गीत गाना तभी कला कहा जाएगा, जब गीत सुमधुर और लय–तान के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य नाटक चित्र मूर्ति आदि सम्बंधी प्रक्रिया कला की परिधि में तभी आ पाती है जब वह भली प्रकार से सम्पन्न हो अर्थात काव्य नाटक चित्र अथवा मूर्ति में अर्थ रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र पारलौकिक आध्यात्मिक तथा दैवी उदान्त आदर्श की प्राप्ति में निहित है लगभग वैसा ही प्रयास भारतीय कला के कलेवर से प्रकट होता है। अस्तु भारतीय कला भारतीय संस्कृति की संवाहिका कही जा सकती है। पितिरिम ए0 सोरोकिन ने ठीक ही कहा है कि– ''आर्ट इज द बैरोमीटर आफ ए नेशन्स कल्चर अर्थात किसी राष्ट्र की संस्कृति के स्तर का माप उसकी कला द्वारा होता है।''[3] भारतीय कला एवं संस्कृति के उद्कृष्ट विद्वान डा0 जयदेव सिंह ने सौन्दर्यानुभूति की कई कोटियां बताई है।[4] उनकी दृष्टि में जिस सौन्दर्य की अनुभूति केवल अनमय कोश तक ही परिसीमित रहती है उसकी अभिव्यक्ति भी रूप रंग आदि बाह्य तत्वों तक ही परिसीमित रहती है। परन्तु जिस सौन्दर्यानुभूति में प्राणमय कोश का प्राबल्य होता है। उसमें ओजगुण अधिक होता है।

यद्यपि कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है और उसका विभाजन किसी भी दृष्टि से उचित नही है तथापि सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उसके दो भेद है– उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कलाओ से मनुष्य की बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः इसकी संख्या अनन्त है। ललित कला रस और भाव प्रधान होती है। जो मनुष्य में उदान्त भावनाओं का संचार करती है। प्रा0के0डी0 बाजपेयी के अनुसार ''भारत में ललित कलाओं को सौन्दर्य एवं आनन्द के अनुभव तथा शक्ति संवर्द्धन का माध्यम माना गया था न कि कुत्सितभावों एवं अन्धविश्वासों का साधन।''[5] सहित शब्द से ही साहित्य की उत्पत्ति हुई है। अतएव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में मिलन का भाव दृष्टिगोचर होता है। यह केवल भाव का भाव के साथ भाषा का भाषा के साथ ही मिलन नहीं बल्कि मनुष्य का मनुष्य के साथ अतीत का वर्तमान के साथ और निकट का दूर के साथ अत्यन्त अंतरंग मिलन है।[6] मानव ने आदि से लेकर आज तक जो देखा सुना है जो अनुभव किया है, तथा अपने व अपने पार्श्ववर्ती समाज के हित के लिए जो मान किया है, साहित्य उन सब विचारों व अनुभूतियों का एक महत्वपूर्ण लेखा है।[7] साहित्य (काव्य) दो प्रकार का माना गया है– श्रव्य और दृश्य।[8] श्रव्य और दृश्य दोनों काव्य की ही आंगि विद्या है अतः यद्यपि इनका उद्देश्य समान प्रायः है तथापि उद्देश्य प्राप्ति के साधनों में पर्याप्त अन्तर है। श्रव्य काव्य का उपयोग श्रवणेन्द्रियों के माध्यम से किया जाता है, अतः यह श्रुति सापेक्ष्य होने से पाठ्य होता है।[9] श्रव्य में शब्दों के माध्यम से ही भावनात्मक चित्रों को मानस पटल पर अंकित किया जाता है, अतः श्रव्य काव्य को आत्मसात् करने के लिए श्रोता में कल्पना आदि अपेक्षित है। विशिष्टता की दृष्टि से दृश्य (नाटक) की अतिशय प्रतिष्ठा है दृष्य काव्य के लिए सामान्यतः नाटक, नाट्य आदि शब्द प्रचलित है जबकि श्रव्य के लिए काव्य। महिम भट्ट के शब्दों में काव्य में अनुभाव विभावों का वर्णन होता है। किन्तु उन्हीं का जब गीतादि से अनुरंजित प्रयोग किया जाता है, तब वह नाटक कहलाता है।[10] नाटक की उत्पत्ति को मनुष्य की उत्पत्ति से सम्बन्धित माना जाता है।[11]

भास की नाट्यकला में व्यंजकता तथा प्रभावोत्पदकता का मणि कांचन संयोग है। लघु वाक्यों में गम्भीर तथा रस भाव व्यंजना अपना विशेष महत्व रखती है। दुरूह तथा दीर्घ विस्तारी समस्त पदों की संघटना भले ही काव्य के लिए उपयोगी हो पर नाटको में लघुविस्तारी एवं सरल वाक्यों की महत्ता अक्षुण्ण है। इस दृष्टि से भास सफलता के शिखर पर दिखाई पड़ते है। छोटे–छोटे वाक्यों को लोकोक्तियों तथा सूक्तियों से अलंकृत करना भास की शैली का गुण है।[12] भास विषय या दृश्य का वर्णन करते समय उसके सूक्ष्मति–सूक्ष्म अंश को भी वे उपस्थित कर देते हैं दरिद्र चारूदत्त नाटक में दरिद्रता का वर्णन जितना स्वाभाविक है उतना ही बारीक भी। सुख–दुःख के बाद प्राप्त होना चाहिए यह भास को अच्छी तरह विदित था। सुखावस्था के बाद दुःख आना मरण तुल्य ही है।[13] यदि किसी दृश्य का वर्णन वे करने लगते हैं तो इतनी स्पष्टता के साथ उसे उपस्थित करते हैं कि पाठक को पूर्ण बिम्ब ग्रहण हो जाता है। यह किसी कवि या नाटककार की चरम सिद्धि है। उदाहरणार्थ संध्या का वर्णन[14], मध्यरात्रि का वणर्न[15], चन्द्रोदय का वर्णन[16], समुद्र का वर्णन[17], तपोवन का वर्णन[18], ऋतु का वर्णन[19], वन वर्णन, तारूण्य वर्णन, युद्ध भूमि[20] इत्यादि भास के नाटकों में क्रमशः अविमारकः स्वप्नवासवदत्ता, चारूदत्ता अभिषेक नाटक, प्रतिमानाटकम्, उरूभंग आदि में देखे जा सकते है। प्रतिमा नाटकम, मे प्रतिभा वाला सम्पूर्ण प्रसंग भास की कल्पना की उद्भूति है।[21] इसी प्रकार कैकेयी का यह

कथन भी भासीय कल्पना का ही प्रसाद है कि उसने मात्र ऋषि वचन की सत्यता के लिए राम का वनवास माँगा[22] यह अन्य बात है कि अपने दृढ़ वैदिक संस्कारों तथा ब्राह्मणीय संस्कृति के प्रवक्ता होने से उन्होने कहीं–कहीं उसका जान बूझकर प्रदर्शन कर दिया है।[23] इस प्रकार का वृत्तान्त हमें मध्यमव्यायोग में मिलता है।

मानव सभ्यता के साथ–साथ विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। हमारे यहाँ 64 कलाएं मानी गयी है। इनमें संगीत कला, चित्रकला, काव्यकला, विशेष महत्व रखती हैं। वात्स्यायन के अनुसार संगीत के तीन मुख्य भेद माने जाते है– 1. गीत 2. वाद्य 3. नृत्य। ये तीनों संगीत की त्रयी कहलाती है और परस्पर न्योन्याश्रित है। भास रचित नाटकों से हमें तत्कालीन संगीत की लोकप्रियता का आभास मिलता है। पुष्पावचय, उद्यान क्रीड़ा और जलक्रीड़ा आदि तत्कालीन उत्सवों जैसे शक्रध्वजोत्सव, वर्षवर्धनोत्सव, इन्द्रयज्ञउत्सव, विजयोत्सव आदि द्वारा भी ललित कलाओं के प्रचार–प्रोत्साहन की अनेक बातों का पता लगता है।[25] उदयन और वासवदत्ता की प्रणयलीला संगीत पर ही आधारित है।[26] भरत का नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों (28 से 33 तक) का संगीत से सीधा सम्बंध है। इनमें अट्ठाइसवें अध्याय में बाघों से चार भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्च्छनाएं, अट्ठारह जातियां उनके ग्रह अंश, न्यास इत्यादि का विवरण है।[27] मधु झंकार से मंत्र विद्या के सदृश मदमत्त हाथियों के हृदय को भी वशीभूत कर लेती थी।[29]

भास के नाटकों में लोक–नृत्य के रूप में हल्लीसक नृत्य[30] का उल्लेख हुआ है। हल्लीसक नृत्य रास नृत्य का ही एक रूप था। धार्मिक या सामाजिक लोकोत्सवों और मेलों में सुसज्जित नर–नारी सम्मिलित होकर आनन्द में झूमते हुए नगाड़ों की ताल पर इस नृत्य का प्रदर्शन करते थें। बालचरितम[31] में रंग–बिरंगे वस्त्रों से विभूषित गोपकन्याएं श्रीकृष्ण के साथ हल्लीसक नृत्य करती है। हल्लीसक शब्द का उद्भव यूनानी हलीशियन (हलीशियन मिस्ट्री डांस) से ईसवी सन् के आस–पास हुआ जान पड़ता है। कृष्ण के रास नृत्य और हल्लीसक नृत्य इन दोनों की परम्पराएं किसी समय एक दूसरे से सम्बन्धित हो गई होगी। इसके अतिरिक्त नाटकों में कई प्रकार के भवनों का भी उल्लेख है जैसे– समुद्रग्रह[32], मयूरयष्टि, मुखप्रसाद[33], सूर्यामुख प्रासाद[34], शान्तिगृह[35], अग्निगृह[36] आदि।

विवेच्य नाटकों में आये कला सम्बंधी उल्लेखों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उस युग में चित्रकला की साधना उत्कर्ष पर थी। ''दूतवाक्यम्'' के प्रथम अंक में द्रौपदी के कशकर्षण का दृश्य उस समय की चित्रकला की उन्नति का प्रत्यक्ष प्रमाण है।[37] वस्तुतः भास के समय में इस कला को साधना की दृष्टि से कम और जीविका या व्यवसाय की दृष्टि से अधिक किया जाता था। ''प्रतिज्ञायौगन्धरायण'' में चित्र फलक पर अंकित उदयन वासवदत्ता विवाह के दृश्य और दूतवाक्यम् में द्रौपदी के केशकर्षक के चित्र का उल्लेख अवश्य है, परन्तु स्वहस्तलिखित चित्रों का नाम तक नहीं आया है और न ही किसी पात्र को कला का साधक बताया गया है।

सन्दर्भ :

1. डा0 प्रेमचन्द्र गोस्वामी,...... कला, चित्रकला और चित्रतत्व कला, सरोवर, वाल्यूम–1 सं0–2 1987 पृष्ठ–7
2. हर्बट रीड, ...आर्ट सोसायटी, लंदन 1967 पृष्ठ 7
3. डा0 हरद्वारी लाल शर्मा, ...सुंदरम लखनऊ 1975, प्रस्तावना पृष्ठ–11
4. डा0 हरद्वारी लाल शर्मा, ...सुंदरम लखनऊ 1975, प्रस्तावना पृष्ठ–11
5. ''भारतीय जीवन दर्शन और ललित कला'' कला सरोवर (अप्रैल–जून 1987 पृष्ठ 61
6. डा0 रवीन्द्र नाथ ठाकुर (डा0 राजकुमार पाण्डेय साहित्यिक निबंध पृष्ठ–2)
7. धर्मचन्द्र सन्त सिद्धान्तलोचन पृष्ठ 38
8. साहित्य दर्पण, 6/298
9. पाठ्य शब्द से स्पष्ट है कि श्रव्य मे चक्षु का भी सहयोग अपेक्षित है।
10. व्यक्ति विवेक, प्रथम विमर्श पृष्ठ96
11. दि डेवलपमेंट आफ डोमेटिव आं, डोनाल्ड क्लाइव स्टुअर्ट, पृष्ठ1–2
12. ए. एस. पी. अरूयर भास पृष्ठ60
13. चरूदत्तम प्रथम अंक सम्पूर्ण भास
14. (क) पूर्वा तु काष्ठा.....रूपशोभाम्।। अविमारक 2/12 (ख) खगा वासोपिता....शनैरस्तशिखरम।। स्वप्नवासवदत्ता।।
15. टविमारक 3/4
16. डदयति हि शशांक.....क्षरीधाराःपतन्ति।। चारूदत्त 1/29
17. क्वचित......सलिलः अभिषेक नाटक 4/17
18. विश्रब्ध......हिवाश्रयः स्वप्नवासवदत्ता 1/12
19. अविमार 4/14
20. ऊरूभंग श्लोक 6
21. प्रतिमानाटकम तृतीय अंक (सम्पूर्ण)
22. प्रतिनाटकम षष्ठ अंक पृष्ठ 192–193
23. मध्यमत्यायोग (सम्पूर्ण)
24. गीतं, वाद्य तथा नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते। संगीत रत्नाकर 1/21
25. भास नाटक चक्रम बलदेव उपाध्याय पृष्ठ 25–28
26. स्वप्नवासवदत्ता एवं प्रतिज्ञायौगन्धरायण (सम्पूर्ण)
27. संस्कृत साहित्य का इतिहास वाचस्पति गैरोला पृष्ठ 651
28. उत्कष्ठितस्य......सपते।। चारूदत्त 3.1
29. प्रतिज्ञायौगन्धरायण 2.12
30. बालचरितम अंक 3 पृष्ठ 47
31. अधभर्तृदामादरोस्मिन......प्रक्रीडितुयागच्छति।
32. बालचरितम अंक–3 पृष्ठ44
33. वसुदेव शरण अग्रवाल हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ 33
34. समुद्रग्रहके किल शरूयास्तीर्ण।स्वप्नवासवदत्ता, पंचम अंक श्लोक 108
35. प्रतिज्ञायौगंधरायण 2/13–14
36. स्वप्नवासवदत्ता षष्ठ अंक पृष्ठ 135
37. प्रतिज्ञायौगंधरायण 2/13–14

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 5- 6

आरक्षण : एक राजनीतिक औजार

डॉ0 मनोज कुमार सिंह*
*राजनीति विज्ञान, बरेली कॉलेज, बरेली, उ0प्र0

सारांश : आरक्षण की व्यवस्था सदियों से दमित और शोषित वर्गों को अवसर प्रदान करने और उन्हें उच्च वर्ग के समकक्ष लाने के लिए अस्थायी तौर पर की गयी थी। किन्तु आजादी के 60 साल पूरे हो जाने के बावजूद दमन और शोषण की स्थिति बरकरार है। और आरक्षण के बाद भी इन वर्गों के लोगो का आर्थिक, सामाजिक उत्थान पूरी तरह से नही हो सका है।

मुख्य शब्द : पिछड़ी जातियों, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक आरक्षण और आर्थिक आरक्षण, राजनीतिक अवसरवाद आदि ।

आरक्षण व्यवस्था राजनीतिक लाभ का औजार बनती जा रही है भारत जैसे देश में संसाधनों और पैसे की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर न के बराबर रह गये है और जो है वो अवसर प्रदान करने का माध्यम कम, प्रचार का माध्यम अधिक बनते जा रहे हैं। मेरे विचार से ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द आरक्षण की बैसाखियों का सहारा लेने की प्रवृत्ति से मुक्ति पाना ही अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों के हित में प्रतीत होता है। आरक्षण के औचित्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता और न ही मैं कर रहा हूँ, पर आरक्षण दमित, शोषित वर्ग का वास्तविक हित करने की बजाय राजनीति का औजार बन जाये तो उसकी उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगता है। मेरे विचार से आरक्षण चुनौती झेलने और संघर्ष करने की प्रवृत्तियों को अवरूद्ध करता है। आरक्षण एक प्रकार की विशेष अनुकंपा या कृपा प्राप्त करते रहने की प्रवृत्ति को विकसित करता है। जबकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इन वर्गों में आर्थिक सक्षमता, योग्यता, आत्म सम्मान और दृढ़ इच्छाशक्ति उत्पन्न करने की है। ओर देखा जाये तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आरक्षण इन श्रेष्ठ गुणों के विकास में बाधा बन जाता है। जो अनुसूचित वर्ग पहले उच्च जातियों वाले समानता की दया पर या कृपा पर निर्भर था, आज वह राजनीतिक दलालों (राजनेताओं) की दया और कृपा का आकांक्षी बनता जा रहा है और यह बात सबको पता है कि दया और कृपा पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति जीवन के वास्तविक संघर्ष में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने से घबराता है, सकुचाता है या डर जाता है।

अतः अनुसूचित वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण जैसी बैसाखियों से जितनी जल्दी हो सके, मुक्ति पाने का प्रयत्न अपनी ओर से ही करना चाहिए तभी वे दूसरों से कमजोर होने की हीन भावना से मुक्त होकर चुनौती को सीने पर झेलने का साहस कर सकेगें। इन वर्गों में भी राजनीतिक स्तर पर एक विशेष वर्ग बन गया है, जो इन वर्गों के ही कुछ जातियों से आगे या संपन्न हो गया है। अतः आरक्षण देना ही है तो अनुसूचित वर्ग में भी अब अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये आरक्षण का प्रश्न होना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण और आर्थिक आरक्षण दोनों को अलग–अलग करना होगा तभी हम समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय कर पाएंगे और उन्हें जोड़ते हुए आगे बढ़ पायेगें।

आरक्षण की समस्या बहुत जटिल बन गयी है जैसे–किसे विशेष सुविधा मिलनी चाहिए? उस सुविधा का प्रदान करने का आधार क्या होना चाहिए? पिछड़ी जाति का होना एक बात है पर क्या ऊँची जातियों में आर्थिक पिछड़ापन नहीं है? और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग है? जरूरी नहीं कि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हों और यह भी जरूरी नहीं कि सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों आर्थिक रूप से संपन्न ही हो। आजादी के बाद कुछ पिछड़ी जातियों ने आर्थिक रूप से काफी उन्नति की है और उनमें अधिकांश शैक्षिक स्तर पर भी आगे बढ़े है, दूसरी तरह ऊँची जातियों के बड़े हिस्से में बेरोजगारी और नौकरी के क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता बढ़ी है। इस समस्या को राजनीतिक अवसरवाद ने और अधिक कठिन बना दिया है। पिछड़े वर्ग के पक्ष में लम्बे–चौड़े वादे करना, वोट प्राप्त करने का तरीका हो गया है। आज कोई नहीं कह सकता कि इस समस्या का हल कैसे होगा ? क्या आरक्षण वर्ग के आधार पर किया जाना चाहिए ? यदि हाँ तो जाति और वर्ग का आधार क्या होगा? आर्थिक स्तर पर आकलन करना भी बहुत कठिन होगा जब एक ही जाति में चाहे वो अनुसूचित जातियां हो या उच्च जातियां दोनो में धनी और निर्धन लोग है तो हम कैसे कह सकते है कि फला जाति आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं।

केन्द्र और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय 50 प्रतिशत की सीमा से आगे जाकर आरक्षण बढ़ाना आरक्षण प्रावधानों का सबसे बड़ा दुरूपयोग है। केन्द्र और सर्वोच्च न्यायालय की तय सीमा के बावजूद तमिलनाडु सरकार 69 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने में सहायता के लिए संविधान में संशोधन करना तथा सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर मुस्लिमों एवं ईसाइयों को अलग से आरक्षण देने के लिए 13 सितम्बर 2007 को एक अध्यादेश जारी करना समाज के योग्य प्रत्याशियों के लिए खाई खोदने के समान है। जुलाई 1994 में कर्नाटक में दो अगड़ी जातियों (1) वोक्कालिंगा और (2) लिंगायत को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया जाना इसके दुरूपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार अभी हाल में ही उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सरकारी कृत से आम व्यक्तियों के साथ–साथ उद्योग जगत में भी भारी नाराजगी व्याप्त है। फिक्की (FICCI) की शिक्षा समिति की चेयरमैन शोभना मिश्रा के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा में आरक्षण देने के स्थान पर सरकार को चाहिए कि वह ऐसी सुविधायें उन्हें उपलब्ध कराये जिससे वे स्वयं अपने बूते पर प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के प्रतियोगी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाये। क्या इसका सीधा अर्थ यह नही कि संविधान के सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशों का पालन करवाने में हमारी संसद पूरी तरह विफल रही है।

जहाँ तक आरक्षण का लाभ सही व्यक्ति को मिलने का प्रश्न है यह शुरुआती वर्षों में भी कुछ विशेष लोगों तक सीमित था और आज भी स्थिति यही है। आज की स्थिति यह है कि हम प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पिछड़े तथा अन्य दलित वर्गो के लिए कुछ कर नही पाये है और उन्हें उच्च शिक्षा में आरक्षण देकर आसन्न विधानसभाओं तथा लोकसभा चुनावों हेतु वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज स्तर की शिक्षा में भी हम इस वर्ग को आगे नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही आदिवासियों तथा दलितों के लिए निर्धारित ग्यारह सौ सीटे प्रति वर्ष रिक्त रह जाती है। सरकार को इन रिक्तियों को भरने की दिशा में प्रयास करना चाहिर जबकि यह रिक्तियों की संख्या को और बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रही है।

यदि हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गाँव के स्कूलों में छात्रो की उपस्थिति पर नजर डालें, तो साफ होता है कि वर्ष 1983 में अनुसूचित जनजातियों के 39.5 प्रतिशत पुरुष स्कूल गये थे, जबकि 1993–94 में यह संख्या बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई 1993–94 में अनुसूचित जनजाति के 64.3 प्रतिशत लड़के स्कूल जा रहे थे, जबकि 1983 में यह संख्या महज 48.9 प्रतिशत ही थी। सामान्य वर्ग के आंकड़ो पर नजर डाले तो 1983 में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 59.2 था और 1993–94 में यह आंकड़ा 74.9 प्रतिशत हो गया। ऐसे में साफ है कि सामान्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति व जनजाति के कई बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। ऐसे में उनके लिए कॉलेज में आरक्षण का कोई विशेष लाभ नही दिखाई देता है।

पिछले 70 वर्षों में आरक्षण का मुद्दा चुनाव में वोटो की ओछी राजनीति से जुड़ गया है। कोई भी सरकार चाहे कितने ही बहुमत के आधार पर बनी हो इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने को ही तैयार नही है। आज विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि आरक्षण जातिय आधार पर किया जाये या आर्थिक आधार पर? क्या आरक्षण की कोई समय सीमा भी होगी या नहीं? क्या आरक्षण से प्राप्त सुविधाओं का दुरूपयोग तो नही हो रहा है? जिन परिवारों ने आरक्षण का लाभ उठाया और जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया वे भी निरंतर आरक्षण का लाभ उठाते रहे तो आम लोगों में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। सरकारी सेवाओ और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के बाद पदोन्नतियों और भावी शिक्षा के मामले में भी आरक्षण की व्यवस्था किसी भी तरह से उचित नही मानी जा सकती और इससे जाति वैमनस्य बढेगा।

आरक्षण देने के पीछे मूल भावना का दुरूपयोग यदि राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, तब इस विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता हैं। कारण यह है कि इस प्रवृत्ति से समाज में आरक्षित एवं अनारक्षित दो वर्ग बनते जा रहे हैं। जिनमें मनोवैज्ञानिक आधार पर परस्पर वैमनस्यता धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है जो आने वाले समय में एक संघर्ष को जन्म दे सकती है। संविधान निर्माता भी इस दुष्परिणाम की कल्पना कर सके थे इसलिए उन्होंने इसे एक अल्प समय के लिए ही रखना उचित समझा सदैव के लिए नही।

मेरा मानना है कि यदि आरक्षण ही सामाजिक असमानता को दूर कर सकता होता तो आज 70 वर्षों में सबको सामाजिक न्याय मिल जाना चाहिये था, परंतु यह नहीं हुआ अर्थात इस व्यवस्था में कही न कही कोई कमी अवश्य है। आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण के सभी प्रश्नों पर ओछी और घटिया दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाये और इस संबंध में राष्ट्रीय सहमति पर आधारित नीति बनायी जायें। ऐसा हो पायेगा, आज की स्थिति को देखते हुए इसमें मुझे निश्चित रूप से संदेह होता है।

सन्दर्भ :

1. प्रतियोगिता क्रॉनिकल, नवम्बर 2007, पृष्ठ–9
2. इंडिया टुडे, 15 नवम्बर 1994, पृष्ट–43
3. पदोन्नति के रोस्टर प्रणाली के खिलाफ अन्य वर्ग के अधिकारियों में जबरदस्त प्रतिक्रिया पायी जाती है। यह संविधान द्वारा समानता के अधिकार के विरूद्ध है अनुच्छेद 14 से 18 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं किया जाना चाहिए। अतः यदि इन वर्गो को आरक्षण किया जाता है तो यह संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
4. प्रो. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी सामयिक निबंध, उपकार प्रकाशन, आगरा।
5. परीक्षा मंथन–2007
6. समाचार पत्र– अमर उजाला, बरेली संस्करण
7. मनोज कुमार सिंह, नयी पंचायती राज्य व्यवस्था एवं महिलायें शोधग्रन्थ एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)
8. बी.एल.फड़िया ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
9. पुखराज जैन ''राजनीति विज्ञान'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
10. रजत अय्यर ''सामूहिक परिचर्चा'' अरिहन्त पब्लिकेशन

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 7-9

कृषि क्षेत्र हेतु विकास बैंकिंग

डॉ0 उदय गुप्ता*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, निहाल श्याम कॉलेज, बरेली, उ0प्र0

सारांश : सामाजिक नियन्त्रण को स्वीकार करने और उसके बाद प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत में बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरूआत हुई। इसने अनिवार्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और वाणिज्यिक बैंकों के कतिपय क्षेत्रों एवं वर्गों को एक साथ लाने ही कोशिश की है जो सामान्यतः एक दूसरे से दूर रहते थे। बैंकिंग नेटवर्क ने देश में जो भी कुछ विकास किया था, कुल मिलाकर वह भौगोलिक दृष्टि से केवल कुछ अच्छे निष्पादन वाले एवं विकसित क्षेत्रों जैसे व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग तक ही सीमित था। बैंकिंग क्षेत्र का फैलाव एवं आकृति न केवल सीमित थी, अपितु सह असंतुलित भी थी और इस प्रकार इसने जनसंख्या के एक बड़े भाग को अपने कार्यक्षेत्र से दूर रखा था। बैंकिंग में सामान्यतः जमा एवं ऋण क्रियायें सम्मिलित होती हैं किन्तु जब विकास बैंकिंग की बात होती है तब केवल अग्रिम प्रबन्धन को ही महत्व दिया जाता है क्योंकि जो क्षेत्र अविकसित है उनका विकास उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर ही किया जा सकता है। अतः विकास बैंकिंग का सम्बन्ध मुख्यतः अग्रिम प्रदान करने सेवा से होता है। कृषि क्षेत्र हेतु विकास बैंकिंग का अभिप्राय कृषि क्षेत्र. की उन्नति हेतु पर्याप्त वित्त पोषण किये जाने से है।

कृषि क्षेत्र जिसने न केवल मानव जाति के लिए मूलभूत खाद्य, पदार्थ और देश के उद्योगों एवं निर्यातों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया है बल्कि बैंकिंग क्षेत्र की सीमा के बाहर रोजगार का प्रमुख स्रोत भी रहा है। कृषि कम आय वाले स्वनियोजित व्यक्ति के लिए रोजगार का एक बड़ा साधन है। अतः भारत में वित्त पोषण हेतु कृषि को प्राथमिकता प्राप्त है। कृषि प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र का सर्वप्रमुख अंग है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अवधारण का अभ्युदय बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण लागू करने और प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद हुआ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित गतिविधियों में धीरे–धीरे विस्तार किया गया। अतः प्राथमिकता प्राप्त की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। वर्तमान में कृषि, लघु उद्योग व लघु व्यवसाय और कमजोर वर्गों के समेकित क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र का नाम गया है। यह सभी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ है। अतः इन्हें प्राथमिक क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंगों को वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में विभिन्न दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाता हैः कृषि, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कृषि सम्बद्ध कार्यकलापों की निविष्टियों के वितरण के लिए वित्त, लघु उद्योग, छोटे सड़क एवं जल परिवहन प्रचालक खुदरा व्यापारी, खुदरा व्यापारी, लघु व्यवसायी, व्यावसायिक एवं स्व–नियोजित व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रयोजित संगठन, शिक्षा, आवास ,स्वयं सेवी संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों को दिये गये. ऋण, नाबार्ड एच0 बी0 एस0 एफ0 सी0 विद्युतीकरण निगम आदि के विशेष बॉण्ड, छोटी राशि के उपभोग. ऋण।

कृषि हेतु वित्त व्यवस्था : भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विशेषकर कृषि हेतु वित्त के स्रोत ग्रामों और शहरों में सामान्यतः एक ही हैं। इनमें रूपये उधार देने वाले साहूकार तथा शहरी क्षेत्र में देशी बैंकर और कुछ सीमा तक संयुक्त, पूँजी कम्पनियों एवं वाणिज्य बैंक भी शामिल है। भारतीय किसान, लघु उद्योग उद्योगपति, लघु व्यवसायी तथा कमजोर वर्ग के व्यक्ति अपनी अल्पावधि और मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे साहूकारों, सहकारी. ऋण समितियों और सरकार से रूपये उधार लेते हैं। दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बड़े साहूकारों, भूमि विकास बैंकों, वाणिज्य बैंकों, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं और सरकार से रूपये उधार लेते है। भारत में प्राथमिक साख व्यवस्था के निम्नलिखित दो अंग हैः

कृषि वित्त व्यवस्था के गैर संस्थागत स्रोत : इसके अन्तर्गत निम्न को शामिल कर सकते हैंः

सहूकारः भारत में दो प्रकार के साहूकार है। एक वह जो खेती और साहूकारी दोनों ही कार्य करते हैं और इन्हें कृषक साहूकार कहते है। यह मूलतः खेती करते हैं किन्तु सहायक व्यवसाय के रूप में रूपये उधार देने का कार्य भी करते है। इसी प्रकार गाँव का दुकानदार भी साहूकारी कर लेता है। इसके अलावा दूसरें प्रकार के साहूकार वह होते है जिनका मुख्य व्यवसाय रूपया उधार देना ही होता है।

व्यापारी एवं आढ़ती : व्यापारी एवं आढ़ती ऐजेण्ट किसानों को फसल के पकने से पूर्व उत्पादन उद्देश्यों के लिए. ऋण उपलब्ध कराते है। यह किसानों को मजबूर करते हैं कि वह फसल को कम कीमतों पर बेचें और वह अपने लिए आढ़त वसूल करते है। वित्त का यह स्रोत नकद फसलों अर्थात् रूई, मूँगफली, तम्बाकू आदि या फलों के बगीचों, आमों आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापारी एवं आढ़तियों का कृषि वित्त में भाग जो 1951–52 में 5.5 प्रतिशत था, बढ़कर 1961–62 में 8.7 प्रतिशत हो गया, परन्तु 1981 में कम होकर 8.2 प्रतिशत हो गया।

सम्बन्धी : किसान लघु उद्योगों, लघु व्यवसायी या कमजोर वर्ग के व्यक्ति अपने सम्बन्धियों से नकद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त है ताकि वह अस्थाई कठिनाईयों को दूर कर सकें। यह ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप से लिये दिये जाते हैं। इस पर ब्याज या तो लिया ही नहीं जाता या ब्याज की दर बहुत नीची होती है। ऋण शीघ्रताशीघ्र लौटा दिये जाते हैं परन्तु वित्त का यह स्रोत अनिश्चित है और आधुनिक समय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण इन स्रोतों पर अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता।

भू–स्वामी आदि : किसान विशेषकर सीमान्त किसान एवं काश्तकार तथा प्राथमिकता वर्ग के अन्य व्यक्ति आवश्यकताओं के लिए भू–स्वामी पर निर्भर रहते हैं। वित्त के स्रोत में वह सभी दोष विद्यमान है जो सामान्यतः महाजनों, व्यापारियों या आढ़तियों द्वारा उपलब्ध करायें गये वित्त में पाये जाते है। प्रायः इस वित्त के माध्यम से छोटे किसानों से उनकी भूमि छल द्वारा हर ली जाती है तथा भूमिहीन श्रमिकों को बन्धुआ श्रमिक बनने को मजबूर किया जाता है।

कृषि वित्त व्यवस्था के संस्थागत स्रोत : स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि ग्रामीण एवं अन्य प्राथमिक वर्ग के विकास की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त वित्त की प्रकृति एवं समस्या के स्वरूप के अध्ययन की सबसे प्रमुख समस्या पर्याप्त वित्त की प्रकृति एवं समस्या के स्वरूप के अध्ययन हेतु अखिल भारतीय सर्वेक्षण समिति नियुक्त की गयी थी। इस समिति के अध्यक्ष श्री गोरवाल थे। 1954 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। समिति का यह विचार था कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति में सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को देश के केन्द्रीय बैंक होने के नाते नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वित्त व्यवस्था के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित है –

(क) सहकारी क्षेत्र के संस्थागत स्रोत : सहकारी क्षेत्र प्रबन्ध प्राथमिक ऋण का सर्वेत्तम स्रोत है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थाएँ कार्यरत् हैं:

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक की कार्य पद्धति का मूल आधार है, मिलकर कार्य करना। इन बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाला वित्त सहकारी साख कहलाता है। भारत में सहकारी वित्त प्रबन्ध व्यवस्था को दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम वह बैंक जा लघु एवं मध्यकालीन वित्त प्रदान करते हैं एवं द्वितीय वह जो दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते है। अल्पकालीन वित्त का प्रबन्ध तीन स्तरों पर होता हैः **प्रथम** ग्रामीण स्तर पर **द्वितीय** जिला स्तर पर **तृतीय** राज्य स्तर पर प्रत्येक स्तरों पर बैंक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्राथमिक समितियों केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपने वित्तीय साधन प्राप्त करती है। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक अपने अंशों तथा ऋण पत्रों के अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों से पूँजी प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी अथवा शीर्ष बैंक एवं रिजर्व बैंक से पूँजी एकत्रित करते हैं। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन वित्त प्रदान करते है। इनमें केन्द्रीय भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक आते है।

भूमि विकास बैंक : भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इनके ऋणों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को भूमि सुधार हेतु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदान करना है। सन् 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गयी थी। इन बैंकों की स्थापना राज्य स्तर पर की जाती है। दो स्तरों पर यह बैंक स्थापित किये गये हैं प्रथम राज्य स्तर एवं द्वितीय स्तर पर। राज्य पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्य करते हैं। भूमि को बंधक रखकर इन बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें प्रदान की जाती है। ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों की बचतों को एकत्रित करना भी इन बैंकों का कार्य है।

अतः ग्रामीण ऋण में सहकारी ऋणों का विशेष महत्व है। पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों ने तीव्र गति से शाखाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त सन् 1975 मे ग्रामीण वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी सुचारू रूप से कार्य करना शुरू किया है। परन्तु केवल व्यापारिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिलकर ग्रामीण वित्त की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इस कारण ग्रामीण वित्त की पूर्ति के लिए सहकारी पद्धति के अनुसरण का निर्णय लिया गया। सहकारी साख समितियों ने ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास में भी मदद पहुँचायी है। यह समितियाँ न केवल ऋण सुविधायें प्रदान करती है वरन् कृषकों को अच्छे बीज, रसायनिक उर्वरक, आधुनिक कृषि आदि औजार आदि भी उपलब्ध कराती हैं। इससे कृषि के आधुनिकीकरण में मदद मिली हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक : गोरवाला समिति के सुझावों के फलस्वरूप सन् 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को सरकार ने अपने हाथ–हाथ में लेकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की एवं स्टेट बैंक को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर शाखाएँ खोलने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सन् 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सन् 1970 के पश्चात् व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार नीति में आधारभूत परिवर्तन किये गये। रिजर्व बैंक के नेतृत्व में ग्रामीणय क्षेत्र में तीव्र गति से शाखा विस्तार नीति का अनुसरण किया गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारित किये गये जिनमें कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय भी शामिल थे। यह निर्णय लिया गया कि व्यापारिक बैंक न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से अपनी शाखाएँ खोलेंगे वरन् कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की वित्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा भी करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : ग्रामीण वित्त की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति एवं ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता की समाप्ति के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। इनकी स्थापना की कार्य 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुआ। बैंकिंग आयोग ने सन् 1972 में अपनी रिपोर्ट पेश की एवं इस रिपोर्ट में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। 2 अक्टुबर, 1975 को उत्तर प्रदेश, राजस्थाना एवं पश्चिमी बंगाल राज्यों के विभिन्न जिलों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर जिले, हरियाणा कर भिवानी जिला, राजस्थान का जयपुर एवं पश्चिम बंगाल का मालदा, जिलों में इन बैंकों ने सक्रिय भूमिका निभायी।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) :ग्रामीण वित्त की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए शिरमन समिति नियुक्त की गयी थी। इस समिति का यह स्पष्ट सुझाव था कि एक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, एक शीर्ष संस्था के रूप अखिल भारतीय स्तर पर की जानी चाहिए। इस समिति के सुझाव के अनुरूप राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना से सम्बन्धित बिल संसद में दिसम्बर 1981 में पेश किया गया था। बिल को पारित कर राष्ट्रीय कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर रहा था। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की

स्थापना के पश्चात् पुनर्वित्त एवं विकास निगम तथा रिजर्व बैंक ग्रामीण वित्त से सम्बन्धित सभी कार्य इसे हस्तान्तरित कर दिये गये। ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की वित्त आवश्यकता से पूर्ति करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। नाबार्ड की अंशपूँजी 100 करोड़ रूपये है। इस अंशपूँजी में केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक का बराबर का हिस्सा है, यह बैंक तथा भारत सरकार से ऋण सुविधाएँ भी प्राप्त करता है। पूँजी बाजार में ऋण पत्रों का निर्गमन एवं वित्तीय साधन भी इस संस्था द्वारा एकत्रित किये जाते है।

कृषि वित्तपोषण के सन्दर्भ में मार्गदर्शी सिद्धान्त : मार्गदर्शी सिद्धान्त आवेदन पत्र के फॉर्म, ऋण प्रक्रिया, मार्जिन राशि, जमानती मानदण्ड, ब्याज दर और अन्य लगाये जाने वाले प्रभार आदि से सम्बन्धित हैं। विद्वानों द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त इस सम्बन्ध में विद्वानों द्वारा विभिन्न मत दिये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :

1. फॉर्मों के सरलीकरण हेतु कार्यकारी दल (बलदेव सिंह समिति) द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म, कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों हेतु ऋण देने के लिए उधार प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। ऐसे फॉर्म क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए और शाखाओं को इन फॉर्मों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जानी चाहिए। मार्जिन और जमानत सम्बन्धी नियम और और शर्तें आवेदन पत्र के फॉर्म के पृष्ठ भाग पर मुद्रित किये जाने चाहिए।
2. आवेदन पत्र इक्ट्ठा करने और उनका संसाधन करने के लिए बैंकों को पहले से योजना बनानी चाहिए। कुछ प्रयोजनाओं के लिए जैसे भूमि सुधार, सिंचाई के लिए पाईप बिछाना, फॉर्म हाउस आदि के लिए ऋण का संवितरण केवल गैर मौसम/दुरूपयोग न हो।
3. जहाँ तक मियोदी ऋणों का सम्बन्ध है बैंकों को लघु सिंचाई और भूमि विकास हेतु दिये जाने वाल अग्रिमों के हिस्से को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
4. फसल ऋणों के लिए वित्त पोषण के मान वैसे होने चाहिए, जो स्थानीय रूप से उगायी जाने वाली विविध फसलों के लिए तकनीकी समिति द्वारा तैयार किये गये हों।

सन्दर्भ :

1. डेगली, वी0, डवलेपमेण्ट बैंकिंग फॉर द रूरल पूअर।
2. डॉ0 बलाल, एन0एम0, रोल ऑफ बैंक इन रिजनल डवलेपमेण्ट।
3. मिश्रा, पी0, ग्रामीण अर्थशास्त्र।
4. सिन्हा वी0सी0 एवं पुष्पा, कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र। बगाची, ए, इवाल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 10-11

सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व

डॉ0 दिनकर मणि त्रिपाठी*
*ग्राम–बनरही, पो0–नईयापार खुर्द, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : परम् राष्ट्र भक्त राष्ट्र का निष्ठावान सेवक, अखण्ड भारत के निर्माता, अनुशासनप्रिय, दृढ़ प्रतिज्ञ राजनेता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। स्वतंत्रता आन्दोलन में समर्पित सिपाही के रूप में सत्याग्रह में सक्रिय रहे। इस महान व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन एक कर्मयोगी निष्काम यात्रा है। उन्होंने अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों एवं कर्त्तव्यनिष्ठा की परम्परा स्थापित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले में उनके ननिहाल, नाड़ियाड़ में हुआ था। उस समय नाड़ियाड़ बाम्बे इण्डिया प्रसिडेसी का भाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के विषय में निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है इसके विषय में स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ''मेरे जन्म के बारे में जो तिथि मणिबेन ने बताई है उसे मैंने मैट्रिक की परीक्षा में स्वेच्छा से अंकित कराया था।'' मणिबेन के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का कठोर बाह्य आवरण भयप्रद था, जिससे प्रतीत होता था कि मानों वे बिल्कुल हृदयहीन हों और मानवीय भावनाओं से उनका कोई सम्बन्ध न हो। आचरण से वे कठोर, निर्मम तथा दृढ़निश्चयी थे। उनके शब्द प्रायः तीक्ष्ण तथा अकाटय होते थे। परन्तु इस कठोर व्यक्तित्व के पीछे एक कोमल हृदय छिपा था, जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को था। 'बापू के निवेदन' नामक समाचार पत्र के 8 मई, 1933 के अंक में गाँधी जी ने लिखा था, ''सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुझे अपने प्रेम में जिस प्रकार सराबोर किया, उसके कारण मुझे अपनी प्यारी माँ का स्मरण हो जाता था। मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती, तो वे तुरन्त अपना बिस्तर छोड़कर उठ बैठते, मेरी सुविधा की छोटी सी बात का भी वे ध्यान रखते थे। इसके पूर्व मैं यह कभी भी नहीं जानता था कि उनमें माँ के गुण भी थे।''**पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार** 'जो उनको जानते थे वे बतलाते हैं कि वह बहुत दयावान मनुष्य थे और मौका पड़ने पर बहुत कोमल प्रदर्शित होते थे। उनसे बढ़कर अधिक मित्र परायण और भरोसा करने वाला साथी पाना बहुत मुश्किल था।

गाँधी जी के आह्वान पर 9 जनवरी 1918 ई0 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपनी प्रतिष्ठा सबको त्याग कर खेड़ा के सत्याग्रह का दायित्व ग्रहण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह निर्णय देश की पुकार और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप किया। उनके ही शब्दों में ''महात्मा से अलग रहना अपराध होगा।'' सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में पद के प्रति कोई लालसा नहीं थी। बारदोली विजय के उपरान्त 1928 ई0 को कलकत्ता अधिवेशन में लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ''यह विजय मेरी नहीं है, गाँधी जी की है। जो विचार और आदर्श गाँधी जी ने दिये है, उनका अमल बारदोली के किसानों ने किया, इसलिए यह विजय गाँधी जी की है और अमल करने वाले किसान की है, इसलिए यह यश उनका है।'' इसके विषय में मोती लाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि ''सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया है उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए यही व्यक्ति अध्यक्ष के लिए उपयुक्त रहेंगे। चौदह प्रान्तों के लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। किन्तु गाँधी जी की इच्छा जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने की थी, अतएव उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्ष पद को एक खिलाड़ी की भाँति छोड़ दिया।'' सन् 1946 ई0 में तीसरी बार लोगों ने माँग की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया जाय। इसी समय भारत को स्वराज्य मिलने वाला था और इस समय जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनता वही भारत का प्रधानमंत्री इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हुए भी गाँधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए एक प्रकार से प्रधानमंत्री का पद नेहरू के लिए त्याग किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत हित को कभी महत्व नहीं दिया। 1945 ई0 में बम्बई में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा ''भारत छोड़ो संकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा अगला प्रस्ताव होगा अंग्रेजों एशिया छोड़ो।'' एक भाषण में उन्होंने कहा कि ''मैं साफ बोलने में विश्वास करता हूँ और लघु सामग्री क्या है मैं नहीं जानता। राष्ट्रीय हित ही उनके लिए परम लक्ष्य रहा और उसी पर आधारित उनके विचार, निर्णय तथा नीतियाँ रहीं। राष्ट्रीयता उनका धर्म था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गाँधी जी की अहिंसा में उसी सीमा तक विश्वास करते थे जब तक वह व्यावहारिक है। वी0पी0 वर्मा के अनुसार ''अहिंसा एक नीति थी, न कि उनका जीवन दर्शन, क्योंकि काश्मीर में, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ वे सैनिक कार्यवाही के पक्ष में थे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल विरोधियों के हृदय को जीतने की कला में माहिर थे। ''1927 ई0 के गुजरात बाढ़ संकट के दौरान गुजराती जनता के अनुदान हेतु उन्होंने अपने विरोधी अंग्रेज सरकार से एक करोड़ रूपया प्राप्त किया।'' सुरक्षा और समृद्धि का आश्वासन देकर विलय पत्र समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार किया। रियासतों के छिन जाने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु पर अनेक राजा इसलिए रोये क्योंकि वे उनको अपना मित्र एवं रक्षक मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गाँधी जी के समाजवाद, जो उस समय राष्ट्र की आवश्यकता थी, को अधिक बल देते थे। वे देश के सन्तुलित विकास और सबको रोजगार दिलाने पर जोर देते थे। 26 जनवरी, 1948 ई0 को पटना के नागरिकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा–''सब राजनीतिज्ञ, पूँजीपति, किसान, मजदूर, अपने–अपने धर्म का अनुपालन करें'' 13 नवम्बर, 1949 ई0 को उन्होंने कहा, ''राष्ट्र को

स्वावलम्बी बनाना होगा। भोजन और कपड़ा हमारी मूलभूत आवश्यकता है।'' इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को अपने हितों को राष्ट्रीय हितों के सामने त्यागने का आह्वान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने दृढ़ संकल्प और लौह नेतृत्व के लिए विख्यात है। राष्ट्र की एकता और अखण्डता उनके जीवन का लक्ष्य था। भारत की एकता एवं अखण्डता के महत्व को समझाते हुए उन्होंने 17 दिसम्बर, 1947 ई0 को जयपुर में कहा था कि–''एकता के अभाव के कारण भारत ने अपनी आजादी खोई थी। राजपूताना के स्त्री–पुरुषों की बहादुरी और समर्पण के बावजूद भी सदियों पहले भारत गुलाम बना था, हम फिर से यह भूल न दोहरायें।'' 2 जनवरी, 1948 ई0 को शिलांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ''भारत एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छः महीने पहले भारत में अनेक छोटे–छोटे स्वतंत्र रजवाड़े थे किन्तु इसके बदले हमने एकीकरण और राष्ट्रीय एकता स्थापित की जिसके परिणामस्वरूप उज्ज्वल भविष्य के लिए विशाल अवसर उपलब्ध हैं। हमारे अच्छे या बुरे भविष्य का निर्माण अब हमारे हाथ में है। अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है तो वह एकता के द्वारा ही सम्भव है।'' अनुशासन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत प्रिय था। इस संदर्भ में नीमन और डॉ0 खरे के विरूद्ध उनके द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रसिद्ध है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल काश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के खिलाफ थे। यदि इस मुद्दे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया होता तो यह वर्तमान में इतनी गम्भीर समस्या न बनती। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर चीन के मामले में भी चेताया था क्योंकि वे चीन की साम्राज्यवादी नीति से परिचित हो गये थे। मुस्लिमों के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण राष्ट्रहित पर आधारित था। जिसके कारण कुछ लोगों ने उन्हें मुस्लिम विरोधी के रूप में प्रचारित किया, परन्तु वे वास्तव में वे सही अर्थों में तटस्थ थे। 6 जनवरी, 1948 ई0 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ''मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र हूँ पर मुझे उनका शत्रु करार दिया जाता है क्योंकि मैं स्पष्ट बात करता हूँ।'' उन्होंने मुसलमानों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें राष्ट्र का चुनाव करना है क्योंकि वे दो नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते।'' 15 दिसमबर 1950 के प्रातः 9:37 बजे भारत माता के महान सपूत और अखण्ड भारत के निर्माता लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास पक्षाघात के कारण 75 वर्ष की आयु में बाम्बे (बाम्बे स्टेट जो कि आज गुजरात राज्य में है) में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू जी ने संसद में कहा कि ''आज सबेरे 9:37 को एक महान जीवन का अन्त हो गया। भारत का इतिहास उन्हें राष्ट्र निर्माता एवं कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद करेगा। वे हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन के महान नायक थे, जिन्होंने हमें कठिनाइयों में सही सलाह दी, विजय के क्षणों में एक मित्र व सहयोगी रहे। शक्ति के स्रोत के रूप में गिरते मनोबल को ऊपर उठाया। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि कोई अग्नि सरदार वल्लभ भाई पटेल के यश को जला नहीं सकती। चक्रवती राजगोपालाचारी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेरणा, आत्मबल और शक्ति का जीवन्त स्वरूप थे। मौलाना आजाद के शब्दों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिलेरी और वीरता पहाड़ों की तरह ऊँची थी उनका निर्णय लौह समान था। अशोक मेहता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 'इस्पात का व्यक्ति' बताया जिनमें चट्टान की तरह आत्मविश्वास था।'' उनमें संयम था, वे रूकना जानते थे और रूक कर, समय और साधन की प्रतीक्षा कर एक बार कदम आगे बढ़ा देते थे, तो बढ़े हुए कदमों को पीछे खींचना तो दूर रहा, उसे रोकना नहीं जानते थे। अपने उद्देश्य मार्ग के अवरोधों को हटाने में वे एक ऐसे अभिजात आक्रमणकारी थे जिनके हृदय में लेशमात्र भी दया भाव नहीं रहता।''

उपरोक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप में एक नई दिशा एवं ऊर्जा देने के कारण सरदार वलभ भाई पटेल का भारत राजनीतिक इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे आधुनिक भारत के शिल्पी थे। इस मितभाषी, अनुशासनप्रिय और कर्मठ व्यक्ति के व्यक्तित्व में विस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीतिक सूझबूझ, सत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति, मानवीय समस्याओं के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण, निर्भयता और अद्भूत सफलता से उन्होंने नवजात गणराज्य की प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना किया, उसके कारण भारत के राजनीतिक पटल पर उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया जिसके लिए भारतीय राजनीतिक इतिहास सर्वदा आभारी रहेगा।

सन्दर्भ :

1. पटेल अभिनन्दन ग्रंथ, लखनऊ, 1978, पृ0–46
2. देसाई, डे टु डे, 5, पृ0–161
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 28 फरवरी, 1949
4. हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 जुलाई, 1045
5. कुमार रवीन्द्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, दिल्ली, 1991, पृ0–10
6. वर्मा, वी0पी0, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, खण्ड–2, आगरा, 1961, पृ0–355
7. पटेल, राव जी भाई मणि भाई, पूर्वो, पृ0–65–66
8. भारत की एकता के निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947–50), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1970, पृ0–133
9. सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1089, पृ0–15
10. वास, सेठ गोविन्द, पूर्वो, पृ0–94–98
11. मधुलिमये, प्राइम मूवर्स (दिल्ली, 1983), पृ0–7

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 12-15

रघुवीर सहाय का काव्य संसार

डॉ0 रोहित*

*प्रवक्ता ,हिन्दी, राजबहादुर पी.जी. कालेज, गुलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : रघुवीर सहाय ने उल्लेखनीय रचनाएँ की हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है–''सीढ़ियों पर धूप में''–(कहानियाँ, कविताएँ टिप्पणियाँ तथा लेख) रघुवीर जी इस संग्रह में वैयक्तिक अनुभूतियों से सम्बंधित कविताओं में किशोर वय की भावुक उत्तेजना को प्रदर्शित करते दिखलाई पड़ते हैं।

कवि ने कुछ कविताओं में प्रेम के बड़े सुन्दर चित्रों को प्रदर्शित किया है। 'स्वीकार' शीर्षक कविता की पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं–

'तुम में कहीं कुछ है
कि तुम्हे उगता सूरज, मेमने, गिलहरियाँ,
कभी–कभी मौसम
जंगली फूल–पत्तियाँ,
टहनियाँ– भली लगती हैं
आओ उस कुछ को हम दोनों प्यार करें
एक दूसरे के उसी विगलित मन को
स्वीकार करें'[1]

इस संग्रह को कवि ने अनेक रंगों से सजाया है जिसमें से एक रंग प्रकृति है, जिसमें मानव और प्रकृति को एक साथ कवि ने जोड़ा है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में कवि की सहज आत्मीयता और खुलापन दिखाई देता है। प्रकृति का जीवन से जुड़ाव इस संग्रह की प्रकृतिपरक कविताओं का वैशिष्ट्य है। सभी ऋतुओं में 'बसंत ऋतु' कवियों की मनपसंद ऋतु होती है इस कारण कवि ने भी इस संग्रह में बसंत ऋतु पर कई कविताएँ लिखी हैं– 'बसंत आया', 'बसंत', 'बसंत की हवायें', 'बसंत शीर्षक' कविता द्रष्टव्य है–

वही आदर्श मौसम
और मन में कुछ टूटता सा
अनुभव से जानता हूँ कि वसंत है[2]

सुरेश शर्मा जी ने उपर्युक्त कविता के विषय में लिखा है कि 'बसंत' शीर्षक इस छोटी सी कविता में 'बसंत' के रूप सौष्ठव का बिलकुल वर्णन नहीं है। कवि सिर्फ एक पंक्ति में उसे 'आदर्श मौसम' कहता हुआ अगली पंक्ति में सीधे अपनी जीवन समस्या पर उतर आता है– ''मन में कुछ टूटता सा'' इसके बाद तत्काल इस वक्तव्य के साथ कविता खत्म हो जाती है कि ''अनुभव से जानता हूँ कि ....यह वसंत है।'' महत्वपूर्ण बात इस कविता में यह है कि उल्लास से जुड़े इस मौसम में, मन में कुछ टूटने के अहसास के कारण कवि के बसन्त अनुभव का संदर्भ एक विडम्बना से जुड़ गया है। तात्पर्य यह है कि कविता में 'वर्णन' की अपेक्षा अनुभवांकन' पर कवि ज्यादा बल दे रहा है।[3]

दूसरा सप्तक कवि रघुवीर सहाय की प्रथम काव्य यात्रा 'दूसरा सप्तक' से शुरू हुई थी जिसके संपादक सच्चिदानन्द हीरानन्द वत्स्यायन 'अज्ञेय' जी थे। जब कवि केवल इण्टरमीडिएट का छात्र था तब 'अज्ञेय' जी ने इस कवि की काव्य प्रतिभा को पहचानते हुए कवि को अपनी पुस्तक 'दूसरा सप्तक' में स्थान दिया, व कवि की रचना जब इस काव्य संकलन में छपी तभी से रघुवीर सहाय को लोगों ने ठीक से जाना। 1951 में उनके महत्वपूर्ण कवि–रूप को स्वीकार करते हुए अज्ञेय जी ने भवानी प्रसाद मिश्र, शकुन्त माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता और धर्मवीर भारती जैसे कविये के साथ रघुवीर सहाय को दूसरा सप्तक में शामिल किया। दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय की छोटी–बड़ी चौदह कविताएँ संकलित हैं जिनमें उनकी एक गज़ल भी है। 'दूसरा सप्तक' में संकलित रघुवीर सहाय की कविताओं के शीर्षक हैं– 'बसंत', 'पहला पानी', 'प्रभाती', 'याचना', 'ग़ज़ल', 'भला', 'संशय', 'कोशिश', 'अनिश्चय', 'लापरवाही', 'समझौता', 'एकोऽहं बहुस्याम', 'मुँह अँधेरे' और 'सायंकाल'। ये कविताएँ 1947 से 1949 तक की रचनाओं में से संकलित हैं। कवि की आरंभिक कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृ ति–चित्रण से

सम्बंधित कविताओं की अधिकता है। 'दूसरा सप्तक' में संकलित पहली ही कविता 'बसंत' में प्रकृति का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है–

वन की रानी, हरियाली–सा भोला अंतर
सरसों के फूलों–सी जिसकी खिली जवानी
पकी फसल–सा गरुआ गदराया जिसका तन
अपने प्रिय को आता देख लजायी जाती।
गरम गुलाबी शरमाहट –सा हल्का जाड़ा
स्निध गेहँए गालो पर कानों तक
चढ़ती लाली जैसा फैल रहा है।[4]

दूसरी कविता 'पहला पानी' में भी कवि प्रकृति में रमा है। कवि ने अपने प्रकृति–चित्रों में प्राकृतिक सौन्दर्य और मनुष्य की स्थिति को एक साथ जोड़कर अंकित करने का प्रयास किया है। ऐसे वर्णन में कवि की आत्मीयता और खुलापन दृष्टिगत होता है। कवि की प्रकृति–प्रेम एवं ग्राम जीवन के चित्रांकन से युक्त कविताएँ यथार्थ को स्पर्श करती हैं। इस सम्बन्ध में 'पहला पानी' शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं–

''लो, सहसा झर–झर कर पहला झोंका आया
हम बढ़े घरों की ओर तनिक जल्दी–जल्दी दौड़े–दौड़े।
दो गोरे–गोरे बलगर बैलों की रोंई
हो गयी ठुमककर खड़ी पकरिया के नीचे
उड़ गयी चहककर नीबी की सबसे ऊँची
फुनगी पर बैठी गौरैया
फैली चुनरिया अटरिया चढ़ लायी उतार
जल्दी–जल्दी घाँघर समेट घर की युवती।''[5]

कुल मिलाकर 'दूसरा सप्तक' में संकलित रघुवीर सहाय की कवितायें काव्य विकास की दृष्टि से कवि का आरम्भ ही कही जायेंगी। इसमें उनकी आरम्भिक कवितायें ही हैं जिनमें उनकी कहीं वैयक्तिक अनुभूति होती है, कहीं प्रकृति के बड़े सुन्दर चित्र हैं तथा कविताओं में सहज स्वाभाविक सौन्दर्य दिखाई देता है। प्रभाकर माचवे ने 'अत्यन्त आत्मनिष्ठ' शीर्षक से 'दूसरा सप्तक' की समीक्षा करते हुए रघुवीर सहाय के विषय में लिखा है कि ''रघुवीर सहाय की कविताओं में 'ईमानदारी' (कवि–कर्म की सामाजिकता अनुभूति के अर्थ में) अधिक हैं। अतः वैयक्तिक अनुभूतियों में निश्छल सुसंगति भी उपलब्ध होती है। कवि ने मानो बिखरते हुए मन और व्यक्तित्व में अन्तर्गठन (इण्टिग्रिटी) लाने की दिशा में कविता को माध्यम रूप से चुना है। परन्तु चूँकि कवि की स्वानुभूति अल्प और लघु है–अतः जो विराट् स्वप्न उसके नयनों में बसा है, उसके प्रति अनिश्चय और संशय उसमें जगता है। 'समझौता' और 'एकोअहम बहुस्याम' के सायंकाल के पीछे की विवशता के प्रति वह जागरूक है और इसीलिए 'प्रभाती','मुँह अँधेरे' और 'कोशिश' जैसी चीज़ें लिखता है।[6]

आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय द्वारा सृजित 1960–1967 तक की कविताओं का संकलन 1967 में 'आत्महत्या के विरुद्ध'[7] नाम से प्रकाशित हुआ। प्रथम बार 1967 में प्रकाशित होने पर सहृदय समाज और विद्वानों में इसे मान मिला और आलोचना जगत में यह नयी कविता में एक नये जीवन का विषय माना गया। कवि के इस संग्रह को कुछ आलोचको ने 'काव्य न कहकर अखबारी कतरन कहा' इसके जवाब में सहाय जी कहते हैं– ''इस विवाद का साहित्यिक कारण मुझे आज भी स्पष्ट नहीं हैं परन्तु इतना जानता हूँ कि अख़बार में लिखना या खबरनवीसी करना मैंने 1947 से ही अपनी मातृभाषा मे उतना ही रचनात्मक माना है जितना कविता करना।''[8]

कवि की एक विशेषता यह भी रही है कि वे स्वयं भी अपनी रचनात्मक कमजोरियों और सफलताओं को काव्य की कसौटी पर कसते रहते थे, तभी वे अपने काव्य के बारे में 'आत्महत्या के विरुद्ध' संग्रह के नेपथ्य में लिखते हैं–'' 'आत्महत्या के विरुद्ध' का दूसरा संस्करण मेरे लिए एक साधारण घटना नहीं है। पाठकों ने इसे पसंद किया और आलोचकों ने इसे विवेचना योग्य माना, इससे हर कवि की तरह मुझे भी संतोष और आत्मविश्वास मिला परन्तु इससे बढ़कर मुझे इन कविताओं को स्वयं दुबारा पढ़ने से अपनी रचनात्मक कमजोरी और सफलताओं की समझ मिली है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है।''इस काव्य संग्रह में कवि ने आम व्यक्ति की दयनीय स्थिति, राजनीतिक अवसरवाद, लोकतंत्र की हास्यस्पद स्थिति, रोज–रोज थोड़–थोड़ा–थोड़ा मरते हुए मतदाता की व्यथा–कथा, देश को पतन के गर्त में ले जाने वाले नेताओं के प्रति अत्यधिक आक्रोश–इस प्रकार राजनीति को पूरी तरह कविता का विषय बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। 'नेता क्षमा करें' शीर्षक में कवि कहता है–

लोगों, मेरे देश के लोगों
और उनके नेताओं
मैं सिर्फ एक कवि हूँ

मैं तुम्हे रोटी नहीं दे सकता
न उसके साथ खाने के लिए ग़म
न मैं मिटा सकता हूँ
ईश्वर के विषय में तुम्हारा सम्भ्रम
लोगों में श्रेष्ठ लोगों मुझे माफ करो,
मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता।[9]

हँसो–हँसो जल्दी हँसो : 1975 में रघुवीर सहाय की 1967 से 1973 तक की कविताओं का संग्रह 'हँसो–हँसो जल्दी हँसो' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार कवि की स्वतंत्र कविताओं का दूसरा संग्रह कहा जा सकता है। कवित को एक सतत प्रक्रिया मानने वाले रघुवीर सहाय जी इस संग्रह के निवेदक में लिखा है–''इस संग्रह की कविताएँ इससे पिछले संग्रह 'आत्महत्या के विरुद्ध' के 1967 में प्रकाशन के बाद से लेकर 1974 तक की अवधि में लिखी गयी हैं। संग्रह की शीर्षक कविता 1972 में तथा कुछ एक अन्य कविताएँ इसके आगे पीछे पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं किंतु अधिसंख्य कविताएँ पहली बार संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। 1975 में प्रकाशित होने से यदि किसी को भ्रम हो कि इस संग्रह की कविताएँ आपात्कालीन स्थिति के दौरान लिखी गयी थी तो वह दूर हो जाना चाहिए। आपात्कालीन स्थिति घोषित होने से पूर्व ही जो लोग एक लंबे दौर में लोकतंत्र के क्षय के प्रमाण और आने वाले संकट को पहचान रहे थे उसमें यह कवि भी था और उनसे जो पहचाना तभी लिखा था। आपात्कालीन के दौरान कोई कविता नहीं लिखी। वह पहले की तरह आने वाले संकट को पहचानने में लगा रहा और अब भी लगा हुआ है।[10] इस संग्रह की कविताओं में मुख्य रूप से शोषकों द्वारा पूरी तरह शोषित, त्रासद मनुष्य की स्थिति, उसकी बेबसी, उसकी निरीहता, उसकी दयनीय दशा, उसकी विडम्बना और उसकी अभाव से ग्रस्त जिंदगी का चित्रण कवि ने किया है। इस संग्रह के आने पर कई आलोचकों ने अपने मत दिये हैं जो इस प्रकार हैं– डॉ0 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के शब्दों में–''रघुवीर सहाय ने अपनी कविता में आतंक की भयावहता का चित्र खींचा है। इस संदर्भ में 'हँसो हँसो जल्दी हँसो' और 'उन्होंने कहा यह एक चाल है' शीर्षक कविताएँ विशेष रूप से पठनीय हैं। इन दोनों ही कविताओं में कवि ने आज के उस रहस्यमय खूँखार चेहरे का एहसास कराया है जिसके अदृश्य पंजे हर व्यक्ति और परिवार को एक करूण त्रास की स्थिति में कैद किये हुए हैं। वह अपनी अन्तरात्मा से कुछ नहीं कर सकता जो कुछ कर रहा है एक दहशत भरे सम्मोहन के वशीभूत होकर।''

लोग भूल गये हैं : 1975 से लेकर 1982 तक की कविताओं का संग्रह 'लोग भूल गये हैं' नाम से राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। केवल कविताओं के संग्रह की दृष्टि यह कवि का तीसरा काव्य संग्रह कहा जा सकता है। कवि के इस संग्रह में भी आम–आदमी से जुड़ी परेशानी, उसका शोषण, सत्ताधारियों की तानाशाही, उनके दो मुँहे आचरण, स्त्रियों का दुख–दर्द का बड़ा ही मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। रघुवीर सहाय ने इस संग्रह के अपने 'निवेदन' का आरंभ करते हुए लिखा है–''इस संग्रह की रचनाएँ मेरे काव्य–जीवन के उस दौर में लिखी गयी हैं वह अभी हाल में शुरू हुआ और अभी निबटा नहीं है, दिखता है कि वह अभी चलेगा। मँझधार में या कहें कि बीच भँवर में लिखी हुई कविता प्रकाशित कर देने का यह मेरा पहला अवसर है। इसके पूर्व 'आत्महत्या के विरुद्ध' और 'हँसो हँसो जल्दी हँसो' दोनों एक–एक निष्कृति के सूचक थे। उसके पहले 'सीढ़ियों पर धूप में' कविता के एक से अधिक पड़ावों तक सहेजकर ले जायी गयी उपलब्धियों का संचय था। उसके भी पहले 'दूसरा सप्तक' में आकलित रचनाएँ अत्यंत प्राथमिक कविताओं के अभ्यासमूलक दौर से निकलते ही अपनी दुनिया में पैर रखने के समय की कविताएँ थीं। अलबत्ता जैसा 'हँसो हँसो जल्दी हँसो' में हुआ था, प्रत्येक संग्रह में कुछ रचनाएँ कहीं तो एक दिशा में चलने की तैयारी करके वह रास्ता छोड़ देनी की निशानियाँ थी, कहीं भविष्य को पकड़ने के लिए पहचानें थी।[11]

इस संग्रह की सबसे महत्वपूर्ण कविता 'लोग भूल गये हैं' है। इस कविता के बारे में टिप्पणी करते हुए 'कृष्णदत्त पालीवाल' ने लिखा है– ''लोग भूल गये हैं', नामक वह सशक्त कविता जिसके नाम से इस संग्रह का नाम दिया है–एक पूरे मानवीय इतिहास का संकेतात्मक चित्र देती है कि मानवीय इतिहास को भूल जाने के नतीजे हर जाति को भुगतने पड़ते हैं। उस जाति को तो और ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं–जो मरने वालों की पीड़ा के कारणों पर समग्रता से विचार नहीं करती। जीवन की 'ऊब' और 'भूतही मुस्कान' के अर्थ खोजते ही होंगे–उन्हीं के भीतर आदमी की पीड़ा बन्द है।[12]

सन्दर्भ :

1. 'सीढ़ियों पर धूप में' 'स्वीकार' पृ0 69 वाणी प्रकाशन 21 ए, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण 1960 द्वितीय संस्करण 1997 विमलेश्वरी सहाय।
2. सीढ़ियो पर धूप में, पृ0 134।
3. रघुवीर साहय का कवि कर्म, पृ0 45–46 वाणी प्रकाशन, 21–ए दरियागंज, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित ।

4. दूसरा सप्तक, 'बसंत' पृ0 140 प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ 18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली—110 003 मुद्रक नागरी प्रिंटर्स, दिल्ली 110 032 आवरणः शुका, संकलनकर्ता एवं संपादक— अज्ञेय।
5. सीढ़ियो पर धूप में, 'पहला पानी' पृ0 142।
6. रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्यभाषा, संपादक डॉ अनन्तकीर्ति तिवारी, में उद्धृत विवेक के रंगः संपादक डॉ देवीशंकर अवस्थी पृ0 13।
7. आत्महत्या के विरुद्ध —सं0—रघुवीर सहाय प्रथम संस्करण 1967, द्वितीय—1976 तृतीय—1985 प्रकाशक— राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लि0 8, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली—110002।
8. आत्महत्या के विरुद्ध, संस्करण से।
9. आत्महत्या के विरुद्ध, नेपथ्य से।
10. आत्महत्या के विरुद्ध 'गिरीश की मृत्यु', पृ0 82।
11. हँसो हँसो जल्दी हँसो 'क़िले में औरत', पृ0 22।
12. हँसो हँसो जल्दी हँसो 'औरत की ज़िंदगी', पृ0 12।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 16-17

वृहत्कल्पसूत्रभाष्य में वर्णित औषधि एवं चिकित्सा विज्ञान

डॉ0 हरेन्द्र प्रताप सिंह*
*प्रवक्ता (प्राचीन इतिहास), राज बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

प्राचीन भारत में आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान और कला कहा गया है। इसमें रोगनाशक औषधि और शल्यक्रिया से संबंधित औषधि सम्मिलित किये जाते हैं। चिकित्सक को वैद्य कहा जाता है। रोगों में दुब्भूय (दुभूर्त=ईति, टिड्डी दल द्वारा धान्य को हानि पहुंचाना), कुल रोग, ग्रामरोग, नगररोग, मंडलरोग, शीर्षवेदना, दंतवेतना, खसर (खसरा), पांडुरोग, एक–दो–तीन–चार दिन के अन्तराल से आने वाला ज्वर, इन्द्रग्रह, धनुर्ग्रह[1], यक्षग्रह, भूतग्रह, वल्गुली[2] (जी मचलाना), विषकुंभ (फुड़िया)[3] का उल्लेख है। कहा गया है कि पुरीष के रोकने से मरण, मूत्र के निरोध से दृष्टिहानि और वमन के निरोध से कुष्ठरोग की उत्पत्ति होती है।[4] एक बार की बात है, रानी को गलगंड हो गया। वैद्यपुत्र ने वही प्रश्न किया जो उसके गुरूजी ने किया था। वही उत्तर मिला। वैद्यपुत्र ने रानी के गले में वस्त्र लपेटकर उसे ऐसा मरोड़ा कि वह मर गयी। यह देखकर राजा को क्रोध आया और उसने वैद्यपुत्र को दण्डित किया।[5] किसी राजा को अक्षिरोग हो गया। उसने वैद्य को दिखाया। वैद्य ने उसे आंख में आंजने की गोलियां दी। लेकिन गोलियों को आंख में लगाते समय तीव्र वेदना होती थी। वैद्य ने पहले ही राजा से वचन ले लिया कि वेदना होने पर भी वह उसे दण्ड न देगा।[6]

बृहत्कल्पसूत्र के ग्लानद्वार में चिकित्सा–पद्धति का सुंदर चित्रण किया गया है। कहा गया है कि ग्लान यानी रूग्ण साधु के समाचार मिलते ही उसका पता लगाने के लिये जाना चाहिए, वहाँ उसकी सेवा करने वाला कोई है कि नहीं – इसकी जाँच करनी चाहिए, जाँच न करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ग्लान साधु की श्रद्धा से सेवा करने वाले के लिए सेवा के प्रकार, ग्लान साधु की सेवा के लिए किसी की विनती या आज्ञा की अपेक्षा रखने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान, ग्लान साधु की सेवा के लिए जाने में दुःख का अनुभव करने वाले के लिए प्रायश्चित, उद्दम आदि दोषों का बहाना करने वाले के लिए प्रायश्चित, ग्लान साधु की सेवा के बहाने से गृहस्थों के यहां से उत्कृष्ट पदार्थ, वस्त्र, पात्र आदि लाने वाले तथा क्षेत्रातिक्रान्त, कालातिक्रान्त आदि दोषों का सेवन करने वाले लोभी साधु को लगने वाले दोष और उनका प्रायश्चित, ग्लान साधु के पथ्यापथ्य का विधान, ग्लान साधु के विशोषणसाध्य रोग के लिए उपवास की चिकित्सा, आठ वैद्यों[7] के नाम– 1. संविग्न, 2. असंविग्न, 3. लिगी, 4. श्रावक, 5. संज्ञी, 6. अनभिगृहीत असंज्ञी मिथ्या दृष्टि, 7. अभिगृहीत असंज्ञी, 8. परतीर्थिक की विस्तार से चर्चा है।

कोढ़ हो जाने पर जैन श्रमणों को बहुत कष्ट भोगना पड़ता था। यदि कहीं उन्हें गलित कोढ़ हो जाता या उनके शरीर में कच्छु (खुजली) या किटिभ[8] (खाद्य युक्त क्षुद्र कोढ़) हो जाता, या जुएं पैदा हो जाते तो उन्हें निर्लोम चर्म पर लिटाया जाता।[9] उर्ध्ववात, अर्श, शूल आदि रोगों से ग्रस्त होने पर साध्वी को निर्लोम चर्म रखने का तथा पागल कुत्ते के काटने पर उसे व्याघ्र चर्म में सुलाने का विधान है।[10] यदि साधु–साध्वियों को सांप काट लेता, विसूचिका (हैजा) हो जाती, या ज्वर हो जाता तो उन्हें एक–दूसरे का मूत्रपान करने का विधान किया गया है।[11] किसी राजा को महाविषधारी सर्प ने डंस लिया लेकिन रानी का मूत्रपान करने से वह स्वस्थ हो गया।[12] घावों को भरने के लिए वैद्य अनेक प्रकार के घृत और तेलों का उपयोग करते थे। ये सब तेल थकावट दूर करने, वात रोग शान्त करने, खुजली (कच्छू) मिटाने और घावों को भरने के उपयोग में आते थे।[13] चिकित्सा में असफल होने पर चिकित्सकों को अपने प्राण तक गंवाने पड़ते थे क्योंकि उल्लेख है कि कोई वैद्य किसी राजपुत्र को निरोग न कर सका, अतएव उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा था।[14] कांटेवाले प्रदेश में कांटा गड़ने पर उस जगह पर गेहूं के आटे का लेप कर दिया जाता था। तत्पश्चात् शल्यक्रिया द्वारा उसका उपचार कर दिया जाता था।[15] भूत आदि द्वारा क्षिप्तचित्त हो जाने पर भी चिकित्सा की जाती थी। साध्वी के यक्षाविष्ट होने पर भूत चिकित्सा का विधान किया गया है।[16] चिकित्सा के समय औषधियों की मात्रा का ध्यान रक्खा जाता था।[17]''बृहत्कल्पभाष्य'' में हंस तेल का उल्लेख किया गया है। इसे बनाने के लिए हंस को चीरकर, उसका मलमूत्र साफ करके, उसके पेट में औषधियों का मिश्रण भरकर तेल में पकाया जाता था।[18]

विद्या, मंत्र और योग की तीन अतिशयों में गिना गया हे। तप आदि साधनों से सिद्ध होने वाले को विद्या, और पठन–मात्र से सिद्ध होने वाले को मंत्र कहा गया है। विद्या प्रज्ञप्ति आदि स्त्री देवता से और मंत्र हरिणेगमेषी आदि पुरूष देवता से अधिष्ठित कहे गये हैं। विद्वेष, वशीकरण, उच्छेदन और रोग शान्त करने के लिए योग का प्रयोग करते थे। योग सिद्ध होने के पश्चात् चरणों पर लेप करने से आकाश में उड़ा जा सकता था।[19]

चिकित्सा पद्धति पर भी इस ग्रंथ में थोड़ा प्रकाश डाला गया है। उल्लेख है कि बीमार पड़ने पर साधुओं को चिकित्सा के लिए दूसरों पर अवलम्बित रहना पड़ता था। पहले तो चिकित्सा में कुशल साधु द्वारा ही रोगी की चिकित्सा किये जाने का विधान है, लेकिन फिर भी यदि बीमारी ठीक न हो तो किसी अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिये। आवश्यकता होने पर साधुओं को वैद्य के स्नान, शयन, वस्त्र और भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यदि वैद्य अपनी दक्षिणा मांगे तो साधु दीक्षा लेते समय जो धन निकुंज आदि में गाड़कर रक्खा हो उससे, अथवा योनिप्राभृत की सहायता से धन उत्पन्न कर वैद्य दक्षिणा देना चाहिए।

यदि संभव न हो तो यंत्रमय हंस अथवा कपोत आदि द्वारा उपार्जित धन वैद्य को दक्षिणा के रूप में चाहिए।[20] शूल उठने पर अथवा विष, विसूचिका या सर्पदंश से पीड़ित होने पर साधुओं को रात्रि के समय भी औषधि सेवन करने का विधान है।[21]

सन्दर्भ :

1. ''धर्नुहोहपि वातविशेषो यः शरीरं कुब्जीकरोति''– बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3816
2. वही, भाग–5, गा0 5870।
3. वही, भाग–4, गा0 3907।
4. वही, भाग–4, गा0 4380।
5. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 376 ।
6. वही, भाग–2, गा0 1277 ।
7. वही, भाग–2, गा0 1001–1033।
8. ''जंघासु कालाभं रसियं वहति''– नि0 चू0 1.798 की चू0।
9. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3839–40। महावग्ग, 1.30.88, पृ0 76 में उल्लेख है कि मगध में कुष्ठ, गंड (कोड़ा), किलारा (चर्मरोग), सूजन और मिर्गी रोग फैला रहे थे। जीवन कौमारभृत्य को लोगों की चिकित्सा करने का समय नहीं मिलता था, इसलिए रोग से पीड़ित लोग बौद्ध भिक्षु बनकर चिकित्सा कराने लगे।
10. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3816–18। चर्म के उपयोग के लिए देखिये सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान, 7.14 पृ0 42।
11. बृ0क0सू0भा0, भाग–5, गा0 5986।
12. वही, भाग–5, गा0 5987–88।
13. वही, भाग–5, गा0 6028–31, भाग–3, 2995। निशीथचूर्णीपीठिका, भाग–3, 3259।
14. वही, भाग–3, गा0 3259।
15. वही, भाग–2, गा0 105। शल्यक्रिया के लिए देखिये सुश्रुत, सूत्रस्थान, 26.13, पृ0 163।
16. वही, भाग–6, गा0 6262 तथा देखिये चरकसंहिता, शारीरस्थान2, अध्याय–2।
17. वही, भाग–1, पीठिका, गा0 289।
18. वही, भाग–5, गा0 6028–31, भाग–3, गा0 2995, निशीथचूर्णीपीठिका 348, 10.3197।
19. वही, भाग–2, गा0 1253, नि0चू0 11.3713 ज्ञाताधर्मकथा टीका, 1.पृ07। तुलना कीजिए दधिवाहन जातक (186), 2, 264।
20. वही, भाग–2, गा0 1910–2013, व्यवहारभाष्य 5.89–90, पृ0 20, निशीथसूत्र 10.16–39, भा0 2966–3122।
21. वही, भाग–3, गा0 2873–74.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 18-19

सीखने में थकावट, दुश्चिंता तथा अन्य कारकों का प्रभाव

डॉ0 प्रवीन कुमार सिंह*
*प्रवक्ता, बी 0एड 0स0 व0 पी 0जी 0 कालेज बदलापुर, जौनपुर,उ0प्र0

सारांश : अभिप्रेरक, आवश्यकता, प्रोत्साहन, अंतर्नोद तथा उद्देश्य आदि ये तत्व सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। इन सब तत्वों के अतिरिक्त सीखने की प्रक्रिया को निबद्ध करने वाले कुछ अन्य ऐसे तत्व होते हैं जो इस प्रक्रिया गति को धीमा कर देते हैं। यह तत्व अधिकतर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और वातावरणीय ही दशाओं में निहित रहते हैं एक अध्यापक को इनके संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह उनके प्रभाव को दूर करके अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकें। यहां पर हम विशेष रुप से थकान दुश्चिंता का वर्णन ऐसे तत्वों के अंतर्गत करेंगे, जो सीखने की गति को धीमा कर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व जैसे– दिन का समय, तापमान, नशीली औषधि इत्यादि भी सीखने की प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। किंतु यदि इसके प्रभावों को समझकर सीखने की गति में इनकी सहायता प्राप्त की जाए तो यह सीखने में सहायक तत्व बन जाते हैं इसी कारण इसका प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर समझना आवश्यक है।

थकान (Fatigue) : यह तीन प्रकार की होती है मांसपेशिक संवेदनात्मक और मानसिक ध्मानसिक तथा संवेदनात्मक थकान एक दूसरे से मिली हुई है और इन्हें शारीरिक थकान कह सकते हैं। थकान टॉक्सिक पदार्थों की उत्पत्ति अथवा ऑक्सीजन का अभाव या अन्य कारणों से पैदा होती है। टॉक्सिक पदार्थों का बनना केवल थकान की भावना को वरन वास्तविक थकान को भी उत्पन्न करता है। यह कहा जा सकता है कि मांसपेशिक या शारीरिक थकान मानसिक थकान को भी उत्पन्न करते हैं। यह बात का संकेत करती है कि दोनों प्रकार की थकान सर्वथा एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। और शारीरिक थकान मानसिक क्षमता को कम कर देती है। बहुत से तत्व जो थकान उत्पन्न करते हैं आंतरिक तथा बाह्य दोनों होते हैं। उसमें से कुछ आंतरिक तत्व जैसे– दोषित दांत एवं जबड़े, दोषपूर्ण नेत्र, उचित भोजन स्तर एवं अपूर्ण निद्रा आदि होते हैं। इन अवस्थाओं में बालक बहुत जल्दी ही शक्तिहीन हो जाता है । लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में भी असमर्थ होता है।

वाह्य कारक जो थकान को उभारते हैं उनमें अत्यधिक उत्तेजना, अस्वास्थ्य जनक वस्त्र, अनुपयुक्त रोशनदान, अपूर्ण प्रकाश, अत्यधिक शोर, अनुपयुक्त कुर्सी तथा अविचारणीय ढंग से दिया गया पाठशाला का कार्य भी थकान की अवस्था उत्पन्न करते हैं।

मानसिक थकान (Mental Fatigue): प्रयोगात्मक प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि मानसिक थकान को उत्पन्न करना कठिन है क्योंकि मानसिक कार्य के साथ कोई पर्याप्त उत्तेजना छिपी होती है। जब कि काफी समय तक मानसिक कार्य बराबर किया जा सकता है और इस कार्य को करने में बहुत ही थोड़ा शक्ति हास होता है जो मानसिक थकान पुकारी जाती है। वास्तव में वह ऊबना होता है। ऊबने के कारण हमारी विषय रूचि कम हो जाती है। ऐसा अनुपयुक्त शिक्षण पद्धति आदि के अपनाने के कारण भी हो जाता है।

दुश्चिंता (Anxiety) : दुश्चिंता एक प्रक्रिया में रुकावट समझी जाती है। एक व्यक्ति जो दुश्चिंता पीड़ित होता है एक कार्य के करने में पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है इस प्रकार यह विचार किया जाता है कि दुश्चिंता क्रिया में रूकावट डालती है। और इस तरह सीखने की गति में कमी आ जाती है। वास्तव में दुश्चिंता सीखने में रुकावट भी डाल सकती है। और इस को प्रेरित भी कर सकती है। बुग्लेस्की (Bugleske) का कथन है कि जब विद्यार्थी की जिज्ञासा जागृत की जाती है तो दुश्चिंता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जिज्ञासा दुश्चिंता का गुप्त रूप है। विद्यार्थी को जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए और उन्हें ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें वह सफल हो।

कुंठा (Frustration) : सीखने की गति को धीमी करने वाले तत्वों में कुंठा भी महत्वपूर्ण है। यदि एक बालक कोई कार्य करना चाहता है। किंतु उसमें उसे बार–बार विफलता मिलती है। तो वह कुंठा से पीड़ित हो जाता है और उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। और वह बीच में पढ़ाई छोड़ कर भाग जाता है। कुंठा बहुत कुछ लालसा के धरातल पर निर्भर होती है। इसके अतिरिक्त वातावरणीय तत्व नशीली वस्तुएं आदतें, अभाव के प्रभाव आदि भी बालक के सीखने पर प्रभाव डालती हैं।

निष्कर्ष : शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का अच्छा कार्यक्रम एक बालक को स्वस्थ्य शारीरिक अवस्था में रखेगा और बालक को सीखने में आसानी होगी। अध्यापक को अपने कार्य का ढांचा बनाना चाहिए। कार्यप्रणाली को स्वयं निर्दिष्ट करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने बालकों को भली प्रकार मार्ग प्रदर्शित करें जिससे वह अपने दिए हुए कार्य को मेहनत से करें बालक को पाठशाला में स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य रूचि पूर्ण कार्यों की शिक्षा दी जाए। यदि हम इन सभी बातों के ऊपर बल देते हैं तो बालक

अपनी मानसिक क्रियाओं को करने में बिना थकावट के संलग्न रहेगा। रुचि की कमी, उबजाना, बेचैनी और वायु द्वारों का अनुचित प्रबंध हमारी सीखने की क्षमता को कम कर देते हैं। सुधरे हुए शिक्षा के व्यवहार इसकी सही औषधि हो सकती है।

मनोचिकित्सक 'ऐन्डरसन' का कहना है कि सब मानव व्यवहार दुश्चिंता के बचाव पर आधारित है। जो कुछ भी कोई व्यक्ति करता है क्या खा रहे हैं । जो प्रतिक्रिया करता है । प्रत्येक उसके व्यवहार का पद और विवरण दुश्चिंता दूर करने के लिए ही होता है । फेलहुसेन एवं क्लोस्मियर ने एक दुश्चिंता परीक्षण बनाया जिसे '' चिल्ड्रन मेनीकेस्ट एग्जायटी स्केल (AMS) कहां गया।''

सन्दर्भ :

1. माथुर, एस0 एस0; उच्च शिक्षा मनोविज्ञान 1988-1989
2. गुथरी इ0 आर0; दि साइकोलजी आफ लर्निंग 1935
3. चौबे, एस0 पी0; मनोविज्ञान एवं शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशन 1980
4. माथुर, एस0 एस0; समाज मनोविज्ञान, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 1976

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 20-22

उद्यमिता : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 अनिता चन्द*

*मकान न0–10, ग्राम–कोहरा खूर्द,पोस्ट–कोहरा बुजूर्ग, तहसील–गोला, गोरखपुर,उ0प्र0

सारांश : 'उद्यमी' अंग्रजी शब्द "Enterpreneur" का हिन्दी रूपान्तरण है। वास्तव में अंग्रेजी का यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। जहाँ इस शब्द का मूल अर्थ है किसी संगीतात्मक अथवा अन्य मनोविनोदों के आयोजक नियुक्त करना।

प्रो0 एम0 एल0 झिंगन के अनुसार– ''अर्थशास्त्र में उद्यमी का अर्थ है ऐसा आर्थिक नेता जो नयी वस्तूओं, नई तकनीकी तथा पूर्ति के नयें स्त्रोंतो के सफलतापूर्वक संचालन करने के सुअवसर पहचानने की योग्यता रखता हो और आवश्यक सयंत्र तथा साधन, प्रबन्ध और श्रम–शक्ति को एकत्रित करने और उन्हें संगठित कर करोबार चलाने की क्षमता रखता हो।[1]

उद्यमिता एक ऐसी दषा है जो कि एक उद्यमी की आर्थिक क्रियाओं व क्षमताओं को बोध कराती है अर्थात् उद्यमिता 'उद्यमी' की आर्थिक क्रियाओं व योग्यताओं की वह अवस्था है, जो कि उद्योगों के सफल संचालन में सहायता होती है। इस रूप में उद्यमिता ही आर्थिक क्रियाओं का द्योतक है।

प्रो0 शुम्पीटर के अनुसार : ''जो देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन की किसी नई विधि को जोड़ता है, कोई ऐसा उत्पादन करना है, जिससे उपभोक्ता पहले से परिचित न हो, किसी तरह के कच्चे माल के नये स्त्रोत अथवा नये बाजारों की खोज करना है अथवा अपने अनुभवों के आधार पर उत्पादन के नये तरीकों को उपयोग में लाता है।[2] यह सम्भव है कि उद्यमी उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित तथा कुशल व्यक्ति हो और यह भी संभव हो कि वह अनपढ़ हो। परन्तु उसमें व्यापार सम्बन्धी ऐसा सूक्ष्म दृष्टिकोण और ज्ञान हो कि व्यापार का सफल संचालन कर सके।

प्रो0 जैन के अनुसार, 'उद्यमी में कुछ विषेष गुण होना चाहिए' जो निम्नांकित है–

1. एक अच्छे उद्यमि में यह गुण होना चाहिये कि उसे व्यवसाय सम्बन्धी बातों का विस्तृत ज्ञान हो तथा नवीनतम आविष्कारों तथा सुधारों की पूर्ण जानकारी हो। ऐसा होने पर हि वह क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में उचित निर्णय ले सकता है।
2. उद्यमी में आर्थिक समस्याओ व कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक सामना करने को भी योग्यता होनी चाहिये।
3. एक सफल उद्यमी के किस ईमानदार व गंभीर होना आवश्यक है।
4. सफल उद्यमी में दूरदर्षिता का होना भी आवश्यक है, तभी वह व्यवसाय सम्बन्धी विषय की प्रवृत्तियों का अच्छा अनुमान लगा पायेगा।
5. उद्यमी को मानवीय प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहियें तभी वह व्यवसाय के लिये योंग्य तथा कुशल कार्यकर्ताओं को चुन सकेगा।

अन्त में, व्यवसाय की दिन–प्रतिदिन की जटिल समस्याओं को समझानें के लिये यह आवश्यक है कि उद्यमी प्रखर बुद्धि वाला, योग्य तथा अच्छी प्रकार से शिक्षित होना चाहिये।

उद्यमिता का महत्व : आधुनिक युग में उद्यमिता का अपना अलग महत्व है जिनमें से कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है–

1. किसी भी छोटे या बडे व्यवसाय का प्रारम्भ बिना उद्यमिता के नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम अवष्य होता है और जब तक इस जोखिम को उठाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आयेगा तब तक व्यवसाय आरम्भ नहीं हो सकता है। उस अर्थ में उद्यमिता उद्योग की स्थापना की प्रथम नींव है।
2. आधुनिक समय में उत्पादन विधियॉ अत्यन्त जटिल हो गई है और उनमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं की रूची, पसंद और फैशन भी बराबर बदलते रहते हैं। इन सब बातों के कारण वर्तमान काल व्यवसायों में बहुत अधिक अनिश्चिताएं पनप गई है। इन सब अनिश्चिताओं के बीच भी समस्त जोखिम उठाते हुये उपभोक्ता की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति में निरन्तर प्रयत्नशील होने के कारण उद्यमिता का महत्व वर्तमान समय में और अधिक बढ़ गया है।
3. एक देश का आर्थिक विकास तथा एक बड़ी सीमा तक कुशल एंव योग्य उद्यामियों पर निर्भर करती है। पश्चिमी देशों में अधिक मात्रा में कुशल उद्यमिता उपलब्ध है। जिसके परिणामस्वरूप उन देशों में आर्थिक उन्नति की गति भी बहुत तीव्र है। इसके विपरित भारत जैसे विकासशील दश में कुशल तथा योग्य उद्यमिता के अभाव के कारण आर्थिक प्रगति की गति धीमी है। अतः स्पष्ट है कि उद्यमिता की प्रकृति का देश के आर्थिक विकास से सीधा सम्बन्ध है। और यही इसका महत्व भी है।

आधुनिक युग में कामकाजी महिलाओं में वृद्धि हो रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी कर रही है। सामाजिक परिवर्तन के कारण भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों और परम्पराओं को पीछे छोड़कर वह अब प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अब महिलायें मात्र गृहिणी ही नहीं बल्कि अब वह सशक्त और परिपक्व महिला के रूप में देखी जा सकती है। भारत में इन सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव शहरी शिक्षित महिलाओं के अतिरिक्त ग्रामीण मध्यमवर्गीय महिलाओं पर भी पड़ा है आर्थात् परिवर्तन की प्रकिया अत्यन्त तीव्र है।कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक परिवर्तन को ठीक से मापा जा सकता है।''[3] परिवर्तन की तीव्र प्रकिया में स्त्रियों की आर्थिक स्थितियों का आकलन

किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में 'गोरे' का कथन महत्वपूर्ण है जिसमें आपने लिखा है कि परिवार में स्त्री के छोटे दर्जे का सम्बन्ध आर्थिक कार्यों में उनकी अलग रखे जाने से है। वह अपने इस कथन के समर्थन में भारत की नीची जाति और ऊँची जाति के परिवार की तुलना प्रस्तुत करते है। जिसमे देखा जाता है कि कुछ नीची जाति की स्त्रियों में विरासत, जायदाद की समस्या लगभग है ही नही और वे सामान्यतः लाभप्रद कार्यो में लगी हुई है और ऊँची जाति की स्त्रियों लाभप्रद कार्यो में नही लगी हुई है अर्थात् उन्हें आर्थिक कार्यो से अलग रखा जाता है। अतः शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो में कामकाजी महिलाओं की तादाद में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।[4] दिल्ली में मात्र 4.7 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें कामकाजी है। महिला कामगारों को सबसे कम संख्या 6.7 प्रतिशत बिहार में है।[5]

सन् 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल 4012126990 कार्यशील व्यक्ति है जिसमें 126773886 महिलायें। भारत की कुल जनसंख्या मे केन्द शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या सबसे अधिक है। जिनकी कुल संख्या 385133 है। सबसे कम लक्षद्वीप में 38287, चण्डीगढ़ में 36003, पाण्डिचेरी में 83985 और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 27090 महिलायें कार्यरत है।[6]

उद्यमिता विकास के लिये नियोजित प्रयास : भारत के संविधान के प्रस्तावना में मूलभूत अधिकारों, मूलभूत कर्तव्यों और नीति निदेशक सिद्धान्तों में स्त्री–पुरूष समानता का सिद्धान्त प्रतिस्थापित किया गया है। संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है तथा सरकार को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्य करने के उपाय करने का अधिकार भी देता है। इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में की गयी है।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तता, उनकी गरीबी हटानें के लिये आवश्यक है। इसके लिये महिलाओं की क्षमता का आकलन कर उन्हें नये आर्थिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। अतः सरकार आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ानें के लिये अधिनियम बना सकती है और महिलाओं को सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार दिलानें, व्यवसायिक प्रगति के सहयोग के लिये प्रयास किये गये है–

1. निर्णायक भूमिका अदा करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये विषेष व्यवस्था करना।
2. अति गरीबी मे जीवनयापन करने वाली महिलाओं की दशा सुधारने के लिये विषिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण।
3. शैक्षिक तकनीकी तथा व्यवसायिक ज्ञान रखने वाली महिलाओ को रोजगार देने के समान अवसरों को सृजन करना।
4. असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिये विषेष मानकों का निर्माण करना, जो उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुये संगठित करने में योगदान दे सकें।
5. सभी आर्थिक क्षेत्र में लिंग–भेद की असमानता दूर करना।

1980 से 1990 के बीच महिलाओं के विकास कार्यक्रमों में साधारण वद्धि हुई है। राष्ट्रीय नीति 2001 में महिलाओं को आगे बढाने के लिये तथा उन्हें सशक्त करनें तथा उनके विकास के गति कों तीव्र करनें की बात कही गई है जिसका मुख्य उद्देष्य निम्नलिखित है–

1. महिलाओं के लिये सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीति बनाकर उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग करने एवं स्वयं को पूर्ण सक्षम समझने के लिये वातावरण तैयार करना है।
2. देश में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से लाभ लेने तथा निर्णय करने की क्षमता के योग्य बनाना।
3. सामाजिक विचारों में परिवर्तन करना जिससे वे पुरूषों के समान समाजिक उन्नति में भाग ले सकें।
4. विकास कार्यो में लिंग–भेद को समाप्त करना।
5. महिलाओं पर किये जाने वाला अत्याचार को समाप्त करना।
6. महिलाओ एवं महिला संगठनों तथा समाज के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ करना।

नीति के आधार पर सरकार द्वारा पीड़ितों के समाज कल्याण योंजनाओं की व्यवस्था का दायित्व स्वयंसेवी संगठनों को सौपा गया था। स्वयंसेवी संगठनों का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन है। इसकी लम्बी कल्याणकारी गतिविधियों का ही परिणाम है कि वर्तमान में भी इसके सकारात्मक कार्यो को स्वीकार किया जा सकता है। इसके सकारात्मक कार्यो को देखते हुये सरकार द्वारा इस दिशा में स्वयं सहायता समूहों के विकास को प्रश्रय प्रदान किया जा रहा है। बहुत से संगठन अत्यधिक लम्बे समय से स्थापित है और उन्होंने महिला कल्याण आदि के क्षेत्रों मे महान ज्ञान एंव अनुभव अर्जित किया है। कई संगठन ऐसे हैं जिन्होनें राज्य की सहायता से उपयोगी कार्यक्रम चलाये हैं जैसे रामकृष्ण मिषन, सर्वसेवा संघ, नैतिक और समाजिक स्वास्थ्य संघ, भारत सेवक समाज, परिवार नियोजन, संघ और राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर अनेक ऐसे ऐच्छिक संगठन है, जो हमारे कल्याण कार्यक्रमों और कल्याण आवष्यकताओं के बीच खाई पाटनें का प्रयास कर रहे है। हमारे देष में निष्चित ही स्वयं सेवा संगठनों के कार्यों का विस्तार हो रहा है। समाज कल्याण से दिनों दिन व्यापक क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यो को भारत में अधिकाधिक मान्यता प्रदान की जा रही है। सरकारी नीति नये क्षेत्रों में ऐच्छिक संगठनों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुये वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्ग

दर्शन तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्थाओं के द्वारा उन्हें विकसित करने और मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। ऐच्छिक संस्थाओं और सरकार के बिच सहयोंग के नये क्षेत्र खुल रहे है। तथ्य जो यह है कि दोनों में दायित्वों की विभाजन रेखा मिटती जा रही है कि ऐच्छिक संगठन साधनों की दृष्टि से आधिकाधिक आत्मनिर्भरता बने। ताकि वे अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सके और जिन सेवाओं के लिये उनका गठन हुआ है। उन्हें ठीक ढ़ग से सम्पन्न कर सके। इसके अन्तर्गत विभिन्न सरकारी प्रयासों को उल्लेखित किया जा सकता है।

महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति एवं पंचवर्षीय योजनाओं : भारतीय समाज में स्त्रियों के आर्थिक सशक्तीकरण का आग्रह बल पकड़ रहा है। नयी शताब्दी के प्रारम्भ का वर्ष 2001 महिलाओं सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। जिसमें स्त्रियों का आर्थिक स्वावलम्बन मुख्य आधार रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें (1951–61) कल्याण के उद्देष्य से बनाई गई और लड़कियों के षिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रयास किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961–66 महिला विकास की रणनीति के रूप में लड़कियों की षिक्षा के विस्तार पर केन्द्रित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) के दौरान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया। वर्ष 1971 के दौरान सरकार ने भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति गठित की। समिति की 'टुवड्र्स इक्वैलिटी'' नामक रिपोर्ट ने देश में महिला आन्दोलन की नींव रखी। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के दौरान ही योजना के दस्तावेज में ही महिला विकास पर एक विषिष्ट अध्याय शामिल किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) का मूल उद्देष्य महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये उसमें अपनी क्षमता अपने अधिकार एवं सुविधाओं के प्रति जागरूकता लाने के बाद विश्वास उत्पन्न करना था। इसी प्रकार आगे की पंचवर्षीय योंजनाओं में महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत महिलाओं की आर्थिक स्थिति को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया।[7]

यद्यपि आर्थिक आवष्यकताओं के प्रत्येक क्षेत्र में गणना नगण्य है। महिलाओं की गृहस्थी सम्बन्धी कार्य तथा घरेलू उत्पादों की गिनती राष्ट्रीय साख्यिकी में नही होता है। इस प्रकार उसका योगदान परोक्ष हो जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर महिलाओं की योगदान परोक्ष हो जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर महिलाओं की योग्यता सभी धर्मो तथा प्रत्येक सम्प्रदाय में पुरूषों से कम करके आकी जाती है। नौकरी, धनोपार्जन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य ही नही निर्णय लेने की शक्तियों आदि में पुरूष एवं महिला में अन्तर स्पष्ट किया जाता है।

वे विश्व में खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थो का 50 प्रतिशत उत्पादन करती है जबकि उनकी आय का 10 प्रतिशत ही उन्हें प्राप्त होता है। कई वर्गो में महिलायें अपने नाम जमीन नही रख सकती।[8]

विकासशील देशों में महिलाओं द्वारा 53 प्रतिशत तथा पुरूषों द्वारा 47 प्रतिशत कार्य किया जाता है जबकि विकसित देशों में महिलाओं पुरूषों की अपेक्षा अधिक कार्य तथा राष्ट्र के लिये अधिक आय अर्जित करती है। फिर भी वे आर्थिक, सामाजिक यहाँ तक कि कानूनी अधिकारों एवं संविधाओं से वंचित है तो पुरूषों को प्राप्त है।

आई0 एल0 ओ0 (इण्टरनेशनल लेवर ऑर्गेनाइजेशन) के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पुरूष अपने आय का 60 प्रतिशत परिवार पर 40 प्रतिशत अपने ऊपर व्यय करता है जबकि महिलायें अपने आय का 90 प्रतिशत परिवार पर तथा 10 प्रतिशत अपने ऊपर खर्च करती है। इसलिये जहाँ महिलायें घरेलू आय पर नियंत्रण रखती है, वह परिवार अधिक लाभान्वित होता है। महिलाओं की औसत आय पुरूषों की अपेक्षा कम होती है। असंगठित क्षेत्र में जिसमें जिसमें 94 प्रतिशत महिलायें कार्य करती है, उनकी औसत आय अपेक्षाकृत न्यून है। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति पर कुठाराघात हुआ है क्योंकि महिलाओं में प्रशिक्षित लागों की आवश्यकता होता है। महिलाओं की निरक्षरता तथा असंगठित होने के कारण वे ऐसे उद्योगों में जाने से वंचित हो गयी है।

सन्दर्भ :

1. एम.एल. झिंगन, विकास का अर्थशास्त्र एंव आयोजन, कोणार्क पब्शिर्स प्रा0लि0, दिल्ली, 1988, पृ0 308
2. Schumpeter J.A. the theory of Economics Development P-66
3. मार्क्स कार्ल तथा फेडरिक ऐंजेल्स (1947); जर्मनी आइडियोलॉजी सिलेक्टेड वर्क्स भाग, 1 पिपुल्स पब्लिशिंग 'हाऊस' मास्को।
4. गोरे एम0एस0 (1968); पति–पत्नी तथा माता–पुत्र सम्बन्ध, रावत प्रकाशन जयपुर
5. कुरूक्षेत्र मार्च 2009; ग्रामीण विकास को समर्पित, पृ0 4–5
6. प्राइमरी सेन्सेस अबस्ट्रैक्ट सेन्सस ऑफ इण्डिया 2001
7. मेहरोत्रा, राकेश (2000); सक्सेस आफ रूरल वुमेन टू इन्स्टीट्शनल केडिट इश्यू एण्ड अल्टरनेटिव रिसर्च पेपर सिक्स वर्ल्ड, लखनऊ।
8. सिह, केवर (1996); रूरल डेवलपमेन्ट, प्रिंसिपल, पालसीस एण्ड मैनेजमेण्ट सेज पब्लिकेशन, दिल्ली पृ0 21

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 23-24

बलिया में 1942 ई. की अगस्त क्रान्ति

डॉ0 नेहा कुमारी*
*प्रारंभिक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, खानेजादपुर पश्चिम टोला, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार

सारांश : अगस्त 1942 ई. में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी द्वारा 'करो या मरो'[1] नामक भावनात्मक अपील के साथ महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारत छोड़ों आन्दोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ों आन्दोलन जिसे अगस्त क्रान्ति[2] भी कहा जाता है, भारतीय जनता में देश भक्ति एवं स्वतंत्रता की उत्कट भावना जागृत कर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नई दिशा प्रदान करते हुए औपनिवेशिक शासन से भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

भारत छोड़ों आन्दोलन द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय भागीदारी क्रिप्स मिशन की असफलता, भारतीय सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह, खाद्यान संकट इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर शुरू किया गया,[3] परन्तु शीघ्र ही यह आन्दोलन औपनिवेशिक साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से संचालित होने लगा।

8 अगस्त 1942 ई. को भारत छोड़ों आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही 9 अगस्त 1942 ई. की सुबह महात्मा गाँधी समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी[4] ने जनआक्रोश की एक अभूतपूर्व और देशव्यापी लहर उत्पन्न कर भारतीय लोगों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध पूर्ण स्वतंत्रता की भावना जागृत कर दिया। संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, बंगाल, दक्षिण भारत में स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो गयी किन्तु इसकी सबसे उग्र और तीव्र अभिव्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा गया।[5] मेरे शोध पेपर में बलिया में 1942 ई. की अगस्त क्रांति का चुनाव इसी को ध्यान में रखकर किया गया हैं।

उद्देश्य–मेरे इस शोध पेपर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र बलिया में भारत छोड़ों आन्दोलन पर विशेष बल दिया गया हैं। जिससे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इनको सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके।

अनुसंधान विधि–मेरे इस शोध पत्र में द्वितीय स्रोतो का उपयोग किया गया है। द्वितीय स्रोतों के रूप में विश्वमोय पति (1998), टरबुलेन्ट टाईम्स इंडिया 1940–44, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय (1988), द इण्डियन नेशन 1942, साची चकवर्ती (2002), क्वीट इंडिया मूवमेन्ट, रामलखन शुक्ल (1987), आधुनिक भारत का इतिहास, वीरेन्द्र कुमार वीरू भारत छोड़ों आन्दोलन 1942 के शहीद, शेखर बंद्योपाध्याय (2007) प्लासी से विभाजन तक, फूलचंद जैन, स्वतंत्रता सेनानी ग्रंथमाला, सुमित सरकार (1993) आधुनिक भारत, इन्द्र विद्यावाचस्पति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, दुर्गाप्रसाद गुप्त बलिया में सन् 42 की जनक्रांति, इन्द्र विद्यावाचस्पति (2011), भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, गोविन्द साहय (1946) सन् 42 का विद्रोह विपिन चन्द्र, आदित्य मुखर्जी क. न. पणिकर, एवं सुचेता महाजन (1990) भारत का स्वतंत्रता संघर्ष।

बलिया में भारत छोड़ों आन्दोलनः–कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिलें में आग की तरह फैल गई। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्वानों बुद्धिजीवियों, छात्रों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता सहित सभी वर्गों ने आजादी का नारा लगाते हुए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध आन्दोलन छेड़ दिया।

बलिया में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरूद्ध छेड़ा गया भारत छोड़ों आन्दोलन कोई नई घटना नहीं थी। भारतीय इतिहास में **'बागी बलिया'** के नाम से मशहूर बलिया 1857 ई. के बागी सिपाही मंगल पाण्डेय का जन्म स्थली था[6] जहाँ बिहार के बाबू कुँवर सिंह ने अपना कर्मस्थली बनाते हुए अंग्रेजों के विरूद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष किया।[7] जिनकी वीरता की कहानी आज भी कथा–कहानियों में इस क्षेत्र में सुनाई देती है। 1942 ई. के विद्रोह के सन्दर्भ में उनका बार–बार उल्लेख यहाँ के लोगों में नई शक्ति का संचार करता था।

आन्दोलन की शुरूआत 10 अगस्त को बलिया में हड़ताल मनाकर की गई।[8] जनता में ब्रिटिश साम्राज्य का खौफ पूरी तरह समाप्त हो चुका था। स्थानीय काँग्रेसी नेता राम अनन्त पाण्डेय ने अहिंसात्मक तरीके से आन्दोलन के स्वरूप को जनता के सामने रखा। जिससे यातायात भंग हो जाय, प्रशासन ठप पड़ जाय, सरकारी एवं प्रशासनिक केन्द्रों पर जनता का अधिकार हो जाय।[9] 11 अगस्त को जनता का एक विशाल जन समूह शहर से कचहरी की ओर जा रहा था तो सिटी मजिस्ट्रेट मिस्टर वयस ने लाठी चार्ज करवा दिया, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए, कुछ लोग मारे भी गये और रात में कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। इस कारण अहिंसात्मक आन्दोलन हिसंक आन्दोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके साथ ही तार काटने, रेल की पटरी उखाडने, पुल तोड़ने, संचार व्यवस्था भंग करने और यातायात के साधनों को नष्ट करने का विनाशात्मक कार्य प्रारम्भ हुआ।[10] लोगों का नारा था– थाना जलाओ, स्टेशन फूँक दो, अंग्रेजों भारत छोड़ों, अंग्रेज भाग गया इत्यादि।[11]

इस घटना के विरूद्ध 6–7 दिनों तक बाजार बन्द रहे। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जब बाजार खोला गया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर लाठी चार्ज करवा दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग मारे गये तथा अनेकों लोग घायल हुए। ब्रिटिश सरकार का अत्याचार लगातार बढ़ते गया। लोगों में ब्रिटिश शासन अब असहनीय प्रतीत होने लगा।[12] एक सप्ताह के अन्दर ही स्वतः स्फूर्त चेतना से जागृत जनता ने सहनवार, नरवर, सिकन्दरपुर, गढ़वर, हलधर इत्यादि के थानों पर अधिकार कर लिया। कुछ सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया उन्हें छोड़ दिया गया परन्तु जिन्होंने आन्दोलनकारियों का प्रतिरोध किया उन्हें पीट–पीटकर मार डाला गया। थानों के सारे कागजातों को इकट्ठा कर उन्हें जला दिया गया। उसके बाद थानों के छतों पर झंडा फहराया गया। बाँसडीह और रसड़ा थानों पर अधिकार के साथ ही आन्दोलनकारियों ने वहाँ का खजाना भी अपने हाथों

में ले लिया। फिर क्रांतिकारियों ने रसड़ा तहसील पर भी झंडा फहराया। उसके बाद क्रान्तिकारियों ने एक अमीर किसान के बीजों का भंडार लूटने गये। नायब तहसीलदार ने सहयोग का नाटक किया और आँगन का दरवाजा बंद करके उन पर गोलियाँ चलवाई, जिससे तीन लोगों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई और अनेकों लोग घायल हुए।[13] आन्दोलनकारियों का अगला लक्ष्य बलिया थाने पर झंडा फहराना था। जब लोग एक छोटी से गली में घिर गये तो प्रशासन द्वारा उन पर शाम 3.30 से रात 8 बजे तक अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई। इससे लोगों का आन्दोलन और भी आक्रमक हो गया।[14] कुछ ही समय में आन्दोलनकारियों ने बलिया, बेलथरा रोड़, बैरिया, बाँसडीह, सुरेभन, रेवती, चितबड़ा गांव, रतनपुरा और सहतवार, इत्यादि सभी पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर एवं संचार व्यवस्था को तहस–नहस कर दिया। सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि 18–19 अगस्त तक सारा बलिया उनके हाथों से निकल चुका था।[15] 19 अगस्त को लगभग 10 हजार लोगों की भीड़ ने बलिया जेल को घेर लिया। जिला काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चित्तू पाण्डेय सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई करने के लिए जिलाधीश जे. निगम पर दबाव डाला गया जिसके बाद सभी की रिहाई हुई।[16] रिहाई के पश्चात 19 अगस्त को बलिया में चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में समानांतर सरकार[17] की स्थापना हुई। चित्तू पाण्डेय को स्वराज जिलाधीश[18] घोषित किया गया। हालांकि यह सरकार अल्प समय तक ही रही फिर भी संतुलित प्रशासन के कारण काफी ख्याति अर्जित किया। शीघ्र ही बलिया में राष्ट्रीय सरकार का पतन हो गया। स्मिथ और नीदरसोल के अन्तर्गत ब्रिटिश साम्राज्य ने आतंक का राज आरम्भ किया। दोनों ने अनियंत्रित लूटमार, आग लगाने, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, बेंत लगाने तथा आक्रमण का आदेश दिया।[19] काफी खूनी संघर्ष, सेना, और पुलिस के बल पर बलिया में पुनः ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई।

बलिया में समानांतर सरकार के पतन और आन्दोलन की आंशिक सफलता ने आन्दोलन की कमजोरियों को शीघ्र ही उजागर कर दिया। बलिया में लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात् आन्दोलनकारी कोई निश्चित कार्यक्रम और योजना नहीं बना सके। भारत के अन्य क्षेत्रों में भारत छोड़ो आन्दोलन निरंतर गति से चलता रहा, वहीं बलिया में इस आन्दोलन को शीघ्र ही दबा दिया गया। इसलिए बलिया में जब सैनिकों के आगमन की सूचना मिली तो सभी आन्दोलनकारी भूमिगत हो गये जिससे ब्रिटिश शासन को घोर आश्चर्य हुआ। आन्दोलन के अहिंसात्मक से हिसांत्मक होने कारण समाज के सभी वर्गो का सहयोग आन्दोलनकारियों को नहीं मिला। कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन के वफादार बने रहे। साथ ही मुस्लिम लीग और वामपंथी भी इस आन्दोलन से लगभग रहे।

निष्कर्ष : बलिया में भारत छोड़ों आन्दोलन को आंशिक सफलता मिली परन्तु 1942 ई. के आन्दोलन में विशाल जन उभार ने अपनी उग्रता, स्वतः स्फूर्तता, लक्ष्य प्राप्ति और रणनीति दृष्टि से पहले के सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों को पीछे छोड़ दिया। चित्तू पाण्डेय के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय सरकार और बलिया में आन्दोलन में आमजनता की व्यापक भागीदारी ने औपनिवेशिक शासन में यह खौफ भर दिया कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्ति की ओर अग्रसर है क्योंकि भारत को शक्ति के बल पर कब्जे में रखना अब सम्भव नहीं है। आन्दोलन को जल्द से जल्द दबा दिया गया, किन्तु भारतीय आकाशमंडल पर चमकते अंग्रेजों भारत छोड़ो समय के साथ बड़े होते गये, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अगस्त 1947 में आजादी मिली।

सन्दर्भ :

1. सरकार, सुमित; आधुनिक भारत का इतिहास, राज कमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृ. 414
2. शर्मा, एस. आर.; क्वीट् इंडिया मूवमेन्ट मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 9
3. महाजन सुचेता, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, 1990, दिल्ली, पृ. 366
4. वही, पृ. 366
5. वीरू, विरेन्द्र कुमार; भारत छोड़ों आन्दोलन 1942 के शहीद, अनुराग प्रकाशन 101
6. पाण्डेय, ज्ञानेन्द्र; द इण्डियन नेशन इन 1942 के.पी. वागची एण्ड कम्पनी कलकत्ता पृ. 170
7. वही. पृ. 170
8. सहाय, गोविन्द; सन् बयालीस का विद्रोह, नवयुग साहित्य सदन, इंदौर, 1946, पृ. 175
9. गुप्त, दुर्गादास; बलिया में सन् 42 की जनक्रांति पृ. सं. 23
10. विद्या, वाचस्पति इन्द्र; भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 2011, पृ. 407
11. पाण्डेय, ज्ञानेन्द्र; पृ. 175
12. इन्द्र, विद्या वाचस्पति, पृ. 401
13. गुहा अरूण चन्द्र, स्वतंत्रता संग्राम के 25 वर्ष 1921–46 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रशासन मंत्रालय भारत सरकार 1990 पृ. 115
14. वही 115
15. इन्द्र, विद्या वाचस्पति, पृ. 408
16. शुक्ल, राम लखन; आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पृ. 864
17. बंधोपाध्याय, शेखर; प्लासी से विभाजन तक, आरिएंट लांग्मैन प्राईवेट, लिमिटेड, नई दिल्ली, 2007, पृ. 456
18. वही 456
19. गुहा, अरुण; पृ. 116

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 25-27

छायावाद दर्शन के निकष पर

डॉ0 मुकेश कुमार झा*
*पूर्व शोधार्थी, हिन्दी विभाग, ल0ना0मि0वि0वि0, दरभंगा, बिहार

सारांश : साहित्य और दर्शन का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। साहित्य जहाँ जीवन को कलात्मक रूप में उद्घाटित करता है, वहीं दर्शन ज्ञान–चेतना से स्पंदित कर जीवन को आध्यात्मिक जीवन–चेतना से अनुस्यूत करता है। यही कारण है कि आधुनिक युग के साहित्य में दर्शन का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ता हैं। खासकर छायावादी कविता में दार्शनिक चेतना कुहरों की तरह लिपटा हुआ है। वस्तुतः दर्शन अनुभूत एवं साक्षात्कृत सत्य की युक्तियुक्त स्थापना है। इस अनुभूति एवं साक्षात्कृत्कार में हृदय पक्ष तथा युक्तियुक्तता में बौद्धिक निरूपण की सम्यक् व्यवस्था है। दार्शनिक तथा साहित्यिक में साम्य इस दृष्टि से है कि दोनों अपने अनुभव जगत् की निश्छल अभिव्यंजना करते है, दोनों अपने अभिप्रेत को यथासंभव प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं किन्तु दार्शनिक जहाँ प्रचलित विचारधाराओं की तुलना में अपने इष्ट की व्यंजना करता है, खंडन और मंडन या स्थापना का यह क्रम उसकी प्रक्रिया का प्रधान अंग है वहाँ साहित्यकार खंडन–मंडन सापेक्ष तार्किकता को अत्यन्त गुह्य रखते हुए अपने भावों की व्यंजना करता है किन्तु केवल प्रतिपादन पक्ष से ही उसकी सफलता का मूल्यांकन नहीं किया जाता, उसका अनिवार्य लक्षण है सहृदय में तद्वत् अनुभूति एवं रसमयता का संचार। दर्शन में विरोध संभव है किन्तु साहित्य में विरोध होते हुए भी पाठक का प्रभावित हो जाना अनिवार्य है, जिसमें विरोध का प्रत्यक्षतः शमन हो जाता है। यहीं साधारणीकरण की वह अवस्था है जिसमें कवि की भावना पाठक की भावना बन जाने में ही अपनी सार्थकता रखती है।

रीतिकाल के इतिश्री होने के साथ ही जन– जीवन में परिवर्तन का सूत्रपात दृष्टिगोचर होने लगा। साहित्य स्त्रष्टा राजाश्रय की परिसीमाओं से मुक्त होकर युग–सजगता का अनुभव करने लगा। युग की भाव–सम्पदा ने समसामायिक सजग साहित्यिक वृन्द की वाणी में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त किया तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में विकसित काव्यधारा ने अपने नेता के अनुरूप 'भारतेन्दुयुग' का अभिधान स्वीकार किया। इस समय भी कतिपय कवि परम्परागत रूप में काव्य–सृजन कर रहे थे किन्तु भारतेन्दु द्वारा प्रवर्तित इस नवीन चेतना ने भी उनके कवि–हृदय का स्पर्श अवश्य किया। इस प्रकार नूतनता के प्रति अबाध आकर्षण तथा पुरातन के प्रति मोह के सम्मिश्रण ने भारतेन्दुयुग का स्वरूप निर्मित किया। राष्ट्रभक्ति और राज भक्ति को लगभग एक ही रूप में देखने वाला भारतेन्दु का दृष्टिकोण इसी का एक परिणाम था। भारतेन्दु युगीन साहित्य में पूर्ववर्ती युग की श्रृंगार प्रधान साहित्यिक चेतना का प्रभाव भी पर्याप्त है, तत्सम्बन्धी भाव एवं उपमान आदि प्रायः पूर्व युग की अनुकृति प्रतीत होते हैं। फिर भी युग की राष्ट्रीयता का भाव भारतेन्दु तथा उनके समकालीन साहित्यकारों में प्रधान रहा। जनता की पीड़ा एवं व्यथा, उसकी आशाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय भावबोध की श्लाघा तथा स्वसंस्कृति के विगत अध्यायों से राष्ट्रनायकों के वीरतापूर्ण कृत्यों से सम्बन्ध गाथाओं की चर्चा इस युग का प्रधान स्वर था।

छायावाद की प्रेरणा एवं पृष्ठभूमि को निमार्ण का श्रेय पर्याप्त सीमा तक पूर्ववर्ती द्विवेदीयुग तथा उसमें भी युगप्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नीति एवं आदर्श प्रधान सबल व्यक्तित्व को ही है। भारतेन्दुयुग के उपरान्त द्विवेदीयुग और द्विवेदीयुग के उपरान्त छायावाद युग का यह सहज क्रम हिन्दी काव्य–जगत् का सौभाग्य कहा जा सकता है । जिसमें क्या भाव क्या भाषा सभी दृष्टियों से एक निश्चित विकास दिखाई देता है। काव्य–क्षेत्र में यह मान्यता प्रचलित है कि एक के बाद दूसरी काव्यधारा का विकास विरोधजन्य या प्रतिक्रियाजन्य होता है और इसी मान्यता के आलोक में छायावाद का जन्म द्विवेदीयुगीन इति–वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार किया जाता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इन तीनों युगों में परस्पर सम्बन्ध है, तीनों युग एक सूत्र में अनुस्यूत हैं जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती युग के अभावों को भावों में परिणत कर कुछ आगे बढ़ जाने के लिए प्रयत्नशील है और इस विकास का चरम सोपान छायावाद के रूप में परिलक्षित होता है। छायावाद अपने पूर्ववर्ती साहित्य से निरपेक्ष नहीं रहा, स्वयं छायावादी कवियों ने भी इसे स्वीकार किया है। महादेवी वर्मा ने साहित्य के विकास–क्रम तथा परिवर्तन के मूल में नैरन्तर्य का प्रतिपादन किया है। उनके ही शब्दों में, ''नदी के एक होने का कारण पुरातन जल नहीं नवीन तरंग भंगिमा है। प्रत्येक युग के साहित्य में नवीन तरंगाकुलता उसे मुल प्रवाहिनी से विच्छिन्न नहीं करती वरन् उन्हीं नवीन तरंग भंगिमाओं की अनन्त आवृत्तियों के कारण मूल प्रवाहिनी अपने लक्ष्य तक पहुँचने को गति पाती है। स्पष्टतः महादेवी छायावाद में द्विवेदी युग का विरोध नहीं अपितु प्रवाहमान काव्यधारा का एक निश्चित प्रवाह प्रतिपादित करती हैं। पन्त ने भी नवीनता की अपेक्षा के साथ ही पुरातन के आधार को स्पष्ट स्वीकृति प्रदान की है। उनका कथन है–''नवीन युग अपने लिए नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पन्दन–कम्पन तथा नवीन साहित्य ले आता है और पुराण जीर्ण पतझड़ इस नवजात के लिए बीज तथा खाद स्वरूप बन जाता है।''[2] छायावादी कवियों ने भारतीय संस्कृति को अखण्ड परम्परा द्वारा पोषित उसके विकास का एक सोपान सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसके मूल स्रोत को भारतीय सांस्कृतिक वैभव में प्रमाणित किया है। सौन्दर्य के प्रति आस्थाभाव, उसकी नानाविध मनोहर प्रकृत्यावेष्टित अभिव्यक्ति, गहन दार्शनिकता की भित्ति तथा वैयक्तिक अनुभवों की प्रतीकात्मक व्यंजना, सब कुछ तो भारत की प्राचीन साहित्यिक परम्परा में उपलब्ध हो जाता है। छायावादी कवियों ने वैदिक एवं संस्कृत साहित्य से इसके प्रवृत्तिगत साम्य की भी घोषणा की है। स्वयं जयशंकर प्रसाद का अभिमत है, ''मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है, वैसी ही कान्ति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छिति के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित

किया था .... शब्द और अर्थ की स्वाभाविक वक्रता विच्छिति और छाया कान्ति का सृजन करती है।''[3] इस प्रकार 'छायावाद' के आधारभूत शब्द 'छाया' के वैशिष्ट्य – प्रतिपादन के साथ–साथ प्रसादजी ने उसकी परम्परा को संस्कृत साहित्य के उन्नत युग में अन्वेषित करते हुए कहा है कि "इस दुर्लभ छाया का संस्कृत के काव्योत्कर्ष काल में अधिक महत्त्व था।''[4] इसी कारण हिन्दी के छायावादी साहित्य को देखकर चकित होने वाली आलोचनाओं में उन्हें अपने साहित्य के परम्परागत विकास के प्रति अनभिज्ञता ही प्रतीत हुई और वे कह उठे, "प्राचीन साहित्य में यह छायावाद अपना स्थान बना चुका है। हिन्दी में जब इस तरह के प्रयोग हुए, तो कुछ लोग चौंके सही, परन्तु कहने पर भी अभिव्यक्ति के इस ढंग को ग्रहण करना पड़ा। कहना न होगा कि ये अनुभूतिमय आत्मस्पर्श काव्य जगत के लिए अत्यन्त आवश्यक थे। काकु या श्लेष की तरह यह सीधी वक्रोक्ति भी न थी। बाह्य से हटकर काव्य की प्रवृत्ति अन्तर की ओर चल पड़ी।''[5] साहित्य के क्षेत्र में यह एक प्रामाणिक सत्य है कि किसी भी काव्यधारा का उदय अनायास ही नहीं हो जाता, बल्कि इसका एक सुनिश्चित ऐतिहासिक विकासक्रम होता है। छायावाद की प्रवृत्तियाँ अपनी पूर्ववर्ती काव्यधारा में झंकृत हो रही थीं, जो अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर मुखरित हो उठीं। पाश्चात्य स्वच्छन्द काव्य धारा ने भी इसे प्रभावित किया किन्तु यह प्रभाव आंशिक ही रहा।

छायावाद के उदय के कारणों के सम्बन्ध में पहली मान्यता तो यह है कि छायावाद द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रस्फुटित हुआ और दूसरी मान्यता यह रही कि छायावाद भारतीय भूमि की वस्तु नहीं, बंगला के माध्यम से अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादी कविता का अनुकरण मात्र है। शुक्लजी ने छायावाद को द्विवेदी युग के गद्यवत् रूखे, इतिवृत्तात्मक तथा बाह्यार्थ निरूपक स्वरूप की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न माना है। महादेवी वर्मा ने भी एक सीमा तक छायावाद का उद्भव द्विवेदीयुग की प्रतिक्रिया स्वरूप माना है, "पर स्थूल सौन्दर्य को निर्जीव आवृत्तियों से थके हुए और कविता की परम्परागत नियम शृंखला से ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बंधे स्थूल का, न तो यथार्थ चित्रण रूचिकर हुआ और न उसकी रूढ़िगत आदर्श भाषा। उन्हें नवीन रूपरेखाओं में सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति की आवश्यकता थी, जो छायावाद में पूर्ण हुई।''[6] और तीसरी मान्यता यह थी कि तद्युगीन समाज की वैयक्तिकता प्रधान अभिरूचि भी दृष्टिगत होती है तथा चौथी बात यह है कि तत्कालीन युवक–वर्ग में व्याप्त निराशा ही इस काव्यधारा की जननी है और इस निराशा को कतिपय विद्वानों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील युवक वर्ग की राजनीतिक क्षेत्र में असफलता का परिणाम स्वीकार किया है। वस्तुतः छायावाद के उदय के अनेक प्रासंगिक कारण होते हुए भी मूल कारण छायावादी कवियों की प्रतिभा में निहित वह शक्ति है जो अनुरूप वातावरण पाकर अनायास ही मुखरित हो उठी। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को दो रूपों में ग्रहण किया। उनके शब्दों में, ''छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका सम्बन्ध काव्यवस्तु से होता है अर्थात् जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है।''[7] किन्तु शुक्लजी ने दूसरे अर्थ को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्रदान की है। छायावादी काव्यधारा के प्राण–तत्त्व की ओर संकेत करते हुए डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि, "मानवीय दृष्टि के कवि की कल्पना अनुभूति और चिन्तन के भीतर से निकली हुई, वैयक्तिक अनुभूतियों के आवेग की स्वतः समुच्छित अभिव्यक्ति बिना किसी आभास के और बिना किसी प्रयत्न के स्वयं निकल पड़ा हुआ भावस्रोत–ही छायावाद कविता का प्राण तत्त्व है। छायावाद के सम्बन्ध में नन्ददुलारे वाजपेयी का अभिमत यह है कि यह मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है। ''आज हम जिसको छायावाद की कविता कहते हैं वह कोई क्या एक वस्तु है ? ऐसा तो नहीं है थोड़ी सी भावुकता, सांकेतिकता, रहस्य, दुरूहता, कोमलकान्त पदावली, प्रकृति प्रेम, उच्छृखलता अनेक वस्तुएँ सन्निहित है।''[8]

शान्तिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद को अत्यन्त व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए शुक्लजी की उसे शैली मात्र मानने की विचारधारा का खंडन किया है।[9] उनके अनुसार ''छायावाद केवल एक काव्यकला नहीं है। जहाँ तक साहित्यिक टैकनीक से उसका सम्बन्ध है, वहाँ तक वह कला है और जहाँ तक दार्शनिक अनुभूतियों से उसका सम्बन्ध है, वहाँ वह एक प्राण है, एक सत्य है। अतएव छायावाद काव्य की एक अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि इससे ऊपर एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है।''[10] छायावाद के सन्दर्भ में डॉ0 नगेन्द्र का कथन है, ''राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और समाज में सुधारवाद को दृढ़ नैतिकता असन्तोष और विद्रोह की इन भावनाओं को बहिर्मुखी अभिव्यक्ति का अवसर ही न देती थीं। निदान वे अन्तर्मुखी होकर धीरे–धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थीं और वहाँ से क्षतिपूर्ति के लिए छायाचित्रों की सृष्टि कर रही थीं। आशा के इन स्वप्नों और निराशा के इन छायाचित्रों की काव्यगत समष्टि ही छायावाद कहलाई।''[11] डॉ0 रामकुमार वर्मा ने छायावाद में दिव्य छाया का आधार स्वीकार किया है। उनका विचार है कि ''कवि को ज्ञात होता है कि संसार में परिव्याप्त एक महान और दैवी सत्ता का प्रतिबिम्ब जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ रहा है और उसी की छाया में जीवन का पोषण हो रहा है । इस संसार में उस दैवी सत्ता का दिग्दर्शन कराने के कारण ही इस प्रकार की कविता को छायावाद की संज्ञा दी गई।'[12]

वस्तुतः पूर्ववर्ती युग की प्रवाहमान चेतना की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न छायावाद एक भावात्मक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें विशिष्ट काव्यशैली के माध्यम से एक विशिष्ट सौन्दर्य–चेतना का उद्घाटन किया गया है। सूत्र रूप में इसे अन्तर्मुखी सौन्दर्य–चेतना का काव्य कहा जा सकता है 'अन्तर्मुखी सौन्दर्य–चेतना का काव्य' कहने से छायावाद की मूल प्रवृत्ति तथा उसके अभिव्यक्ति पक्ष के गौरव की सफल व्यंजना हो जाती है। यही अन्तर्मुखी सौन्दर्य–चेतना इस काव्य धारा का व्यावर्त्तक धर्म है।

छायावाद के आलोचकों तथा कवियों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं से छायावाद की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। इस वाद की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति सौन्दर्य–चेतना है और सौन्दर्य का मूलाधार है–नूतनता के प्रति सहृदयतापूर्ण आग्रह। क्षण–क्षण परिवर्तनशीलता सौन्दर्य का मुख्य लक्षण है, परिवर्तन गति का प्रतीक है और गति जीवन्तता की घोषणा करती है, जड़ता का सौन्दर्य से कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः सौन्दर्य–चेतना से नवीनता की व्यंजना स्वयं सिद्ध है। छायावाद में वेदना, पीड़ा, व्यथा एवं करूणा का चित्रण

इतना अधिक हुआ है कि यह छायावाद की एक पृथक प्रवृत्ति बन गई है। व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करने वाले इन कवियों ने निजी जीवन की निराशाओं एवं मार्मिकताओं का भी उद्‌घाटन किया। छायावाद की एक प्रवृत्ति पलायन की भावना है। प्रसाद जब ये कहते हैं 'ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे–धीरे, अथवा जब पन्त पुकार उठते हैं 'हमें जाना है जग के पार' और महादेवी 'तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या हैं' कहकर उस अनन्त प्रिय के प्रति जिज्ञासा भाव रखकर उस पार पहुँचने की कामना करती हैं तो इस भावना को आलोचक पलायनवाद की संज्ञा देते हैं। छायावाद की एक विशेषता चिन्तन–तत्त्व की प्रधानता रही हैं। चिन्तन अथवा अंतरंग मूल्यांकन की प्रवृत्ति छायावादी कवि में प्रारंभ से है जिसे पहले व्यक्तिवाद का नाम दिया गया। मानव के लिए रहस्यानुभूति की प्रवृत्ति सहज स्वाभाविक है। क्योंकि ''हमारी अन्तःशक्ति भी एक रहस्य से पूर्ण है और बाह्य जगत् का विकास–क्रम भी, अतः जीवन में ऐसे क्षण आते रहते हैं जिनमें हम इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते है। इस रहस्य का आभास या अनुभूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है।''[11]

भाव–जगत् के अनुरूप ही छायावाद का अभिव्यंजना पक्ष पर्याप्त समृद्ध है। इसके कलात्मक गौरव के कारण ही शुक्लजी ने छायावाद के दोनों अर्थों में से शैली–सूचक अर्थ को अधिक महत्त्व दिया है। इसकी काव्य शैली की श्लाघा करते हुए इन्होंने कहा है कि ''छायावाद की शाखा के भीतर धीरे–धीरे काव्यशैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना लाक्षणिक वैचित्र्य, मूत्ति प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद–विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संघटित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी।''भारत में दार्शनिक चिन्तन पर्याप्त समृद्ध रहा है। वैदिक मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए उपनिषदों में ब्रह्म, जीव और जगत् का स्वरूप, ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय आदि को सविस्तार वर्णन किया गया है। उपनिषदों में आत्मा–परमात्मा का सम्बन्ध अनेक प्रकार से निरूपित है। इस दृष्टि से श्वेताश्वेतरोपनिषद में व्यक्त शरीर रूपी पीपल के पेड़ पर हृदय रूपी नीड़ में बैठे आत्मा तथा परमात्मा रूपी पक्षियों का चित्र अत्यन्त मनोहर है। कठोपनिषद् में परमात्मा और जीवात्मा के मध्य धूप और छाया का सम्बन्ध प्रतिपादित किया गया है। आत्मा के सम्बन्ध में उपनिषदों का सार यह है कि वह नित्य, अजर, अमर तथा अविनाशी है। कठोपनिषत्कार के शब्दों में, ''जीवात्मा को रथ का स्वामी तथा शरीर को ही रथ समझो, बुद्धि को सारथी तथा मन को ही लगाम समझो। ज्ञानीजन इन्द्रियों को घोड़े तथा विषयों को उन घोड़े के विचरने का मार्ग कहते हैं और इन्द्रियों तथा मन से युक्त जीवात्मा ही भोक्ता है। शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। इस आत्म तत्त्व का ज्ञान अन्तः करण की परिशुद्धि के ही द्वारा होता है।''

सन्दर्भ :

1. सप्तपर्णा (अपनी बात) महादेवी वर्मा, पृ –11
2. पल्लव (प्रवेश) – सुमित्रानन्दन पंत, पृ.–27 .
3. काव्यकला तथा अन्य निबन्ध – जयशंकर प्रसाद, पृ.–124 .
4. वही, पृ.–126.
5. वही, पृ.–127 .
6. आधुनिक कवि, भाग – एक, पृ.–15.
7. हिन्दी साहित्य का इतिहास–रामचन्द्र शुक्ल, पृ.–669.
8. हिन्दी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ.–462–63.
9. जयशंकर प्रसाद, नन्द दुलारे वाजपेयी, पृ.–18.
10. प्रतिनिधि आलोचक –सम्पादक सुरेशचन्द्र गुप्त, पृ.–18.
11. आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ – डॉ. नगेन्द्र, पृ.–9.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 28-30

जाति व्यवस्था का समाजसंहिता और सामाजिक पिछड़ापन : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

कुमारी अनामिका रानी*
*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : जातियां हिन्दू–समाज रुपी भवन की इमारती इटें है। सामाजिक इतिहासकारों द्वारा जाति प्रथा पर सभी प्रकार के गुण और दोष के आरोप लगाए गए है। परन्तु इस विवाद में हम पड़ना नही चाहते। हमारा यह मुख्यता उस आचरण से सम्बद्व है जिसके द्वारा जाति ने हिन्दू समाज की सामाजिक चेतना को अनेक वर्गों में बांट कर टुकड़े–टुकड़े कर डाला और इसे क्रम परम्परा का रुप दिया। समकालीन भारतीय दर्शनशास्त्र में शामिल ''उपनिषदों की तत्वमीमांसा और गीता के नीति परक विषयों को जाति की निरंकुशता ने केवल शब्दों तक ही सीमित का दिया था। भारत में एक ऐसी सामाजिक प्रथा विकसित की गई जिसने सदियों तक के लिए पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपने बच्चों 'को एक दूसरे से अलग करके उन्हें उक्त प्रथा में जकड़ दिया''। यह भी उल्लखनीय है कि विभाजन की इस प्रकिया में जातियां कहलाने वाले वर्गों को, केवल जन्म के आधार पर उच्च या निम्न स्थान स्थायी रुप से प्रदान किया गया था। इस विधि के अनुसार जातियों को वर्गीकृत करने का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इस प्रथा में निहित स्वार्थो का जड़े गहरी हो गई तथा उच्च जातियां सामाजिक संगठनों के संस्थागत ढांचे के जरिए निम्न जतियों का शोषण करने लगी।

मुख्य शब्दः सामाजिक पिछड़ापन, जाति व्यवस्था, जातियां, भेदभाव, हिन्दू समाज आदि।

भूमिका : बाल्मीकि रामायण में एक शूद्र शम्बूक की प्रसिद्व कहानी आती है, जिसने उतराखंड के वनों में किसी वृक्ष पर अपने पैरों के बल उल्टा लटक कर 12 वर्षों तक गहन तपस्या की थी। एक ब्राह्मण लड़के की मृत्यु पर जिसका पिता अभी जिवित था, उसके कुछ रिश्तेदारों नें राम से शिकायत की कि उसे आघात इसलिये लगा है, क्योकिं शम्बूक ने जो शूद्र है, तपस्या करके धर्मविरोधी कार्य किया था। राम उत्तराखंड वनों मे गए और इस आरोप की सत्यता का पता लगाने के बाद शम्बूक का इस दुस्साहस के लिये, सिर काट दिया। इसी प्रकार महाभारत में, एक भील लड़के एकलव्य की कहानी दी गई हैं, जो धर्नुविधा सीखने के लियें द्रोणाचार्य के पास गया था। गुरू ने उसे शिष्य बनाने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि यह विद्या केवल क्षत्रियों को ही सिखाई जा सकती थी। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, कौरवों और पाँडवों के साथ धर्नुविधा के अभ्यास के लिए वनों में गए। दल के साथ–साथ चलने वाला एक कुत्ता जब भोंकने लगा तो एक तीर उसके मूख में आकर लगा। स्पष्टतया, धनुर्धारी, छुपकर बैठा हुआ था और कुते के भौकने की दिशा को ही लक्ष्य बनाकर उसने तीर छोड़ा था। उसने धर्नुविधा द्रोणाचार्य की मूर्ति से सीखी थी जिसे उसने जंगल में खड़ा कर रखा था। द्रोणाचार्य नें गुरू दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अगूठा मागा। एकलव्य ने फौरन अपने गुरू की ईच्छा को पूरा किया, यद्यपि वह अपने अंगूठे कटें हाथ से फिर कभी तीर नहीं चला सकता था।

समकालीन भारतीय दर्शनशास्त्र में शामिल उपनिषदों की तत्वमीमांसा और गीता के नीति परक विषयों को जाति की निरंकुशता ने केवल शब्दों तक ही सीमित कर दिया था। इस प्रकार भारत में एक ऐसी सामाजिक प्रथा विकसित की गई जिसने सदियों तक के लिए पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें उक्त प्रथा में जकड़ दिया। सामाजिक समस्याओं पर अपने विश्लेषण में अम्बेडकर ने जातिप्रथा को मूर्खतापूर्ण और अत्याचार करने वाली व्यवस्था बताया और उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की।[1] उन्होंने ब्राह्मणवाद के सिद्धांतो की व्याख्या इस प्रकार की :–

1.विभिन्न जातियों के बीच ऊँच–नीच, 2.शुद्रो और अछूतो का पूर्ण तिरस्कार, 3.शुद्रो और अछूतों को शिक्षा में पूर्णतः वंचित रखना, 4.शुद्र और अछूतो पर सत्ता और अधिकार के पद प्राप्त करने पर प्रतिबंध, 5.इन दोनों वर्गो पर संपति संचय का प्रतिबंध, 6.स्त्रियों की दासता और उत्पीड़न। उनके विचार से असमानता ब्राह्मणवाद का मान्य सिद्धांत है। उन्होने कहा कि किसी भी अन्य समाज में ऐसा दर्शन तैयार करने पर मगजपच्ची नहीं की गई कि अशिक्षित ग्रामवासियों को भुलावे और गरीबी में रखने की स्थायी परंपरा चला दी गई हो जैसी ब्राह्मणवाद ने चलाई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : भारत में जाति प्रथा की देवी उत्पति की धारणा को, हिन्दुओ के पवित्र धार्मिक ग्रन्थों की अधिकारिता प्राप्त है। ऋग्वेद में पुरूष सूक्त के पैरों से चार वर्णो की उत्पति का उल्लेख है। तैतरिय संहिता में न केवल सृष्टिकर्ता के पैरों से चतुर्थ वर्णो की उत्पति होने का उल्लेख किया गया है बल्कि ईश्वर मीमांसा द्वारा इसकी देवी उत्पति की व्याख्या भी की गई है और उनके कार्यो और स्थितियों के संबंध मे देवी औचित्य भी ठहराया गया है।[2] सभी हिन्दू धर्मशास्त्रों में जाति को स्वीकार किया गया है। सभी पुराण जाति के अस्तित्व को मानते है और समाज की स्थायी व्यवस्था के रूप में इसे देखते है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे क्रम करता है तो वह उच्च जाति में जन्म लेगा और सम्पन्न बनेगा किन्तु यदि वह बुरे कर्म करता है तो वह निम्न जाति या पशु बनेगा अर्थात सुअर या गधे के रूप में जन्म लेगा।[3]

हिन्दू समाज के चार वर्णो में विभाजन की आधारशिला ब्राहार्णो की शास्त्र सम्मतता है, जिस पर विस्तृत जाति ढ़ाँचा खड़ा हुआ है। इस प्रथा का एक अनिवार्य लक्षण ''विशुद्वता और अपवित्रता की धारणा'' है। हिन्दूस्तान मुल्क में जातियों को पांच श्रेणियों

में बांटा जा सकता है, पहली, द्विज जातियों, दूसरी, वे जातियां जिनके हाथों द्विज ''पक्का'' भोजन लें सकते है, तीसरी, वे जातियां जिनके हाथों बना किसी प्रकार का भोजन तो स्वीकार नहीं कर सकते है, किन्तु उसके हाथ से जल लें सकते है, चौथे, वे जातियां जो अभी तक अछूत बनी है, किन्तु उनके हाथ का जल द्विजो द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्त में वे सभी जातियां आती है जिनके छूने से न केवल दिन ही भ्रष्ट हो जाते है अपितु कोई भी सनातनी भ्रष्ट हो जाता है'' ।[4]

सजाओं का देना और करो का लगाना भी किसी व्यक्ति की जाति पर निर्भर करता था। ''एक ब्राह्मण स्वयं तथा सम्पति की दष्टि से विल्कुल अदूषित माने जाते थे। कौटिल्य भिन्न–भिन्न जातियें कें अनुसार ऋणें पर ब्याज को भिन्न–भिन्न दरें निर्धारित करते है। एक ब्राह्मण पर दो प्रतिशत ब्याज लगाया गया है, क्षत्रिय पर 3 प्रतिशत, वैश्य पर 4 प्रतिशत, और शूद्र पर 5 प्रतिशत। संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है, ब्राह्मण उसे पाने का हकदार हे। वास्तव में सारा संसार उसकी सम्पति है और अन्य उस की दया पर जीवित है''। महाभारत में कहा गया है कि ''शूद्र कोई वास्तविक संपति नही रख सकता है क्योकि उसकी संपति उसके स्वामी की इच्छा पर अपनी बनाई जा सकती है'' ।[5]

मुकदमें के संबंध मेंः किसी ब्राह्मण और एक गैर–ब्राह्मण के बीच स्थानीय विवाद में साक्षी को पहले (ब्राह्मण) की तरफदारी करनी चाहिये। ''सतपथ ब्राह्मण'' के अनुसार केवल एक ब्राह्मण का वध ही वास्तविक वध है, जबकि यजुर्वेद में किसी अन्य व्यक्ति के वध की अपेक्षा इसे अत्यंत घृणित अपराध माना गया है। दूसरी तरफ मनु कहते है कि कोई राजा किसी ब्राह्मण को कभी सजा नहीं देगा चाहे सभी संभव अपराधों के लिए उसे दोषी पाया जाए लेकिन बिना कोई शारीरिकयातना दिए उसकी सुरक्षित सम्पति सहित उसे देश निकाला दे सकता है किसी ब्राह्मण की हत्या अथवा नृपहत्या से बढ़कर पृथ्वी पर कोई बड़ा अपराध नहीं है, इसलिए उसे कभी पुजारी को मारने का विचार अपने मन में नही लाना चाहिये।

आधुनिक युग में सामाजिक पिछड़ापन : जाति प्रथा की वास्तविक विजय ब्राह्मणों की पराकाष्ठा को बनाए रखने में निहित नही है, बल्कि कर्मकाण्डी परम्परा में निम्न जातियों द्वारा अपनी निकृष्ट स्थिति स्वीकार करने के निए बाध्य करने में है। भारत में जाति प्रथा 3000 वर्षो से अधिक समय से बनी हुई है जो आज भी इसके जल्दी समाप्त होने के कोई आसार नजर नही आते। ब्राह्मणों द्वारा जाति प्रथा धर्मग्रन्थों, पुराणों तथा कर्मकाण्डों के माध्यम से बताई गई एक बहुत ही जटिल तथा दृढ़ योजना है, जिसकी नैतिकता को प्रबल समाज सुधारकों द्वारा शायद ही कभी चूनौती दी गई हो। हम कुछ प्रसिद्व उदाहरणों द्वारा हम यह दिखाने का प्रयास करेगे कि धर्म तथा पुराण का उपयोग करके किस प्रकार से इस जादू जाल का ताना–बाना बुना गया था।

मराठा देश में एक महार–अछूतों में से एक सड़क पर नहीं थूकेगा, क्योकि यदि किसी सवर्ण हिन्दू के पाँव इससे छू जाएंगे तो वह अपवित्र हो जायगा, लेकिन उसे चाहिए कि वह अपने गले में लटकता हुआ एक मिट्टी का बर्तन रखे जिसमें वह थूके। इसके अलावा, अपने पैरो के निशानों को मिटाने के लिए अपने पास एक काटेदार डाली रखे और यदि कोई ब्राह्मण नजदीक से गूजरे तो कुछ दूरी पर लेट जाए ताकि उसकी गन्दी परछाई से पवित्र ब्राह्मण भ्रष्ट न हो जाए।[6]

केवल देखने से ही अपवित्र हो जाने के उदाहरण के तौर पर तारीख 24.12.1932 के ''हिन्दु'' से निम्नलिखित लेख का उदाहरण एक समाजशास्त्री ने दिया है। इस जिले (तिन्नोयतो) में न देखे जाने वाली एक जाति है जो पुरादा बन्नान कहलाती है। उन्हें दिन के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि उनका दिखाई देना अपवित्रता समझी जाती है। इन लोगों में से कुछ को जो अन्य बाहरी जातियों के कपड़े रात्रि से पौ फटने तक धोते है, साक्षात्कार के लिए घर से बाहर निकालने हेतू राजी करने में कठिनाई पेश आईं'' ।[7] इस बात का, कि जाति पर आधारित भेदभाव को कितना बढ़ावा दिया गया था व्यवहार में लाया गया था, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि परिधान के मामले तक में निम्न जातियों को उच्च जातियों का अनुकरण करने की मनाही थी। ''मालाबार और पूर्वी तट के ताड़ी बेचने वालों, इझावा और शाहनारा के छतरियो का प्रयोग करने, जूते पहनने या सोने के गहने पहनने, गायों को दूहने और यहाँ तक कि देश की आम भाषाबोलने तक की अनुमति नहीं थी'' ।[8] मैसूर राज्य में, कुछ निम्न जातियों की औरतों की अपने वक्षस्थलो की ढ़कने की अनुमति नही थी। इसी बात की लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ और जिसने बाद में जन आंदोलन का रूप ले लिया और अन्ततः मैसूर के महाराजा को शाही घोषणा जारी करनी पड़ी, जिसमें दुःखी जातियों के जैरूट पहनने या अपने वक्षस्थलो की जिस प्रकार वे चाहे ढ़कने की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्हे उच्च जातियों के पहनावे और बाल बनाने के ढंग का अनुकरण करने की अनुमति नही थी।[9]

ब्रिटिश राज्य में भी नाई जैसा व्यक्ति भी अछूतो के बाल काटने में अपने को अपवित्र समझता था। बैसे नाई का दर्जा महापतित शूद्रो में है। संस्कृत साहित्य में उसे मनुष्याणां पापितो धूर्तः अर्थात् मनुष्यों में नाई को धूर्त–ठग, कपटी, धोखेबाज कहा गया है। वह स्वयं अपमानित, तिरस्कृत और घृणित व्यक्ति है। फिर भी वह अपने आपको अछूत से उँचा समझता रहता है। यह वामणवाद की ही देन है।[10] हिन्दु धर्म में जातीय मान–सम्मान क्रमबद्ध होने के कारण हर जाति वाला एक दूसरे या पड़ोसी से अपने आपको ऊँच या नीच समझता रहा है और आज भी समझता है। इस ऊँच–नीच की धारण को बनाए रखने के लिए बामणवादी शासकों ने राजदंड का सहारा लिया। महाराष्ट्र के अछूत संत चोखा मेला का उदाहरण हमारे सामने है। मुगल शासनकाल में पंढ़रपुर के मंदिर में प्रवेश करने पर मुस्लिम न्यायाधिश ने उन्हें दौड़ती हुई बैलगाड़ी के पीछे बंधवाकर घसीट –घसीट कर मरवाया।[11] उक्त बातों से यह विदित होता कि एक शूद्र के वैयक्तिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधि पर उसकी निम्न जाति स्थिति के कारण किस प्रकार गंभीर प्रभाव पड़ा। ब्राह्मणों की पुश्तैनी श्रेष्ठता और शूद्रो की निम्न सामाजिक स्थिति प्रमाणित करने के लिए पुराणों तथा धर्मग्रथों का भी उल्लेख किया गया है। तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा है–पूजिये विप्रशीलगुण हीनानहि शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। बुद्ध ने सभी प्रकार की स्वतंत्रता अर्थात सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता की शिक्षा दी। उन्होंने समानता की शिक्षा दी, न केवल पुरूष और पुरूष के बीच बल्कि पुरूष और स्त्री के बीच भी। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में मानव जीवन के जितने विस्तृत पक्ष को समाहित किया है उतना शायद ही किसी अन्य धर्म उपदेशक ने

किया। उनका संबंध व्यक्ति को पृथ्वी पर उसके वर्तमान जीवन में ही दुःख से मुक्ति का मार्ग दिखाना है न कि मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में उसे मुक्ति दिलाने का आश्वासन देना है।[12]

निष्कर्ष : श्रमिक, किसान तथा दस्तकार आदि के रूप में शुद्र समाज का सामाजिक श्रम भारत की महान सभ्यता का प्राण–रूधिर था। फिर भी सामाजिक तौर पर उनके साथ जाति से बाहर जैसा बर्ताव किया जाता था, निजी सम्पति रखने का उन्हें कोई अधिकार नही था, करों का अधिक बोझ उन्हे वहन करना पड़ता था और समाज संहिता का थोड़ा सा भी उल्लंघन करने पर उन्हें भारी से भारी दंड दिया जाता था। चूंकि उनकी निम्न जाति स्थिति उनके जन्म से संबंधित थी इसलियें उन्होनें आशा रहित हो कर कठोर श्रम किया और कष्ट उठाया।

वास्तविकता यह है कि ब्रिटिश शासन काल में कानूनी नियमों के अधीन रहने के कारण इसे हमारे संविधान की आधारशिला बनाया गया जबकि वास्तविक व्यवहार में हमारा कानून अभी भी किसी की हैसियत को देखते हुए पर्याप्त छूट प्रदान करता है, जो प्राचीन समय से चले आ रहे ऐतिहासिक दुष्परिणाम का एक दिलचस्प उदाहरण है। वास्तव में, इस मत की तुलना पहले के हिन्दू समाज के कानून बोध से करना रूचिकर होगा जहां मनुष्य की योग्यता जाति परंपरा में उसकी स्थिति से प्रत्यक्षत सम्बद्व थी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए क्या यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि सामाजिक पिछड़ापन, परम्परागत भारतीय समाज में जाति स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम है।

सन्दर्भ :

1. भीमराव अंबेडकर, डब्ल्यू॰ एन॰ कुबेर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, 2013, पेज 85–86.
2. आधुनिक भारत में जाति– एम0 श्रीनिवास, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1964, पेज 105–108
3. भारत में जाति और वर्ग– डा0 बी0 एस0 मूरे, पापूलर बुक डिपों, बम्बई, 1965, पेज 43–56
4. हिन्दू सोसायटी एट क्रास रोड्स– श्री0 के0 एम0 पणिकर, एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई, 1960
5. भारत में दलित वर्ग का उत्थान और जागृति– जे0 आर0 काम्बले, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1979
6. एम0 एन0 श्रीनिवास, सोशल चेंज दन मार्डन इडिका, ओरियंटलैगमैन, नई दिल्ली, 1977, पेज115–126
7. भारत में दलित वर्ग का उत्थान और जागृति– जे0 आर0 काम्बले, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1979
8. जी0 एस0 धूरिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, बंबई, 1974, पेज145–186
9. सर जान बुडराफ, ''इज इंडिया सिविलाइज्ड, एशिया पब्लिशिंग, हाउस, बम्बई, 1967, पेज 246–248
10. शास्त्री, शंकरानन्द, डॉ. आंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाए, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पेज 35–38
11. वही. पेज 41
12. डॉ. आंबेडकर सामाजिक–आर्थिक विचार दर्षन, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, मोपाल, 2016 ,पेज 256.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 31-32

बाल–श्रम की समस्याएँ एवं उसके समाधान

डॉ0 जयकान्त कुमार*
*समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना,उ0प्र0

सारांश : बाल–श्रम एक सामाजिक कुप्रथा है जो किसी देष के आधार भूत संरचना को ही बर्बाद करने में सक्षम है। बालकों को किसी भी व्यवसाय प्रक्रिया में नियोजित करना, उससे किसी भी प्रकार का कार्य लेना ही बाल–श्रम है। इस में फँसे बालक का सर्वांगीण विकास अवरूद्ध हो जाता है और वे दमन और शोषण का षिकार बने रहते हैं और एक उन्नत, बौद्धिक नागरिक की प्राप्ति राष्ट्र को नहीं हो पाता है। जिसका असर देष की अर्थव्यवस्था उसकी प्रतिष्ठा में स्पष्ट देखा जा सकता है।

भारत में आज भी लाखों की संख्या में निर्धन बालकों केा औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों, दूकानों, धर्मशालाओं, होटलों तथा निजी घरों में मजदुरी पर काम करना पड़ता है। भारतीय संविधान में बालश्रम पर प्रतिबंध तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निः शुल्क षिक्षा की व्यवस्था संबंधी उपबंध है, लेकिन विगत वर्षों में बाल–श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती गयी है। वर्त्तमान समय में बाल–श्रमिकों की संख्या 2 करोड़ से भी अधिक बतायी जाती है। एक और जहाँ अधिकांष विकसित देषों में 15 वर्ष से कम के बालकों के लिए अनिवार्य षिक्षा की व्यवस्था है और बालश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है तो दूसरी और अनेक भारतीय बच्चों केा अपने तथा परिवार के भरण–पोषण के लिए श्रमिक के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। अगर वे निर्धनता के षिकार नहीं होते, तो वे भी षिक्षा और प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे होते और कठोर शारीरिक श्रम से बच पाते एवं अच्छी षिक्षा प्राप्त करके वे देष के सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। बालश्रम के लिए सरकार अभिभावक एवं उनकी निर्धनता जिम्मेवार है।

केन्द्र सरकार ने बालश्रम कानून 1986 के अंतर्गत 14 साल तक के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या सड़क किनारे होटलों और दूकानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाकर सराहनीय काम तो किया है। लेकिन यह नियम समाज पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। इस निषेधक कानून के बावजूद भी करोड़ों बच्चे विभिन्न व्यवसाय से जुड़े है। कामकाजी बालक तथा बालिकाओं का विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में वितरण स्पष्ट करता है कि 1981 के जनगणना के अनुसार 14 वर्ष तक के ग्रामीण बाल श्रमिकों में 91.6 प्रतिषत प्राथमिक क्षेत्र (काष्तकार, खेतीहर, मजदूर, पशुपालन, मछली मारने, षिकार, बागवानी तथा उद्यान कार्य) में, 5.5 प्रतिषत द्वितीय क्षेत्र (खदान और पत्थर निकासी विनिर्माण प्रोसेसिंग, सेवा तथा मरम्मत निर्माण) में और 2.9 प्रतिषत, तृतीयक क्षेत्र (वाणिज्य, यातायात, भंडारण, संचार तथा अन्य सेवाएँ) में काम करते थे, जबकि ग्रामीण बालिका श्रमिकों का अनुपात उक्त क्षेत्रों में क्रमषः 91.7, 6.6 तथा 1.7 प्रतिषत था। दूसरी और शहरी बाल श्रमिकों में 22 प्रतिषत प्राथामिक क्षेत्र में, 42.4 प्रतिषत द्वितीयक क्षेत्र में, 35.3 प्रतिषत तृतीय क्षेत्र में कार्यरत थे, जबकि शहरी बालिका श्रमिको का इन तीनो क्षेत्रों में प्रतिषत क्रमषः 30.3, 40.4 और 27. 9 था। इसके अलावा अनेक ऐसे खतरनाक या जोखिम भरे उद्योग/व्यवसाय है जिनमें काफी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। माचिस तथा आतिषबाजी 50,000 से 80,000 षिवकासी, तमिलनाडु पत्थर खदान 20,000 मरकापुर (आंध्र प्रदेष) केरल तथा मंदसौर (म०प्र०), अन्य खदान 28,000 (मेघालय), मत्स्य पालन 20,000 (केरल), बीड़ी उद्योग 3,27,500 सम्पूर्ण भारत में, ताला उद्योग 7,000 से 10,000 अलीगढ़ (उ०प्र०), कालीन उद्योग 1,00,000 से 1,50,000 उत्तर प्रदेष, जम्मू–कष्मीर, राजस्थान, कांच उद्योग 50,000 फिरोजाबाद (उ०प्र०), चीनी मिट्टी वर्त्तन उद्योग 50,000 खुर्जा (उ०प्र०), हैंडलूम (हस्त उद्योग) 28,268 जम्मू–कष्मीर, हस्त उद्योग 26,478 जम्मू–कष्मीर में बाल श्रमिक कार्यरत है। अधिकांष बाल श्रमिक अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से है। गरीबी, अषिक्षा और बालश्रम की परस्पर तुलना करने पर यह देखा गया है कि केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ साक्षरता दर अधिक है इसलिए वहाँ बाल श्रमिकों का प्रतिशत सबसे कम है। जबकि बिहार की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। महाराष्ट, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात जैसे विकसित राज्यों में भी बाल श्रमिकों का श्रम सहभागिता अनुपात काफी अधिक है। यानी किसी राज्य के सिर्फ विकसित हो जाने से ही यह नहीं माना जा सकता है कि वहाँ बाल श्रमिकों की समस्या नहीं होगी। बाल–श्रम का होना या न होना, इस बात पर निर्भर करता है कि श्रमिक कानूनों का कार्यान्वयन कितनी कड़ाई से किया जा रहा है।

सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जैसे–संविधान की धारा 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेघ किया गया है। इस धारा के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने अथवा खान में कार्य करने हेतु नियोजित नहीं किया जा सकता है। किसी बालक को अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाने का भी प्रतिबंध करता है। स्वतंत्रता के पूर्व बालश्रम को रोकने के लिए बाल अधिनियम 1933, बाल रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय फैक्ट्रीय अधिनियम 1940 लागू किए गये थे। ये अधिनियम आज भी लागू हैं। 1952 में पारित औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी बालश्रम का प्रतिषेध किया गया है। ये सभी अधिनियम बाल कल्याण की दृष्टि में रखकर बाल श्रमिकों की सेवाओं, कार्य दषा, सेवा की अवधि, पारिश्रमिक की दर इत्यादि को नियमित करते हैं। 1986 में बालश्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम को पारित कर परिसंकटमय उद्योगों में बाल मजदूर को नियुक्त करना एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया तथा इस अपराध के लिए नियोक्ता को 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम के अनुसार बीड़ी निर्माण, कालीन उद्योग, सीमेंट उत्पादन, माचिस एवं पटाखा उद्योग तथा निर्माण कार्य इत्यादि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से श्रम करवाना गैर कानूनी है।

बाल–श्रम अधिनियम, 1986 में सरकार ने संषोधन करके बालश्रम अधिनियम 2007 में 45 ऐसे व्यवसायों में किसी भी बाल श्रमिक को कार्य करवाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है और इसे अपराधिक मामलों के अन्तर्गत रखा गया है। सर्वोच्य न्यायालय ने इस याचिका पर निर्णय देते हुए देष के नौ उद्योगों को भी चिन्हित किया है। खंडपीठ ने इन उद्योगों को बेहद खतरनाक माना है और बच्चों को इन उद्योगों में नियोजित करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है खतरनाक माने गए उद्योगों के नाम इस प्रकार हैः–माचिस एवं पटाखा उद्योग (षिवकाषी, तमिलनाडु–एम०सी० मेहता द्वारा याचिका इसी उद्योग में काम कर रहे बालकों की और से दाखिल की गयी थी), जवाहरात पालिष उद्योग (जयपुर, राजस्थान), हीरा पालिष उद्योग (सूरत, गुजरात), शीषा उद्योग (फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेष) वर्त्तन उद्योग (मुरादाबाद, उत्तर प्रदेष), ताला उद्योग (अलीगढ़, उत्तर प्रदेष), कालीन उद्योग (मिर्जापुर एवं भदोही, उत्तर प्रदेष), स्लेट उद्योग (मंदसौर, मध्य प्रदेष) तथा स्लेट उद्योग (माराकपुर, आंध्र प्रदेष)। खंडपीठ ने गैर खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों के लिए भी निर्देष देते हुए कहा है कि गैर खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों के काम की अवधि 4 घंटे से अधिक नही होनी चाहिए तथा नियोक्ता को चाहिए, कि वह ऐसे बच्चों की षिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करे। खंडपीठ ने काम के बाद कम से कम दो घंटे षिक्षा की व्यवस्था नियोक्ता को करने का निर्देष दिया है।

सर्वोच्य न्यायालय के इस निर्णय के बाद केन्द्र सरकार द्वारा बाल कल्याण एवं पुर्नवास कोष का गठन किया गया है। इस निर्णय के परिपेक्ष्य में देष के कई उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा इस कोष में उनके द्वारा धन जमा भी कराया गया है। किन्तु इसमें भी पर्याप्त इच्छा शक्ति के अभाव एवं श्रम कार्यालयों के अधिकारियों की मिली भगत के कारण बड़े उद्योगों में बाल श्रमिकों से काम करवाए जाने की परंपरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

निष्कर्ष : बच्चे राष्ट्र के कर्णधार होते है इस वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है लेकिन आज की तारीख में हम देष ही क्यों विष्व की बाल शक्ति पर एक सिंहावलोकन करते हैं तो मन अनेकानेक चिंताओं एवं निराषाओं से भर उठता है, क्योंकि आज भी जब हम विकास के पैमाने और पुराने मानदंडो को तोड़ देने का दावा करते हैं। विष्व में बाल मजदूरी का सिलसिला बतौर जारी है। हम अपने आस–पास देखते है कि एक बच्चा ठिठुरती सर्दी में भी किसी चाय दुकान पर काम करता हुआ नजर आता है। अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भी हमारे देष में बाल श्रमिकों की यथास्थिति बनी हुई है। इसके पीछे कारण यह है कि समाज में निर्धनता पायी जाती है साथ ही अषिक्षा भी इसके लिए उत्तरदायी है। बालश्रम का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। माचिस एवं अतिषबाजी उद्योगों में लगे बाल श्रमिक पौटेषियम, क्लोरेट, फास्फोरस एवं जिंक ऑक्साइड जैसे विषैले एवं खतरनाक रसायणों के बीच काम करते हैं। बालश्रम में संलग्न बच्चों के सिर्फ स्वास्थ्य को ही हानि नहीं पहुँचती है बल्कि साथ ही साथ उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास को भी क्षति पहुँचती है। पिछले सौ वर्षो में बालश्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानूनों को लागू किया गया है। लेकिन स्वतंत्रता के 60 वर्षो के बाद भी बालश्रमिकों की स्थिति वैसी ही है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है।

सन्दर्भ :

1. अहुजा, राम, 2001 भारतीय सामाजिक समस्या जयपुर, रावत प्रकाषन
2. कालरी, सी०एल०– टैक्लिंग द प्रोब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेवर
3. शर्मा, सुभाष, 2001– भारत में बाल मजदूर
4. सिन्हा, इन्दिरा, 1997– श्रम एवं समाज कल्याण
5. चाइल्ड लेवर इन इण्डिया, दिल्ली, लेवर ब्यूरो, 1954
6. द माइन्स एक्ट, 1952 भारत सरकार
7. कुरूक्षेत्र–जनवरी, 1999
8. परिक्षा मंथन– 2005 अनिल अग्रवाल
9. योजना– दिसम्बर 2001
10. भारत का संविधान और संवैधानिक विधि– सुभाष काष्यप
11. भारत का संविधान– एक परिचयः आचार्य डॉ० दुर्गा दास बसु
12. भारतीय राजव्यवस्थाः प्रतियोगिता दर्पण (अतिरिक्तांक)

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 33-34

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं का योगदान

डॉ0 ओम प्रकाश सिंह*
*सहायक प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, राधिका महाविद्यालय, करवल मझगांवा, गगहा, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास महिलाओं के साहस, संघर्ष तथा बलिदान की घटनाओं से भरा हुआ है। जब भी पुरुष वर्ग जेल जाता था तब स्वतंत्रता संघर्ष की बागडोर महिलाएँ सम्भाल लेती थी। स्वतंत्रता आन्दोलन तब तीव्र था जब महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी0 राजगोपालचारी, गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आजाद, सुभाषचन्द्र बोस तथा जवाहर लाल नेहरू जैसे नेता सक्रिय संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इन नामों से यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्रता आन्दोलन में केवल पुरुष ही आगे थे। महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

भारत के स्वतंत्रत आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता लगभगा 1817 में ही प्रारम्भ हो गयी थी। 1824 में किट्टूर की रानी चेनम्मा ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सशस्त्र संघर्ष किया था। रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष ने वर्तमान महिला पीढ़ी को प्रेरणा दी है। झाँसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उनकी हत्या कर दिये जाने के बाद झाँसी को अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया, जिसके विरूद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। पुरुष के वेश में दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई। ब्रिटिश लेखकों ने भी रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा की है। उनके साहसपूर्ण बलिदान से अनेक महिलाओं को अंग्रेज के विरूद्ध लड़ने की प्रेरणा मिली।

बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। लखनऊ में अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जब उनके पति को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया, तब अवध का शासन स्वयं उन्होंने चलाया। 1857 के विद्राह में नाना साहेब से मिलकर बेगम हजरत महल में अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभायी। कस्तूरबा गांधी ने भारत छोड़ों आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। चम्पारन में इंडिगों कर्मचारियों के समर्थन में तथा गुजरात के कैरा में कर का भुगतान नहीं करने के संघर्ष में उन्होंने गांधी जी की सहायता की। 1939 में राजकोट सत्याग्रह में भाग लेने तथा शराब एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में वे दो बार जेल गयी। वह गांधी जी की पत्नी थी और अत्यन्त धार्मिक महिला थीं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजनी नायडू गोखले से बहुत प्रभावित थी वह 1906 में गोखले से मिली 1917 से 1919 के बीच नायडू का सर्वाधिक सक्रिय काल रहा। इस काल में उन्होंने माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों, रौलेट एक्ट तथा सत्याग्रह आदि मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभायी। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भी उनकी प्रभावी भूमिका थी। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद सरोजनी नायडू ने दो हजार स्वयं सेवकों को तैयार करके है हरसाना नमक कारखाने पर आक्रमण किया। एक अंग्रेज अफसर जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा तो नायडू ने उसका हाथ पकड़ लिया, वे गांधी जी के साथ इंग्लैण्ड भी गयी, जहाँ बुद्धिजीवियों के बीच बोलते हुए उन्होंने जमकर अंग्रेजी हुकूमत की निन्दा की। सरोजनी नायडू की सुपुत्री पद्मजा नायडू भी सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थी। 21 वर्ष की उम्र में ही वे स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय हो गयी। उन्होंने खादी का संदेश जन–जन तक फैलाया। 1942 के भारत छोड़ों आन्दोलन के दौरान वह जेल भी गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी। पद्मता नायडू रेडक्रास से भी जुड़ी थी।

हरियाणा के कालका में जन्मी अरूणा आसिफ अली का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इलाहाबाद में कांग्रेस दल के नेता आसिफ अली से 1928 में उनका विवाह हुआ, धर्म अलग होने के कारण परिवार में उनका बहुत विरोध हुआ। विवाह के बाद वे भी कांग्रेस दल की सक्रिय सदस्य बन गयी और गांधी जी के नमक आन्दोलन में भाग लेते हुये गिरफ्तार हुई। 1964 में अरूणा आसिफ अली को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुरस्कार दिया गया। 1997 में उन्हें मरणोंपरान्त भारत का सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान किया गया।

जवाहर लाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय निभायी। 1921 में असहयोग आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। इलाहाबाद में उन्होंने विदेशी शराब और विदेशी कपड़ों के विरूद्ध प्रदर्शन किये। यूनाइटेड प्रान्त में सरकार को टैक्स नहीं देने के प्रदर्शनों में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1930 में उन्होंने अपनी 'बानर सेना' बनायी। यह बच्चों की सेना थी, जो स्वतंत्रता आन्दोलनकारियों की सहायता करती थी। जवाहर लालन नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू से प्रभावित थी। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें एक साल की कठोर कारावास की सजा हुई। वह 1940, 1941 तथा 1942 में तीन बार गिरफ्तार हुई। विजय लक्ष्मी पंडित 1936 तथा 1946 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य बनी। वह 1962 से 1964 तक महाराष्ट्र की राज्यपाल रहीं तथा 1964 से 1968 तक फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई।

आचार्य कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। 1946 में वह भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। अरूणा आसिफ अली तथा उषा मेहता की तरह उन्होंने भी 1942 में भारत छोड़ों आन्दोलन में भाग लिया। 15 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के पहले स्वतंत्र अधिवेशन में उन्होंने वन्देमातरम् गीत गाया। उन्होंने लंदन में 1902 में अंग्रेजी नीति का कड़ा विरोध किया। 1914 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनीं। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। एनी बेसेन्ट ने ब्रिटेन में महिलाओं के समान अधिकार के लिये संघर्ष और आन्दोलन किये। मीरा बेन तथा सरला बेन

गांधी जी दो ब्रिटिश पुत्रियों कहलाती थीं। इन दोनों ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसमें ब्रिटिश शासन इन दोनों से अप्रसन्न रहता था। मीरा बेन ने गांधी जी के साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

जर्मन महिला मैडम कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय झंडे को साड़ी पहनकर फहराया था। विवेकानन्द तथा हिन्दू दर्शन से प्रभावित आयरलैण्ड में जन्मी बहन निवेदता भारत आयीं। उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भारत का समर्थन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें लोक माता तथा श्री अरविन्द घोष उन्हें अग्नि शिखा कहते थे। बहन निवेदिता ने भारत में अपना जीवन सभी जातियो की महिलाओं के उत्थान में लगाया। मैरिस अल्फासा श्री अरविन्द घोष की आध्यात्मिक शिष्या थी। उनका जन्म पेरिस में हुआ था। 1914 में वे पांडीचेरी आयी। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान वह जापान चली गयी जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई। 1920 में पुनः पांडिचेरी आकर उन्होंने लोककल्याण के लिए एक आश्रम की स्थापना की। स्वस्थ समाज के निर्माण लिए स्त्री उत्थान को जरूरी माना गया। कृष्ण कुमार लिखते है, कि स्त्री की केवल स्त्री होने के नाते स्वीकृति हमारी परम्परा में एक अमूर्त या सैद्धान्तिक अर्थ में भले ही रही हो। समाज में मूर्त सम्बन्धों ने ऐसी स्वीकृति के सबूत दुर्लभ रहे है और आज तक दुर्लभ है।

गांधी जी का मानना था कि सत्य, अहिंसा, पर आधारित आन्दोलन महिलाओं के भागीदारी के बिना सफल हो सका। क्योंकि उनमें से सहिष्णुता, त्याग, प्रेम, करूणा अधिक होता है। मद्रास की रामास्वामी पेरियार ने महिलाओं के समर्थन में मंगलसूत्र को स्त्री की दासता की प्रतीक माना। पेरियार ने यह भी कहा कि स्त्री–पुरुष दोनों को गृहस्थी के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। महिला स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए ताराबाई शिन्दे ने कहा कि घर स्त्री के लिए बन्दशिला है। महाराष्ट्र की प्रगतिशील विचारों की महिला डॉ0 रखमाबाई ने अपने विवाह को मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनके पति से बौद्धिक मेल नहीं था। न्यायालय ने जब उन्हें अपने पति के साथ रहने का आदेश दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में कहीं पर भी कमतर नहीं आका जा सकता, चाहे दाण्डी यात्रा के दौरान गांधी जी ने महिलाओं से साबरमती आश्रम को देखभाल करने को कहा तो महिलाओं ने इसका विरोध किया और दाण्डी यात्रा में शामिल होने की इच्छा प्रकट किया। इसी तरह 1942 के भारत छोड़ों आन्दोलन में महिलाओं ने बढ़चढ़ कर अपना योगदान दिया। जिसमें प्रमुख रूप अरूणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, श्रीमती कैलाशवती शुक्ला, अजीजन बाई, सरोजनी नायडू ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल में 1942 में आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जापानी हमलों के समय स्त्रियों की रक्षा के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किये गये। अनेक समितियाँ बनाई गई। बाद में असहाय स्त्रियों को हस्तशील्प आदि के द्वारा रोजगार के काम सिखाने के लिए उद्देश्य से नारी सेवा संघ बनाया। इन नारी सेवा संघ और समितियों के गठन में महिला आन्दोलनों की पृष्ठभूमि आजादी के आन्दोलन के दौरान तैयार हो रही थी। इस प्रकार देश की आजादी में पुरुषों का साथ–साथ महिलाओं का भी बराबर योगदान रहा है। कहीं से भी उनकी भूमिका को कमतर नहीं आका जा सकता है। महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका काफी सराहनीय रही। देश की आजादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सन्दर्भ :

1. रौम्यां रोलां : विवेकानन्द की जीवनी, अद्वैत आश्रम, मायावती, चम्पावत, हिमालय, चतुर्थ संस्करण, 2004, पृ0 84–85
2. वी0पी0 वर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, पृ0 96–97
3. डॉ0 वीरेन्द्र शर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार धाराएं श्री पब्लिशंग हाउस, नई दिल्ली, 1994, पृ0 32
4. स्वामी विदेहात्मानन्द (सम्पादित) स्वामी विवेकानन्द और उनका अवदान अद्वैत आश्रम, मायावती, चम्पावत हिमालय, प्रथम संस्करण 2002, पृ0 118
5. स्वामी ब्रह्मस्थानंद, भारतीय व्याख्यान, पृ0 50
6. डॉ0 टी0 एम0 पी0 महादेवन स्वामी जी का वैदान्तिक राष्ट्रवाद स्वामी विदेहात्मानन्द (सम्पा0) स्वामी विवेकानन्द और उनका अवदान, पृ0 378
7. स्वामी मुमुक्षानन्द : विवेकानन्द साहित्य द्वितीय खण्ड, पृ0 155
8. सिस्टर निवेदिता : दी मास्टर एज आई सॉ हिम उद्बोधन कलकत्ता, 1939, पृ0 49–50
9. स्वामी मुमुक्षानन्द विवेकानन्द साहित्य प्रथम खण्ड, पृ0 4
10. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, 1993, पृ0 591

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 35-36

बौद्ध धर्म में वृक्ष पूजा

डॉ0 चन्दन विश्वकर्मा*

*(प्रवक्ता) प्राचीन इतिहास, हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय, राजपुर गगहा, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन बौद्ध धर्म में वृक्ष पूजा को रेखांकित करता है। बौद्ध साहित्य में विशेषकर जातक कथाओं में रूक्ख देवताओं (वृक्ष देवताओं) के विविध उल्लेख मिलते है। रूक्खधम्म जातक संख्या–74 में कहा गया है कि बोधिसत्व एक बार रूक्खदेवता के रूप में उत्पन्न हुए तथा वे रूक्खदेवताओं के राजा के रूप में चुने गये थे। रूक्खदेवताओं की पूजा का विधान था। वे अपने भक्तों को मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दर्शन भी दिया करते थे। ऐसी मान्यता थी कि गया में अश्वत्थ के नीचे तपस्या में लीन गौतम की सुजाता की दासी ने वृक्ष देवता ही समझा था और उसी के कहने से सुजाता खीर बनाकर वृक्ष देवता की पूजा करने आई थी। ध्यातब्य है कि इन्हीं वृक्ष देवता की पूजा करने एवं मनौती मानने से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में भी सन्तान की इच्छा करने वाली नारियों द्वारा वृक्ष देवताओं की पूजा करने का वर्णन पाया गया है। मनु तथा याज्ञवल्क्य दोनों ने स्नातक मार्ग में पड़ने वाले अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा करने को कहा है। यह शोध पत्र ऐतिहासिक शोध प्रणाली पर आधारित है। यह अध्ययन विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देता हैं।

मुख्य शब्द : महापरिनिर्वाण, बौद्ध साहित्य, बोधिवृक्ष, जातक कथाओं आदि।

भारतीय वांगंमय में वृक्षों की बड़ी महत्ता स्थापित की गई है और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद (9/5/10) में सहस्र शाखाओं वाले वनस्पति को अपनी मधुमयी धारा से सींच देने के लिए सोम से प्रार्थना की गई है श्वेता वेतर उपनिषद (3/9) में वृक्ष को विश्व–पुरूष का उपमान कहा गया है। ''वृक्ष इव स्तब्धों दिवि तिष्ठत्येकः'' भगवदगीता (15/1) में विश्व को ही अश्वत्थ कहा गया है– ''उर्ध्वमूलममथः शाखमवत्थ प्राहुरव्ययम्।'' वैदिक संहिताओं में औषधियों को मां तथा देवी कहकर उनकी वन्दना की गई है।[1] अर्थववेद की परिशिष्ट 71 में बड़े सघन वृक्षों को देवता कहा गया है जो मानव–प्रजनन में सहायक थे।[2] उन पर देवताओं के निवास करने का विश्वास किया जाता था।[3] देवताओं के रूप में ही इन वृक्षों की पूजा की जाती थी। जातक कथाओं से विदित होता है कि वृक्षों की शाखाओं पर मालाएं लटकाई जाती थी, उन पर पवित्र जल चढ़ाया जाता था, उनके चतुर्दिक दीप जलाएं जाते थे तथा उनकी परिक्रमा की जाती थी।[4] महाभारत (1/13/25) में पत्तों से सघन और फलों से लदे ग्राम के अकेले वृक्ष को भी पूजने योग्य चैत्य कहा गया है।

''एको वृक्षों हि यो ग्रामे भवेत् पर्णकलान्वित।
चैत्यों भवति निर्ज्ञातिर्चनीयः सुपूजितः।।''[5]

ऐसे ही पवित्र वृक्षों के उल्लेख रामायण (8/39/4) में भी पाये गऐ है। बौद्ध साहित्य में विशेषकर जातक कथाओं में रूक्ख देवताओं (वृक्ष देवताओं) के विविध उल्लेख मिलते है। रूक्खधम्म जातक संख्या–74 में कहा गया है कि बोधिसत्व एक बार रूक्खदेवता के रूप में उत्पन्न हुए तथा वे रूक्खदेवताओं के राजा के रूप में चुने गये थे। रूक्खदेवताओं की पूजा का विधान था। वे अपने भक्तों को मनुष्य के रूप में प्रकट होकर दर्शन भी दिया करते थे। ऐसी मान्यता थी। गया में अश्वत्थ के नीचे तपस्या में लीन गौतम की सुजाता की दासी ने वृक्ष देवता ही समझा था और उसी के कहने से सुजाता खीर बनाकर वृक्ष देवता की पूजा करने आई थी। ध्यातब्य है कि इन्हीं वृक्ष देवता की पूजा करने एवं मनौती मानने से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में भी सन्तान की इच्छा करने वाली नारियों द्वारा वृक्ष देवताओं की पूजा करने का वर्णन पाया गया है। मनु तथा याज्ञवल्क्य दोनों ने स्नातक मार्ग में पड़ने वाले अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा करने को कहा है।[6]

भारत में जिन वृक्षों को पवित्र और संपूज्य मानकर उन्हें धार्मिक स्वरूप प्रदान किया गया था उसमें अश्वत्थ या पीपल सर्वोपरि है। ज्ञान वृक्ष अथवा बोधिवृक्ष कि रूप में पीपल का भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से महत्व रहा है। सिद्धार्थ ने बोधगया में अश्वत्थ के नीचे ही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तभी बौद्ध साहित्य में उसे बोधिवृक्ष की संज्ञा मिली। बौद्ध कला में बोधिवृक्ष के अनेक अंकन सांची, भरहुत, बोधगया, मथुरा, अमरावती तथा नागार्जुनीकोण्ड के उत्कीर्ण शिल्प में देखे जा सकते है। जहाँ उन्हें प्रायः चौकोर वेदिकाओं से घेर दिया गया है। मालाओं और छत्रों से सजाया गया है, नर–नारियों के द्वारा हाथ जोड़कर उनकी पूजा की जा रही है और मालाधारी सपक्ष विद्याधरों और किन्नर उनके पार्श्वों में आकाश में मंडरा रहे है। सांची तथा अमरावती शिल्प के इन दृश्यों को ही देखकर फर्ग्यूसन ने उन्हें वृक्ष पूजा का आकलन माना था।

सांची तथा भरहुत में न केवल गौतम बुद्ध वरन् उनक पहले के अन्य बुद्धों के बोधिवृक्षों का भी अंकन पाया गया है। बौद्ध मान्यता के अनुसार अलग–अलग बुद्धों का अलग–अलग वृक्षों के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, जैसे गौतम को अश्वत्थ अथवा पीपल के नीचे क्रकुच्छन्द को सीरीश के नीचे, कनकमुनी को उदुम्बर के नीचे, कश्यप को न्यग्रोथ के नीचे, शिखिन को पुण्डरिक के नीचे, विपश्यिन को पाटालि के नीचे और विश्वभू को शाल के नीचे। सांची के विशाल स्तूप के उत्तरी तोरण के बीच की बड़ेरी के अग्रभाग पर तथा पूर्वी तोरण के ऊपरी बड़ेरी के पृष्ठ भाग पर उपर्युक्त सातों बुद्धों का अंकन उनके बोधिवृक्षों के माध्यम से किया गया। क्योंकि हीनयान विचारधारा के अनुसार बुद्ध अथवा बोधिसत्वों को माव के रूप में अंकित करना और पूजन वर्जित था। इसलिए उन्हें विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अंकित किया गया। प्रायः वृक्ष बुद्ध की सम्बोधि (बुद्धत्व की प्राप्ति) का, चक्र उनके

धर्मचक्र प्रवर्तन (प्रथम उपदेश) का और स्तूप उनरके महापरिनिर्वाण (महाप्रयाण) का प्रतीक मान लिया गया था। त्रिरत्न, आसन, छत्र तथा पद्चिन्ह भी बुद्ध की उपस्थिति के लिए अभिप्रेरित थे।

श्री वृक्ष को सर्वोत्तम उदाहरण हमें बेसनगर वैश्यनगर या विदिशा से एक स्तम्भ शीर्ष के रूप में प्राप्त होता है जो कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय के प्रवेशकक्ष में प्रदर्शित है। लगभग तीसरी शती ई0पूं0 के इस स्तम्भ शीर्ष के एक वटवृक्ष के रूप में उत्कीर्ण किया गया है जिसके चारों ओर चौकोर वेदिका है। वृक्ष के नीचे दो बड़े–बड़े वोरे या थैले झूलते हुए दिखाई दे रहे है जिनमें सम्भवतः रत्न और मणियां भरी होंगी। इन दोनो के बीच में कर्षापण (चांदी के सिक्के) से भरा एक घट भी लटक रहा हैं वृक्ष के नीचे मणियां उगलती एक और शंकखनिधि तथा दूसरी ओर पद्मनिधि के अंकन है। चौड़े और घने पत्ते वाली शाखाओं प्रशाखाओं से लटकते आभूषण भी द्रष्टव्य है। धनधान्य, शंख, पद्मनिधियों के कारण इस स्तम्भ शीर्ष की पहचान कुबेर से की गई है।

सन्दर्भ :

1. ऋग्वेद, 10/97/4, यजुर्वेद, 12/78, तैत्तरीय संहिता 4/2/64, द्रष्टव्य ए0ए0 मैक्डोनाल्ड वैदिक माइथालॉजी, पृ–154।
2. ए0के0 स्वामी हिस्ट्री ऑव इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट ,नया संस्करण, पृ0–41।
3. छान्दोग्य उपनिषद् 4/11, जातक खण्ड–4, पृ0–154।
4. जतक खण्ड–5, पृ0–472–75,488, खण्ड–4, पृ0–210, खण्ड–3, पृ0–23।
5. द्रष्टव्य अमलानन्द घोष (सं0) जैन आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर खण्ड–3, पृ0–420
6. फर्ग्युसन, ट्री एण्ड सर्पेट वर्शिप, पृ0–621।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 37-38

सिद्धार्थनगर जनपद की भौमिकीय संरचना एवं उच्चाविच

डॉ0 प्रेम प्रकाश मिश्र*
*असि0 प्रोफेसर, भूगोल विभाग, जवाहर लाल नेहरु स्मा0 पी0 जी0 कालेज, महराजगंज, उ0प्र0

सारांश : किसी भी क्षेत्र की पहली पहचान उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि से ही होती है। ये भौगोलिक पृष्ठभूमि उस क्षेत्र की सम्पूर्ण विकास तंत्र को प्रदर्शत करता है। किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्व क्षेत्र की भू–वैन्यासिक संगठन की प्रक्रिया एवं प्रतिरुप को निर्धारित करता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तुत शोध पत्र में सिद्धार्थनगर जनपद की भौमिकीय संरचना एवं उच्चावच का विश्लेषण किया गया है।

सिद्धार्थनगर जनपद बस्ती मण्डल के अन्तर्गत 27^{0}7′ से 27^{0}31′ उत्तरी अक्षांश तथा 82^{0}11′ से 83^{0}8′ पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। भौगोलिक रुप में इस जनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के सरयूपार मैदान के मध्य भाग में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का सीमावर्ती जनपद है, जिसके उत्तर में भारत–नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। जपनद के पूर्व में महराजगंज जनपद दक्षिण–पूर्व में संतकबीर नगर जनपद, दक्षिण में बस्ती जनपद, दक्षिण पश्चिम में गोण्डा एवं उत्तर पश्चिम में बलरामपुर जनपद एवं दक्षिण पूर्व में गोरखपुर जनपद की सीमा है। इस जनपद का क्षेत्रफल 2,985 वर्ग किमी है। जिसमें 2945.16 वर्ग किमी0 क्षेत्र पर समस्त ग्रामीण विकास खण्डों का क्षेत्रफल है। शेष भाग में नगरीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। इस जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का मात्र 12% है। 2011 की जनपद के अनुसार कुल जनसंख्या 25,59,297 है जिसमे पुरुषों की कुल संख्या–12,95095 तथा महिलाओं की संख्या –1264202 है। यहॉ जनसंख्या घनत्व 884 व्यक्ति/वर्ग किमी0 है। इस जनपद में लिंगानुपात 976 है। यहॉ दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.5 है। इस जनपद की सम्पूर्ण साक्षरता 59.2% है जिसमे पुरुष साक्षरता 70.9% तथा महिला साक्षरता 47.4% है।

अध्ययन क्षेत्र, भौमिकीय संरचना के अनुसार उत्तर के विशाल मैदान का ही एक खण्ड है। सरयूपार मैदान के पूर्वी भाग में स्थित यह मैदानी भाग नदियों द्वारा लायी गयी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रक्रिया राप्ती नदी अपवाह तंत्र के अन्तर्गत जारी है। इस संदर्भ में मेडिकास्ट के अनुसार दी समान्तर श्रेणियों के मध्य धंसे हुए भाग में सतत् उत्थानशील हिमालय से निकलने वाली तीव्रगामी नदियों के द्वारा निक्षेपण के परिणामस्वरुप हुआ है। जो प्लीस्टोसीन युग से प्रारम्भ होकर आज तक जारी है।

एडवर्ड स्वेज के अनुसार इसका जन्म हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग के बीच बनने, वाले विशाल गर्त के निक्षेपण के परिणामस्वरुप हुआ है। कर्नल बुरार्ड के अनुसार यह मैदान एक विशाल दरार घाटी के भरने से बना है। यह क्षेत्र भू–वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण प्रायद्वीप एवं हिमालय के मध्य स्थित भू–सन्नति में प्लीस्टोसीन से लेकर अब तक गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये जलोढ़ निक्षेप की दीर्घकालिन प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ है।

सिद्धार्थनगर जनपद मध्य गंगा मैदान का भाग होने के कारण यह क्षेत्र जलोढ़ पूरित गर्त है। इस क्षेत्र में जलोढ़ के निक्षेप के सन्दर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग–अलग मत प्रकट किये गये है फिर भी यह सर्वमान्य कि उत्तर में गहराई अधिक है जो धीरे–धीरे दक्षिण की ओर घटती जाती है।

ओल्डम ने उत्तरी छोर पर जलोढ़ की गहराई 4500–6100 मीटर के मध्य बताते है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस मैदान में जलोढ़ की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है। एच0 नारायण ने इस मैदान के जलोढ़ की मोटाई उत्तरी भाग में 8000मी, पश्चिम भाग में 600मी तथा दक्षिणी भाग में पठार के समीप 3000 मीटर अनुमानित की है। मध्य गंगा की गोरखपुर रौक्सौल–मोतीहारी श्रेणी में जलोढ़ की मोटाई 8000मी से भी अधिक मापी गयी है। इससे स्पष्ट है कि राप्ति जलोढ़ की मोटाई 6000मी से 8000मी के मध्य है। अतः क्षेत्र में जलोढ़ की मोटाई 6000–8000मी के मध्य है। यह क्षेत्र जलोढ़ मैदान है जिसका निर्माण पर्वत से निकलने वाली तीव्रगामी नदियों के वेग से कम हो जाने के कारण उनके द्वारा लाये गये गोलाशम एवं बंजरी इत्यादि के जमाव से हुआ है। पूर्वकाल में यह क्षेत्र घने जंगलों से ढके हुए थे लेकिन जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण कालान्तर में मानव द्वारा इन जंगलों को काट कर साफ कर दिया गया। अध्ययन क्षेत्र का ढ़ाल उत्तर–पश्चिम की ओर है। जो सामान्य रुप में पूरे क्षेत्र पर 10मी के अन्तर्गत ही है। इस क्षेत्र की औसत ऊॅचाई 88.39मी के आस–पास है।

उच्चावय में भू–आकृति का निर्माण आधारभूत शैलों पर अनाच्छादन की शक्तियों के कारण होता है। अतएवं भू–वैज्ञानिक संरचना के अनुसार ही किसी देश या प्रदेश या क्षेत्र के भौतिक स्वरुप का निर्माण होता है। भारत के इस तरह की धरातलीय उच्चावय विविधता पूर्ण है। इस क्रम में अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा मैदान प्रदेश में स्थित है, जिसकी संरचना नदियों द्वारा लाये गये जलोढ़ मृदा से हुआ है। अतः यह क्षेत्र निक्षेपित मैदान का तराई भाग है। अतः यहॉ पर भौतिक उच्चावय मैदानीय रुप में दिखता है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि सिद्धार्थनगर जनपद की भौगोलिक संरचना एक तस्तरी की भॉति है। इसका मध्य भाग पूर्व की ओर ढाल लिये हुए कुछ गहरा भाग है। अतः इस भाग में वर्षा ऋतु में जल भराव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न भौतिक विशेषताओं यथा–उँचाई, ढाल प्रवणता तथा जल विकास की दिशा एवं नदियों की बहाव को ध्यान में रखते हुए जनपद को तीन मुख्यः भागों में बाटा जा सकता है।

(क) उत्तर का कछारी भाग।

(ख) राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती का दो–आब।
(ग) उपरहर (दक्षिणी उच्च भूमि)

1.**उत्तर का कछारी भाग** : यह कक्षारी भाग बूढ़ी राप्ती नदी के उत्तर का भाग है। यह भाग उत्तर–पश्चिम से पूर्व की ओर ढ़ाल लिये हुए है। नदियों एवं नालों के किनारे की भूमि को छोड़कर इस भू–भाग की मिट्टी मटियार दोमट प्रकार की है। यहॉ पर नौगढ़ का प्रसिद्ध कालानमक का चावल अधिक पैदा होता है।

2.**राप्ती एवं बूढ़ी राप्ति का दो–आब क्षेत्र** : इसके अन्तर्गत मुख्यरुप से राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती के मध्य का दो–आब क्षेत्र सम्मिलित है। दो–आब क्षेत्र का भू–स्तर उत्तर के कक्षारी भाग से नीचा है यह पर मिलने वाली मृदा की संरचना नदियों ओर नालों द्वारा उपर से बहाकर लायी गयी मृदा से हुआ है। इसमें कही–कही बलूई मृदा एवं दोमट मिट्टी भी पायी जाती है।

3.**उपरहर** : जनपद के द्वक्षिणी भग से राप्ती नदी के दाहिने तट पर स्थित इस भाग का ढ़ाल उत्तर से दक्षिण–पूर्व की ओर है। यह भाग उपेक्षाकृत शेष दोनो भागों से अधिक ऊपजाऊ है। यहा की मृदा की संरचना दोमट है। अतः इस क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति कृषि कार्य के लिए अति उत्तम है। इसलिए इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि दो–फसली है।

सन्दर्भ :

1**. Wadia, D.N. (1961) :** Geology of India, London, p- 390
2. **Oldham, R.D. (1911) :** 'The Structure of Himalayas and Gangetic Plain', Memories of the Geological Survey of India, Vol. XIII Kolcutta 1911, P- 82.
3. **Wadia, D.N. (1971) :** Geology of India (1976), London, p-365.
4**. Narayan, H. (1965) :** Airborne Magnetic Survey, Proceeding of Seminor on earth Science, pt-I Geophysical Survey, the Indian Geophycial union, Hyderabad, 1965, p – 119-129
5 .**Chandana R.**C. & Siddhu, M.S. (1980) : Introduction to Population Geography Kalyani Pub. Ludhiana, P-96.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 39-41

सल्तनत काल में जजिया

डॉ0 अश्विनी यादव*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हण्डिया पी0जी0 कालेज, हण्डिया, प्रयागराज

सारांश : भारत पर मुस्लिमों ने शासन सत्ता स्थापित करने के बाद हिन्दुओं पर इस्लामिक नियमानुसार करों को लगाना प्रारमभ किया जिसमें जजिया प्रमुखतः एक नवीन कर था जो पहले कभी नहीं लिया गया था, जिसका मुख्य आधार यह था कि एक इस्लामिक राज्य में दूसरे धर्म के लोगों को रहने का अधिकार नहीं था। अतः उन्हें अपनी जान माल की रक्षा हेतु शासक को जजिया देना पड़ता था जो शासक की इच्छा पर निर्भर था। विजित क्षेत्रों में वहां के निवासियों के सामने यह विकल्प होता था कि या वे इस्लाम धर्म ग्रहण करें या जजिया कर दें। इतिहासकारों के लिए यह आज भी उत्सुकता का विषय बना हुआ हैं

सल्तनत काल के सर्वाधिक विवादग्रस्त विषय जजिया कर है। यह कर गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा और धार्मिक स्वतन्त्रता के बदले में लिया जाता था आदाबुल हर्व व शजाअत में फख्र मुद्दब्बिर ने अपना मत दिया है कि यदि गैर मुसलमानों से जजिया लेकर सन्धि हो जाये या वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो विजेता को चाहिये कि वह सन्धि के शर्तों का पूर्ण पालन करे। इस ग्रन्थ में जजिया की दर अपनी समस्त प्राचीन शर्तों के साथ उद्धृत की गयी है।

औरंगजेब के काल में लिखी गयी इस्लामी सिद्धान्त की प्रसिद्ध पुस्तक फतावाए आलमगीरी में दो प्रकार के जजिया कर का विवरण दिया गया है। एक तो वह जो किसी रियासत के शासक अथवा वहाँ की जनता एक निर्धारित धन राशि कर के रूप में अदा फरती है। इस प्रकार जजिया कर कोई अतिरिक्त कर नहीं है, क्योंकि यह रकम उस समय वसूल होने वाले राजस्व में बड़ी सरलता से चुकायी जा सकती थी। वे राज्य जो प्रत्यक्ष मुस्लिम शासकों के अधीन थे, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जजिया लिया जाता था। इसकी राशि भी व्यक्तिगत रूप से निर्धारित की जाती थी। मुसलमानों के प्रारंभिक काल को छोड़कर जजिया प्रायः प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण से लिया जाता था। जजिया की अदायगी के संबंध में सुलतानों ने पराजित शासकों से कोई समझौता नहीं किया। यदि किसी मुस्लिम शासक के इलाके में कोई नया प्रान्त शामिल किया जाता था तो वहाँ की जनता को प्रचलित दर के अनुसार जजिया देना पड़ता था। जजिया की रकम सम्भवतः नजराने के रकम में भी सम्मिलित होती थी और यह कर सुलतानों की श्रेष्ठता का प्रतीक था।

सल्तनत काल में अनेक बार जजिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जो स्पष्ट दिखाता है कि जजिया भारत में प्रचलित था। इसके स्वरूप दर तथा व्यवस्था का पूर्ण विवरण नहीं प्राप्त है गयासुद्दीन तुगलक के काल मैं घर जजिया और खिराज का अलग–अलग वर्णन करता है, किन्तु फीरोज के काल में वह लिखता है कि जजिया और खिराज दोनों उपज के आधार पर निर्धारित होते थे।[1] ''फवाइदुल फवायद'' में वर्णित है कि एक कर अधिकारी किसी मुस्लिम सूफी से, जिन्होंने कुछ परती भूमि अपने अधीन कर ली थी से कहा कि या तो ये जजिया दे या तो कोई चमत्कार दिखाएं।[2] एक मुसलमान से जजिया की मांग का औचित्य खटकता है। संभवतः यहां जजिया भूमिकर खिराज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फतवा–ए–जहांदारी मैं बरनी लिखा है कि मुस्लिम शासक सर्वशक्तिमान होते हुए भी हिन्दुओं से जजिया और खिराज लेकर ही सन्तुष्ट हैं, वे अपने राज्य में नास्तिकों और नास्तिकता को प्रश्रय देते हैं।[3]

यह विवरण इस बात का प्रमाण है कि जजिया देकर हिन्दू धार्मिक स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे। आगे पुनः बरनी का कथन है कि हिन्दू शासक अपनी हिन्दू प्रजा से जजिया और खिराज लेते हैं। वरनी का यह विवरण अस्पष्ट है, किन्तु वह इस बात की पुष्टि करता है कि जजिया और खिराज भूमि के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते थे। खिराज और जजिया दोनों कर मुख्यतः हिन्दुओं से लिये जाते थे। अतः संभव है कि समकालीन युग में दोनों कर एक–दूसरे के पर्याय मान लिये गये होंगे या एक साथ वसूल किया जाता रहा हो। डा0 निजामी के अनुसार जजिया व्यक्तिगत कर नहीं था, यह खिराज में मिला हुआ था और सम्पूर्ण कर व्यवस्था का एक भाग था।

यह स्पष्ट है कि मुस्लिम शासक अपनी सर्वोच्चता तथा गैर मुसलमानों की हीन स्थिति दिखाने के लिए जजिया लिया करते थे। सल्तनत काल में जजिया मात्र एक कर रह गया था जो अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित करता था। यह कर पूर्ण रूपेण शासकों की आर्थिक रुचि पर निर्भर था। साम्राज्य के विस्तृत होने तथा सल्तनत के बढ़ते हुए खर्च और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुर्क शासकों ने अवश्य ही धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं किया होगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन के बाद जजिया से मुक्त हो जाने का विधान है। शासन के प्रारंभिक काल में कुतुबुद्दीन ने गैर शराई करों को समाप्त किया था। यह स्पष्ट है कि शासकों ने स्वयं को धार्मिक दिखाने तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये जजिया लगाते थे। अतः ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है, जिससे यह विदित हो सके कि जजिया लागू नहीं था। इसका लागू होना समय और सुल्तान विशेष के व्यक्तित्व पर निर्भर करता था। जो शासक धार्मिक थे या धर्म प्रचार से प्रेरित रहे, उन्होंने इस कर को उगाहने में अधिक ध्यान दिया होगा। अलाउद्दीन मुहम्मद तुगलक जैसे शासक, जिनकी रुचि धन प्राप्ति और अर्थ–व्यवस्था को व्यवस्थित करने में थी, उन्होंने धर्म–प्रचार की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया होगा। जजिया के अस्तित्व को किसी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दक्षिण के राजा तथा अन्य अधीनस्थ राजपूत शासक वार्षिक कर के रूप में जो रकम देते थे, उसे भी जजिया कहा जा सकता है, यद्यपि गैर मुसलमानों से लिये जाने वाले कर की अपेक्षा यह एक अतिरिक्त राजनीतिक कर था। मुसलमानों से जकात लेना इस बात का

प्रमाण है कि जजिया भी गैर मुसलमानों से अवश्य लिया जाता रहा होगा। समकालीन प्रसिद्ध सूफी शेख अब्दुल कद्दुस गंगोह ने बाबर को लिखे गये पत्र में इस बात का स्पष्टीकरण किया था कि शासक को शरा के सिद्धान्तों के अनुसार ही शासन करना चाहिये। प्रशासन के सभी पदों पर मुसलमान नियुक्त किये जायें। गैर मुसलमानों से जजिया लिया जाय एवं धर्म सिद्धान्तों के आधार पर मुसलमानों से जकात लिया जाय। गैर मुसलमानों को मुसलमानों की पोशाक पहनने की मनाही हो उन्हें मुसलमानों के बराबर नहीं समझा जाय। उन्हें सार्वजनिक रूप से कुफ्र प्रथाएँ करने की मनाही हो।[4]

सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा से जजिया लिया, परन्तु यह मुस्लिम न्यायवादियों द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर नहीं था। राज्य के बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिये, वह उपज का आधा भाग कर के रूप में लेता था। खूत मुकद्दम और चौधरी की आलोचना करते हुए वह कहता भी है कि ये खूत मुकद्दम और चौधरी एक जीतल भी खिराज, जजिया तथा चराई कर के रूप में नहीं देते हैं।[5] इस विवरण से दो बातें स्पष्ट हैं, प्रथम तो यह है कि खूत मुकद्दम और चौधरी अच्छी दशा में थे, दूसरा यह कि जजिया कर साम्राज्य में प्रचलित था। अमीर खुसरो ने लिखा है कि खुसरो खाँ जब दक्षिण की विजय के लिये गया तो उसने वारंगल के शासक रुद्रदेव प्रताप के समक्ष तीन शर्त रखीं, या तो वे धर्म–परिवर्तन स्वीकार करें अथवा कर दें, अन्यया अपनी मृत्यु के लिये तैयार हो जायें।[6] इस विवरण से स्पष्ट है कि मुस्लिम सिद्धान्त की शर्तें अपनी प्राचीन रूप में अभी भी दुहराई जा रही थी। आगे यह वर्जित है कि जब वह दक्षिण विजय के लिये जा रहा था, तो मुबारक खिलजी ने उससे कहा कि जजिया की मांग के लिये अपना ध्यान तिलंग की भर दो। ''इजाजए खूसरबी'' में अमीर खुसरो एक स्थान पर यह भी लिखता है कि जजिया और खिराज की मांग के समय हिन्दू इस तरह आज्ञाकारी रहे कि यदि उनसे आँख का पानी मंगा जाय तो ये अपनी आँखों का सान्द्रव्य भी दे दें।[7] मुबारक खिलजी के काल में धर्म–परिवर्तन के उल्लेख मिलते हैं। विशेष कर, गुजरात की बरादू जातियों के धर्म–परिवर्तन की विशद चर्चा है। इस दल की संख्या बीस हजार बतायी जाती है। अमीर खुसरो ने इसकी संख्या 10 हजार बतायी है।[8] उन्होंने धर्म–परिवर्तन स्वीकार किया था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इब्न बतूता केवल इतना ही कहता है कि धर्म–परिवर्तन करने के उपरान्त सुल्तान उन्हें खिलअत स्वर्ण आभूषण तथा अन्य पुरस्कार देता था।[9] यह धर्म–परिवर्तन ही सुलतान की मृत्यु का कारण बना।[10] यह ज्ञात नहीं होता। यह स्पष्ट नहीं है कि धर्म–परिवर्तन के बाद उन्हें सैनिक कार्य से मुक्त कर दिया जाता था।

किसी भी समकालीन इतिहासकार ने जजिया का कोई निश्चित आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, पर यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सल्तनत काल में प्रचलित किसी भी कर का कोई आंकड़ा नहीं मिलता। ऐसी किसी संस्था का भी उल्लेख नहीं है जो यह सिद्ध करे कि जजिया ली जाती थी। प्रो० निजामी का मत है कि भारत जैसे देश में जजिया वसूल करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं। इस कार्य के लिये प्रशासन में एक अलग विभाग की आवश्यकता थी, परन्तु पूरे सल्तनत काल में ऐसे किसी विभाग के अस्तिस्व का पता नहीं चलता।[11]

तुगलक काल में जजिया पर प्रकाश पड़ता है। चीन के शासक ने मुहम्मद तुगलक से भारतीय सीमा पर स्थित एक मंदिर की मरम्मत करने की अनुमति मांगी थी। सुल्तान ने यह उत्तर भेजा या कि इस्लामी नियमानुसार मुस्लिम राज्य में मन्दिर निर्माण की अनुमति केवल उन्हीं व्यक्तिपों को है जो जजिया देना स्वीकार करें।[12] यह पता नहीं चलता कि चीन के सम्राट ने कितना जजिया भेजा तथा सुल्तान ने उसे मन्दिर निर्माण की अनुमति दी या नहीं। इस दृष्टान्त से भी यह स्पष्ट होता है कि जजिया देकर गैर मुस्लिम प्रजा धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे। वे धार्मिक निर्माण कार्य कर सकते थे, किन्तु इन कार्यों के लिये उन्हें सल्तनत की अनुमति लेनी आवश्यक थी।

फीरोज तुगलक के काल में जजिया का उल्लेख कुछ स्पष्ट ढंग से हुआ है। अफीफ लिखता है कि दिल्ली के सुलतानों ने दस, बीस और चालीस टंका की दर से गैर मुसलमानों से जजिया लिया।[13] फीरोज अपने फुतूहात फिरोजशाही में पूर्वकालीन परम्पराओं की बुराइयाँ और धार्मिक तथा समस्त गैर धार्मिक रीतिरिवाजों का विस्तृत उल्लेख करता है, परन्तु वह जजिया के बारे में कुछ नहीं कहता। इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए, वह लिखता है कि मूर्ति पूजा हिन्दुओं ने जजिया देना स्वीकार कर लिया है और अब उनका परिवार और सम्पत्ति दोनों सुरक्षित है उन्होंने नये मन्दिरों का निर्माण कर लिया है। इस्लाम धर्म के प्रचार के सन्दर्भ में वह लिखता है कि जो हिन्दू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा, उसे जजिया से मुक्त कर दिया जायेगा । फतुहाते फीरोजशाही में यह भी वर्णित है कि किस प्रकार बड़ी संख्या में हिन्दू इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे और उसने उन्हें जजिया से मुक्त करने के अतिरिक्त अन्य उपहार भी दिये।[14]

अफीफ ब्राह्मणों पर जजिया लगाने का उल्लेख करता है। सिंध पर अरबों के शासन से लेकर, अब तक ब्राह्मण जजिया से मुक्त थे। फीरोज ने उन पर जजिया लगाने के लिये समस्त आलिमों तथा सूफियों को एकत्र किया और उनसे कहा कि कुफ्र से जजिया लिया जाय। पिछले सुल्तानों ने इनसे जजिया लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया ये जुन्नारदार कुफ्र की कोठरी की चाभी हैं। अतः उनसे जजिया अवश्य लिया जाय। इसी महजर में ब्राह्मणों से जजिया लेना निश्चित हुआ। ब्राह्मणों के अत्यधिक प्रतिरोध करने के बाद भी सुल्तान उन्हें जजिया कर से मुक्त करने के लिये तैयार नहीं हुआ। अन्ततः वहाँ के हिन्दुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया देना स्वीकार कर लिया। अफीफ ने लिखा है कि ब्राह्मणों से पचास जीतल तथा दस जीतल लिये गये। उनसे जजिया कर वसूल करने के लिये पदाधिकारी नियुक्त किये गये।

इस विवरण से कुछ बातें स्पष्ट हैं, जजिया प्रचलित था और केवल ब्राह्मण इससे मुक्त थे। हिन्दुओं ने बिना किसी विरोध के ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया देना भी स्वीकार कर लिया। अफीफ के इस विवरण में अनेक त्रुटियाँ है, वह यह नहीं बताता कि जजिया की यह पद्धति पूरे सल्तनत में प्रचलित थी या केवल दिल्ली में? दिल्ली में प्रचलित जजिया की दर कुरान में वर्णित जजिया की दर से कम क्यों प्रचलित थी? अफीफ इस पर कुछ नहीं कहता है। पुनः, फीरोज जिसने समस्त करों को शरियत के आधार पर निर्धारित कर शाही कोष को लगनेवाले घाटे की भी परवाह नहीं की, वैसा शासक जजिया की दर कम क्यों

रहेगा। यहाँ अफीफ स्वयं दुविधा में पड़ा प्रतीत होता है। फीरोज के द्वारा, बलात् धर्म–परिवर्तन और धर्म परिवर्तनों के बाद उन्हें जजिया कर से मुक्त कर दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि फीरोज के पूर्व शासकों के काल में धर्म परिवर्तन के बाद भी जजिया देने की प्रथा प्रचलित थी।

जो व्यक्ति शाही सेना में कर विभाग में एवं उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त थे, उन्हें भी जजिया देना पड़ता पा या नहीं? इस विषय में सल्तनत कालीन समस्त स्रोत मूक हैं। जजिया के संबंध में तेरहवीं सदी का होयसल अभिलेख जो कन्नड़ और संस्कृत भाषा में है से इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ता है, इस अभिलेख से विदित होता है कि भाषा और प्रान्त की विभिन्नता के आधार पर दिल्ली के सुल्तानों ने कर लागू किया। संस्कृत वाले भाग में वर्णित है कि नरसिंह तृतीय ने हिब्बड नामक अग्रहा गांव की जागीर बनारस में रहने वाले कर्नाटक तथा अन्य देशों के तीर्थ–यात्रियों को कर देने तथा बनारस स्थित एक धर्मशाला की देखभाल और विश्वेश्वर देव की पूजा के निमित्त समर्पित की थी। कन्नड़ वाले अभिलेख के भाग से धार्मिक कर की भिन्नता पर कुछ बात स्पष्ट होती है। इसमें वर्णित है कि बनारस में रहने वाले तीर्थ यात्रियों को तुरूष्कों को एक कर देना पड़ता था। इस अभिलेख में कर की मात्रा भी उल्लिखित है, इतिहासकारों का यह मत है कि यह सम्भवतः जजिया था जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता था, क्योंकि तीर्थयात्रा कर यदाकदा धार्मिक यात्रा करने पर ही लगता था। यदि यह कर जजिया था, तो यह ब्राह्मणों से लिया जाता था, क्योंकि ''अग्रहर'' भूमि का अर्थ ब्राह्मणों को दान में दी गयी भूमि से है।[15] यदि यह सही है तो फीरोज द्वारा ब्राह्मणों पर कर लागू वाली जजिया की बात गलत साबित होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति वे बलबन के समय से ही जजिया दे रहे थे। सम्भव है कि बाद में वे इस कर से मुक्त कर दिये गये हों और फोरोज ने अपने काल में इसे पुनः लागू किया हो।

इस प्रकार विभिन्न समस्याओं के आलोक में यह कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में जजिया कर लिया था। फुतुहाते फिरोजशाही में वह लिखता है कि जजिया देने वाले हिन्दू रक्षित लोग थे उन्हें अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा और पूजा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अपना राज्य खोजने के साथ ही साथ हिन्दुओं को जजिया देना स्वीकार करना पड़ा।

सन्दर्भ :

1. बरनी, पृ0 429
2. फवाइदुल फवायद, पृ0 136
3. फतवा ए जहादारी, (अनु0) पृ0 46
4. मकतुबाति अब्दुल, कद्दुस गंगोह (हस्त अलीगढ़) पत्र संख्या 169 पृष्ठ 625–629)।
5. बरनी, पृ0 291
6. नौसिपेक्टर, पृ0 81–132 अयंगर पृ0 127–228
7. इजाजए खुसरवी, (लखनऊ) 1876 जिल्द 4 पृ0 140
8. ब्रिग्स, पृष्ठ 234 तुगलकनामा पृ0 22
9. रेहला, जिल्द 3 पृ0 197–198
10. बरनी, पृ0 403
11. के0ए0 निजामी, रिलीजन एण्ड पालिटिक्स पृ0 314–315
12. रेहला, जिल्द 3 पृ0 448–449
13. अफीफ, पृ0 383
14. फुतुहाते फिरोजशाही, (अनु0 रसीद) पृ0 113: तुगलक कालीन भारत भाग–2, पृ0 332
15. वी0पी0 काण्डे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जिल्द 2, भाग–2 पृ0 869

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 42-44

वैदिककालीन राजनीति में महिलाएँ एवं कृषि का विकास : एक पुनरावलोकन

डॉ0 डॉक्टर संतोष कुमार*
*एम0ए0(इतिहास), पी0एच0डी0 ग्राम:कुरमावाँ, पोस्टः खटाँगी, अरवल, (बिहार)

सारांश : पुर्ववैदिक काल में शासन/राजनीति व्यवस्था का रूप जटिल नहीं था तथा यह सभी जनों की सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी पर चलता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएँ कबिलाई समाज की प्रतिनिधिक संस्थाएँ जैसे कि सभा एवं समिति आदि में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि इस काल में लोहे के आविष्कार के फलस्वरूप लोंगों की आजिविका व निर्भरता पशुपालन से कृषि की ओर अग्रसर हुई तथा उनके जीवन में स्थायित्व आया। इस परिवर्तित व्यवस्था से वैदिककालीन समाज में राजनीतिक इकाईयों की निर्णायक भागीदारी के लक्षण दृष्टिगोंचर होते है। इस वैचारिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत यह आालेख उन तथ्यों का विश्लेषण एवं अनुशीलन करता है जिनके कारण वैदिककालीन समाज की राजनीतिक भूमिका एवं प्रक्रिया में बदलाव हुई।

मुख्य शब्द : ऋग्वैदिक काल, लोहे के आविष्कार, वैदिककालीन समाज, कृषि का विकास, उत्तरवैदिक काल आदि।

भूमिका : ऋग्वैदिक काल के लागों का राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप पितृसतातमक थाा। य़द्यपि मूल भारतवंशियों के बीच प्रचलित शसन स्वरूप मातृसतात्मक था, जो बाद में जाकर यह पितृसतात्मक हो गया।[1] शासन के लिए राजा का चुनाव आम लोगों द्वारा किए जाने का प्रचलन/व्यवहार कई संदर्भो में हमलोग पाते है। ऋग्वेद में इस बात की चर्चा है कि संप्रभु को स्वयं इस बात की सहमति लोगों से लेनी चाहिए, अगर वह शासन में आगे हमेशा बना रहना चाहता है।[2] इसे पवित्र मंत्रों की शपथ लेकर स्वीकारने पर जोर दिया गया है। राजा, जिसे प्रमुख प्रधान, गोपति, ग्रामणी आदि नामों से भी जाना जाता था, बिना लोगों की सहमति के शासन नहीं कर सकता था।[3] लोगों से संबंधित बातों का निर्णय सभा द्वारा किया जाता था तथा बाद के शासकों मे इस सभा को न्याय के साथ प्रशासानिक इकाई के तौर पर देखने का वर्णन मिलता है।[5] प्रमुख (राजा) का पद आनुवंशिक नहीं था, सामान्यतः इसका चुंनाव गणों को द्वारा किया जाता था। यद्यपि प्रमुख का पद एक ही परिवार में बने रहने के उदाहरण भी देखने को मिले हैं लेकिन इसका आधार वंशाानुगत (बड़े बेटे का अधिकार) नहीं था।[6] पुरोहित विभिन्न मुद्दों पर प्रमुख को सलाह एवं सहायता प्रदान करते थे। दिन–प्रतिदिन के कार्यो मे प्रमुख को सहयोग करने के लिए पुरोहित के अलावे कुछ और पदाधिकारियों/कर्मचारियों का उल्लेख सीमित मात्रा में मिलता है, जिनमें से सेनानी, ग्रामणी, कष्पा आदि नामों की चर्चा ऋग्वेद में है। सेना का स्थायी रूप नहीं था, यह समय एवं जरूरत के अनुसार युद्ध के समय योग्य लोंगों के समूह से बनते थे।[7] प्रमुख (राजा) को आम लोगों के सहमति से बनाए जाते थे। प्रमुख को आम लोगों द्वारा वस्तु/उपहार दिए जाते जो बलि या शुल्क के नाम से जाने जाते थे। ये उपहार बस केवल स्वैच्छिक योदान होते थे जो पमुख विशेष अवसरों पर आयोजित समारोहों में दिए जाते थे।[8] इन सभी बातों से पता चलता है कि पुर्ववैदिक काल में शासन/राजनीति व्यवस्था का रूप जटिल नहीं था तथा यह सभी जनों की सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी पर चलता था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएँ कबिलाई समाज की प्रतिनिधिक संस्थाएँ जैसे कि सभा एवं समिति आदि में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। जबकि उतर–वैदिक काल में लोहे के आविष्कार के बाद यह स्थिति परिवर्तित हुई।

वैदिककालीन समाज में कृषिकार्य : समाज के लिए आहार की उत्पति और उपलब्धता अपरिहार्य है और पृथ्वी से अन्न, फल–फूल, कन्दमूल आदि की उत्पत्ति करना ही कृषिकार्य है। प्रााचीनकाल से खेतों में विभिन्न प्रकार के अन्न, दाल, सब्जियाँ, गन्ना, कपास, रूई आदि उगाये जाते रहे है। वेदों में कृषि–सम्बन्धी विषयों पर विषद् विवेचन प्राप्त होता है। अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व[9]– इस मंत्र से ज्ञात होता है कि ऋषि ने जुए में पराजित दूतकर को जुआ खेलना छोड़कर कृषि कार्य करने का अभ्यास का उपदेश दिया। ऋग्वेद की ये ऋचाएँ तत्कालीन कृषि–महता को अत्यन्त ही सहज भव से वर्णित करती है। वेद में कृषि–औजार, कृषि–पद्वति, सिंचाई के साधन आदि का ज्ञान मैलिक रूप से उपलब्ध है। भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण उड़ जाने पर या समाप्त प्राय हो जाने की स्थिति में उसमें कुछ समय तक कृषिकार्य न करके उसे यूँ ही खाली छोड़ दिया जाता था। ऐसा करने से शुद्ध वायु, सूर्य की किरणें, वर्षा आदि के द्वारा उसमें फिर से उर्वरा शक्ति आ जाती है इस प्रकार की अवधारणा वैदिक काल में भी कृषकों की थी।[10]

लोहे के आविष्कार का महत्व : यदि हम ऐतिहासिक कालानुक्रम के प्रमाणों पर निगाह डालें, तो यह चीज सामने आती है कि लोहे का जन्म एक देशज परिघटना है। हाल में मध्य गंगा के मैदानों में सोनभद्र जिले में राजा नल का टीला, मिर्जापुर जिले में मलहार और बंगाल में पांडुराजार धीबी, हाथीगरा, मंगालकोट इत्यादि जैसे कई सारे स्थल मिले हैं, जहां लोहे की उपस्थिति के महत्वपूर्ण आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए है। कोई भी इस प्रकार के सभी प्रमाणों की उपेक्षा नही कर सकता हैं। ये प्रमाण बताते हें कि भारत में बिना किसी विदेशी सहयोग के स्वतंत्र रूप में लौह तकनीकी का ज्ञान विकसित हुआ था। किसी भी सभ्यता के विकास में आर्थिक सुदृढ़िकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। छठी ई0 पू0 मगध महाजनपद के आर्थिक सुदृढ़िकरण में लोहे के अविष्कार का अमूल्य योगदान था। प्राचीन भारतवर्ष में मगध पहला राज्य था जिसके लोगों को लोहे के उपयोग की जानकारी और तकनीकी कौशल था, जो भारतीय सभ्यता के विकास में अमूल्य योगदान है।[11]

उतर वैदिक काल में महिलाओं के बीच शासन संरचना में सक्रिय भागीदारी का स्तर बढ़ाने में लोहे के आविष्कार ने ठोस जमीनी सच्चाई प्रदान की और कमोंबेश इसे स्थायित्व भी प्रदान किया। उपर्युक्त के आलोक में यहाँ वैदिक कालिन समाज संरचना के विकास एवं बहाव की थोड़ी चर्चा करना मुनासिव महसूस होता है। ऋग्वैदिक काल (ईसा पू० 1500–1000) में पशुचारण की तुलना में कृषि कम प्रचलित थी। ऋग्वेद के कुल 10 हजार से ज्यादा श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख मिलता है, जो कि अधिकांश क्षेपक (क्षेपक–जो मूल ग्रंथ में बाद में जोड़े गए) जाने जाते हैं।[12] मौलिक संहितओं में कृषि के संबंध में केवल तीन शब्द मिलते हैं–अर्दर, धान्य, एवं वपन्ति (ऋग्वेद IV 2,4,7, V,53,13)। कृष शब्द का उल्लेख (खेती करना) का उल्लेख मूल एवं खंड में दुलर्भतम है। यद्पि कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है, परंतु इसका प्रयोग लोगों के अर्थ से है, जैसे– पंचकृष्टयः (क्षेपक पर आद्यारित)। इस विष्लेषण को विश्वसनीयता ठोस नहीं समझा जा सकता जिसके आधार पर कृषि को मुख्य पेशा बताया जा सके।[13]

पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, यद्यपि वे पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में एक ऐसे ढाँचे का आर्विभाव हुआ लगता है जो कई परिवर्तनों का संवाहक बना। इनमें से प्रमुख ढाँचा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का आविर्वाभाव था, जो वर्ग व्यवस्था का जन्म, कबिलाई संरचना में दरार का पड़ना और सीमान्त साम्राज्यों का उदय का कारण बना।[14] लोहे के औजारों के आविष्कार के बाद उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य पेशा बन गया। गाँवों के बीच के वे लोग खेती के कार्यों में लगे हुए थे उनको नए औजारों के साथ खेती की खुदाई, जुताई, फसल की सिंचाई, बोआई और कटाई में काफी सुविधा हुई। सिंचाई सुविधा के बीच इन चीजों का होना Surplus Production का कारण बना। जिससे खेती करने वाले वर्ग को काफी लाभ पहुँचा।[15] इब इस Surplus Production के कारण तत्कालीन समाज एवं बाजार की मौजूदा संरचना में आमूल चूल परिवर्तन आया। खेती करने वर्ग इससे अपनी आजीविका को सुरक्षित महसूस करने लगे तथा साथ–साथ अब वो कबिलाई प्रमुखों को भेंट स्वरूप ज्यादा अनाज देने लगे। इससे समाज में खेती करने वाले लोगों की समाज के सोपान में एक स्तर बना जो कबिलाई प्रमुखों एवं समाज में धार्मिक रीति–रिवाजों मार्गदर्शित करनेवाले लोगों के बाद (तीसरे नंबर पर) आया। ये लोग समाज के उत्पादन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहे तथा ऐसे लोगों की संख्या आर्यो के निवास विस्तार क्षेत्र के साथ बढ़ती गई। इसके परिणामस्वरूप Surplus Production निरंतर बढ़ता गया और बाजार एवं व्यापार की जरूरत तेजी से बढ़ी।

इस प्रकार Surplus Production का नतीजा यह भी निकला की दान स्वरूप/भेंट स्वरूप या स्वैच्छिक रूप से दिए जाने वाले इस योगदान को ग्रहणकर्त्ताओं ने अपना हिस्सा समटने लगे या फिर यू कहें कि इन ग्रहणकर्ताओं (कबिलाई प्रमुखों एवं धार्मिक रीति–रिवाज में लगे लोगों) के लिए स्वयं के हिस्से का उत्पादन कार्य करना इनकी जरूरत नहीं रहीं क्योंकि इनके उत्पादन संबंधी जरूरतों को समाज का उत्पादक वर्ग पूरा करता रहा और धीरे–धीरे यह ग्रहणकर्त्ता वर्ग अपनी जरूरतों/स्वार्थो के खातिर इस प्रचलन को बनाए रखना चाहने लगे जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी यह विचार आगे बढ़ता रहा और अंततः समाज का योग्यता के बजाए, भौतिक सुख–सुविधा के आधार पर स्तरीकरण होना शुरू हुआ जो बाद में जाकर क्षत्रिय, पुरोहित और वैष्य वर्ग के रूप में सामने आया और समाज के शेष लोग इन वर्गो के सेवा का कार्य किया।[16] सेवा में लगे इस वर्ग को उनकी कार्य पद्धति के लिहाज से निम्न समझा जाने लगा, जो उनकी अनय के मुकाबले कम योग्यता को साबित करता था और शनैः शनैः समाज पहले के एक परिवार में जन्में लोगों की अलग–अलग योग्यता के बजाए एक परिवार में जन्में उनमें खून के संबंधों के आधार पर विभाजित हो गया। बाद में जाकर यह व्यवस्था सामाजिक सत्ता का स्वरूप ग्रहण करते हुए राजनीतिक सत्ता की अवधारणा के रूप में स्थापित हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोहे के आविष्कार की अवधि 1000 ई० पू० से लेकर Surplus Production की स्थिति से गुजरते हुए 600 ई० पू० तक समाज का संस्थागत चेहरा (ढाँचा) पूर्व–वैदिक काल की तुलना में आमूल–चूल रूप से परिवर्तित हो चुका था। यह परिवर्तन छोटे–छोटे कबिलाई सामाजिक–राजनीतिक इकाई के जगह बड़े–बड़े राजनीतिक इकाई के निर्माण का कारण बना जो मगध साम्राज्य के उभरने से पहले तक 16 महाजनपदों जैसे बड़ी–बड़ी राजनीतिक इकाई का रूप ले चुका था।

उत्तरवैदिक काल की सामाजिक संरचना में आए इस आमूल चूल परिवर्तन से तत्कालीन समाज की महिलाएँ अछूती नहीं रहीं। पूर्व वैदिक काल में महिलाएँ, जहाँ मंत्रद्रष्टा, वेदों का अध्ययनकर्ता, विद्वान, षिक्षक, चिकित्सक आदि जैसी भूमिकाओं में समान रूप से पुरूषों की तरह समाज में स्थापित की और गृहस्वामनी हुआ करती थी।[17] वहाँ उत्तरवैदिक काल में महिलाओं को वेदों के अध्ययन एवं अन्य विद्या को पाने से रोकने के लिए लड़कियों के उपनयन संस्कार नहीं किया जाने लगा। शादी कम उम्र में कर दी जाने लगी तथा परिवार में अब उनकी भूमिका गृहसेविका का हो गया।[18] इस प्रकार शिक्षा के कम अवसर के कारण समाज में उनकी स्थिति में गिरावट आयी।

Surplus Production की स्थिति बनने से पूर्व वैदिक काल का अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में ज्यादा संख्या में स्त्रियाँ खेती में सक्रिय हो गई। फलतः खेती से जुड़ी बाजार एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में इनकी भागीदारी बढ़ती गई। बढ़ी हुई भागीदारी अन्य की तरह नियंत्रण की राह में तब्दील हुई फिर सही चाह सत्ता की अवधारणा में तब्दील हुआ। जो आम महिला को सत्ता में भागीदारी का प्रत्यक्षतः अवसर लेने का प्रेरणा दी।[19] जैसे निर्वाह अर्थव्यवस्था ने काफी हद तक कबायली सामंजस्य को बढ़ावा दिया और पशुचारण की प्रधानता में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता दी। ठीक उसी प्रकार ऐसी मान्यता है कि कृषि प्रधान समाजों में मातृत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है।[20] आम महिलाओं के बीच सत्ता की यह अवधारणा कोई नई बात नहीं थी। वैदिक काल हमें बताते हैं कि पति और पत्नि दोनों संयुक्त रूप से घर के सम्पदा के मालिक थे। ऋग्वेद में पुत्री को पुत्र के निकाय के रूप में उत्तराधिकारी बताया गया है। महिलाओं की नीजी संपत्ति का अधिकार की चर्चा मिलती है जिसका बाद में जाकर स्मृतियों में हकीकत के रूप में चर्चा की गई है।[21] इस प्रकार तत्कालिन परिस्थितियों ने महिलाओं की भूमिका का

प्रत्यक्ष एवं सक्रिय प्रकटीकरण (सत्ता संरचना में भागीदारी) का काम किया। वेद में कृषि–औजार, कृषि–पद्वति, सिंचाई के साधन आदि का ज्ञान मैालिक रूप से उपलब्ध है। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि इस काल में लोहे के आविष्कार के फलस्वरूप लोंग पशुपालन से कृषि की ओर अग्रसर हुइ तथा उनके जीवन में स्थायित्व आया।

निष्कर्ष : ऋग्वैदिक काल की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि इस काल में लोहे के आविष्कार के फलस्वरूप लोंगों की आजिविका व निर्भरता पशुपालन से कृषि की ओर अग्रसर हुई तथा उनके जीवन में स्थायित्व आया। यहाँ एक बात तो तय हो जाती है कि उत्तरवैदिक, परवर्ती कालीन वर्ग समाज की तुलना में ऋग्वैदिककालिन समाज में अधिषेष उत्पादन के अभाव में वर्ग–भेद की परिस्थितियों का उदय न हो सका। जबकि लोहे के आविष्कार के बाद उत्तरवैदिक काल के सके उत्पादक वर्ग की संख्या बढ़ जाने के कारण महिलाएँ सक्रिय रूप से लगातार, वाणिज्य एवं समाज संचालन में योगदान देने लगीं जो उनकी राजनीतिक सक्रियता का आधार भी बना और बहुत कुछ समय–समय की तत्कालिन परिस्थितियों ने उन्हें राज्य के शासन में सक्रिय बनाया।

सन्दर्भ :

1 झा, एवम् श्रीमाली : प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994, पृ0 136
2 शर्मा, आर, एस,ः ''फ्राम गोपति तू भूपति'', चतुर्थ विश्व संस्कृत सम्मेलन, वाइमर, पूर्वी जर्मनी, 23 21 मई, 1979 को प्रस्तुत लेख
3 ऋग्वेद, अ) 10–124,8 ब) 10–173,8
4 शर्मा, आर0 एस0ः प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवम् संस्थाएं राकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1992, पृ0 109–113
5 ऋग्वेद, 10–124,8 विशो नो राजानम् वृनानः
6 मुखर्जी, राधाकुमुदः, प्राचीन भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1962, पृ0 27
7 मजूमदार, आर0 सी0ः प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली 1986, पृ0 65–70
8 मजूमदार, आर0 सी0 एवम् दत्ता, के0 के0ः एन एडवांस हिस्तरी ऑफ इंडिया, मैकमिलन, मद्रास, 1996, पृ0 27–29
9 ऋग्वेद, 10–34,7
10 ऋग्वेद, 10–101,5
11 सरकार, सुमित,, राकेश नायल और निलंजन खाटुआ, 2002, ट्रेडिशनल आयरन मेकिग, ट्रेडिशन एण्ड इनोवेशन इन दी हिस्ट्री ऑफ आयरन मेकिंग, गिरिजा पांडे और जनाफ गेइजेरस्टाम (संपादित), नैनीतालः पहर, पृ0 250–257
12 झा, एवम् श्रीमाली प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994, पृ0 123
13 वहीं, पृ0 123–24
14 वहीं, पृ0 131
15 शर्मा, आर0 एस0 : ''क्लास फार्मेशन एन्द दतस मातेरियल बेसस दन दि अपर गैन्नेतिक बेसिन(ईसा पूर्व लगभग 100–500)'' इन्डियन हिस्टोरिकल रिव्यू, खण्ड 2, अंक 1, जुलाई 1975, पृ0 1–13
16 झा, एवम् श्रीमाली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994, पृ0 133–136
17 अ) अथर्ववेद 14141 ब) वृहतद्थ्य उपनिषद 36– अननिपृश्नयॉ वैदेवतामपिपृच्छसि
18 अ) एतरेय ब्राहम्न, 7151 ब) मनु 267
19 झा, एवम् श्रीमालीः प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994, पृ0 127
20 वहीं, पृ0 127
21 अर्थशास्त्र, 3–2 14
22 झा, एवम् श्रीमालीः प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994, पृ0 123
23 वहीं, पृ0 125

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 45-47

औद्योगिक विकास के सन्दर्भ में जिला उद्योग एवम उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र की भूमिका

महीप कुमार श्रीवास्तव*

***शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0**

सारांश : किसी देश या प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महती भूमिका होती है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। वर्तमान बदलते हुए आर्थिक परिवेश एवं जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते हुए दबाव में सभी को नौकरी उपलब्ध कराना संभव नहीं है, परन्तु उद्योगों कि अधिकारिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः विकास के लिए विकेन्द्रित व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1979 में जिले स्तर पर **जिला उद्योग केन्द्र** की स्थापना की गयी। पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कार्य जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

गोरखपुर जनपद के औद्योगिक विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्र सतत् प्रयत्नशील है। यह जनपद में उद्यमियों को प्रशिक्षित करने तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कराने का पूर्ण प्रयास करता है। अन्य विभागों/निगमों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कर उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना तथा संभावित उद्योगों की योजना तैयार करना आदि इस केन्द्र के प्रमुख कार्य हैं। **जिला उद्योग केन्द्र** के **प्रमुख उद्देश्य** निम्नवत् हैं –जनपद के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्षमतानुसार उद्योगों के चयन एवं उनकी योजना तैयार करने में सहायता करना। योजना चयन के बाद उद्यमियों एवं बेरोजगारों द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र भरने में उनकी सहायता करना। उद्यमियों को लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण/मेमोरेण्डम प्रदान करना। उद्यमियों एवं बेरोजगारों को वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना। यदि संभव हो तो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उनके उचित आवंटन में सहायता करना। उद्यमियों को उनके उत्पाद के विपणन व निर्यात हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करने तथा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न प्रदर्शानियों में उनके उत्पाद के प्रदर्शन की व्यवस्था करना। जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कराना। उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) उपलब्धता के आधार पर विकसित शेड/भूखण्ड उपलब्ध कराना। उत्कृष्ट औद्योगिक इकाईयों एवं हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत कराने हेतु प्रोत्साहन देना। रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु वांछित सहायता उपलब्ध कराना। मूल्य अनुबन्ध (रेट कान्ट्रेक्ट) योजना के अन्तर्गत इकाईयों को चयनित उत्पादों के विपणन में सहायता करना। पात्र औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित औद्योगिक समस्याओं का निराकरण एवं उन्हें स्वीकृतियां प्रदान कराना। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक औद्योगिकरण की गति से अधिक तीव्रता लाना। उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्ध तकनीकी जानकारी, उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना। वर्तमान समय में जिला उद्योग केन्द्र **''जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र''** के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक विकास के दृष्टिगत, जिला उद्योग केन्द्र जिला स्तर पर कार्य योजनाओं के प्रसार–प्रचार, सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करना, बैंक ऋण उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाईयों के उत्पादन के समुचित विपणन में सहायता इत्यादि कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।**''अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012''** में **एम0एस0एम0ई0** के त्वरित विकास हेतु उद्यमियों को सुगमतापूर्वक पंजीकरण (उद्योग आधार व्यवस्था ऑन–लाईन) उपलब्ध करना, एसाइड योजना, टेक्नालॉजी अपग्रेडशन योजना, कलस्टर विकास योजना तथा औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण योजना संचालित की गयी है। उद्योगों का आर्थिक विकास एवं रोजगार में महत्व को देखते हुए केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था बहाल करते हुए मात्रा एवं दर अनुबन्धों में क्रय वरीयता नीति लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, हस्तशिल्पियों कर कार्यकुशलता एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'शिल्पकार पेंशन योजना', 'हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना' ब्याज उपादान योजना तथा युवा स्वरोजगार योजना का भी संचालन किया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक विकास के लिए किये जा रहे प्रयास : जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योगों के विकास के लिए निम्नवत् प्रमुख कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

परामर्श एवं परियोजना निर्माण : जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्यमियों को न केवल उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है बल्कि परियोजना तैयार करने के लिए विभिन्न मदों में होने वाले व्यय तथा मशीनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहायता भी प्रदान किया जाता है।

उद्योग आधार पंजीकरण : सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सहायताओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उद्योग आधार नम्बर प्राप्त करना आवश्यक है। जिसके आधार पर उद्यमी, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, ऋण आदि विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय सुविधाएं, आयत–निर्यात एवं विपणन आदि की सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

भूमि की उपलब्धता एवं भवन निर्माण : सरकार द्वारा जनपद में औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को स्थापित कराने हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थान, औद्योगिक क्षेत्र तथा गीडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त भवन बनाने के लिए वर्कशाप बनाने के लिए जैसे– सीमेन्ट, पनात्रीदार चादर, एंगिल, चैनल आदि की मदद की जाती है।

औद्योगिक आस्थान : औद्योगिक आस्थान का मुख्य उद्देश्य जनपद में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। जनपद के औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान की स्थापना एवं विकास विकसित तथा अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। वृहद औद्योगिक आस्थानों में इस योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु वर्ष 2013–14 में 42.46 लाख रूपयें का बजट तीन जनपदों के तीन औद्योगिक आस्थानों के लिए प्राविधान किया गया। उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गोरखनाथ क्षेत्र में महाराणा प्रताप पालिटेक्निक के पास लथमलपुर में राजकीय औद्योगिक आस्थान 17.51 एकड़ में विकसित किया गया, जिनमें 16 शेड, 56 भूखण्ड विकसित किये गये हैं। इन औद्योगिक आस्थान में मुख्य रूप से बेकरी, एग्रीकल्चर एक्यूपमेन्ट, एग्रो प्रोसेसिंग एल्युमिनियम, कपूर, रेडीमेड गारमेन्ट, मार्बल्स आदि की 36 इकाईयाँ कार्यरत हैं। इन स्थापित प्रमुख इकाईयों में नारायण इण्डस्ट्रीज, पार्को फूड प्रोडक्टस, लक्ष्मी मेट्ल्स इत्यादि हैं। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 170 मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित है जिसमें जनपद गोरखपुर में चार मिनी औद्योगिक आस्थान, बासगांव, खजनी, बड़हलगंज एवं हरिहरपुर में विकसित किये गये हैं और इनमें क्रमशः 75, 45, 40 तथा 32 भूखण्ड आवंटित हैं।

तकनीकी उन्नयन योजना : आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा उदारीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से जनवरी 2007 में यह योजना प्रारम्भ की गई। जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन हेतु निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं–तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.50 लाख रूपये। उत्पादन में वृद्वि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रूपये। मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.05 प्रतिशत अधिकतम 50.000.00 रूपये। आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख रूपये। परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत अधिकतम 50000.00 रूपये ।

उद्योग बन्धु : प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 में उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी। जिससे उद्यमियों तथा शासन के विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय के साथ अधिकाधिक औद्योगिक निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। यह संस्था औद्योगिक वातावरण के सृजन द्वारा न केवल महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित करता है बल्कि अधारभूत सुविधाओं जैसे–भूमि, विद्युत, वित्त तथा अनुमन्य प्रोत्साहनों, सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीतियों का प्रतिपादन तथा शासकीय प्रावधानों के फलस्वरूप अनुभव की जा रही बाधाओं के लिए नीतिगत निर्णय लेने तथा नीतियों में यथासम्भव आवश्यक संशोधन कराने में उद्योग बन्धु उल्लेखनीय भूमिका निभाती है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम : बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने तथा शिक्षित/प्रशिक्षित तकनीकी (कुशल/अकुशल) बेरोजगार व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करनें तथा उन्हें स्वरोजगार प्रदान करनें, जिससे की औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जा सके, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन वर्ष 1978–79 से प्रदेश सरकार द्वारा किया रहा है। प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है।

एकल मेज व्यवस्था योजना : अनुकूल औद्योगिक वातावरण सृजन करने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियाँ प्रदान कराने इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए एकल मेज व्यवस्था के कार्यान्वयन का गठन शासन द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें उद्यमियों की समस्याओं को समाधान कराने तथा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत समय से स्वीकृतियां जारी कराने के लिए प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बैठकों के लिए सूचनायें, डाक व्यय, एजेण्डा नोट्स, कार्यवृत्त एवं सन्दर्भों आदि के लिये प्रत्येक माह व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है।

औद्योगिक नीति 1977 के अनुरूप गठित जिला उद्योग केन्द्र (जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र) गोरखपुर जनपद के औद्योगिक विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। यह संस्था जनपद में उद्यमियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा जनपद का औद्योगिक सर्वेक्षण कर उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने, अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं संभावित उद्योगों की योजना तैयार करने व उद्यमियों एवं बेरोजगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता, रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास में सहायता तथा औद्योगिक विकास के दृष्टिगत जिला स्तर पर कार्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार, योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करना, बैंक ऋण उपलब्ध कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराने में आ रही समस्याओं का निदान तथा उत्पाद हेतु विपणन में सहायता आदि का भी कार्य सम्पादित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि जिला उद्योग केन्द्र, उद्योगों के विकास के लिए परामर्श एवं परियोजना निर्माण में मद्द, उद्योग आधार पंजीकरण, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ औद्योगिक आस्थान की स्थापना एवं विकास, विकसित तथा अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में करती है।

सन्दर्भ :

1. औद्योगिक प्रोफाइल (1998), 'जिला उद्योग केन्द्र,' गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. उत्तर–प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति समीक्षा,(2013–14), उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश (नियोजन एवं समन्वय अनुभाग), कानपुर।
3. उत्तर प्रदेश (2016), सूचना जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा (2015–16), अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. जनपद गोरखपुर में लघु उद्योगों के विकास हेतु सुविधायें (2015–16), महाप्रबन्धक जिलाा उद्योग केन्द्र, गोरखपुर।
6. सामाजार्थिक समीक्षा जनपद गोरखपुर (2016), संख्याधिकारी (अर्थ एवं संख्या प्रभाग), राज्य नियोजन संस्थान, गोरखपुर।
7. गोरखपुर मण्डल का औद्योगिक परिचय, प्रोफाइल एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति(2016), सयुक्त आयुक्त उद्योग, गोरखपुर मण्डल।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 48-49

साहित्यिक पत्रकारिता

डॉ0 दयानन्द पाण्डेय*

*सहायक आचार्य, श्री गुरूगोरक्षनाथ महाविद्यालय, जोगियां, घुघली, महराजगंज, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत अध्ययन विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है। मनुष्य जो कुछ भी जानता–देखता है उसे अन्य व्यक्तियों तक पहॅुचाने का प्रयत्न करता है साथ ही सबकी बातों व घटनाओं के प्रति जिज्ञासा भाव भी रखता है। किसी घटना को परखना और उसका वर्णन करना मनुश्य मन की एक सहज प्रवृत्ति है। इसी भावाभिव्यक्ति के प्रवाह के कारण जन–माध्यम का आविश्कार हुआ। संवेदनाओं और अनुभूतियों के पारस्परिक आदान–प्रदान के लिए संचार माध्यमों का उपयोग होता है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देता हैं।

मुख्य शब्द : ज्ञान–प्राप्ति की उत्कण्ठा, चिन्तन एवं अभिव्यक्ति, अलौकिक शक्ति, राष्ट्रीय तथा मानवीय मूल्यों आदि ।

सूचना, विचार और अभिव्यक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहॅुचाने की मानव इच्छा बहुत पुरानी है। जिस प्रकार ज्ञान– प्राप्ति की उत्कण्ठा, चिन्तन एवं अभिव्यक्ति की इच्छा ने भाषा को जन्म दिया ठीक उसी प्रकार समाज में समाचारों के प्रति जिज्ञासा–भाव ने पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाषन को बढ़ावा दिया। पहले ज्ञान रूपी अलौकिक शक्ति कुछ वर्ग विशेष के लोगों की पूजी थी उसे पत्रकारिता द्वारा सर्वजन सुलभ कराया गया। परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन मनन और आत्माविभक्ति की प्रवृत्ति तथा सामाजिक कल्याण के प्रति व्यग्रता ने पत्रकारिता को जन्म दिया। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। गीता में जगह–जगह पर शुभ दृष्टि का प्रयोग है यह 'शुभ दृष्टि' है पत्रकारिता का मूल है जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना सम्मिलित है। समाज हित में सम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जा सकता है। ''पत्रकारिता अभिव्यक्ति की व सशक्त विद्या है, जो कलात्मक तथा वैज्ञानिक रूप से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, गरीबी, निरक्षरता आदि की प्रवृति से संघर्ष करती है। पत्रकारिता समाज की वह नब्ज है जो केवल ह्नदय के स्पंदन को ही प्रभावित नहीं करती है, अपितु समय–समय पर अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक क्रांति के लिए उद्वेलित करने के साथ ही दिशा निर्देशित भी करती है सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति ही इसका मूल ध्येय है। राष्ट्रीय तथा मानवीय मूल्यों की सतत् पूर्ति करना पत्रकारिता का नैतिक उत्तरदायित्व है। इसके द्वारा देशवासियों के नस–नस में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व एवं राष्ट्रीयता का संचार होता है। सद विचारों की अभिव्यक्ति, पवित्र भावों की अनुभूति और नैतिकता की पावन पीठ का ही पत्रकारिता है।''जीवन की विविधता और नित–नूतन साधनों की प्रचूरता ने पत्रकारिता को बहु–आयामी बना दिया है। आज पत्रकार अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुरूप अपने लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं क्योंकि यह गुण ही विशिष्टकरण का है। पत्रकारिता के अनुसंधान पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्र पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, सर्वोदय पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता आदि विविध रूप हैं। यहां साहित्यिक पत्रकारिता ही विचारणीय है।

साहित्यिक पत्रकारिता की मूल आत्मा साहित्य होती है। इसमें साहित्यिक गतिविधियों का पत्रकारिता के ढंग से सशक्त निरूपण होता है। पत्रकारिता साहित्य का अंग है और साहित्य दर्शन का ही भाग है क्योंकि यह जीवन को दिशा, प्रेरणा, जिजीविषा, ऊर्जा, रस प्रदान करता है साहित्य से जहां पत्रकारिता को सशक्त भाषा, अभिव्यक्ति एवं आधार मिलता है, तो दूसरी ओर पत्रकारिता साहित्य को विस्तार एवं नए आयाम देकर उसे जनमानस तक पहॅुचाता है। लोकरंजन, मनोरंजन एवं ज्ञानरंजन भी कराता है। साहित्य यदि स्रोत है तो पत्रकारिता तेज प्रवाह। इन विवादों को देखते हुए साहित्यकारों एवं पत्रकारों का मानना है कि ''सर्वोत्तम पत्रकारिता साहित्य है और सर्वोत्तम साहित्य पत्रकारिता है।'' प्रसिद्ध साहित्य–सेवी श्री बालकृष्ण राव ने स्पष्ट किया है कि, ''समसामयिक परिवेश से किसी न किसी रूप में प्रत्येक लेखक प्रेरणा ग्रहण करता है, चाहे वह साहित्यकार हो या पत्रकार, दोनों ही लेखक हैं दोनों ही सर्जनकार हैं, दोनों के कार्य किन्ही ऐसे गुणों की अपेक्षा करते हैं जो दोनों के लिए अपरिहार्य है। अनाविल दृष्ट, चिंतन, लेखन में प्रेषणीयता की शक्ति। दोनों देश व काल के आयामों पर अपनी अपनी विशिष्ट परंपराओं के अतिरिक्त उस संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक चेतना से भी सम्बन्ध है, जिसमें उन्हें अपनी बात औरों के प्रति निवेदित करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। प्रत्येक पत्रकार और अंशतः साहित्यकार भी है, प्रत्येक साहित्यकार अनिवार्यतः पत्रकार भी है। ''रघुवीर सहाय, ''पत्रकार और साहित्यकार को इसलिए समान मानते हैं क्योंकि दोनों ही नये मानव संबंध की तलाश करते हैं, दोनों ही बताना चाहते हैं कि समाज में दो मनुष्यों के बीच नया संबंध बन रहा है, और क्या और कैसे बन रहा है दोनों का उद्देश्य समान है–––––––– उपयुक्त अंतर मात्र शैली का अंतर है। वास्तव में सत्य के संचयन, विवेचन और प्रकाशन में पत्रकार तथा साहित्यकार एक समान हैं। साहित्य सृजन एवं सूक्ष्म रस बोध की दिशा में दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए तो बर्नाडशा ने ठीक ही कहा है कि ''शाश्वत साहित्य के लिए पत्रकारिता अवरोध नहीं बल्कि सहायक आधार है।'' डॉ0 रामप्रकाश गुप्त व डॉक्टर सुधीन्द्र कुमार ने लिखा है, ''साहित्य की विभिन्न विधाओं के संकलन, संचयन, संपादन, संशोधन, संयोजन, मुद्रण, प्रकाशन आदि से सम्ब) कार्यों को साहित्यिक पत्रकारिता कहते हैं।'' साहित्यिक पत्रिकाओं के मापदंड और उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विषयों और उनकी अन्य विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है–साहित्यिक पत्र का संपादन वस्तुतः साहित्यकार भी होता है। साहित्यिक पत्र में साहित्य की सभी विधाओं का समावेश होना चाहिए। साहित्यिक पत्र में संपादकीय

टिप्पणियों एवं अग्रलेख साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयों से संबंधित होना चाहिए। समसामयिक नव प्रकाशित साहित्य का परिचय एवं उनकी समालोचना तथा नये लेखकों और कवियों को उन्मिलित होने के लिए आवश्यक पीठ प्रदान करना साहित्यिक पत्रकारिता का सर्वोपरि कार्य है। बाल साहित्य एवं नारी जीवन के उत्थान से संबंधित विषयों को भी साहित्यिक पत्रों में उचित स्थान देना चाहिए। साहित्यिक पत्रों में रंगीन, सादे कार्टून चित्र तथा साहित्य के विद्वानों के चित्रों का प्रकाशन होना चाहिए। समकालीन साहित्योपयोगी, समाजोपयोगी एवं जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं आदि के विज्ञापन के साथ–साथ विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, अध्यात्म आदि विषयों को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए। साहित्यिक पत्र को नव अंकुरित किसी भी विचारधारा का तटस्थ होकर मूल्यांकन करना चाहिए। जन–जागृति साहित्यिक पत्रकारिता का प्रधान कार्य है।

सन्दर्भ :

1. आ0 महावीर प्रसाद द्विवेदी और साहित्यिक पत्रकारिता–इन्द्रसेन सिंह पृ0–11
2. हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, डॉ0 अर्जुन तिवारी , पृ0–27
3. इतिहास निर्माता पत्रकार – डॉ0 अर्जुन तिवारी पृ0–16
4. हिन्दी पत्रकारिता के नये प्रतिमान , बच्चन सिंह , पृ0–95
5. हिन्दी पत्रकारिता, 'भारतेन्दु पूर्व से छायावादोत्तर काल तक– डॉ0 धीरेन्द्र नाथ सिंह पृ0–22
6. छायावाद युगीन साहितयिक पत्रकारिता– रमेष चन्द्र त्रिपाठी पृ0–76
7. हिन्दी पत्रकारिता – कृष्ण बिहारी मिश्र , पृ0–116
8. हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और आयाम–राधेष्याम शर्मा पृ0–169
9. भारतेन्दु हरिष्चन्द्र और हिन्दी नवजागरण की समस्याए–डॉ0 रामविलास शर्मा पृ0–100
10. पत्रकारिता संदर्भ कोष– डा0ॅ राम प्रकाष गुप्त व डॉ0 सुधीन्द्र कुमार पृ0– 121
11. हिन्दी पत्रकारिता का विकास– एन0 सी0. पन्त ,पृ0–203
12. हिन्दी पत्रकारिता की रूपरेखा, खण्ड–2 पत्रकारिता के मूल सिद्धान्त– एन0 सी0 पन्त, मनोज कुमार, जितेन्द्र कुमार पृ0–30
13. हिन्दी की सर्वोदय पत्रकारिता– डॉ0 मृदुला वर्मा पृ0–40
14. समाचार पत्रों का इतिहास – अम्बिका प्रसाद वाजपेयी पृ0– 93

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 50-51

बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व

डॉ0 कुमारी अल्पना*

*गृहविज्ञान, उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका +2 सेवक देवनारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पानापुर कांटी, मुजफ्फरपुर, बिहार

सांराश : बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व से सम्बन्धित है। वही बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व पर विशेष रूप से संचालित विभिन्न पदानुक्रम द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों का आंकलन एवं मूल्यांकन विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्य शब्द : वृद्धि और विकास, प्रोटीन, कुपोषण, पौष्टिकता, भोजन प्रतिमान, आदि।

मूल्डर गेरार्ड (Mulder Gerard) इन्होंने अपने शोध एवं अनुसंधानों से यह परिणाम निकाला की सभी प्राणियों की कोशिकाओं एवं ऊतक प्रोटीन के बने होते है। उन्होंने जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक् करके उनका वर्णन किया और उन्हें प्रोटीन नाम दिया। **डॉ0 सिसेली विलियम (Decicely Willium)** 1935 के अनुसार, ''क्वाशियोरकार वह रोग है जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है।'' इन्होंने सर्वप्रथम अफ्रीका का निर्धन आबादी (जनजाति) में इस रोग की घटना का उल्लेख किया था। रोगी को लाल बालक कहा था। इस रोग से शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना तथा कार्यक्षमता में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते है। प्रोटीन की अपर्याप्तता में बाल, त्वचा, ऊतक, रक्त कोशिकाओं मे जल की मात्रा रक्ताणु (Blood Cells) यकृत (Liver), आहार नली, तंकित्रा तंत्र (Nervous System) प्रभावित होते है। बालक का शरीर रक्त क्षीणता, उदासीनता, क्षुधानाशक (Anorexia) त्वचा शोध (Odema) तथा अतिसार की स्थिति में बना रहता है। इसमें शारीरिक तथा मानसिक विकास बाधित होता है।

मानव जीवन और उसके हजारों वर्षों के अनुभव के बाद भी आज हम लोग वास्तव में कठिनाई से अपने को उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए काम में लगा रहे है। जो हमारे बच्चों को सही रूप में आहार देने तथा उनके उचित पालन–पोषण के लिये आवश्कय होता है। आहार एवं स्वास्थ्य तीनों ही हमारे जीवन के लिये मूल पहलू है। आहार से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों की उपयोगिता एवं प्रोटीन के महत्व को बताना है। पोषण सम्बन्धी गलत धारणायें, परम्परायें, मिथ्या, आदत एवं अज्ञान आदि को दूर करने पर भी अध्ययन का उद्देश्य है। आहार की पौष्टिकता बनाये रखने के लिए भोजन पकाने के विधियों पर ध्यान आकर्षित करना है। बच्चों को शरीर निर्माण तत्व प्रोटीन कुपोषण से बचाना है। प्रोटीन जीवन की आधारशीला है अतः जीवन की मजबूत नींव निर्माण की आवश्यकता को बताना है। आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तित्व के लिए प्रोटीन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को बताना है। प्रोटीन की पोषक गुणवत्ता या दक्षता शरीर की वृद्धि और विकास पर निर्भर करती है। उपलब्ध साधनों में प्रोटीन की गुणवत्ता में वृद्धि करके उपयोगिता और महत्व को बताना है।

बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व पर निम्नलिखित उपकल्पना का निर्माण किया है – बच्चों में प्रोटीन कुपोषण देखा गया है प्रोटीन कुपोषण शारीरिक वृद्धि विकास को प्रभावित करता है, प्रोटीन अभाव मनोदैहिक प्रभाव डालता है, प्रोटीन कुपोषण से बच्चों की लम्बाई और भार में गिरावट होती है, प्रोटीन मानव जीवन का आधार है, प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के साथ–साथ शारीरिक सौष्ठव में वृद्धि करता है, प्रोटीन युक्त भोजन से बच्चे स्वस्थ एवं प्रफुल्लित होते है, प्रोटीन आभाव से बच्चे उदास, सुस्त एवं रोगग्रस्त रहते है। बच्चों के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है इन्हें आज भी हमारे भारतवर्ष में कुपोषित बच्चे देखने को मिल रहे है। विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभ करने से भी कुपोषण जड़ से खत्म नहीं हो पा रहा है। इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना होगा। प्रोफेसर हापकिन्स (कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय) ने पोषण और विकास से सम्बन्धित कई वर्षो तक अध्ययन किया और पाय, कि दैनिक आहार में दूध का उपयोग करने से बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है। अतः मनुष्य के आहार में शरीर पोषण की दृष्टि से दूध का विशेष महत्व हैं। **ऑसवोर्न और मेण्डल** ने भी अपने अध्ययन से यह सिद्ध किया है कि दूध से प्राप्त प्रोटीन से शरीर वृद्धि तीव्र गति से होती है।

शरमैण और डाइले (अमेरिका) ने दूध और कैल्शियम की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है इसी प्रकार शोध पत्रिका Archievers of Pediatrics and Adoleseent Medicine (vol. 159, No. 6, June, 2005 में Catherine-5 Berkey तथा अन्य ने Milk, Dairfat, Dietary Calciumand Weight Prain नामक शोध पत्र में किशोर में होने वाले वजन परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य संवर्द्धन में दूध की महती भूमिका होती है लेकिन दूध में उपलब्ध प्रोटीन की अधिकता के कारण शारीरिक वजन बढ़ता है जबकि दूध में कैल्शियम की अधिकता वजन घटाता भी है। उन्होंने अपने शोध पत्र में दूध के साथ कैल्शियम, वसा और वजन परिवर्तन के सह–सम्बन्ध को दर्शाया है। उन्होंने शोध में पाया कि जो बच्चे अधिक दूध पीते है। उनका वजन बढ़ता है और कुछ बच्चों में अत्यधिक ऊर्जा का ग्रहण होता है। इससे किशोरावस्था में बच्चे अत्यधिक मोटे दिखते है।

Murata M. (अन्य अध्ययन) 2000 ने जापानी बच्चों पर भी अध्ययन किया और जापानी बच्चों के भोजन प्रतिमान (Eating Patterns) के प्रभाव का जिक्र किया है उसी प्रकार Pulton, JE (2001) ने युवाओं में वजन वृद्धि पर प्रभावों का अध्ययन किया। एक अन्य अध्ययन R.P. Davieskm आदि ने 2002 में किया जिसमें कैल्शियम और वजन का Clinical अध्ययन किया है।

Sigrid A, Gibson ने Break Past Cereal Comsumption in Young Childern पर United Kingdom में शोध किया। इस शोध में निर्देश के रूप में लेते है वे कम पोषण वाले नाश्ते में अनाज के रूप में लेते है वे कम पोषण वाले नाश्ते की तुलना में अधिक वृद्धि हो पाते है। George's Medical College Lucknow- Deptt. of Social and Preventive Medicine में P.S. Gill, B.G. Prasad and R.N. Srivastava ने Nutrinional Status of Primny School Children in Rural Area of Lucknow ने अध्ययन किया है कि इस अध्ययन हेतु 8 से 15 वर्ष की आयु समूह के 812 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवार के निम्न सामाजिक आर्थिक समूह के थे। इस अध्ययन में दोनों लिंगों में विभिन्न आयु समूह के वजन और लम्बाई के अन्तरों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने अध्ययन में पाया कि 77 प्रतिशत, 1 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है जिसमें प्रोटीन कैलोरी की कमी पायी गयी ऐसे बच्चों का प्रतिशत 60.8 प्रतिशत था 46.3 प्रतिशत बच्चों में विटामिन–ए की कमी और 10.3 प्रतिशत में विटामिन–डी की कमी पायी गयी। प्रोफेसर हॉपाकिन्स (1912) ने अपने अनुसंधान में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि ''चूहों के दैनिक आहार में थोड़ा सा दूध मिला दिया जाये तो उनका विकास तीव्र गति से होता है। ऑसवोर्न और मण्डल ने यह सिद्ध किया है कि ''दूध से प्राप्त प्रोटीन से (अन्य प्रोटीन की अपेक्षा) शरीर वृद्धि तीव्र गति से होती है।

मेक्कोलम ने 84 बालकों के समूह पर अनेक प्रयोग किये। इनको दो वर्गो में बांट दिया। एक वर्ग को प्रतिदिन आहार में एक किलो दूध शामिल किया गया तथा दूसरे वर्ग में दूध को छोड़कर सभी पोषक तत्व दिये गये है। पहले वर्ग के बालकों की शारीरिक बाढ़ और स्वास्थ्य पर दूध का प्रभाव शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगा। एक वर्ष के भीतर ही उनका भार और ऊँचाई ही नहीं बल्कि वे पहले से अधिक प्रसन्नचित्त रहने लगे, उन्होंने दूध को बच्चों के विकास के लिए एक अति आवश्यक भोज्य पदार्थ कहा है।

सन्दर्भ :

1. श्रीवास्तव, आराधना (2020) : ''आहार एवं उपचारात्मक पोषण'' विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी–01, पृ0 1–17, 34–36, 172–174
2. अग्रवाल, नीता (2009) : 'बाल विकास' संस्करण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 196–232
3. विनायक, जे0एस0 (1990) : 'बाल विकास एवं मनोविज्ञान संस्करण', संजीव प्रकाशन मेरठ, पृ0 108–111
4. सिंह, वृद्धा (2009) : 'बाल विकास, संस्करण' पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ0 535–563
5. बखशी, कौर श्रीमती भूपिन्द (2011) : 'बाल विकास, संस्करण', प्रकाशन हर्ष नगर, कानपुर, पृ0 183–195
6. जैन, प्रभा शशि (2001) : 'बाल विकास संस्करण', प्रकाशन आगरा मलवा, पृ0 175–182
7. तिवारी, अर्चना (2005) : 'बाल विकास, संस्करण', प्रकाशन शिवा प्रकाशन, इन्दौर, पृ0 75–82

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 52-54

अनुवाद और भाषा–विज्ञान में अंतःसम्बन्ध : एक विश्लेषण

डॉ0 देवर्षि कुमार मिश्र*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। सामान्यतः किसी एक भाषा में अभिव्यक्त कथन को अन्य भाषा में उसके अर्थ गांभीर्य के साथ रूपान्तरण को 'अनुवाद' कहते हैं। अनुवाद पूर्णतः भाषा पर आधारित होता है। अनुवाद का भाषा से आन्तरिक सम्बन्ध है। अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भाषा है। भाषा ध्वनि–प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने भाव और विचार प्रकट करता है। भाषा का सम्बन्ध किसी एक भाषा से नहीं है। इसका सम्बन्ध मानव मात्र की भाषा से है, जिससे संसार की समस्त भाषाएँ सम्बद्ध हैं। अनुवाद में भाषा रूपांतरण के साथ अर्थ की रक्षा अपरिहार्य है। अतः अनुवाद को स्त्रोत एवं लक्ष्य भाषा की प्रकृति, संरचना, रूप/पद, वाक्य अर्थ आदि का वैज्ञानिक ज्ञान होना अति आवश्यक है।

मुख्य शब्द: गांभीर्य, भाषान्तरण, स्त्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, सर्वांगीण, संरचना, अनुप्रयोग, लिप्यंतरण, श्रृंखलाबद्ध, पारिभाषिक, अनुलेखन, अर्थांतरण, अन्योन्याश्रित आदि।

अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। सामान्यतः किसी एक भाषा में अभिव्यक्त कथन को अन्य भाषा में उसके अर्थ गांभीर्य के साथ रूपान्तरण को 'अनुवाद' कहते हैं। अनुवाद पूर्णतः भाषा पर आधारित होता है। भाषा वैज्ञानिक इसे भाषान्तरण की प्रक्रिया मानते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं, ''एक भाषा की किसी सामाग्री का दूसरी भाषा में रूपान्तरण ही अनुवाद है।''[1] अनुवाद का भाषा से आन्तरिक सम्बन्ध है। अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम भाषा है। भाषा ध्वनि–प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने भाव और विचार प्रकट करता है। भाषा का सम्बन्ध किसी एक भाषा से नहीं है। इसका सम्बन्ध मानव मात्र की भाषा से है, जिससे संसार की समस्त भाषाएँ सम्बद्ध हैं। भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। इसका विधिवत वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा विज्ञान कहलाता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक आचार्य कपिलदेव द्विवेदी जी लिखते हैं,''भाषा–विज्ञान भाषा का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत करता है, अतः उसमें भाषा के सभी घटकों का अध्ययन होता है।''[2] भाषा विज्ञान के अन्तर्गत ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि घटक विज्ञानों का समावेशी अध्ययन–विश्लेषण होता है। अनुवाद में स्त्रोत भाषा (Source Language) तथा लक्ष्य भाषा (Target Language), दोनों का ध्वनि, शब्द, रूप/पद, वाक्य आदि के आधार पर तुलना करके अपेक्षित परिणामों को अनुप्रयोग करते हैं। इससे अभीष्ट अर्थ प्रतीत का कार्य सरल हो जाता है क्योंकि इन विभिन्न स्तरों पर दो या अधिक भाषाओं में प्रकृति, संरचना, शैलीगत विभिन्नताएँ होती हैं। उक्त सावधानियों के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अनुवाद में अर्थ की रक्षा अपरिहार्य है। अनुवाद में स्त्रोत व लक्ष्य भाषाएँ होती हैं। स्त्रोत व लक्ष्य भाषा के भाषिक अध्ययन–विश्लेषण के अभाव में अनुवाद कार्य असंभव होता है। दोनो भाषाओं की अपनी–अपनी वैज्ञानिक विशेषताएँ होती हैं। अपनी–अपनी ध्वनि–प्रतीकादि की व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त व्याकरणिक व्यवस्था भी। अनुवाद में दोनों भाषाओं की तुलना आवश्यक है। भाषा–वैज्ञानिक डॉ0 भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा है, ''..भाषा विज्ञान भाषा का जिन–जिन दृष्टियों–ध्वनि, शब्द रूप, वाक्य, अर्थ, लिपि–से अध्ययन करता है, अनुवाद के लिए उन सभी दृष्टियों से स्त्रोत और लक्ष्य भाषा की तुलना की आवश्यकता होती है।''[3] भाषा–वैज्ञानिक, भाषा–विज्ञान को भी कई रूपों में विभक्त करते हैं। जिनमें प्रमुख चार रूप हैं। एक कालिक, बहुकालिक, (ऐतिहासिक), तुलनात्मक और प्रायोगिक। डॉ0 भोलानाथ तिवारी जी भाषा विज्ञान की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, ''भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसने भाषा अथवा भाषाओं का एक कालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अथवा अनुप्रायोगिक अध्ययन विश्लेषण तथा तद्विषयक सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है।''[4] एक कालिक में किसी भाषा के किसी एक काल के रूप का विवेचन–विश्लेषण किया जाता है। ऐतिहासिक में कई एक कालिक विश्लेषणों को श्रृंखलाबद्ध करके उसका विवेचन करते हैं। तुलनात्मक में दो या दो अधिक भाषाओं की तुलना करते हैं। अनुप्रायोगिक में उक्त अध्ययनों के परिणामों का अन्य अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अनुवाद में उक्त सभी प्रकार के विश्लेषणों की आवश्यकता होती है। इक्कीसवीं सदीं में अनुवाद का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। अध्ययन और अनुसंधान के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की महती आवश्यकता का अनुभव होता है। आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा का प्रायोगिक पक्ष अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। प्रायोगिक या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान मनुष्य के कार्य व्यापार में उद्‌भुत भाषिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। डॉ0 भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं, ''..'अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान' में भाषा विज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का मानव जाति की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग (Application) करते हैं। सीधे–सरल शब्दों में कहना चाहे तो भाषा विज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का विभिन्न विषयों में प्रयोग ही 'अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान' है।''[5] इसका प्रयोग भाषा सिखाने कोश बनाने, शैली विज्ञान तथा अनुवाद आदि में होता है। अनुवाद में क्योंकि एक भाषिक संरचना के ध्वन्यात्मक–प्रतीकों के आधार पर सम्प्रेष्य अर्थ को दूसरी अन्य भाषिक संरचना में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए अनुप्रयुक्त भाषा–विज्ञान इसमें सहायक है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अन्तर्गत ज्ञान क्षेत्र, विधा क्षेत्र तथा भाषा शिक्षण प्रमुख हैं। ज्ञान क्षेत्र में भाषा–विज्ञान और उसके सिद्धान्तों को प्रयोग ज्ञान के अन्य क्षेत्रों के स्पष्टीकरण के लिए होता है। यथा–समाजभाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान आदि। विधा क्षेत्र के अन्तर्गत भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतो का प्रयोग विशेष विधाओं के संदर्भ में किया जाता है। यथा–शैली विज्ञान, कोश विज्ञान आदि। भाषा–शिक्षण में दूसरी भाषा शिक्षण अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरी भाषा एक पारिभाषिक शब्द है। मातृभाषा जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है,

दूसरी भाषा को सीखने में माध्यम का काम करती है। भाषा–शिक्षण में अनुवाद का प्रमुख कार्य होता है। स्पष्ट है कि अनुवाद को अनुप्रयुक्त या प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अन्तर्गत इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि अनुवाद कार्य में स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की यात्रा में हम जिन प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरते हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जात है। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया में प्रथमतः स्त्रोत–भाषा की विकोडिंग होती है उसके बाद लक्ष्य भाषा में पुनः कोडिंग होती है।

अनुवाद और व्यतिरेकी भाषाविज्ञान में विशेष अनुबंध है। 'व्यतिरेकी' का तात्पर्य 'असमानता' या 'विरोध' है। व्यतिरेक भाषा विज्ञान में किन्हीं दो या अधिक भाषाओं की तुलना करके उनमें असमानताओं का पता लगाया जाता है। अनुवाद के सन्दर्भ में स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों में रूपात्मक, तुलनात्मकता और उसके आधार पर उन दोनों भाषाओं में व्याप्त असमानताओं की उचित व्याख्या करना है। स्पष्ट है इसका कार्य अनुवाद में स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य व्याप्त असमानताओं के प्रति भाषाई सजगता उत्पन्न करना है। यथा–हिन्दी के 'नाचने वाली' शब्द का अंग्रेजी अनुवाद संदर्भ के अनुसार Dancer और About to dance होगा। इसी प्रकार 'टोपी वाली' की अनुवाद 'Wearing Cap' या 'Cap Seller' होगा। अस्तु स्पष्ट है अनुवाद का सीधा सम्बन्ध व्यतिरेकी विश्लेषण से है।

भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि है। हर भाषा की अपनी एक ध्वन्यात्मक–व्यवस्था होती है। विभिन्न भाषाओं में कुछ ध्वनियाँ समान, कुछ ध्वनियाँ लगभग समान, कुछ भिन्न और कुछ एक भाषा में होती है किन्तु दूसरी भाषा में नहीं। ध्वनि से सम्बन्धित विज्ञान को ध्वनि विज्ञान कहते हैं। अनुवाद में ध्वनि विज्ञान के विषय–विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ0 भोलानाथ तिवारी जी अनुवाद और ध्वनि विज्ञान के सम्बन्ध के सन्दर्भ में लिखते हैं, ''अनुवादक जिस सामग्री का अनुवाद करता है उसमें दो प्रकार के शब्द हो सकते हैं। एक तो वे जिनका अनुवाद किया जाता है और दूसरे वे जिनका अनुवाद नहीं किया जाता और जिन्हें थोड़े–बहुत परिवर्तन के साथ प्रायः मूल रूप में ही स्त्रोत भाषा से उठाकर लक्ष्य भाषा में रख देते हैं। इस दूसरे प्रकार के शब्दों को स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में लाने में अनुवादक को ध्वनि–विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है।''[6] ध्वनि विज्ञान एक से अधिक प्रकार का है। अनुवाद में वर्णनात्मक और तुलनात्मक ध्वनि विज्ञान की सहायता प्रायः लेनी पड़ती है। वर्णनात्मक ध्वनि–विज्ञान के आधार पर स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की ध्वनियों का विवेचन–विश्लेषण करते हुए तुलनात्मक ध्वनि विज्ञान के द्वारा अंतिम निर्णय तक पहुँचते हैं कि स्त्रोत भाषा की किस ध्वनि के लिए लक्ष्य भाषा की कौन सी ध्वनि उपयुक्त होगी। ध्वनियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इन्हें चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

समान ध्वनियाँः कुछ ध्वनियाँ एकाधिक भाषाओं में समान होती हैं। यथा– हिन्दी में– ग्, ब्, न्, म्, य्, स्, फ् तथा अंग्रेजी में – G, B, N, M, Y, S-C, F आदि। इस प्रकार की ध्वनियों में अनुवाद में कोई समस्या नहीं होती है। सहजता के साथ स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद हो जाता है।

कुछ (लगभग) समान ध्वनियाँ : किन्हीं दो या अधिक भाषाओं की कुछ समान ध्वनियाँ वे होती है। जिनमें कुछ बातों में समानता हो और कुछ में स्पष्ट असमानता। यथा– हिन्दी में – च्, छ्, ज्, झ् (स्पर्श–संघर्षी) तथा संस्कृत में च्, छ्, ज्, झ् (स्पर्श), हिन्दी में न् (वर्त्स्य), संस्कृत में – न् (दन्त्य) उक्त से स्पष्ट है कि दोनो भाषाओं की ध्वनियाँ लगभग समान हैं। अनुवाद में स्त्रोत भाषा की ऐसी ध्वनियों के लिए लक्ष्य भाषा में लगभग समान ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त और उक्त कोई विकल्प नहीं है।

असमान/भिन्न ध्वनियाँ : ऐसी ध्वनियाँ जो उच्चारण और श्रवण के स्तर पर भिन्न होती हैं, असमान ध्वनियाँ कहते हैं। यथा–अरबी में ज़ोय, ज़्वाद, ज़ाल के 'ज्' हिन्दी के 'ज्' से भिन्न हैं। फिर भी अनुवाद में भिन्नता का विचार त्याग इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ ध्वनियाँ एक भाषा में होती है किन्तु दूसरी में नहीं। अनुवाद में ऐसी ध्वनियों का स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग करना चाहिए। यथा– Jespersen (येस्पर्सन), Plato (प्लेटो) आदि।

अनुवाद प्रक्रिया में हमें अनूद्य सामग्री में दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। प्रथम वे जिनका अनुवाद हो जाता है। द्वितीय वे जिनका अनुवाद नहीं होता है, उन्हें थोड़े–बहुत ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ प्रायः मूल रूप में लक्ष्य भाषा में लिख दिया जाता है। इसे लिप्यंतरण कहते हैं। इसे अनुलेखन भी कहा जाता है। अनुलेखन से तात्पर्य है स्त्रोत भाषा के शब्द की वर्तनी पर अधिक ध्यान न देते हुए उच्चारण के आधार पर लक्ष्य भाषा में लिखना। इसमें स्त्रोत भाषा के ऐसे शब्दों को लक्ष्य भाषा में लिखने की समस्या पर विचार किया जाता है। इसका सम्बन्ध लिपि विज्ञान से है। डॉ0 भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं, ''यदि अनुवादक किसी से कोई बात सुनकर उसका अनुवाद करके लिख रहा है तो वह स्त्रोत भाषा की ध्वनि को पहले लक्ष्य भाषा की ध्वनि में परिवर्तित करता है और फिर लक्ष्य भाषा की उन ध्वनियों के प्रतिनिधि लिपि–चिन्हों में उन्हें लिखता है।''[7]

स्पष्ट है अनुवाद की प्रक्रिया में स्त्रोत भाषा के शब्द की वर्तनी से सीधे लक्ष्य भाषा के शब्द की वर्तनी पर नहीं आना चाहिए। उदाहरणार्थ– Rousseau या Meillet जैसे फ्रांसीसी नाम हिन्दी में सीधे लिखे तो 'राउस्सेअउ' तथा 'मेइल्लते' होंगे जबकि इन्हें 'रूसो' और 'मेइसे' होना चाहिए। इसलिए अनुवाद में स्त्रोत भाषा की वर्तनी से उसके उच्चारण पर फिर स्त्रोत भाषा के उच्चारण से लक्ष्य भाषा के उच्चारण पर आकर तब लक्ष्य भाषा की वर्तनी/लिपि में लिखे। इससे गलतियों की संभावना नहीं होती है।''भाषा की सार्थक, लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं।''[8] शब्द विज्ञान में शब्दों का अनेक आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। शब्द में भाषा की समस्त मूल सार्थक व स्वतन्त्र इकाइयाँ होती हैं। यथा–संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, अव्यय आदि। इन्हीं के आधार पर स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। डॉ0 भोलानाथ तिवारी जी लिखते हैं, ''..शब्द वह ईंट है जिसे संबंध–तत्व (प्रत्यय या कारण चिह्न आदि) के गारे से आपस में जोड़कर वाक्य रूपी दीवार चुनते हैं और इसी दीवार से भाषा का महत्व खड़ा होता है। फिर, जब अनुवाद एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा के वाक्यों में रूपांतरित करके किया जाता है तो सहज ही अनुवाद और शब्द विज्ञान आपस में बहुत अधिक सम्बन्धित है। यह कहना अन्यथा न होगा कि बिना शब्द

(विज्ञान) की सहायता के अनुवाद हो ही नहीं सकता।"[9] स्पष्ट है अनुवाद में स्त्रोत भाषा के भावों व विचारों को सरलतापूर्वक लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए लक्ष्य भाषा के शब्द भण्डार का वर्गीकृत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। रूप/पद विज्ञान के अन्तर्गत भाषा की रूप रचना का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। किसी भाषा के वाक्य रूप/पदों से बनते हैं। अब, क्योंकि अनुवाद में एक भाषा का रूपांतरण/अर्थांतरण दूसरी भाषा में होता है; तब इसमें स्त्रोत भाषा के रूपों या रूप–समुच्चयों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के अपेक्षित रूप समुच्चयों का प्रयोग होता है। अनुवादक को स्त्रोत एवं लक्ष्य, दोनों भाषाओं की रूप–रचना का गंभीर ज्ञान होना चाहिए। रूप–रचना में अपवादों से भी परिचित होना आवश्यक है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यथा–हिन्दी में लगभग सभी धातुओं के अन्त में आ,इ,ए,ई, आदि लगाकर भूतकालिक रूप बनते हैं– चला, चली, चले, पढ़ी, पढ़े। किन्तु कर, दे, ले, जा आदि अपवाद हैं। स्पष्ट है अनुवाद और रूपविज्ञान में भी सम्बन्ध है। रूप रचना का ज्ञान अनुवादक को अवश्य होना चाहिए। अनुवाद में वाक्य विज्ञान की भी अति विशिष्ट भूमिका है। वाक्य विज्ञान में किसी भी भाषा के वाक्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। अनुवाद में एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा के वाक्यों की प्रकृति के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। अनुवाद में वाक्य विज्ञान के ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है। अनुवाद में लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक नियम, रूप, वाक्य संरचना आदि का ध्यान रखना पड़ता है।

यथा– The doctor felt my pulse
डॉक्टर ने मेरी नब्ज महसूस की (X)
डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ देखी (✓)

ऐसे ही–
फूल तोड़ो।
Breack the flower (X)
Pluck the flower (✓)

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुवाद के लिए वाक्य विज्ञान का अध्ययन जरूरी है। अर्थ विज्ञान के अन्तर्गत किसी भी भाषा में अर्थ का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक आचार्य कपिलदेव द्विवेदी लिखते हैं, "जिस प्रकार मानव–शरीर का सार भाग आत्मा है, उसी प्रकार भाषारूपी शरीर की आत्मा अर्थ है।"[10] अनुवाद में क्योंकि अर्थ का प्रतिस्थापन ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे अधिक महत्व अर्थविज्ञान का है। अनुवाद इसलिए सबसे अधिक महत्व अर्थविज्ञान का है। अनुवादक को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। अनुवादक को विभिन्न अर्थच्छायाओं में से सटीक अर्थ को लक्ष्य भाषा व्यक्त करना होता है। हर भाषा में (अर्थ) सूचना प्रदान करने की क्षमता भिन्न होती है। एक भाषा के वाक्य का जब किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि लक्ष्य भाषा में वह उतनी ही सूचना दे जितनी स्त्रोत भाषा में दे रहा था। यथा– मोहन इन दिनों दवा पी रहा है' का अंग्रेजी अनुवाद Mohan is taking medicine these days' होगा। यहाँ मोहन इन दिनों दवा पी रहा है तथा 'Mohan is taking medicine these days' दोनों वाक्य समानार्थी नहीं रहे। क्योंकि taking या लेना में 'पीना' भी सम्भव है और 'खाना' भी। स्पष्ट है हिन्दी वाक्य अपेक्षा कृत अधिक सटीक (exact) सूचना दे रहा है अंग्रेजी वाक्य की अपेक्षा। अस्तु अनुवाद और अर्थविज्ञान में आंतरिक सम्बन्ध है। अर्थविज्ञान के अभाव में अनुवाद कार्य में बाधा होगी।

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुवाद और भाषा विज्ञान में अन्योन्याश्रित अंतःसम्बन्ध है। अनुवाद में भाषा रूपांतरण के साथ अर्थ की रक्षा अपरिहार्य है। अतः अनुवाद को स्त्रोत एवं लक्ष्य भाषा की प्रकृति, संरचना, रूप/पद, वाक्य अर्थ आदि का वैज्ञानिक ज्ञान होना अति आवश्यक है।

सन्दर्भ :

1. अनुवाद विज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, 1972 ई0 पृ0–15
2. भाषा–विज्ञान व भाषा–शास्त्र, डॉ0 कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यिलाय प्रकाशन, वाराणसी, 2016, पृ0–8
3. अनुवाद विज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, 1972 ई0 पृ0–42
4. भाषाविज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, किताब महल, 1986 ई0 पृ0–20
5. भाषाविज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, किताब महल, 1986 ई0 पृ0–19
6. अनुवाद विज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, 1972 ई0, पृ0–44
7. अनुवाद विज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, 1972 ई0, पृ0–53
8. शब्द विज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, 1982 ई0, पृ0–17
9. अनुवाद विज्ञान, डॉ0 भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली, 1972 ई0, पृ0–99
10. भाषा–विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, डॉ0 कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2016 ई0, पृ0–9

अन्य सहायक ग्रन्थ :

1. अनुवाद कला, डॉ0 एन0 ई0 विश्वनाथ अय्यर, प्रमाण प्रकाशन, दिल्ली
2. बैंको में अनुवाद की समस्याएँ, डॉ0 भोलानाथ तिवारी एवं डॉ0 श्री निवास द्विवेदी, शब्दकार, दिल्ली
3. अनुवाद की व्यावहारिक समस्याएँ, डॉ0 भोलानाथ तिवारी एवं डॉ0 ओमप्रकाश गाबा, शब्दकार, दिल्ली

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 55-56

स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता का योगदान : बिहार के संदर्भ में

डॉ0 राजीव कुमार*
*पूर्व शोध छात्र, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : मानवीय ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना पत्रकारिता है। अपने स्वरुप में यह शब्द बहुआयामी है। इसका कार्य सरकार की नीति को जनता तक पहुँचाना और सरकार को जनता की आवश्यकताओं तथा सरकारी नीतियों के प्रति जनता के प्रतिक्रियों अवगत कराना है। अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य जनमानस में जन–चेतना का विकास करना था। स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता में घनिष्ठ संबंध महसूस किया जा सकता है। बिहार में भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसार को मजबूती प्रदान करने में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिहार में तीन भाषाओं (अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी) में पत्र–पत्रिकाएं निकाली जाती थीं।

बिहार में पत्रकारिता के इतिहास को तीन भागों में बाँटा जा सकता है– अंग्रेजी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता और हिन्दी पत्रकारिता। इनमें अंग्रेजी पत्रकारिता पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय भद्र जनों द्वारा संरक्षित और प्रसारित किया जाता था जबकि उर्दू और हिन्दी पत्रकारिता का संबंध आमजनों से था क्योकि उर्दू और हिन्दी आम जन की सामान्य भाषा थी। पत्रकारिता का प्रमुख उद्‌देश्य जन चेतना का विकास करना था। इसने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ों को न सिर्फ सिंचा बल्कि उसे पुष्पित–पल्लवित भी किया।

भारत में पत्रकारिता का इतिहास यथपि यूरोपीय कंपनियों के साथ जुड़े प्रबुद्ध लोगों के भारत आगमन के साथ आरंभ हुआ। इस संदर्भ में पुर्तगालियों का स्थान प्रथम माना जाता है, जिनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रिटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न कंपनी के असंतुष्ट कर्मियों ने किया था जिनका उद्‌देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करना था। 1776 में विलियम बोल्टस की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नीजि व्यापार के लिए निंदा की इससे क्षुब्द होकर त्याग पत्र देकर यह इच्छा प्रकट की कि वह समाचार पत्र निकालेगा। उसने साहस के साथ यह कहा कि उसके पास हस्तलिखित रूप में बहुत से तथ्य है जो सभी व्यक्तियों से गहरा संबंध रखते है। शासकीय पक्ष में प्रतिक्रिया स्वरूप बोल्टस की योजना उभर कर सामने नहीं आयी। प्रकार्यात्मक रूप से देखा जाय तो प्रथम समाचार पत्र जेम्स अंगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट था। यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छपता था। उस समय बिहार बंगाल प्रांत का अंग था। हिक्की को भारतीय इतिहास ने आधुनिक प्रेस का पिता कहा जाता है। उसने कंपनी के भ्रष्टाचार और गबन पर बिना अधिकारियों के नाम लिखें अनेक आलेख लिखे। तत्कालीन दमन कानूनों से बचने के लिए वह अनेक छदम नामों से आलेख लिखा करता था। 1807 में सरकार विरोधी आलेखों के प्रकाशन के कारण वरना कुर्लर प्रेस एक्ट के तहत द बंगाल गजट को प्रतिबंधित कर दिया गया। तीनों प्रकार की भाषायी पत्रकारिता का विवरण निम्न प्रकार का है।

अंग्रेजी पत्रकारिता– बिहार में समाचार पत्रों का विकास 1874 के बाद शुरू हुआ। 1870 से 1880 का दशक इस संदर्भ में संक्रमण काल माना जाता है क्योंकि, इस दौरान भारतीय और पाश्चात्य दोनों विशेषताओं से युक्त अभिव्यक्ति उभर कर सामने आयी। 1875 ई में गुरू प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र 'दि बिहार हेराल्ड' का प्रकाशन शुरु हुआ। 1881 में पटना से 'इंडियन क्रॅानिकल' समाचार पत्र प्रकाशित हुआ।

बीसवी शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा 'दि मदरलैंड' तथा 'बिहार स्टैंडर्ड' का प्रकाशन शुरू किया गया। 'दि बिहारी' तथा 'दि बिहार टाईम्स' का प्रकाशन इसी काल में आरंभ हुआ जो बिहार को बंगाल से पृथक प्रान्त बनाने की मांग को पूरजोर तरीके से उठाते रहें। पटना में 1903 ई में एक साप्ताहिक बिहार टाईम्स का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1906 ई में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले 'बिहार न्यूज' के साथ जोड़कर 'दि बिहारी' का नया नाम दिया गया। 1912 से एक दैनिक के रुप में सतत प्रकाशित होने के बावजूद आर्थिक कारणों से 1917 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। आगे चलकर इसका स्थान 'दि सर्चलाइट' ने लिया जो 15 जुलाई, 1918 से प्रकाशित होने लगा। इसके प्रथम संपादक सैयदद हैदर हुसैन थे। 1930 से यह एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ यह तथ्य प्रासंगिक है कि सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ों आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों की सोच एवं अभिव्यक्ति के रूप में सर्चलाईट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द मैन नामक समाचार पत्र ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुख्य भूमिका निभाई। इसके संपादक मजरुल हक थे।

असहयोग आंदोलन के दरम्यान मौलाना मजहरुल हक ने 'द मदरलैंड' समाचार पत्र का प्रकाशन शुरु किया। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की जाती थी। इस दुस्साहस के कारण इस समाचार पत्र पर राजद्रोह का मुकदमा थोपा गया और इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1924 ई में मो0 युनूस ने द पटना टाइम्स का प्रकाशन शुरु किया जो 1944 तक निरंतर प्रकाशित होता रहा। 1931ई0 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का संपादन प्रारंभ किया। ये सभी अंग्रेजी समाचार पत्रभारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने लगे थे।

उर्दू पत्रकारिता–उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अन्वार शाहाबाद के आरा से प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक मोहम्मद हाशिम थे। आगे सदा ए आम ने भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। वस्तुतः उर्दू पत्रकारिता बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में सीमित रही।

हिन्दी पत्रकारिता– की प्रगति बिहार में धीमी गति से हुई। कोलकत्ता में 1872 में स्थापित 'बिहार बंधु' बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। बिहार से पहला हिन्दी दैनिक 'सर्वहितैषी' के नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1913 में एक अन्य दैनिक हिन्दी बिहारी का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। परंतु इन सबको विशेष लोकप्रियता प्राप्त नही ंतो सकी। इसी समय दैनिक बिहारी का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसने चम्पारण से निलहों के अत्याचारों को जनता के समक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में कुछ नेताओं ने एक हस्तलिखित मासिक पत्र 'बंदी कैदी' निकाला और यहीं से एक अन्य मासिक पत्र 'कारागार' भी प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार 'सत्याग्रह समाचार' ने सविनिय अवज्ञा आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, किन्तु इसे उस आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत छोड़ों आंदोलन में भी मुंगेर से प्रकाशित मुंगेर समाचार नामक साप्ताहिक पत्र और किसानों का मुख पत्र 'हुकार; ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 'दि इंडियन नेशन' का हिंदी सह–प्रकाशन 'प्रदीप के नाम' से 1947 में शुरु हुआ। इसने आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका अदा की।

निष्कर्ष : यह कहा जा सकता है कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन कालीन पत्रकारिता का स्वरूप अखिल भारतीय पत्रकारिता के समकक्ष था बिहार प्रारंभ से ही बौद्धिक रूप से उर्वर प्रांत रहा है। यहॉ के पत्रकारिता एवं लेखन करने वाले बौद्धिक लोगों का संबंध किसी न किसी रूप में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस या अन्य राष्ट्रवादी संगठनों से रहा था। इनमें से कई ने भूमिगत रहकर सरकार के दमनकारी नीतियों और अत्याचारों से पत्रकारिता को अक्षुण बनाये रखा। वे भूमिगत रहकर या छदम नामों से आलेखों को जनमानस के बीच हुंकार भरते रहे। बिहार से तीनों भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों का स्वरूप राष्ट्रीय था। वे व्यवसायिक दृष्टिकोण से बधे हुए नहीं थे। इस कारण समाचार पत्रो को जन–चेतना फैलाने में काफी मदद मिली। जन–चेतना ने लोगों में राष्ट्रीयता की भरने का काम किया और राष्ट्रीय आंदोलन को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने का भागीरथ प्रयास किया।

सन्दर्भ :

1. दत्ता, के0के0; (1999): बिहार में स्वातंत्रय आंदोलन का इतिहास, भाग 2, 3: बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना।
2. ग्रोवर, बी0एल0; (2002): आधुनिका भारत का इतिहास : एक नवीन मूल्यांकन, एस0चांद एण्ड कंपनी लि0, नई दिल्ली।
3. Grover, B.L. (1967) : A documentary study of the British Policy towards Indian Nationalism; Daily National Publication
4. Sethi, Devika; War Over Words: Censorship in India, 1930-1960; Cambridge University Press
5. Edward Michael (1967) : The Last Years of British India; New English Library, London.
6. Barns Margrita (1940): The Indian Press;
7. Lovatt, Pat (1928): Journalism in India; Culcutta Publisher, Culcutta
8. Gates-Reed (Annual) : The Indian Press Year Book

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 57-59

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र उपस्थिति की समस्या एवं समाधान

डॉ0 संजीव दत्त सिंह*

*असि0 प्रो0 समाजशास्त्र विभाग, श्री विश्वनाथ पी0जी0 कॉलेज, कलान, सुल्तानपुर, उ0प्र0

सारांश : किसी राष्ट्र या समाज के समग्र विकास के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। बिना उचित शिक्षा के राष्ट्र अथवा समाज की उन्नति संभव नहीं है। विश्व के किसी भी देश की उन्नति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है तथा शिक्षित व्यक्तियों से उन्नत समाज बनता है और इसी उन्नत समाज के समग्र योगदान से राष्ट्र उन्नति करता है। वर्तमान में विश्व के जो भी देश ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र में आगे हैं, वही देश विकास के क्षेत्र में भी आगे हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आदि देश यदि आगे बढ़े हैं तो निश्चित ही इसका कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था का उत्तम होना भी है। यद्यपि भारत आज निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर है, किन्तु अभी भी हमें कई क्षेत्रों में वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। अतीत में भारत को विश्व गुरू कहा जाता था तथा वर्तमान में भी यह प्रयास जारी है कि भारत पुनः विश्व गुरू का स्थान प्राप्त करे। इसके लिए भारत में उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक है और शिक्षा व्यवस्था तभी उच्च कोटि की हो सकती है, जब इसकी कमियों व समस्याओं को दूर किया जाय। इसके लिए हमें देश की प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा। तभी भारत पुनः विश्व गुरू का स्थान प्राप्त कर सकेगा।

वर्तमान में यदि भारत की उच्च शिक्षा की बात की जाय तो स्पष्ट होता है कि विश्व के उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों की वर्तमान रैंकिंग में भारत का कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय प्रथम सौ में भी सम्मिलित नहीं है। निश्चित ही यह एक चिंतनीय विषय है, साथ ही इससे स्पष्ट है कि वर्तमान भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है। भारत में उच्च शिक्षा की इस गिरती स्थिति के लिए यद्यपि कई कारण उत्तरदायी हैं, किन्तु इन सबके मध्य यह भी विचारणीय है कि भारत के युवाओं में योग्यता की कोई कमी नहीं है, फिर भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं। निश्चित ही इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद अनेक समस्याएँ उत्तरदायी हैं। इनमें शिक्षकों की कमी, शिक्षण कक्षों का न होना, प्रभावी शिक्षण हेतु आधुनिक तकनीकी आधारित उपकरणों व सुविधाओं का अभाव, छात्रों की पूर्ण उपस्थिति आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में कक्षाओं में छात्र उपस्थिति एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में छात्र/छात्राओं में कक्षा में न जाने का चलन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। किसी भी महाविद्यालय परिसर में सैकड़ों छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन घूमते हुए देखा जा सकता है, किन्तु इनमें से कक्षाओं में कितने जाते हैं, यह चिन्तनीय विषय है। प्रश्न उठता है कि इस समस्या का कारण क्या है? तथा किस तरह से इसका समाधान किया जा सकता है? इसके लिए छात्र/छात्राएँ तो जिम्मेदार हैं ही, किन्तु कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक व अभिभावक भी कम जिम्मेदार नहीं हैं।

छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की समस्या का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि यह समस्या सर्वाधिक कला तथा वाणिज्य वर्ग के छात्र/छात्राओं की है, जबकि विज्ञान वर्ग के छात्र/छात्राओं में इसे न्यूनतम माना जा सकता है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि विज्ञान वर्ग में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की समस्या नहीं है। अन्तर सिर्फ यह है कि जहाँ कला एवं वाणिज्य वर्ग में यह समस्या अधिक है, वहीं विज्ञान वर्ग में इसे अपेक्षाकृत कम माना जा सकता है, किन्तु समस्या सभी संकायों की है। प्रश्न उठता है कि इस समस्या के कारण क्या हैं? विश्लेषण करने पर इसके कुछ महत्त्वपूर्ण कारण इस प्रकार है।–

समस्या का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम समस्या छात्र/छात्राओं के विद्यालयों से महाविद्यालयों के परिवेश बदलने से सामने आती है। छात्र/छात्राएँ जब माध्यमिक विद्यालयों से महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें एक भिन्न परिवेश का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय में प्रवेश लेते ही छात्रों को पूरा परिवेश ही बदला हुआ मिलता है। महाविद्यालयों में छात्रों को अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होती है तथा विचारणीय है कि कक्षाओं में उपस्थिति के लिए भी कोई कड़े मानदण्ड नहीं हैं। यदि कोई छात्र/छात्रा अनुपस्थित रहता भी है तो इसके लिए जबाबदेही का कोई प्रावधान नहीं है। जिस कारण छात्र/छात्रा धीरे–धीरे कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझते और परिणाम यह होता है कि कतिपय छात्र/छात्राएँ केवल प्रवेश के समय उपस्थित होकर परीक्षा आवेदन पत्र जमा करना तथा बाद में परीक्षा मे बैठना अपना अधिकार समझ लेते हैं।

यद्यपि ऐसा नहीं है कि महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं को स्वतंत्र छोड़ देना कोई अनुशासन की कमी के कारण है, बल्कि छात्रों को यह मानकर स्वतंत्रता दी जाती है कि अब वे परिपक्व हो गये हैं तथा अपना स्वतंत्र विकास कर सकते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे आत्मानुशासन में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करेंगे, परन्तु व्यवहार में यह सफल होता नहीं है। इसका कारण है कि छात्र/छात्राएँ इन्टरमीडिएट तक अपने माता–पिता व विद्यालय के नियंत्रण में रहते हैं, किन्तु जैसे ही वे महाविद्यालय के खुले वातावरण में आते हैं तो वे यहाँ की स्वतंत्रता का उपयोग अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में करने के बजाय अनुचित कार्यों में करने लगते हैं। कक्षाओं का बहिष्कार, आये दिन नारेबाजी, बात–बात पर आन्दोलन करना आदि उन्हें उचित लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि छात्र, छात्र कम और नेता ज्यादा लगता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को यह

भी समझना चाहिए कि वे छात्र पहले हैं तथा छात्रनेता बाद में। इस तरह जब उन्हें अपने कर्त्तव्य का ज्ञान होगा तभी वे एक जिम्मेदार नागरिक व जिम्मेदार जननेता बन पायेंगे।

महाविद्यालयों में कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की निरन्तर गिरती उपस्थिति के लिए एक बड़ा कारण अभिभावकों का इस ओर से उदासीन होना भी है। अभिभावक अपने बच्चों का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश कराने के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण मान लेते हैं। अतः वे उनकी दैनिक गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चे कक्षा में जाने के बजाय महाविद्यालय परिसर में घूमते हुए अपना समय बिताते रहते हैं। इस सन्दर्भ में जब कुछ अभिभावकों से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके बच्चे बड़े हो गये हैं, इसलिए अब तो वे स्वयं अपने अभिभावक हैं। प्रश्न उठता है कि जिन बच्चों को अभिभावक इतना जिम्मेदार समझते हैं क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है? अतः अभिभावकों का बच्चों पर समुचित ध्यान न देना भी अनुपस्थिति का एक बड़ा कारण है।

इस समस्या के लिए जितने उत्तरदायी अभिभावक हैं, उतने ही उत्तरदायी शिक्षक भी हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में अपना व्याख्यान पूरा करना ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं। वे यह ध्यान नहीं देते कि कक्षा में कितने छात्र/छात्राएँ पंजीकृत हैं? तथा कितने उपस्थित हो रहे हैं? इसलिए छात्र/छात्राएँ ये समझ कर कि क्या फर्क पड़ता है कि वे कक्षा में जायें या न जायें सोचकर कक्षाओं में नहीं जाते हैं।

कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की गिरती उपस्थिति का एक बड़ा कारण कड़े नियमों का न होना भी है। यद्यपि नियमितः प्रत्येक सत्र में प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है, किन्तु इसे व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित करने का प्रयास नहीं किया जाता। इसे मात्र औपचारिकता के तौर पर परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित प्रारूप में भरकर पूरा कर लिया जाता है। यदि इस प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाय तो निश्चित ही कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति बढ़ सकती है।

आज हम बार–बार यह कहते सुनते हैं कि अमुक क्षेत्र में यह कमी है, यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए, किन्तु प्रश्न उठता है कि हम इसके लिए स्वयं क्या कर रहे हैं। क्या हम स्वयं इस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं या केवल नुक्ताचीनी करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। यदि भारत का हर नागरिक जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्त्तव्य का पालन करे तो संभव है कि छात्र/छात्राएँ भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास कर पायेंगे और तब निश्चित ही कक्षाओं में उपस्थिति की कोई समस्या नहीं रहेगी। यद्यपि यह आदर्शवादी दृष्टिकोण है और व्यवहार इसे कार्यान्वित करना संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि देश के सभी नागरिक आदर्श बन जायें और इस तरह हर समस्या का समाधान हो जाये, किन्तु यह तो संभव है कि हम इस दिशा में निरन्तर प्रयास करें और आने वाली कमियों को दूर कर छात्र/छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ायें, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकेगा, जब हमारे देश का हर नागरिक उच्च शिक्षित व योग्य होगा और यह तभी संभव है, जब वह अपने सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत होगा। अतः कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के लिए इस प्रकार प्रयास किये जा सकते हैं–

जब तक महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया जाता, तब तक छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की समस्या ही बनी रहेगी। अतः आवश्यक है कि शासन द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों को पूरा किया जाय। जब शिक्षकों की कमी पूरी होगी तभी छात्र/छात्राओं के सभी विषयो की नियमित कक्षाएँ चल पायेंगी और तभी उन्हें कक्षाओं में आने हेतु बाध्य भी किया जा सकता है।

वर्तमान में महाविद्यालयों में छात्र संघों की भूमिका के सम्बन्ध में भी स्पष्ट दिशा–निर्देशों का होना आवश्यक है। आज जो भी छात्र/छात्राएँ इन चुनावों में प्रतिभागी बनते हैं तथा छात्र प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, वे स्वयं को फिर छात्र नहीं बल्कि केवल छात्र प्रतिनिधि या यों कहें कि अपने को महाविद्यालय का सर्वेसर्वा ही समझने लगते हैं। यह भ्रान्ति उन्हें उचित जानकारी न होने के कारण हो जाती है, फिर इसका परिणाम यह होता है कि जो छात्र एक बार छात्र प्रतिनिधि चुना गया तो फिर कक्षा में जाने में उसे शर्मिन्दगी महसूस होती है। यदि छात्र/छात्राओं को उचित जानकारी हो तथा साथ ही उन्हें यह ज्ञान हो कि वे केवल छात्र प्रतिनिधि हैं, कोई महाविद्यालय प्रशासक नहीं तो उनकी भ्रान्तियाँ दूर हो सकती हैं।

यद्यपि वर्तमान में महाविद्यालयों में अभिभावक–शिक्षक संघ के गठन का प्रावधान है, किन्तु व्यावहारिक रूप से यह केवल औपचारिकता मात्र रह गया है। अभिभावक–शिक्षक संघ के गठन में कमी यह है कि इसमें शिक्षक तो सम्मिलित हो जाते हैं, किन्तु अभिभावकों की उपस्थिति नाममात्र की ही होती है। ऐसी स्थिति में यदि छात्रों से सम्बन्धित कोई समस्या अभिभावकों से बताना भी चाहें तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब इस स्थिति में यदि छात्र/छात्राओं की अनुपस्थिति की समस्या पर चर्चा करना भी बेमानी हो जाता है। अतः जब तक अभिभावक–शिक्षक संघ में अभिभावकों की सहभागिता बढ़ नहीं जाती तब तक छात्रों की अनुपस्थिति की समस्या हल नहीं हो सकती।

इस प्रकार उत्तराखण्ड की वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था में कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की गिरती उपस्थिति एक प्रमुख समस्या बन रही है। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। शासन/सरकार को भी इस हेतु कड़े मानक तय करने जरूरी हैं। क्योंकि जब तक छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के कड़े मानक नहीं बनाये जाते, तब तक कक्षाओं में उपस्थिति की समस्या यों ही बनी रहेगी। यद्यपि ऐसा नहीं है कि सरकार/प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कई बार सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। सत्र 2010–11 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों से छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन की उपस्थिति का विवरण माँगा गया तथा निरन्तर कक्षाओं में उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किया गया, परन्तु इस तरह के तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम अभी प्राप्त होने शेष हैं। यद्यपि उच्च शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली के आरम्भ हो जाने से कक्षाओं में निश्चित ही छात्र/छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है, किन्तु अभी तक शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं हो पायी है। अतः कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए छात्रों को स्वयं समझना होगा कि उनका भविष्य केवल किसी भी कक्षा को उत्तीर्ण करने में नहीं है,

बल्कि उस कक्षा के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कर तथा उसके महत्त्व को समझते हुए अपना भविष्य का निर्माण करना है। जब छात्र/छात्राएँ इस वास्तविकता को समझ पायेंगे, तभी वे अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

सन्दर्भः

1. गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता, अलका, आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2007
2. चौबे, सरयू प्रसाद, तुलनात्मक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2008
3. गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता, अलका, भारतीय शिक्षा का ताना–बाना, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2008
4. रीडिंग मैटीरियल, 95वाँ अभिविन्यास कार्यक्रम, एकेडेमिक स्टॉफ कॉलेज, दी0द0उ0वि0वि0, गोरखपुर
5. चौहान, आर0एस0, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, 2014

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 60-61

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

डॉ0 रामचन्द्र यादव*

***प्रवक्ता**, अर्थशास्त्र, राजबहादुर पी.जी. कालेज, गुलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

संविधान की प्रस्तावना में देश के प्रशासन के समक्ष पांच स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं ये उद्देश्य हैं– न्याय स्वतंत्रता समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता इन उद्देश्यों में सबसे बुनियादी और मौलिक धारणा हैं न्याय। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिये गम्भीर प्रयास शुरू हो गये। यह प्रयास भारत के ग्रामीण पुननिर्माण तथा विकास के क्षेत्र में जनता की सीधी भागीदारी बनाने के बारे में एक नयी सोच थी। लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी और सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक हैं, जिससे सबसे निचले स्तर पर विकास कार्यक्रम के साथ पंचायती राज व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना से गांव पंचायतों के साथ सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। महात्मा गाँधी ने देश की स्वतंत्रता के बाद गाँवों की पंचायतों को सामाजिक ढाँचे का आकार बनाने का सुझाव दिया था। गाँधी जी का ग्राम स्वराज्य का सपना भी यही था कि प्रत्येक गाँव की पंचायत की गणतंत्र के रूप में सभी आवश्यक अधिकारों से सम्पन्न, स्वशासी और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिये। तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर (राजस्थान) में पंचायती राज संस्थाओं के नये युग का सूत्रपात किया। पण्डित नेहरू ने इस व्यवस्था को नये भारत के निर्माण में अत्यन्त क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक महत्व का युगान्तकारी कदम बताया। श्री डे ने लिखा हैं– ''मेरी कार चलाने को ही थी कि मैने देखा खुश्चेव राष्ट्रपति भवन से दौड़ते आये और मुझसे पूछा कि हमने जिन कार्यक्रमों की योजना बनाई थी कि और उन पर विचार–विमर्श किया था, उनका उद्देश्य और मूलाधार क्या था?''

भारत के सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस. केडे ने स्वतंत्रता के 41 वर्ष बाद अपने लेख में लिखा था– ''मेरा विश्वास हैं हमें लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ना और विकास करना हैं तो नेहरू की तीन मूलभूत संस्थाओं की स्थापना के फार्मूले को बिना पृथक् मंत्रालय के भी कार्यान्वित करना परम् आवश्यक हैं। ये संस्थायें हैं–गाँव और अनेक संगठन केन्द्र स्तर पर पंचायती राज तथा सहकारी संस्थाओ का तालमेल।'' स्व0 पण्डित नेहरू के फार्मूले को मूर्त रूप देने का बीड़ा स्व0 राजीव गाँधी ने उठाया। उनके प्रधानमंत्रीत्व काल में पंचायती राज संस्थाओं को पुर्नजीवित करने का ऐतिहासिक कदम शुरू हुआ। तब से केन्द्र सरकार ने इस बारे में एक संकल्प पत्र तैयार करने के लिये डॉ0 एल0 एम0 सिंघवी की अध्यक्षता में जून, 1986 ई में एक समिति गठित की। बाद में लोक सभा ने 20 दिसम्बर 1991 ई. का प्रस्ताव पारित कर इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेद दिया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 14 जुलाई, 1992 ई. को लोक सभा में 73वें संविधान विधेयक के रूप में 22 दिसम्बर, 1992 और राज्य सभा में 23 दिसम्बर, 1992 को एकमत से पारित हो गया। संविधान (73वॉं) संशोधन विधेयक, 1992 में लागू हो गया।

इस तरह 73वॉं संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 लागू हो जाने के बाद देश में पंचायती राज संस्थाओं को तीन स्तरीय बनाने और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखने की संवैधाानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो गई। भारत गाँवों का देश हैं, गाँवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति और प्रगति निर्भर करती हैं। गाँधी जी ने ठीक ही कहा था कि, ''यदि गाँव नष्ट होते हैं, तो भारत नष्ट हो जायेगा।'' जहाँ तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का प्रश्न हैं, उसका निम्न बिन्दूओं के अन्तर्गत अवलोकन किया जा सकता हैं–

1.ग्रामीण आधारभूत ढाँचा, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई, ग्रामीण उर्जा सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण सिंचाई, टेलीफोन, आवास, ग्रामीण स्वास्थ्य, भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, पूरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मिशन का ग्रामीण विकास में योगदान।

भारत मे ग्रामीण विकास के लिये जो योजनायें बनायी गई हैं, उनका विषय–क्षेत्र इस प्रकार हैं– ग्रामीण आधारभूत ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं सफाई, ग्रामीण आवास, रोजगार, सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास।

ग्रामीण आधारभूत ढॉचा : ग्रामीण आधारभूत ढाँचा के अन्तर्गत सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और विपणन जैसी भौतिक सुविधाओं के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सुविधायें भी आती हैं। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से ही प्रधानमंत्री ने कहा था– 'मुझे कोई वायदे नहीं करने हैं, बल्कि वायदे निभाने हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि ऐसा विकास करना हैं जिससे आम आदमी के जीवन में कुछ सुधार हो। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी कहा हैं कि भारत चाहता हैं कि विश्व बैंक मुख्य रूप से बुनियादी ढॉचे की परियोजनाओं के लिये आगामी वर्षो में उधार की राशि बढ़ा दे।

ग्रामीण आवास : विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं मे आवास निर्माण पर कुल योजना व्यय का 2 प्रतिशत से कम व्यय किया जाता रहा हैं, जैसा कि अवलोकन से स्पष्ट हैं। आवास के लिये निर्धारित कुल योजनागत व्यय में से ग्रामीण आवास निर्माण पर अभीतक तुलनात्मक रूप से बहुत कम व्यय करने की प्रवृत्ति रही हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 के

दौरान ग्रामीण आवासों के लिये 756 करोड़ रूपये व्यय किये गये, जो आवास क्षेत्र में निर्धारित व्यय अर्थात् 245.3 करोड़ रूपये का 23.5 प्रतिशत भाग था। आठवीं योजना में ग्रामीण आवासों हेतु 1334.1 करोड़ की राशि निर्धारित की गई, जो कुल आवास व्यय का 25.3 प्रतिशत हिस्सा थी। नौंवी योजना 1997–2002 में इसमें और भी वृद्धि की गई, जो कुल आवास व्यय का 32.1 प्रतिशत रही। इस प्रकार नौंवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवासों के लिये 6041.2 करोड़ रूपये की भारी राशि व्यय की जा सकी। देश की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण परिवेश के निवास करती हैं, अतः ऐसी स्थिति में आवास योजनाओं में ग्रामीण आवास को विशेष महत्व दिया जाना नितान्त आवश्यक हैं।

सन्दर्भ :

1. महीपाल, ''पंचायती राज : अतीत, वर्तमान और भविष्य'', नई दिल्ली, सांराश प्रकाशन–1996, पृ0 19
2. कश्यप, सुभाष; भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, पृ0 239
3. इकबाल नारायण : पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र पापुलर प्रकाशन बम्बई, 1945
4. अशोक शर्मा, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर0 बी0 एस0ए0 प्रकाशन जयपुर, 2004, पृ0 23
5. राकेश शर्मा निशीध, संवैधानिक आलेख, प्रतियोगिता दर्पण, 2005,पृ0 2020

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 62-64

भवभूतिकृत उत्तररामचरितम् का मूलस्रोत

प्रतिभा कुमारी*

***शोधार्थी, संस्कृत विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)**

सारांश : संस्कृत–नाट्य–जगत् में भवभूति की नाट्य कृतियों में महावीर–चरितम् एवं उत्तररामचरितम् अत्यधिक प्रशंसनीय है। इनदोनों नाट्यकृतियों का निश्चय हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से संबंध है। उत्तररामचरितम् यहाँ आलोच्य है जिससे संबद्ध अनेक विशिष्ट मंतव्य प्राप्त होते हैं।

अन्तः एवं बाह्य प्रमाणों के आधार पर सत्य यही जान पड़ता है कि उत्तररामचरित न केवल भवभूति की अन्तिम, वरन् सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। भवभूति की पहली दो नाट्यकृतियों में जो मूल्य अधकचरे जान प़ड़ते हैं, अन्यथा जिन नये मूल्यों की सम्भावना दीख पड़ती है, प्रायः वे सब–के–सब अपने पूर्ण परिपाक में यहाँ वर्तमान मिलते हैं। ये मूल्य कवि की सुविकसित नाट्य प्रतिभा के चुडान्त निदर्शन तो हैं ही, वे उसके गम्भीर तथा मँजे हुए जीवन–दर्शन की विशिष्ट झलक लेकर भी उपस्थित होते हैं। उत्तरामचरित में जो उत्तर पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वह न केवल राम के 'पुरोवर्ती' जीवन–वृत्त का बोधक है, बल्कि, प्रत्यक्ष उसका सम्बन्ध वाल्मीकीय रामायण के 'उत्तर' काण्ड से भी प्रतीत होता है। महावीरचरित की प्रस्तावना में वाल्मीकि तथा उनकी अमर कृति रामायण के प्रति कवि ने जो भक्तिभाव प्रकट किया है,[1] वह न केवल महावीरचरित की कथावस्तु, प्रत्युत उत्तररामचरित के इतिवृत्त का भी स्पष्ट संकेत देता है। यों राम के पूर्वचरित (महावीरचरित) के सम्बन्ध में तो सभी विद्वान् एकमत हैं कि उनकी वस्तु मूल रामायण पर आधृत है, परन्तु उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त काण्ड है, वह वाल्मीकिकृत नहीं, ऐसी कई विद्वानों की स्थापना है। हमें इस विवाद में न पड़कर यह देखना है कि क्या यह तथाकथित प्रक्षिप्त काण्ड भवभूति के समय वर्त्तमान था, और यदि था तो किस रूप में? यदि इसका निश्चय हो जाये कि उत्तर–काण्ड की स्थिति उनके समय थी, तो असन्दिग्ध रूप से उनके इस नाटक की प्रान्त–रेखाएँ उसी पर आधृत मानी जा सकती हैं। हाँ उत्तरकाण्ड की कथा से भवभूति के कथानक में यत्र–तत्र जो भेद परिलक्षित होते हैं, वे या तो भवभूति के अपने आविष्कार होंगे या उन्हें भवभूति ने रामायण से पृथक् प्राचीन अथवा समसामयिक साहित्य में अनुबद्ध राम के उत्तरवृत का आधार प्रदान किया होगा। हमें इन सारे पहलुओं का विश्लेषण कर लेना होगा, तभी उत्तररामचरित के उपजीव्य की रूपरेखा स्पष्ट हो सकेगी।

उत्तररामचरित के निम्नलिखित सन्दर्भ इस दृष्टि से विचारणीय एवं परीक्षणीय हैं। ये भवभूति द्वारा स्वीकृत वाल्मीकिकृत रामायण के रूपों पर प्रत्यक्षतः प्रकाश डालते हुए–से प्रतीत होते हैं–

(क) आत्रेयी–तेन खलु पुनः समयेन तं भगवन्तमाविर्भूतशब्दब्रह्म– प्रकाशमृषिमुपसङ्गभ्य भगवान् भूतभावनः पद्मयोनिरवोचत् – ''ऋषे प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि। तद्ब्रूहि रामचरितम्। अव्याहतज्योतिरार्ष ते प्रा तिभं चक्षुः। आद्यः कविरसि'' इत्युक्तवा तत्रैवान्तर्हितः। अथ स भगवान्प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दब्रह्मणस्तादृशं विवर्तमितिहासं रामायणं प्रणिनाय।[2]

(ख)जनक : विचिन्त्य)। यदि त्वमीदृशः कथायामभिज्ञस्तद्ब्रूहि तावत्पृच्छामस्तेषां दशर थात्मजानां कियन्ति किंनामधेयान्यपत्यानि केषु केषु दारेषु प्रसुतानीति।

लवः – नायं कथाप्रविभागोऽस्माभिरन्येन वा श्रुतपूर्वः।जनकः – किं प्रणीत एव कविना।लवः – प्रणीतो न प्रकाशितः। तस्यैव कोऽप्येकदेशः सन्दर्भान्तरेण रसवानभिनेयार्थः कृतः तं च स्वहस्तलिखितं मुनिर्भगवान्व्यसृजद्भगवतो भरतस्य मुनेस्तौर्यत्रिकसूत्रकारस्य। जनकः– किमर्थम्। लवः– स किल भगवान्भरतस्तमप्सरोभिः प्रयोजयिष्यतीति। जनकः– वत्स कथय कथाप्रबन्धस्य कीदृशः पर्यन्तः। लवः– अलीकपौरापवादोद्विग्नेन रा निर्वासितां देवीं देवयजनसम्भवा। सीतामासन्नप्रसववेद– नामेकाकिनीमरण्ये लक्ष्मणः परित्यज्य प्रतिनिवृत्त इति।[3](ग) कुशः– अयि वत्स

बिना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं रघुपतेः
प्रियनाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि भवति।
स च स्नेहस्तावानयमपि वियोगो निरवधिः
किमेवं त्वं पुच्छस्यनधिगतरामायण इव।।[4]

(घ) सीता – (रुदती कृताञ्जलिः।) णेदु मं अत्तणो अङ्गेसु विलअं अम्ब।

राम :– किमन्यदब्रवीतु।

भागीरथी– शान्तम्। अविलीना संवत्सरसहस्राणि भूयाः।[5]

(ङ) सीता – णेदु मं अत्तणो अङ्सु विलअं अम्बा ण सहिस्सं ईरिसं जीअलोअपरिभवं अणुभविदुम।

रामः– कथं विलय एवं वैदेह्य सम्पन्नः। हा देवि दण्डकारण्यवासप्रियसखि हा चारित्रदेवते लोकान्तरं पर्यसितासि। (मूर्च्छति)।

लक्ष्मण :– भगवन्वाल्मीके परित्रायस्व। एष ते काव्यार्थः।[6]

ऊपर के उद्धरण भवभूति की प्रस्तुत नाट्यकृति के वस्तुतत्त्व पर एक बड़ी सीमा तक प्रकाश डालते हैं। उद्धरण (क) से इतना तो स्पष्ट होता है कि उत्तररामचरित के प्रणयन के सन्दर्भ में कवि जो इतनी श्रद्धा तथा सम्मान–भाव के साथ वाल्मीकि एवं उनकी रामायण का परिचय दे रहा है, उसकी कहानी को वह अवश्य ही अपने नाटकीय कथानक की निर्माण–प्रक्रिया में प्रयुक्त कर रहा होगा। इस तथ्य की सर्वाधिक पुष्टि उद्धरण (ग) से होती है। यहाँ सीता–वियुक्त राम के मनस्ताप की वर्णना के

क्रम में कुश लव से कहता है– ''तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, जैसे तुमने रामायण पढ़ी ही नहीं है।'' स्पष्टतः कुश के इस कथन का उत्तररामचरित के इस कथा–खण्ड के मूल उपजीव्य के साथ गहन सम्बन्ध है। इससे इतना तो तय हो जाता है कि सीता का परित्याग, राम का दुसह विरह–भाव घटनाएँ रामायण का आधार लेकर ही यहाँ निबद्ध की गयी हैं। किन्तु इतना मान लेने पर भी कि कवि ने उत्तररामचरित के उत्तर के रूप में रामायण को ग्रहण किया है, हमारी वास्तविक समस्या कुछ भी नहीं सुलझती– भवभूति के समय उत्तरकाण्ड की जैसी रूपरेखा थी और उन्होंने उसे अपने नाटक में क्या मोड़ दिया है, यहाँ हमारे अध्ययन का वास्तविक विषय वही है। उद्धरण (क) से इतना ही ज्ञात होता है कि भवभूति यहाँ शब्दब्रह्म के विवर्त के रूप में रामायण का उल्लेख मान नहीं करना चाहते; वस्तुतः अपने नाटक की सृष्टि में 'सामान्य' रूप से वे रामायण से कितने प्रभावित हैं, इसकी ध्वनि भी यहाँ प्राप्त होती है।उद्धरण (ख) से उत्तरकाण्ड की कथावस्तु पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रकाश पड़ता हुआ प्रतीत होता है। लव को देखकर जनक के मन में कहीं विश्वास–सा होने लगता है कि हो–न–हो वह सीता का आत्मज है। वे बड़ी प्रवीणता के साथ लव से अपनी तत्सम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान कराना चाहती है। दशरथ के किन–किन पुत्रों को किन–किन भार्याओं से कितने और कौन–कौन पुत्र हुए, यह निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न है, जो उत्तरकाण्ड के कथानक को एक सीमा तक हमारे समाने रखने का उपक्रम करता है। जब इस प्रश्न के उत्तर में जनक को लव का छोटा–सा असन्तोषप्रद उत्तर मिलता है– ''कथा के इस अंश को हमने या किसी दूसरे ने अभी सुना ही नहीं है'' – तो प्रश्न कुछ उलझ–सा जाता है। इसके पश्चात् जिज्ञासु जनक लव से एक सीधा–सा प्रश्न पूछ बैठते हैं– ''क्या (इस कथांश की) कवि ने अभी रचा ही नहीं है?'' इस प्रश्न के उत्तर से भी जब उन्हें तृप्ति नहीं मिलती, तो सहज जिज्ञासावश वे एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करते हैं जो हमारे प्रस्तुत अध्ययन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। प्रश्न है– ''वत्स, बताओ तो (वाल्मीकि के इस) कथा प्रबन्ध का अन्त कैसे हुआ है? उत्तर में लव ने जितना कुछ कहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि राम द्वारा निर्वासित सीता देवी को जंगल में अकेली छोड़कर लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए, लव के कथनानुसार कथा के इस प्रविभाग का यहीं अन्त हुआ। यहाँ हमारे सामने स्वभावतः यही शंका उत्पन्न होती है कि क्या सचमुच भवभूति के समय उत्तरकाण्ड की कथा यहीं समाप्त हो जाती थी? यदि लव की बात में विश्वास करके हम इतना मान लें कि लोक–प्रकाशित रामायण की कथा का अन्त यही हुआ है– यों उसका किंचित् उत्तर अंश भी है, किन्तु वह वाल्मीकि या आचार्य भरत के पास सुरक्षित है– तो फिर एक दूसरी शंका हमारे सम्मुख उपस्थित होती है– वाल्मीकि–कृत राम–कथा का यह अंश भी, जिसे सप्तम अंक में नाटकीय रूप प्रदान किया जाता है, सुखान्त क्यों होता है? रामायण के वर्त्तमान रूप में तो यह कथा दुखान्त होकर ही हमारे सामने आती है।

रामकथा केवल रामायण में ही निबद्ध की गयी हो, ऐसी बात नहीं। कई पुराणों में भी राम की कहानी किंचित् परितर्वन या परिवर्धन के साथ प्रस्तुत की गयी है। आध्यात्म रामायण को आंशिक रूप से निबद्ध करनेवाले ब्रह्मपुराण तथा भागवत, स्कन्द, गरुड़, अग्नि, पद्म, कूर्म आदि कई पुराण अपने अपने ढंग से रामायण की अवधारणा करते हैं। किन्तु हमारे प्रस्तुत अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पद्मपुराण है जिसके पातालखण्ड में राम का उत्तरवृत्त एक नये परिवेश में खड़ा किया गया है। यहाँ रामायण के वर्त्तमान दुखान्त रूप से भिन्न एक ऐसे रूप की कल्पना की गयी है जहाँ वाल्मीकि के प्रयत्न से निर्वासित सीता का राम से मिलन हो जाता है– यहाँ सीता के पृथिवी में अन्तर्हित होने का प्रसंग लाया ही नहीं गया है। इतना ही नहीं, इस कथा, के मध्य भागों में भी रामायण से कई भेद परिलक्षित होते हैं– जैसे राम के मध्य अश्व का वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश, वहाँ लव तथा कुश का राम की सेना के साथ प्रबल युद्ध, पराजित राम–सैन्य का पलायन आदि। यदि उत्तररामचरित के पञ्चम तथा षष्ठ अंकों में चित्रित युद्ध आदि घटनाओं की पद्मपुराण के अंशों से तुलना की जाय तो हमें इन दोनों में बहुत कुछ साम्य दृष्टिकोण होगा। अतः जैसी कि डॉ० बेल्वल्कर की स्थापना है,[7] भवभूति सम्भवतः जहाँ उत्तरामचरित के कथावस्तु में रामायण से प्रमुख भेद उपस्थित करते हैं, वहाँ वे पद्मपुराण में निबद्ध राम–चरित से प्रभावित जान पड़ते हैं। उनकी वस्तु का मूल उत्स निश्चित रूप से रामायण ही है, किन्तु अपनी नाटकीय कथा–भित्ति की रूपरेखा को तैयार करने में यदि वे पद्मपुराण से सहायता लेते हैं, तो इससे कोई आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिये। हाँ, जहाँ तक राम–कथा के सुखान्त स्वरूप का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि भवभूति के समय रामायण निश्चित रूप से दुखान्त ही था। इस तथ्य के सम्यक परिचय के लिए हमें उद्धरण (घ) तथा (ङ) का सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। (घ) में शोक–विह्वल सीता अपनी माँ पृथिवी से निवेदन करती हैं– ''माँ मुझे अपने अंगों में विलीन हो जाने दे।'' यहाँ विलीन या 'विलय' के दो अर्थ हो सकते हैं– छिपा जाना या सदा के लिए अन्तर्निहित हो जाना (मर जाना)। यदि सीता का अभिप्राय विलय के प्रथम अर्थ से है, तो सम्भवतः वे एक निश्चित अवधि के लिए ही अपने को पृथिवी में गोपित करना चाहती है। किन्तु आगे सीता के इस अनुनय से विचलित होकर भागीरथी जो उद्गार व्यक्त करती है, उससे 'विलय' के दूसरे अर्थ की ही पुष्टि होती है। यदि पहला अर्थ अभीष्ट होता तो वे 'शान्तम्' नहीं कहतीं, अथवा सीता के 'हजारों वर्ष' के दीर्घायुष्य की कामना नहीं करतीं। रामायण में जब राम सीता के सामने पुनः अग्नि–परीक्षा देने का प्रस्ताव रखते हैं, तो सीता स्पष्टतः इसे अपना परिभव मानती है[8] इसी परिभव की ज्वाला झुलसती हुई–सी वे पृथिवी की गोद में अनन्त शरण ले लेती है। (ङ) में सीता जीवलोक के जिस परिभव से मर्माहत होकर पृथिवी के अंक में अपने विलीन होने की बात करती है, वह रामायण में निबद्ध उनके उक्त अपमान का ही स्मरण दिलाता है। रामायण में सीता को पृथिवी के उदर से सर्वदा के लिए विलीन होते हुए देखकर राम जिस प्रकार शोकाकुल हो जाते हैं[9] ठीक उसी की ध्वनि यहाँ विलीन सीता को देखकर राम की मर्मातक वेदना में प्राप्त होती है; उनके ''लोकान्तरं पर्यवसितासि'' जैसे शोकोद्गार रामायण में चित्रित सीता के करुण अवसान का ही स्मरण दिलाते है। आगे इसी उद्धरण में लक्ष्मण जब वाल्मीकि के प्रति अपने विनीत निवेदन में ''एष ते काव्यार्थः'' कह पड़ते हैं, तो इस वाक्य की ध्वनि भी रामायण–निबद्ध लोकान्तरगता सीता के ठीक अनुकूल पड़ती है। ''क्या यही आपके काव्य का प्रयोजन है?'' से ''आपका काव्य इस प्रकार दुखान्त नहीं होना चाहिए था'' की सहज ही निष्पत्ति हो जाती है।ऊपर के विश्लेषण से बहुत कुछ निश्चित हो जाता है कि भवभूति ने अपने इस नाटक के प्रधान उपजीव्य के रूप में रामायण को हीं ग्रहण किया है, यद्यपि वे पद्मपुराण के प्रभावों से भी

सर्वथा अस्पृष्ट नहीं कहे जा सकते। इसी सन्दर्भ में दूसरा प्रमुख निष्कर्ष यह निकलता है कि भवभूति के समय रामायण के उत्तरकाण्ड की प्रायः वैसी ही रूप–रेखा थी जैसी कि हम उसे आज पाते हैं। यद्यपि भवभूति दुखान्त रामायण से परिचित थे, फिर भी भारतीय नाट्य–परम्परा को दृष्टि में रखकर उन्होंने अपने नाटक को सुखान्त बना दिया है। भवभूति की बारीकी इसी में है कि उन्होंने अपने नाटक एवं नायिका के मिलन–सुखों को विरह, यहाँ तक कि करुण मृत्यु के निविड़ आँसुओं से सींचकर पुष्ट किया है। रामायण में वर्णित सीता के करुण अन्त की अनुभूति हम यहाँ भी प्रकारान्त में कर ही लेते है; यद्यपि यही अनुभूति उनके मिलन–सुख का मूल अंश भी बन जाती है।

सन्दर्भ :

1. म०च० : 1: 7
2. रामायण : उत्तर काण्ड 2, पृ. 36
3. वही, 4, पृ. 101–02
4. वही : 6:30
5. वही, पृ. 149
6. वही, 7, पृ. 152
7. बे०उ०च०, पृ. 56–58
8. रामा० : उत्तर० : 97 : 13–16
9. वही : उत्तर० : 98 : 2–10

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 65-67

कृषि व्यापारीकरण कृषि विकास का एक मुख्य घटक

डॉ0 नीरज कुमार*

*असि0 प्रो0,भूगोल विभाग, श्री हरि नारायण सिंह शिक्षण संस्थान, डेरामूसी, बड़ागाँव, अयोध्या, फैजाबाद, उ0प्र0

सारांश : कृषि का व्यापारीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को रूपान्तरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि व्यापारीकरण से आय एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है जो ग्रामीण विकास का मर्म हैं। रोजगार सृजन से ही लोगों को काम मिलता है जिससे उनकी आय बढ़ती हैं। फलस्वरूप एक ओर विभिन्न वस्तुओं की माँग बढ़ती है और बाजार विस्तृत होती है, जिससे अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित होता है तो दूसरी ओर बचत में वृद्धि से आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं सुविधाओं में विस्तार एवं परिस्कार हेतु पूँजी उपलब्ध होती है। इससे नये उद्योग आकर्षित होते है, एवं पुनः वही चक्र एक नये स्तर पर स्थापित होता हैं। इस प्रकार आर्थिक गतिशीलता का सृजन होता है जिससे जन्य सामान्य कि निर्धन्ता उन्मुलन का मार्ग प्रशस्त होता है (सिंह जगदीश 2001. पृष्ठ–381)

कृषि व्यापारीकरण कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। कृषि का व्यवसायीकरण कृषि अर्थतन्त्र की वह अवस्था है जिससे कृषक समुदाय जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के कारण प्रति इकाई भूमि से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता हैं। इसके लिए वह ऐसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, जिनका मूल्य अधिक होता है। इनको मुद्रादायिनी फसलें कहते हैं। ''आर्थिक दृष्टिकोण से किसी क्षेत्र की शस्य संरचना में खाद्यान्नो की अपेक्षा मुद्रादायिनी फसलों को अधिक महत्व दिया जाने लगता है, तो वहीं से व्यावसायिक कृषि का प्रारम्भ होता है। सिंचाई, परिवहन, विपणन एवं अन्य आधारभूत अवस्थपनात्मक सुविधाओं के साथ–साथ कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ ही साथ ऐसी अधिक आय प्रदान करने वाली नगदी फसलों की कृषि में विकास (उर्द्धवाधर) एवं विस्तार (क्षैतिज) होता जाता है।

एक विशाल देश होने के कारण भारत में अनेक कृषि जलवायिक दशायें पायी जाती हैं। वे दशाये फलों एवं सब्जियों के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ प्रदान करती है। इस देश में न केवल राष्ट्रीय आय का आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है अपितु 70% प्रतिशत जन समूह का जीवन इसी पर व्यापारिक कृषि द्वारा आर्थिक आय प्राप्त करने के दृष्टिकोण से व्यापारिक कृषि महत्वपूर्ण है। फल एवं सब्जियाँ न केवल भोजन के रूप में उपयोगी है, अपितु विटामिन एवं खनिजों जैसे पोषक एवं संरक्षी तत्वों के कारण अति महत्वपूर्ण है। लगभग सभी विकासशील देशों में न केवल मात्रात्मक भोज्य पदार्थो की कमी है। अपितु गुणात्मक दृष्टिकोण से इनका अभाव है भारत में कृषि पैदावार में वृद्धि के बावजूद पिछले ढाई दशक में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आमदनी का औसत लगातार घट रहा है। 1961 से ह्रास को औसत 6% रहा है। इसकी तुलना में इसी दौरान इन दूसरी तरफ गैर कृषि क्षेत्र यानि उद्योग धन्धों एवं दूसरे कामकाज तथा नौकरियों में लगे लोगों की आर्थिक आमदनी लगभग दोगुनी हो गयी हैं। इससे स्पष्ट है कि पिछलें ढाई दशक में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। किसानों और खेतिहर मजदूरों की आर्थिक आय घटनें का एक प्रमुख कारण फसल की लागत और बिक्री मूल्य में भारी असन्तुलन बताया गया हैं यह बात ''नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीचयूट के दो कृषि वैज्ञानिक डा0 आर0 के0 मेंहठा तथा आर0 एस0 कैरो द्वारा किये गये सर्वेक्षण से सामने आयी है (Mittal, Anant,1989)। सर्वेक्षण में उभरें तथ्यों तथा सरकारी आँकड़ों के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे। 1961 से 1984 के बीच कृषि क्षेत्र में आबादी की दर समान रहने के बावजूद आमदनी की खाई बहुत चौड़ी हुई है। 1961 में किसानों और खेतिहर मजदूरों की वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय औसतन 219 रूपये थी। करीब ढ़ाई दशक बाद 1984 में इसका औसत बढ़कर 204 रूपये प्रति व्यक्ति वार्षिक रह गया। उल्लेखनीय है कि 1984 में आय के औसत के लिए भी रूपये के मूल्य और मंहगाई का पैमाना 1961 वाला ही अपनाया गया। इसके मुकाबले उक्त अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में औसत प्रति व्यक्ति आय में दो गुनी वृद्धि हुई। 1961 में इसका औसत 531 रूपये था। यह 1994 में 1167 रूपये जा पहुँचा। सन् 2005–06 में राष्ट्र की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय 25788 रूपये वार्षिक है।

सर्वेक्षण में इस भारी असुन्तलन का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में बढ़ी बेरोजगारी बताई गयी। 1961 से 1981 के बीच इस क्षेत्र में 20.36% बेराजगारी बढ़ी है। यह अन्तर खेती के मशीनीकरण और नयी तकनीक के साथ–साथ आबादी बढ़ने से हुआ है। 1961 में कृषि क्षेत्र में एक कमाने वाले के मुकाबले 2.75% व्यक्ति बेरोजगार थे। 1981 में यह अनुपात बढ़कर 3.55% हो गये। किसानों और खेतिहर मजदूरों की आय में गिरावाट का दूसरा मुख्य कारण उपज की लागत और उसके बिक्री मूल्य में असन्तुलन बताया गया है। 1960 के दशक में हरित क्रान्ति आने के बाद पैदावार में हुई अधिक वृद्धि के बाद साहूकारों ने किसानों से मनमाने दाम पर उपज उठानी शुरू कर दी। कृषक इस मनमानी को झेलने के लिए मजबूर थे। क्योंकि उनके पास भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं थी।

1970 में भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग बनाया और आयोग की तरफ से तय न्यूनतम मूल्य पर कृषकों से सीधे उपज खरीदारी शुरू कर दी। इससे साहूकारों का बिचौलियापन खत्म होने के साथ ही साथ कृषकों की उपज का अच्छा मूल्य मिलने लगा। लेकिन कृषको की हालत सुधरने के साथ ही सरकार ने न्यूनतम मूल्य के साथ कुछ शर्ते भी जोड़ दी। ये शर्ते थी– उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इनके कारण न्यूनतम मूल्य ही अधिकत्म मूल्य हो गया। इस कारण कृषको का उपज का मूल्य पुनः मिलने लगा तथा उपज की लागत निकलना भी मुश्किल हो गया। इससे खेती

बारी लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है। कई सरकारी तथ्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है (Mittal, Anant,1989) कृषि उपज के भाव और उसके खुदरा भाव में भारी अन्तर है। उपज का मूल्य सरकार 10 रूपये प्रतिकुन्तल बढ़ाती है तो फुटकर भाव 100 रूपये बढ़ जाते है। उदाहरण के लिए 1987–1988 में सरकार ने गेहूँ के मूल्य में 10 रूपये प्रतिकुंतल तक बिकी। जबकि इस दौरान फुटकर घाटे का भाव 100 रूपये प्रतिकुन्तल वृद्धि की। लेकिन गन्ने से बनी चीनी उक्त वर्ष 700 रूपये से बढ़कर 1250 रूपये प्रति कुन्तल तक बिकी। इस अन्तर का लाभ बिचौलिया उठाते थे और कृषक एवं उस पर आश्रित मजदूर के साथ घाटा ही आता है। इसके अलावा सब्सिडी तथा खाद्यान्नों की आयात निर्यात नीतियाँ भी कृषि क्षेत्र के घाटे के लिये जिम्मेंदार बतायी गयी है (Mittal, Anant,1989)

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर कृषि विशेषज्ञों ने बार–बार कृषकों को व्यापारिक कृषि करने की सलाह दी है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य और भारत के कृषि विशेषज्ञों डा0 जी0 वी0 के0 राव हिन्दुस्तान लीवर के शोध विभाग से सम्बन्धित प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा0 के0 के0 जी0 और संयुक्त राज्य की विभिन्न एजेंसियों के अनेक विशेषज्ञ अधिक लाभदायक आय प्राप्त करने हेतु व्यापारिक कृषि करने की सलाह बार बार दुहरा चुके है (Bajaj Jintendar,1986)। विशेषज्ञों का मत है कि विदेश में व्यापाक बाजार होने के कारण व्यापारिक कृषि के अन्तर्गत सब्जियों फलों एवं फूलो आदि के उत्पादन उसकी डिब्बा बंदी एवं अन्य प्रति क्रियाओं से एक तरफ रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें, तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रार्जन में भी यह प्रक्रिया सहायक होगी।

व्यापारिक कृषि में भारत की प्रवृत्ति : भारत एक ऐसा देश है जो कृषि खाद्यान्नों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भाग अत्यधिक है तथापि फल एवं सब्जियों का क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। ''वर्तमान समय में देश के कुल कृषि भूमि का 26 लाख हैक्टेअर क्षेत्रफलों के अन्तर्गत तथा 29.4 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल सब्जियों का है, जिसमें सम्पूर्ण कृषि उत्पादन का क्रमशः 9:13 एवं 8.04% है। 1976–77 में देश में फलों का उत्पादन 187 लाख टन था। जो 1982–83 में बढ़कर 226 लाख टन हो गया। इस प्राकर इसमें 18% वृद्धि हुई। इसी प्रकार की वृद्धि सब्जियों के उत्पादन में भी की गयी। खाद्यान्नों एवं बागवानी उत्पादों की तुलना करने से ज्ञात होता है कि आर्थिक उन्नति के साथ–साथ खाद्यान्नों की अपेक्षा नकदी फसलों के उत्पादों में तीव्र वृद्धि हुई, तथा व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में परिवर्तित होने की सम्भावनां हैं। व्यापारिक कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन की तरह ही इसके व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1881–1982 में फलों एवं सब्जियों का सम्पूर्ण निर्यात 1770 लाख रूपये का था। जो बढ़कर 1983–84 में 203000 लाख रूपये हो गया। इससे ताजे फलों एवं सब्जियों का हिस्सा 34% था। सन् 1982–83 में में फलों एवं सब्जियों का निर्यात 54 करोड़ रूप्ये का हुआ जबकि 1983–84 में यह बढ़कर 69 करोड़ रूपये हो गया। केवल ताजी सब्जियों का निर्यात 1982–83 में 14000 टन से बढ़कर 1983–84 मे 26600 टन हो गया। उपरोक्त तथ्यों को देखने से देश में व्यापारिक कृषि की प्रवृत्ति की झलक मिलती है जो उत्साहजनक है। निर्यात में खाद्यान्नों की प्राथमिकता को देखते हुये देश में व्यापारिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

कृषि विकास : 'कृषि' शब्द का पर्याय Agriculture है जो लेटिन भाषा के Agricultura' (Ager-खेत का टुकड़ा, cultura-खेती करना है।) से लिया गया है। लागमैन शब्दकोष के अनुसार फसलों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी को कृषि के लिए तैयार करने की कला, विज्ञान या अभ्यास, को कृषि कहते हैं। यद्यपि कृषि पशुपालन (कुछ शाकाआरी पशुओं को पालने की क्रिया) से भिन्न हैं, तथापि भूगोलवेत्ता कृषि के अन्तर्गत फसल उगाना तथा पशुपालन (पशुचारण) दोनों को सम्मिलित करते हैं। हम्फ्री (Humphry, 1965) ने अपने विश्वकोष (encylo paedia) में उक्त दोनों कृषि में सम्मिलित किया है। (स्रोतः–आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, डॉ0 अलका गौतम, पृष्ठः 285) गाँवों की मुख्य व्यापारिक कृषि होने के कारण कृषि विकास को नजर अंदाज करके ग्रामीण विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती हैं। किसी भी ग्रामीण समाज के विकास के लिए विकसित कृषि तन्त्र आवश्यक हैं। किन्तु यह विकसित कृषि तन्त्र केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि से ही नहीं जाना जाता, कभी–कभी कृषिगत उत्पादकता अथवा अन्य किसी एक तत्व को कृषि विकास का पर्याय मान लिया जाता है, किन्तु देखा गया है कि ऐसी विकसित कृषि प्रणाली ग्रामीण विकास का भी मापक बन जायेगा। यह विकसित स्वरूप किन–किन विकास के मापकों से जाना जाता है और उन आवश्यक तत्वों के विकास में व्यापारिक कृषि किस प्रकार सहायक है यह देखने का प्रयास किया गया है। कृषि विकास निश्चित रूप से एक बहुआयमी संकल्पना है (Gopal Krishnon p.77)। जिसका एक पहलू ''शस्य उत्पादकता है।'' सामान्यतः उत्पादकता को मापने के लिए प्रति एकड़ उत्पादन या प्रति कृषि कर्मी उत्पादन की गणना की जाती है। परन्तु शस्य उत्पादकता केवल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से ही निर्धारित नहीं की जा सकती। अपितु उसकी किस्म एवं गुणवत्ता भी इसके लिए आवश्यक है। इस सन्दर्भ में उच्च उत्पादकता के मापदण्डो तक पहुँचाने के लिए किसी क्षेत्र में व्यापारिक कृषि सदस्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि इन शस्यों का न केवल प्रति एकड़ उत्पादन खाद्यान्नो के अपेक्षा अधिक होता हैं। अपितु प्रति कृषि कर्मी उत्पादन मूल्य भी अधिक प्राप्त होता है।

''शस्य विविधता कृषि विकास का दूसरा प्रमुख पहलू है। कृषि मे विशेषीकरण एक सीमा तक उत्पादन के लाभों को अवश्य प्रदान करता हैं। किन्तु एकल कृषि पद्धति (मोनोकल्चर) प्राकृतिक क्रम एवं पारिस्थैतिकी तंत्र को हानि पहुँचाता है तथा मानव के दीर्घकालीन हितो के लिये घातक है।'' (Igbozurike Mathias,V.,1971,p.114) अतः कृषि विकास के एक तथ्य के रूप में शस्य विविधता को आर्थिक दृष्टि से नहीं अपितु उत्पादों में आत्मनिर्भरता एवं भूमि की उर्वरता को बनाये रखने के लिये महत्वपूर्ण माना गया है। फसलों की विविधता के कारण व्यापारिक कृषि मृदा के विविध सात्विक संगठन को बनाये रखती है एवं भूमि की उर्वरता को कायम रखती है। क्षेत्रीय आत्म–निर्भरता हेतु भी व्यापारिक कृषि अद्वितीय भूमिका निभाती है। कृषि विकास के सम्बन्ध में शस्य उत्पाद की गुणवत्ता की भी गणना की जाती है। फसल की गुणवत्ता का आशय खाद्य फसलों के सम्बन्ध में चमक कार्यकुशलता

स्थायित्व तथा प्रक्रिया सुविधा से है। विविधक व्यापारिक कृषि में पोषकता स्तर पोषण क्षमता आस्वादन क्षमता खाद्यान्नों से अधिक है। साथ ही औद्योगिक फसलों के रूप में इनकी माँग एवं दाम भी खाद्यान्नों से अधिक है।

कृषि विकास की तृतीय मार्मिक पहलू के रूप में कृषि विविधता को लिया जाना जाता है, जिसके अन्तर्गत कृषि के सहायक कार्यो को सम्मिलित किया जाता है। दुग्ध उत्पादो को बढ़ावा देना, पशुपालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, एवं मत्स्य पालन इसके अन्तर्गत आते हैं। इनमें से रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन एवं मत्स्य पालन इसके अन्तर्गत आते है। इनमें से रेशम कीटपालन एवं मधुमक्खी पालन व्यापारिक कृषि के अभिन्न अंग है। इनके अतिरिक्त अन्य कार्यो को भी व्यापारिक कृषि के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता हैं। अतः इन कार्यो के साथ व्यापारिक कृषि कृषिगत जनसंख्या के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन भी करता है। विशेषकर छोटे जोत के कृषक इन सहायक कार्यो से अपने को गरीबी के दूषित चक्र से सफलतापूर्वक निकाल सकते है। यह व्यापारिक कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

विपणन शक्तियाँ जिस मात्रा में क्षेत्र में व्याप्त रहती है एवं जिस पैमाने पर वे सक्रिय होती है हमेशा कृषि विकास के लिए निर्णायक तत्व होती है। (Hunter Guy, 16962) खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की अपेक्षा व्यापारिक फसलों के उत्पादन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता। व्यापारिक कृषि क लिये एक निर्दिष्ट प्रयास के द्वारा कृषकों की मनोदशा को एवं विपणन सुविधा को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है। जिससे व्यापारिक कृषि के उत्पादों में वृद्धि करके कृषि व्यापारीकरण के लक्ष्य को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि आय के वितरण की समानता का स्तर एवं कृषकों के सम्बन्धों की प्रवृत्ति भी कृषि विकास के स्तर को व्यक्त करती है। सामान्यता विकसित कृषि तन्त्र में आय के वितरण में असमानता विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। जबकि विकास की परख उसके द्वारा सामाजिक न्याय के प्रसार से की जाती है। भूमि एवं आर्थिक शक्ति का असमान वितरण जमीदारों एवं बड़े कास्तकारों को लाभदायक स्थिति प्रदान करता है। जिससे ग्रामीणों के शोषण की अनेक प्रणालियों का जन्म होता है। (Davey Battan, 1975,p.175)।

''हरित क्रान्ति की सफलता के बावजूद भी कृषि आय में विषमता और बढ़ गयी (Francine,R.,1971,p.175)। यह अनुभव किया गया कि हरित क्रान्ति की उपलब्धियों के वितरण में समानता लाने के लिये अनेक प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिये कृषि के उत्पादन एव उत्पादकता के स्वरूप में परिवर्तन करना होगा। साथ ही यांत्रिक निवेशों पर कम तथा रासायनिक निवेशों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। ''कृषको में शोषण रहित तनावमुक्त सम्बन्ध किसी भी क्षेत्र के कृषि विकास के मौलिक अवयव है। न केवल बड़े एवं छोटे कृषकों अपितु भूमिहीनों एवं छोटे–छोटे कृषकों के सम्बन्धों में भी तनाव, कृषि विकास के स्तर को प्रदर्शित करते है। कृषकों एवं मजदूरों में तनाव प्रायः मजदूरी की दरों से सम्बन्धित होता है,'' (Singh,B.B.,1971,p.85) जबकि विभिन्न वर्ग के कृषकों के मध्य समबन्धों में तनाव उनके द्वारा आर्थिक स्तर में समानता की प्राप्ति को होड़ में निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इनमें सिंचाई उर्वरक, उन्नत किस्म के बीजों ऋणों–विपणन सुविधाओं एवं भूमि सुधार नीतियों को सम्मिलित किया जाता है कि इन निवेशों की उपलब्धता का पूर्ण सहसम्बन्ध क्षेत्र के कृषकों की विकास की दशाओं में होता है। अतः विकास की दशाओं में समानता ही कृषकों में तनाव को कम कर सकती है। इसके लियें कृषि के लाभदायक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

व्यापारिक कृषि छोटे कृषकों के लिये आय वृद्धि का अवसर प्रदान करती है। मजदूरों एवं कृषकों का सम्बन्ध मजदूरी की दरों में वृद्धि से सामान्य हो सकता है। व्यापारिक कृषि अधिक लाभकारी होने कारण कृषकों को अधिक आय एवं मजदूरों से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं इस प्रकार यह शोषण एवं तनाव कम करने में सहयोगी हो सकती है।

सन्दर्भ :

1. Hunter Guy, (1962) : Modernizing peasant Societiesaa' Oxford University presaas, London.
2. Hays, W.B (1966): Fruit growing in India, Horticulturist, Allahabad Agricltural Institute, Kitabistan, Allahabad.
3. Indian Council of Agricultrual Research-Indian Horticulture monthaly Journal.
4. Igbozurike Mathisss, V, (1971): Aganist Monoculture Professional Geographer, Vol.23,p.114.
5. Kayastha,S.L. (1965) : Horticulture in Himalayas oriental Geography, Vol.INo.I p.17.
6. कुमार रविन्द्र, (2008) : ग्रामीण विकास में व्यापारिक कृषि की भूमिका : कैम्पियरगंज विकासखण्ड (गोरखपुर) का प्रतीक अध्ययन,पी–एच0डी0 शोध प्रबन्धक, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
7. Lela Uma, (1974) : The Design of Rural Development in Analysis of Programmessa and Projects in Africa, John Happins University Press, Baltimore.
8. Lavanayan, M.L., (1984): Fruit Cultivation in India.G.B.Pant Agriculturla and Technology University Pant Nagar.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 68-70

भारतीय संविधान एवं राष्ट्र निर्माण में डॉ० अम्बेडकर की भूमिका : एक ऐतिहासिक विश्लेषण

राकेश कुमार*
*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम विधिमंत्री के रूप में उनका मंत्रिमंडल में प्रवेश और इसके बाद 'प्रारूप समिति' का सभापति (अध्यक्ष) चुना जाना भारत के इतिहास में, दलित वर्ग के इतिहास में एक मील का पत्थर है। अंततः सदियों की देशी और विदेशी गुलामी के बाद भारत के लोगों को स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना का अधिकार मिला। वास्तव में यह एक महान उपलब्धि थी। संविधान को स्वीकृत करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समस्त 'संविधान सभा' हर्षातिरेक से प्रफुल्ल थी। विभिन्न समुदायों और संस्थाओं के प्रवक्ताओं ने एक के बाद एक शानदार टिप्पणियां की और डॉ. आंबेडकर को उनके स्पष्ट, सुयोग्य, सुव्यवस्थित वक्तव्य तथा अत्यंत बुद्धिमता से किए गए संविधान की व्याख्या के कारण उनकी जबर्दस्त प्रशंसा और कृतज्ञता ज्ञापन किया। बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को हम कई भूमिकाओं के माध्यम से समझ सकते हैं. पहला योगदान संविधान सभा के सामान्य परन्तु सजग एवं सकारात्मक आलोचक की भूमिका में समक्षा जा सकता है। दूसरा योगदान संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में।

मुख्य शब्दः संविधान, सामाजिक पिछड़ापन, जाति व्यवस्था, राष्ट्र निर्माण, डॉ0 अम्बेडकर आदि ।

भूमिका : किसी भी देश के संविधान का निर्माण उस देश के भूतकालीन उतार–चढ़ाव पर निर्भर होता है। इस कारण भारतीय संविधान को ठीक से समझने के लिए 'भारतीय संविधान' से पूर्व के भारत का इतिहास समझ लेना अनिवार्य है। किसी भी सभ्यता के नेतृत्व ओर उसका शिक्षित करने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग पर होती है जिसे इस देश में ब्राह्मण कहा जाता है। पुराने हिन्दू कानून के अनुसार ब्राह्मण को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। उदाहरण–हत्या के अपराध में फांसी का दण्ड नहीं था।[1] जो इसे इस्ट इंडिया कम्पनी ने 1817 इस्वी तक इसे बरकरार रखा। समकालीन भारतीय दर्शनशास्त्र में शामिल उपनिषदों की तत्वमीमांसा और गीता के नीतिपरक विषयों को जाति की निरंकुशता ने केवल शब्दों तक ही सीमित कर दिया था। इस प्रकार भारत में एक ऐसी सामाजिक प्रथा विकसित की गई जिसने सदियों तक के लिए पीढ़ी–दर–पीढ़ी बच्चों को एक दूसरे से अलग करके उन्हें उक्त प्रथा में जकड़ दिया। सामाजिक समस्याओं पर अपने विश्लेषण में अम्बेडकर ने जातिप्रथा को मूर्खतापूर्ण और अत्याचार करने वाली व्यवस्था बताया और उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की।[2] उन्होंने ब्राह्मणवाद के सिद्धांतो की व्याख्या इस प्रकार की : 1. विभिन्न जातियों के बीच ऊँच–नीच, 2. शुद्रो और अछूतो का पूर्ण तिरस्कार, 3. शुद्रो और अछूतों को शिक्षा में पूर्णतः वंचित रखना, 4. शुद्र और अछूतो पर सत्ता और अधिकार के पद प्राप्त करने पर प्रतिबंध, 5. इन दोनों वर्गो पर संपति संचय का प्रतिबंध, 6. स्त्रियों की दासता और उत्पीड़न।

उनके विचार से असमानता ब्राह्मणवाद का मान्य सिद्धांत है। उन्होने कहा कि किसी भी अन्य समाज में ऐसा दर्शन तैयार करने पर मगजपच्ची नहीं की गई कि अशिक्षित ग्रामवासियों को भुलावे और गरीबी में रखने की स्थायी परंपरा चला दी गई हो जैसी ब्राह्मणवाद ने चलाई।[3]

अछूतों को दासता से मुक्त करने के लिए इस्ट इंडिया कम्पनी ने 1843 में एक Emancuptation Act (मुक्त कानून) पारित किया लेकिन यह भी बता दिया कि "यदि उनके स्वामी उनके साथ दयाभाव से पेश आते हैं तो उसके हित में है और उनका कर्तव्य है यही होगा कि वे अपने स्वामियों के साथ रहे।" इण्डियन पीनल कोड (भारत दण्ड संहिता) को जनवरी 1862 को लागु हुआ, जिसमें 370–371 आदि धाराओं में दासता को अवैध करार दिया गया लेकिन यह रूकी नहीं और बन्धक मजदूरी के रूप में निरंतर जारी रहा।[4] 1857 में हिन्दू–मुस्लिम सामंतशाही प्रवृत्ति से संयुक्त रूप से ब्रिटिश के विरूद्ध आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन के दबाने में ब्रिटिशों को सफलता मिली, इस घटना का परिणाम रानी विक्टोरिया पर हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने बड़े भारतीय प्रदेश का शासन भारत नहीं रखना चाहिए ऐसा रानी विक्टोरिया को लगा और वे कंपनी का शासन का भार समाप्त करके इंगलैंड की रानी विकटोरिया 'भारत की साम्राज्ञी' घोषित की गई और वहां की शासन व्यवस्था देखने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर गर्वनर जनरल (वायसराय) का पद स्थापित लिया।[5]

ब्रिटिश विदेशी थे वे भारत पर शासन किया। इसलिए भारत को साम्राज्य से मुक्त होकर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ऐसा भारतीयों को लगने लगा। लेकिन आज स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासन का अवलोकन से पता चलता है कि भारत के लिए अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है, ब्रिटिशों के कारण भारतीयों में वैश्विक अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टि से सुधार आने लगी। लोकतंत्र की कल्पना और जीवन प्रणाली का मार्ग या (सिद्धांत) कानून में समानता, न्यायालय के समक्ष सभी समान समझे जाने, इस तरह के कानून से ब्रिटिश ने भारत में समानता प्रस्थापित किया। 1909 में "इंडिया कौसिंल एक्ट" (India council Act 1909) अमल में आया। इसमें हिंदु और मुस्लिम को अलग मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक को पहली बार मतदाता का अधिकार देकर उन्हें मानवाधिकार का प्रावधान किया गया।[6] 1915 से संसदीय लोकतंत्र का छोटे स्तर पर शुरू हुआ। 1917 में भारत मंत्री मांटेग्यू ब्रिटिश कॉमन्स सभागृह में घोषणा की "भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत भाग रहे ऐसी ब्रिटिश सरकार की योजना है।

भारत के प्रशासन भारतीयों के साथ संबंध बढ़ाकर वहाँ की संस्था का विकास का कदम उठाए जाएंगे। 1919 में भारत सरकार का कानून 1921 में लागू कर मुस्लिम और सिखों को मताधिकार देकर विधानमंडल मनोनीत सदस्यों की संख्या 70 प्रतिशत तक पहुँचाई गई। सायमन कमीशन 1929 में भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण कांग्रेस ने बहिष्कार कर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा संविधान का मसौदा तैयार कर 1928 कलकत्ता अधिवेशन में पारित कर 1929 मे लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर ने 'नेहरू रिपोर्ट' में दलितों का प्रावधान नहीं होने के कारण नाराजगी जताते हुए सायमन कमीशन को दो निवेदन दिए। व्यस्क मताधिकार और विधानमंडल में आरक्षित जगह और प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। इस बात को बाबा साहेब तीनों गोलमेज परिषद, 1930, 1931, 1932 में लंदन में भाग लेकर अछूतों की समस्या सम्मेलन के अन्दर व बाहर की दुनिया में जगजाहिर की जिससे रैम्जे मैक्डोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 8 अगस्त 1932 का जातीय समस्या का समाधान ईसाई, युरोपियन, मुस्लिमों को पृथक मताधिकार और दलितों को आरक्षित मताधिकार और पृथक मताधिकार घोषित किया गया।[7]

19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति नियुक्त की गई। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त की गई। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 हुई और उन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी डाली गई। उन्हें खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी भारतीय संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को संविधान की पूर्ण चर्चा में डॉ0 अम्बेडकर अपने भाषण में बताया कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 17 दिन हो गए। जिसमें 11 बैठक हुई। इन 11 बैठकों के 165 दिन लगे। केवल संविधान के मसौदे पर विचार करने में 114 दिन लगे। प्रारूप संविधान के स्वरूप एवं संरचना, धाराओं तथा प्रावधानों, मुट्ठी और समस्याओं को लेकर जनता तथा सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाई गई समीक्षा एवं आलोचनाएं की गई। इन सभी कुछ बातों को देशहित में छोड़ते हुए लगभग सभी बातों को स्वीकार किया गया।

बाबा साहेब पहली बार बंगाल (सामान्य) सीट से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे। संविधान पहली बार 9 दिसम्बर 1946 को मिली और उसकी कार्यवाही 11 दिसम्बर को राजेन्द्र प्रसाद को नियमित चेयरमैन चुना गया और 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण हेतु उद्देश्य एवं लक्ष्यों का मसौदा सदन में बहस के लिए रखा। इस मसौदे पर पहली बार बाबा साहेब 17 नवंबर 1946 को अपना वक्तव्य दिया। बाबा साहेब ने कहा, कि यह मसौदा कुछ अधिकारों की बात तो करता है लेकिन किसी प्रकार के उपचार (रेमिडिज) की बात नहीं करता है और न किसी व्यक्ति की जान स्वतंत्रता एवं संपत्ति विधि की उचित प्रक्रिया में नहीं ली जा सकती का जिक्र इस मसौदे में नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय संभव है इसलिए मैं इस मसौदे से निराश हूँ। वैसे तो डॉ0 अम्बेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में कई योगदान है, परंतु उनमें से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण सबसे मौलिक एवं महत्वपूर्ण है।[8]

बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को हम कई भूमिकाओं के माध्यम से समझ सकते हैं. पहला योगदान संविधान सभा के सामान्य परन्तु सजग एवं सकारात्मक आलोचक की भूमिका में समक्षा जा सकता है. दूसरा योगदान संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में. संविधान निर्माण में योगदान की गणना निम्न आधार पर की जा सकती है. 1) समय, भौतिक एवं बौद्धिक ज्ञान का योगदान 2) विभिन्न विचारधाराओ ंके प्रतिनिधियो ंकी आलो चना दूर कर उन्हें संतुष्ट करने में यो गदान 3) भिन्न मतों एवं भ्रान्तियों को दूर करने में योगदान 4) संविधान कि वर्तमान समय में प्रासंगिकता का उत्तर 5) संविधान के माध्यम से राष्ट्र एवं प्रजातन्त्र के निर्माण हेतु कुछ मूल तत्वों का चिहांकन।

सर्वप्रथम इन तथ्यों का प्रमाण हमें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष दिये गये बाबासाहेब के उदबोधन से मिलता हैं. बाबासाहेब ने मषहूर संविधानविद एम. एल जैकर को उद्धत करते हुए कहा कि किसी भी देश का संविधान उस वर्तमान पीढ़ी की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. अतः जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में समयोजित किये गये हैं वे सभी उस पीढ़ी की अकांक्षाओं के अनुरूप हैं। जो लोग इससे सहमत नहीं हैं उनको बस 2/3 (दो तिहाई) बहुमत की सरकार बनाकर इसे बदल देने का कार्य करना रहेगा। परन्तु अगर वे अपने बलबूते पर 2/3 बहुमत नहीं ला सकते तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान जनता उनके विचारों से सहमत नहीं है. और जो लोग 2/3 लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते वो कैसे पूरे राष्ट्र के लिए बोल सकते हैं।

संविधान सभा में बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारतीय समाज में संवैधानिक नैतिकता के अभाव का प्रश्न भी उठाया, और संवैधानिक नैतिकता के अभाव में बाबासाहेब ने अभिशासन के सूक्ष्म से सूक्ष्म मानदण्डों के विवरण को संविधान में शामिल करने का निर्णय लिया संवैधानिक मूल्यों से बाबासाहेब का तात्पर्य था, सत्ताधारी वर्ग द्वारा संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना. उनका मानना था कि संवैधानिक मूल्य परिलक्षित होने चाहिए. जब वे लोगों से मिलते हैं जब वे भाषण देते हैं या फिर जब वे विपक्ष में बैठते हैं तब उनके आचरण में संविधान के प्रति आदर झलकना चाहिए। परंतु उन्होंने कहा, वर्तमान समय में ऐसा लगता नहीं है। इसलिए अभिषासन के मानदण्डों को भविष्य की कार्यपालिका के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता. अतः अगर संविधान मोटा हो भी गया तो क्या हुआ; हमें भविष्य में संवैधानिक नैतिकता की स्थापना के लिए यह कदम उठाना ही होगा।[9]

संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के स्वार्थ की रक्षा कराने के अतिरिक्त में अन्य किसी महानतर आकांक्षा को लेकर नहीं आया था। मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं हुआ था कि मुझे और भी बड़े–बड़े प्रकार्यों को हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस कारण जब सभा ने मुझे मसौदा समिति में निमंत्रित किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और जब मुझे मसौदा समिति का सभापति चुना गया, तो मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति में मुझसें बड़े, मुझसे अच्छे ंऔर मुझसें अधिक सक्षम व्यक्ति विद्यमान थे जैसे कि मेरे मित्र माननीय अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर। संविधानसभा और मसौदा समिति का में कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझमें इतना विश्वास तथा भरोसा किया तथा मुझे अपना एक साधन बनाया और देश की सेवा करने मुझे यह अवसर दिया।[10]

इस संविधान की जितनी भी प्रतिरक्षा की जा सकती थी, उतनी प्रतिरक्षा मेरे मित्र माननीय अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर और टी.टी. कृष्णामचारी ने की है। अतः इस संविधान के गुणों के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि में समझता हूं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं, तो वह निस्संदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। राज्य के इन अंगों का क्रियाकरण जिन पर निर्भर करता है वह जनता और उसके द्वारा स्थापित किए गए राजनीतिक पक्ष से हैं जो उसकी इच्छा और नीति पालन करने के साधन होते हैं। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके पक्ष किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या वे अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने में संविधानिक साधनों को काम में लेंगे या वे क्रांतिकारी साधनो को अधिमान देंगे? यदि वे क्रांतिकारी साधन अपनाते हैं तो चाहे संविधान कितना ही अच्छा हो यह कहने में किसी देवदूत की आवश्यकता नहीं है कि वह असफल होगा। अतः इस संविधान पर बिना इस के कि जनता और पक्ष किस प्रकार की प्रवृति दिखाएंगे कोई निर्णय देना व्यर्थ है।[11]

इस देश में राजनीतिक शक्ति एक दीर्घकाल से चन्द लोगों के अधिकार में ही रही है और अधिकांश लोग केवल भरवाही पशु ही नहीं वरन बलि–पशु तक रहे हैं और हैं। इस एकाधिकार ने उन्हें केवल अपनी दशा सुधारने के अवसर से ही वंचित नहीं रखा वरन इसने उनमें से उस तत्व तक को निचोड़ लिया, जिसको जीवन का महत्त्व कहा जा सकता है। यह पददलित वर्ग शासित होने से परेशान हैं। वे स्वयं अपने पर शासन करने के लिए बेचैन हैं। पददलित वर्गों में इस स्वानुभूति की प्रेरणा को वर्ग संघर्ष या वर्ग–युद्ध का रूप ग्रहण नहीं करने देना चाहिए। इससे सभा में विभाजन हो जाएगा। वह दिवस वास्तव मे प्रलय दिवस होगा, क्योंकि जैसा अब्राहम लिंकन ने ठीक ही कहा है कि जिस सभा में ही स्वयं मतभेद हो वह अधिक काल तक नहीं टिक सकती।[12] अतः इनकी आकांक्षाओं की जितनी शीघ्र पूर्ति की जाएगी उतनी ही अधिक चन्द व्यक्तियों की, देश की, उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने में तथा उसकी लोकतंत्रात्मक रूपरेखा को बनाए रखने में भलाई है। यह तभी हो सकता है जब कि समता और बन्धुत्व की स्थापना जीवन के सब अंगों में हो।

निष्कर्षः इस प्रकार, स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम विधिमंत्री के रूप में बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर का मंत्रिमंडल में प्रवेश और इसके बाद 'प्रारूप समिति' का सभापति (अध्यक्ष) चुना जाना भारत के इतिहास में, दलित वर्ग के इतिहास में एक मील का पत्थर है। अंततः सदियों की देशी और विदेशी गुलामी के बाद भारत के लोगों को स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना का अधिकार मिला। वास्तव में यह एक महान उपलब्धि थी। संविधान को स्वीकृत करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समस्त 'संविधान सभा' हर्षातिरेक से प्रफुल्ल थी। विभिन्न समुदायों और संस्थाओं के प्रवक्ताओं ने एक के बाद एक शानदार टिप्पणियां की और डॉ0 आंबेडकर को उनके स्पष्ट, सुयोग्य, सुव्यवस्थित वक्तव्य तथा अत्यंत बुद्धिमता से किए गए संविधान की व्याख्या के कारण उनकी जबर्दस्त प्रशंसा और कृतज्ञता ज्ञापन किया। संविधान लागू होने के 65 वर्ष बाद पिछले दिनों संसद में पहली बार संविधान दिवस पर बहस देखने को मिला। इसके माध्यम से राष्ट्रनिर्माण में बोधिसत्व बाबासाहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के योगदान पर चर्चा हुई, एक ऐतिहासिक क्षण था जब इतने वर्षों बाद बाबासाहेब की पैनी दृष्टि एवं बौद्धिक विरासत के माध्यम से संविधान में निहित राष्ट्र में, संविधान के प्रति नई चेतना का प्रसार होने बेहतर काम होने की संभावना बढ़ गई है।

सन्दर्भ :

1. हिन्दू सोसायटी एट क्रास रोड्स– श्री0 के0 एम0 पणिकर, एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई, 1960, पेज65–66
2. कुमार, राजन, ''में से नहीं, 'हम' से बनेगा राष्ट्र'' सामाजिक न्याय संदेश, दिल्ली, अगस्त, 2016, पृ. 10–11
3. वही, पृ. 11
4. भीमराव अंबेडकर, डब्ल्यू॰ एन॰ कुबेर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, 2013, पेज 85–86.
5. बाली, एल आर, डॉ0 अम्बेडकर ने क्या किया? भीम पत्रिका पब्लिकेशन जालंधर, 2013, पृ. 62
6. सुर्या, अनिल, बाबासाहेब डॉ0 अम्बेडकर आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीति, सम्यक प्रकाशन, 2013, पृ., 160
7. वही, पृ.161–165
8. कुमार, विवेक, ''राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया का आरंभ था संविधान निर्माण,'' दलित दस्तक, दिल्ली, पृ. 7–8
9. परमार, पी0 ए0; भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉम् अम्बेडकर की भूमिका, सम्यक प्र., दिल्ली, 2015 पृ. 160
10. सिंह श्याम, संविधान सभा में डॉ0 अम्बेडकर सम्यक प्रकाशन दिल्ली, 2010 पृ., 189–190
11. वही, पृ.191–195
12. कुंभारे, देवानन्द,''प्रतिनिधित्व का आधार जाति क्यों? फॉरवर्ड प्रेस, अप्रैल, 2015, पृ., 29–34

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 71-72

पाल युगीन स्थापत्य कला एवं रंग विधान

डॉ0 उमेश कुमार सिंह*

*(प्राचार्य), ईश्वर प्रसाद महाविद्यालय, देउरा राजा (तेन्दू), सोनभद्र, उ0प्र0

सारांश : पाल युग के स्थापत्य के अवशेष बिहार में पर्याप्त नहीं मिलते किन्तु इसमें शक नहीं कि इस समय अनेक विहार, मंदिर और राजकीय भवनों का निर्माण हुआ था। धर्मपाल के खालीमपुर अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसके समय में पाटलिपुत्र एक अत्यन्त समूह नगर था और यहाँ पाल सम्राट के सामन्तों का समय–समय पर दरबार होता था। मुंगेर (मुद्गगिरि) भी देवपाल और नारायणपाल के समय में स्कंधावार था। शायद पीछे राजधानी भी बनी। मुंगेर में पाल काल के अवशेष मिलते हैं। बेगूसराय सब डिवीजन में नवलागढ़ और जय मंगलागढ़ में पालकालीन किले के अवशेष मिले हैं। लक्खीसराय, क्यूल जगुई और दिघवारा की उचित खोज और खुदाई से पाल स्थापत्य कला के नमूने मिल सकते हैं। नालन्दा में पालकालीन बिहारों के अवशेष मिले हैं।

बिहार सं. 1 नौ बार बना और नष्ट हुआ। वहां देवपाल का अभिलेख मिला था। यह द्वीप के राजा बाल पुत्रदेव का बनाया हुआ था। यह बिहार पक्की ईटों का बना है और 205 फीट लंबा और 168 फीट चौड़ा है। इसकी दीवार 6′–6′′ मोटी है। ईटों की जुड़ाई इतनी अच्छी है और जोड़ को घिस–घिस कर इतना चिकना किया गया है कि जोड़ का वस्तुतः पता ही नहीं चलता। दीवार पर पलस्तर की गई है और साधारण सजावट भी है। पश्चिमी दीवार के मध्य में प्रवेश द्वार है, जहां बत्तीस 32 फीट चौड़ी आलीशान सीढ़ी मिली है। बाहर से पश्चिमी दीवार 25 फीट ऊँची है और भीतरी दीवार के चारों ओर 10 फीट वर्गाकार कमरे हैं। जिसमें 6′′–9′′ लंबी चौकी बनी है। कमरों के सामने लम्बा बरामदा है, जो 10′′–6′′ चौड़ा है। यह बिहार दो मंजिला था या इससे अधिक मंजिल के पूर्वमध्य में मुख्य मंदिर था। मुख्य मंदिर के सामने पत्थर के चबूतरे हैं, जिनमें पायों की आधार–शिलायें स्थित हैं। शायद इस चबूतरे पर से शिक्षक आँगन में बैंठे विद्यार्थियों के लिए भाषण देते हो। विहार संख्या–10 के दरवाजों में लकड़ी के लिंटन की जगह पर प्रायः कच्चे मेहराब के चिन्ह मिले हैं और मिट्टी के गारे से ही जुड़ाईयाँ हुयी हैं। बिहारों के प्रवेश द्वार के बगल में एक गुप्त कमरा था, जिसमें कीमती चीजं सहेज कर रखी जाती होंगी। बिहारों के साथ चैत्य भी बने थे। चैत्यों का आकार वर्गाकार था। स्तूप सं0 3 और 12 प्रमुख हैं ये गुप्तकालीन पुराने स्तूप पर बने थे। चैत्य सं0 13 के समीप धातु गलाने की भट्टी के कमरे का पता चलता है। यह भट्टी ईटों की बनी थी और इसमें चार कमरे थे। प्रत्येक में हवा आने जाने के लिए और आग जलते रहने के लिए दो–दो पाइप थे। इस भट्टी में से धातु की टूटी चीजें मिली हैं।[1]

नालान्दा के पालकालीन बिहार अधिकतर दो मंजिले हैं। ऊपर की मंजिल के बरामदे स्तंभ पर थे, जिन पर छत टिकी थी। बिहार सं0 6 की खुदाई में ऊपरी मंजिल का स्तम्भाधार पाषाण मिला था। शायद आग लगने के कारण यह बिहार जल गया था और ऊपरवाला बरामदा भर–भराकर गिर पड़ा था। लकड़ी के ही पाये, ऊपर वाले बरामदे के लिए व्यवहार में लाये गये थे। बिहार सं0 9 अत्यंत विशाल था और इसका द्वारा पश्चिम की ओर था। यह द्वार मध्य में स्थित था और पत्थर का बना था। कुछ पत्थर के टुकड़े अभी भी लिंटल, में चिपके हैं। इस विहार में 37 छोटे कमरे थे और एक मुख्य मंदिर था। पश्चिम की ओर के कमरों के बाद दो भंडार के कमरे हैं जिनमें दरवाजे नहीं थे। विस्तृतआंगन ईटों से पटा है और दो अंचियाँ चूल्हों की तीन कतारें आंगन में ही बनी है। अठपहल एक कुआँ भी है, और ईटों की नाली है। जिसे ऊपर से पत्थर की पटियों से ढंका गया था। बरामदे के स्तंभ पत्थर की आधार शिला पर खड़े किये गये थे और पाये लकड़ी के ही थे। यह बिहार भी दो मंजिला था और 7′′–10′′ चौड़ी सीढ़ी के अवशेष मिले हैं। बिहार सं0 11 की विशेषता यह है कि बरामदे के कुछ स्तंभ अब भी खड़े हैं। ये पाषाण स्तंभ हैं। यह भी संभव है कि ऊपरले बरामदें की छत भी इस प्रकार पाषाण स्तम्भों पर टिकी हो। विहार सं0 9 में लकड़ी के पाये थे। विहार सं. 11 के पाषण–स्तंभ उल्लेखनीय है। बिहारों की नींव बड़ी सावधानी से रखी जाती थी। ईंटों और बालू का क्रम से व्यवहार किया जाता था। तो कहीं ईंटों की सतह के नीचे तीन से पांच फीट मोटी बालू की सतह रखी जाती थी। भूकम्प के दौरे का भय बराबर बना रहता था, इसीलिए यह उपाय व्यवहार में लाया गया था।

बिहार सं0 7 के उत्तर पश्चिम में एक पाषण मंदिर का अवशेष मिला है। प्लीन्थ के नीचले भाग के चारों ओर पत्थर की पट्टियां लगी हैं, जिनपर अनेक प्रकार के दृश्य उत्कीर्ण हैं। बहुत संभव है कि ये उत्कीर्ण दृष्य पाल काल के पहले के हों, पर यह मंदिर तो पाल युग का ही है। संभव है इस काल में इसमें ये चौखट जोड़ दिये गये हों। इनमें नोकदार वृत्त के आकार भी उत्कीर्ण है। चैत्य सं0 12 एक दूसरे के ध्वंसावशेष पर दो बार बना। यह चैत्य भी प्रायः समचतुर्भुजाकार या वर्गाकार (170 ग 165) है। इस पर जो चैत्य पीछे बनाया गया है वह भी वर्गाकार है, पर इसका प्रवेश द्वारा पहले की अपेक्षा एकदम सादा है। इस चैत्य के चारों ओर कोनों पर चतुर्भजाकार प्रलम्बबाहू पर चार मंदिर स्थित थे।

गया में भी पाल कालीन अवशेष मिले हैं। महाबोधि के प्रांगण में तारा का मंदिर है, जिसका शिखर महाबोधि के शिखर से मिलता–जुलता है। गिरिब्रज पहाड़ी पर ईंटों का बना डमरूनुमा स्तूप भी पाल काल का ही है। गया के विष्णुपद मंदिर में प्राचीन बौद्ध स्मारकों के उपकरण व्यवहार में लाये गये हैं। आधुनिक मंदिर इसके सामने के अर्द्धमंडप का भाग पाल काल का ही है। अभिलेखों से यह पता चलता है कि जनार्दन गदाधर मंदिर पाल राजा नयपाल के समय में 11वीं शदी में बना था। बटेश्वर मंदिर और पिता महेश्वर मंदिर का निर्माण विग्रहपाल तृतीय के समय में हुआ था। विश्वादित्य के पुत्र यज्ञपाल के अभिलेख से पता चलता है कि इस समय गया में शिवलिंग और सूर्य प्रभृति देवताओं के मंदिर बनाये गये थे। गया की समुचित खोज और खुदाई

से बहुत कुछ अब भी प्राप्त हो सकता है। उदन्तपुरी (बिहारशरीफ) और विक्रमशिला (भागलपुर) में भी पाल स्थापत्य के नमूने ढूढ़ने की आवश्यकता है।

चित्रकला : पालकाल युगीन तालपत्रीय[2] ग्रंथों की माप प्रायः ''2.1/4 ग 2.1/2'' है। चित्र स्थान को छोड़कर शेष में काली स्याही से सुन्दर अक्षर का जोड़ है। तालपत्रीय चित्रतल पर दोनों ओर लम्बवत तथा मध्य में क्षैतिज आलेखन के लिए स्थान बनाया गया है। संयोजन सरल सम, संतुलित बने हैं। दैविक आकृति मध्य में बड़े आकार में बनाई गई है। इसके दोनों ओर उप आकृतियों के अन्तराल को संयोजित किया गया है। रूपों व आकारों की भीड़ के लिए आलेख में स्थान नहीं है। रूपों की संरचना, अजन्ता वाली लचक मुद्रायों लिए हुए हैं। वृक्षों में प्रायः कदली व नारियल को बनाया गया है तथा अन्य ज्यामितीय व पुष्पों की सजावट अक्षरों वाले स्थान के इधर–उधर की जाती थी। प्रायः आकाश भी चित्रित नहीं हुआ है, जिससे सम्पूर्ण तल पर आकृतियों को ही प्रमुखता मिल गई है।

रंग विधान : यहाँ सरल, सीधे व प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग हुआ है। लाल रंग के लिए हिंगुल तथा महावर, नीले के लिए लाजवंती तथा नीचे –पीले के लिए हरताल, सफेद व काले रंगों का प्रयोग हुआ है। मिश्रित रंगों का भी कहीं–कहीं प्रयोग हुआ है।

इस प्रकार बौद्ध चित्रकला भित्तियों से पाल शैली के तालपत्रीय ग्रंथों पर उत्तर आई। उसी रूप में वह नेपाल शैली में भी प्रवेश कर गई। लेकिन नेपाल में ध्वजाओं पर पुनः बड़े माप में यह चित्रशैली प्रकट हुई। नेपाल से यह चित्र शैली तिब्बत की ओर मुड़ गई जहाँ मंदिरों तथा चैत्यों की भित्तियों पर यह शैली उतरने लगी। नेपाल दरबार पुस्तकालय में रखे ग्रंथों जैसे 1174ई0 के पिंगल मत और 1395ई0 के नित्यादि नकातिलक से पता चलता है कि हिन्दू ग्रंथ चित्रों में इसी बौद्ध चित्रशैली का अनुकरण किया गया है। पाल शैली के चित्र देष–विदेष के अनेक संग्रहालयों में मिलते हैं।[3]

सन्दर्भ :

1. गाइड टू नालन्दा, पृ.–8।
2. इन तालपत्रीय चित्रों में विशेषकर जैन देव तीर्थकरों के प्रतिबिम्ब होते हैं पर साथ में कुछ और दृश्यों के चित्र कहीं–कहीं मिल जाते हैं। ऐसे दृश्यों में प्रधान तथा जैनाचार्य के धर्मोपदश के स्वरूप का अवलोकन किया हुआ मिलता है। इस आलेखन में आचार्य समापीठ पर बैठे हुए धर्मोपदेश करते बतलाए गए हैं और उनके सम्मुख श्रावक और श्राविका गज भाव भक्तिपूर्ण उपदेश श्रवण करते हुए दिखाए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे ही और भी अन्यान्य प्रसंगोचित दृश्य अंकित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं। पुरातत्वाचार्य श्री जिनदिजम ''चित्रकला की दृष्टि से ताड़पत्रीय पुस्तकों का आकर्षण'' जैन पुस्तक प्रशस्ति अंग प्रस्तावना, पृ. 20।
3. आर.ए.अग्रवाल., भारतीय चित्रकला विकास।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 73-74

करकरी बेसिन (झारखंड) में उच्चावच का आकारमितिक विश्लेषण

डॉ0 अरूण कुमार सिंह*

*प्रवक्ता (भूगोल विभाग), राम खेलावन सिंह, पी0जी0 कालेज, कलवारी मड़िहान, मिर्जापुर, (उ0प्र0)

करकरी बेसिन, झारखण्ड प्रदेश के छोटानागपुर उच्चप्रदेश के दक्षिणी–पूर्वी भाग में फैली हुई है जिसका अक्षांशीय विस्तार $22^0$49′ उत्तर से $23^0$17′ उत्तर तथा देशान्तरीय विस्तार $85^0$09′ पूरब से $86^0$02′ पूरब के बीच अवस्थित है। जिसका क्षेत्रफल 1481.25 वर्ग किमी है। इसके उत्तर में राँची, दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम में गुमला एवं पूरब में सरायकेला जिले स्थित हैं। यह बेसिन सुवर्णरेखा नदी की सहायक है और इसकी सहायक नदियाँ तजना, नारदा, जारको एवं रोला आदि हैं। इसका उच्चावच्च 180मी. से 915मी. के बीच पाया गया है तथा क्षेत्रफल 1481.25 वर्ग किमी. है । इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भूपत्रक संख्या 73E/3.4,8,12,16;73F/5.9,13; 73I/4 का अध्ययन किया है। इसमें प्रमुख उच्चावच्च अध्ययन क्षेत्र के चारों ओर पाये गये है जिसमें बिन्गान (706मी.), मुसुंगा (616मी.), बारूकेण्ड (450मी), बादुल (538मी.), मुन्का (776मी.), दसवार (860मी.) कुटामाटी (669मी), कोचाँग (845मी.), बदोनी (915मी.), पहाड़ प्रमुख हैं।

अध्ययन क्षेत्र के विश्लेषण हेतु क्षेत्र ऊँचाई, विस्तार, ढ़ाल आदि को आकारमितिक नियमों के द्वारा मापन किया गया है। आवश्यक आँकड़े अध्ययन क्षेत्र के भूपत्र को तथा क्षेत्र की वास्तविक माप के द्वारा प्राप्त किये गये हैं, इसमें स्थल भाग की अधिकतम एवं न्यूनतम ऊँचाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की कुल अपवाह संख्या तथा लम्बाई, समोच्च रेखा कटान आदि प्रमुख हैं। अध्ययन क्षेत्र के विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम जल विभाजकों के सापेक्ष क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर निश्चित मापानुसार, ग्रिड़ वर्ग में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रिड की अधिकतम एवं न्यूनतम ऊँचाई समोच्च रेखा तथा चिन्हित बिन्दू त्रिकोण आदि से ज्ञात कर वास्तविक उच्चावच्च (अधिकतम उच्चावच्च) में न्यूनतम उच्चावच्च घटाकर सापेक्षिक उच्चावच्च ज्ञात कर लिया गया है। जो निम्न प्रकार की है : वास्तविक उच्चावच्च (Absolute Relief),सापक्षिक उच्चावच्च (Relative Relief)उपर्युक्त तीनों आकारमितियों का आपसी सहसम्बन्ध कार्ल–पियर्सन विधि द्वारा ज्ञात किया गया है तथा क्षेत्र–ऊँचाई सहसम्बन्ध निकाल कर इसका विश्लेषण पूर्ण किया गया है। श्रेणी विस्तार 250 मी. से कम तथा 850मी. से अधिक की ऊँचाई समूह के अन्तर्गत रखा गया है। करकरी बेसिन के निचले भागों में ऊँचाई 250 मी. से कम मिलती है और दक्षिण–पूरब में बदोनी पहाड़ (915मी.) एवं दक्षिण–पश्चिम में कोचाँग पहाड़ (845मी.) भाग में ऊँचाई अधिक पायी गयी है। इसका समान ढ़ाल उत्तर–पूरब की ओर है जहाँ पर करकरी बेसिन तथा सुवर्णरेखा का सम्मिलन विन्दु है। क्षेत्र के ऊँचाई का माध्य, माध्यिका, एवं बहुलक का मूल्य क्रमशः 506.6 मी., 539.70 मी. एवं 605.55 मी. पाया गया है। वस्तुतः किसी क्षेत्र का वास्तविक उच्चावच्च अपने दीर्घकालीन इतिहास के उत्थान पतन तथा संरचनात्मक विनाशात्मक शक्तियों द्वारा घर्षित अपरदित सम्पूर्ण उच्चावच्च का अवशेष होता है। वर्तमान स्थलाकृति अन्तिम प्रौढ़ावस्था को इंगित करती है क्षेत्र की विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। 250मी. से कम ऊँचाई मेंखला में अध्ययन क्षेत्र का 118.75 वर्गकिमी. या 8.02% भाग को घेरे हुई है। विस्तार के दृष्टिकोण इसका पाँचवा स्थान है। अध्ययन क्षेत्र उत्तर–पूरब में तामर समतल भूमि (240मी.,) लुपुंगडीह उच्चभूमि (233मी.) जहाँ करकरी बेंसिन जलोढ़ समप्राय मैदान का निक्षेपण करती है। उच्चता वर्ग 250मी–400मी. की ऊँचाई में ढ़ाल का सम्पूर्ण भाग के 325.00 वर्ग किमी. अर्थात 21.94% भाग में विस्तृत है। इसका क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इसके उत्तर–पूरब में बुरूहाटू समतल मैदान (260मी.), इचागढ समतलभूमि (290मी.), तमारी गार्ज (304मी.) तथा दक्षिण–पूरब में बाराताकुर (351मी.), कोट्म (349मी.) पहाड़, बोरा–अमरा (300मी.), ररगुन (300मी.) समप्राय मैदान, बगही गार्ज (380मी.), निचली करकरी घाटी (300मी.), उरमल उच्चभूमि (330मी.) भाग में पाये गये हैं। उच्चता वर्ग 400मी. –550मी., का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के 318.75 वर्ग किमी. अथवा 21.54%, भाग को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे बडे भाग की श्रेणी है। इसके अन्तर्गत क्रमशः उत्तर–पूरब में सापारूमबुरू (428मी.), सारजामडीह (430मी.), बारूकेण्ड (450मी.), बालालाँग (518मी.) पहाड़, सेन्डुरी (400मी.), तिरिलडीह (400मी.) उच्चभूमि; उत्तर–पश्चिम में अरकी समप्राय मैदान (470मी.), पुरनानगर समतलभूमि (476मी.), सिरूम उच्चभूमि (520मी.); दक्षिण–पूरब में बारा (535मी.), बुराडीह (445मी.) गार्ज, परासी समतलभूमि (480मी.) उदयडीह उच्चभूमि (420मी.), बादुल पहाड़ (538मी.), तथा दक्षिण–पश्चिम में चीतन समप्राय मैदान (450मी.), डोमरी उच्चभूमि (500मी.), मालीबुरू पहाड़ (473मी.) में विस्तृत पाये गये हैं। अध्ययन क्षेत्र का 568.75 वर्ग किमी. अथवा 38.40% भाग में 550–700मी. की ऊँचाई मेखला में अवस्थित है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से यह सबसे बड़ी श्रेणी है। इसके उत्तर–पूरब में मुसुंगा पहाड़ (616मी.); उत्तर–पश्चिम में तजना (578मी.), बन्दी (600मी.) गार्ज, अनिगारा समप्राय मैदान (633मी.), सिलाड़ान (642मी.), खुण्टी (660मी.), लोधमा (644मी.), अरह (600मी.), समतलभूमि, बिन्गान पहाड़ (706मी.), बिरहू (640मी.), हाँकाजंग (719मी.), गुटजोरा (600मी.), सारड़केल (658मी.), साहेडबा (650मी.), कोड़ापुरती (620मी.) उच्चभूमि, ऊपरी करकरी घाटी (650मी.); दक्षिण–पूरब में बनडुअरा उच्चभूमि (600मी.), सेनजानी पहाड़ (683मी.), तथा दक्षिण–पश्चिम में लोन्गा बीहड़ क्षेत्र (680मी.), तैबाकण्डीर (600मी.), कुड़ाडीह (590मी.), उच्चभूमि, बरजू (600मी.), इचाड़ीह (591मी.) कगार, कुटामाटी पहाड़ (669मी.), मध्यवर्ती करकरी घाटी (580मी.), में विस्तृत पाये गये हैं उच्चता वर्ग 700मी.–850मी. का विस्तार अध्ययन क्षेत्र का 143.75 वर्ग किमी. या 9. 70% भाग को इंगित करता है। यह क्षेत्र ढ़ाल वाले कगार, नदी घाटियों, गार्ज, पहाड़ियों में दिखाई पड़ता है। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसके दक्षिण–पूरब में कोरेरंग (805मी.), मुन्का (796मी.) पहाड़, तथा

दक्षिण–पश्चिम में सरवादा समप्राय मैदान (700मी.), केबरा (740मी.), बीरबंकी (827मी.), घाघरा (720मी.) उच्चभूमि, कोचाँग पहाड़ (845मी.) में विस्तृत हैं। अध्ययन क्षेत्र का 6.25 वर्ग किमी. या 4.42% भाग में 850मी. से अधिक ऊँचाई मेंखला पायी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे कम भाग में फैली हुई हैं। यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार दक्षिण–पूरब में दसवार (860मी.), बदोनी (915मी.) पहाड़ पाये गये हैं।

क्षेत्र–ऊँचाई विश्लेषण (Area-Height Analysis) : क्षेत्र ऊँचाई विश्लेषण अपरदनात्मक सतहों या समतल सतहों के पहचान के लिए एच. बालिंग (1935) द्वारा उल्लेखित किया गया। इसके द्वारा उच्चतादर्शी वक्र, क्षेत्र ऊँचाई वक्र और तुगंता बारम्बारता आरेखों को सम्मिलित तथा उच्चतादर्शी वक्र द्वारा क्षेत्रफल और ऊँचाई के सम्बन्धों को सुव्यवस्थित ढंग से इंगित किया गया है।

उच्चतादर्शी वक्र (Hypsometric Curve) : उच्चतादर्शी वक्र द्वारा किसी निश्चित डेटम रेखा के ऊपर या नीचे विभिन्न ऊँचाई पर धरातलीय सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब का उच्चतादर्शी वक्र पहले लैपरेण्ट द्वारा 1883 में तैयार किया गया। इसके बाद मरे (1888), टिलो (1889), पेंक (1894) आदि वर्तमान समय में उच्चतादर्शी वक्र का प्रयोग लघु क्षेत्रों में लम्बवत वितरण के लिये किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के क्षेत्रफल और ऊँचाई सम्बन्धी ऑकड़ें प्राप्त किये गये हैं, उससे उच्चतादर्शी वक्र तैयार किया जो (A) में निरुपित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र का 568.78 वर्ग किमी. या 38-40% या 550मी. –700मी. के उच्चता वर्ग में स्थित है। दूसरा विस्तृत क्षेत्र 250मी.–400मी. की ऊँचाई समूह में पाया जाता है जो 325.00 वर्ग किमी. या 21.94% क्षेत्रफल में फैली हुई है। 700मी.–850मी. वाला क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्रों पर अवस्थिति है। यह उच्चता वर्ग नदी घाटियों के मध्य तीव्र ढ़ाल तथा उच्चस्थ उच्चभूमि के ऊपर कगारों की संरचना को प्रकट करते हैं। उच्चतादर्शी वक्र 550मी. –700मी. की ऊँचाई मेंखला में दक्षिण–पूरब में गार्ज, गुम्बदाकार पहाड़ियों नदी के ढ़ाल तथा दक्षिण–पश्चिम में बीहड़ क्षेत्रों कगार एवं नदी घाटियों के उत्थान की उच्चभूमि को इंगित करता है। इसके अलावा 250मी.–400मी. उच्चता वर्ग का विस्तार उत्तर–पूरब में इचागढ़ समतलभूमि (290मी.), बुरुहाटू समतल मैदान (260मी.) की ऊँचाई में पाये गयें है।

सापेक्षिक उच्चावच्च वर्गों का क्षेत्रीय वितरण एवं उनका वास्तविक उच्चावच्च से सहसम्बन्ध (Areal Distribution of Relative Relief-Categories and their Correlation with Absolute Relief) वास्तविक उच्चावच्च एवं सापेक्षिक उच्चावच्च के बीच सहसम्बन्ध को इंगित करती है। अध्ययन क्षेत्र में वास्तविक उच्चावच्च एवं सापेक्षिक उच्चावच्च वर्गों के मध्धनात्मक सहसम्बन्ध $(r = +0.40)$ पाया गया है ।

उच्च सापेक्षिक उच्चावच्च (High Relative Relief; Rh : 240m-480m) यह वर्ग अध्ययन क्षेत्र के 237.50 वर्ग किमी. अर्थात 16.04% भाग में फैली हुई है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से यह तृतीय सबसे बड़ा वर्ग है। इसका उच्चता वर्ग 400मी–550मी., 550मी.–700मी., 700मी.–850मी., और 850मी. से अधिक में क्रमशः 26.31%, 44.74%, 26.31% एवं 2.62% में उच्च सापेक्षिक उच्चावच्च पाये गये है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण–पूरब में कोरेरेंग (805मी.), मुन्का (796मी.) बादुल (538मी.), बदोनी (915मी.), सेनजानी (683मी.) पहाड़, बनडुअरा उच्चभूमि (600मी.), बुराडीह गार्ज (445मी.) और दक्षिण–पश्चिम में घाघरा उच्चभूमि (720मी.) की श्रेणी में उच्च सापेक्षिक उच्चावच्च पायी गयी है तथा इन पहाड़ियों का ऊपरी भाग आग्नेय से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा इसका निर्माण हुआ है जिसका मुख्य कारण प्री–कैम्ब्रियन युग की धनजोरी एवं डाल्मा लावा श्रेणी के कारण इस प्रकार का स्थलस्वरूप दिखाई पड़ता है।

सारांश एवं निष्कर्ष (Summary and Conclusion) करकरी बेसिन में वास्तविक उच्चावच्च स्वरुप 180मी. से 915मी. के बीच पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में ऊपरी तथा निचले मन्द ढ़ालों में लहरदार समप्राय मैदानी भाग वाले सतहों के अधिकांश भाग करकरी बेसिन के जलोढ़ मैदानों में मिलता है।

सन्दर्भ :

1. Singh, R.L. (1967) : Morphometric analysis of terrain. Presidential Address. Proc. 54th Indian Science Congress, Part II,Geology and Geography Section (Hyderabad): 115-135

2. Smith, G.H. (1935) : The relative relief of Ohio. Geog. Rev., **25**: 272-284

3. Strahler, A.N. (1960) : 'Physical Geography'. John Wiley & Sons, New York

4. Dov Nir (1957) : The ratio of relative relief and absolute altitudes of Mt. Carmel : A contribution to the problem of relief analysis and relief classification, Geog. Rev., 47: 564-569

5.Dury, G.H. (1951) : Quantitative measurement of available relief and depth of dissection. Geographical Magazine, **88**: 339-

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 75-77

बौद्धकालीन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि प्रविधि उपकरण और प्रौद्यौगिकी

अकल राम*
*पोस्ट–डॉक्टोरल फैलो, (UGC), इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

सारांश : बौद्धकालीन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था द्वितीय नगरीकरण का आधार था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कई महत्वपूर्ण कारक सक्रिय थे। इन कारकों में भूमि, कृषि, पशुपालन, उद्योग–धंधा, कृषक, कृषक मजदूर प्रमुख थे। इन्हीं में से एक कारक कृषि प्रविधि, उपकरण व प्रद्योगिकी भी महत्वपूर्ण था। बौद्ध युग में कृषि प्रविधि का विशेष महत्व रहा है। इस प्रविधि के कारण इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी अधिशेष उत्पादन के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई और द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। यह मालूम हो कि सैधव युग (2500–1500 ई.पू.) को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। लगभग 900 वर्ष के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। वैज्ञानिक पद्धति एवं ऐतिहासिक विधि शोध से पता चलता है कि दोनों नगरीकरण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य आधार था। अतः छठी शताब्दी ऐसा पूर्व में कृषि प्रविधि उत्कृष्ट थी जिसके चलते इस काल में द्वितीय नगरी करण का उदय हुआ। इस काल में क्रांतिकारी परिवर्तन लौह प्रौद्योगिकी एवं कृषि उपकरण के इस्तेमाल ने लाया एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि किया तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया।
मुख्य शब्द : कृषि प्रविधि, द्वितीय नगरीकरण, लौह उपकरण, मृदभांड, वर्षावास आदि।

भूमिका : प्राचीन भारतीय इतिहास का आधार बिहार है। बौद्ध युग (600 ई.पू.–321 ई.पू. तक) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसमें कृषि प्रविधि की अग्रणी भूमिका रही है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। बिहार का आधार मगध था। मगध शब्द की प्रथम चर्चा ***अथर्ववेद*** में है।[1] पालि एवं प्राकृत साहित्य में आधुनिक बिहार में स्थित अन्य स्थानों की चर्चा है। बिहार शब्द की प्रथम जानकारी ***तबकाते नासिरी*** में मिलती है।[2] तबकाते नासिरी के लेखक अबू उमर बिन सिराजुद्दीन जूजजानी थे। लेकिन बौद्ध काल में बिहार का आशय महाजनपद काल के राज्यों से था। **महाभाष्य** से यह पता चलता है कि महानाम शाक्य अपने छोटे भाई अनुरूद्ध को गृहस्थी की जानकारी देते हुए कहते हैं, ''पहले खेत को जोतना चाहिए। जोतवाकर बोना चाहिए। बोकर पानी देना चाहिए। पानी भरकर निकालना चाहिए, निकालकर फसल को सुखाना चाहिए। सुखवाकर कटवाना चाहिए। कटवाकर ऊपर लाना चाहिए। ऊपर लाकर सीधा करवाना चाहिए। सीधा कर मर्दन करवाना चाहिए। मिसवाकर पयाल हटवाना चाहिए। पयाल हटवाकर भूसी हटानी चाहिए। भूसी हटवाकर फटकवाना चाहिए। फटवाकर जमा करना चाहिए।''[3] कृषि कार्य करने के लिए कई ऐसे तत्व है जिन्हें जानना आवश्यक है। ये आवश्यक तत्व हैं–ऋतु ज्ञान, सिंचाई, वर्षा, नदी, नहर, कुआँ, उर्वरक, अकाल, अनावृष्टि कीड़े, लवन, हल, कुदाल इत्यादि। इनके अतिरिक्त कई अन्य प्रविधियाँ हैं। इन प्रविधियों का इस्तेमाल कृषि कार्य में किया जाता है। मृद्भांड, काटने वाला यंत्र, सिंचाई उपकरण जैसे–युग–वरत्रा, रहट, चक्र इत्यादि, ईख पेरने का यंत्र, धान कूटने का उपकरण, खेत खलिहान, बैलगाड़ी इत्यादि। कृषि के लिए ऋतुज्ञान आवश्यक तत्व है। चूँकि वैदिक साहित्य से ही लोगों को ऋतु के संबंध में जानकारी थी इसलिए बौद्धयुग में बौद्धकालीन कृषकों को भी ऋतु की अच्छी जानकारी थी। बौद्धकालीन में कृषि प्रविधि के इस्तेमाल के साक्ष्य मिलते हैं।

आगन्देव ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दधातु नः सविता स्रपुजामिषम्।
स नः क्षपाभिराहाभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु।।[4]

अर्थात् उदित होते हुए सवितादेव समस्त ऋतुओं में हमारे सुखों की वृद्धि करें तथा हमें श्रेष्ठ सन्तानों से सम्पन्न अन्न प्रदान करें। वे हम लोगों को रात–दिन समृद्धि से तुष्ट करें तथा हमें प्रजाओं से सम्पन्न धन प्रदान करें।

कृषि प्रविधि में कृषि शब्द की उत्पति 'कृष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, कूँड बनाना या खेत को बीज बोने लायक बनाना या जोतना। इसका व्युत्पत्ति–लभ्य अर्थ होता है, कर्षण, रेखा खींचना, हल से जोतना या सिराउर बनाना।[5] ऋग्वेद में इस शब्द का अर्थ विस्तार में ही प्रयोग किया है। यजुर्वेद में भी इसका प्रयोग उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार ऋग्वेद में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि का विस्तृत अर्थ जोतना, बोना, काटना, दौनी करने अनाज निकालना'' तक किया गया है।[6] प्रतिविधान अर्थ में भी कृषि शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि भोजन, बीज और बैलों से प्रतिविधान किया जाता है, वह भी कृषि शब्द का अर्थ है। स्मृतिकारों ने भी कृषि को पूर्ण जीविका के अर्थ में प्रयोग किया है। प्रविधि का शाब्दिक अर्थ यंत्र निर्माण आदि क्षेत्र में कार्य करने की विशेष क्रियात्मक पारिभाषिक विधि, कुशलता इत्यादि। यानि कुशलता, दक्षता ही प्रविधि है। इस प्रकार कृषि प्रविधि का शाब्दिक अर्थ है खेती करने की दक्षता तथा कुशलता अथवा तैर तरीका। बौद्धकालीन पूर्व से ही लोगों को खेतीबारी का ज्ञान था। नवपाषाण काल से लेकर प्राक्–मौर्यकाल तक के मानव को कृषि प्रविधि की जानकारी थी। बौद्ध साहित्य से कृषि प्रविधि के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि शाक्यमुनि ने वर्षा काल में वर्षावास किया करते थे। शाक्यमुनि ने श्रावस्ती में 25 वर्षावास किया था। इन्होंने राजगृह में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। वैशाली में वे पांचवां वर्षाकाल बिताये थे। भग्गों की राजधानी सुमारगिरि में वे आठवाँ वर्षाकाल व्यतीत किये। वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी में गौतम बुद्ध ने नवां विश्राम किया। मथुरा के पास वे वेरन्जा में वारहवां वर्षावास किये।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से पता चलता है कि बौद्धकालीन लोगों को ऋतुओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। वैदिक तथा बौद्ध काल में ऋतुओं के साथ वर्ष[7], अधिमास एवं नक्षत्र[8] की जानकारी थी। उत्तराषाढा नक्षत्र में आषाढ पूर्णिमा को गौतम की माता मायादेवी ने प्रथम गर्भ धारण किया। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रति वर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य–ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। सामान्यतया यह महोत्व सात दिन तक मानाया जाता था। सातवें दिन के रात शुद्धोदन व महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया।[9] दसवें मास में वैशाखी पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था।[10] इस प्रकार प्राक् मौर्यकालीन लोगों को ऋतु, माह, नक्षत्र के बारे में जानकारी थी। तत्कालीन समाज में शरद् ऋतु के महत्वपूर्ण होने का प्रमाण मिलता है। मैकडोनल एवं कीथ की ऐसी धारणा है कि तत्कालीन लोगों का जीवन कृषि पर आधारित होने तथा कृषि में शरद् के महत्वपूर्ण होने के कारण ही इसको वर्ष का पर्याय माना गया है। अतएव प्राक् मौर्यकालीन कृषकों को भी निश्चित तौर पर ऋतु, नक्षत्र तथा फसल उपजाने का समय ज्ञात था।

सिंचाई का महत्व कृषि में अति महत्वपूर्ण रहा है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अश्वघोष ने उल्लेख किया है कि किस तरह वर्षा के अभाव में पृथ्वी श्रीविहीन लगती है। चूँकि वर्षा सिंचाई का अति आवश्यक आधार है, इसलिए वर्षा नहीं होने पर खेत खलिहान नहीं लहलहा पाता है। प्राक् मौर्यकाल में सिंचाई के प्रमुख साधन थे–वर्षा, नदी, नहर तथा कुँआ। वर्षा प्राकृतिक साधनों में सिंचाई के लिए आरंभिक काल से ही सर्व स्वीकृत था। पालि ग्रंथों से पता चलता है कि प्राक् मौर्यकाल में मध्यगंगा घाटी के कछारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी। वर्षा सिंचाई का अच्छा साधन था। इरफान हवीब के अनुसार गंगाघाटी में मौनसून वर्षा की प्रचुरता ने कृषकों को बाढ़ पर निर्भर अनियमित कृषि के बन्धनों से मुक्त किया। गंगा–घाटी में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा ने कृषि के लिए उपर्युक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न की। सिंचाई का दूसरा साधन नदी है। नदी कृषि के लिए वरदान है। नदी की भूमिका बिहार में अहम रही है। इसका महत्व सभी ग्रंथों में दिखाया गया है। बिहार में 42 प्रमुख ऐसी नदियाँ हैं जिनसे कृषकों को सिंचाई में काम आता है। इनके अलावा अनेक छोटी–छोटी नदियाँ हैं। ये सभी नदियाँ कृषि के लिए उर्वर मिट्टी एवं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करती हैं। साथ ही ये नदियाँ यातायात एवं वाणिज्य–व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। नदी सुरक्षा के लिए उपयोगी है। यही कारण है कि प्रो. आर. एस. शर्मा ने पाटलिपुत्रा को जलदुर्ग कहा है। मिलिन्दपञ्हों में पाँच सौ नदियों की चर्चा है जिनमें दस को काफी महत्वपूर्ण कहा गया है।[11] प्लीनों के द्वारा भी साठ महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख किया गया है। शालि आदि कुछ धान्य जो मुख्यतः वर्षा जल पर निर्भर रहते थे। अनावृष्टि की अशंका से जलवाली नदियों के निचले किनारे पर ही बोएं जाते थे। संभवतः इन्हीं के लिए पतंजलि ने नदियों से कुल्ला बनाने की बात कहीं है। बौद्धकालीन बिहार में 12 नदियों की चर्चा की गई है जो सिंचाई के लिए उपयोगी थे। नहर सिंचाई के लिए कृत्रिम व्यवस्था थी। यह कृषि कार्य में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण था। सिंचाई की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए मानव निर्मित नहर का इस्तेमाल किया जाता था। बौद्ध स्रोतों से पता चलता है कि खेत को सींचने के ख्याल से नहर खोदने वाले तीन वास्तुकार थे। शाक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के बांध पर हुए झगड़े से साफ झलकता है कि प्राक् मौर्यकाल में नदियाँ को बांध कर नहीं निकालने की विधि आमलोगों को पता था। इससे पता चलता है कि बौद्ध काल में नहर खोदने तथा उनसे कृषि में लाभ लेना जानते थे। आज तक नहर की प्रासंगिकता कृषि क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण है। कुँआ सिंचाई के लिए कृत्रिम व्यवस्था में महत्वपूर्ण था। वैदिक साहित्य में कुएँ के लिए 'कूप'[12] और 'ऊवत'[13] शब्द का प्रयोग हुआ है। कुएँ से पानी निकालने के लिए उन्नत तरीकों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के चक्र[14] से एक रस्सी (वस्त्र)[15] लिपटी होती थी, जिससे बाल्टी (कोष)[16] बंधी होती थी। उस पानी को एक बड़े बर्त्तन में डाला जाता था। कुएँ के पानी को खेतों तक लाने के लिए पात्रों का भी प्रयोग किया जाता था। कृषि विकास प्रविधि में खेती की उत्पादकता बढ़ाने में उर्वरक का भी इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई का जितना महत्व कृषि में है उतना ही महत्व उर्वरक का भी है। इसका इस्तेमाल सैंधव काल से ही होते रहा है। आज भी कृषि उत्पादकता के लिए उर्वरक का प्रयोग कृषक लोग करते हैं। वैदिक काल में लोग गोबर की उर्वरक वाली भूमिका से अच्छी तरह परिचित थे। गोबर के लिए वैदिक साहित्य में शकृत,[17] शकन्[18], करीष[19] एवं पुरीष[20] शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूखा हुआ गोबर करीष है एवं कूड़ा–करकट से युक्त गोबर का मतलब पुरीष है। शतपथ ब्राह्मण में चूहों द्वारा निकाली गई मिट्टी (आखुकरीब) या मूसहन मिट्टी का वर्णन उर्वरक के रूप में है। यानि आखुकरीष मिट्टी का इस्तेमाल भी उर्वरक के लिए किया जाता था। बौद्ध काल में प्रत्येक गांव में निश्चित गोचर भूमि के रूप में अलग छोड़ दी जाती थी जिस पर उस गांव के सभी जानवर चर सकते थे। अतः बेहतर उत्पादन साधनों के कारण खाद्य के रूप में बौद्धयुग में गांव सात तरह के अनाज तथा सात तरह के दालें पैदा करते थे।[21] साहित्यों में अकाल और अनावृष्टि की भी चर्चा की गई है। वेरंजा का अकाल तो मशहूर है। वेरंजा में अकाल था जिसके चलते भिक्षु संघ सहित गौतम बुद्ध को उत्तरापथ के व्यापारियों के द्वारा प्रदत्त प्रस्त जौ पर निर्भर करना पड़ा था और इस प्रकार यहाँ केवल जौ ही खानी पड़ी थी। वज्जि प्रदेश में भी बुद्ध के जीवन काल में एक बार भयंकर अकाल पड़ा था। इसका उल्लेख विनय–पिटक के प्रथम पाराजिक में किया गया है। संयुक्त निकाय के कुल–सुत्त में नालंदा के भीषण अकाल का वर्णन है। इस अकाल के संबंध में कहा गया है कि ''उस समय लोगों के प्राण निकल रहे थे। मरे हुए मनुष्य की उजली–उजली हड्डियाँ बिखरी हुई थीं। लोग सूख कर सलाई बन गए थे।''वीरक जातक में काशी देश में अकाल पड़ने का उल्लेख है। इसी प्रकार अन्य जातक में भी अकाल का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ जो संस्कृत में है दिव्यावदान से पता चलता है कि वाराणसी में एक बार लगातार एक साल तक अकाल पड़ा था। इस प्रकार कृषि को प्रभावित करने वाले तत्वों में अकाल महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीन काल में भी कृषि में कीड़े हानि पहुँचाते थे। अथर्ववेद में चार कीड़ों की चर्चा मिलती है। उप–क्वस, जभ्य, तर्द व पतंग इत्यादि। इन कीड़ों के निवारण के लिए अथर्ववेद में मंत्र तथा प्रार्थनाओं का प्रावधान किया गया है। कीड़ों के अलावा फसल को पशु–पक्षी से भी खतरा रहता था। चिड़ियों को खेतों से उड़ाने के लिए कृषक प्रयास करते थे। जातक साहित्य से पता चलता है कि दूर के खेतों में रखवाली करने वाले किसान रात का भोजन भी साथ में लिए जाते थे। किसान हिरण जैसे जानवर को फसल की सुरक्षा के लिए पकड़ते थे। इसी प्रकार की जानकारी लक्खन जातक से पता चलता है। फसल को काटने

के लिए कृषक कई प्रकार के विधि एवं उपकरण अथवा औजार का इस्तेमाल करते थे। लवण, हल, कुदाल अथवा फावड़ा, कुदाल, इत्यादी प्रमुख औजार थे। कौशांबी से कुल्हाड़ी, बसूला, चाकू, छुरी, काँटे, हँसिया आदि अनेक लौह उपकरण मिले हैं। बड़ी संख्या में लोहे की वस्तुएँ कौशाम्बी, प्रहलादपुर, बनारस मसोन, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। बिहार में इस प्रकार के लौह वस्तुएँ चिरांद, वैशाली, पटना, सोनपुर व चंपा में में मिले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण बिहार लौह अयस्क की दृष्टि में सबसे समृद्ध है फिर भी मध्य गंगा के मैदानों में उपलब्ध लोहे की चीजों की संख्या उतनी नहीं मिली है जितनी अतरंजीखेड़ा, नोह में मिले हैं। धान्यों के अच्छी तरह पक जाने पर हँसिया से उन्हें काटा जाता था। इसे ही *लवन, लाव* या *लवनी* तथा *अभिलाव* कहते थे। काटने वाले को *लावक* कहा जाता था। लवन भी एक कृषि प्रविधि थी। जो खेत फसलों से अत्यधिक पक जाते थे वह *लाव्य* कहलाते थे। काटने के लिए एक खेत में बहुत लोग जुटा दिए जाते थे ताकि सारा खेत एक ही दिन में कट जाए। आज भी इस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। लवन के अतिरिक्त उन्मूलन, उँछ, धान्य पुलों में बांधना या पसही, तृण सिंह इत्यादि कृषि प्रविधि है। जातकों में बीज बोने, मेड़ बांधने, गुड़ाई करने, काटने, दौरी करने की चर्चा की गई है। जिस स्थान पर कटी फसल यानि खल रखा जाता था वह स्थान *खल्य* कहलाता था। खल्य शब्द आज खलिहान के रूप में मशहूर है। खेत–खलिहान शब्द की चर्चा किसान लोग खूब करते हैं। फसलों को ढ़ोने में प्राक् मौर्यकालीन कृषक संभवतः बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बौद्ध साहित्य में 500 गाड़ियों का उल्लेख किया गया है। प्राक् मौर्यकाल में गुड़ से भरी पाँच सौ गाड़ियों को राजगृह से अन्ध कविन्दके मार्ग में जाते हुए विनयपिटक में देखते हैं। हल कृषि का सबसे ज्यादा उपयोगी, महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम उपकरण है। वैदिक काल में इसे कई नाम थे–*लांगल, सीर, हलि, जित्य* आदि। सैंधव काल से ही हल का इस्तेमाल कृषि कार्य में किया जाता था। कालीबंगा से *जुते हुए खेत* का प्रमाण मिला है। हल का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में भी मिलता है। यह गूलर की लकड़ी का बना होता था। फाल हल का महत्वपूर्ण अंग है। फाल की चर्चा वैदिक काल में भी हुआ है जो गुलर से बना होता था। प्राक् मौर्यकालीन कृषि क्षेत्र में लोहे का फाल का व्यापक इस्तेमाल किया गया है जिसका नतीजा हुआ कि द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ था। बौद्ध ग्रंथों से तथा पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लौह उपकरण का इस्तेमाल कृषि कार्य में किया गया है जिसमें हल तथा फाल प्रमुख है। अब तक दो ही फाल मिले है पहला कोशांबी तथा दूसरी वैशाली क्षेत्र में। अतरंजीखेरा उत्तर प्रदेश में 1000 ई. पू. में लोहे प्रयोग की जानकारी का प्रमाण मिलता है। बौद्ध काल में खेतों के लिए हल एक आवश्यक एवं अनिवार्य उपकरण थे। हल, फाल के साथ–साथ हेंगा भी महत्वपूर्ण उपकरण था जिसका इस्तेमाल कृषि कार्य में किया जाता था। आज भी हेंगा जैसे उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस काल में उत्तरी काले चमकदार मृद्मांड की शुरूआत हुई। बौद्धयुग को उत्तरी काले चमकदार मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं।

निष्कर्षत : हम यह पाते हैं कि बौद्धकालीन कृषि प्रविधि के कई विधि थे। हल, बैल, फाल, पालो, हेंगा, डंडा कृषि कार्य के लिए आवश्यक औजार थे। जबकि फसल काटने के लिए हँसिया कुदाल खेत कोरने के लिए, कुल्हाड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। वास्तव में बौद्धकालीन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि औजार में लोहे का हल–फाल इस्तेमाल से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि क्रांति आई। फिर धार्मिक क्रांति आई। परिणामतः द्वितीय नगरी करण का उदय हुआ और 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इस अवधि में कई क्रांति एक साथ हुए जिसमें लौह प्रौद्योगिकी का विशेष कमाल रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. ओम प्रकाश प्रसाद, *बिहार, एक ऐतिहासिक अध्ययन,*राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2013, पृ.27
2. वही
3. महाभाष्य 1–3–26 नानाक्रियाः कृषरेर्थाः कृषि विलेखन एवं वर्त्तते। किं तर्हि प्रतिविधानेऽपि–वर्ततते, यद्सौ भक्त, बीजबलीवर्दः प्रतिविधानं करोति स कृष्यर्थः।''
4. ऋग्वेद 4. 53. 07.
5. श्री वैद्यनाथ पाण्डेय,*कृषि कोश,* द्वितीय खण्ड, बिहार–राष्ट्रभाषा परिषद्, 1966, पृ. 5
6. कृषन्तः वपन्तः लुनन्तः मृणन्तः *शतपथ ब्राह्मण,* 1/6/1/3
7. वर्ष में 12 माह थे जो आज भी हैं–1. चैत 2. वैशाख 3. ज्येष्ठ 4. अषाढ़ 5. श्रावण 6. भादो 7. अश्विन 8. कार्तिक 9. अगहन 10. पौष 11. माघ 12. फाल्गून।
8. र्ष में 27 नक्षत्र थे, जो आज भी हैं–1. कृत्तिका 2. रोहिणी 3. भृगशीर्ष 4. आर्द्रा 5. पुनर्वसु 6. पुष्य 7. अश्लेषा 8. मघा 9. फाल्गुनी 10. उत्तरी फाल्गुनी 11. हस्त (हथिया) 12. चित्रा 13. स्वाती 14. विशाख 15. अनुराधा 16. ज्येष्ठा 17. मूल 18. पूर्वाषाढ़ा 19. उत्तराषाढ़ा 20. अभिजित 21. श्रवण 22. श्रविष्ठा 23. शतभिषा 24. पूर्वा भाद्रपद्र 25. खेती–अवश्ययुक 26. भरण्य 27. उत्तराभाद्रपद।
9. बी. आर. अम्बेडर, *भगवान बुद्ध औरउनका धम्म,* सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 51
10. *वैदिक इंडेक्स,* भाग–1, पृ. 111
11. अग्निहोत्री, पृ. 216
12. *शथपथ ब्राह्मण,* 13.8.4.7
13. *ऋग्वेद,* 1.105.17, *अथर्ववेद* 5.31.8
14. *वही,* 1.55, 8, 4.17.16, 8.49.6, 10.25.4
15. *वही,* 8.72.10, 10.101.7
16. *वही,* 10.101.6.7
17. *सन्मार्ग,* दैनिक समाचार पत्र, शनिवार, 26 अप्रैल, 2008, पृ. 1
18. *मनुस्मृति,* 2.218
19. *सोन्दरनन्द काव्य,* 17.22
20. *अथर्ववेद,* 314.4.
21. जोगिराज बसु, *इंडिया आफ दि एज ऑफ दि ब्राह्मणाज,* पृ.6

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 78-79

महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम् नाटक में संगीत–योजना : एक विवेचन

डॉ0 बाल कृष्ण शर्मा*
*अतिथि शिक्षक, साहित्य, राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहन्टा पटोरी, दरभंगा, (बिहार)

"मालविकाग्निमित्रम्" नाटक की संगीत योजना कालिदास के अद्भुत नाट्य कौशल की परिचायिका है। कालिदास की प्रथम नाट्य रचना होने पर भी यह नाट्य शिल्प की दृष्टि से पूर्णतः परिपक्व है। भारतीय नाट्यकला में संगीत की महती भूमिका है।

संगीत के बिना नाट्यविद्या अकल्पनीय है। नाट्य प्रयोग को सफल तथा प्रभावोत्पादक बनाने में गीत, नृत्य और वाद्य का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। संगीत रत्नाकर में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों के एकीकृत और समन्वित रूप को ही संगीत कहा गया है– **"गीतंवाद्यं तथा नृत्यं त्रयं–संगीतमुच्यते।"** संगीत का अपरनाम तौर्यत्रिक भी है।

"मालविकाग्निमित्रम् में संगीत योजना सम्यक् ढ़ंग से हुई है। संगीत नाटक का प्राणभूत तत्त्व है। नाट्यशास्त्र" में आचार्य भरत ने नाट्य संग्रह के एकाश तत्वों में अभिनयादि के समान ही संगीत को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। नाट्यकला के साथ संगीत का आनुषंगिक सम्बन्ध है, इसे नाट्य की शय्या कहा गया है।

गीत या गीति का ही नाट्य प्रकार ध्रुवागीति है। नाटक के पाठ्य में अनिबद्ध को छोड़कर निबद्ध पाठ्य में स्थल विशेष पर आयोजित ध्रुवाओं का अपरिहार्य महत्त्व है। ध्रुवागीति के अतिरिक्त नान्दी तथा भरतवाक्य निबद्ध पाठ्य के अनिवार्य अंग है। नृत्य आदिकाल से ही नाट्य का अविभाज्य अंग है। मूल शब्द नृत्त है। नृत्त/नृत्त का ही गीत तथा अभिनयादि से समायोजन हो जाने पर वह नृत्य हो जाता है जो पदार्थभिनय का कारक है। मधुर और उद्धत भेद से इसके दो रूप दृष्टिगत होते हैं– ताण्डव और लास्य। "मालविकाग्निमित्र" में द्वितीय अंक के अन्तर्गत मालविका का छलित नृत्य विशुद्ध शास्त्रीय है।

संगीत का प्रभाव मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीव जन्तुओं पर भी पड़ता है। रंगशाला से मृदंग का गम्भीर घोष सुनकर मयूर मेघगर्जन समझ कर भ्रान्ति में नृत्य करने लगते हैं। मालविका के गायन तत्पश्चात् छलित नृत्य की प्रस्तुति में अपेक्षित नाट्यतत्त्वों क्रमशः सूचा (अवृर), नृत्त तथा शाखा, लय तथा रागबन्ध का परिचय प्राप्त होता है। इस नाटक में वाद्य प्रयोग में बार–बार मृदंग का ही नाम आता है। इस नाटक में प्रसंगवश मायूरी और मार्जना का प्रयोग मृदंग के प्रसंग में हुआ है। वस्तुतः कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक की संगीत योजनामें अत्यन्त साफल्य लाभ किया है।

नाटक में संगीत अत्यपेक्षित तत्त्व है। एकादश नाट्यसंग्रह में संगीत की भी गणना की गई है। नाट्यशास्त्र में अन्य शास्त्रों तथा कलाओं की भाँति संगीतशास्त्र पर भी बल दिया गया है। संगीत नाटक का सहजात सहचर है।

"मालविकाग्निमित्र" कालिदास की प्रारम्भिक नाट्य रचना है तथापि नाट्यशिल्प की दृष्टि से अत्यन्त परिपक्व है। "मालविकाग्निमित्र" नाटक के आरम्भिक अंकों में संगीत का प्रचुर प्रयोग है। विशेषतः द्वितीय अंक इस सन्दर्भ में उल्लेख्य है।

भारतीय नाट्यकला में संगीत का स्थान अपरिहार्य है और संगीत के बिना नाट्यविद्या अकल्पनीय है। नाट्यप्रयोग को प्रभावोत्पादक तथा सफल बनाने में नाट्य (अभिनय) के साथ गीत, नृत्य और वाद्य का प्रयोग निश्चित रूप से महान् योगदान करता है। पाठ्य, अभिनय और रसादि का ग्रहण ब्रह्मा ने ऋृग्, यजुः और अथर्ववेद संहिता से किया गया है। उसी प्रकार सामवेद से गीत लेकर पचंम्वेद "नाट्यवेद" परिपूर्ण होता है।

संगीत रत्नाकर में नृत्य, गीत और वाद्य को संगीत कहा गया है–

"गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते"

आचार्य भरत ने नाट्योपकरणों में पाठ्य तथा अभिनयादि के समान ही गीत को अन्य नाट्यतत्त्वों जैसा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। नाट्यकला के साथ संगीत का आनुषंगिक सम्बन्ध है। संगीत का अपरनाम तौर्यात्रिक है। कोशग्रन्थों में संगीत को इसी नाम से अभिहित किया गया है।

–तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्।[2]

– तार्यत्रिकं नृत्तगीतवाद्यं नाट्यं च तत्त्रयम्।[3]

अभिनवभारतीकार अभिनवगुप्त ने गीत का उद्‌भव सामवेद से माना है–**गीतिषु सामाख्या।**[4] शाड़्गंधरपद्धति में गीति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है–वर्णद्यलड्कृता गानक्रिया पदलयान्विता। **गीतिरिति उच्यते हिसा............**।[5]

मृदंग की होने वाली ध्वनि मयूरों को भ्रमित कर देती है वे मेध के गर्जन जैसी आवाज से बिना देखे ही वर्षाकाल समझ लेते हैं और नृत्य में मग्न हो जाते हैं।

जीमूतस्तनितविशकिभिर्मयूरैरूदग्रीवैरनुरसितस्य पुष्करस्य
निर्हादिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मद्‌यति मार्जना मनांसिं।।[10]

उक्त पद्य में मायूरी और मार्जना जैसे शब्दों का प्रयोग है। संगीतशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों की सार्थकता मृदंगवादन में दृष्टिगत होती है। मृदंगवादन में तीन प्रकार की मार्जनाएँ होती हैं। मायूरी, अर्धमायूरी तथा कार्मारवी। "मालविकाग्निमित्र" में वाद्य की दृष्टि से बार–बार मृदंग का ही नाम आता है। कालिदास ने अपने अन्य काव्यों में "अभिज्ञानशाकुन्तलम्" के पंचम अंक में रानी हंस पदिका को गीत के साथ वीणावादन करते दिखाया है। वैतालिकों के गीत भी लयतालबद्ध हैं।

निष्कर्षतः कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक में जिस सांगीतिक वातावरण की सृष्टि की है उससे उनके संगीत शास्त्र विषयक अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है। यहाँ नाट्य और संगीत दोनों का मंजुल समन्वयन सहज, रोचक तथा आकर्षक है। अवसर विशेष पर उन्होंने नृत्य, गीत तथा वाद्यादि का प्रयोग संतुलित किया है।

सन्दर्भः

1. संगीत रत्नाकर–1/21
2. अमरकोश– 1/7/10
3. शब्द रत्नाकर–1880, हलायुद्य–93, मेदिनी–26/34
4. अभिनव भारती टीका 1/37 पर उद्धृत
5. संगीत रत्नाकर–1/8/14, 15
6. नाट्यशास्त्र–
7. दशरूपक–1/9
8. दशरूपक– 1/10
9. मालविकाग्निमित्रम्–2/8
10. मालविकाग्निमित्रम् – 1/21

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 80-81

हिन्दू धर्म में श्राद्ध : एक अध्ययन

डॉ० अशोक कुमार पाल*

*असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, राष्ट्रीय पी०जी० कालेज, सुजानगंज, जौनपुर (उ0प्र0)

सारांशः हिन्दू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व है। **"श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध",** जो श्रद्धापूर्वक प्रदान किया जाय, वही श्राद्ध है। पितरों के उद्देश्य से विधिपूर्वक किया गया कर्म नियोजित पूजन ही श्राद्ध है। ब्रह्मपुराण में वर्णित है कि जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित शास्त्रानुमोदित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।[1] मिताक्षरा के अनुसार, पितरों को लक्ष्य करके शान्तिपूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।[2] श्राद्ध कल्पतरू में ऐसा कहा गया है कि, "पितरों को लक्ष्य करके यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उनका ग्रहण प्रधान श्राद्ध स्वरूप है।"[3] याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितर लोग, यथा– बसु, रुद्र एवं आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। मनु के अनुसार, मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा– पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृदेवों अर्थात वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समान है। श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए।[4] मत्स्यपुराण एवं अग्निपुराण में आया है कि पितामह लोग श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष सभी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्यपुराण[5] में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रश्न ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमंत्रित) खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है। क्या उन मृत आत्माओं द्वारा खाया जाता है? जो मृत्युपरान्त अच्छे या बुरे शरीर धारण कर चुके होंगे। यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों के अनुसार क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समान रूप माने गये हैं कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित) उच्चरित मंत्र एवं श्राद्ध आहूतियों को पितरों के पास ले जाते हैं कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण) देवता हो गये हैं तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उसके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण करता है। यदि वे दैत्य हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया भोजन) उनके पास भाँति–भाँति के आनन्दों के रूप में पहुँचता है, यदि वे पशु हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और सर्प हो गये हैं तो श्राद्ध भोजन वायु बनकर उनकी सेवा करता है।[6] वायुपुराण में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रधानों, भक्ष्यों, पेयों, गायों, अश्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।[7]

श्राद्ध को तीन कोटियों में विभाजित किया गया है– नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। ग्रन्थों में 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन हुआ है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिण्डन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्धि, कर्मांग, दैविक, यात्रा और पुष्टि श्राद्ध।

1– नित्य श्राद्ध : नित्य का अर्थ प्रतिदिन अर्थात् रोज–रोज किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्वदेव को स्थापित नहीं किया जाता। अत्यन्त आवश्यकता एवं असमर्थावस्था में केवल जल से इस श्राद्ध को सम्पन्न किया जा सकता है। जो बिना किसी फल की आशा से किया जाता है तथा उसके न करने से व्यक्ति को पाप लगता है।

2– नैमित्तिक श्राद्ध : किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोदिष्ट नाम से भी जाना जाता है। एकोदिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर किये जाने वाले श्राद्ध जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशाह, एकादशाह आदि एकोदिष्ट श्राद्ध के अन्तर्गत आते हैं।

3– काम्य श्राद्ध : किसी कामना की पूर्ति हेतु अथवा किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए किया गया श्राद्ध काम्यश्राद्ध कहलाता है। विष्णु धर्मसूत्र[8] द्वारा वर्णित विशिष्ट तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं।

4– वृद्धि श्राद्ध : किसी प्रकार की कोई वृद्धि में जैसे पुत्र जन्म, विवाहादि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नान्दि या नान्दि मुख श्राद्ध भी कहा गया है।

5– गोष्ठी श्राद्ध : गोष्टी शब्द का अर्थ होता है समूह, जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में किया जाता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्रित होते हैं सामूहिक रूप से श्राद्ध में शामिल होते हैं तो गोष्ठी साथ कहलाता है।

6– शुद्धि श्राद्ध : जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित न करने के कारण व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्मभोज देता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहा जाता है।

7– कर्मांग श्राद्ध : किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध सम्पन्न किए जाते हैं, उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। जैसे–सीमंतोन्नयन, पुंसवन आदि संस्कारों के सम्पन्नता हेतु किया जाने वाला श्राद्ध इस श्राद्ध के अन्तर्गत आता है।

8– दैविक श्राद्ध : दैविक श्राद्ध उसे कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है सप्तमी और द्वादशी को निश्चित किया गया है।

9– यात्रा श्राद्ध : यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। इसे घृत श्राद्ध भी कहा गया है।

10– पार्वण श्राद्ध : पार्वण श्राद्ध पर्व से सम्बन्धित होता है। पितृ पक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है।

11– सपिण्डन : इससे अभिप्राय पिंण्डों को मिलाना। जब जीव की मृत्यु होती है, तो वह प्रेत हो जाता है। प्रेम से पितर में जाने की प्रक्रिया ही सपिण्डन है।

12 पुष्टि श्राद्ध : शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्टि श्राद्ध कहलाता है।

मनु ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर उस भूमि का चयन करना चाहिए जो पवित्र हो। स्वच्छ स्थल, नदी के तटों आदि पर किए जाने वाले शब्द से पितर सन्तुष्ट होते हैं।[9] तिथियों में अमावस्या की तिथि सर्वोत्तम मानी गई है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र[10] में कहा गया है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए तथा उस समय श्राद्ध कर्ता और श्राद्धिक दोनों को संयमित एवं क्रोध आदि भावों से मुक्त रहना चाहिए। पदुमपुराण में श्राद्ध कर्ता एवं श्राद्ध भोक्ता दोनों के लिए कुछ पालनीय नियम होते हैं।[11] असत्य भाषण, जल्दबाजी, चोरी, दिन में सोना आदि त्याज्य है। श्राद्ध कर्ता के लिए ताम्बूल चर्वण, बाल काटना, शरीर में तेल लगाना आदि वर्जित होता है। शुद्ध मन व चित्त से इन क्रियाओं में भाग लेने से श्राद्ध प्रक्रिया सफल होती है।

निष्कशर्षः हिन्दू धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। जिसको विधानपूर्वक करने से पितरों को सन्तुष्ट करके पितृ ऋण से मुक्ति संभव है। श्राद्ध और पिण्डदान करने वाला पुत्र ही वास्तविक रूप से पिता की सम्पत्ति का वैधानिक उत्तराधिकारी होता है।

सन्दर्भ :

1. ब्रह्मपुराण – श्राद्धप्रकाश, पृष्ठ–3–6.
2. याज्ञवल्क्य, 1 / 217.
3. श्राद्ध कल्पतरु, पृष्ठ–4.
4. मनुस्मृति, 3 / 284.
5. मत्स्यपुराण, 19 / 2.
6. मत्स्यपुराण, 19 / 3–9.
7. वायुपुराण, 75 / 13–15.
8. विष्णु धर्मसूत्र, 77 / 1–6.
9. मनुस्मृति, 3 / 206–207.
10. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2 / 7 / 17 / 11–13.
11. पदुमपुराण, 101 / 94–95.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 82-83

समकालीन परिदृश्य और नई कविता

डॉ0 कमलेश कुमार मिश्र*

*ग्राम– बरचौली, पत्रालय सराय हरखू, जनपद जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : परिदृश्य शब्द अपनी प्रकृति से ही एक व्यापक फलक के उस ष्माहौल' को अभिव्यक्त करता है, जिसमें उस देशकाल की सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक उपबल्धियों तथा सीमाओं का वास्तविक स्वरूप निहित होता है। इस प्रकार परिदृश्य के वृत्त में बहुत गहरे उसकी पृष्ठभूमि, सतह पर उसका वर्तमान स्वरूप और आखिरी ऊँचाई पर भविष्य के संकेत मौजूद रहते है।

मुख्य शब्दः सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक उपबल्धियों, समकालीन परिदृश्य, समकालीन परिदृश्य आदि।

15 अगस्त, 1947, भारतीय इतिहास में वह 'भू–चिन्ह' (लैण्डमार्क) है जिस पर आधुनिक भारतीय राष्ट्र की पूरी अस्मिता टिकी हुई है, क्योंकि यह महज एक तारीख नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय देश काल के एक नये संदर्भ में ढ़लने की कहानी की प्रस्तावना भी है। इस तिथि को भारत के उत्तर–मध्यकालीन इतिहास के बीच एक 'सेतु' के रूप में स्वीकार्य करते हुए, आज के भारत की 'खुशी' और 'पीड़ा' को मापने का 'तराजू' माना जाए तो निश्चित रूप से इस तिथि की प्रासंगिकता में वृद्धि होगी। वस्तुतः आजादी के बाद का परिदृश्य ही नयी कविता का आत्मीय परिदृश्य है जो इसकी रचना प्रक्रिया में अपने पूरे 'द्वन्द' और 'अन्तर–चेतनना' में विद्यमान है। आजादी के बाद भारतीय समाज और संस्कारों की जो नियति निर्धारित की गयी उसे तमाम विसंगतियों के साथ उत्तरोत्तर विभत्सता की ओर बढ़ना था। इन्हीं विसंगतियों की ओर संकेत करते हुए रजनी पामदत्त का कहना है – 'भारत की समस्या अंतिम विश्लेषण में एक सामाजिक समस्या है। यह उनकी समस्या है जो बेहद गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, जिनकी आबादी का एक विशाल हिस्सा अर्द्ध–भुखमरी की स्थिति में है ... ये करोड़ों लोग जीवन के लिए, जीवन के साधनों के लिए और प्रारम्भिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे है।'[1]

किसी भी समाज और संस्कृति के लिए शिक्षा व्यवस्था एक वाहक के रूप में कार्य करती है लेकिन समकालीन परिदृश्य में 'चार्ल्सवुड' के पैदा किये हुए बंदरों ने भारतीय शिक्षा को विसंगतियों से पूर्ण बना दिया। भाषा के रूप में अंग्रेजी अभिजात्य और शासन की भाषा बनी रही जो भारतीय संदर्भ के लिए अभिशाप था जिसका संकेत 'महात्मा गाँधी' ने स्वतन्त्रता के पूर्व ही कर दिया था – 'अंग्रेजी का ज्ञान हमारे लिए आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आधुनिक साहित्य के अध्ययन के लिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान स्थिति में हमें अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, चाहे हम इसे सीखना न भी चाहे। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं हो सकती।'[2]

परिवेश की इन्हीं विसंगतियों के बीच प्रयोग के प्रति आकर्षण के साथ ही हिन्दी साहित्य में आधुनिकता का एक नया उन्मेष प्रकट होता है जिसके बारे में गिरिजा कुमार माथुर का कहना है – 'परिवेश के प्रति गहरी जागरुकता, सामाजिक यथार्थ की चेतना, इतिहास का तीक्ष्ण बोध–भाव जगत में समकालीन परिदृश्य की पहचान, युद्धगत संक्रान्ति की मानवीय संवेदना, अन्तर्राष्ट्रीय उन्मुक्तता नव–रोमान और परिवर्तित मूल्यों की टकराहट' जैसे तब आधुनिकता के इस उन्मेष में रेखांकित होते है।[3]

हिन्दी साहित्य में काव्यधारा का जो कलेवर नयी कविता के रूप में हुआ उसकी आधार भूमि में निहित कुछ घटनाओं और परिस्थितियों का विशिष्ट योगदान था। जो अपने देश–काल के यथार्थ और युगीन दबाव को अभिव्यक्त करती है। इस सन्दर्भ में निम्न कथन प्रासंगिक होगा– ''जिन घटनाओं और परिस्थितियों ने नयी कविता को प्रभावित किया है उसमें द्वितीय विश्वयुद्ध, शीतयुद्धकालीन राजनीति, भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति और उससे उत्पन्न आशा आकांक्षाओं के लगातार यथार्थ धरातल से टकरा कर मोह भंग की स्थिति उत्पन्न होने, विज्ञान और प्रविधि का अत्यधिक विकास, वामपंथी विचारों का प्रसार औद्योगीकरण और नगरीकरण संयुक्त परिवार का विघटन, शिक्षा का प्रसार, नारी समाज में विशेष जागृति, जीवन की जटिलताओं में वृद्धि अत्यधिक उल्लेखनीय है...। वैचारिक चिन्तन के क्षेत्र में नयी कविता पर परिचय की विचारधाराओं जैसे मार्कसवाद, अस्तित्ववाद, अतियथार्थवाद, नव–मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद, जिनका अधिक प्रभाव पड़ा है।[4]

नयी कविता अपने संवेदना के स्तर पर यथा–स्थितिवाद के उलट परिवर्तनकामी है जो बदलते हुए जीवन संदर्भों के साथ नवीन मूल्यों की स्थापना करना चाहती है। इस क्रम में शोषण और अन्याय का विरोध एक प्रबल स्वर के रूप में अद्योपान्त नयी कविता में विद्यमान रहा है – उदाहरण के लिए शोषण मुक्ति की यह – 'समस्या एक

मेरे स्तम्भ नगरों और ग्राम्य में
सभी मानव सुखी, सुन्दर और शोषण–मुक्त कब होंगे।'[5]

नयी कविता अपनी कव्याभूत के व्यापक फलक पर एक आम आदमी को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण करती है यह सम्पूर्णता का भाव ही 'लघु–मानव' की प्रतिष्ठा के रूप में अभिव्यक्ति पाता है इसका संकेत विजय देव नारायण शाही के इस कथन में निहित है – 'इस लिए मुझे यह कहना है कि लघु–मानव, सहज–मानव' का विरोधी है, कुछ जँचता नहीं और यह भी आग्रह मुझे काम का नहीं लगता कि हम 'सहज–मानव' या 'मानव' ही क्यों न रहे, क्योंकि 'सहज–मानव' या 'मानव' की इस झलक को हम देख रहे हैं और असीम की कितनी सजीवता हमारी पकड़ में आ रही है, इसी को समझने के लिए तो यह सारी खोजबीन है।[6]

नई कविता अपनी संवेदनाओं की विविधता के अनुरूप ही नये शिल्प की ओर आकृष्ट होती है, जिसके मूल में युगीन यथार्थ के दबाव से उपजी गतिशीलता का योगदान है, संभवतः यही कारण है कि नई कविता के कलेवर में लम्बी

कविताओं की एक बड़ी श्रृंखला विद्यमान है। जो समकालीन मनुष्य के आत्म–संघर्ष को नये शिल्प में व्यक्त करती है। इस सन्दर्भ में पुरानी संवेदनाओं और उसको व्यक्त करने वाले शिल्प की सीमा का संकेत करते हुये गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है – 'जीवन और परिवेश की विषमता की यह स्थिति कि यह मेरा अपना सत्य है। परिणामतः स्वाधीनता के इस युग में मेरी कविता सघन विम्बमालिकाओं में अधिकाधिक प्रकट होने लगी। अचानक अन्तर्मुख दशाएँ और भी दीर्घ और गहन होती गयी, किन्तु यह भी एक तथ्य है कि इस आत्मग्रस्तता के बावजूद और शायद उसको साथ लिए–लिए मेरा आत्म–संवेदन समाज के व्यापकतर छोर छूने लगा। कविता का कलेवर भी दीर्घतर होता गया। परिणामतः मेरी कविताएँ कदाचित मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशन के योग्य भी नहीं रह गई।'[7] इस प्रकार लम्बी कविताओं का कलेवर नई कविता के शिल्प की एक विशिष्ट उपलब्धि है।

नई कविता अपने शिल्प की शक्ति और सौन्दर्य की महत्ता के लिए अपने सामाजिक दायित्व के प्रवाह को ऊर्जा स्रोत के लिए स्वीकार करती है। इस क्रम में परम्परागत शिल्प की तमाम सीमायें टूटती है और विभिन्न नये प्रतिमान स्थापित होते हैं, जो नई कविता की संवेदना के अधिक अनुकूल है। नई कविता के शिल्प का वृत्त नये प्रतीकों, नये मिथकों, नये बिम्बों, नये छन्दों के साथ–साथ नयी भाषा का भी अनुसंधान करता है, जो अनन्तः इसकी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाता है, वस्तुतः आधपुनिक कविता में शिल्प को अपेक्षाकृत कम महत्व दिये जाने के बावजूद भी उसकी भूमिका को कम करके नहीं आका जा सकता, क्योंकि संवेदना के सम्प्रेषण की भूमिका में शिल्प का गहरा योगदान होता है। इस सन्दर्भ में मुक्तिबोध का यह कथन प्रासंगिक होगा – पाठक का यह आदि और प्रथम धर्म है कि वह कलात्मक सौन्दर्य को आत्मसात करते हुए कृति मर्म में प्रवेश करे। कलात्मक सौन्दर्य तो वह सिंहद्वार है, जिसमें से गुजर कर ही कृति के मर्मक्षेत्र में विचरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।'[8]

नई कविता की काव्यानुभूति के उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि नई कविता हिन्दी साहित्य संसार में वह दृष्टि है, जो आधुनिकता के उन्मेष को मानव जीवन के सभी सन्दर्भों में फलीभूत होते हुये देखना चाहती है। इस दृष्टि के विकास में जहाँ प्रगतिवाद ने पृष्ठभूमि तैयार करने में योगदान दिया वही इसकी भूमिका का दायित्व प्रयोगवाद ने निभाया।

नई कविता अपनी काव्यानुभूति के स्तर पर आधुनिक मनुष्य के पूर्ण अर्न्तगत और बाह्यजगत की संवेदनाओं द्वन्दों और परिताप को समेटे हुये उसके भविष्य को आधुनिकता के सही प्रतिमानों पर प्रतिष्ठित करने के उद्यम को स्वर देती है। इस क्रम में नई कविता की काव्यानुभूति का धरातल इतना विस्तृत हो उठा है कि मानव जीवन के सम्पूर्णता की तलाश और 'लघु–मानव' के रूप में उसकी प्रतिष्ठा जैसे मानवीय और जन–वैचारिक मूल्य भावों के सहारे आस्था तक का सफर तय करते नजर आते है। नई कविता के काव्यानुभूति की यह आधुनिक दृष्टि व्यवहार की संकीर्णता और विसंगतियों की अन्तः–क्रिया से एक 'आत्म–संघर्ष' को जन्म देती है, जो अन्ततः कविता के साथ ही समकालीन मानव जीवन में भी परिलक्षित होता है।

सन्दर्भ :

1. आज का भारत, रजनी पामदत्त, पृ. 37
2. आजादी की आधी सदी, पूरनचंद जोशी, पृ. 14
3. नयी कविता, नन्द दुलारे वाजपेयी, पृ. 3
4. सत्ता, समाज और सर्वोश्वर की कविता, डॉ. रसाल सिंह, पृ. 39–40
5. चाँद का मुह टेढ़ा है, मुक्तिबोध, पृ. 155
6. नई कविता रू सैद्धान्तिक पक्ष, जगदीश गुप्त, पृ. 185
7. एक साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध, पृ. 71
8. कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, पृ. 8

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 84-85

उच्च शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा–आवश्यकता एवं महत्त्व

डॉ0 शैलेन्द्र कुमार*

*असि0 प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा,उ0प्र0

सारांश : आज के आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में समाज के सामने उभर कर आयी है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा आज के मशीनी युग में व्यक्ति को स्वस्थ्य रखने के लिए आवश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इसकी एक अलग भूमिका एवं जरूरत है। आज के आधुनिक परिवेश में इसकी आवश्यकता को समझा जा रहा है। इसीलिए, उच्च शिक्षा में इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गयी है। जीवन को संतुलित बनाने में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता बड़ी महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में बहुत से छात्र, नवयुवक डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वे शान्ति की तलाश में इधर–उधर भटक रहे हैं। इन मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक तनाव का निराकरण करने में शारीरिक शिक्षा बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में केवल थोड़े से प्रतिभाशाली एवं उदयमान खिलाड़ियों पर भी ध्यान दिया जाता है और अन्य छात्रों की उपेक्षा की जाती है। समय सारिणी में शारीरिक शिक्षा को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सम्पादित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। कार्यक्रम का नियोजन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों का प्रशिक्षण भी अपर्याप्त है। यदि शारीरिक शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझ पाते तो कठिनाइयां समाप्त हो जातीं एवं जीवन में शारीरिक शिक्षा का योगदान समझ में आता। आज विश्व में शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है।

मुख्य शब्द : शारीरिक शिक्षा, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, समुचित शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ट्रेनर आदि ।

पारम्परिक रूप से शारीरिक शिक्षा शारीरिक व्यायाम तथा क्रिकेट, फुटबाल आदि पारम्परिक खेलों द्वारा शारीरिक क्षमता के विकास तक सीमित था, किन्तु वर्तमान समय में इसके विषय क्षेत्र में विस्तार हुआ है, अब इसके पाठ्यक्रम में अपारम्परिक अथवा क्षेत्रीय खेलों, स्वास्थ्य एवं पोषाहार (Health & Nutrition) मार्शल आर्ट, योग, विभिन्न तकनीकि उपकरणों का प्रयोग, को शामिल किया गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के कारण शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र बहु आयामी हो गया है, इसमें शारीरिक के साथ ही मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक तत्त्वों का समावेश हो गया है। भारत में शारीरिक शिक्षा अधिकांशतः उपेक्षित विषय रहा है। ज्यादातर शिक्षण संस्थान तथा छात्र इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व के प्रति जागरूक नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों में मुख्यतः अकादमिक गतिविधियों पर ही ध्यान दिया जाता है। छात्र भी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह होते हैं, शरीर के लिए प्रतिदिन 1 या 1/2 घंटा देना समय की बर्बादी समझते हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि छात्र का बौद्धिक विकास जितना आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है उतना ही शारीरिक स्वास्थ्य भी। यदि छात्र का शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो वह अपने अकादमिक लक्ष्यों को भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। कहा भी जाता है– **'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'**

वर्तमान जीवन–शैली के कारण व्यक्ति की शारीरिक सक्रियता में दिन–प्रतिदिन कमी आ रही है। आज की जीवन–शैली सुविधापरक है। विभिन्न उपकरणों के कारण शारीरिक श्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती – कहीं जाना है तो हर किस्म के वाहन हैं, सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं, लिफ्ट है यह घरेलू कार्यों के लिए वाशिंग मशीन आदि विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में दिन भर एक ही कुर्सी पर लगातार बैठे–बैठे कार्य करना अथवा दुकान या शॉपिंग मॉल में एक ही स्थान पर बैठे अथवा खड़े रहकर ग्राहकों से विनियम करना आदि के कारण भी शारीरिक सक्रियता का ह्रास हुआ है। रही–सही कसर टी0वी0 पूरी कर देता है, लोग खाली समय में टी0वी0 के सामने बैठना अधिक पसन्द करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी आउटडोर खेलों को छोड़कर कार्टून चैनलों से चिपके रहते हैं – इस परिदृश्य में नागरिकों की शारीरिक सक्रियता बढ़ाना अति आवश्यक है। यदि छात्र विद्यार्थी जीवन से ही शारीरिक सक्रियता का महत्त्व समझेगा तथा 1 या 2 घंटे के व्यायाम, खेल या योग को अपनी आदत के रूप में विकसित करेगा, तो आजीवन इसका निर्वहन भी कर पाएगा। अतः शारीरिक शिक्षा को हमारी शिक्षा व्यवस्था का अपरिहार्य अंग बनाने की जरूरत है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को अग्रलिखित विवरण से अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है – शारीरिक शिक्षा छात्र की समुचित शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह विषय विभिन्न व्यायाम एवं खेलों के माध्यम से छात्र की माँसपेशियों एवं हड्डियों के विकास में सहायता करता है। वर्तमान जीवन–शैली एवं खान–पान के कारण मोटापा एक गम्भीर समस्या बनता जा रहा है। मोटापे के कारण डायबिटीज, हृदय सम्बन्धी रोग तथा हार्मोन में असन्तुलन जैसी स्वास्थ्य समस्यायें बढ़ रही हैं। चूँकि शारीरिक शिक्षा व्यायाम तथा खेलों के माध्यम से शारीरिक सक्रियता बढ़ाता है अतः इससे मोटापे की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषाहार का समावेश करने से छात्रों में साफ–सफाई तथा रोगों के विषय में जागरूकता आती है। स्वाइन फ्लू आदि विभिन्न अनुपचार–परक रोगों के प्रति जागरूकता वर्तमान समय की आवश्यकता है। जंक–फूड, फास्ट–फूड के दौर में यह और भी आवश्यक हो गया है कि छात्रों को स्वास्थ्यवर्धक आहार की आवश्यकता एवं महत्त्व का पता चले। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्र जान पाते हैं कि किस प्रकार का भोजन करने से शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। शारीरिक शिक्षा में शामिल मार्शल आर्ट तथा योग छात्र की आत्मरक्षण तथा तनाव–प्रबन्धन में सहायता करते हैं। मार्शल आर्ट से छात्रों का शारीरिक व्यायाम तो होता ही है साथ ही उन्हें आत्मरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। आजकल भारत में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए अलग से प्रशिक्षण दिये जाने पर बल दिया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति शारीरिक शिक्षा से ही हो जाती है, इसके लिए अलग प्रशिक्षण

कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से छात्र–छात्राओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

योग को शारीरिक शिक्षा में शामिल करने से छात्र अपने शरीर में आक्सीजन स्तर में वृद्धि करते हैं, अपने शरीर में चैतन्य एवं स्फूर्ति का संचार करते हैं। विभिन्न आसनों के माध्यम से मोटापा कम करते हैं तथा शरीर में लचीलापन लाते हैं। प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं से उन्हें तनाव एवं क्रोध प्रबन्धन करना आ जाता है। आज उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को रैगिंग, बुलीइंग तथा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अतः छात्र अत्यधिक तनाव से गुजरते हैं। शारीरिक शिक्षा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तनाव एवं क्रोध प्रबन्धन को स्थान दिया गया है। इसका ध्यान रखा जाता है कि छात्र विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हुए आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भी शारीरिक शिक्षा का काफी योगदान है। हमारा देश बहुत विशाल है। जिसमें विभिन्न समुदाय, जातियों के लोग रहते हैं जिनकी अलग–अलग संस्कृति है। यह प्राकृतिक ही है कि उनके आदर्श, मूल्य, रिवाज, रहने का तरीका, खान–पान, वेश–भूषा अलग है। जिससे यहाँ के लोगों में वैचारिक मत–भेद होता रहता है परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक शांति फैलती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। खेल राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करती है तथा नौजवानों की नयी पीढ़ी तैयार करती है, जो यह मानते हैं कि जाति–धर्म या कौम में कोई फर्क नहीं होता तथा उन्हें प्रेम और शान्ति, सच्चाई, भाई–चारे व अच्छाई में विश्वास होता है। ऐसी सोच, समझ व मानसिक रवैया राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में बहुत सहायक है। जातिवाद, समुदायवाद, प्रान्तवाद, भाषायी झगड़े, सामाजिक फर्क, आर्थिक भेद, नेतृत्व की कमी, अनुपयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम तथा कृत्रिम रहन–सहन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे पैदा करती है। इसे दूर करने एवं राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में खेल–कूद की बड़ी भूमिका होती है। विभिन्न वर्ग, प्रान्त एवं धनी, गरीब एक साथ खेलते हैं। जिससे खिलाड़ियों एवं समाज को इस कुण्ठित मानसिकता एवं विखराव से बचने का तरीका मिल जाता है व एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण के विकास में सहायता मिलती है। ऐसे समाज के पास अपनी समस्याओं से जूझने के लिए योजना, विचारधारा होती है। खेल ऐसी समझ व रूझान पैदा करने में सहयोग करता है।

खेल शारीरिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण घटक है। बहुत से छात्रों की रुचि अकादमिक गतिविधयों में कम तथा विभिन्न खेलों में अधिक होती है। शारीरिक शिक्षा ऐसे छात्रों को उपयुक्त अवसर प्रदान करता है तथा देश को अच्छे खिलाड़ी उपलब्ध करवाता है। अन्तर्मुखी छात्र भी खेलों में शामिल होकर अपने आपको अधिक अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। फुटबाल आदि टीम आधारित खेलों से छात्रों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ता है। उनमें अलग–अलग स्वभाव के लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने की योग्यता विकसित होती है तथा साझेदारी एवं परस्पर लाभ के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अपारम्परिक या क्षेत्रीय खेलों के समावेश ने शारीरिक शिक्षा को न केवल अधिक मनोरंजक बनाया है अपितु इसमें सांस्कृतिक पक्ष भी जोड़ दिया है। उदाहरणतः छात्र यदि पूर्वोत्तर भारत के किसी जनजातीय खेल को खेलता है तो उसे शारीरिक शिक्षा के माध्यम से यह भी जानकारी मिलती है कि यह खेल भारत के किस भाग में खेला जाता हैं, वह उस जनजाति से भी परिचित होता है। इसका दूसरा पहलू यह है कि ऐसे क्षेत्र या जनजाति से आया छात्र भी शिक्षा व्यवस्था से अधिक जुड़ाव महसूस करता है। इस प्रकार ये खेल छात्रों का मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही उनमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी विकसित करते हैं। भारत में अक्सर पूर्वोत्तर भारतीयों के प्रति नस्लीय टिप्पणियां की जाती हैं। इस परिदृश्य में ऐसी सांस्कृतिक संवेदनशीलता भारतीय अखण्डता को सुनिश्चित करने में कारगर सिद्ध होगी।शारीरिक शिक्षा जिम के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से भी छात्र की शारीरिक शक्ति के विकास का प्रयास करती है जिससे छात्र जिम के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग सीख जाते हैं। इन उपकरणों का यह प्रायोगिक ज्ञान भविष्य में छात्रों के लिए 'फिजिकल ट्रेनर'के रूप में रोजगार का नया विकल्प उपलब्ध कराता है। शारीरिक शिक्षा छात्रों को स्फूर्ति प्रदान करता है। किसी खेल, मार्शल आर्ट अथवा योग के रूप में एकाध घंटे की शारीरिक सक्रियता छात्रों को पुनः तरोताजा कर देती है तथा वह अधिक लगन एवं उत्साह से अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा एक 'स्ट्रेस बस्टर' का कार्य करती है। भारत में शारीरिक शिक्षा में प्रायः एक कमी देखी गई है। यह एक लिङ्गीय है। ज्यादातर शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं की सहभागिता का अभाव देखा गया है। फुटबाल, क्रिकेट आदि खेलों में तो छात्राओं की सहभागिता न के बराबर है। अतः शारीरिक शिक्षा में छात्र तथा छात्राओं दोनों की समान सहभागिता पर बल दिये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : आज के आधुनिक समाज में व्यक्ति का मानसिक प्रेशर काफी बढ़ गया है। जिससे आज के नवयुवक व युवतियां काफी मानसिक प्रेशर में रहते हैं और गहरे अवसाद में चले जाते हैं। आज के आधुनिक दौर में आत्महत्या की घटना बढ़ रही हैं एवं मानसिक प्रेशर से अनेक रोग होते जा रहे हैं। व्यक्ति की दिनचर्या अनियमित हो गयी है। कहा जाता है कि ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है'' आज की दिनचार्य काफी व्यस्त हो गयी है। शारीरिक श्रम न के बराबर हो गया है। आज के छात्र खेल भी कम्प्यूटर पर खेलते हैं जिसका प्रभाव यह है कि पोश्चर डिफेक्ट आज के समाज में ज्यादे दिख रहा है। इन सभी दिक्कतों का एक ही सुझाव है कि व्यक्ति का झुकाव शारीरिक शिक्षा की तरफ हो जिससे कि छात्र/छात्राओं को स्वस्थ मनोरंजन के साथ–साथ शारीरिक क्रिया–कलाप अधिक हो। बल्कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक सभी को शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर देना चाहिए।

सन्दर्भ :

1. शारीरिक शिक्षा तथा ओलम्पिक अभियान, अजमेर सिंह
2. शारीरिक शिक्षा के मूलाधार, जितेन्द्र कुमार पाठक
3. व्यायाम क्रिया एवं खेल चिकित्सा शास्त्र, आर0के0 शर्मा
4. खेल एवं ट्रेनिंग के वैज्ञानिक सिद्धान्त, आर0के0 शर्मा

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 86-88

नारीवाद की अवधारणा

इन्दु श्रीवास्तव*
*हरवंशपुर, आजमगढ़, उ0प्र0

सारांश : समकालीन कथा–साहित्य पर कोई चर्चा तब तक पूर्ण व सार्थक नहीं हो सकती जब तक उसमें नारी चेतना से प्रेरित कथा–सृजन को सथोचित स्थान न दिया जाय। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में, भाव–बोध से उत्प्रेरित की रचना में, सबसे महत्वपूर्ण हाथ नारी–चेतना का रहा है। यह केवल हिन्दी या भारत का नहीं, पूरे विश्व का सत्य है, पर जितनी शिद्दत से हिन्दी की कथा–आलोचना ने नारी–चेतना की अभिव्यक्ति को नकारा है, शायद ही किसी और ने किया हो। इस अन्याय की पड़ताल करने से पहले, यह तय करना जरूरी है कि आखिर यह नारी–चेतना है क्या? चेतना का सम्बन्ध निजी जीवन–दृष्टि से होता है, जिससे परखकर इतिहास, संस्कृति ओर मानवीय सम्बन्धों को पुनः विश्लेषित किया जाता है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में, यथास्थिति बदलती रहती है। जो दृष्टि नारी की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक छवि के तिलिस्म को तोड़े, वह नारी–चेतना है। यह चेतना स्त्री–पुरूष सबमें हो सकती है। उसका सम्बन्ध वर्ग, वर्ण, धर्म या लिंग से नहीं, दृष्टि से है, जो अनुभूति की ऐतिहासिक, सामाजिक और वैयक्तिक यात्रा में से विकसित होती है।

हिन्दी में 'फेमिनिज्म' शब्द का सही अनुवाद अब तक नहीं हुआ है। कम से कम ऐसा शाब्दिक अनुवाद नहीं हुआ है, जो मानक रूप में, सबको मान्य हो। मृदुला गर्ग कहती हैं कि ''नारी–चेतना ही उसका सार्थक अनुवाद है। हर वह स्त्री या पुरुष फेमिनिस्ट माना जाना चाहिए जो नारी–चेतना या दृष्टि से सम्पन्न हो। चूँकि हम दृष्टि या चेतना की बात कर रहे हैं, लिंग की नहीं, इसलिए हमें यह मानने से कतई एतराज नहीं है कि नारी–चेतना–सम्पन्न कथा–साहित्य, स्त्री–पुरूष दोनों रच सकते हैं।[1] अगर हमारे आलोचक इस बुनियादी सच्चाई को ग्रहण कर लें जो उन्हें उस मनोग्रन्थि से छुटकारा मिल सकता है, जो हरदम उन्हें अपनी मर्दानगी सावित करने को उकसाती रहती है। तब स्त्री की लिखी कहानी का नाम लेते हुए मन्द–मन्द मुस्कराने की जरूरत नहीं रहेगी। शुद्ध रचना के स्तर पर कहानी को जायजा लिया जा सकेगा। आँकड़ों से लें तो हिन्दी साहित्य के ज्यादातर आलोचक लिंग से, मर्द हैं। रचना का लैंगिक विभाजन करना वे उदारता और बड़प्पन की निशानी मानते हैं और उसके चलते महिलाओं द्वारा लिखी तमाम कहानियों को कहानी में नारी चेतना का स्वर मुखर हुआ और किसमें अवरूद्ध।''

मृदुला गर्ग कहती हैं कि ''मैं तत्काल तीन ऐसी फेमिनिस्ट कहानियों का जिक्र कर सकती हूँ, जो मर्दों की लिखी हुई है। अरसे से मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की ''स्त्रीरेर पत्र'' का उदाहरण देती आयी हूँ। यह हिन्दी की कहानी नहीं है पर भारतीय साहित्य की अमूल्य फेमिनिस्ट कहानी जरूर है और यह उस समय लिखी गयी थी जब पश्चिम में भी कथा–साहित्य में नारी–चेतना का प्रवेश नहीं हुआ था। वैसे भी ठाकूर की कहानियों के अनुवाद इस तरह हमारे मानस के अंग बन चुके हैं कि उनका प्रभाव हिन्दी की सम्पूर्ण साहित्यिक चेतना पर पड़ता रहा है। इस कहानी में एक जमींदार की पत्नी, पति से इसलिए दूर रहने चली जाती है क्योंकि घर में पलने वाली गरीब रिश्तेदार लड़की से उसका निर्मम आचरण, उसे ग्राह्य नहीं है। उस लड़की को वह बेटी बनाकर साथ ले जाती है। निहायत गैर–नुमाइशी ढंग से वह, यह सब, पति को लिखे पत्र में जतलाती है। यही कहानी का कथानक है। यह विद्रोह का उत्कर्ष है और नारी चेतना का ज्वलत उदाहरण है।[2]

अगर हिन्दी को ही लें तो राजेन्द्र यादव की ''एक कटी हुई कहानी'' तथा ब्रजेश्वर मदान की ''जूही'' फेमिनिस्ट कहानियों की बढ़िया मिसाले हैं। लेखकों के नाम सुनकर आप चौक उठे होंगे, खासकर राजेन्द्र यादव का, पर यहीं जो साहित्य–सृजन का करिश्मा है कि 'मर्द' से 'मर्द' लेखक (अंग्रेजी में जिसे 'मेल शॉविनिस्ट' कहते हैं) जाने–अनजाने शुद्ध नारीवादी कहानी लिख सकता है। रचना, अनुभूति और भाव–बोध की उर्वर भूमि से जन्म लेती है, तर्क और विचार की बंजर धरती से नहीं। राजेन्द्र यादव लाख 'जनाना लेखन' कहकर महिला रचित कहानियों का मखौल उड़ाएँ पर खुद उन्होंने कमाल की जनाना काहनी लिखी है। ''एक कटी हुई कहानी'' का कथ्य कुछ विशेष नहीं है, पर उसकी स्त्री पात्र कुलवंत की गढ़न ऐसी है कि पूरी कहानी को 'जनाना' चेतना का जामा पहना देती है। हिन्दी कथा साहित्य में स्त्री का चित्रण करते हुये, नैतिक लटकों–झटकों से किनारा किए रहना दुर्लभ ही नहीं, दुसाध्य रहा है। यहीं दुसाध्य काम यादव ने इसी कहानी में कर दिखाया है। कुलवंत पैनी नजर रखने वाली उजड्ड औरत है, जिसकी जिन्दादिली, औरत–मर्द दोनों को एक–सा हमदर्द और दोस्त बनाने की ताकत रखती है। यूँ वह खासी बेपर्दा और बदसलीका औरत है जो मर्दों के साथ सट्टा ही नहीं लगाती, आती–जाती जवान लड़कियों को देख हाय–हूय भी कर लेती है। वह उन्हें 'मचाचा' कहती है वह एक अजनबी औरत की निजी जिन्दगी के बारे में अश्लील कयास लगाने से भी बाज नही आती, पर जब तक आप नाराज हों, वह आपकी दोस्त बन चुकी होती है। बात–बेबात हंसने वाली पर गजब की हमदर्द–हमराज। पाठक समझ जाता है कि उसकी यह जिन्दादिली, जिन्दगी के खोखलेपन को भरने की कोशिश है, पर लेखक उसे करूणा–विचलित होने नहीं देता और न खुद होता है। जरा सोचिए, भावुकता की पकी–पकायी, परोसी थाली को लात मारकर, वह एक स्त्री की कहानी, सीधे–सपाट ढंग से कहता है और 'कोई नैतिक निष्कर्ष नहीं निकलता। हम सब जानते हैं कि हर औरत के भीतर एक कुलवंती सांस ले रही होती है, पर ज्यादातर पुरूष उसे देख नहीं पाते और स्त्रियां न देखने का ढोंग करती है। असल में इस मिथक रहित निपट, प्राकृतिक स्त्री का निरूपण ही फेमिनिस्ट लेखन का सार है।

ब्रजेश्वर मदान ने अपनी कहानी 'जूही' में एक ऐसी औरत के माध्यम से जनाना–मर्दाना छवि के सवाल को उठाया है जो तय नहीं कर पाती कि वह खुद औरत है या मर्द। मौलिक शैली में लिखी इस छोटी सी कहानी में लेखक ने नारी चेतना के मूल द्वन्द्व को, कि वाकई जनान–मर्दाना दो अलग प्रकृतियां है या नहीं निहायत सहज भव से उठाया है।[3]

मृदुला गर्ग कहती हैं कि यहाँ आकर आप एक सवाल कर सकते है कि मैंने सबसे पहले पुरूषों की लिखी कहानियों का जिक्र क्यों किया? यह जो हमारे मर्द समीक्षक–आलोचक हमेशा से करते आये हैं यानी, कहानियों के परिदृश्य पर लिखेंगे तो विश्लेषण–विवेचन होगा केवल मर्दों की लिखी कहानियों का। बाद में चलते–चलते जिक्र कुछेक औरतों की लिखी कहानियों का हो जायेगा, कि साहेब, ये भी लिख रही हैं। यकीन मानिए, यह परम्परा की मार नहीं थी, जिसने यह करवाया। मृदुला जी के अनुसार, नारीवादी लेखन का सम्बन्ध लिंग से नहीं, भाव–बोध, जीवन–दृष्टि और चेतना से है।

साल के आखिर में हमारे यहाँ वार्षिक साहित्य–सम्मेलनों की जो भीड़ उमड़ पड़ती है उसके शोर से गुजरते हुए यह दिखायी पड़ रहा है कि प्रगतिवाद के जिन सिद्धान्तों और विचारों से हमारे हुनरमंद समीक्षक महिला लेखन समेत ताजा लेखन की खोज–बीन बरने चले हैं, वे आज के साहित्य की समीक्षा के लिए गैर जरूरी और पुराने पड़ चुके हैं। समीक्षक मानकर चल रहे हैं कि साहित्य आज–समाज में क्रान्ति का झण्डा न सही, एक योजनाबद्ध कार्यक्रम का खाका तो होता ही है। उसके लिए जीवनपरक होना पर्याप्त नहीं। पहले उसे अपनी, अपने युग की राजनीति के सन्दर्भ में वैचारिक प्रतिबद्धता की खुली घोषणा करनी होगी।

समीक्षकों की अडिग–विचारधारा है कि नारीवाद तो एक विचार–सापेक्ष आर्थिक और राजनैतिक विचारधारा है। फलतः किसी भी रचना को किसी अमूर्त भाव या दर्शन की बजाय चालू आर्थिक या राजनैतिक दर्शनों में से किसी का अवकल दर्पण बनना पड़ेगा। नारीवाद को लेकर जो अकादमिक–समाजशास्त्रीय शोध बीते–दशक में भारत से बाहर हुये हैं, उसकी जानकारी कमोवेश हर पढ़े–लिखे भारतीय को आज हो गयी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारे साहित्य के कई समीक्षकों से सुनने–पढ़ने को मिलता रहा है कि पूरे महिला–लेखन पर इस पश्चिमी तर्ज के नारीवाद का गहरा असर है जिससे भारतीय संदर्भों में उनकी रचना में कथानकों का जैविक विकास नहीं हो सका है।

''महिला–लेखन को अधिकतर समीक्षक मुख्यधारा के लेखन का एक किंचित दरिद्र विरादर ही समझते हैं।''[4] इस वजह से इस क्षेत्र में वह बेवजह अपनी बुद्धि और साहित्यिक समक्ष का विस्तार करने की बजाय रचना को ही एक सीमित साँचे में फिट होने लायक आकार में बरतना–बूझना चाहते हैं। दुःख यह नहीं कि नयी नारी लेखिकाओं की रचनाओं में नये सन्दर्भ या नयी समस्याएँ या युग की नई टकराहटों की ध्वनि नहीं है, बल्कि असल त्रासदी यह है कि समीक्षा के पास रचना में 'नये' को पकड़ पाने और समझाने योग्य भाषा का सही समाकलन अक्सर नहीं निकलता और नये सन्दर्भों को जांचने के मानदंड भी उसके पास प्रायः नहीं हैं।

पूरी तरह गलत न होते हुये भी महिला–लेखन के सन्दर्भ में भारतीय जड़ों का सवाल अक्सर बहुत गलत मरीके से समझा–समझाया जाता रहा है। दरअसल नारीवाद को लेकर हमारे यहाँ के कुछ पुरूष–पाठक में एक खास तरह का अधैर्य है। वे न तो अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों और न ही उसके भारत में जड़ पकड़ने की ऐतिहासिक कारणों में जाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी समीक्षा नारीवाद के समसनीखेज या राजनीतिक सन्दर्भों को ही माप पाती है तथा वे प्रायः इस आन्दोलन को या तो सम्पन्न सवर्ण लेखिकाओं का पीड़ा–विलास या दलित और वर्णाश्रम–विरोधी आन्दोलनों का ही एक नन्हा अनुपूरक साबित करने की जल्दबाजी में दिखाई देते हैं।

नब्बे के दशक तक महिला–लेखन और नारीवादी दर्शन के अन्तर्सम्बन्धों को लेकर काई बहुत मौलिक चिन्तन हमारे यहाँ की समीक्षा में नहीं हुआ है। स्त्रियों से जुडे वैचारिक संघर्ष से राष्ट्रीय सन्दर्भों को जोड़ने की बजाय महिला–लेखन विशेषांकों के समीक्षकों में समाज के शोषित सर्वहार वर्गों के सन्दर्भ में विकासित पुरानी भाषा तथा विचारों के आधार पर ही लेखन का वर्गीकरण करने और उसे अद्धूत करने की प्रवृत्ति प्रधान बनी हुई है। मृणाल पाण्डे का मानना है कि हमारे ज्यादातर समीक्षकों में नारीवाद की जो एक ठलुआ, रहसीन, संकीर्ण और अधकचरी समझ व्याप्त है, वह पूर्ववर्ती श्रृंगारिक रूझान के सिक्के का ही दूसरा पहलू है। इसके चलते महिला–लेखन की पड़ताल और स्थापित मानदण्ड इतने रूढ़िवादी ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं कि समीझा के अनुशासन को मानकर चलने की इन्छुक अधिसंख्य लेखिकाओं की बौद्धिक बाढ़ मारी गयी है, पुरस्कृत वे भले ही हुई हों।[5]

भारतीय स्त्रियों की आन्तरिक और बाहरी दुनियां में पिछले पचास वर्षों में एक जबरदस्त बदलाव आये हैं। गाँव–शहर–महानगर, हर जगह स्त्रियों के जीवन में राजनीति, अर्थनीति और संप्रेषण–संचार की नयी प्रौधोगिक के असर से गहरे बदलाव आये हैं और आज भी हो रहे हैं। लेखन सबसे पहले रचनात्मक साहित्य है, इसलिए महिला–लेखन उन सामाजिक, राजनीतिक बदलावों को रोकन या बल देने के लिए या पाठकों–समीझकों के बौद्धिक जगत की स्थूल जरूरतों को सावित करने का एक गलत–जरिया बनने को क्यों बाध्य है? समाज की जिन्दगी में आ रहे परिवर्तनों में उसकी अपनी अलग भूमिका और जगह जरूर है, लेकिन समाज सेवी संगठनों और राजनैतिक दलों के लिए प्रचारात्मक लेखन और समाजशास्त्रीय मुद्दों से जुड़ी खोजी स्त्री–बोधिनी पत्रकारिता से उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती।

अलका सराबगी या तेजी गोवर, गमन गिल, काव्यायनी, गीतांजलि श्री की कृतियाँ स्त्री और उससे जुड़े संदर्भों को लेकर हमारी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष चेतना हमारे सोच और कल्पना पर कई तरह के दबाव डालती है जिसमें स्थूल शारीरिक सरोकार या चिन्ताएँ, व्यंग, सृजनात्मक असंतोष एवं विरोधाभास उतनी ही मात्रा में रहते हैं जितने कि हमारे जीवन में। खुद अपने–आप और अपने युग से दोहरे संलाप की सम्भवना के चलते कई सशक्त महिला–लेखन से एक प्रकार की अर्न्तध्वनि उठती हुई लगती है :–

''कोई नहीं जानता कि अन्दर के पानियों में जो सपना काँपता है, कब असलियत का रूप लेगा।[5] यह अर्न्तध्वनि लेखन की गहराई के साथ पाठक से भी धैयपूर्ण वयस्कता की मांग करती है। जीवन का मर्म समझने का जिना प्रयास लेखिका कर रही हैं, उतना ही प्रसास वह पाठक से भी चाहती हैं। ज्यों-ज्यों स्त्री-लेखन अधिक प्रयोग-धर्मी और प्रौढ़ होता जा रहा है, जीवन को वह अपनी दृष्टि से रूक-रूक कर बराबर परख रहा है। वैसे भी अपने स्वानुभूत इतिहास के आधार पर महादेवी जी से लेकर कृष्णा सोवती तक बेहतर महिला-लेखक लगातार कुछ न कुछ नया करती रही हैं। मनुष्य और पशु-जगत, स्त्री और प्राकृतिक माँ और बेटी के रिश्तों के सन्दर्भ में बहुत सारे अनुभव, भाषा के कई प्रयोग समय-समय पर इन लेखिकाओं नें प्रचलित सन्दर्भों से तोड़ कर एकदम नये सन्दर्भों में रखे और परखे हैं।

आज साहित्य लेखकाओं के लिए भी जीवन-अनुभव व्यक्त करने की एक राजनीतिक, व्यवसायिक कोशिश मात्र नहीं, बल्कि उनके कलापक्ष की सहज अभिव्यक्ति भी है। लेखकों की ही तरह वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी जरूर महसूस करती हैं, लेकिन अपनी निजी स्वतंत्रता और ईमानदारी को भी वे नष्ट नहीं करना चाहती। समाज की गहराई में जाकर भी भटकन और असंपूक्ति महिला-लेखन की ही नहीं पूरे आधुनिक लेखन की समस्या है। इससे हर सशक्त लेखक अपनी-अपनी तरह से जूझता है, पर इसका गम्भीर अवलोकन करने और उसके असर को रचना के भीतर बारीकी से पकड़ने के बजाय कई रूढ़िवादी समीक्षक घर, परिवार या समाज को लेकर एक स्त्री की ईमानदार दुविधा या तनाव की ऐसी अभिव्यक्ति को स्त्री-जाति के बहुनिंदित दुचित्तेपन और बौद्धिक अक्षमता का प्रमाण मान कर फौरन खारिज करने पर उतर आते हैं। यही कारण है कि आज का दमदार महिला-लेखन पढ़ने के बाद उसके बड़बोले समीक्षक न सिर्फ दो अलग मानसिक ढाँचों में बँटे हुये हैं बल्कि इतिहास के दो अलग कालखण्डों में जीने वाले भी हैं। उदाहरणस्वरूप, हमारे यहाँ बनवास या वैराग्य स्त्री-पुरूषों दोनों में ग्रहण करते हैं पर जहाँ पुरूष इसे स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं वहीं स्त्रियों ने भोगा है। स्त्रियों को अक्सर जीवन के प्रति लगाव होने के बावजूद वनवास में बाकायदा थकेला जाता रहा है। इच्छा विरूद्ध बार-बार दर-ब्-दर होने की उस सघन भावनात्मक घड़ी से रूबरू होकर स्त्री का गद्य व पद्य एक खास उलटबाँसी-भरा मुहावरा लेकर समाने आता रहा है।

आज स्त्रियाँ देख ही नहीं सप्रमाण लिख भी रहीं हैं कि उनकी राय में पुरूष क्या देख रहा है? शायद यह पहली बार वह यह भी देख और लिख रहीं हैं कि पुरूषों में वे खुद क्या-क्या देख रहीं हैं या देखती रहीं हैं। फलतः रचना स्त्री की भाषा और उसके द्वारा जिया गया इतिहास एंव समय अपनी परिचित पारम्परिक चाल छोड़कर टेढ़ी एवं कठिन राह पकड़ेगी ही। आज का बेहतर महिला-लेखन पुरूषर्थवादी या पिटी-पिटाई समीक्षा का निरीह अनुगामी नहीं रहा है। वह हर नये और परती जमीन तोड़ने वाले लेखन जैसा आक्रामक और सतर्क हैं। लिहाजा उसे पढ़ने के लिए पाठक-समीक्षक को भी सतर्क बनना पड़ेगा। ये लेखिकाएँ अक्सर हमारा सामना उस शीर्षक से कराती हैं, जो समाज में कहीं और नहीं, खुद हमारे मनोगृह में स्थापित और पूजित रहा आया है।

सन्दर्भ :

1 आधुनिक हिंदी कहानीः नारी-चेतना, मर्द-आलोचना – मृदुल गर्ग, 34/हंस/मई, 1993
2 आधुनिक हिंदी कहानीः नारी-चेतना, मर्द-आलोचना – मृदुल गर्ग, 34/हंस/मई, 1993
3 आधुनिक हिंदी कहानीः नारी-चेतना, मर्द-आलोचना, 34/हंस/मई, 1993
4 अन्दर से पानियों का सपना : मृणाल पाण्डे, 69/हंस/मार्च, 2009
5 अन्दर से पानियों का सपना : मृणाल पाण्डे, 69/हंस/मार्च, 2009
6 जया जादवानी का वक्तव्य : हंस

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 89-90

समाज विज्ञानी राहुल जी : एक विष्लेषण

डॉ0 आलोक श्रीवास्तव*

*असि0 प्रोफेसर (हिन्दी), एस0जी0डी0पी0जी0 कॉलेज, सुरियावाँ, भदोही,उ0प्र0

सारांश : महापंडित राहुल सांकृत्यायन बीसवीं शताब्दी के महान् लेखक और समाज सुधारक थे। ये ऐसे चिंतक थे जो जीवनभर समाज से जुड़ी समस्याओं से संघर्ष करते रहे। इसकी बेहतरी के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन एक खोजी के समान बिताया। इसी के चलते इन्होंने राजनैतिक कार्य भी किया। इनके साहित्य को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में समकालीन समाज की समस्याओं को ही स्थान दिया है। इनका साहित्य प्रगतिशीलता की मौलिक व्याख्या करने वाले साहित्य है जिसका उद्देष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना के साथ वैज्ञानिक मानसिकता तथा एक स्वस्थ दृष्टिकोण वाले आदर्ष समाज की स्थापना करना है। हम इनके समाज विज्ञानी रूप को इनकी रचनाओं के द्वारा सहज रुप से देख सकते हैं जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध आदि सभी शामिल हैं।

महापंडित राहुल जी ने 'बाईसवीं सदी', 'जीने के लिए', 'भागो नहीं दुनिया को बदलो', 'राजस्थानी रनिवास' जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना किया है। इन उपन्यासों को अगर देखा जाए तो इनमें सामाजिक समस्याऐं ही भरी पड़ी हैं जिसने इन्होंने मार्क्सवादी राजनीतिक दर्षन के अनुरूप भारतीय समाज की व्याख्या किया है। उपन्यास 'भागो नहीं दुनियाँ को बदलो' को समाज के कम पढ़े–लिखे लोगों को राजनैतिक षिक्षा देने के उद्देष्य से लिखा है। इस बात को इन्होंने स्वीकार भी किया है । लिखते हैं कि ''जनता को वोट देने का अख्तियार दे देने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी भलाई–बुराई भी मालूम होनी चाहिए राजनीति के अखाड़े में कैसे दाँव–पेंच खेले जाते है। इस पोथी में इस बात की मैंने थोड़ी सी कोषिष की है।''[1] इस उपन्यास में इन्होंने संवादात्मक शैली में मार्क्सवादी सिद्धान्तों के अनुरूप भारतीय समाज की स्थिति पर विचार किया है।

इसी प्रकार 'जीने के लिए' उपन्यास में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर सन् 1949 ई0 तक की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। इसमें प्रथम विष्व युद्ध के अनन्तर स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों के आन्दोलनों, अंग्रेजो की दमन नीति तथा जमींदार और कृषक के मध्य भूमि अधिकार सम्बन्धी संघर्षों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक, धार्मिक, परम्पराओं का अंकन हुआ है। इस उपन्यास में इन्होंने भारतीय समाज की विविध समस्याओं और उनके मार्क्सवादी समाधान को प्रस्तुत किया है। उपन्यास का वर्ण्य विषय सिर्फ भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज का स्पर्ष भी है। इस उपन्यास में इन्होंने देवराज के जीवन चरित को रेखांकित करते हुए उसके माध्यम से अपने साम्यवादी राजनीतिक स्वर को मुखरित किया है।

उपन्यास 'राजस्थानी रनिवास' भी इसी प्रकार का है। इस उपन्यास में महापंडित राहुल जी ने 20वीं शताब्दी के आरम्भ के राजस्थान के समाज को प्रमुख रूप से चित्रित किया है। इसमें सामन्ती जीवन की पाषविकता के चित्रण के साथ–साथ नारी के दयनीय दषा को महापंडित राहुल जी ने उजागर किया है। इसी प्रकार इनके द्वारा लिखे हुए अन्य सामाजिक उपन्यास भी हैं। इनके समाजिक उपन्यासों के विषय में इस विषेषता को लक्ष्य करते हुए डॉ0 रवेलचन्द्र आनन्द ने लिखा है कि – ''सामाजिक उपन्यासों में राहुल जी ने वर्तमान समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि समस्याओं का अंकन किया है। सामाजिक वैषम्य, शोषक और शोषित की स्थिति, सामन्ती समाज में पिसती हुई नारी, समाज के अन्धविष्वास आदि विकृतांगो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था आदि का चित्रण करते हुए, सामाजिक साम्य की स्थापना का आदर्ष प्रस्तुत किया है।''[2] यहाँ पर गौर किया जाए तो डॉ0 आनन्द ने इनके सामाजिक उपन्यासों के सन्दर्भ में बिल्कुल उचित लिखा है।

उपन्यासों की ही भाँति महापंडित राहुल जी ने अपने विविध कहानियों में भी समकालीन समस्याओं को उठाते हुए सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। उदाहरण के लिए 'सतमी के बच्चे' और 'बहुरंगी मधुपुरी' कहानी संग्रह को देखा जा सकता है। 'सतमी के बच्चे' कहानी संग्रह को इन्होंने सन् 1935 ई0 में लिखा था। इसमें उस समय की सम–सामयिक समाज तथा आर्थिक, सामाजिक परिस्थितयों से जुझ रहे व्यक्तियों के जीवनचित्र संस्मरणात्क शैली में चित्रित है। कहानीसंग्रह की कहानियों में सबसे मार्मिक कहानी 'सतमी के बच्चे' ही है। इस कहानी में इन्होंने गाँव की उस सतमी नामक अहिरिन की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है जो अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन तथा दवा तक का प्रबन्ध नहीं कर पाती है इसी के कारण उसके बच्चे एक के बाद एक काल–कलवित हो जाते हैं। इसी तरह इस संग्रह में संकलित अन्य कहानियाँ भी हैं जो समाज के निर्धन वर्ग की आर्थिक समस्याओं का करूण चित्र प्रस्तुत करती हैं।

कहानी संग्रह 'बहुरंगी मधुपुरी' में पर्वतीय मंसूरी से सम्बद्ध 21 कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ भी यथार्थ जीवन पर आधारित है। इनमें संकलित कहानियों के माध्यम से इन्होंने मंसूरी के जन–जीवन के विविध पहलुओं एवं समस्याओं का सजीव चित्रण किया है। इनके कहानीसंग्रह के सम्बन्ध में डॉ0 रवेलचन्द्र आनन्द ने लिखा है कि – ''इसमें राहुल जी ने मंसूरी के जन–जीवन के विविध पहलुओं को विभिन्न पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया है। सन् 1920 में अंग्रेजों को इस स्थान के महत्व का परिचय मिला और उन्होंने इसे शीतल और शान्त स्थान पाकर इसका विकास किया। तब से लेकर आज तक मधुपुरी ने जिस जीवन को देखा – राहुल जी ने उसका यथार्थ अंकन किया है।''[3] इस कहानी संग्रह में भी समकालीन समस्याऐं भरी पड़ी हैं।

उपन्यासों और कहानियों के अलावा महापंडित राहुल जी ने निबन्धों और नाटकों के माध्यम से भी सामाजिक विषमताओं को चित्रित किया है। इनके निबन्धों में सामाजिक समस्याओं सम्बन्धी इनके विचारों की अभिव्यक्ति सरस रूप में हुई है। इस तरह के निबन्धों के लिए–तुम्हारी क्षय, दिमागी गुलामी, साम्यवाद ही क्यों?, आदि निबन्ध संग्रहों को देखा जा सकता है। 'तुम्हारी क्षय' निबन्ध संग्रह में संकलित 'तुम्हारे समाज की क्षय' निबन्ध में ये ऐसे समाज की क्षय होने की कामना करते हैं जिसके भीतर रहने वाले व्यक्तियों के प्रति न्याय नहीं है, जिसमें परिश्रम कोई व्यक्ति करता है और उसका फल कोई और प्राप्त करता है, जो गरीब किसान–मजदूर और निर्धनों का शोषण करता है। इसमें इन्होंने गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी वास्तविकता के सम्बन्ध में लिखा है कि – ''(गरीब) लेकिन खुद उसके लिए क्या मिलता है। उसकी झोपड़ी शायद ही बरसात में साबित रहती हो। उसके बदन के लिए चीथड़े भी ढ़कने के लिए नहीं मिलते। कितनी ही उसकी बनाई चीजें उसके लिए स्वप्न की सी मालूम होती हैं और मजदूरों की हड्डियों, पसीने और चिंता से बनी इन चीजों का उपयोग कौन करता है ? उनके लिए गारे से उठी अट्टालिकाओं में विहार कौन करता है ? वह बड़ी–बड़ी जोकें–जमींदार, महाजन्, मिल–मालिक, बड़ी–बड़ी तनख्वाहों वाले नौकर, पुरोहित।''[4] इसी प्रकार 'दिमागी गुलामी' निबन्ध में प्राचीन रूढ़ियों को सामाजिक प्रगति में बाधक और मानसिक दासता का प्रतीक मानते हुए उसको तोड़ फेंकने का आह्वाहन करते हैं। ये सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का कार्य किसी भी प्रकार से बलिदान से कम नहीं मानते हैं। इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि– ''लोग जेल जाने और फाँसी चढ़ जाने के लिए बड़ी हिम्मत की बात कहते हैं। समाज की रूढ़ियों को तोड़ना और उसके द्वारा उसकी आँखों में काँटे की तरह चुभना जेल और फाँसी से भी ज्यादा साहस का काम है।''[5]

महापंडित राहुल जी ने कुछ भोजपुरी भाषा में नाटक भी लिखें हैं जो इनके 'तीन नाटक' और 'पाँच नाटक' संग्रहों में संकलित हैं। इनके नाटकों को देखा जाए तो ये भी समस्या प्रधान हैं। इनकी रचना इन्होंने साम्यवादी दृष्टिकोण से किया है जिसका उद्देष्य समाजिक विषमताओं को ही चित्रित करना है। इनके भोजपुरी नाटकों के उद्देष्य के सम्बन्ध में डॉ0 सुबोधचन्द्र ने लिखा है कि – ''नाटकों में उनका उद्देष्य भारतीय भोजपुरी जनता में उसकी मातृभाषा द्वारा जागृति फैलाना है। अतः इनका मूल स्वर सामाजिक एवं राजनीतिक क्रान्ति है। यह कार्य भी उनकी शोषित जनता के प्रति असीम सहानुभूति या व्यापक मानवता का परिणाम है।''[6] स्वयं राहुल जी ने भी अपने द्वारा लिखे गये भोजपुरी नाटकों के वर्ण्य–विषय एवं उद्देष्य को लेकर अपनी आत्मकथा पुस्तक 'मेरी जीवन यात्रा भाग–2' में लिखा है कि–''जपनियाँ राछछ, देष रच्छक, जरमनवाँ के हार निहिचय, ई हमार लड़ाई, फासिस्ट विरोधी भावों को फैलाने के लिए लिखे गये थे। 'ढुनमुन नेता' में भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का विष्लेषण किया गया था। 'नइकी दुनियाँ' और 'जोंक' में साम्यवादी विचारों और साम्यवाद की आवष्यकता को और 'मेहरारून के दुरदसा' में स्त्रियों की हीनावस्था को दिखलाया गया था।''[7]

नाटक 'मेहरारून के दुरदसा' में साम्यवादी दृष्टिकोण के आधार नारी की आर्थिक एवं सामाजिक दुर्दषा का इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। इसमें इन्होंने नारी तथा पुरूषों के भेद–भाव सम्बन्धी समस्या को इस गीत के माध्यम से चित्रित किया है –

''एक माई बपवा के एक ही उदरवा में
दुनों के जनम भइल रे पुरूखवा
पूत के जनमवा में नाच और सोहर होला
बेटी के जनम परे सोग रे पुरूखवा।''[8]

इनके इस नाटक के सम्बन्ध में डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है कि ''भोजपुरी समाज में स्त्रियों को कौन–कौन से कष्ट भुगतने पड़ते हैं, युग–युग से पुरुष जाति ने स्त्रियों पर कितना भयंकर अत्याचार करके उन्हें घर में बन्दी बना रखा है, उन्हें किस प्रकार अधिकार से वंचित कर रखा है–इन सभी का वर्णन राहुल जी ने अपनी कुषल लेखनी से किया है।''[9] डॉ0 उपाध्याय जी का यह कथन पूर्णतः सत्य है। राहुल जी की रचनाओं में सामाजिक विचार, आदर्ष एवं समस्याओं का समावेष मिलता है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकों समाज से अत्यधिक लगाव एवं प्रेम था इसीलिए इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ग्राम्य एवं नागरिक जीवन की नाना समस्याएं, श्रामिक, कृषक एवं पूँजीपति वर्ग के अनेक चित्र अंकित किये है। इनका उद्देष्य एक आदर्ष समाज का निर्माण करना था।

सन्दर्भ :

1. 'भागों नहीं दुनियॉ को बदलों', लेखक– राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ संख्या–04
2. 'महा पंडित राहुल सांकृत्यायन का सर्जनात्मक साहित्य', लेखक– रवेलचन्द्र आनन्द, पृष्ठ संख्या – 206
3. वहीं, पृष्ठ संख्या– 174
4. 'तुम्हारी क्षय', लेखक– राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ संख्या– 03
5. 'दिमागी गुलामी' लेखक–राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ संख्या– 36
6. 'महापंडित राहुल सांकृत्यायन का सर्जनात्मक साहित्य', लेखक– रवेलचन्द्र आनन्द, पृष्ठ– 346
7. 'मेरी जीवन यात्रा भाग– 2', लेखक– राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ– 589
8. 'तीन नाटक', लेखक– राहुल सांकृत्यायन, पृष्ठ संख्या– 02
9. 'महापंडित राहुल सांकृत्यायन का सर्जनात्मक साहित्य', लेखक– रवेलचन्द्र आनन्द, पृष्ठ– 349

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 91-92

2017 की उत्तर प्रदेश विधान सभा में विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व

अभय राज सिंह*

*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, उ0प्र0

सारांश : उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के चुनाव वर्ष 2017 के फरवरी–मार्च में सभी 403 सीटों पर सम्पन्न हुए। इस चुनाव में सम्पूर्ण प्रदेश के लगभग 14 करोड़ 16 लाख मतदाताओं में से 8 करोड़ 64 लाख अर्थात् 61.04 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई है। पिछले विधान सभा चुनाव में जहाँ 59.40 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं इस चुनाव में 61.04 प्रतिशत मतदान हुआ।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा के चुनाव में कुल 302 राजनीतिक दलों ने सहभागिता की। 2012 के चुनाव की तुलना में इस चुनाव में प्रत्याशी खड़े करने वाले दलों की संख्या लगभग 36 प्रतिशत अधिक रही। 2017 के चुनाव में पंजीकृत राजनीतिक दलों के 3391 उम्मीदवारों के साथ कुल 4853 उम्मीदवारों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 1025 उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट दिया। वहीं राज्य स्तरीय दलों के कुल 588 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल 1778 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में 1462 प्रत्याशियों ने किसी राजनीतिक दल के टिकट के बिना स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा।

सत्रहवीं विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी ने 384 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर 312 सीटों पर विजय प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही तीन चौथाई सीटों पर विजय प्राप्त कर सरकार बनायी। बहुजन समाजपार्टी ने सभी 403 विधान सभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये। उसे केवल 19 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 114 प्रत्याशियों में से 7 चुनाव जीतने में सफल रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 68, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन दलों को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2017 के चुनाव में राज्य स्तरीय दलों के रूप में राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय लोकदल के 277 प्रत्याशियों में से 1 विजयी रहा। समाजवादी पार्टी जो कि पाँच सालों से सत्ता में थी उसने 311 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये और उसे 47 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। पंजीकृत (गैर मान्यता प्राप्त) राजनीतिक दलों में कुल 294 दलों ने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे। इस चनाव में 294 दलों में से मात्र 3 दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4, NISHAD पार्टी का 1 व अपना दल के 9 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। गैर मान्यता प्राप्त दलों में 291 दलों का कोई भी प्रत्याशी विजय प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार सत्रहवीं विधान सभा के चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों में से केवल 3 दलों को विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तीनों दलों को कुल मिलाकार 338 सीटें प्राप्त हुई। बाकी 3 दल अपना खाता नहीं खोल सके। राज्य स्तरीय दो दलों ने चुनाव में शिरकत की जिसमें दोनों को संयुक्त रूप से 48 सीटों पर सफलता मिली। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 294 दलों में से 3 दलों ने सफलता प्राप्त की और उन्हें समेकित रूप से 14 सीटें प्राप्त हुई। बाकी 291 दल सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इस चुनाव में स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में 1462 लोगों ने चुनाव लड़ा और उनमें से 3 व्यक्तियों को जीत प्राप्त कर विधानसभा पहुँचने का अवसर प्राप्त हुआ।

2017 की उत्तर प्रदेश विधान सभा में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व : उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के चुनाव में सामान्य वर्ग के 192 सदस्य विधायक चुने गये। अन्य पिछड़ा वर्ग के 125 लोग विधान सभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। अनुसूचित जाति वर्ग से विधान सभा चुनाव जीतने वाले लोगों की संख्या इस चुनाव में 84 रही। पिछले कई विधान सभा चुनावों के उलट सत्रहवीं विधान सभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से 2 सदस्य इस विधान सभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले कई विधान सभा चुनाव (1996 के चुनाव में अंतिम बार अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य विधायक बना था) में अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य विधान सभा चुनाव नहीं जीत सका था। सत्रहवीं विधान सभा के चुनाव परिणामों का प्रतिशतता के आधार पर विश्लेषण करने पर अग्रलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इस विधान सभा में 47.64 प्रतिशत सदस्य विधायक बनने में सफल रहे। जो पिछले चुनाव से लगभग 2 प्रतिशत अधिक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रतिशत इस चुनाव में 31.02 रहा। पिछले चुनाव की तुलना में 2017 के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के विधायकों की संख्या 2.23 प्रतिशत कम हो गयी। पिछले चुनाव में इस वर्ग से 33.25 प्रतिशत सदस्य विधायक बनने में सफल रहे थे।

सत्रहवीं विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग से 20.84 प्रतिशत सदस्य विधायक बने। इस विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के विधायकों में आंशिक कमी हुई। पूर्व में 2012 के विधान सभा चुनाव में 21.09 प्रतिशत सदस्य इस वर्ग से चुने गये। 2002 व 2007 के चुनावों में अनुसूचित जाति के लिये विधान सभा में 89 स्थान आरक्षित थे। 2012 में यह संख्या 85 हो गयी और 2017 के चुनाव में इसे 84 कर दिया गया। साथ ही 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कर दी गयीं। इस विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 2 सदस्य विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रतिशत 0.50 प्रतिशत रहा।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा में विभिन्न वर्गों महिला–पुरुष अनुपात : उत्तर प्रदेश की कुल 19.98 करोड़ जनसंख्या में पुरुषों व महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 10.44 करोड़ व 9.53 करोड़ है। दोनों का प्रतिशत क्रमशः 52.29 प्रतिशत व 47.71 प्रतिशत है। सत्रहवीं विधान सभा के लिये सम्पन्न चुनाव में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कुल 403 सीटों के सापेक्ष 40 महिलायें व

363 पुरुष विधायक निर्वाचित हुए। पुरुष विधायकों का प्रतिशत इस चुनाव में 90.07 प्रतिशत व महिला विधायकों का प्रतिशत 9.93 प्रतिशत रहा। महिलाओं का प्रतिशत अपनी जनसंख्या का 5वाँ हिस्सा व पुरुषों के 9वें हिस्से के बराबर है। यह हमारे समाज की लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है।

2017 के विधान सभा चुनाव का वर्गवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि सामान्य वर्ग से कुल 170 पुरुष व 22 महिलायें विधान सभा चुनाव जीतने में सफल रहें। जिसका प्रतिशत क्रमशः 42.18 व 5.46 प्रतिशत है। इस विधान सभा चुनाव में सामान्य वर्ग की महिला विधायकों की संख्या पिछले विधान सभा की तुलना में ढ़ाई गुना बढ़कर 9 से 22 हो गयी। यह पूर्व का 244 प्रतिशत है। यह इस वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आशातीत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग से सत्रहवीं विधान सभा में कुल 125 विधायक निर्वाचित हुए। इसमें से महिलाओं व पुरुषों की संख्या क्रमशः 8 व 117 रही। यह कुल सदस्य संख्या का क्रमशः 1.99 प्रतिशत व 29.03 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 2017 चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुष विधायकों के 14वें भाग के बराबर रही अर्थात् 14 पुरुष विधायकों के सापेक्ष एक महिला विधायक। इस विधान सभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग से कुल 84 सदस्य विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए। जिसमें से पुरुष सदस्यों की संख्या 74 व महिला सदस्यों की संख्या 10 रही। कुल सदस्य संख्या में अनुसूचित जाति के महिला व पुरुष विधायकों का प्रतिशत क्रमशः 2.48 प्रतिशत व 18.36 प्रतिशत रहा। इस वर्ग में पुरुष विधायकों की संख्या महिला विधायकों की तुलना में सात गुना अधिक है। इसको इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि प्रति सात पुरुष विधायकों के सापेक्ष एक महिला विधायक। पिछले चार विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला विधायकों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव देखा गयाहै। 1996 के विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई सदस्य विधान सभा के लिये निर्वाचित हुआ। इस चुनाव में अनुसूचित जनजाति वर्ग से 2 सदस्य विधायक बनने में सफल रहे, लेकिन इस वर्ग की कोई महिला विधान सभा पहुँचने में असफल रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानों का आरक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिये 2017 के चुनाव में 84 स्थान आरक्षित थे व अनुसूचित जनजाति के लिये 2 स्थानों का आरक्षण किया गया था। संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश में किसी अन्य वर्ग को विधान सभा में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

सत्रहवीं विधान सभा 2017 के लिये गठित उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या व प्रतिशत : वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस चुनाव में उसने 312 सीटों पर विजय प्राप्त की। लगभग तीन चौथाई सीटों पर विजय प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी ने सकरार बनायी। इस मन्त्रिपरिषद में कुल 47 मंत्री बनाये गये। सभी 47 मंत्रियों में आधे से अधिक 53.19 प्रतिशत अर्थात् 25 कैबिनेट मंत्री बने। 19.15 प्रतिशत अर्थात् 9 स्वतन्त्र प्रभार के राज्यमंत्री बनाये गये। राज्य मंत्रियों की संख्या इस मन्त्रिपरिषद में 13 अर्थात् 27.66 प्रतिशत रही। 2017 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें प्राप्त कर श्री आदित्य नाथ ''योगी'' के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। इस सरकार में कुल 47 मंत्री बनाये गये। इस मंत्रिपरिषद का वर्गीय विश्लेषण अग्रलिखित है। 2017 की उत्तर प्रदेश सरकार में सामान्य वर्ग से 18 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री, 6 सदस्यों को राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार व 5 सदस्य राज्य मंत्री बनाये गये। इसका प्रतिशत क्रमशः 38.30 प्रतिशत, 12.77 प्रतिशत, 10.64 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग से इस सरकार में कुल 15 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। इस वर्ग से 7 सदस्य कैबिनेट मंत्री बने जो कुल संख्या का 14.89 प्रतिशत है। स्वतन्त्र प्रभार के राज्य मंत्री बनने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या 3 रही, जिसका प्रतिशत 6.38 है। इस वर्ग से 5 सदस्य राज्य मंत्री बने। यह कुल संख्या का 10.64 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति से 2017 की प्रदेश सरकार में 3 सदस्य शामिल किये गये। इस सरकार में अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार नहीं बना। अनुसूचित जाति के सभी 3 सदस्य इस सरकार में राज्य मंत्री बनाये गये। सरकार के वर्गीय स्वरूप का समग्र विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इस सरकार में उच्च जातियों/सामान्य वर्ग का 61. 71 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद में रहा। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सरकार में अपनी जनसंख्या का एक तिहाई लगभग 6.38 प्रतिशत रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व इस सरकार में 31.91 प्रतिशत रहा। यह अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात का आधे से कुछ अधिक है। जो इस वर्ग की सरकार में सीमित भागीदारी को प्रतिबिंबित करता है।

सन्दर्भ :

1. Performance of political parties E.C.I. State Election, 2017 to the Legislative Assembly of Uttar Pradesh.
2. सदस्य परिचयः उत्तर प्रदेश की 17वीं विधान सभा.
3. Censusindia.gov.in/2011Census/PCA_Highlights/pca_highlights_ file/UP/45Executive_Summary.pdf.11/01/2020.10:35:16.
4. Jaffrelot, Christophe (2010). Religion Caste and Politics in India. New Delhi: Permanent Black.
5. Kothari, Rajni (1970). Politics in India. New Delhi: Orient Blackswan.
6. Yadav, Yogendra (1996). Reconfiguration of Indian Politics. New Delhi: EPW, 13-20 Jan , pp. 95-104.
7. Jaffrelot, Christophe (2009). Rise of the Plebians? The Changing Face of Indian Lesislative Assemblies. New Delhi: Routledge.
8. Shastri, Sandeep & Suri, K.C. & Yadav, Yogendra (2009). Electoral Politics in Indian States. New Delhi: Oxford University Press.
9. Pai, Sudha (2007). Political Process in Uttar Pradesh. New Delhi: Pearson/Longman.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 93-94

जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरणीय अवक्रमण : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ0 आलोक श्रीवास्तव*

*व्याख्याता, भूगोल, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान

सारांश : जनसंख्या एवं पर्यावरण एक–दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से सम्बन्धित है। सीमित जनसंख्या पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण का ही एक अंग होती है। प्राचीनकाल में जब जनसंख्या बहुत ही सीमित थी, तब जनसंख्या भी पर्यावरण का ही एक अंग या भाग था। मनुष्यों द्वारा पर्यावरण में किया गया परिवर्तन पर्यावरण में ही उपलब्ध स्वचालित तन्त्र से पुनः ही ठीक कर अपने मूल रूप में स्थापित हो जाता था। पर्यावरण में थोड़ा–बहुत छेड़छाड़ प्रकृति द्वारा स्वयं ही ठीक कर लिया जाता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप यह छेड़छाड़ इतना अधिक हो गया कि पर्यावरण अपने स्वनियामक तकनीक से ठीक नहीं कर पा रहा है एवं पर्यावरण में अवक्रमण देखने को मिल रहा है। जिससे अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ सामने आ रही है। यह अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देता हैं।

मुख्य शब्द : जनसंख्या एवं पर्यावरण, गरीबी रेखा, स्थानान्तरणशील कृषि पद्धति, औद्योगिक विकास आदि।

भारत चीन के बाद विष्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देष है। 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के पार कर गयी है। देष में जनवृद्धि 2011: वार्षिक वृद्धि से हो रही है। प्रतिवर्ष लगभग 1070 करोड़ लोग भारत की जनसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं। इससे देष की भूमि–संसाधन तथा पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस कारण से देष का विकास भी प्रभावित हो रहा है। जनसंख्या का पर्यावरण से बहुत ही गहरा सम्बन्ध होता है। जनसंख्या आधिक्य से निर्धरता तथा पर्यावरण में अवक्रमण होता है। पर्यावरण ह्रास की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है।

भारत की अधिकांष जनंसख्या आज भी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देष की लगभग एक तिहाई जनसंख्या निर्धनता या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। भूमि तथा अन्य संसाधनों के निरन्तर दोहन से निर्धन लोगों पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। कृषि के विकास से भी पर्यावरण में ह्रास देखने को मिलता है। कृषि के यन्त्रीकरण, कीटाणुनाषक, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि भूमि के गुणवत्ता में ह्रास आ रही ही है यह भी एक चिन्ता का विषय है। देष की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने पर्यावरण ह्रास को अधिक तीव्र कर दिया गया है। पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ निम्न हैं –

भूमि विनाष : देश की लगभग 47 भूमि कृषि कार्य के अन्तर्गत आती हे। पिछले लगभग 50000 वर्षो से निरन्तर खेती से देष की मृदा में उर्वरता का ह्रास होता जा रहा है। देष की लगभग 850 लाख हेक्टेयर अर्थात् कुल कृषित भूमि का लगभग 60: मृदा विनाष का षिकार हो चुकी है। देष में विष्व की सर्वाधिक पशु संख्या पाई जाती है। देष में मात्र 4: भूमि चारागाहों के अन्तर्गत है जो कि अपर्याप्त है। भूमि पर अतिचारण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जल तथा वायु के अपादन के अतिरिक्त दोषपूर्ण स्थानान्तरणशील कृषि पद्धति भी देष में मृदा के विनाष का बड़ा कारण है।

वन विनाष : देष में लगभग 690 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 20: है। सघन वन वास्तविक रूप से केवल 14: भाग पर ही है। भूमि संसाधन की भाँति वन संसाधन भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अति दोहन से प्रभावित हो रही हैं। जनसंख्या की वृद्धि तथा औद्योगिक प्रगति के साथ वनों के ह्रास में निरन्तर कमी देखने को आयी है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवस्य क्षेत्र भी है। वन प्रकृति में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वन विनाष से सम्पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र असन्तुलित होजा जा रहा है।

नगरीय मलिन बस्तियाँ : भारत के शहरों में सम्पूर्ण जनसंख्या की लगभग 31.8% जनसंख्या निवास करती है। देष में नगरीकरण में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। इस कारण से कृषि भूमि पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। नगरों के भीतर भी जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नगरीय केन्द्रों में जनसंख्या के सांद्रण से नगरों की सीमाओं पर मलिन बस्तियाँ विकसित हो रही हैं जो प्रायः असामाजिक तत्त्वों तथा सामाजिक अपराधों का केन्द्र बन जाती है।

ऊर्जा का प्रयोग : कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए ऊर्जा की आवष्यकता होती है। जीवष्म ईंधन तथा आणविक खनिजों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन में भारी पर्यावरण प्रदूषण होता है।

कृषि विकास जनित पारिस्थितिक समस्याएँ : खाद्य संकट से निवारण के लिए कृषि में विकास आवष्यक है। उत्तम बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाषक, आदि के समुचित उपयोग से कृषि विकास के साथ–साथ पारिस्थितिक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं।

औद्योगिकरण : आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास आवष्यक है। औद्योगिक विकास से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। नगरीय क्षेत्रों में ही अधिकांष औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित होती है जिससे इन संयंत्रों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण यहाँ के निवासियों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। औद्योगिक संयंत्रों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण यथा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं सामाजिक प्रदूषण फैलता है जो मानव के लिए विनाषकारी होता है।

जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण एवं विकास दर में सीधा सम्बन्ध पाया जाता है। देष के चहुमुखी विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण आवष्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जनसंख्या पर नियन्त्रण आवष्यक है।

सन्दर्भ :

1. Brandom M. Hale and Maeve Le. McCarthy ; An Introduction to Population Ecology
2. डॉ0 चौहान एवं गौतम ; भारत का भूगोल
3. डॉ0 राम कुमार गुर्जर, एवं डॉ बी0 सी0 जाट, पर्यावरण भूगोल
4. डॉ0 सविन्द्र सिंह ; पर्यावरण भूगोल

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 95-96

वैदिक कालीन भोजन व परिधान : अथर्ववेद के परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 रूपेश कुमार सिंह*

*असि0 प्रो0, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, एम0एच0डी0 महाविद्यालय, तरवारा, सिवान, बिहार

सारांश : यह अध्ययन वैदिक कालीन भोजन व परिधान : अथर्ववेद के परिप्रेक्ष्य में रेखांकित करता है। यह शोध पत्र ऐतिहासिक शोध प्रणाली पर आधारित है। यह अध्ययन विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देता हैं।

मुख्य शब्द : वैदिक युग, अथर्ववैदिक युग, आदिकालीन भारतीय वाड़मय, साहित्य परम्परा आदि ।

वेद न केवल आदिकालीन भारतीय वाड़मय एवं ज्ञान–विज्ञान साहित्य परम्परा और जीवन पद्धति के आनुभविक उहापोह के आद्य स्त्रोत ग्रन्थ हैं बल्कि विश्व चिन्तन परम्परा में भी उनका स्थान और महत्व जीवन के बहुआयामी पक्षों का निरूपण और आयोजन हुआ है। अथर्ववैदिक युग तक भारतीयों की एक विशिष्ट जीवन–शैली प्रतिष्ठित हो चुकी थी। लोग अधीवांस में बसने लगे थे और विविध प्रकार के उद्यमों और कार्य–व्यापारों के कारण जीवन–शैली का विकास हो चुका था। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि तात्युगीन जीवन–यापन परम्परा का आज के भारतीय पारम्परिक जीवन विधा पर भी प्रचुर प्रभाव है। जहाँ भोजन व वस्त्र मानव की मौलिक एवं शारिरिक–भौतिक आवश्यकताएँ होती हैं वही अलंकार एवं मनोरंजन उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रारूप हैं। संतुलित एवं सौन्दर्यपूर्ण आहलादित जीवन के लिए इन सभी आवश्यकताओं की सम्पूर्ति अपेक्षित है। संतुलित भोजन से ही दीर्घायु एवं आरोग्य की प्रप्ति होती है। अथर्ववैदिक काल में खेती–बाड़ी पशुपालन व्यापार एवं विविध वन्य क्षेत्रों से कंद–मूल के रूप में प्राप्त पदार्थों की प्राप्ति के कारण लोगों के भोजन में प्रचुर विविधता आ गयी थी। अन्न, दाले, तेल, दूध, घी, मक्खन, पशु–माँस, पक्षियों के मांस, गुड़, गन्ने, का रस, कन्द–मूल, फल, मधु, आदि के अतिरिक्त सोमरस एवं विभिन्न प्रकार की सुरा भी उपल्ब्ध थी। खाद्यान्नों में विभिन्न प्रकार के चावल, जौ, सावाँ आदि छोटे अन्न और गेहूँ प्रमुख अन्न थे। दालों में उड़द, मूंग, मसूर एवं चना, तिलहन में तिल एवं सरसों, मीठे पदार्थों में ईख से प्राप्त शर्करा, गुड़, रस और वनों से प्राप्त मधु तथा कंद–मूल फल अब उपयोग में आ रहे है। उपर्युक्त पदार्थों का भोजन तैयार करने के लिए विविध पाक–प्रारूपों का विकास हो चुका था। चावल और जौ प्रमुख एवं प्रिय खाद्यान्न थे। जिनमें अन्य पदार्थों का विविध प्रकार से मिश्रण करके अनेक प्रकार के भोजन तैयार किये जाते थे। इन उभय–खाघान्नों को औषधि एवं अमृत–तुल्य कहा गया है। सामान्यः लोग उबले चावल खाते थे किन्तु विभिन्न प्रकार के मिश्रित पके चावल के भी विवरण मिलते है। घी एवं सोम के साथ पकने से व्रहमोदन, घी और मधु के साथ पकाने से देवोपम ओदन, सुरा के साथ मिलाने से सुरादक, और चावल के साथ चार अन्य पदार्थों–दूध, घी, मधु, और सुरा या सोम–मिलाने से पंचोदन बनाया जाता था। दूध में पकाकर रवीर, दही मिलाकर दध्योदन, मूंग की खीचड़ी, तिल मिला चावल, उड़द की खीचड़ी आदि का उल्लेख मिलता है। रवीर ऋग्वेद काल में भी प्रचलित था। ब्राहम्णों को अनेक प्रकार से चावल पकाकर खिलाने को महापुण्य माना गया है। जौ एवं गेहूँ की रोटी के अतिरिक्त अन्य रूप से उपयोग होता था। ऋग्वेद में यव का उल्लेख है किन्तु गेहूँ का नहीं किन्तु यजुर्वेद काल तक उसका भी प्रचलन हो गया था। चावल या जव के आटे में घी लगाकर पुराकाश बनता था जो यज्ञीय रोटी या पिण्ड के रूप से अभिप्रेत है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, आदि की दालों का भी चावल और रोटी के साथ या पेठे के रूप उपयोग होने लगा था।

पशुओं से भोजन के लिए दूध, दही, मट्ठा, घी, मक्खन तथा मांस प्राप्त होते थे। दूध देने वाली गाय भैसों को आज की तरह ही सुबह–शाम दुहते थे। आमिष भोजन भी प्रचलित था। पक्षियों, गाय–बैल, बकरे, भेड़, हिरण एवं अन्य वन्य पशुओं के माँस तथा मछलियों आदि का उपयोग होता था। यज्ञार्पित मांस का प्रसाद ब्राहम्णा पुरोहित एवं अन्य ब्राहम्ण भी ग्रहण करते थे। ऋग्वेद में भेड़, बैल का तथा उत्तरवैदिक साहित्य में राजा, ब्राहम्ण एवं अतिथि के लिए महोक्ष (बड़ा बैल) एवं महाज (बड़ा बकरा) पकाने का उल्लेख मिलता है। वृहदारण्यक उपनिषद् में बुद्धिमान, विजयी, विद्धान् और दीर्घायु पुत्राकांक्षी माता–पिता को बैल के मांस को पुलाव में पकाकर ताजे घी के साथ खाने का विधान बताया गया है। अजामेध, अश्वमंध एवं गो मेध सदृश यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी और यज्ञाशेष के रूप में उसका भक्षण किया जाता था। सोमरस के साथ सुरा एवं भंग के भी कतिपय उल्लेख मिलते है। सुरा का अधिक सेवन वर्जित था क्योंकि ऐसा करने पर लोग परस्पर झगड़ा करते थे। उस समय लोग भंग भी छानते–पीते थे।

वस्त्रोपयोग के प्रकरण में वर्णित है कि सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के निर्माण और सिलने तथा कसीदा और कढ़ाई करने की क ला विकसित हो चुकी थी। व्यापार से विभिन्न प्रकार के वस्त्र भी प्राप्त होते थे। उस समय लोग प्रायः तीन प्रकार के वस्त्र धारण करते थे – वास, अधीवांस और नीवि। वेदी में वस्त्र के लिए 'वसन' और वस्त्र आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संभवतः वास को कमर के नीचे और अधीवांस को ऊपर धारण करते थे। नीवि आधोवस्त्र या वस्त्र के नीचे का वस्त्र होता था जिसे स्त्री और पुरूष दोनों धारण करते थे। इसके अतिरिक्त लोग आवश्यकतानुसार या शोभा के लिए पगड़ी भी धारण करते थे। राजाओं की पगड़ी सुंदर और अलंकृत होती थी। संभवतः विशेष अवसरों पर सुप्रतिष्ठित महिला सजीली पगड़ियाँ धारण करती थी। बड़े एवं प्रतिष्ठित पुरूष कसीदे एवं कढाई वाले या सोने के धागे से सजाये लम्बी अचकन जैसे वस्त्र भी धारण करते थे। मृगचर्म के परिधान भी उपयोग में आते थे।

वैदिक युग के स्त्री–पुरूष विभिन्न प्रकार के सोने–चाँदी के बने अलंकार धारण करते थे। अथर्ववेद में कुरीर, कुम्ब, निष्क, कर्णशोभन, ओपश, रूक्म, मणि आदि का प्रचलन था। आभूषणों में मोतियों का भी प्रयोग होता था। विभिन्न फूलों या विविध रूप मे उन्हें माला में गूंथकर हार के रूप में अथवा जूड़ों या केशराशि में सजाने का प्रचलन था।

सन्दर्भ :

1. वींह ब्रहमत्व यवमत्तभयोभावमथोतिलम् अथवविद 6–140.2
2. वही 8.7.20
3. शतपथ ब्राह्मण 2.5.3–4
4. अथर्ववेद–11.3.9.5
5. ऋग्वेद–8.77.10
6. अथर्ववेद–4.21.1,3.12.3
7. महाभारत– 1.128.34,2.3.1–3,6.39.14
8. वृहदारण्यक उपनिषद्–8.4.18
9. अथर्ववेद–6.70.1
10. वही–11.6.15
11. वही–10.26.6
12. शतपथ ब्राह्मण 5.3.5–23

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 97-98

वैदिक सोम विज्ञान

डॉ0 प्रमोद कुमार*

***प्रधानाचार्य, श्री गुरूकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, हैदरगढ़, बाराबंकी, उ0प्र0**

सारांश : वैदिक साहित्य में सोम देवता सभी प्राचीन और अर्वाचीन वैज्ञानिकों को आकर्षिक करते रहे हैं। मात्र वैदिकों को ही नहीं अपितु वनस्पतिशास्त्रियों, चिकित्सकों आदि को भी पूर्ण रूप से सोमतत्व का ज्ञान हो पाना सम्भव नहीं हुआ है। सोम के लिए ऋग्वेद नवम मण्डल का सम्पूर्ण सोम का स्तवन करता है। देवताओं की स्तुति मंत्रो के आधार पर इन्द्र और अग्नि के बाद सबसे अधिक मन्त्र सोम देवता के है। वैदिक साहित्य में सोम के दो रूप हैं। पहला देवता रूप दूसरा सोमलता। सोमलता की पहचान अब तक नही हो पायी है। वर्तमान में वैज्ञानिक सोम के किसी एक पक्ष को देखकर अनेक वनस्पतियों, चन्द्रमा आदि को सोम मानने के पक्ष में हैं, परन्तु सोमरस एक पारिभाषिक शब्द प्रतीत होता है जैसे रोग प्रतिरोधक दवाओं को एन्टीबायोटिक कहते हैं।

मुख्य शब्द : वैदिक सोम विज्ञान, वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, सोमलता, सोमरस, सोम देवता आदि।

वैदिक वाङमय के दो तत्व अपनी अलौकिता के कारण विश्व को आश्चर्यचकित करते रहे हैं। इनमें से प्रथम तत्व वैदिक मन्त्रों की सामर्थ्य एवं शक्ति है। इसका कुछ हद तक समाधान ऐतरेय ब्राह्मण के शुनशेप आख्यान से हो जाता है जहाँ मन्त्रों की शक्ति जीवन रक्षक के रूप में प्रदर्शित है। दूसरा जो सबसे अधिक आश्चर्यजनक तत्व है वह सोम है। विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक आज तक यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि वास्तविक सोम तत्व क्या था। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतिपरक मन्त्रों की संख्या के आधार पर सोम का स्थान इन्द्र और अग्नि के बाद तीसरा स्थान है। सोम देवता की स्तुति ऋग्वेद के नवम् मण्डल के सम्पूर्ण 114 सूक्तों में की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य मण्डलों में भी छः सूक्त सोम के विषय में प्राप्त होते हैं। पाँच सूक्तों में इनकी युगल देवता के रूप में स्तुति की गयी है।

ऋग्वेद में प्राप्त आख्यानों के आधार पर सोम को सोमलता, सोमरस अथवा सोम देवता के रूप में देखा गया है। पाश्चात्य वैज्ञानिक हिलब्राण्ट सोम को चन्द्रमा के साथ जोड़कर देखते हैं किन्तु ऋग्वेद के सूक्त सोम को सोमलता का मानवीकरण रूप मानते हैं। वास्तव में सोमलता के प्रभावशाली गुणों के कारण ही वेद में इन्हें देवता माना गया है। ऋग्वेद में सोम के दो स्वरूप दिखाई देते हैं। जिनमें प्रथम उनका पार्थिव स्वरूप है। जो सोमलता का परिचायक है। सोमरस के शक्ति सम्पन्न गुणों के कारण मानवीय गुण भी समाहित हो गये हैं जो उन्हें देवता स्वीकार करते हैं। सोम शब्द की व्युत्पत्ति षु अभिषव धातु से हुई है। **'सोमः औषधिः सुनोते यदेनमभिषुण्वन्ति'** नि0–11/2 अनेक विद्वान सोम शब्द की निष्पत्ति अभिषव, प्रेरणा और प्रसव इन तीन अर्थों में ग्रहण करते हैं किन्तु मूल धातु षु को मानते हैं।[1] ऋग्वेद स्वयं सोम शब्द सृ गतौ धातु से निष्पन्न मानता है।[2] ऋ0–9/113/7,8

ऋग्वेद और अवेस्ता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद का सोम अवेस्ता में ह्ओम नाम से प्राप्त है।[3] आर्य जन सोम की उपासना करते थे जिसे पारसी ह्ओम शब्द से उच्चरित करते हैं। अवेस्ता के अनुसार ह्ओम 'हु' धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ भी सोम के षु के समान है। दोनों ही धातुओं का अर्थ पीसना या दबाना होता है। अर्थात् वह लता जिसका रस पीस कर निकाला जाता था और जिसमें अनेक चमत्कारी गुण थे उस सोमलता के रस को सोम या ह्ओम कहा गया।

वैदिक वाङ्मय में सोम के दो स्वरूप दिखायी देते हैं। उनके दिव्य स्वरूप में सोम उस देवता का नाम है जो सबसे अधिक महान कार्यों को करने वाला है। सभी देवता उसके सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। वह इन्द्र के समान युद्धों का नेता है, युद्ध में एक महान योद्धा की भाँति विजय प्राप्त करता है। सोम को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता– **"अवाह् क युत्यु पृतनासु पप्रिं स्वर्षामत्सां वृजनस्य गोपाम्"**[4] सोम का मानवीकरण स्वरूप ही ऋग्वेद के सम्पूर्ण नवम् मण्डल में प्राप्त होता है। जबकि वास्तव में सोम वैदिक समय में एक पौधा था जिसका रस निकालकर देवताओं को समर्पित किया जाता था। ऋग्वेद में सोम की भौतिक, आधिदैविक और अध्यात्मिक रूपों में अर्चना की गयी है। सोम यज्ञियों की प्रधान छवि है। सोम हवि में सभी देवताओं का भाग रहता था। सोम का पान देवताओं के साथ–साथ मनुष्यों द्वारा भी किया जाता था– **"तव विश्वे सजोषसो देवसः पीतिमाशत मदेषु सर्वधा असि"**[5]

सोमरस अध्यन्त शक्तिदायी था। इसमें विभिन्न गुण समाहित रहते थे। इन समस्त गुणों में उत्साह और उमंग बढ़ाने की शक्ति प्रमुख है। सोम बलवर्द्धक मादक द्रव्य के होने के कारण मत्सर, मदिरा, मदचुत आदि नामों से जाना जाता है। मदकारी द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है– **"एवा पुनान इन्द्रयुर्मदं मदिष्ठ वीतये। गुहा चिछधिषे गिरः"**[6] पीने में यह रस मधुर होने के कारण सोम को मधु[7] कहा गया है। यह रस शक्ति सम्पन्न बनाता है। इसीलिए इसे अमृत के समान माना गया अथवा अमृत का पूर्व शब्द सोम ही रहा होगा। यह ऋषियों को कवित्व प्रदान करता है। इसमें बुद्धि बढ़ाने वाली अदभुत क्षमता थी। सोमपान के उपरान्त वाणी प्रभावशाली हो जाती है।[8] बुद्धि का चमत्कारिक रूप से विकास होता है। कामनाओं को उदीप्त करता है तथा सोमपायी अमर हो जाता है। सोमपान से अन्तः चक्षु खुल जाते हैं और देवताओं के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। सोमरस को बौद्धिक ही नहीं अपितु स्वास्थ्य वर्धक भी माना गया है। इसके द्वारा सभी का कल्याण होता है। औषधियाँ वीर्यवती होती हैं, पशु आरोग्य सम्पन्न होते हैं तथा मनुष्य स्वस्थ रहते हैं– **"स नः पवस्व शं गवे शं जनाय। समर्वतेशं राजन्नोषधीभ्यः।।"** सोम का वर्षा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। सोम वर्षा

के साथ ही समस्त औषधियों में प्रविष्ट होकर उनको अधिक लाभकारी बनाता है।[9] अनेक स्थानों में सोम को अन्न शक्ति को बढ़ाने वाला भी कहा गया है।

सोमरस सभी रोगों का अपशमन करता है यह हितकारी भेषज है। यह नेत्रहीनों को नेत्र व पड्.गु को चलने की शक्ति प्रदान करता है। मानव अंगों का रक्षक व दीर्घायु प्रदान करने वाला है।[10] ऋग्वेद में सोमरस के पान से प्राप्त लाभों का भी वर्णन है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता को मित्र अपने मित्र को सुख प्रदान करता है उसी प्रकार सोमरस ऋषियों को आयुष्य प्रदान करता है। पिये जाने पर उसी प्रकार अंगों में व्याप्त हो जाता है जिस प्रकार पशु रथ में जुत जाते हैं। यह उसी प्रकार आयु की वृद्धि करता है जिस प्रकार सूर्य दिन की वृद्धि करता है। सोम आरोग्य प्रदान करता है तथा रेतस् वर्धक है। सोम काम भावना को उदीप्त करता है वह समस्त संसार में व्याप्त रेतस् को धारण करने वाला है। सोम मनुष्यों के साथ–साथ पशुओं को भी पुष्टता व बल प्रदान करता है।

ऋषियों ने सोम को एक वनस्पति के रूप में ही देखा। मानवीय रूप अथवा देवता होना सोम के प्रति आदर भाव सूचित करता है। सोम को स्वयं मन्त्र में वनस्पति कहा गया है। सोम को श्येन पक्षी स्वर्ग से लाकर पर्वतों पर स्थापित किया। सोम वृक्ष में हजारों शाखाएं 'सहस्र वल्सं होती थीं जो नीचे और ऊपर की ओर उठी हुई रहती थीं सोम के वर्ण के विषय में सर्वाधिक हरित वर्ण कहा गया है किन्तु कहीं–कहीं बभ्रु एवं अरूण भी बताया गया है। सोम को अपने देश में खरीदा जाता था यह यहाँ पर प्राप्त होने वाला पौधा शायद नहीं था। गाय के बदले सोम को खरीदा जाता था। "अरूण्या पिस्याक्रीणति"[11] इसीलिए सम्भवतः वृक्ष हरा रहता होगा धीरे–धीरे उसके वर्ण में परिवर्तन हो जाता होगा।सोम को पत्थरों से पीसकर कलश में मेषलोम की छलनों से छानकर रखा जाता था। इसी रस को यज्ञियों में प्रयुक्त किया जाता था। अवशेष (प्रसाद) रूप में मनुष्य पान करते थे। सोम को कहीं पर परिष्कृत रूप में एवं अन्यत्र दुग्ध, दधि, यव, मधु अथवा जल के साथ प्रयोग किया जाता था। आयुर्वेद ग्रन्थों में सोम के प्राप्त स्थानों का भी वर्णन है– हिमालय, सहस, महेन्द्र, मलय, श्री पर्वत देवगिरि, देवसह, पारिपात्र, विन्धय, देवसुन्द, हद आदि सोम के प्राप्त स्थान कहे गये हैं।

इस अलौकिक वनस्पति के विषय में अब तक उचित जानकारी नहीं है। सम्भवत : यह वैदिक काल में ही दुर्लभ हो गयी थी। इस तथ्य को सिद्ध करने के दो आधार हो सकते हैं। वेदों में इसको अत्यधिक महत्व दिया गया है जिसका कारण इसका स्वास्थ्य वर्धक इसका दिव्य प्रभाव तथा इसकी प्रचुरता से प्राप्त न होना, दोनों हो सकते हैं। महत्व उसी को प्राप्त होता है जो सरलता से प्राप्त न हो। दूसरा आधार ब्राह्मण ग्रन्थों में इसके प्राप्त न होने पर इसके विकल्पों के रूप में अन्य औषधियों के प्रयोग का वर्णन है। विकल्प उसी का दिया जाता है जो दुर्लभ अथवा अप्राप्य हो जाता है। परवर्ती आचार्यों ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जिस कारण आज इस विषय में सटीक जानकारी का अभाव है। परवर्ती वैज्ञानिकों को इसके समकक्ष अन्य औषधियों का ज्ञान हो गया जिस कारण भी सोम रहस्य का ही विषय रह गया। वर्तमान में सोम के स्थान पर उसी गुणों से युक्त अन्य औषधियाँ प्रयुक्त हो रही हैं।

सन्दर्भ :

1. Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute Puna Volume -08
2. ऋग्वेद – 9/113/7– 8 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
3. Etymologies of Yaska -S Verma, Page 58
4. ऋग्वेद – 1/91/21 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
5. ऋग्वेद – 9/18/3 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
6. ऋग्वेद – 9/06/9 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
7. ऋग्वेद – 9/96/13 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
8. ऋग्वेद – 9/32/3 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
9. ऋग्वेद – 10/09/6 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
10. ऋग्वेद – 9/04/6 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
11. तैत्रीय संहिता –6/01/6/7– सातवलेकर तथा सायण भाष्य सहित आनन्दाश्रम पूना–1899

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 99-100

ग्रामीण परिवार की संरचना एवं प्रकार्य में परिवर्तन

डॉ0 (श्रीमती) मोहिनी मौर्य*

*असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : परिवार समस्त मानवीय समूहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सार्वभौमिक एवं आधारभूत प्राथमिक संस्था है। बर्गेस एवं लॉक ने अपनी पुस्तक 'The family' में लिखा है कि "परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक सम्बन्धों से बंधा होता है। ये एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, इसके सदस्य पति–पत्नी, माता–पिता, भाई–बहिन की सामाजिक भूमिका में एक दूसरे से अन्तःक्रिया तथा अन्तः सम्प्रेषण एक सामान्य संस्कृति की रचना करते हैं।" परिवार के दो पक्ष स्पष्ट रुप से देखे जा सकते हैं। (1) संरचनात्मक (Structural) एवं (2) प्रकार्यात्मक (Functional)। परिवार की संरचना पति–पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बनी होती है। इसमें तीन प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध विद्यमान होते हैंः– पति–पत्नी सम्बन्ध जो वैवाहिक प्रकार के हैं, माता–पिता एवं बच्चों और भाई बहनों के सम्बन्ध रक्त सम्बन्ध होते हैं।

मुख्य शब्द : परिवार, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, प्राथमिक, परिवर्तन, समाजीकरण आदि ।

प्रकार्यात्मक रुप से परिवार का निर्माण कुछ मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिवार का उद्देश्य यौन सम्बन्धों का नियमन करना, सन्तानोत्पत्ति करना, उनका पालन–पोषण करना, शिक्षण एवं सामाजिकरण करना एवं उन्हें समाजिक, आर्थिक एवं मानसिक संरक्षण प्रदान करना है। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य सांस्कृतिक रचना, सुरक्षा एवं संस्कृति के हस्तान्तरण में सहयोग प्रदान करना है। प्रत्येक स्थान एवं समाज में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न–भिन्न प्रकार की पारिवारिक संरचनाओं को जन्म दिया है। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार के परिवार देखे जा सकते हैं–(1) नाभिक या केन्द्रीय परिवार (Nuclear family) (2) संयुक्त परिवार (Joint family) (3) विस्तृत परिवार (Extended family) ग्रामीण परिवार कृषि व्यवसाय पर निर्भर होता है। ग्रामों में प्रायः संयुक्त परिवार पाये जाते हैं। इरावती कर्वे ने भारतीय संयुक्त परिवार के परम्परागत कुछ लक्षण दिये हैं। ये लक्षण शास्त्रीय ग्रन्थों और महाकाव्यों पर आधारित हैं। ये लक्षण हैंः–(1) एक से अधिक सदस्य (2) एक ही छत के नीचे निवास (3) संयुक्त अर्थव्यवस्था (4) एक ही देवी या कुल देवता की पूजा (4) और दो या अधिक पीढ़ियॉ कपाड़िया कहते हैं कि संयुक्त परिवार के मुख्य लक्षण– (1) संयुक्त अर्थव्यवस्था (2) दो या अधिक पीढ़ियॉ (3) भावनात्मक एकता। आई0पी0 देसाई दो या दो से अधिक पीढियॉ और संयुक्त सम्पत्ति से सहमत हैं। कोलैण्डा का मत है कि संयुक्त परिवार की संरचना क्षेत्र की संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। औद्योगीकरण, नगरीकण, यातायात के साधनों के विकास, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति, जनसंख्या में वृद्धि तथा कुटीर उद्योग धंधों के ह्रास के कारण संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है एवं एकाकी या नाभिक परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है।

ग्रामीण परिवार की संरचना में परिवर्तन : प्रत्येक समाज में परिवार के दो स्पष्ट पक्ष होते हैं। – एक संरचनात्मक पक्ष (Structural) एवं दूसरा प्रकार्यात्मक (Functional) । परिवार की संरचना पति–पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम तीन प्रकार के सम्बन्ध विद्यमान होते है :–(अ) पति–पत्नि के सम्बन्ध (Husband-wife relation)(ब)माता–पिता एवं बच्चों के सम्बन्ध (Parents-childfren relation) (स) भाई–बहनों के सम्बन्ध (Sibling relation)
प्रथम प्रकार का सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध होता है, जबकि दूसरे और तीसरे प्रकार के सम्बध रक्त सम्बध होते हैं। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी हैं। एक परिवार में वैवाहिक एवं रक्त सम्बन्धों का पाया जाना आवश्यक है। इन सम्बन्धों के अभाव में परिवार का निर्माण सम्भव नहीं है।

ग्रामीण परिवार के प्रकार्य में परिवर्तन : सामाजिक बदलाव की प्रकियाओं की ओर ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि कोई भी समाज चिर–शाश्वत मूल्यों पर आधारित नहीं हो सकता है और उसी तरह भारतीय समाज में भी राजनीतिक आर्थिक प्रक्रियाओं की गतिकी के फलस्वरुप नये प्रतिमानों की स्थापना हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था में सहभागिता के उन्मुख भारतीय समाज में पुराने प्रारम्भिक पूंजीवादी उत्पादन की तरीकों की जगह आज खुली प्रतियोगिता का बोल–बाला शुरु हो गया है। फलस्वरुप घर/ बाहर के घरेलू कामकाज तथा फैक्ट्री या दफ्तर के कामकाज प्रभावित हुए हैं। घर में खपने वाली ऊर्जा घर के बाहर के कामों में लग रही है। अर्थात अधिक से अधिक संख्या में श्रम के बाजार में महिलायें पुरुषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर उत्पादकता बढ़ाने में लग रही हैं। इसका असर परिवार, नातों, रिश्तों तथा घर/बाहर में पायी जाने वाली सत्ता के स्वरुप पर पड़ रहा है। परिवार में पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, माँ–पिता की सेवा अनिवार्य है, छोटे, बड़े के सामने मुँह नहीं खोल सकता है। पहले की इन मूल्यगत मान्यताओं की जगह दैनिक जीवन में नयी मान्यताएं घर कर रही हैं। यातायात एवं संचार के माध्यमों के विकास के फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन की सुविधाएं बढ़ जाने से बड़ी संख्या में भारतीय विदेशों में बस रहे हैं। प्रवास (Migration) की प्रकिया में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है। इन सभी कारणों से परम्परागत परिवार की संरचना एवं प्रकार्यों में परिवर्तन आया है।

ग्रामीण परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में परिवर्तन : परिवार सदैव मानव के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है। व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है, परन्तु वर्तमान में औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार आदि विभिन्न कारणों से परिवार के प्रकार्यो में काफी कुछ परिवर्तन आये हैं। ग्रामीण परिवार के आर्थिक प्रकार्यो में परिवर्तन आया है। भारतीय

गाँव आर्थिक दृष्टि से लगभग आत्म–निर्भर ही हुआ करता था। कृषक अन्न की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करता था और लुहार, कुम्हार तथा जुलाहे जैसे शिल्पकार गाँव समुदाय अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद कई नये व्यवसाय आये, कल कारखाने चले, बाजारों का विस्तार हुआ और नई व्यवस्था ने परम्परागत व्यवस्था का विविधीकरण कर दिया। परिणास्वरुप परम्परागत ग्रामीण परिवार के आर्थिक प्रकार्यो में परिवर्तन आये।

ग्रामीण परिवार के सामाजिक प्रकार्यो में परिवर्तन : प्रत्येक समाज में परिवारों का संगठन इस प्रकार से हुआ है जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य यह सोचकर कोई कार्य करता है कि उसका व्यवहार पूरे परिवार का व्यवहार है। अतः उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिवार की परम्परागत मान प्रतिष्ठा पर कोई ठेस लगे। इस भावना से प्रेरित होकर प्रत्येक सदस्य कार्य करता है। संयुक्त परिवार प्रणाली तो अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी संस्था रही है। घर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति जो आर्थिक उत्पादन में बिल्कुल भाग नहीं ले सकता, उसे परिवार में तब भी सर्वाधिक आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ग्रामीण संयुक्त परिवार अनाथो, वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। परम्परागत परिवार द्वारा किये जाने वाले अनेक कार्यों को आधुनिक परिवार ने छोड़ दिया है। इन कार्यों को अन्य विशेषीकृत अभिकरण ने अपने हाथों में ले लिया है। जैसे अस्पताल बच्चे के जन्म के लिए आवास प्रदान है, नर्सिंगहोम में उसका पालन–पोषण होता है, किंडरगार्टन में उसकी शिक्षा होती है तथा क्रीड़ा के मैदान में वह मनोरंजन करता है। परम्परागत परिवार के अन्य कार्य जैसे भोजन बनाना, कपड़े धोना आदि भी विशिष्ट अभिकरणों द्वारा पूरित किये जाते हैं।

ग्रामीण परिवार के धार्मिक प्रकार्य में परिवर्तन : पहले परम्परागत ग्रामीण संयुक्त परिवार सदस्यों के लिए अनेक धार्मिक कार्य करती थी। वह यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना व्रत एवं त्यौहार तथा धार्मिक उत्सवों के द्वारा धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता था। परिवार के बड़े–बूढ़े सदस्य उपदेशात्मक कहानी, किस्सों को सुनाकर रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रन्थों की महत्वपूर्ण घटनाओं को बताकर बालकों को संस्कारित कर उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण में योग देते थे। ये यथायोग्य उनकी उपासना करते थे। परन्तु वर्तमान समय में परम्परागत ग्रामीण परिवार के धार्मिक प्रकार्यो में अनेक परिवर्तन हुआ है। विज्ञान के प्रभाव बढ़ने के साथ–साथ धर्म का प्रभाव घटा है। अब धर्म के बजाय तर्क की प्रधानता पायी जाती हैं।

ग्रामीण परिवार के राजनीतिक प्रकार्यों में परिवर्तन : पहले भारतीय गॉवों का सामाजिक संगठन जटिल नहीं था। परम्परागत ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख आधार ग्रामीण पंचायतें थी। ग्राम पंचायतें ही न्याय, प्रशासन, स्वास्थ्य, सफाई एवं विकास के कार्यो की देखभाल करती थी। परन्तु वर्तमान समय में परम्परागत ग्रामीण परिवार के राजनैतिक प्रकार्यो में अनेक परिवर्तन हुए हैं।

निष्कर्ष : परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना करना भी कठिन प्रतीत होता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया है। इतनी महत्वपूर्ण संस्था होने के बावजूद आज परिवार का वह स्वरुप नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। परिवार अब आर्थिक एवं आत्मनिर्भर इकाई नहीं है। स्त्रियॉ अब पुरुषों के अधीनस्त नहीं है। वे कारखानों एवं कार्यालयों में काम करती है। परिवार के सदस्यों में वैयक्तिता में वृद्धि हुई है। घर के बाहर काम कर रही स्त्रियों के पास बच्चों के पालन–पोषण एवं देखभाल के लिए समय का अभाव है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण परिवार में अनेक संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक परिवर्तन हुए हैं। आज ग्रामीण परिवार के समाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक प्रकार्यों में अनेक परिवर्तन हुए है।

सन्दर्भ :

1. मिश्रा, डॉ मंजू 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' प्रकाशक : के0एस0के0 पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, 7/26, बेसमेन्ट, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली पेज नं0 52–53
2. मुखर्जी, डॉ0 रवीन्द्र नाथ 'समकालीन उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धान्त' प्रकाशक : विवेक प्रकाशन 7–यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7 संस्करण–2018, पेज नं0 50–51
3. दोषी, एस0एस0; पी0सी0 जैन, 'भारतीय समाज, संरचना और परिवर्तन', प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 337, चौड़ा रास्ता, जयपुर पृ0 संख्या 181
4. लवालिया, डॉ एम0एम0, जैन शशी के0, 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' प्रकाशक – रिसर्च पब्लिकेशन्स, 89 ट्रिपोलिया बाजार, जयपुर–2 पृष्ठ संख्या 110–111
5. सिंह जनमेजय, सिंह डॉ0 बी0एन0 'ग्रामीण समाजशास्त्र' प्रकाशक : 7–यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7 पेज नं0 67, 73
6. बघेल, डॉ डी0एस0 'उच्चतर समाजशास्त्र' प्रकाशक एवं मुद्रक एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस; 3/20–बी निकट तुलसी सिनेमा, आगरा–मथुरा बाईपास रोड, आगरा – 282002 (उ0प्र0) पेज नं0 106
7. अग्रवाल, डॉ0 जी0के0 'सामाजिक अनुसंधान' प्रारम्भिक सांख्यिकी' प्रकाशक एवं मुद्रक : एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस 3/20–बी निकट तुलसी सिनेमा, आगरा–मथुरा बाईपास रोड, आगरा – 282002 (उ0प्र0) पेज नं0 65, 66,
8. सिन्हा, डॉ0 आनन्द कुमार एवं कुमार डॉ0 सतीश 'Teach yourself Sociology' प्रकाशक : भारतीय भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स) ठाकुरबाड़ी रोड कदमकुआ, पटना–800003 पेज नं0 82
9. तिवारी प्रेमाशंकर, 'भारत में सामाजिक परिवर्तन' प्रकाशक : मोहित बुक्स इण्टरनेशनल 4649 बी/21 अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002, संस्करण – 2010 पेज नं0 82

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 101-102

राममय रामरंग

राजीव कुमार*

*शोध छात्र, वि0वि0 संगीत एंव नाट्य विभाग, ल0 ना0 मि0 वि0, दरभंगा, बिहार

सारांश : परमरामानुरागी भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित विलक्षण और विख्यात संगीतज्ञ पंडित रामाश्रय झा 'रामरंग' जी का जन्म 11 अगस्त, 1928 ई0 तदनुसार भाद्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि में मधुबनी जिला के अन्तर्गत खुजरा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता पंडित सुखदेव झा व माता श्रीमती खंजनी झा। प्राचीन मिथिला राज के निवासी, सनातन धर्म के कर्मनिष्ठ ब्राह्मण दाम्पत्य थे। पंडित रामाश्रय झा जी को औपचारिक विद्यालयीय शिक्षा केवल एक या दो तक ही प्राप्त थी। पंडित जी के परिवार का माहौल संगीतपूर्ण और धार्मिकतापूर्ण था। घर में बराबर सांगीतिक कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन होते रहते थे। इन माहौल का इनसे मन–मस्तिष्क पर असर भी पड़ा। ये स्वभाव से धार्मिक थे ही, सज्जन और विद्यानुरागी थे। इसी विद्याग्राहिता का महान गुण इन्हें विद्यासागर बना दिया। औपचारिक पद एवं उपाधि रहित कोई शैक्षणिक प्रमाण–पत्र नहीं था। लेकिन शिक्षा की ऊँचाई हृदय में हिलोरे ले रही थी। इसलिए जैसे किसी बड़े पात्र में बूंद–बूंद ही सही घृत का आगाम बढ़ता जाता है। उसी प्रकार इनका दिव्य भी सारस्वत स्वरूप भी सूक्ष्म से विराट हो गया। राम–मंत्र इनका अभीष्ट मंत्र था। श्री हनुमान जी इष्ट देवता थे। कहा जाता है कि राम के आकार में स्वर का विश्राम होता है। वह स्वर विश्रांति स्थल इनको प्राप्त था। इनके परिवार में गीत–संगीत, भजन–कीर्त्तन एवं धर्म–कर्म आदि का वातावरण होने के कारण घर में अनेक भक्त संतो विद्वानों एवं गुरूजनों का निरंतर आना–जाना लगा रहता था, तथा सांगीतिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि विषयों की चर्चाएँ होती थी जिसके फलस्वरूप पिताजी के आज्ञानुसार उन्होंने घर में ही ऐसे गुणोजनों के सानिध्य में ही रहकर मैथिली, ब्रज, हिन्दी आदि लोक भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। साथ ही संतों की संगति में रहते हुए उनकी वाणी को भी भली–भाँति समझने लगे।[1]

मुख्य शब्द : राम रक्षा कवच, स्वर विश्रांति स्थल, विद्याग्राहिता, विद्यानुरागी आदि।

रामोराजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे,
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोस्म्यहम्।
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर।

प्रस्तुत श्लोक श्री राम रक्षा कवच से उद्धत है। इस श्लोक की विशेषता है कि इसमें राम शब्द के प्रत्येक रूप विद्यमान हैं। आठो कारक में राम का विभक्ति के अनुसार जो भी रूप होगा, वह इस श्लोक में आया है। प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक के पद इसमें उपस्थित हैं। कहने का तात्पर्य यह कि श्लोक में जैसे प्रत्येक चरण विभक्त–विभक्त विभक्तियों के मुताबिक विद्यमान हो गए हैं उसी प्रकार पं0 रामाश्रय झा 'रामरंग' का सम्पूर्ण जीवन–कृत राम से अलग नहीं है। इन्होंने अपना उपनाम भी 'रामरंग' ही रख लिया। इसका आशय यह इनके जीवन की डोर वर्तमान से भविष्य तक रामाश्रित ही है। नाम भी रामाश्रय, कर्म भी रामाश्रित, उद्देश्य भी रामाश्रित, लक्ष्य भी रामाश्रित और लक्ष्य से परात्परता भी रामाश्रित। इसलिए, मेरी नजर में रामरंग जी राममय ही हैं। जैसे व्याकरण शास्त्र का पहला शब्द राम ही है, उसी तरह रामाश्रयीय रामायण का आधारतल भी राम हैं, पुस्तक का कलेवर भी राममय है, और पुस्तक का उद्देश्य भी राम ही है। इनके ग्रंथों में प्रयुक्त स्वरावलियाँ या रागावलियाँ प्रत्येक बंदिश में राम का ही चित्र बनाती है।

एक–एक स्वर से राम का रामत्व संवारा गया है। एक–एक बंदिश से उसे अलंकृत किया गया है। इस क्रम मे नए–नए राग भी उत्पन्न हो गए और सबों का लक्ष्य एक ही है, रामत्व को प्रतिपादित करना। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस इनके मानस पटल पर शब्दशः अंकित है। इसलिए उनका मानस पटल भी राममय है। इनका हृदयस्थल रामत्व का क्रीड़ास्थल है। इनकी सांसों में भी राम का बास है, इसलिए इनकी निर्झरणी से रामत्व का ही स्रोत फूटता है। इसलिए संगीत रामायण साकार हो उठा। संगीत रामायण क्या है? काव्य दृष्टि से यह एक महाकाव्य संगीत दृष्टि से अप्रतिम गायन ग्रंथ है या यूँ कहिए यह संगीत का भी एक महाकाव्य ही है। महर्षि बाल्मीकि के बाद गोस्वामी तुसलीदास के रामकथा लोक में गाई गई, और उसके बाद अर्वाचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वह संगीत रामायण ही है। यदि स्वरों से ताल्लुक बनाया जाय तो साम का निर्माण होता है। और साम की यदि सात्विकी–श्रद्धा से पिरो दिया जाय तो साम राममय हो जाता है। पंडित रामाश्रय झा जी का साम ही राम हो गया है। इनका संगीत सामत्व से रामत्व तक पहुँच गया। यही कारण है कि संगीत रामायण में राम के चित्र के बदले रामत्व का प्रतिपादन करने वाले रामाश्रय का मुक्त चित्र है। इस रामायण मे राम के बदले रामाश्रय जी चित्रित हैं। यदि रामाश्रय, राममय नहीं होते तो राम और रामाश्रय का चित्र एक नहीं होता। मतलब राम यानि रामाश्रय, रामाश्रय यानि राम इन दोनों को एकत्रित करने में श्री हनुमान जी को माध्यम माना गया। ऐसा स्वर्गीय श्री झा जी ने कई जगह पर वर्णन किया है।

पंडित श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, और हनुमान जी ने ही इन्हें रामत्व की प्रेरणा दी, तभी संगीत रामायण एक आकार ले सका। स्वरों का निराकार रूप यदि यत्र–तत्र बिखरे पड़े हों तो वे स्वर ही कहे जाते हैं। यदि स्वरों से ईश्वर का चित्र बनाया जाए तो वह रामाश्रय हो जाता है। स्वर ही ईश्वर हो जाता है। साम ही राम हो जाता है। और तभी साधक को विश्राम होता है। ये ऐसे ही महापुरूष थे, इन्होंने पगडंडी को राज–मार्ग बना दिया। इसीलिए इन्हें राममय बनाने पर कोई आपत्ति नहीं

होनी चाहिए। रामाश्रय झा जी की बाल्यकाल से ही रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों तथा में विशेष रूचि थी। घर में तो भजन—कीर्त्तन गाते ही थे, मंदिर में भी जाकर वह शाम को आरती के समय भजन—कीर्तन और पाठ भी करते थे। यदि गाँव में किसी के घर कोई धार्मिक अनुष्ठान रखा जाता था तो लोग गाने के लिए उन्हें बुला ले जाते थे।[2]

सहज भक्ति का ये लक्षण होता है कि उसमे श्रद्धा, भक्ति, विद्या, संतुष्टि और मुक्ति बढ़ती जाती है। विनम्रता में ये बड़ा गुण मिला है कि वो पात्रता को विशाल बना देता है। यदि भगवत् भक्ति हो तो सोने पे सुहागा बना देता है। वह दिव्य पात्र लौकिक के अलावे अलौकिक हो जाता है। उसमें दिव्यता आ जाती है। पं0 श्री झा जी इन सारे गुणों से परिपूर्ण थे। इसलिए ज्यों—ज्यों भगवत कृपा बढ़ती गई, त्यों—त्यों इनका विद्या का प्रसार बढ़ता गया। प्रतिभा का चमत्कार निखरता गया, दिव्य सुरों का संसार विकसित होता चला गया। यही कारण है कि इनकी बंदिशें सबको भाने लगी, क्योंकि बंदिशों में सुगन्ध होती थीं। इनकी ऐसी एक भी बंदिश नहीं है जिसमें दुर्गन्ध हो।

राम कथा रसिक, राम नाम का प्रेमी, राम स्वर से भींगा हुआ जीवन हनुमत कृपा से सुवासित स्वभाग्य ने इन्हें रामाश्रयीय रामायण रचने की अद्भुत प्रेरणा दी। हालाँकि, इन्होंने विभिन्न प्रकार की बंदिशें रची है। कई—कई बंदिशों में श्रृंगारिकता भी मिलती है। हजारों बंदिशें लिखें हैं जिन्हें अभिनव गीतांजलि के पाँच भागों में संकलित किया गया है। अनन्तर इसके इन्होंने सम्पूर्ण रामचरित का, जो बंदिशमय रागों एवं तालों में जो लिपि चित्र बनाया, वह अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय है। इसकी तन्मयता, तल्लीनता, जिजीविषा एवं सतत् लगनशीलता प्रणम्य है, स्तुत्य है और अनुकरणीय है। जिसका जीवन हरेक दिशा से प्रेरणादायक हो वही तो ऋषि है। शास्त्रों में ऋषि को मंत्र द्रष्टा कहा गया है। इन्होंने जो अपनी अन्तः स्वर दृष्टि से, संगीत जगत को अवदान के रूप में अपना निर्माण दिया है, वह वास्तव में कालजयी रचना है, कालातीत है। जो बिना भगवत् कृपा के संभव ही नहीं है। उन्होंने जीवन के हर पहलुओं से संबंधित, हर ऋतु से संबंधित, हर देवी—देवताओं से संबंधित बंदिशों की रचना की। उनकी रचना—कृति के एक ओर पहलु पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। भारत में राम—कथा गायन की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। परंतु देखा जाए तो सम्पूर्ण राम कथा ख्याल शैली में स्वरलिपिकरण पहली बार गुरूजी के श्री करकमलों द्वारा ही हुआ। उनकी प्रत्येक कृति पर मैं मंत्रमुग्ध रह जाती। ये विलक्षणकारी कार्य कैसे हो पाया। गुरूजी से पूछने पर वे बताते थे कि 'यह तो परमात्मा की प्रेरणा से ही संभव हो पाया। मैं तो केवल माध्यम हूँ। जैसी प्रभु की इच्छा हुई, कार्य होता चला गया।[3] मैं मानता हूँ कि उनकी सांगीतिक उपलब्धियाँ संगीत साधना पथ के पथिकों के लिए युगों तक पाथेय रहेंगे। अभिनव गीतांजलि पांच भागों में तथा संगीत रामायण जैसी कालजयी रचना के प्रणेता परम पूज्य गुरूदेव के संबंध में कुछ भी कहने को उद्यत होते ही मेरी वाणी में स्तंभन, मन में एक अजीब विकलता तथा चेतना में जड़ता जैसे छा जाती है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सार्वभौम व्यक्तित्व की ऊँचाइयों को छू पाने में मेरी चेतना असमर्थ है।

भावों की मसि में जब कलम डुबोता हूँ।
लिख नहीं पाता कुछ भी, नयन भिगोता हूँ।
वो मेरे राम, मसि में रामरंग भर दो।
मेरे भावों को अब तुम अक्षर कर दो।[4]

पंडित श्री रामाश्रय झा जी ने भगवत कृपा या अनुकंपा का कई बार वर्णन किया है। वो भगवत् कृपा से ही प्रत्येक कार्य का संपादन करते थे। इनकी वंश परंपरा में नजर डालने से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण वंश का भगवान पर ही नाम मिलता है। बहुत अफसोस है कि संगीत जगत् में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाकर पं0 रामाश्रय झा 'रामरंग' 01 जनवरी, 2009 को हमेशा—हमेशा के लिए 'राम' में लीन हो गए।[5]

सन्दर्भ :

1. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ. रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण, भाग—1, रामरंग जी का जीवन—परिचय।
2. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ. रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण, भाग—1, रामरंग जी का जीवन—परिचय।
3. गर्ग डॉ. लक्ष्मीनारायण (प्रधान संपादक), गर्ग डॉ. मुकेश (संपादक), कमला बोस (लेखक), संगीत मासिक पत्रिका, अंक जनवरी, 11 पृ. सं. — 43.
4. गर्ग डॉ. लक्ष्मीनारायण (प्र0 संपादक), गर्ग डॉ. मुकेश (संपादक), राम शंकर (लेखक), संगीत मासिक पत्रिका, अंक जनवरी, 11 पृ. सं. — 58
5. गर्ग डॉ. लक्ष्मीनारायण (प्र संपादक), गर्ग डॉ. मुकेश (संपादक), टॉक प्रो. माया रानी (लेखक), संगीत मासिक पत्रिका, अंक जनवरी, 11 पृ. सं. — 13.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 103-105

वर्ण संकर या मिश्रित जातियों में से जातियाँ

डॉ0 संजय कुमार तिवारी*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, राष्ट्रीय पी.जी. कालेज सुजानगंज, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन वर्ण संकर या मिश्रित जातियों में से जातियाँ को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : वर्ण संकर, धर्मग्रन्थों, सामन्नफलसुत्त, जनजातीय समुदायों, वर्णसंकर सत्ता आदि ।

प्राचीन जैन साधु ब्राह्मणों के विपरीत, निम्न वर्ग के परिवारों, जिनमें बुनकर भी सम्मिलित थे।[1] का अन्न ग्रहण करते थे। उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी चारों वर्णों के परिवारों से अन्न माँगने जा सकते थे, अथवा निमंत्रण मिलने पर उनके घर जाकर भोजन कर सकते थे।[2] किन्तु हमें यह मालूम नहीं कि इन धर्मों के साधारण अनुयायी। इस बात में अपने शिक्षकों का अनुसरण करते थे या नहीं।[3]

निम्न जाति के लोग बौद्ध विहारों में जाते थे। कहा जाता है कि यद्यपि मातंग चाण्डाल का बेटा था फिर भी उसने अभय वर प्राप्त किया था जो कितने ही क्षत्रियों और ब्राह्मणों को भी नहीं मिल पाया।[4] एक भिक्षु का वर्णन है जो अछूतों को प्रशिक्षण देता था[5] और एक ऐसे चाण्डाल का जिक्र आया है जिसने गृह विहीन जीवन का वरण किया। फिक का विचार है कि ऐसे धर्मात्माओं का अस्तित्व संदिग्ध है किन्तु पाली धर्मग्रन्थों के इस विवरण में संदेह करने का कोई सुसंगत कारण उन्होंने नहीं बताया है। थेर और थेरी गाथाओं के लेखकों की सूची में कम से कम दो सौ उनसठ थेरो में दस[5] और उनसठ थेरियों में से आठ[6] समाज में ऐसे वर्ग के थे जिन्हें शूद्र माना जा सकता है। इनके अन्तर्गत अभिनता, चाण्डाल, टोकरी बनाने वाले, अहेरी वेश्या और दाशी थे।[7] जैन मठों के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलती, जिससे विदित हो सके कि उनमें निम्न वर्गों के लोगों का अनुपात क्या था? किन्तु यह महत्त्वपूर्ण है कि महावीर की प्रथम शिष्या दाशी थी जो बन्दी बनाकर लायी गयी थी।[8] कहा गया है कि बहुधा धन और शक्ति से अघा जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप लोग घर छोड़ देते थे फलतः निम्न वर्ग के लोग घर का त्याग नहीं करते थे।[9] किन्तु बौद्धों अथवा जैनों के मठों के विषय में इस तथ्य के समर्थ प्रमाण शायद ही मिलते हैं। जैनों के धर्म सिद्धान्त के अनुसार सन्यास धारण करन के कुछ कारणों में अकिंचन्नता, अस्वस्थता, आकस्मिक क्रोध और अपमान आदि थे।[10] जैन साधुओं के गृहस्थों ने जो निम्नलिखित दुर्वचन कहें उनमें हो सकता है कुछ वास्तविकता रही हो जो क्षमण हो जाते हैं वे अधमाधम कोटि के कामगार होते हैं। वे अपने परिवार के भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं वे हीन जाति और हीन कोटि के तथा अकर्मण्य होते हैं।[11] लोग धड़ल्ले से साधु न बनते चले जाय इसके लिए कहा गया है कि जो दुःखी व्यक्ति दूसरों से भोजन प्राप्त करने के लिए साधु बनेगा उसे अगले जन्म में सूअर बनना पड़ेगा जो फेंके गये जूठन की खोज में घूमता फिरेगा।[12] एक बौद्ध ग्रन्थ में बताया गया है कि बिम्बिसार के राज्यकाल में संघ को राजा की ओर से विशेष सुरक्षा प्राप्त थी। जिसके चलते यदा कदा बन्दी, चोर कोड़े पीटे जाने का दण्ड प्राप्त (कशहत) व्यक्ति ऋणी और भागे हए गलाम बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते थे और अभिषिक्त हो जाते थे।[13]

जब ऐसे मामलों की ओर बुद्धदेव का ध्यान आकृष्ट किया गया तब उन्होंने यह विधान किया कि ऐसे लोगों को संघमें प्रवेश नहीं दिया जाय। दीर्घनिकाय के एक परिच्छेद से भी यह स्पष्ट है कि निम्नवर्ग के लोग बौद्ध भिक्षु बनकर अपनी यातनाओं का अंत करना चाहते थे। सामन्नफलसुत्त के एक प्रसंग में मगध के अजातशत्रु ने महावत, साईस, गृहदाशो, रसोइयो, नापितो स्वपाको, हलवाइयों, मालाकारो, धोबियों, बुनकरों, टोकरी निर्माताओं और कुंभकारों को उनके व्यवसायों से[14] मिलने वाले लाभ की चर्चा करते हुए बुद्धदेव से पूँछा कि संघ के सदस्यों को जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यास ले लिया है, वैसा कोई लाभ प्राप्त है या नहीं जो उन्हें अपने व्यवसाय से प्राप्त होता था। उत्तर में बुद्धदेव ने पाँचों इन्द्रियों के सुखों से सम्पन्न राजा के विलासितापूर्ण जीवन और उस शूद्र सेवक के जीवन के बीच व्याप्त विषमता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो देस से सोता जल्दी जागता और हमेशा मालिक के आदेश में तत्पर रहता है। उसे हमेशा यह चिंता रहती है कि उसका हर काम उसके मालिक के रुचि के अनुकूल हो।[15] बुद्धदेव ने यह भी बताया कि ऐसा दाश राजा के समान जीवन की आकांक्षा करने लगता है और उसकी पूर्ति हेतु पुण्य अर्जित करने के लिए कांतवासी बन जाता है।[16] यहाँ बुद्धदेव एकर प्रतिप्रश्न कर बैठते हैं, जिस व्यक्ति को आप साधारण स्थिति में दास या नौकर समझते हैं वही व्यक्ति यदि संघ की शरण में आ जाय तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? राजा ने स्वीकार किया कि उसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर और आसन परिधान, भिक्षापात, औषधी और आवास का प्रबन्ध कर वह उसका आदर करेगा।[17] बुद्धदेव की उपर्युक्त वाणी से यह असंदिग्ध है कि निम्न वर्ग के लोग जो सन्यास अपनाते थे उसके फलस्वरूप उन्हें न केवल तत्कालिक निर्धनता से मुक्ति मिल पाती थी।[18] बल्कि अगले जन्म में सुखमय जीवन बिताने के लिए भी पर्याप्त पूण प्राप्त हो जाता था। उसी परिच्छेद में बुद्धदेव ने कर देने वाले खेतिहर जीवन के गृहस्थ से राजा के विलासितापूर्ण जीवन की तुलना करके बताया है कि उस गृहस्थ के मन में भी सुखमय जीवन की भावना जग सकती है और वह एकांतवासी बनने का निर्णय कर सकता है।[19] यह ध्यातव्य है कि इस सम्बन्ध में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की कोई चर्चा नहीं हुई है।[20] जिससे पता चलता। है कि साधारणतया वैश्यों और इस प्रकार निर्णय से केवल ब्राह्मणों की शत्रुता बढ़ी होगी और निम्न वर्ण के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुँचा होगा।

विभिन्न व्यावसायिक एवं जनजातीय समुदायों को एक सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत रखने के प्रयास के परिणाम के फलस्वरूप भी सामाजिक रूपान्तरण की प्रक्रिया को गति मिली। इसका सर्वप्रथम प्रयास धर्म सूत्रों से प्राप्त होता है। धर्मसूत्रों से विभिन्न व्यावसायिक एवं जनजातीय समुदायों को वर्णसंकर या मिश्रित जातियों के रूप में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बताया गया है। इनका उद्भव श्रम विभाजन की तकनीकि विशिष्टीकरण, विजय एवं जनजातियों के उत्संस्करण के फलस्वरूप सम्भव हुआ होगा। मौर्यकाल में राजनीतिक केन्द्रीयकरण के फलस्वरूप बढ़ी हुई नियमन की शक्ति ने भी इनके उद्भव और विकास में सहयोग दिया होगा।[21]

वैदिक युग के बाद धर्मसूत्रों में गौतम आपस्तम्ब तथा वशिष्ठ ने सवर्ण विवाह को आदर्श माना है किन्तु उनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों की चर्चा भी है।[22] अनुलोम विवाह वे थे जिनमें वर उच्च वर्ण का हो किन्तु कन्या उसके नीचे के किसी वर्ण की हो। प्रतिलोम विवाह में स्थिति विपरीत थी। अर्थात जिसमें कन्या उच्च वरण्ण की हो तथा वर निम्न वर्ण का हो। यह विवाह प्रतिलोम विवाह कहा गया है। यद्यपि वैदिक युग के दृष्टान्तों में दोनों ही प्रकार के विवाहों के उदाहरण हैं। किन्तु इन विवाह की श्रेणी, नाम एवं अन्तर आदि का प्रादुर्भाव धर्मसूत्रों में मिलता है।[23] गौतम धर्मसूत्र के अनुसार अनुलोम क्रम में उत्पन्न वर्णसंकर जाति अम्बष्ठ, उग्र, निषाद पारशव तथा दौष्यन्त थी। बौधायन के अनुसार, अम्बष्ठ, निषाद, उग्र तथा रथकतार थे।[24] वशिष्ठ ने अनुलोम क्रम में अम्बष्ठ, उग्र तथा रथकार थे।[25] वशिष्ठ ने अनुमोम क्रम में अम्बष्ठ, उग्र, निषाद तथा पारशव का उल्लेख किया है। अनुलोम क्रम में उत्पन्न ये जातियाँ मुर्धावसिवत, मृज्यकष्टक, माहिष्य, पारशव, यवन तथा करण थी इस तालिका में यवन विदेशी थे।

प्रतिलोम क्रम में गौतम ने सूत, मागध, आयोगव, वैदेहक, चाण्डाल तथा क्षतृ का उल्लेख किया है। मिश्रित जातियों की विस्तृत तालिका महाभारत के अनुशासनपर्व में मिलती है। परन्तु यह बाद का माना जाता है और इसे दूसरे चरण में उल्लिखित करने का प्रयास किया जायेगा। अर्थशास्त्र में आयोगव, अम्बष्ठ, क्षत्रा, चाण्डाल, मागध, वैदेहक, सूत, कुक्कुट, उग्र निषाद, पुल्कस, वेण, कुशीलव तथा स्वपाक का उल्लेख हुआ है।[26]

वर्णसंकर या मिश्रित जातियों में से जातियों को बौद्ध ग्रन्थों में विशेष घृणा की दृष्टि से देखा गया है। इनके नाम चाण्डाल, पुक्कुस, वेण, निषाद तथा रथकार बताये गये हैं। इनमें सर्वाधिक हीन स्थिति चाण्डालों की थी।[27] इनका उद्भव जनजातीय बताया गया है।[28] आर्येतर लोगों के समूहों का आर्य समाज में स्थान इस आधार पर उठा और गिरा कि वे शक्ति सम्पत्ति और प्रतिष्ठा में किस सीमा तक आर्य अधिपतियों के समकक्ष। खड़े होने से समर्थ हए अथवा आर्य तत्वों को अपनाने में कहाँ तक सफल हुए?

गौतम धर्मसूत्र में चाण्डालों की उत्पत्ति शूद्र पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री से बतायी गयी है।[29] जो प्रतिलोम विवाह का निकृष्टतम रूप था। यह धारणा केवल सैद्धान्तिक प्रतीत होती है। जिसके माध्यम से उन्हें सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया गया। वास्तविकता उनके देशी समदाय से सम्बन्धित होने की ही अधिक है। चाण्डालों की अस्पष्ट भाषा[30] तथा द्रविण कलिंग, शबर, गौड़ तथा गांधार के साथ चाण्डालों का उल्लेख[31] उनके जनजातिय उद्भव को ही प्रमाणित करता है। धीरे–धीरे चाण्डाल अस्पृश्य[32] समझे जाने लगे थे। उनके व्यवसाय अथवा जीविका के साधन के विषय में जातक उन्हें छवदाहक जिण्णपति संधारक तथा कभी–कभी ऐन्द्रजालिक भी बताते हैं। कुछ ग्रन्थों में उनका कार्य अपराधियों को क्रूर दण्ड देना बताया गया है। जिसमें प्राण दण्ड भी सम्मिलित था। याज्ञवल्क्य ने विवाह द्वारा नवीन जातियों के उत्कर्ष के साथ ही परिस्थिति विशेष में उत्पन्न बालक किस जाति का समझा जायेगा याज्ञवल्क्य द्वारा बतायी गयी विभिन्न जातियों को दो भागों में बाँटा गया है।[23]

1. अनुलोम जाति

2. प्रतिलोम जाति

अनुलोम विवाह से छः प्रकार अधोलिखित जातियों का उद्भव हुआ है।

1. ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न बालक की जाति अम्बष्ठ कही गयी है। अम्बष्ठ सम्भवतः प्रादेशिक नाम है जो अनार्यों अथवा उन क्षेत्र में निवास करनेवाली जनजाति के लिए प्रयुक्त होता रहा होगा। विष्णु पुराण में नदी तट निवासी जातियों के सन्दर्भ में अम्बष्ट का वर्णन है मनु ने अम्बष्ठ का प्रधान कर्म चिकित्सा करना बताया है।[24]

2. ब्राहाण द्वारा विवाहिता क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न बालक की जाति का नाम मुर्धावसिनत रखा गया।[25]

3.ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न सन्तान की जाति 'निषाद' या 'पारशव' कही गयी।[26] गौतम ने इसका उद्भव ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य स्त्री से माना है। महाभारत के अनुसार इनका जन्म ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से हुआ था। रामायण से सूचना मिलती कि रामचन्द्र को निषाद राज गृह ने अपनी नौका से नदी के पास उतारा था।[27] यह जाति नाविक का कार्य करती थी। विष्णु पुराण में इसे विन्ध्यशैल का निवासी और पापकर्मा कहा गया है तथा इसकी उत्पत्ति राजा वेग के जंघा स्थान से मानी गयी है।[28] इसका मुख्य कर्म, नाविकी और मछली मारना था। यह भी सम्भवतः अस्पृश्य जाति थी।[29]

1. क्षत्रिय पुरुष और वैश्य स्त्री के सन्तान की जाति को 'माहिष्य' कहा गया क्षत्रिय पिता तथा शूद्र भार्या से उत्पन्न सन्तान को उग्र कहा गया है। गौतम ने इस जाति को वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न माना है।[30] यह जाति भूमि की बिल में से जानवरों को निकालकर जीवन यापन करती थी।[31] यह भी सम्भवतः कोई जनजाति रही होगी।

2.वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न सन्तान की जाति को 'करण' कहा गया है।

सभी जातियाँ सवर्ण पुरुष की विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए उपयुक्त होती थी। ये सभी जातियाँ अनुलोम है और ये वर्ण जाति से कुछ भिन्न समझी जाती थी। किन्तु सातवें या पाँचवें जन्म में इनका उत्कर्ष हो जाता था।[32] अनुलोम सन्ताने निकृष्ट नहीं समझी जाती थी। किन्तु ऐसा लगता है कि ये सब जनजातियाँ थी। जब ये ब्राह्मण धर्म एवं सभ्यता के प्रभाव में आये तो इन्हें समाज में स्थान प्राप्त करने की दृष्टि से सम्भवतः इस प्रकार के विवादों से उनकी उत्पत्ति बतायी गयी।

सन्दर्भ :

1. मझिम निकाय, III, न लाभी अत्रस्य।
2. (वास्ट एण्ड प्रजेंट सं0 6)। पानस्स वत्थस्स थानस्स, पृ० 169–70। अंगुत्तर निकाय II पृ0 85।
3. रामशरण शर्मा–शूद्रो का प्राचीन इतिहास, पृ० 123।
4. आचारांग सुत्त, II, 1.2.2।
5. विनय पिटक III, 184.5 : IV पृ0 80–177।
6. रामशरण शर्मा–शूद्रो का प्राचीन इतिहास, पृ0 124।
7. सुत्तनिपात, 137–138।
8. मलसेकेरा 'डिक्सनरी ऑफ पाली प्रसार नेम्स' I पृ0 174।
9. बोशः पूर्व निर्दिष्ट II, पृ0 285 पाद टिप्पणी।
10. 'हिस्ट्री ऑफ पाली लिटरेचर' की विधि में दी गयी सूची के आधार पर, संगणित, पृ० 508–161।
11. वही III पृ0 501–508, 508–516।
12. जैन : लाइफ ऐज डिपिक्टिड इन कैनन्स, पृ0–107।
13. बोस : पूर्वनिर्दिष्ट, II पृ0 485।
14. ढ़ाणांग, X, 712 परिजुना, रोगिणोतीआ, रोसा और अणादिता पव्वज्जा।
15. शूद्रो का प्राचीन इतिहास–रामशरण शर्मा पृ0 124।
16. सूयगडम् II, 2, 54।
17. वही 1,7,251
18. शूद्रो का प्राचीन इतिहास ,रामशरण शर्मा पृ0 125।
19. विनय पिटक I, पृ0 74–76 .... कारभेदको चोरो .... चोरो कसाहतो तदण्डकम्मो इणायिको........ दासो हर मामले में कहा जाता है : पलायित्वा भिक्खुसु पव्वजितों होति।
20. दीर्घ निकाय I, 51........हथारोहा अस्सारोहा........दासकपुत्ता आलारिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा........ ।
21. वही , 60, दासो कम्मकारो पुव्वड्डायी पच्छाकृनिपाती किकरपटिस्सावी मनापचारी, पिय–वादी, मखुल्लो कको।
22. रामशरण शर्मा–शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ0 125।
23. वही 1, 60, दासो कम्मकारों पुव्वद्ठायी पच्छा– निपाती किकरपटिस्सावी मनापचारी, पिय–वादी, मुखुल्लो कको।
24. रामशरण शर्मा– शूद्रो का प्राचीन इतिहास, पृ0 125।
25. दीर्घ निकाय 1, 61 किस्सको गहपतिको, कार– कारको राशि बढ्ढको।
26. रामशरणरामशरण शर्मा– शूद्रो क प्राचीन इतिहास, पृ0 125–126।
27. याज्ञवल्क्य स्मृति 11, 296 से उद्धृ।
28. आपस्तम्ब धर्मसूत्र– 11,4, 216 से उद्धृ।
29. ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ कास्ट इण्डिया पृ0 59।
30. बौधायन धर्मसूत्र, 11.10.8.16 उद्धत।
31. स्टडीज इन द शोसायटी एण्डमिनिस्ट्रेशन अव ऐंसियंट एण्ड मेडिवल इण्डियन पृ0 158–59।
32. अनुशासन पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ द महाभारत) 249,9।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 106-108

स्वतंत्रयोत्तर काल में कला–संस्कृति के क्षेत्र में डुमरांव राज की स्थिति

अनिल कुमार*
*शोध छात्र, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : डुमरांव राज कला–संस्कृति के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में हमेषा आगे रहा है। स्वतंत्रयोत्तर काल भी इससे अछूता नहीं रहा है और इस काल में भी कई कलाज्ञों ने अपने पहचान राष्ट्रीय–अंतराष्ट्रीय क्षितिज पर बनायी है। जिससे कि इस राज्य की स्थिति मजबूत रही है। स्वतंत्रयोत्तर काल में जमींदारी उन्मूलन बिल लागू कर दिये जाने की स्थिति में न तो अब कोई राज रहा और न हीं जमींदार। इसके डुरांव राज की वंष–परम्परा में महाराजा बहादुर राम रण विजय प्रसाद सिंह के पुत्र महाराजा सिंह अभी भी अपने राज्य की जनता का ख्याल रखते हैं और राज्य में सरकारी स्तर पर अनेक संसाधन हों इसके लिए प्रयासरत हैं। महराजा कमल बहादुर सिंह ने कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के अनेक पदों को सुषोभित किया है। साथ ही बक्सर संसदीय क्षेत्र का दो बार इनके द्वारा नेतृत्व भी किया जा चुका है।

मुख्य शब्द : स्वतंत्रयोत्तर काल ,कला–संस्कृति, जमींदार, डुरांव राज की वंष–परम्परा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों आदि।

महाराजा कमल बहादुर सिंह का जन्म 29 सितम्बर 1926 हुआ था और औपचारिक षिक्षा समाप्त कर इन्होंने अपने सक्रिय जीवन की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। जून 1948 ई0 में डुमरांव इंडस्ट्रीज (प्रा0लि0) का इन्हें निदेषक बनाया गया। डुमरावं इंडस्ट्रीज की प्रमुख संस्था लालटेन फैक्ट्री थी जिसमें एक सौ कर्मचारी कार्यरत थे। इस इंडस्ट्रीज ने मच्छरदानी बुनाई का संयंत्र अगस्त 1948 में स्थापित किया और कक्टूबर 1948 ई0 में लालटेन फैक्ट्री के दायित्व के साथ हीं महाराजा कमल बहादुर सिंह को डुमरांव राज का जेनरल ऑफिसर बनाया गया।

जनरल ऑफिसर के रूप में इनके पास अभियांत्रिकी, ऊर्जा, पारसबाना फॉर्म, रियासत ऑफिस, गेस्ट हाउस, भण्डार के साथ अस्तबल और हाथीखाना, उद्यान तथा भवन था। इसके अलावे और भी अन्य दायित्वों का निर्वहन इन्हें करना पड़ता था। महाराजा बहादुर राम रण विजय प्रसाद सिंह की 1949 ई0 में मृत्यु के बाद महाराजा कमल बहादुर सिंह का सिंहासनारोहण हुआ था। किन्तु सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात् हीं भारी की राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी थीं और भारत स्वतंत्र हो चुका था। बावजूद इसके महाराजा द्वारा डुमरांव राज का विकास अनवरत जारी था। 1952 ई0 में आलू कोल्ड स्टोरेज अपने एक चैम्बर, क्षमता 12000 मन के साथ चालू हुआ और बर्फ निर्माण भी शुरू हुआ। वर्ष की मांग उत्तर प्रदेष के जमानिया से बिहिया तक गंगा किनारे बसने वाले मछुवारों में खूब थी और उस समय की एक बड़ी सफलता इस राज्य की थी। सन् 1957 ई0 में महाराजा द्वारा अनेक प्रषंसनीय कार्य किये गये। एक तरफ जहां आलू स्टोरेज की क्षमता 30000 (तीस हजार) मन कर दी गयी वहीं वर्फ की 80 पट्टियां (स्लैब) प्रतिदिन क्षमता हो गयी। अपने स्वर्गीय पिता महाराजा बहादुर राम रण विजय प्रसाद सिंह के नाम पर 1954 ई0 में महाराजा कमल बहादुर सिंह द्वारा आरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गयी और इसके लिए जजेज कंपाउण्ड आरा की 21 बीघा कीमती जमीन का दान किया गया। इसके अतिरिक्त शाहाबाद एवं उत्तर प्रदेष के बलिया जिलों में भी अनेक शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं को बहुमूल्य दान दिये गये। इस क्रम में बाबू कुंवर सिंह इंटर कॉलेज, बलिया के लिए वहां का बंगला, ऑख अस्पताल, रानीगंज को रानीगंज बाजार भवन, महर्षि विष्वामित्र कॉलेज, बक्सर को चरित्रवन की भूमि का दान महाराजा द्वारा सदाषयतापूर्वक किया गया।

शिक्षा को बढ़ावा देते हुए बालिका विद्यालय के रूप में महाराजा कमल बहादुर सिंह की पत्नी महारानी उषारानी द्वारा रामगढ़ डुमरांव में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना अप्रैल 1954 ई0 में की गयी जो 1956 में उत्क्रमित होकर उच्च विद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके अलावे 1958 में मेथोडिस्ट चर्च को प्रतापसागर में यक्ष्मा अस्पताल के लिए लगभग 23 बीघा जमीन महाराजा द्वारा दान दिया गया। इसी क्रम में क्षेत्र के आमजन की महती आवष्यकता को देखते हुए महाराजा ने अक्तूबर 1959 ई0 में राज अस्पताल डुमरांव में एक्स–रे मेमोरियल बिल्डिंग एवं एक्स–रे विभाग की स्थापना अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर की। इस भव का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी द्वारा किया गया जो डुमरांव के लिए यह एक यादगार समारोह था।

सन् 1960 ई0 में रामगढ़ में स्थित राजमहल और परिसर को अन्य संपत्तियों सहित षिक्षा तथा उसे सम्बद्ध लोकोपकारों के उन्नयन के लिए डुमरावं राज चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया गया। इसी तरह 1966 ई0 में डुमरांव टेक्सटाइल्स लिमिटेड की 12000 तकली (स्पिण्डल्स) के साथ स्थापना हुई और इसे 1969 में चालू किया गया था। डुमरांव टेक्सटाइल्स लिमिटेड का विस्तार करते हुए 12000 तकली से 26000 तकली का किया गया जिसका परिणाम हुआ कि क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध हुए। इस दौरान डुमरांव राज की लालटेन फैक्ट्री संकट में रही और अंततः बिहार सरकार से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलने के कारण लालटेन फैक्ट्री को बंद कर देना पड़ा। वैज्ञानिक कृषि के महाराजा कमल सिंह पक्षधर ही नहीं उनके पोषक भी हैं। कृषि की नयी तकनीक का इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। देष के प्रसिद्ध कृषि केन्द्रों कृषि केन्द्रों का भ्रमण कर उससे प्राप्त जानकारी का उपयोग इनके माध्यम अपने फार्मों में किया गया है। पंजाब कृषि विष्वविद्यालय की कृषि–पत्रिका के ये वर्षों तक ग्राहक रहे हैं जिससे इन्हें कृषि कार्यों और उसके नये तकनीक का अच्छा ज्ञात रहा है।

भोजपुर कोठी में इनका निजी पुस्तकालय हैं इसमें विभिन्न विषयों की बहुमूल्य पुस्तकों का विषाल संग्रह आज भी है। वैसे तो इनके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक रहा है। फिर भी अंग्रजी साहित्य में इनकी शानी नहीं। अंग्रेजी पर इनका असाधारण अधिकार रहा है। क्योंकि हिस्दुस्तान टाइम्स में समय–समय पर विभिन्न सम–सामयिक विषयों पर लिखे इनके आलेख इसके प्रमाण रहे हैं। इसके बाद भी रामचरितमानस इनका प्रिय ग्रंथ रहा है।

संगीत श्रवण का भी इनको बहुत शौक रहा है। भारतीय और पाष्चात्य दोनों प्रकार के संगीत इन्हें प्रिय रहे हैं। यहीं कारण रहा है कि इन्होंने अपने राज्याधिकार क्षेत्र के संगीतज्ञों, कलाकारों तथा कवि–लेखकों को बखूबी प्रश्रय दिया है। महाराजा कमल बहादुर सिंह काल के उन लमाम चोटी के कलाकारों को महाराजा द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डुमरावं राज का नाम रौषन किया है। शहनाई की मधुर धुन से दुनिया को रसपान कराने वाले भारत रत्य उस्ताद विस्मिल्ला खां किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। 21 मार्च 1916 ई0 को डुमरावं के बंधन पटवा रोड के बचई मियां के घर जन्मे उस्ताद विस्मिल्ला खां ने शहनाई से पूरी दुनिया को कायल कर दिया था। डुमरावं राज परविार के संरक्षण में बांके बिहारी लाल के मंदिर में पूजन–आरती के समय शहनाई की मीठे स्वर लहरियों के माध्यम से ईष्वर को रिझाने वाले बचई मियां ने विस्मिल्ला खां को यहीं से शहनाई का रेयाज कराना शुरू किया था।

उस्ताद विस्मिल्ला खां ने शहनाई के सात सुरों से पूरी दुनिया को आनंद से सराबोर किया। न्यूयार्क का वर्ल्ड म्यूजिक इंस्टीच्यूट हो या केन्स का आर्ट्स फेस्टिब, सबने इनकी तारीफ की और दुनिया के ई देषों से उस्ताद को शहनाई वादन के लिए तो आमंत्रण दिया हीं गया, अपने यहां स्थायी रूप से बसाने का भी कई देषों ने आग्रह किया था। भारतीय समाज में शादी एवं अन्य शुभ अवसरों पर घर की ड्योढ़ी तक शहनाई की गूंज को हर घर में पहुँचाने की अथम साधना उस्ताद ने की। शहनाई वादन के क्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि दुनिया में शहनाई की लोकप्रियता का जो मुकाम है वह सिर्फ उस्ताद के प्रयासों का हीं परिणाम है। विस्मिल्ला खां की शहनाई साधना को शीर्ष तक पहुँचाने में डुमरावं राज का काफी योगदान रहा है और वर्तमान महाराजा कमल सिंह ने भी इसके लिए सार्थ प्रयास किये थे।

15 अगस्त 1947 को देष जब आजाद हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई दिल्ली के लालकिले से भी गुंजी थी। भारत सरकार द्वारा शहनाई वादन के क्षेत्र में जहां 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्मभूषण, 1980 में पद्म विभूषण तथा 2001 में भारत–रत्न उन्हें प्रदान किये गये, वहीं 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में फेलो ऑफ संगीत नाटक अकादमी तथा तालार मौसीकी इरान गणतंत्र की ओर से 1992 में उस्ताद विस्मिल्ला खां को पुरस्कृत किया गया था। उस्ताद की जन्म–स्थली तो डुमरांव (बिहार) थी लेकिन कर्मस्थली इनकी वाराणसी (उत्तर प्रदेष) रही और वाराणसी में हीं 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को डुमरावं राज के इस लाल ने गंगा मइया की गोद में सदा के लिए इहलोक से विदा ले लिया। डुमरावं में हीं 15 जनवरी 1925 को राजेष्वर प्रसाद के पुत्र के रूप में जन्मे नृत्य–गूरू बलराम लाल ने लोक कला–संस्कृति को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बिखेरी और अपने अलग–अलग नृत्य–षैली से दुनिया को हत्प्रभ कर दिया। धार्मिक विचार और लोक–संस्कृति के प्रति बाल्यकाल से हीं इनकी आस्था थी। ईष्वर और कला में समान रूप से आस्था रखने वाले इस महान कलाकार की स्कूली षिक्षा सेण्ट्रल स्कूल, वाराणसी में हुई थी। विद्यालय में संगीत अनिवार्य विषय था लिहाजा उनके अंदर का कलाकार जाग उठा। तत्पष्चात् बनारस घराने के महान कलाकार नृत्याचार्य पंडित शुकदेव से कथक नृत्य की षिक्षा ली बलराम लाल ने। इसके बाद लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार पंड़ित कृष्ण महाराज से इन्होंने नृत्य की विषेष षिक्षा प्राप्त की। हालांकि बलराम लाल बतौर नर्तक प्रसिद्ध हुए किन्तु उनकी लोक–गायिकी भी शानदार और प्रषंसनीय नही है। एक जमाने में आकाषवाणी पर उनके गायन की धूम रहती थी। वे आकाषवाणी के स्थापित कलाकारों में एक रहे हैं।

बलराम लाल जी में लोक कला–संस्कृति के प्रति अद्वितीय और अद्भूत भूख थी और यहीं चीज वे अपने षिष्यों में भी देखना पसंद करते थे। वे ओवन तन–मन से षिष्यों को प्रषिक्षण और लोक–नृत्य को बढ़ावा देते रहे मगर इसका जरा भी श्रेय उनके द्वारा नहीं लिया गया। बलराम लाल जी देष के एक ऐसे नृत्य–गूरू थे जिन्हें कत्थक नृत्य शैली में देष के विभिन्न हिस्सों में आमंत्रित किया जाता था। नृत्य–गूरू बलराम लाल की अद्वितीय नृत्य शैली की मुरीद रहीं प्रख्यात कलाकार डॉ0 नागेन्द्र मोहिनी कहती है– ''उम्र के आखिरी पड़ाव पर बलराम जी में स्फूर्ति और कला के प्रति जुनून देखने लायक होता था। लिहाजा उन्हें देखते हीं नये कलाकारों में ऊर्जा और उमंग जाग उठती थी। उनके कई षिष्य आज देष विदेष में ख्याति अर्जित कर रहे हैं और शोहरत की बुलंदी पर है।''

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के होने के बावजूद नृत्य गूरू बलराम लाल मैथिली, अंगिका, बज्जिका आदि भाषाओं के लोक गीतों पर भी समान अधिकार रखते थे। बिहार की चार भाषाओं (भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और बज्जिका) को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार से प्रचारित मान्यता दिलाने में उनका योगदान भरी स्मरणीय हैं आंचलिक भाषाओं के लोकगीत, लोक नृत्य जैसे सोहर, पंवरिया, बधइया, खेलौना, डोमकच, विवाह गीत, संस्कार गीत, होली, जोगिरा, चैती, बारहमासा, कजरी, पूर्वी, झूमर, बिरहा, कुंवर विजयमल तथा धोबिया नाच आदि के विषेषज्ञ एवं जीवित कोष थे नृत्य गुरू बलराम लाल जी। बलराम लाल ने अपने घर को कला केन्द्र के रूप में स्थापित किया। इससे उपलब्धि भी उन्हें खूब मिली और उनकी तीन पीढ़ियां एक साथ मंच पर सक्रिय हुई। मंझिले पुत्र मधुकर आनंद जहां अन्तराष्ट्रीय स्तर के नर्तक हुए वहीं उनके बड़े पुत्र डॉ0 कुमार आनंद शास्त्रीय, सुगम और गजल गायिकी में अव्वल हैं। इसी तरह बलराम लाल के पौत्र संचित आनंद और सौरभ आनंद ने कम उम्र में हीं बतौर बायलिन वादक देष के कई प्रदेषों में प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। दोनों को वादन में भारत सरकार से नेषनल फेलोषिप भी मिल चुका है।

''नृत्यप्रभाकर'' (स्नातक) की डिग्री हासिल करने वाले नृत्यगुरू बलराम लाल का सांगीतिक सफरनामा शानदार रहा है। इनके गुरूओं में पंडित बिरजू महाराज भी शामिल रहे हैं। प्रख्यात नतर्क के अलावा नृत्य षिक्षक तथा प्रषिक्षक रहे बलराम लाल समय–समय पर निर्णायक के रूप में भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। एक ओर जहाँ बलराम लाल जी दैनिक जागरण के बहुचर्चित ''इंडिया'' कार्यक्रम में जज की भूमिका में खूब सराहे गये वहीं बिहार, उत्तर प्रदेष, मध्य प्रदेष तथा भारत सरकार द्वारा आयोजित राजकीय संगीत, नृत्य प्रतियोगिताओं में भी निर्णायक मंडलों के सदस्य रहे हैं। नृत्य गुरू बलराम के सम्मान–पत्र और पुरस्कारों की लम्बी सूची है जिन्हें सरकार और अनेक संस्थानों द्वारा दिये गये हैं। नृत्य गुरू बलराम लाल जती को अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं जिससे कि कला–संस्कृति को मजबूती मिली है और डुमरांव राज का नाम रौषन हुआ है। स्वातंत्र्योत्तर काल में काव्य–कला के क्षेत्र में बहुतायक कवियों का योगदान रहा है।

संगीतज्ञों एवं कवियों के अतिरिक्त बहोरनपुर (षाहाबाद) के चन्द्रमाराय शर्मा, रामवचन द्विवेदी ''अरविन्द'', दुबौली (षाहाबाद) मनोरंजन प्रसाद सिंह, डुरांव तथा रघुनाथ प्रसाद मुख्तार, डुमरांव सहित अनेक कवियों एवं संगीतज्ञों का कला संस्कृति के क्षेत्र में डुमरावं राज के प्रति योगदान रहा है जिन्हें महाराजा बहादुर राम रण विजय प्रसाद सिंह तथा महाराजा कमल सिंह द्वारा समय–समय पर सम्मान मिलता रहा है। क्योंकि इन कवियों ने स्वातंत्र्योत्तर काल में कला–संस्कृति के क्षेत्र में डुमरांव राज की स्थिति को काफी मजबूत किया है और इनके साहित्यिक अवदानों को राज–दरबार ने काफी सराहा भी है।

सन्दर्भ :

1. तवारीख–ए–उज्जैनिया– मुंषी विनायक प्रसाद कृत, पृ0 141, 142, 143, 145
2. तवारीख–ए–उज्जैनिया– मुंषी विनायक प्रसाद कृत, पृ0 147, 148
3. ''दैनिक जागरण'' दैनिक समाचार पत्र पटना, दिनांक 21 मार्च 2010
4. ''दैनिक जागरण'' दैनिक समाचार पत्र पटना, दिनांक 21 मार्च 2010
5. ''साहित्य'' (त्रैमासिक) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना दिनांक 09 अप्रैल 2010 पृ0– 13
6. ''भोजपुरी'' (मासिक) बाल हिन्दी पुस्तकालय, आरा
7. ''सम्मेलन–पत्रिका'' (मासिक) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग।
8. ''हिन्दी साहित्य और बिहार'' (द्वितीय खण्ड) पृ0 सं0–110, आचार्य षिवपूजन सहाय, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 109-111

प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थान

डॉ. रंजन कुमार*
*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, नालंदा कॉलेज, बिहारशरीफ

सारांश : भारतीय धरा धरती प्राचीन काल से ही अपने दिव्य आभा एवं संस्कृति से विश्व को आलोकित करती रही है। इसने विश्व को एक नयी दिशा दी है। यही कारण है कि यहाँ विश्व के कोने–कोने से छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम ऋषि मुनियों का आश्रम जरूर था; जहाँ शिष्य को वेद, दर्शन एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता था। कालान्तर में विद्वानों के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययन का केन्द्र बनाया गया। प्रस्तुत शोध निबंध में प्रमुख शिक्षा केन्द्रों को एक जगह श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर इन शिक्षा केन्द्रों के विकास में बौद्ध धर्म के योगदान पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : गुरूकुल, वैदिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म, विहार, भिक्षु, प्राचीन शिक्षा केन्द्र आदि।

भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षण संस्थाओं के उद्भव एवं विकास में बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक परम्परा में ऋषि प्रव्रज्या ग्रहण कर जंगल में रहते थे। परन्तु बौद्ध धर्म में आश्रम संस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। तथागत ने मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए योजना बनाई थी, पर उसमें गृहस्थाश्रम के लिए स्थान नहीं था। बालक सीधे संघ में प्रवेश करता था। भिक्षु नगरों में भिक्षापात्र लेकर भिक्षाटन करते तथा जनता से सम्मानित भी होते थे। बौद्ध धर्म में प्राचीन जीवन क्रम तथा अभ्यास को प्रतिष्ठित किया गया। विहार में बैठकर शांतिपूर्वक भिक्षु अध्ययन, चिन्तन तथा मनन करते थे। कालांतर में यही विहार शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। प्राचीन गुरूकुल प्रथा की जगह बौद्ध शिक्षण संस्थाओं ने ले लिया। अब प्रारंभिक शिक्षा से ऊँच श्रेणी की शिक्षा विहारों में दी जाने लगी ।

प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों का उल्लेख अनेक बौद्ध ग्रंथों में प्रतिष्ठित है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में तथा उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात् तक कई शिक्षण केन्द्रों के बारे में पता चलता है और कुछ संभावनाओं के गर्त में दबे थे। बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षण–संस्थाओं में नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, तेल्हारा, उदंतपुरी, सोमपुर, विक्रमपुर विहार, जगद्दल महाविहार, पुष्पगिरी, वाराणसी एवं अशोका राम आदि का नाम प्रमुख है।

नालन्दा विश्वविद्यालय : बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध (623–543 ई. पू.) के समय में नालन्दा राजगृह के पड़ोस में स्थित थी। नालन्दा को राजगृह की 'वाहिरिका' कहा गया है जो परम ऐश्वर्यवाली, समृद्धशालिनी और अनेक भवनों से युक्त सुन्दर उपस्थली थी। भारत में जिन प्राचीन शिक्षण–संस्थानों का पता चलता है, वे सभी नालन्दा महाविहार (400 ई. स.) के पश्चात् स्थापित हुए थे। यहाँ की इमारतों में विहारों की संख्या अधिक है। अब तक 11 विहार प्रकाश में आ चुके हैं। नालन्दा में कई एक विहार शिक्षण कार्य में लगे थे तथा ऊँची श्रेणी की शिक्षा भी दी जाती थी। इस कारण नालन्दा महाविहार विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। महाविहार में प्रवेश पाने की अभिलाषा लेकर तिब्बत, चीन, कोरिया, जावा, सुमात्रा, मध्य एशिया और सिंहल द्वीप तक के छात्र आते थे। इन सभी को प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता था। नालन्दा महाविहार में 10 हजार विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध था तथा 1000 भिक्षु यहाँ अध्यापन कार्य करते थे। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में बौद्ध धर्म, कृषि, तंत्र–मंत्र शास्त्र, शब्द विद्या (व्याकरण), दर्शन योगशास्त्र, शिल्पविद्या, चिकित्सा शास्त्र, सांख्य, उपनिषद् आदि प्रमुख थे। विद्यार्थी और उनके आचार्य परस्पर गूढ़ विषयों पर बातचीत करते थे और उसका कुछ न कुछ समुचित हल निकाल लेते थे। महाविहार के आचार्यों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबन्धु, आसंग, राहुलभद्र, दिङ्गनाग एवं शीलभद्र अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे। नालन्दा के भिक्षुगण अपने पांडित्य के लिए जितने विख्यात थे, उतने ही अपने निर्मल चरित्र तथा अध्यात्म–ज्ञान के लिए भी। नालन्दा केवल भिक्षुओं का निवास स्थान न रहा बल्कि शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय : विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में बंगाल के पालवंशीय शासक धर्मपाल ने बिहार प्रदेश में स्थित भागलपुर से 25 मील दूर की थी। पूर्वमध्य युग के शिक्षा केन्द्रों में इस विश्वविद्यालय का विशेष ख्याति थी। अनेक बौद्ध मंदिरों और बिहारों का निर्माण यहाँ कराया गया था। उन बिहारों के कक्षों में व्याख्यान का काम होता था। इस विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्वानों में दीपंकर भिक्षु का नाम प्रमुख था। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। दसवीं सदी में यहाँ विद्यार्थियों की संख्या नालन्दा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से किसी प्रकार कम नहीं थी। धर्मपाल ने यहाँ 108 आचार्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय का समस्त व्यय बड़े–बड़े लोगों के दान और भेंट पर आधारित था। आवास और भोजन का प्रबन्ध विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता था। छः द्वार पण्डितों की समिति द्वारा इसका संचालन होता था जिसका प्रधान महास्थविर होता था। मुस्लिम आक्रमण के कारण भारतीय शिक्षा मंदिरों का विनाश हुआ। उनमें विक्रमशिला भी था, जिसे 1203 ई. में बख्तियार खिलजी ने तोड़कर और जलाकर नष्ट कर दिया था।

वल्लभी विश्वविद्यालय : वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र (गुजरात) काठियावाड़ के समुद्र के निकट स्थित था। वल्लभी एक ध्वस्त अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह के साथ–साथ प्रमुख बौद्ध शिक्षा केन्द्र था। छठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल

इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। इस शिक्षा केन्द्र में सर्वप्रथम विहार का निर्माण राजकुमारी टड्डा ने कराया था। कालांतर में दूसरा विहार राजा धरसेन ने 580 ई. में बनवाया था जिसका नाम श्रीबप्पपाद था। इस बिहार का निर्देशन और प्रशासन आचार्य स्थिरमति करते थे। ह्वेनसांग ने यहाँ 100 बिहारों और 6,000 भिक्षुओं का वर्णन किया है ।

तक्षशिला विश्वविद्यालय : प्राचीन भारत का यह शिक्षा केन्द्र वर्त्तमान रावलपिण्डी से पश्चिम की दिशा में लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित है। सर जान मार्शल इसे सिन्धु और झेलम के मुहाने पर स्थित बतलाते हैं। पाणिनी एवं चाणक्य यहीं के छात्र थे। भगवान बुद्ध के समकालीन वैद्य जीवक कुमार एवं महाराज प्रसेनजित् तक्षशिला के ही स्नातक थे। यहाँ काशी, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी के छात्र अध्ययन करते देखे जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्वरूप आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में था। यहाँ दूर–दूर के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। तिलमुट्ठी जातक से विदित होता है, कि यहाँ 500 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला में उच्च शिक्षा की ही पढ़ाई होती थी। यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, किन्तु आयुर्वेद, धनुर्वेद तथा हस्ति–सूत्र की पढ़ाई के लिए इस शिक्षण–संस्थान को एकाधिकार प्राप्त था। यहाँ के आचार्य तीनों वेद एवं अष्टादश शिल्पों में पारङ्गत थे। इत्सिंग ने लिखा है कि शिष्यों का समस्त भार अध्यापक पर था। बौद्ध शिक्षकगण रूग्ण विद्यार्थी की सुश्रूषा करते थे। बौद्धों की इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली ने सुदूर प्रदेशों से विद्यार्थियों को आकर्षित कर विहार को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के योग्य बना दिया।

तेल्हारा विश्वविद्यालय : दुनिया की प्राचीन विश्वविद्यालय अब तक नालन्दा विश्वविद्यालय को माना जाता है। लेकिन हाल ही में बिहार के नालन्दा जिले की खुदाई में तेल्हारा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। पटना से इसकी दूरी 63 कि. मी., बिहारशरीफ से 35 कि. मी. और जहानाबाद से 22 किमी. है। बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा मामले के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि खुदाई से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि तेल्हारा विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पुराना है।

किशोर ने कहा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सातवीं शताब्दी में तेल्हारा का दौरा किया था और उन्होंने अपने लेख में इसका जिक्र 'तेलेत्का' के रूप में किया है। पुरातत्वविदों ने उस ईंट की खोज की है जिसे इस प्राचीन विश्वविद्यालय के नींव के रूप में उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा, ''ईंट का परिमाण 42 x 32 x 6 सेंटीमीटर है, जिससे पहली शताब्दी के कुषाण काल के प्रभाव का खुलासा होता है। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि चौथी शताब्दी के नालन्दा और छठी शताब्दी के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तेल्हारा विश्वविद्यालय प्राचीन है।'' उन्होंने कहा कि यहाँ 100 साक्ष्य मिले हैं।

ओदन्तपुरी : ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 730 ई. में पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम के समय हुई थी । प्रो0 आर. सी. मजूमदार इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल शासक धर्मपाल को देते हैं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक सीधी ढलान वाली पहाड़ी पर स्थित था और नीचे मैदान से देखने पर यह एक 'उड़ती नगरी' जैसा लगता था। यह पंचानन नदी के किनारे हिरण्यपर्वत नामक पहाड़ी पर स्थित था। इसकी पहचान वर्त्तमान बिहारशरीफ नगर के समीप एवं नालन्दा के लगभग 6 मील दूर स्थित एक स्थल से की गई है।

तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार, ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 छात्र थे। यह विश्वविद्यालय वज्रयान सम्प्रदाय तथा तन्त्र विद्या का केन्द्र था। ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली विद्वानों एवं विद्यार्थियों का गढ़ था। विक्रमशिला के आचार्य श्री गंग यहाँ के छात्र रह चुके थे। यहाँ धर्मरक्षित, चन्द्रकीर्ति और शीलरक्षित नामक प्रसिद्ध विद्वान थे। यहाँ के विद्वान भिक्षुओं द्वारा प्रचूर मात्रा में साहित्यिक कृतियों की रचना की गई थी। यही नहीं, यहाँ एक नई लिपि काभी विकास हुआ और यह लिपि काफी समय तक उत्तर भारत में बौद्ध ग्रंथों की रचना के लिए मानक लिपि के रूप में प्रयुक्त होती रही। यहाँ के बौद्ध भिक्षु प्रभाकर ने 'सामुद्रिक व्यंजन वर्णन' नामक ग्रंथ का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था।

सोमपुर : सोमपुर भी पालयुग में बंगाल का प्रमुख शिक्षा केन्द्र था। इसकी पहचान वर्त्तमान बंगला देश के नवगाँव जिले में स्थित पहाड़पुर से की जाती है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल चुका है। सोमपुर महाविहार नालन्दा की परम्परा पर आधारित था। दोनों महाविहारों के स्थापत्य में भी साम्य था। आठवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय करीब 27 एकड़ में फैला था। इस महाविहार के भग्नावशेष एक वर्ग मील के क्षेत्र में फेले हुए हैं। इस महाविहार का एक विशाल प्रवेश द्वार था तथा महाविहार के चारों ओर ऊँची दीवार थी। पूजागृह एवं ध्यानकक्षों के अतिरिक्त यहाँ भिक्षुओं के लिए 177 कक्ष भी बने थे। भग्नावशेषों में तीन–मंजिला इमारतों के अवशेष भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़े भोजनकक्ष तथा रसोई के भी प्रमाण मिले हैं। इस विश्वविद्यालय की ख्याति लगभग 750 वर्षों तक रही। मुस्लिम आक्रमणों के समय अन्य महाविहारों की भाँति इसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया।

विक्रमपुर विहार : विक्रमपुर विहार वर्त्तमान बंगला देश की राजधानी ढाका से 13 मील दूर दक्षिण में मुंशीगंज जिले के रघुरामपुर गाँव में स्थित था। विक्रमपुर बंगाल का सबसे पुराना राजधानी था जिसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। 'अग्रसर विक्रमपुर फाउण्डेशन' नामक एक सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन एवं जहाँगीरपुर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ लगभग चार वर्षों तक उत्खनन कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप दिनांक 23 मार्च 2013 को इस महाविहार के अवशेष मिलने की घोषणा की गई। बंगला देश की संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्य हेतु वित्त की व्यवस्था की थी। उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह महाविहार लगभग 1000 वर्ष पुराना है। दीपंकर श्रीज्ञान अतिश के समय यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था और लगभग 8000 विद्यार्थी एवं आचार्य यहाँ पठन–पाठन के हेतु आते थे। इनमें चीन, तिब्बत, नेपाल और थाइलैण्ड से आए हुए विदेशी विद्वान और छात्र भी सम्मिलित थे।

जगद्दल महाविहार : नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तुलना में जगद्दल विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। सर्वप्रथम ए. के. एम जकारिया ने उन पाँच संभावित स्थलों का निरीक्षण किया जो 'जगदल' या उससे मिलते जुलते नाम से

प्रसिद्ध थे। करीब एक दशक में यूनेस्को के तत्वावधान में किये गये उत्खनन कार्य से यह सिद्ध हो चुका है कि यह स्थल एक बौद्ध महाविहार था। पालशासक रामपाल (1077–1129 ई.) को इसका संस्थापक माना जाता है। जगद्दल महाविहार पाल शासकों द्वारा किया गया सबसे बड़ा निर्माण कार्य था। उस समय के पाल दरवार के प्रसिद्ध कवि सन्धाकरनन्दिन ने जगद्दल महाविहार का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है।यह बौद्ध धर्म की तंत्र विद्या का केन्द्र था।

पुष्पगिरि : पुष्पगिरि विश्वविद्यालय (महाविहार) वर्त्तमान ओड़िसा राज्य (प्राचीन कलिंग राज्य) में कटक एवं जाजपुर जिलों में स्थित था। इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व ई. पू दूसरी सदी से लेकर ग्यारहवीं सदी तक रहा। इसके अवशेष महानदी के डेल्टा से 90 कि. मी. दूर लांगुडी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 639 ई. में इस महाविहार के दर्शन किये थे और इसे पुष्पगिरि महाविहार के नाम से वर्णित किया गया है। मध्यकाल के तिब्बती लेखों में भी इस महाविहार का उल्लेख मिलता है। नागार्जुनकोण्डा के अभिलेख में भी इस महाविहार का उल्लेख है।

वाराणसी : प्राचीन काल से ही वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ तीनों वेद और अठारह शिल्पों की पढ़ाई होती थी। वाराणसी विद्यालय की एक विशेषता का उल्लेख कटाहक जातक में मिलता है कि वाराणसी में उच्चतर शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। तभी तो हम यहाँ एक सेटि्ठ पुत्र के साथ–साथ दास को भी लेख, गणना एवं व्यापार की शिक्षा प्राप्त करते देखते हैं। ई.पू. 6वीं शताब्दी में वाराणसी भारत के महत्त्वपूर्ण शिक्षण–संस्थानों में से एक थी। अशोक के संरक्षण में वाराणसी के निकट सारनाथ प्रमुख शिक्षण–केन्द्र बन गया था।

अशोकाराम : सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कार्य इन्द्रगुप्त नामक भिक्षु की देखरेख में हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अशोकाराम को पाटलिपुत्र नगर के दक्षिणपूर्व में स्थित बतलाया है। सम्राट अशोक के समय यहाँ हजारों की संख्या में छात्र बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा पाते थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी बिहार में हुई और कथात्थु नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की गई। मिनाण्डर के समय में भिक्षु नागसेन यहीं धम्मरक्खित थेर से त्रिपिटक के अध्ययन के लिए आये थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध शिक्षण–संस्थान के रूप में अशोकाराम का काफी योगदान रहा है।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध पत्र के सम्यक अनुशीलन से विदित होता है कि शिक्षण–संस्थाओं के उद्भव एवं विकास में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बौद्ध विहार एवं गुफाओं में शिक्षा पद्धति का श्रीगणेश हुआ। बौद्धकाल के ये शिक्षण–संस्थान भारत के इतिहास में अपना खास स्थान रखते हैं। नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला, तेल्हारा, ओदंतपुी एवं वाराणसी का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिये जाते हैं। आज इन्हीं प्राचीन विश्वविद्यालयों के स्थान पर देश के कोने–कोने में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है ताकि उच्च शिक्षा को विकसित किया जा सके। यानि बौद्ध मठ, विहार एवं गुफाएँ ही वर्त्तमान शिक्षण–संस्थान के मूल स्तम्भ हैं जिसकी नींव पर आधुनिक शिक्षण संस्थान का क्रमशः विकास हुआ है।

सन्दर्भ :

1. मिश्र, डॉ. जयशंकर : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1986, पृ0 554
2. शास्त्री : नालन्दा एण्ड इट्स एपिग्राफिक मैटेरियल, पृ0 11
3. वाटर्स : चुवान च्यांग, पृ0 165
4. वील, एस. : लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, पृ0 123–24
5. ज. व. ए. सी.–5, कलकत्ता, पृ0 7
6. मिश्र, जयशंकर : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना,1986, पृ0 559
7. थेरगाथा, भाग–2, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, पृ0 138
8. कौसल्यायन, भदन्त आनंद : महावंश (हिन्दी अनु.), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आगरा, पृ0 317
9. अल्तेकर, ए. एस. : प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, वाराणसी, 1956, पृ.–82
10. काश्यप, जगदीश (सं.) : महावग्ग, पालि प्रकाशन मंडल बिहार सरकार, पटना, 1959, पृ0 287
11. भिक्षु धर्मरक्षितः : जातक कथा, पृ0 186
12. कश्यप, जगदीश : चुल्ल धनुग्गह जातक, सुसीम जातक, पालि प्रकाशन मंडल, बिहार सरकार पटना–फासवाल द्वारा संपादित लंदन 1877–79

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 112-114

औपनिवेशिक भारत में पत्रकारिता

विनय कुमार*

*सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बुढ़नीचक, बाढ़, पटना, बिहार

सारांश : ब्रिटिशकालीन भारत में विकसित पत्रकारिता एक प्रमुख जन माध्यम रहा है। औपनिवेशिक भारत में कई ऐसे साधन रहे जिनका विकास अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता, सहूलियत तथा प्रसार के लिए किया लेकिन देर–सबेर उसका लाभ भारतीयों को भी मिला। इन्हीं साधनो से भारतीयो ने अंग्रेजों के विरूद्ध अपना आक्रोश, उपलब्धि तथा जागरूकता के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। इस बल से देश की सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक एकता को मजबूती मिली तथा कई भागो मे बँटे विभिन्न क्षेत्र एक देश के एकीकरण के रूप मे सामने आए। लोगों के बीच मे आपसी संबंध बने, इन संबधो को अभिव्यक्ति के रूप में शब्द अखबारों ने मुहैया कराए। जनसंचार मे अखबारों की एक बहुत बड़ी भूमिका है और इस भूमिका को और प्रसारित करने में रेलवे ने साथ–साथ एक लम्बा सफर तय किया है जिससे देश की तस्वीर बदल गई।

कुंजी शब्द : औपनिवेषक, पत्रकारिता, भारतीय भाषाओं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, साम्यवादी विचार आदि।

अखबार न सिर्फ अभिव्यक्ति का एक जन माध्यम बने बल्कि आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को गति भी प्रदान की। भारत में ऐतिहासिक रूप से पहला समाचार पत्र दिनांक 29 जनवरी 1780 को अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। यह बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवर्टाईजर के नाम से जाना जाता था। धीरे–धीरे इस प्रक्रिया को गति मिली और अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजों को छोड़कर भारतीय भाषाओ मे एवं समाज के बारे मे भी कई लोगों ने समाचार पत्रों की शुरूआत की। सेरामपुर के विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्समैन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की शुरूआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जून 1818 में इन तीनों ने भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र शुरू किया था, जिसका नाम दिग्दर्शन था। किसी भारतीय भाषा में समाचार पत्र शुरू करने का पहला प्रयास प्रमुख संचारक राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्ष 1821 मे संवाद कौमुदी की शुरूआत की। यह एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें उन दिनो में कलकत्ता मे बुद्धिजीवियो के बीच दर्शनशास्त्र पर वाद–विवादों पर आधारित लेख होते थे। इस प्रकार प्रक्रियाबद्ध रूप से तत्कालीन समय में समाचार पत्रो का विकास हुआ।

हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तण्ड था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। उदंड मार्तण्ड का प्रथम प्रकाशन 30 मई, 1826 में हुआ था। यह समाचार पत्र कलकत्ता में रहने वाले कानपुर के एक व्यवसायी पंडित जुगल किशोर द्वारा शुरू किया गया था। तत्कालीन समय में कलकत्ता देश की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियो का केंद्र था। इसलिए अधिकतर बदलावों की शुरूआत वहीं से हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र में हुई इस उल्लेखनीय प्रगति ने भारतीय प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान इस ओर खींचा और सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जागरण की शुरूआत हुई।

इसी बीच 1857 की घटना ने अंग्रेजों ने पत्रकारिता पर अंकुश व प्रतिबंध लगाने की एक नई प्रक्रिया शुरू की। आगामी वर्षों में विद्रोह के कारणों की पड़ताल करते हुए कई भारतीय प्रेस संचालकों तथा अखबारों को जब्त किया गया। जन जागरण की विकसित लहर ने देश के प्रत्येक हिस्से में पत्रकारिता को और मजबूती प्रदान की। इससे राजनीतिक चेतना बढ़ी और विभिन्न विद्वानो द्वारा अंग्रेजों की नीतियो पर लो गो का ध्यान आकर्षित करने के लिए अखबारो के माध्यम से आं दो लन को आरम्भ किया।

समयांतर में देश के प्रत्येक कोने–कोने से धीरे–धीरे अखबारों के प्रकाशन की संख्या बढ़ने लगी। अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी तथा गुजराती सहित विभिन्न भाषाओ के अखबार विभिन्न भागों से प्रकाशित होने लगे। 1851 मे बंबई मे गुजराती के दो और पत्रों रस्तगोफ्तार और अखबारे सौदागर की स्थापना हुई। 1858 में प्रख्यात राष्ट्रवादी और समाज सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगाली में शोम प्रकाश का प्रकाशन शुरू किया। 1861 मे इंडियन कां उसिल्स ऐक्ट के अंतर्गत पहली बार वैधानिक कार्यवाही मे भारतीयों का सहयोग लिया गया। 1861 मे बंबई में 'टाइम्स आफ इंडिया' की, 1865 मे इलाहाबाद मे 'पायनियर' की, 1868 में 'मद्रास मेल' की, 1875 मे 'कलकत्ता स्टेटस मैन' की और 1876 में लाहौर में 'सिविल ऐंड मिलटरी गजट' की स्थापना हुई। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समाचार पत्रो की षुरुआत हुई।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तत्कालीन समय में शुरू हुए यह विभिन्न अखबार देश की प्रत्येक समस्या को नहीं उठा पा रहे थे लेकिन जिस जागरूकता का असर देश में महसूस किया जा रहा था उसका प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में देखने को मिला। मद्रास में वीर राघवाचारी और अन्य देशभक्त भारतीयों ने अंग्रेजी साप्ताहिक हिन्दू की स्थापना की। इसके प्रकाशन के लिए श्रीनिधि प्रेस, मिंट स्ट्रीट में व्यवस्था की और पहला अंक 20 सितंबर 1878 को निकाला गया।

जब 1887 मे बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता मे मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया, तब हिन्दू राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। दो साल बाद इस अखबार को दैनिक अखबार कर दिया गया। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के जन्म से 1889 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के विकास प्रसार का अनुमान किया जा सकता है। तिलक सुयोग्य पत्रकार थे और उन्होंने केसरी और मराठा (अंग्रेजी साप्ताहिक) की मदद से लोगों के बीच लड़ाकू राष्ट्रीय भावनाओं का

सफल बीजारोपण किया। इसी तरह बंबई मे 1890 में इंडियन सोशल रिफार्मर, अंग्रेजी सप्ताहिक की स्थापना हुई। 1899 में सच्चिदानंद सिंहा ने अंग्रेजी मासिक हिन्दुस्तान रिव्यू की स्थापना की।

1930 और 1939 के बीच मजदूरों, किसानों के आंदोलनों का विस्तार हुआ और उनकी ताकत बढ़ी। कांग्रेस के नौजवानों के बीच समाजवादी साम्यवादी विचार विकसित हुए। इस तरह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई जिसने अपने अधिकारी पत्र के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट का प्रकाशन किया। यह देश में आए वैचारिक परिवर्तनो की लहर थी जिससे लोग रूबरू हो रहे थे। कांग्रेस से जुड़े विभिन्न नेताओ ने अपने–अपने विचारों, कार्यों तथा माध्यमो से लोगों को जोड़ने की कोशिश की। इससे किसानों तथा मजदूरों की राष्ट्रीय आंदोलन मे सहभागिता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर युवा समाजवादी साम्यवादी विचारों की ओर आकर्षित हुए।

अपने जन्मकाल से ही भारतीय राष्ट्रवाद ने जन चेतना के स्फुरण के लिए प्रेस के महत्व को समझा और इसकी स्वतंत्रता को विच्छिन करने के हर प्रयास का घोर विरोध किया। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता का संघर्ष राष्ट्रीय जन संग्राम का अनिवार्य अंग रहा है। प्रेस की आजादी एक ऐसा मौलिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसके लिए अपने विकास के प्रत्येक चरण में भारतीय राष्ट्रवाद ने हरदम संघर्ष किया है। अंग्रेजों के बीच भी स्वतंत्र भारतीय प्रेस विवादास्पद विषय रहा। उन्नीसवीं सदी में बेलेजली, मिटों ऐडम, कैनिंग और लिटन प्रेस की आजादी पर कठोर प्रतिबंध के पक्षधर रहे लेकिन हैसिंटग्स, मेटकाफ, मेकाले और रिपन ने भारत में स्वतंत्र प्रेस का समर्थन किया। दरअसल विभिन्न वायसरायों ने अपने मतानुसार प्रेस पर प्रतिबंध तथा स्वतंत्रता से अपने हित साधने की कोशिश की लेकिन इससे जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस कारण यह कहा जा सकता है कि दमन से आक्रोश पैदा हुआ और स्वतंत्रता से लोगों की प्रेरणा मे बढ़ोत्तरी हुई।

भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में प्रेस का महत्व इस बात से ही स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, गोखले, तिलक, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सी. वाई. चिन्तामणि, एम. के. गाँधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक लोगों ने नैतिक मूल्यों संबंधी अपने विचारों के प्रसार के माध्यम रूप में प्रेस का उपयोग किया। इस तरह भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय भाव और चेतना के उदय और उत्थान में उनके राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन और विकास में, प्रादेशिक साहित्यों और सांस्कृतियों की सृष्टि और विभिन्न देशों के साथ बंधुत्व की स्थापना मे प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता ने आंदोलनात्मक और संगठनात्मक रवैया अपनाया। 1884 से लेकर 1947 तक उन्होंने भारत के पत्रकारों को संगठित किया और स्थान–स्थान पर कई अधिवेशन आयोजित किए। इन अधिवेशनों में लिए गए निर्णयो से यह स्पष्ट होता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए वे कृत संकल्प थे। आधुनिक भारत के इतिहास में लोगों को अपने मनोभावो को व्यक्त करने मे अखबारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

तत्कालीन भारत में कई भाषाओं की प्रेस पत्रकारिता की शुरूआत हुई। हिंदी और उर्दू प्रेस के विकास का एक विशेष महत्व है जो भारत में बढ़ती एक नए प्रकार की राजनीति के आविर्भाव तथा इन राजनीतिक क्रियाकलापो में सक्रिय योगदान देने वाले नए वर्गों के उदय की सूचक थी। भारत जैसे देश मे जहाँ कई भाषाएं बोली जातीं हैं, वहाँ पर देशीय भाषा प्रेस के विकास ने एक नई प्रकार की चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। देश के प्रत्येक हिस्से मे क्या घटित हो रहा है इसके लिए स्थानीय भाषा के अखबारों ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई।

औपनिवेशिक भारत में कई समाचार एजेंसियों की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन के लिए आंतरिक राजनीतिक विरोध जारी रहा। जैसे ही सरकारी समाचारों का एकाधिकार इलाहाबाद के अंग्रेजी पायनियर पर हो गया जो पहले ही थोड़ा मर्यादित था, सरकारी गजट के बदले एक स्वतंत्र अखबार था। केशवचन्द्र राय ने 1899 में मद्रास में एक प्रेस ब्यूरो की स्थापना का निर्णय लिया। इस ब्यूरो के आफिस बांबे और कलकत्ता मे भी थे जिन्हें एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडिया (ए. पी. आई.) के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन समय मे देश के मुख्य षहरो मे कई विदेशी समाचार एजेंसियो के केंद्र स्थापित हो रहे थे। ए. पी. आई. का कार्य मुख्य स्थानीय खबरों को इन एजेंसियो तक पहुँचाना था। तत्कालीन देश के विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तियों ने पत्रकारिता की ओर रूख किया। इनमें से एक एस. सदानंद जो महात्मा गाँधी के अधीन यंग इंडिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया, आगे चलकर स्वतंत्र पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1920 के दशक के अंतिम वर्षों और संपूर्ण 1930 के दशक के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर था। स्वतंत्रता प्रेमी और राष्ट्रवादी एस. सदानंद ने 1927 मे फ्री प्रेस आफ इंडिया नामक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी शुरू की थी। इसे शुरू करने का उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों को कवरेज देना था, जो सरकारी नियंत्रण वाली एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडिया नहीं कर सकती थी। यद्यपि (एफपीआई) ने यह दावा किया कि वो एक निष्पक्ष और तटस्थ अखबार एजेंसी है, यह खुले तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का समर्थन करती है जबकि बाद में यह अतिवादी हो गई। देशी भाषाई प्रेस पर अंकुश लगाया गया लेकिन फिर भी भारत के राजनीतिक जनजागरण में अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका को रोका ना जा सका।

देशव्यापी जन आंदोलनों में महात्मा गाँधी के नेतृत्व ने देश के एकीकरण में नई आधारशिला रखी। इसी कड़ी में कांग्रेस के विभिन्न स्थानों पर होने वाले अधिवेशनों में देश दुनिया के पत्रकार तथा मीडियाकर्मी रिपोर्टिंग करने के लिए भी आने लगे। विदेशी मीडिया सहित भारतीय स्थानीय मीडिया एवं प्रेस से जुड़े व्यक्तियों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ती गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने उद्देश्यो को और आगे बढ़ाते हुए 1923 के वार्षिक अधिवेशन में ब्रिटिशकालीन भारत के सभी अखबारवालो तथा सभी न्यूज एजेंसियो के प्रतिनिधियो को बुलाया। वास्तव में 1930 का प्रेस अधिनियम एफ. पी. आई. के लिए एक मौत के झोके की तरह आया था। यह जैसा कि एफ. पी. आई. के द्वारा प्रकाशित अखबारों के टेलीग्राम्स को पहुँचाने के विरूद्ध निर्देशित करता था। लेकिन समय आने पर इस एजेंसी मे भी बदलाव हुआ और यह देश की एक अग्रणी न्यूज एजेंसी बनी।

भारत के राजनीतिक विकास में पत्रकारिता की उल्लेखनीय भूमिका रही। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नीतियों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को बड़े अच्छे ढ़ंग से अपने अखबारों के माध्यम से उठाया। देशी भाषा की प्रेस ने देश के अन्दर कांग्रेस की चेतना का

और प्रसार किया। इससे पढ़े लिखे लोगों के बीच तो देश की राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं जनजागरण की अलख जगी, साथ ही मौखिक संप्रेक्षण के माध्यम से जन सामान्य के बीच भी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार होने लगा। तत्कालीन समय में भारत में कई देशों के पत्रकार तथा संवाददाता आए जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने–अपने देश को रिपोर्ट भेजी। अमेरिका की 'द एसोसिएटेड प्रेस' के प्रोफेसर बर्नाड फ्री मैन एक भाषा विज्ञानी के साथ पत्रकार एवं संवाददाता थे, भारत में पर्चे लिखने के लिए आए। वह एसोसिएटेड प्रेस के लिए भारत के संबंध में लिखते थे।

ब्रिटिशकालीन भारत में धीरे–धीरे बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था को देखने तथा समझने के लिए कई विदेशी लेखक पत्रकार तथा विद्वान समय–समय पर आते रहे। आस्ट्रिया के प्रेस की एक प्रतिनिधि मस ऐलिस आस्ट्रिया की पहली महिला थीं जिन्होंने अपना पेशा फोटोजर्नलिस्ट और यात्रा लेखक के रूप में शुरू किया। वह न्यू फ्री प्रेस, वियना की स्टॉफ सदस्य तथा जर्मनी, हालैण्ड, स्विटजरलैंड एवं अमेरिका के समाचार पत्रो ंकी संवाददाता थीं। उनका मकसद भारत से अन्य देशों को यहाँ की खबरें पहुँचाना था। इसके अलावा वह भारत पर भी लिख रहीं थीं।

ब्रिटिशकालीन भारत में छापेखाने की शुरूआत से लोगों ने एक राष्ट्र की संकल्पना की जिसमे ंअपना इतिहास, अस्तित्व भी स्थापित हुआ। पुर्नजागरण काल में हुए साहित्यिक विकास से लेकर भारतीय पत्रकारिता में स्वाधीनता संघर्ष के स्वर तक राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ। यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि विविधताओं वाले इस राष्ट्र मे ंधर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ लेकिन स्वाधीनता कई मायनों में अनूठी रही। इसने न सिर्फ भारतीय संकल्पना को स्थापित किया बल्कि अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा सामाजिक न्याय से परिपूर्ण एक गणतंत्र को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका अदा की। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अखबारों ने विकास के कई आयाम सिद्ध किए।

सन्दर्भ :

1. विलानिलम, जे. वी., भारत में जनसंचार की संवृद्धि और विकास, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, 2016, पृ. 7.
2. देसाई, ए. आर; भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, 2012, पृ. 178.
3. नटराजन, जे., भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2002, पृ. 137 व 139.
4. दीनानाथ, साहनी, भारत मे हिंदी पत्रकारिता, बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2015, पृ. 99.
5. कुमार, राजीव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं पत्र–पत्रकारिता, बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2008, पृ. 121.
6. मिश्र, प्रो. गिरीश्वर एवं डी. एन. प्रसाद, संचयन–संपादन–गांधी संचलन, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृ. 101.
7. नारायण, कीर्ति, प्रेस, पोलिटिक्स एंड सोसाएटी : उत्तर प्रदेश 1885–1914, मनोहरलाल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1998, पृ. 21.
8. नारायण, प्रेम, प्रेस एंड पोलिटिक्स इन इंडिया 1885–1905, मुशीराम मनोहरलाल, दिल्ली, 1970, पृ. 139.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 115-116

नक्सलवाद : आंतरिक प्रशासन को गम्भीर चुनौती (समस्या एवं समाधान)

डॉ0 धनन्जय सिंह*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, रामनवल सिंह पी0जी0 कालेज, चिरैयाकोट, मऊ, उ0प्र0

सारांश : बीसवीं सदी के महान नेता माओत्से तुंग के नेतृत्व मे चीन की जनता और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछड़े देश मे जनतांत्रिक क्रान्ति और समाजवाद की शुरूवात की थी। उन्होंने मार्क्सवाद, लेनिनवाद का प्रयोग चीन की अपनी परिस्थिति के अनुसार सैद्धान्तिक रूप मे किया था। भारत के नक्सलवादी, विचारधारा के स्तर पर मावोवाद को स्वीकार तो करते है लेकिन उनकी रणनीती माओत्से तुंग के सिद्धांत और कार्य पद्धति से अलग है।

मुख्य शब्द : नक्सलवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनतांत्रिक क्रान्ति, समाजवाद आदि ।

भारत में नक्सलवाद का सम्बर्धन एवं विकास का काल 1960 के दषक में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले मे सिलीगुड़ी के एक सम्भाग से हुआ, जिसमे नक्सलवाड़ी, पंसीदेवा व खरीवाडी जैसे तीन उपक्षेत्र थे इसमे संस्थाल, अरांव तथा राजवंशी जैसी जनजातियो के रूप मे शुरू हुए संघर्ष के कारण 1967 मे इस संघर्ष को नक्सलवादी नाम दिया गया। 1969 मे जिला स्तरीय नेता चारूमजुमदार, कानू सान्याल, जंगल सान्याल के नेतृत्व मे सी0 पी0 आई0 (मार्क्सवादी लेनिनवादी माले) की स्थापना हुई। इन नक्सलवादी आन्दोलन के उद्देष्य थे (1) खेत जोतने वाले को खेत पर हक मिले (2) विदेषी पूॅंजी की ताकत समाप्त की जाय (3) वर्ग और जाति के विरूद्व के संघर्ष। इसके अन्तर्गत शोषित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग अपनी संघर्ष शक्ति से पूॅंजिपतियों, जमीदारों, साहुकारों एवं शासको को षिकार बनाते है और शासक वर्ग की राजसत्ता को लूटना अपना अधिकार समझते है 1970 मे नक्सलवादी आन्दोलन सिर्फ 5 जिलो तक ही सीमित था लेकिन 2005–06 के गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 13 राज्यों की 169 जिलो मे 609 पुलिस थानों में नक्सली हिंसा सूचित की गयी है और आन्ध्रप्रदेष, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड और उड़िसा के अनेक जिलो मे तो इनकी समानान्तर सरकारे तक चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यदि जम्मु कश्मीर, पंजाब, उत्तरपूर्वी राज्यो के सभी उग्रवादी आन्दोलन को एक साथ मिलाकर देखे तो उनके प्रभाव क्षेत्र में देष का कुल 11.09 प्रतिषत क्षेत्र और 4.51 प्रतिशत जनसंख्या ही आती है जबकि नक्सली प्रभावी क्षेत्र मे देष का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र और 35 प्रतिशत जनसंख्या अबतक आ चुकी है। नक्सलवादी क्रान्तिकारियों की धारा दो प्रवृत्तियो के बीच विभाजित है एक आघ्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र बिहार एवं उड़ीसा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रो मे सक्रिय "पीपुल्स वार ग्रुप" जो नक्सलवाद की अराजकवादी धारा है। दूसरी प्रवृत्ति संसदीय एवं गैर संसदीय संघर्ष को अपना बिन्दु मानती है उसे ही भारत की कम्युनिश्ट पार्टी लिवरेसन (माकपा) कहा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि नक्सली, माफिया गिरोह की भॉति सिर्फ अपराध के लिए एवं अपराध के सहारे जीवित रहने वाले अपराधी नही है इनकी एक विचार धारात्मक पृष्ठभूमि होती है और वे प्रायः किसी गैर अपराधिक लक्ष्य प्राप्ति हेतू ऐसे काम को अंजाम देते है। कुछ नक्सलवादी संगठन तो माफिया गिरोह मे तब्दील हो गये है जिनका काम आंतक फैलाकर धन उगाही करना हो गया है। इन संगठनो का सहारा लेकर बहुत से अपराधी इसमे घुस गये है जिनका एक मात्र उद्देष्य अराजकता, अषान्ति फैलाकर लूटपाट, अपहरण, हत्याकर धन उगाही करते है और इस आन्दोलन की आड़ मे अपना हित साधते है? वास्तव में गरीब, दलित, शोषित, आदीवासी, मजदूर, किसान ही नक्सलवाद के प्रमुख अनुयायी है इनके साथ इनकी लड़ाई मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बडी मात्रा मे बुद्धिजीवी वर्ग भी भाग ले रहा है इस संघर्ष का प्रमुख उद्देष्य इन लोगो कि सत्ता में सहभागिता सुनिष्चित करना है इस कारण उनका उद्देष्य अच्छा है किन्तु कार्य पद्धति गलत है क्योकि इसमे हिंसा शामिल है और देष का इस समय जो परिदृष्य है उसमे हिंसा, लूटपाट एवं अराजकता को कोई स्थान नही है यह सफलता प्राप्त करने का सही साधन नही है। सषस्त्र संघर्ष के माध्यम सें राज्य सत्ता पर अधिकार करने के उद्देष्य स्वयं समाज राज्य एवं राष्ट्र के अस्तिव के लिए घातक है हिंसा भले ही एक सीमा तक प्रभावी हो सकती है लेकिन इससे राज्य व्यवस्था नही बदली जा सकती है वंचितो की हितो की रक्षा के लिए बेहतर यही होगा कि नक्सली लोकतंत्र की सिमाओ मे रहकर ही उन्हे संचालित करने का प्रयास करे ये स्वयं उनके एवं राष्ट्र के लिए हित मे होगा। नक्सलवाद आज स्थानिय विवाद से बढकर राष्ट्रव्यापी तनाव का कारण बन गया है। कुंठा की दूसरी अभिव्यक्ति होती है आक्रमकता में, विद्रोह में। अभावबोध, उपेक्षा, साधनहीनता, विपन्नता, सामाजिक निम्नस्तरीयता, साधन सम्पन्न वर्गों द्वारा भेद मूलक एवं हेयतापरक व्यवहार से जुझते व्यक्ति समूह एवं समुदाय अपना संगठन बना लेते है मरता काह न करता की मानसिकता लेकर निकल पडते है घर से लोग सर पर कफन बाँधकर ऐसे लोग ही नक्सली आंतकवाद की राह की पथिक बन जाते है सोचते है संघर्ष में मृत्यु हो गई तो समस्याओ से मुक्ति मिलेगी और संग्राम में विजय मिली तो समस्याओ का समाधान मिलेगा। आक्रामकता और विद्रोह की इस ज्वाला को बढाती है ईर्ष्या और द्वेष जैसी मनोवृत्तियॉं, नक्सली आंतकवाद के सेनानी सोचते है जब हमारे परिवार के सदस्य भूख की ज्वाला से तड़प रहे है तो साधन सम्पन्न परिवार के लोग गुलछर्रें क्यो उडाये, हम तड़प रहे है तो वो भी तड़पे, अन्यथा हमारे लिए भी सरकार रोटी, कपडा, मकान की सुविधा सुनिष्चित करे? चूॅंकि साधन विहिन लोगो की संख्या पिछड़े क्षेत्रो में अधिक होती है अत भारी संख्या में लोग नक्सली आंतकवाद के जुलूस में शामिल हो जाते है इसी क्रम मे यह आन्दोलन बिरवे से वटवक्ष का रूप धारण कर लेता है, सरोवर से सागर हो जाता है, तिल से ताड़ हो जाता है, ढूहे से पहाड़ हो जाता है, यहाँ माल्थस का जनसंख्या वृद्वि का ज्यामितीय विस्तार सिद्वान्त लागू होता है इस सम्बन्ध में एक शेर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवॉ बनता गया। आक्रामकता और विद्रोह की

वृत्ति पर अंकुष लगाने अथवा उसे बढ़ावा देने के लिय स्थानीय संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृतियाँ दो प्रकार की होती है, अध्यात्मप्रधान और लोकप्रधान। अध्यात्मप्रधान संस्कृति में विपन्नता एंव साधनहीनता को ईष्वरेच्छा के रुप में स्वीकार किया जाता है। 'संतोष परमं सुखम्' ही अध्यात्मप्रधान संस्कृति का महावाक्य है। **'जाहा विधि राखै राम, वाही विधि रहिए'**, इस संस्कृति का महामंत्र है। अध्यात्मप्रधान संस्कृतियों के धारक विपन्नता, साधनहीनता, सामाजिक अन्याय जैसी स्थितियों को झेलते हुए उसके विरूद्ध आक्रामकता एवं विद्रोह का मार्ग न अपनाकर, उससे अभियोजन कर लेते हैं।

लोकप्रधान संस्कृति में स्थिती इसके ठीक विपरीत होती है। लोकप्रधान संस्कृति अपने धारकों को सामाजिक अन्याय, षोषण, साधनहीनता, विपन्नता, आर्थिक विषमता के विरूद्ध भड़काती रहती है; उन्हें विद्रोह एवं आक्रामकता के लिए उसकाती रहती है; ढकेलती रहती है। ज्ञातव्य है कि नक्सली आतंकवाद लोकप्रधान संस्कृति को धरा पर अवस्थित है। लोकप्रधान संस्कुति से नक्सली आतंकवाद को खुला समर्थन मिलता रहता है।

नक्सली आंतकवाद के योद्धाओं की दृष्टि में शोषण और सामाजिक अन्याय के विरूद्ध शस्त्र उठाना, विद्रोह का बिगुल बजाना, विचलनषील और आपराधिक क्रिया की कोटी में नही आता। ऐसा करना तो मानव अधिकार की रक्षा के लिये छेड़ा गया एक पावन युद्ध है, संग्राम है, जेहाद है; सामाजिक अन्याय रूपी राक्षस के बढ़ते कदम में बेड़ी डालने जैसा अभियान है। नक्सली आतंकवाद का चित्रण रूपक के माध्यम से इस प्रकार किया जा सकता हैः वर्तमान सामाजिक परिवेष (षोषण, अन्याय, विपन्नता, साधनहीनता) चूल्हा है। इस चूल्हे पर नक्सली आतंकवाद की खिचड़ी हिंसा की डेगची में पक रही है। चूल्हे में कुंठा की आग जल रही है। अदृष्य रूप से लोकप्रधान स्थानीय संस्कृति कुंठा की लपट बढ़ाने के लिए प्राण वायु (ऑक्सीजन) का संचार कर रही है।

समाधान एवं उपाय : नक्सली आतंकवाद के दो समाधान हो सकते हैं, परम्परागत एवं परिष्कृत। परम्परागत समाधान की मूल मान्यता है, **शठंषाठ्यं समाचरेत्**' 'हिंसा का समाधान प्रतिहिंसा ही है'। नक्सली आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अभी तक परम्रागत नीति का ही अनुपालन हो रहा है। पर इस नीति से सफलता मिल नहीं रही है। यदि एक आतंकवादी प्रतिहिंसा क्रम में मौत के घाट उतारा जाता है तो रक्तबीज की भॉति उसके स्थान पर दस नये नक्सली तलवार भांजने लगते हैं। इस प्रकार नक्सली आतंकवाद की वाहिनी का आकार क्रमषः बढ़ता रहता है। परिष्कृत समाधान की मूल मान्यता यह है कि प्रतिहिंसा का निषाना नक्सलियों को न बनाकर उनकी कुंठा को बनाया जाय, उनके बीच कुंठानिरोध अभियान चलाया जाय। ज्ञातव्य है कि नक्सलवाद की खिचड़ी का मूल प्रेरक तत्व कुंठा है। यदि किसी तरह कुंठा–षमन की स्थिति बन जाय तो कालक्रम में नक्सली आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। परिष्कृत समाधान इस नीति पर आधारित है कि अनिवार्यतः सभी फोड़ों की शल्य–क्रिया न की जाय। कुछ ऐसे भी फोड़े होते हैं जो मरहम लगाने से ही ठीक हो जाते है। परिष्कृत समाधान में प्रयोगस्तर पर किसी क्षेत्र विषेष को परिपाल्य क्षेत्र घोषित किया जाय। इस क्षेत्र के सदस्यों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके पुनवार्स हेतू समुचित षिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि की व्यवस्था की जाय। शासन की ओर से उसके लिए 'विषेष पैकेज' की घोषणा की जाय। उनके कल्याण हेतु ऐसी परियोजनाए चलायी जाय, जिससे वो अपने पैरो पर खड़े हो सके ऐसी परियोजनाओ को 'मरहम परियोजना' का नाम दे सकते है। नक्सलवादी आंतकवाद विधि एवं व्यवस्था का विषय न होकर संवेदना का विषय है उसे संवेदना के स्तर पर ही समझा और सुलझाया जा सकता है।

अन्य उपाय : नक्सली समस्या के समाधान के लिए प्रभावित राज्यो के मुख्य सचिवो की स्थायी समिति गठित की गयी है इनके विकास कार्यो के लिए केन्द्र और राज्यो ने नौ राज्यो के 55 नक्सली जिलो को चुना गया है जहॉ बार्डर एरिया मे डेवलपमेंट प्रोगाम व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया गया है आदिवासी क्षेत्र मे व्यापारिक गतिविधियो को बढ़ाया जा रहा है शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरूद्व कार्यक्रम चलाऐ जा रहे है भूमि सुधार क्रार्यक्रम, गरीबो पर अन्याय बन्द हो, उन्हे उनका हक मिले, सरकार और समाज को इस दिषा मे ठोस कदम उठानी होगी तभी ऐसे दूरदर्षी उपायो से इस विचार धारा को फैलने से रोका जा सकता है और उग्रवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है ।

सन्दर्भ :

1. SINGH ,PRAKASH,THE NAXALITE MOVEMENT IN INDIA:NEW DELHI,RUPA &CO.1999.P.101
2. कुमार, संजय; जायसवाल, अनुराग; प्रथम संस्करण (2010) भारत की आन्तरिक सुरक्षा मुद्दे और चुनौतियां।
3. सिंह, डॉ0 ए0 के0; नक्सलवाद, नई दिल्ली, 2010
4. तिवारी, कनक; "वस्तर" लाल क्रान्ति बनाम ग्रीन हंट, प्रकाषन मेघा बुक्स दिल्ली, 2010
5. दास, गुप्ता विप्लव; नक्सलाइट मुवमेंट, मेक मिलन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
6. कृष्णानन्द, शुक्ला; प्रथम संस्करण (2008), सुरक्षा परिदृश्य
7. प्रतियोगिता दर्पण / फरवरी / 2004 / 1329–30
8. प्रतियोगिता दर्पण / अगस्त / 2006 / 81–82
9. गृहमंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2005–06

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 117-118

प्राथमिक शिक्षा के विकास के विभिन्न प्रयास

पूनम कुमारी*
*शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ0प्र0

सारांश : यह अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के विकास के विभिन्न प्रयास को रेखांकित करता है। प्रारम्भिक शिक्षा ही शिक्षा की नींव है, जिस पर शिक्षा का भव्य महल निर्मित होता है। अतः प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा का आधार है, जिसके समुचित विकास एवं विस्तार के बिना शिक्षा व्यवस्था में सुधार सम्भव नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा के इसी दूरगामी महत्व को देखते हुए इसे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों में शामिल किया गया है। यदि प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा की नींव है तो शिक्षक उस व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु कहा जाता है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। किसी भी शिक्षा प्राणी की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली का असफल होना अवश्यम्भावी है। शिक्षा मानव जीवन का सबसे आवश्यक संस्कार है। बालक की शिक्षा सामान्यतः उसके घर से प्रारम्भ हो जाती है। तत्पश्चात् बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय भेजा जाता है, जहाँ बालक को शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों को भी कराया जाता है, जिससे बालक समाज में बेहतर समायोजन स्थापित कर सके तथा स्वयं का व समाज का विकास कर सके। व्यक्ति के जीवन में प्रारम्भिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सभी जागरूक समाज सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हैं। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा अध्ययन विषय एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शैक्षिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों, बुनियादी शिक्षा आदि ।

बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की सहायता से बच्चों में देश के, परिवार के, समाज के प्रति दायित्व बोध एवं अपने भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता, लक्ष्य निर्धारण एवं निर्णय लेने की प्रवृत्ति का विकास होता है। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य तथा जीवनोपयोगी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने संबंधी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान स्वतंत्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की संरचना में मजबूती और उसके सार को विशाल और विस्तृत करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं राज्य/केंद्र स्तर पर, विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ताकि शिक्षा के प्रवेश द्वार, शिक्षा की आधारशिला, साक्षरता की रीढ़ को मजबूत किया जा सके। विकास के अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा बाल अधिकारों में सम्मिलित है।

भारतीय संविधान ने भी 86 वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में भी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण सम्बन्धी लक्ष्य की प्राप्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और तदनुसार इस दिशा में विगत वर्षों में अनेक वृहत तथा सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। सभी को शिक्षा मिले इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अनेक कदम भी उठाए गये हैं और अब शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में ही हैं। विद्यालयों से शिक्षक गायब हैं और वयस्क निरक्षरता दर अभी भी 34 प्रतिशत है। सिंह, सुनीता के अनुसार अभी हाल ही में भारतीय विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर ए.एस.ए.आर. के एक अध्ययन के अनुसार चार वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने वाले 38 प्रतिशत बच्चे छोटे–छोटे वाक्यो वाला वह अन्विति नहीं पढ़ सकते हैं जो दूसरी कक्षा के लिए होते हैं ऐसे ही 55 प्रतिशत बच्चे तीन अंको की संख्या का एक अंक की संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं।

विश्व स्तर पर मानव विकास में शिक्षा के महत्व और अनिवार्यता को दृष्टि में रखते हुए इसे एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में अंगीकार किया गया तथा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र (1948) की धारा–26 में इसे व्यक्त किया गया। वर्ष (1989) में बाल अधिकारों पर हुए सम्मेलन और उसके बाद न्यूयार्क (1990) में आयोजित विश्व बाल शिखर सम्मेलन में शिक्षा को एक मुख्य बुनियादी अधिकार माना गया तथा वर्ष (2000) तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया। इसके लिए विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान सभी बच्चों, युवकों एवं प्रौढ़ों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की ओर केंद्रित हुआ। सम्पूर्ण विश्व से निरक्षरता, अशिक्षा उन्मूलन एवं असमानता की खाई कम करने एवं शिक्षा की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहली बार 5–9 मार्च 1990 में जोमेतियन, थाइलैण्ड में अंतर्राष्ट्रीय चार एजेंसियों–विश्व बैंक, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी. और यूनीसेफ के साथ विश्व के 155 राष्ट्रों के लगभग 1500 सदस्य एक साथ एक मंच पर आये थे और सभी के लिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विश्व के देशों को साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया कि वर्ष 2000 तक सभी को शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। इसके लिए सम्मेलन में ''सभी के लिए शिक्षा'' और ''बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य की रूपरेखा'' सर्वसम्मति से अंगीकृत की गयी।

इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा से संबंधित नीतियों में प्रगति की व्यापक समीक्षा हेतु इसके दस वर्षीय आकलन की आवश्यकता का पूर्वानुमान आकलन किया गया। विश्वव्यापी घोषणा पत्र में प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय आयु के बच्चों के लिए अच्छी कोटि की प्राथमिक शिक्षा जिसमें विद्यालय की अवधि पूरा करने के बदले शिक्षा उपलब्धियों पर बल दिया गया। इसमें

प्राथमिक शिक्षा के लिए कहा गया कि''प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करेगा कि 14 वर्ष की आयु तक के कम से कम 80 प्रतिशत बच्चे वर्ष 2000 तक संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा उपलब्धि का समान स्तर प्राप्त कर लेंगे''। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसलुभ बनाने सभी को समान अवसर प्रदान करने साधनों और कार्य क्षेत्रों को व्यापक बनाने, सीखने पर बल देने, शैक्षिक परिवेश में संवर्धन करने, संसाधन जुटाने, सहयोग/सहकार्य/समन्वयन की नीति को विकसित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने आदि विषयक कार्यपरक बिंदु निर्धारित किए गए। इसके आलोक में राष्ट्रीय स्तर पर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई। इस कार्य योजना में बालिका–शिक्षा और सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता, शिक्षा के स्तर में सुधार, सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक संगठनों के सहयोग पर विशेष बल दिया गया। जोमेतियन विश्व शिक्षा सम्मेलन वर्ष 1990 के घोषणा पत्र के अनुश्रवण के संदर्भ में स्नेगल (दक्षिण अफ्रीका) की राजधानी, डकार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शिक्षा सम्मेलन (2000) आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने सार्वभौम, निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्ष 2015 तक उपलब्ध करा देने का संकल्प लिया। वर्तमान भारतीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा है। आज के कुछ समय पूर्व बालकों में शिक्षा के प्रति रूचि का अभाव था। नई शिक्षा नीति 1986 के द्वारा शिक्षा के स्तर में क्रान्तिकारी रूप से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए राजीव गांधी पाठशाला, पंचायत स्तर पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समेकित प्रयासों से संचालित वर्तमान मध्यान भोजन योजना ने उच्च प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षिक उपलब्धि में अभूतपूर्व प्रभाव दर्शाया है। पहले जहाँ उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे उसके स्थान पर इस योजना से प्रभावी होकर निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे भी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा रहे है। प्राथमिक शिक्षा की संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास के उद्देश्यों की चरम सीमा के रूप में बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 को पहली अप्रैल 2010 को लागू किया गया जिससे यह उम्मीद की जाने लगी कि यह शत–प्रतिशत साक्षारता में अत्यन्त ही सहायक सिद्ध होगा। परन्तु इस अधिनियम के लागू होने के चार साल बाद भी अभिभावक एवं अध्यापक इसके प्रति जागरूक व सकारात्मक सोच नहीं ला पाये हैं। देश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और यह उसका हक भी है साथ ही प्रगति की अनिवार्य शर्त भी है।

स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के विभिन्न प्रयास : भारत सरकार ने वृहद् प्रयास किए जिसके कारण भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए आधार तैयार हो सका है। आज सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा हैं। सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समुदायों द्वारा भी विभिन्न प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जा रहे है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ 1950–51 में भारत में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी वही 2010–11 में साक्षरता दर बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गयी है।

भारत सरकार अपने बजट में शिक्षा पर व्यय किए जाने वाली धनराशि का एक बड़ा भाग प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए व्यय कर रही है। इस प्रयोजनार्थ तत्कालिन वित्त मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम् ने वर्ष 2006–07 के वार्षिक बजट में प्राथमिक शिक्षा हेतु 24,115 करोड़ रूपये आवंटित किये जो गतवर्ष की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक हैं। आवंटित धनराशि में से 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 10,041 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष की तुलना में 2,885 करोड़ रूपये अधिक है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम' हेतु 4,813 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है तथा 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना' तथा 'मीना मंच' जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सन्दर्भ :

1. जांगीरा 1994 : जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर एक अध्ययन "शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र; कर्नाटक विश्वविद्यालय, कर्नाटक।
2. मैखुरी, रमा 2008 : प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता कक्षा पांच में अध्ययनरत शहरी/ग्रामीण विद्यार्थियों का गणित एवं हिंदी विषयों में उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन, परिप्रेक्ष्य, वर्ष 15, अंक 2, अगस्त 2008
3. उन्नयन 2009 : प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए ब्लाक समन्वयकों के प्रयोगार्थ संदर्शिका, प्रथम संस्करण 2009–10।
4. दुग्गल, शाइनी 2010 : शिक्षा के अधिकार 2009 के शैक्षिक आयामों की व्यावहारिक प्रांसगिकता .एन0सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली।
5. चन्द, निकेश 2011 : प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संचालित योजनाओं की प्रभावकारिता का अध्ययन "महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
6. सिंह, कमुार नरेन्द्र 2012 : प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक प्रभाव में वृद्धि हेतु सरकारी प्रयास के प्रति अभिभावको के विचार विश्लेषण, परिप्रेक्ष्य वर्ष 19, अंक 1, अप्रैल 2012
7. स्वामी, सतपाल एण्ड स्वामी सुमित्रा, 2013 : स्कूल एजुकेशन, ग्रीन लीफ पब्लिकेशन, वाराणसी।
8. सागर, अमृतलाल, 2013 : प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास, ओसिमन पब्लिकेशन, वाराणसी।
9. वसंत, श्रीनिवास राव, 2013 : प्राथमिक शिक्षा में अभिभावक–अध्यापक संघ के सदस्यों की भागीदारी जनजातीय क्षत्रों का केस अध्ययन, परिप्रेक्ष्य, वर्ष 2013 20, अंक 1, अप्रैल

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 119-120

राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में षिक्षा तथा षिक्षक

डॉ0 शैलेश कुमार पाण्डेय*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, एम.डी.पी.जी.कालेज, प्रतापगढ़, उ0प्र0

सारांश : किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व तभी रह सकता है जब उसमें रहने वाले सभी निवासी अपना सब कुछ उसके कल्याण के लिए न्यौछावर करने को तैयार रहें। कोई राष्ट्र तब तक नहीं पनप सकता जब तक कि इसके नागरिक इसकी और घनिष्ठ प्रेम और श्रद्धा न रखें और कोई राष्ट्र प्रफुल्ल नहीं रह सकता जब तक उसके निवासी उसकी सेवा में प्रसन्नता से अपना तन, मन, धन अर्पित करने को तैयार न हों। इसलिए इसमें कोई आष्चर्य नहीं है कि सभी युगों में लगभग संसार के सब देषों में सदैव राष्ट्रीयता का एक बहुत पावन, बहुत वांछित गुण नागरिकों में विकसित करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में 'हम' की भावना का होना। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर हम की भावना से जुड़े होते हैं, एक होते हैं और राष्ट्र हित के आगे अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, तब उसे कहते हैं कि उस राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र का मुख्य तत्व होता है बिना इसके राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, इसके अभाव में राष्ट्र बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और धर्म, सम्प्रदाय, संगठित तथा प्रजातांत्रिक देष, भारतीय गणतंत्र आदि।

भारत अनेक राज्यों में बँटा हुआ है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, यहाँ पर विभिन्न जातियाँ तथा उपवर्ग हैं, सात मुख्य धर्म हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक सम्प्रदाय हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं, जिनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं। आर्थिक विभिन्नताएँ हैं, अमीरी तथा गरीबी में अंतर है, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं, इन सबको एक सूत्र में पिरोना आवष्यक है, इनका तालमेल आवष्यक है। एक साथ विचार करने की तथा कार्य करने की अत्यंत आवष्यकता है। राष्ट्रीय समाकलन के माध्यम से ही देष की प्रगति, एकता तथा अखण्डता कायम रह सकती है। हम भारतीय गणतंत्र के नागरिकों को समाकलन निर्माण का कार्य करना है। हमें इस महान देष को शक्तिषाली राष्ट्र बनाना है। साधारण शब्दों में शक्तिषाली नहीं, परंतु विचार, कार्य, संस्कृति तथा मानवता की शांतिपूर्वक दृष्टि से इसे शक्तिषाली बनाना है।''

राष्ट्रीय एकता की आवष्यकता एवं महत्व : ब्रुवेकर के अनुसार, ''राष्ट्रीयता देषप्रेम की अपेक्षा देष–भक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत स्थान के अतिरिक्त जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं के संबधं भी आ जाते हैं। ''राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुरक्षा, अखण्डता और विकास के लिए आवष्यक है। इसकी आवष्यकता एवं महत्व के निम्नलिखित कारण हैं–देश की अखण्डता को कायम रखने के लिए, शक्तिषाली राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश में शांति कायम रखने के लिए, नागरिकों के राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए, बाहरी खतरों से देष की सुरक्षा के लिए, जातिवाद आदि दीवारों को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए, नागरिकों में सेवा–भाव का विकास करने के लिए, देष में समरसता कायम रखने के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए।

राष्ट्रीय एकता और षिक्षा : राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन षिक्षा है। षिक्षा के द्वारा हम देष के भावी नागरिकों में आवष्यक प्रेरणाएँ और गुण उत्पन्न कर सकते हैं। प्रसिद्ध दार्षनिक डॉ. राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय एकता के विकास में षिक्षा के महत्व को इन शब्दों में प्रकट किया है–''राष्ट्रीय एकता को छैनी, हथौड़े, ईंट व पत्थर से नहीं लाया जा सकता है। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदयों और मस्तिष्कों में शनै–षनै होता है, जिसका केवल मात्र एक साथन है और वह है षिक्षा। यह संभव है, कि यह प्रक्रिया धीमी हो पर वह स्वयं में स्थायी एवं दृढ़ प्रक्रिया है।'' राष्ट्रीय एकता की षिक्षा वास्तव में ऐसी षिक्षा का संकेत देती है जो राष्ट्रीय एकता को प्रदान करें एवं समाज सेवा की भावना को मन में बैठाये। राष्ट्रीय एकता एंव षिक्षा के संबंध में भावात्मक एकता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि षिक्षा को एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। समिति के शब्दों में ''राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में षिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यह अनुभव किया गया है कि षिक्षा का उद्देष्य ज्ञान देना ही नहीं है वरन् छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना है। इसको चाहिए, कि छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तृत करे, एकता और राष्ट्रीयता तथा त्याग एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करें जिससे कि संकीर्ण दलगत स्वार्थों को विषाल देष–हित में समाहित किया जा सके।'' षिक्षा हमारे विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करने का मुख्य साधन है। डॉ0 सम्पूर्णानंद राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता समिति के प्रतिवेदन में भी यह स्वीकार किया गया है कि भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में षिक्षा एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे–पाठ्यपुस्तकों में आवष्यक संशोधन किया जाए और उनकी सामग्री को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वह राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के विकास में सहायक हो। एक विद्यालय के छात्रों का एक निष्चित परिवेष हो जिससे वे अपने आपको उस विद्यालय का सदस्य समझे, जाति, धर्म अथवा वर्ग विषेष का नहीं। विद्यालयों का कार्यक्रम सामूहिक सभा और प्रार्थनाओं से शुरू किया जाए और इस समय राष्ट्रीय महत्व की चर्चा की जाए। विद्यार्थियों में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति स्थायी भाव बनाया जाए और उन्हें उनका सम्मान करने की ओर अग्रसर किया जाए। विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों को श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाए। विद्यालयों में समय–समय पर भावात्मक एकता पर भाषणों का आयोजन किया जाए। वर्ष में दो चार बार देष सेवा के व्रत को दोहराया जाए और शपथ ग्रहण की जाए। छात्रों को देष भ्रमण और अंतर्सांस्कृतिक

विकास के अवसर दिए जाएँ। युवक कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय युवक समिति की स्थापना की जाए।विष्वविद्यालयों में आपस में प्राध्यापकों का आदान–प्रदान हो।

राष्ट्रीय एकता और षिक्षा नीति : षिक्षा के राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में तो कर दिया गया है लेकिन इससे समस्याएँ हल नहीं हो पायी हैं। अतः षिक्षा को संघ की सूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जिससे षिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार को हो सके। संपूर्ण देष में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च षिक्षा का एक ही ढाँचा और संगठन होना चाहिए। सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में समरूपता होनी चाहिए। दोहरी षिक्षा प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। अतः पूरे राष्ट्र के लिए एक समान षिक्षा की नीति बनायी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय एकता में षिक्षक की भूमिका : विचार और मन ही शारीरिक कार्यों का उद्गम है। एक सफल षिक्षक अपने छात्रों के विचारों और भावनाओं को अपने सुविचारित अध्यापन और प्रेरणात्मक कार्यों द्वारा सहज ही राष्ट्रीय एकता की ओर उन्मुख कर सकता है। उसे इस तथ्य को हृदयमय करके चलना होगा कि राष्ट्रीयता एक भावना है जिसका निवास स्थान है ह्रदय और सतत् प्रयास से जब यह भावना पूर्णतया विकसित हो जाती है तो वह मनुष्य के शारीरिक कार्यों को उसी प्रकार प्रेरित करने लगती है जिस प्रकार से सारे शरीर मे व्याप्त आत्मा जागृत होने पर मनुष्य का जीवन पथ आलोकमय कर देती है। आत्मतत्व के स्तर पर राष्ट्रीयता का विकास भागीरथ प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का सफल विकास ही राष्ट्रीय एकता का जनक है। एक दृढ़प्रतिज्ञा षिक्षक इस अभीष्ट को तभी प्राप्त कर सकेगा, जबकि उसे अपने प्रयत्नों पर अडिग विष्वास हो और ऐसे प्रयत्नों की आवष्यकता को वह अपने दैनिक कार्यकलाप में सतत् अनुभव करता है। राष्ट्रीय एकता के विकास में अध्यापक निम्नलिखित प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं–

राष्ट्रीय समाकलन के प्रति विष्वास और उत्साह : अध्यापकों में राष्ट्रीय भावना और सहयोग के प्रति विष्वास और उत्साह होना चाहिए। ताकि वे छात्रों तथा अभिभावकों के मन में यह भावना उत्पन्न कर सकें।

राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में पाठ्यक्रम का अर्थ तथा अभिप्राय समझना : विभिन्न विषय पढ़ाते समय अध्यापकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जाति, धर्म, रंग और दूरी लोगों के आपसी संबंधों में बाधक न बने। अतः हमें एक दूसरे के भावों का आदर करना चाहिए।

अध्यापक एक सजीव आदर्ष के रूप में : अध्यापकों को अपने विचारों तथा व्यवहार से छात्रों के सम्मुख राष्ट्रीय आकलन तथा भावनात्मक समाकलन के सजीव आदर्ष प्रस्तुत करने चाहिए।

पक्षपात रहित व्यवहार– छात्रों के ह्रदयों को पक्षपात से दूषित नहीं करना चाहिए। अध्यापकों को तथ्यों की व्याख्या पक्षपात रहित रूप से करनी चाहिए।

सामाजिक ज्ञान, विषय पढ़ाते समय अध्यापकों का कर्तव्य : अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों को मिथ्या प्रचार से सचेत करें जिससे उनमें पक्षपात जैसी भावना जन्म न ले सकें। उन्हें तर्क द्वारा निर्णय करने का भी प्रषिक्षण देना चाहिए।

बच्चों के मानसिक स्तर को उठाना : वास्तव में द्वेष की भावना दिमाग में उपजती है। द्वेष एक मानसिक दोष है, जिसे मनोविज्ञान में एक रोग कहा गया है। इसलिए सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए आवष्यक है कि अध्यापक छात्रों की ओर अधिक ध्यान दें और स्कूल के पाठ्यक्रम द्वारा उनके मानसिक विकास को स्वस्थ बनाएँ।

दूसरे राज्यों का भ्रमण : दूसरे राज्यों के भ्रमण और अध्ययन के लिए अध्यापकों को अवकाष, आर्थिक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और अध्यापकों के आदान–प्रदान की भी व्यवस्था की जाए।

पाठ्यक्रम : सभी स्तरों पर राष्ट्रीय पक्षों पर विषेष बल दिया जाना चाहिए जिससे छात्रों को देष, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पर्याप्त ज्ञान हो। सामाजिक ज्ञान में विष्व तथा देष की महान विभूतियों एवं महान ग्रंथों का वर्णन होना चाहिए।

पाठ्यांतर क्रियाएँ : राष्ट्रीय दिवसों एवं पर्वों को सामूहिक मनाना, खेलकूल, षिक्षा–यात्रा, राष्ट्र कैडेट कोर जैसी सैनिक षिक्षा, स्काउटिंग विभिन्न भागों के विद्यार्थियों के संभावित कैंप आदि पाठ्यांतर क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय ध्वज का आदर : विद्यार्थियों में राष्ट्रगीत ठीक से गाने तथा समझने तथा इसके गायन के समय उचित सम्मान की आदत डालनी चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखाना चाहिए तथा उसके विकास का इतिहास बताना चाहिए।

प्रातःसभा : प्रातः सभा में बच्चों को देष की एकता पर भाषण दिए जाएँ। बच्चे वर्ष में कम से कम दो देष भक्ति की शपथ लें।

षिविरों का आयोजन करना : समय–समय पर विद्यालय में कक्षा अध्यापक तथा अन्य अध्यापक मिलकर वर्ष में दो–तीन बार इस प्रकार के षिविरों का आयोजन करें कि विभिन्न वर्गों के छात्र इन षिविरों में भाग लें। ऐसा करने में उनमें आपसी मेल–मिलाप की भावनाओं का विकास होगा। वे एक साथ रहने की कला में प्रषिक्षण प्राप्त करेंगें।

सन्दर्भ :

1. नेहरू, जवाहरलाल. 1961. मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन. केन्द्र सरकार, 31 मई
2. ब्रूबेचर, टी.एस. 1947, हिस्ट्री ऑफ द प्रोब्लम्स ऑफ एजूकेषन. न्यूयार्क, मेकग्रॉ हिल, पृ0 283.
3. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली. 1984. हिस्ट्री टीचिंग एण्ड नेषनल इन्टीग्रेषन. एस.के. कोचर, पृ0 283.
4. भारत सरकार, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन इमोषनल इंटीग्रेषन, 28 सितम्बर 1961, पृ0 185
5. सम्पूर्णानंद 1961–62 भावात्मक एकता समिति, केन्द्र सरकार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 121-122

नक्सलवाद : कारण और निवारण

प्रकाश कुमार पासवान*
*ग्राम–मुरली, पो0–रसलपुर, सहरसा, बिहार

सारांश : नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई है जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल से 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरूआत की। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओत्से तंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियां जिम्मेदार है कि जिसकी वजह से उच्च वर्गो का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषितंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र कांति से ही समाप्त किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : नक्सलवाद, कम्युनिस्ट आंदोलन, कृषितंत्र, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी, आदि।

1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट कांतिकारियों की एक आखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक तौर पर स्वंय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। सामाजिक जीवन में हर इंसान सुकून भरी जिदंगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाज लगाइये कि उस व्यक्ति की जिदंगी में कितनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह–शाम डर से हीं गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अपनों को खोना पड़े तो, यह न केवल चिंता का विषय है बल्कि यह बैठकर मंथन करने वाली बात है कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश और कैसे वातावरण में जिदंगी जीने को मजबूर है। पिछले दस सालों की बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लोगों की मौत हुई। वही अगर सरकार की माने तो नक्सली हमलों में धीरे–धीरे कमी आ रही है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार सिमटते जा रहे हैं।

नक्सलवादी विचारधारा एक आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक में कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी विचारों के समर्थकों ने इस आंदोलन का आरंभ किया था। नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित हैं। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है जब कि चीनी नेता माओत्से तुंग की राजनीतिक विचार धारा से प्रभावित मुहिम को माओवाद का नाम दिया गया। गौरतलब है कि दोनों हीं आंदोलन के समर्थक भुखमरी गरीबी और बेरोजगारी से आजादी की माँग करते रहें। किसानों पर जमींदारों द्वारा अत्याचार ओर उनके अधिकारों को छींनना एक पुरानी प्रथा रही है। देश भर में इसके हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। लिहाजा, नक्सलबाड़ी के तत्कालीन किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थें। आजादी के बाद भूमि सुधार की पहले जरूर हुई थी। लेकिन ये पुरी तरह कामयाब नहीं रही। नक्सलबाड़ी किसानों पर जमीनदारों का अव्याचार बढ़ता चला गया और इसी के मद्देनजर किसान और जमीनदारों के बीच जमीन विवाद पैदा हो गया। नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवाओं और ग्रामीण दोनों के दिलों में आग लगा दी थी। देखते ही देखते इस तरह का आंदोलन बिहार झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में आम हो गया और धीरे–धीरें यह ओडिशा, आंध्रप्रदेश ओर महाराष्ट्र तक में फैल गया। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया की नक्सलवाद अन्याय और गैर बराबरी के कारण पनमा है। देश में फैली सामाजिक और आर्थिक विषमता का एक नतीजा है यह आंदोलन। बात चाहे छत्तीसगढ़ के वस्तर और सुकमा की करे या ओडिशा के मलकानगिरी की मुखमारी और कुपोषण एक सामान्य बात हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण एक नीचले स्तर की जीवन शैली और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन क्षेत्रों में असामयिक मौत कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन, वही देश का एक तबका अच्छी सुख सुविधाओं से लेस हैं। अममन यह कहा जाता है कि भारत ब्रिटिश राज से अरबपति राज तक का सफर तय कर रहा है। वही विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी भाग सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में पहुँचता है और यह असमानता लगातार तेजी से बढ़ रही है। अंतराष्ट्रीय अधिकार समूह Oxfam के मुताबिक भारत के एक फीसद लोगों ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्जा किया हुआ है, जिसमें विद्रोह करने की क्षमता होती है। ये सभी वो पहलू है जो गरीबों और वंचित समूहों में असंतोष बढ़ा रहे है और वे गरीबी ओर भुखमारी से मुक्ति के नारे बुलंद कर रहें है। इन्हीं अंसतोष की वजह से ही नक्सवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार के कई प्रयासों के बावजूद अभी तक इस समस्या की पुरी तरह निजात नहीं मिलने की बड़ी बजह यह है, कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या से पुरी तरह निजात नहीं मिलने की बड़ी वजह यह है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी सम्भावित पहलूओं पर विचार नहीं कर रही। हॉलाकि सरकार की पहली से कुछ क्षेत्रों से नक्सली हिंसा का खात्मा जरूर हो गया है। लेकिन इसका लम्बा सफर करना बॉकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली समस्या से निपटने के लिये सरकार समय–समय पर काम करती रही है, हालाकिं इन इलाकों में किसी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना हमेशा एक चुनौती रही हैं। (1) इफ्रास्ट्रचर, सड़क सेलफोन कनेक्टिविटी, पुल, स्कूल जैसे विकास कार्यो पर काम किया जाता रहा है। (2) नक्सल प्रभावित इलाकों में अब तक हजारो की तादाद में मोबाईल टावर लगाए जा चुके हैं। जब कि हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण भी हो चुका है। (3) सबसे अधिक नक्सल प्रभावित सभी 30 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय ओर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये सभी जिले अभी भी सर्वाधिक नक्सल प्रभावित है। (4) जून 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक विशेष पहल की

शुरूआत की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। (5) पिछले की साल, केन्द्रीय मंत्री ने नक्सवाद को खत्म करने के लिये 'समाधान' नामक 8 सूत्री पहल की घोषणा की है। इसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लिये रणनीतियों और कार्ययोजनाओं पर जोर दिया गया।

नक्सलवाद आंदोलन ने अपनी प्रकृति और उद्देश्य दोनों में महत्वपूर्ण रूप में बदलाव किया है। जहाँ इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजक विषमता समक्षी जाती रही है, वही दूसरी ओर इसे अब तक राजनीतिक समस्या की समझा जाने लगा है। हमारी सरकारें लगातार संविधान की पांचवी अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही है। गौरतलब है कि इस अनूसूची में अनूसूचित क्षेत्रों और अनूसूचित जनजातियों के प्रशासन ओर नियंत्रण से जुड़े मामलें आते है। चिंता का विषय है कि आजादी 70 सालों बाद भी अब तक अनुसूचित क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलने के कारण भी इनमें असंतोष पनपता है और नक्सली इसी का फायदा उठाकर आदिवासियों को गुमराहा करते है। इसके अलावा एक समस्या राज्यों के बीच तालमेल की कमी को लेकर है। इसके तहत दो सीमावर्ती राज्यों को नक्सली घटनाओं के मद्देनजर बेहतर सहयोग के साथ काम करने की जरूरत है। इन सब उपायों के बावजूद हमारी सरकारों को कतई नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलवाद के भूल कारण कुछ ओर है। गरीबी भुखमरी ओर बेरोजगारी जेसे मामलो पर जब तक यूद्ध स्तर पर काम नहीं होगा, तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिल सकती। हिंसा की घटनाओं के साथ–साथ ग्रामीणों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को भी प्रकाशन में लाने की जरूरत है स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना और हथियार उठा चुके लागों के बात कर मसले का हल निकालने की कोशिक करना चाहिए।

सन्दर्भ :

1. N.O.U. की पुस्तक
2. हम्ट्रि पत्रिका
3. योजना पत्रिका
4. करूक्षेत्र पत्रिका
5. इमत्याज अहमद की पुस्तक बिहार परिचय
6. दृष्टि पत्रिका

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 123-125

ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एक तुलनात्मक अध्ययन : चनपटिया प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज चुहड़ी के संदर्भ में

डॉ0 अवधेश साह*
*व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग, एम. एन. एम. महिला महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण, बिहार

सारांश : ग्रामीण जीवन में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस तरह का परिवर्तन विशेषकर विवाह की परम्परा में बदलाव तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का तीव्र दौर चला हुआ है। इक्कीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। भारत के महान वैज्ञानिक तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने भारत के नौजवानों में आत्मसम्मान की एक नई चिनगारी पैदा की है। इसलिए हम स्पष्ट रुप से कह सकते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्नता में एकता का तत्व निहित है। समाजशास्त्र की दृष्टि से हमने इसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करने का प्रयास किया है।

मुख्य शब्द : पंचायत राज, वैश्वीकरण, नातेदारी प्रणाली, आतंकवाद, ग्राम पंचायत आदि।

वैश्वीकरण तथा बाजारवाद ने हमारे समाज मे एक नया माहौल खड़ा कर दिया है। इस समय में परिवार संकट के दौर में है। विवाह नामक संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यौन नैतिकता के मापदण्डों में अभी व्यापक फेर–बदल का दौर चल रहा है। नातेदारी प्रणाली एक नई दिशा तलाश रही है। परिवर्तन और बदलाव की इस घड़ी में ज्यादातर समाजशास्त्र के विद्वान चिन्तन करने लगे हैं। समाज का तेवर बिल्कुल बदल गया है। इस घड़ी में गरीबी एक चुनौति बन गई है। बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। आज हमारे समाज में संरचनात्मक बदलाव का अनुभव हो रहा है। काले धंधे, आतंकवाद, शराबखोरी, जुआखोरी, बलात्कार, समाज में वृद्ध व्यक्तियों की दशा, दहेज प्रथा, नारियों की समस्या, ऊँच–नीच का भेदभाव, छुआ–छुत, भ्रष्टाचार, अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कोने–कोने मे मौत का मंजर दिख रहा है। बच्चे यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं। आज हमारे समाज में जिंदगी एक भट्टी की तरह जल रही है। औरत और मर्द का मुद्दा परिवार में तरह–तरह के तनाव लड़ाई, झगड़ा लैंगिक अनुपात की समस्या, सामाजिक असमानता बाल यौवन शोषण की त्रासदी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा स्वच्छता की समस्या इत्यादि अनेकानेक समस्याओं से हमारा समाज गुजर रहा हे। समाज संकट की घड़ी से गुजर रहा है। सामाजिक परिवर्तन को विकास की श्रेणी में लोग लाना चाहते हें। लेकिन एक तरफ इस परिवर्तन से हमारा समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अनेकानेक समस्याओं में फँसता जा रहा है। जिसका हमने तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया है।

अध्ययन का उद्देश्य : समाज में परिवर्तन की इस घड़ी को देखकर हमने इस विषय पर गहन अध्ययन करने का प्रयास किया है, क्योंकि समाजशास्त्र के विद्वान ही इस बिन्दु पर अधिक विचार करते हैं। आज हमारा समाज अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहा है। हमने इसका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करने का प्रयास किया है। समाज में परिवर्तन की वजह से जो बदलाव हुआ है और जो समस्याएँ पैदा हुई है हम उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं जो आजकल सामाजिक समस्या के रुप मे गुजर रहा है। आज इन समस्याओं में सुधार करने की जरुरत है तथा सचेत होने की अति आवश्यकता है। इसके लिए हमने चनपटिया प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज चुहड़ी को अध्ययन क्षेत्र के रुप में चयनित किया है। इस पंचायत के सभी गाँवों में परिवर्तन प्रगति तथा विकास के साथ–साथ विभिन्न समस्याओं ने विकराल रुप धारण कर लिया है। जिसका हमने समाजशास्त्रीय तरीके से अध्ययन किया है। इसी बदौलत हमनें इस पंचायत के सभी कुनबे में जाकर गहराई के साथ दो सौ उत्तरदात्ताओं का साक्षात्कार किया एवं इस क्रम में पाया कि लोग अपने मन के भीतर के संघातो को बड़ी कठिनाई से झेल रहे हैं। उनकी आँखों में आँसू की झलक दिखलाई दे रही है। आदमी बाहरी तौर पर देखने में खुशहाल दिखलाई दे रहा है लेकिन बातें इस तरह की नही है। लोग अपने सीने में जख्मों को लेकर घूम रहे हैं। मनुष्य के प्रेम में वासना की बू दिखलाई दे रही है। इसलिए हमने मनुष्य के जय और पराजय की समीक्षा की है जिस तरह तालाब में चाँद की परछाई हम देखते है। ठीक उसी तरह हम वैज्ञानिक पत्र्रति के आधार पर विज्ञान की कसौटी पर कसकर हमने इसका अध्ययन किया है।

ग्रामीण जीवन में परिवर्तन एक सामाजिक समस्या के रुप में : ग्राम पंचायत राज चुहड़ी पश्चिमी चम्पारण जिला के चनपटिया प्रखण्ड मे अवस्थित है। हमने दो सौ उत्तरदात्ताओं के माध्यम से इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया है। कई उत्तरदाताओं ने हमें बतलाया कि यह पंचायत चंपा फूल की पावन धरती पर बसा हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्र उत्तर मे भैंसही पोखरिया तथा दक्षिण में सिरिसिया पंचायत एवं पूरब दिशा में लखौरा एवं पश्चिम की ओर चरगाँहा पंचायत अवस्थित है। साक्षात्कार के क्रम में लोगों ने बतलाया सन् 1769 ई. में अंग्रेजों ने इस गाँव को बसाया था। चुहड़ी की धरती ऐतिहासिक है। यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस गाँव को लोग छोटा नगर भी कहते हैं। यहाँ एक सुन्दर बाजार है जहाँ दूर–दूर से लोग आते हैं। इस पंचायत की कुल जनसंख्या 12425 हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के लोग खेती भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस पंचायत का काफी विकास हुआ हैं यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय एवं कन्या विद्यालयों की संख्या 11 है। यहाँ प्रत्येक दिन सुदूर गाँवों से हजारों–हजार की संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। चुहड़ी गाँव के अतिरिक्त पंचायत के कई गाँवों में विद्यालयों की संख्या 5 है। इस पंचायत में हिन्दु मुस्लिम एवं इसाई मजहब के

लोग निवास करते हैं। जिसमें अनेको जातियाँ पाई जाती है। जैसे कानू, तेली, कलवार, नाई, धोबी, कुम्हार, कोईरी, नोनिया, डोम, चमार, दुसाध, यादव, चीक, जुलाहा, धुनिया, लोहार, कुर्मी, तुरहा, गिरी, राजपूत, महत्तर, ब्राह्मण, भुमिहार, गोंड, बढ़ई इत्यादि जाति के लोग निवास करते हैं। यजमानी व्यवस्था के तहत सभी जाति के लोग अलग–अलग व्यवसाय करते है। यहाँ पर विवाह की परम्परा, अत्येष्टि संस्कार, रहन–सहन, खान–पान, रिति–रिवाज इत्यादि में परिवर्तन विशेष रुप से सामाजिक समस्या पैदा कर दिया है। जिसका विस्तार से हमने उल्लेख किया हैं।

विवाह की परम्परा में बदलाव : पहले की अपेक्षा विवाह की परम्परा में काफी बदलाव हुआ हैं। नगरों की तरह आडम्बर फैन्सी पंडाल, बैंड बाजा, जयमाला या वरमाला का आयोजन गाँवों में भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों मे औरत बारात में जमकर नाच कर रही हैं। हिन्दुओ के घरो में शादी का दिन निश्चित हो जाने पर मांस, मछली खाने की परम्परा नही थी। एक साल तक लोग इससे अलग रहते थें। परन्तु पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण वर और वधु पक्ष के लोग शादी के समय ही मांसाहारी भोजन की माँग कर रहे हैं। वैदिक रीति के आधार पर होने वाले विवाह में काफी परिवर्तन हुआ है। हमारे समाज में प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। बड़े–बड़े नगरों की तरह वर पक्ष के लोग गाड़ी, घोड़े, गाजे–बाजे के साथ विवाह के रस्म को 3 घंटे में ही सम्पन्न कर लेते हैं। शादी के 15 दिन पहले से ही स्थानीय संस्कृति के आधार पर औरतें मांगलिक गीत गाती हैं। अब धीरे–धीरे प्रेम–विवाह अर्न्तजातिय विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। पढ़ी–लिखी औरतें स्थानीय भाषा में गीत न गाकर हिन्दी भाषा में ही विवाह के समय गीत गाती हैं। एक तरह का और बदलाव दिखाई दे रहा है। वर पक्ष के लोग पहले बारात लेकर कन्या के यहाँ दो दिनों तक ठहरते थें जिसमें तरह–तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जता था। अब इस तरह का रस्म 3 घंटे में ही पूरा कर लिया जाता है और एक ही रात में लोग जाकर वापस आ जाते हें। इस परिवर्तन से सांस्कृतिक रस्मों की परम्परा अब धीरे–धीरे समाप्त हो रही है।

पारिवारिक जीवन में बदलाव : अब संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है। आजादी के पूर्व यहाँ पर संयुक्त परिवार की संख्या काफी थी जो अब समाप्त हो गई है। इसके जगह पर छोटे–छोटे परिवार का निर्माण हो गया है। पहले संयुक्त परिवार कृषि व्यवस्था पर आधारित था। परिवार के सब सदस्य एक–दूसरे का सहयोग करते थें। अब छोटे परिवार में पति–पत्नी और उनके बच्चे सिर्फ दिखलाई दे रहे हैं। आज हमारे समाज में पारिवारिक तनाव दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बात–बात में एक दूसरे के बीच लड़ाई–झगड़ा देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हें। कृषि की जगह पर लोगो ने तेजी से व्यापार करना शुरु कर दिया है। आर्थिक क्षेत्र में इस क्षेत्र का काफी प्रगति हुआ है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों तबके के लोग हैं। यहाँ झोपड़ी के जगह पर सब लोगो ने ईंट के पक्के मकान का निर्माण कर लिया है। इससे हम देखते हैं कि यहाँ पारिवारिक ढाँचे मे भी काफी बदलाव हुआ है।

इस पंचायत का मुख्यालय चुहड़ी गाँव को ही माना जाता है। यहाँ के लोग काफी मात्रा में पहले शराब पीते थें। परन्तु शराबबंदी की वजह से लोगो में शराब की आदत में काफी सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा लोगो में नशाखोरी कम हुआ है। अब यहाँ सभी सम्प्रदायों में धर्म के प्रति प्रेम की भावना में काफी रुझाान बढ़ा है। यहाँ पंचायत के हर गाँव में देवी–देवताओं का मंदिर है। विशेषकर चुहड़ी गाँव में एक बहुत बड़ा राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसके अतिरिक्त एक काली माँ का मंदिर है जिसमें बड़ी धूमधाम से वर्ष में एक बार बहुत भारी मेला लगता है। हजारों हजार की संख्या में लोग पूजा, अर्चना करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगो का एक मस्जिद भी है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग खुदा की इबादत करते हैं तथा नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर इसाईयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर है जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर–दूर से आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग धर्म पर काफी विश्वास करते हैं।

जब हमनें दो सौ उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया तो लोगो ने बतलाया कि विशेषकर चुहड़ी गाँव भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। यहाँ साक्षात् लक्ष्मी और सरस्वती का निवास है। यहाँ के सभी लोग सुखी सम्पन्न हैं। यहाँ अमीर और गरीब दोनों तबके के लोग है। लोगो ने बताया सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह अंग्रेजों ने इस गाँव को विधिवत बसाया है। यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था बिल्कुल नगरों जैसी हैं। प्रत्येक सड़क एक–दूसरे को काटती है। प्रत्येक घरो में स्नानघर, रसोइघर , शौचालय एवं नाली की विधिवत् व्यवस्था है। आधुनिक तरीके से बनाए गए घरों में अतिथिशाला का भी निर्माण हुआ है। गाँव के कोने–कोने में पक्की सड़कों का निर्माण 'त्रीस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' के माध्यम से किया गया है। यहाँ चौक–चौराहो की सजावट चारो तरफ बिजली एवं नाली की व्यवस्था है। प्रत्येक दिन किराना सामान, जूते चप्पल, कपड़े, सोने–चाँदी का दुकान तथा साग सब्जियों का बाजार लगता है। यहाँ सरकारी हॉस्पीटल नहीं है। फिर भी दवा के छोटे–छोटे दुकान पाए जाते हैं। यहाँ से बड़े नगरों में जाने के लिए यातायाता का साधन नही है। लोग अपनी निजी सवारी से एक जगर से दूसरी जगह यात्रा करते हैं।

कृषि व्यवस्था : यहाँ के किसानों ने आधुनिक तरीके से खेती करना आंरभ कर दिया है। कृषि कार्य में औरते धान की रोपाई के समय गीत गाती थी जिससे मनोरंजन भी हो जाता था तथा काम भी जल्दी सम्पन्न हो जाता था यह परम्परा अब बिल्कुल लुप्त हो गया है। यहाँ फसलो पर दवाओं एवं रसायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। अब हल बैलो की जगह पर लोगो ने ट्रैक्टर से खेती करना आरंभ कर दिया है। आधुनिक तरीके से फसलों की बोआई, धान, गेहूँ, मटर, गन्ना, दलहन, तिलहन की खेती लोग खूब जम कर रहे हैं। यहाँ की औरतें पहले चक्की में स्वयं आटा पिसती थी एवं ढ़ेकी के द्वारा धान कुटती थी। अब इसकी जगह पर गेहूँ पिसने वाला एवं धान कुटने वाला आधुनिक तरीके का मिल दरवाजे पर स्वयं पहुँच कर, सभी प्रकार का सुविधा प्रदान कर रहा है। अब धान, गेहूँ की कटाई फसलों का दौनी आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा हे। लोगो के स्वास्थ्य में संतुलित भोजन के कारण काफी सुधार हुआ है। इससे स्पष्ट लगता है कि कृषि क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन हुआ है। सरकार ने ग्रामीण योजनाओं के तहत नल–जल से लेकर अनेक सुविधाओं को प्रदान किया है।

सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यो में बदलाव : यहाँ पर छठ, दशहरा, दिपावली एवं होली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विशेषकर छठ पूजा में औरतें छट का सुन्दर–सुन्दर गीत गाती है। जिसमें पहले की अपेक्षा काफी बदलाव हुआ है। पहले होली के अवसर पर लोग एक दूसरे को अबीर–गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश देते थे। इसके जगह पर लोगों मे अब शराब, भांग खाकर एक–दूसरे पर कीचड़ उछालना गाली–गलौज करना आम बात हो गया है। फिर भी यहाँ विशेषकर सभी मजहब के लोग हर पर्व त्योहार के मौके पर एक–दूसरे से मिल–जुलकर भाग लेते हैं। इस गाँव में भादो के महीने में सैकड़ो वर्षो से कृष्णलीला का आयोजन होता आ रहा हैं जिसमें हिन्दू–मुसलमान अभिनय करने के लिए मिल–जुलकर भाग लेते है तथा अनन्त चर्तुदशी के दूसरे दिन बहुत भारी कंस वध मेला लगता है। जिसमें हाथी–घोड़े को सजाकर एक झाँकी निकाली जाती है। मुसलमानों के मुर्हरम और ईद के सबय हिन्दू–समाज के लोग भी मिल–जुलकर भाग लेते हैं। यहाँ इसाईयों का बड़ा दिन भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर अंग्रेजो ने 1769 ई. में मिशन की स्थापना की थी जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाता है। आजादी के बाद इस पंचायत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में काफी परिवर्तन एवं बदलाव हुआ है। इस क्षेत्र का कोई भी ऐसा पक्ष नही है जिसमें बदलाव नही हुआ हो। आजादी के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गाँवों का विकास काफी तेजी से हो रहा है। महात्मा गाँधी के सपनो को साकार करने के लिए सरकार की तरफ से तरह–तरह की सुविधाओं को दिया जा रहा है।

निष्कर्ष : इस पंचायत में पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं स्त्रियों की स्थिति में सुधार तथा जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नही बचा है जिसमें परिवर्तन नही हुआ हो। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आज हमारे देश की ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक एवं मानसिक जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। आजादी के पहले की अपेक्षा वर्तमान समाज में काफी परिवर्तन हुआ है। जिसका अध्ययन हमने बड़ी गहनता से की है।

सन्दर्भ :

1. रवीन्द्रनाथ मुकर्जी –भारतीय समाज व संस्कृति
2. डॉ. विश्वनाथ झा – समाजशास्त्र 2009
3. प्रो. एम. एल. गुप्ता एवं डॉ. डी. डी. शर्मा – ग्रामीण समाजशास्त्र
4. डॉ. गोपी रमन सिंह – नातेदारी , विवाह और परिवार 2014–15
5. डॉ. जी. के. अग्रवाल – समाजशास्त्र के सिद्धान्त 1981
6. कुरुक्षेत्र (विभिन्न महीनों के अंक) ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भारत सरकार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 126-127

प्रसाद जी की जीवन दृष्टि

नरेश प्रसाद*
*हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : छायावाद के आधार–स्तम्भ, भारतीय संसकृति और राष्ट्रीयता के संवाहक साहित्यकार हिन्दी (खड़ी बोली) की नयी शैली के प्रणेता महाकति जयशंकर प्रसाद ने भारतीय जीवन–दर्शन, स्वर्णिम सांस्कृतिक चेतना तथा ममि–मण्डित इतिहास को अपनी कालजयी कृतियों के माध्यम से विश्व–साहित्य में अधिष्ठित किया। विश्व–साहित्य में भारत के संत कवि तुलसीदास के 'रामचरित मानस' के बाद जो मान्यता व प्रतिष्ठा प्रसाद की कामायनी को मिली है। वह् किसी अन्य महाकाव्य को नहीं मिली। आधुनिक विश्व–साहित्य में भारत को गौरवान्वित करने वाले युगप्रवर्त्तक साहित्यकार को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर विस्मृत नहीं किया जा सकता है। 15 फरवरी 1989 को इसका शुभारम्भ हुआ।

मुख्य शब्द : श्रेष्ठ साहित्य, लोक–कल्याण, भारतीय संस्कृति, मानवीय संवेदना, संस्कृति आदि।

श्रेष्ठ साहित्य लोक–कल्याण के लिए लिखा जाता है और सच्चा साहित्य–कार मानव–समाज की सही दिशा का निर्धारक होता है। ऐसे महान साहित्यकार जो मानवी संस्कृति की पुनर्स्थापना नये युग में करते हैं, कभी–कभी त्रिकालदर्शी भी होते हैं, चाहे वे किसी भी भाषा या देश के हों। ऐसे ही साहित्कार प्रसाद स्मृति देश की अस्मिता और सांस्कृतिक सुरक्षा का पर्याय बन चुकी है। 'चित्राधार' में भारतीय संस्कृति एवं मानवीय संवेदना के अग्रदूत साहित्य–स्त्रष्टा 'प्रसाद' जी ने लिखा है–''मानव–सृष्टि धारा–प्रवाह की तरह् उस महासागर की ओर जा रही है जिस धारा–प्रवाह में श्रद्धा जल है, भक्ति वेग है तथा उसका गमन ही ज्ञान हैं।'' मानव जाति को अपना जीव सार्थक करने के लिए प्रसाद जी ने अक्षय ज्ञान का जो भण्डार दिया है इस धरा के रहने तक समाप्त नहीं हो सकेगा। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में एक स्थान पर उन्होंने कहा है– ''महत्वाकांक्षा के दाँव पर मनुष्यता सदैव हारी हैं। उनके इस कथन का अभिप्राय है कि ऐसी महत्वाकांक्षा जिसमें औरों के हिताहित का विचार न हो, जो व्यक्तिगत स्वार्थ–पूर्ति के लिए हो, मनुष्यता के लिए घातक है, परंतु जो जन–जन के लिए कल्याणकारी हो, अनेक लक्ष्य तक पहुँचकर मानवीय विजय पताका फहराती है, सर्वत्र सराही जाती है। ऐसी ही कल्याणकारी भावना का संचार मनीषी साहित्कार ने 'आँसू' की इन पंक्तियों में किया है– प्रसाद–साहित्य ब्रिटिश शासन–काल के अंतिम चरण का समकालीन है। परतंत्रता के दिनों में भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक पतन की उस सीमा तक पहुँच गया था जहाँ से हमारा गौरवमय अतीत विलुप्त हो चला था। जिसे अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा जयशंकर प्रसाद ने पुनःजीवित किया। विदेशी दुश्चत का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि आज हम अपनी ही संस्कृति को अस्पृश्य समझ बैठे हैं और उस आयातित संस्कृति (पश्चिमी) को अपनाकर दिग्भ्रमित तथा अनियंत्रित वृत्तियों के दास बन गये हैं जो हमारी धरती, जलवायु, सामाजिक व प्राकृतिक जीवनचर्या के प्रतिकूल है। हमें इस दुःस्थिति तक पहुँचाने के पीछे पार–धीनता का वह लम्बा इतिहास है जिसने हमारी चेतना को दिग्भ्रमित व कलुषित का डाला है। पराभूत पथभ्रषट भारतीय मानस की इस वेदना के महाकवि ने वैयक्तिक पीड़ा के रूप में अभिव्यक्ति दी हैं, क्योंकि शोषित–पीड़ित भारतीय मानस के लिए दोषी विदेशी षड्यंत्र की अभिव्यक्ति यदि मुखर रूप से जनता के समवेत स्वर में करते तो वे शासकों के कोप भाजन ही नहीं होते, अपितु उनकी लेखनी सदा के लिए अवरूद्ध कर दी जाती।

'प्रेम–पथिक' के 'निवेदन' में प्रसाद जी ने कहा है– ''कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई खड़ी बोली (हिन्दी) किसी क्षेत्र–विशेष की न होकर पूरे देश की भाषा है– 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही लोग यह मानने लगे थे।'' यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वाधीनता के पश्चात् आठवें दशक में जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति ने भाषा–संबंधी संकीर्णता का जो मानसिक प्रदूषण फैलाया वह संविधान में राष्ट्रभाषा का स्थान मिलने के बाद भी हिन्दी को उचित सम्मान मिलने में बाधक बना हुआ है। पराधीनता के दिनों में विदेशियों का यही प्रयास रहा कि भारत की उन्नत एवं प्राचीन सभ्यता–संस्कृति को छिन्न–भिन्न कर उसे अपने हितानुकूल परिभाषित किया जाये तथा इसकी भू–संपदा का दोहन करते हुए प्रलोभन और बल–प्रयोग द्वारा भारतीयता की शेषप्राय आर्य–चेतना को सर्वथा विलुप्त कर दिया जाए।

छायावाद हिन्दी–साहित्य की वह समृद्ध और गौरवशाली काव्यभूमि है जिसने परतंत्रता के दुर्दिन में राष्ट्रीय वेदना को रहस्यपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति दी। छायावादी काव्य का रहस्यवादी होना उसकी विवशता थी, क्योंकि पराधीनता के दिनों में अंगरेजों द्वारा ढाये जा रहे जुल्म तथा भारतीय वाङ्मय को विनष्ट करने का जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था उसका विरोध कर राष्ट्रीय चेतना को जगाये रखना तथा स्वतंत्रता की आकांक्षा को जीवंत रखना भी भारतेन्दु, प्रसाद निराला मैथिलीशरण गुप्त आदि की साहित्य–सर्जना की मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश पालियामेंट में मैकाले का भाषण भी इनके प्रतिकूल था। द्विवेदीयुगीन साहित्य जब जड़ता और इतिवृत्तात्मकता की व्याधि से ग्रस्त था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक–आलोचक भी काव्य की किसी ऐसी विधा का संस्था–पित करने का दिशा में सचेष्ट नहीं हुए, जिसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक परम्परा को अक्षुण्ण रखा जा सकता या देशवासियों के अन्त में स्वतंत्रता का संकल्प भरा जाता। अतएव छायावाद अपने विशिष्ट उद्देश्य की दृष्टि से ही नहीं अपितु भाषा और शैली की दृष्टि से भीं हिन्दी–साहित्य के चरम उत्कर्ष या युग रहा। जिसकी नयी शैली के प्रणेता महाकवि जयशंकर प्रसाद हुए। परतंत्र भारत पर विदेशियों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति की थोपने एवं बाह्य उपलब्धियों पर आधारित खोखले साहित्य पर प्रहार करने के लिए प्रसादजी ने आलम्बन एवं प्रतीकों का अभिनव प्रयोग किया

है। स्वातंत्र्योतर साहित्य में भी जिस परंपरा को भरपूर स्थान मिला है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और जनवाद आदि हिन्दी–साहित्य में अल्पकालिक भ्रांति ही ला सके। जबकि छायावाद का प्रभाव आज की आधुनिकतम कविताओं में भी परिलक्षित होता है जो उसकी जीवंतता का प्रमाण हैं।

छायावाद का परवर्ती साहित्य विषयवस्तु के प्रतिपादन और सांस्कृतिक चेतना के स्फुरण दी दृष्टि से प्रभावहीन होता गया। आज हिन्दी–साहित्य में ऐसा बहुत कम लिखा जा रहा है जिसे शताब्दी की उपलब्धि मानी जा सकती हो। जहाँ महाकवि प्रसाद ने वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, श्री अरविन्द आदि की शाश्वर संस्कृति की परम्परा का निर्वाह अपने साहित्य में व्यापक स्तर पर किया, वहाँ आर्यावर्त्त की धरती पर लिखे गये अधिकांश साहित्य का उद्देश्य सत्ता की प्रशस्ति करना रहा। अनुदान–पुरस्कार की लालसा पर आधारित साहित्य गौरवमयी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने में कितना सहायक हो सकता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। पश्चिम की विकृतियों से प्रभावित भौतिक सुखों की मरीचिका में भटक रहे भारतीय साहित्यकार आज घटिया और गंदे साहित्य के लेखन में होड़ लगा रहे हैं। जब आज के साहित्यकार ही राजनीति के पिछलग्गू बन गये हैं और उनकी चेतना उसी में अंतर्भूत होती जा रही है तो ऐसे में देश और समाज को गर्त्त में जाने से कौन बचा सकता है? नैतिक व सांस्कृतिक पतन की दुराव्यवस्था में देश का उत्थान भला किस तरह हो सकता है? वैज्ञानिक (सीमितार्थ में) उपलब्धियों के खोखले आँकड़े प्रस्तुत करने वाले राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री खाद्यान्न तथा उत्पादन में बृद्धि का दावा करते हैं, परंतु आज जब अमेरिका जैसे सुसम्पन्न देश में बेकारी और भूखमरी की स्थिति है तो भारत जैसे अविकसित और निर्धन देश के नेताओं द्वारा प्रगति की बात करना का छलावा नही और क्या है? आत्मिकविकास के बिना सारी प्रगति असार है.......... खोखली है। यही 'प्रसाद' का भी संदेश है। विश्व के विकसित या समृद्ध देशों की ही बात हम लें। समस्त भौतिक–वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी वहाँ शांति और सहिष्णुता कहाँ है? प्रचुर धन–संपदा और वैभव के बीच रहने वाले वहाँ के लोग जीवन में रित्कता क्यों अनुभव करते हैं? आत्मिक सुख–शांति पाने के लिए वे कभी अध्यात्म–प्रधान रही भारत की धरती पर आते हैं और इस देश के लोग हैं कि उनकी ऊपरी तड़क–भड़क के पीछे भागते हुए अपने खोखले चरित्र पर परदा डाले जा रहे हैं। 'प्रसाद' जी इस खोखले चरित्र को जीवन का अभिशाप मानते थे। अंतरिक्ष और विध्वंसकारी शास्त्रास्त्रों के क्षेत्र में अग्रणी देवा मानव–संस्कृति तथा मानवीय साहिष्णुता के लिए ग्रहण बन गये हैं। मनुष्यता की संस्कृति को उपलब्धियाँ या वैज्ञानिक प्रगति सारहीन हैं जब–तक कि महाशक्तियाँ लड़ने–लड़ाने की प्रवृत्ति को त्याग विश्व के सभी देशों को सहअस्तित्व और सम्प्रभुता के आधार पर सुखी एवं समृद्ध करने की दिशा में अग्रसर नहीं होगी। व्यवस्था आदमी के लिए होती है, न कि आदमी व्यवस्था के लिए। व्यवस्था लोकतांत्रिक, समाजवादी, पूँजीवादी, साम्यवादी या किसी भी तरह की हो, उसका उपयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यवस्था–विशेष के लिए मानव–समूह या दुर्बल देशों की बलि (अनैतिक स्वार्थ के लिए) दी जानी चाहिए। जन–जन के हितार्थ महाशक्तियाँ यदि एक–दूसरे का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकती हैं तो इसे उनका बौद्धिक दिवालियापन ही कहा जाएगा। जो उनकी सबसे बड़ी विफलता है। 'प्रसाद' जी ने 'विशाख' में कहा है–**''अन्याय का राज्य बालू की भीत है।''**

इतिहास की अनेक घटनायें इसका प्रमाण हैं। किसी भी देश के द्वारा अपने आर्थिक–राजनीतिक वर्चस्व के लिए अपनाया गया साम्राज्यवाद का मार्ग अतृप्त व अरक्षित होने तथा अपने प्रति अविष्वास का घोतक है। न्याय का सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति या देश आक्रमण का मृत्यु से भयभीत नहीं होता, इसलिए आज भारत सहित विश्व के सभी देशों को हर मानव के प्रति न्याय की भावना रखकर 'वसुधैव' कुटुम्बकम्' की सर्वोच्च नीति को अपनाना होगा। अन्यथा महाविनाश निश्चित है। 'अजातशत्रु' नाटक में महाकवि ने लिखा है–

''मानवी सृष्टि करूणा के लिए है यों, तो क्रूरता के निदर्शन हिस्त्र पशु–जगत् में क्या कम हैं।''

आज विश्वशान्ति और सुरक्षा की दिशा में सोवियत राष्ट्रपति गोर्वाच्योफ की पहल स्वणिम विहान का संकेत है। विश्व को अमरीकी या रूसी व्यवस्था पर आधारित साम्राज्यवाद की नहीं, अपितु उस भारतीय तथा पाश्चात्य जीवन–दर्शन की अपेक्षा है जिसे अपने चिन्तन–मनन से, अपने लेखनी से वाल्मीकि, व्यास, बुद्ध, ईसा, कालिदास, श्री अरविन्द, 'प्रसाद', गाँधी, मिल्टन, होमर, रूमी, सादी, हाफिज–जैसे मनीषी सीचते रहे हैं। अब भारत तथा अन्य पुरातन संस्कृति–संपन्न देशों को इन्हीं के बताये सन्मार्ग पर विश्व को बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। मानव–संस्कृति का अभ्युदय भारत भूमि पर ही हुआ था। 'चन्द्रगुपत' नाटक में 'प्रसाद' जी ने कहा है– ''अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है।'' यदि विश्व की सारी शक्ति संकल्पपूर्वक युद्ध व तनाव का मार्ग छोड़कर एक–जुट हो जन–जन के कल्याण के लिए कार्य करें तो कोई कारण नहीं कि हर देश समृद्ध और हर आदमी सुखी न हो। 'अजातशत्रु' नाटक में एक पात्र के माध्यम से 'प्रसाद' ने यह सोच प्रकट किया है–''भगवान, क्या कभी वह दिन भी आयेगा जब विश्व भर में एक कुटुम्ब स्थापित हो जायेगा और मानव मात्र स्नेह से अपनी गृहस्थी सम्हालेगे ?''अस्तु, प्रसाद–साहित्य में लौकिक व पारलौकिक तथा समष्टिगत कल्याण और विकास का जीवन–दर्शन है। वर्तमान और भविष्य में भी उपयोगिता और प्रेरणा की दृष्टि से मानव–संस्कृति के संवाहक साहित्यकार की ग्रन्थावली को कालजयी कहना अत्युक्ति न होगी। इस शताब्दी वर्ष पर उस प्रेम व मानवता के अमर पुजारी को मेरा शत–शत प्रणाम।

सन्दर्भ :

1. बुद्ध और नाच घर तथा अन्य कविताएँ (अपने पाठकों से) डा0 बच्चन, पृ0 सं0 10
2. उपरवित् पृ0 सं010
3. हलाहल (कृति–परिचय) डा0 बच्चन, पृ0 सं0 7
4. प्रणय–पत्रिका (अपने पाठकों से) डा0 बच्चन, पृ0 सं0 15

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 128-129

भाषा और हिन्दी साहित्य : एक अध्ययन

सुधा कुमारी*
*हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : भाषा आमतौर पर भाव या विचार की अभिव्यक्ति का साधन मानी जाती है, किन्तु उसकी भूमिका इससे बहुत बड़ी है। हमें समाज या विश्व का बोध भी भाषा के ही माध्यम से होता है। भाषा बहु–समर्थ संरचना है। हमारी मति व कृति का अधिकांश उसी के जरिये या उसी में व्यक्त होता है। प्रयोग के लिहाज से देखें, तो भाषा अभिव्यक्ति से पहले चिन्तन का माध्यम है। पहले हम सोचते हैं, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति करते हैं–बोल या लिखकर। अन्तर्मन में बिखरे अर्थों या विचारों को संकलित करने अथवा अपूर्व–असंभव वस्तु या घटना की कल्पना करने में हमारे लिए उपकारी है, तो 'भाषा' ही। इन बातों के साथ, एक विलक्षण बात यह है कि 'भाषा' के सहारे हम केवल अपने को प्रकट नहीं करते, बल्कि कई बार अपने आप को छुपाते भी हैं। कई बार हम अपना मन्तव्य, अंतर्दशा या वस्तुस्थिति को भाषा के आवरण में लपेटकर सामने वाले व्यक्ति/समाज के लिए उसे अगोचर बना देते हैं।

मुख्य शब्द : भाव या विचार की अभिव्यक्ति, व्याकरणिक संरचना, भाषा सम्प्रेषण, भाषिक समाज आदि।

इन्सान की भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अपने भाषिक समाज में रहते हुए वह भाषा सुनता है, भाषिक प्रयोग देखता है, मन–ही–मन उनका विश्लेषण करता है और इस तरह से भाषा के नियमों को आत्मसात करते रहता है। इसी प्रक्रिया से निरन्तर गुजरते, वह नियमबद्ध व्यवहार के रूप में कोई भाषा सीखता है। वाह्य जगत् में भाषिक व्यवहार (भाषण/बोलना, लेखन/लिखना) करते हैं, उसका आधार है मन में बैठी हुई 'भाषा–व्यवस्था' या 'भाषा–संरचना', जिसका स्वरूप स्मृतिमय होता है। मनःस्थ भाषिक व्यवस्था शब्द व अर्थ के सम्बन्ध (मानसिक शब्दकोश) तथा व्याकरणिक संरचना के रूप में होती है। किसी समुदाय के सभी सदस्यों की चेतना में भाषा–विशेष की वह व्यवस्था कायम रहती है, जिसके आधार पर उनका समस्त 'भाषिक व्यवहार' (भाषण–श्रवण, लेखन–पठन, चिन्तन/सोचना आदि) होते हैं। कोई व्यक्ति (वक्ता/प्रयोक्ता) अपने मानस में अवस्थित उसी भाषा–व्यवस्था (या भाषा–संरचना) के आधार पर कोई भाषिक प्रयोग करता है, जिसका लक्ष्य होता है–सामने वाले व्यक्ति/समाज (श्रोता/ग्रहीता) के मन में स्थित उसी प्रकार की भाषा–संरचना को सुगबुगाना। श्रोता/ग्रहीता उसी के आधार पर वक्ता/प्रयोक्ता के कथन/लेखन का तात्पर्य ग्रहण कर पाता है,

भाषा सम्प्रेषण की व्यवस्था है, परन्तु ध्यातव्य यह है कि सम्प्रेषण वाक्य में होता है। भाषा–विज्ञान के एक सिद्धान्त के अनुसार इन्सान की अभिव्यक्ति की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य ही है, क्योंकि वह वाक्यों में ही सोचता है और अपनी मानसिक प्रक्रिया को आवश्यकता व इच्छा के अनुसार वाक्य के रूप में ही अभिव्यक्त करता है, चाहे वाक्य एक पद का ही क्यों न हो, चाहे वह अनेक पदों का हो या अनुच्छेद भर का (यानी 'प्रोक्ति' का रूप)। यानी, भाषिक व्यवहार या सम्प्रेषण की न्यूनतम इकाई 'वाक्य' से कम हो ही नहीं सकती। वाक्य से नीचे उतरने पर अर्थ की समग्रता ही खण्डित हो जाती है। शब्द का बोध्य अर्थ कई बार एक–एक वस्तु का रूप न होकर पूर्ण अभिप्राय (विचार/भाव) के रूप में भी होता है। भाषा सीखने के क्रम में ऐसा देखा गया है कि पहले वर्ष के अन्त तक अव्यक्त और अस्पष्ट ध्वनियाँ शिशु की व्यक्त और स्पष्ट ध्वनियाँ (शब्द) बनने लगती हैं। पहले वर्ष में इस तरह वह चार–पाँच शब्द बोल लेता है। पहले एक शब्द, बाद में दो शब्दों के कुछ वाक्य प्रकार आदि। दूसरे वर्ष में उसका शब्दभण्डार बढ़कर दो–चार सौ शब्दों तक का हो जाता है। साथ ही, भाषा–विशेष (जिस भाषिक समुदाय में वह रहता है) की व्याकरणिक व्यवस्था भी उसके वाग्व्यवहार में बनने लगती है। पर, इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा ध्वनि से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाना सीख रहा होता है। अपने मन में वह जो कुछ सोचता है, वह वाक्यार्थ ही होता है, जिसे सम्प्रेषित करने की कोशिश करता है। वस्तुतः, मन से हर बार वह (वाक्य ही बोल रहा होता है, पर उच्चारण में वह प्रकट नहीं हो पाता और हमें उसके वागंग अक्सर टूटे–फूटे शब्दों का उच्चारण करते दिखते हैं। बच्चा जब पहली साँस लेता है, तब उस समय से ही आसपास सम्प्रेषण के (वाक्यमय) संसार से मुखातिब होता है। वह उसे महसूस करता है, उसी में खुद सम्प्रेषण करना चाहता है। आसपास बोल रहे जनों का अनुकरण करना चाहता है। उस क्रम में अधूरे रूप में 'लोती' (रोटी) आदि बोल पाता है।

भाषा के ध्वनि–परिवर्तन के अन्य आंतरिक कारणों में 'अपूर्ण अनुकरण' (जैसे– 'गंगा जी' शब्द का अपूर्ण अनुकरण अंग्रेजी में उसे 'गैंजेज/गंगेज' बना देता है। शिशु 'रोटी' को 'लोती' कहता है), अज्ञान–जन्य 'भ्रामक व्युत्पत्ति /सादृश्य' (जैसे–'देहाती' के तर्ज पर 'शहराती' हो जाना, 'पंडित जी' का 'पंडी जी' हो जाना), भावातिरेक (जैसे– 'बेटी' को 'बिट्टो/बिटिया', 'बहन' को 'बहिनिया' आदि बोलना) आदि भी गिनाये जाते हैं। इनसे भी ध्वनि–परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है, किन्तु ये भी सिद्धान्त नहीं बन सकते। कारण, शिक्षा अथवा बेहतर प्रयोक्ताओं के अनुकरण द्वारा इन्हें सुधार सकते हैं किन्तु, इनकी भी परिवर्तन में भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। बस! दो बातें ध्यातव्य हैं। पहली तो यह कि ऐसे परिवर्तन भी वक्ता अपनी ध्वनि–प्रकृति के अनुकूल ही करता है। दूसरी बात, जो अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि कोई भी ऐसा परिवर्तन व्यक्तिगत विचलन के रूप में न होकर सामाजिक स्वीकृति/प्रवृत्ति के रूप में स्थिर होने पर ही भाषा में परिवर्तन लाता है। जिस गति से किसी भाषा की शब्द–सम्पदा और उसने लगी ध्वनियों में बदलाव आता है, उस गति से उसकी व्याकरणिक विशेषताएँ नहीं बदल पातीं। व्याकरण के बदलाव को सर्वनाम, संख्यावाचक शब्द, क्रियापद, विभक्ति/परसर्ग, प्रत्यय, अव्यय आदि तत्त्वों को कसौटी बनाकर मापा जा

सकता है, जिन्हें पं. किशोरीदास वाजपेयी 'भाषा के मूलधन' कहते हैं। इन्हीं पर किसी भाषा की निजता सर्वाधिक टिकी रहती है। ये किसी भाषा में उधार नहीं लिये जाते, आयातित नहीं होते, बल्कि उस भाषा के अपने विकास होते हैं, खासकर प्रथम चार। किसी योगात्मक भाषा में ये यदि आमूल–चूल बदलाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो मान लेना पड़ता है कि भाषा बदल गयी, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा जनम चुकी है। पर, इसके साथ अयोगात्मक भाषाओं का भी तो सवाल है! उस सन्दर्भ में, कदाचित् यह कहना होगा कि अयोगात्मकता की स्थिति को पारकर उनमें (उपसर्ग, विभक्ति, प्रत्यय जैसे) प्रकट सम्बन्ध–तत्त्वों का विकास हो जाए, तो वे भाषाएँ परिवर्तित मान ली जाएँगी। किसी भाषा के इतिहास को देखकर यह समझ सकते हैं कि इस तरह के परिवर्तन में सैंकड़ों–हजारों साल लगते हैं।

1000 से आधुनिक आर्य भाषाओं का काल आरंभ होता है, यद्यपि इन भाषाओं में साहित्य की रचना का श्रीगणेश 10वीं सदी के अंत में अथवा 11वीं सदी के आरंभ में हुआ, ये बोलचाल की भाषा बन गई, इसी में विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बँगला, राजस्थानी आदि की उत्पत्ति विभिन्न अपभ्रंशों से हुई। पश्चिमी हिंदी का उदय शौरसेनी अपभ्रंश से तथा पूर्वी हिंदी का उदय अर्द्धमागधी–अपभ्रंश से हुआ। शिवनाथ सिंह सेंगर ने 'पुष्य' नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो आठवीं शताब्दी के थे। इसी आधार पर वे हिंदी साहित्य का आरम्भ भी आठवीं शताब्दी से मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन 'स्वबन्धु' नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आठवीं शताब्दी में 'पुष्य' नाम के कवि और उसके ग्रंथ का केवल उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर पं0 रामचन्द्र शुक्ल 'पुष्य' को हिंदी का प्रथम कवि न मानकर, सिद्ध कवि 'सरहपा' को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जिसका समय संवत् 690 विक्रम के आसपास का है। हिंदी साहित्य का प्रचुर भंडार, हिंदी की शान व हम सब का गौरव है। हिंदी के कवि कबीर, सूर, तुलसी तथा उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार माने जाते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की विश्व भर में अपनी अमर पहचान है। इनकी रचनाओं का अध्ययन करने के लिये अनेक विदेशी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। उक्त साहित्यकारों को अनेक विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है। प्रत्येक को अनेक भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। सार रूप में, हिंदी का साहित्य भारत एवं भारतीयों की पहचान है। अस्तु! हिंदी साहित्य की महिमा निर्विवाद है।

लौकिक संस्कृत में रचित अमर एवं आदि महाकाव्य रामायण को आधार मानकर समय के साथ विभिन्न भाषाओं में अनेक महाकाव्य रचे गए। अवधी में रचा गोस्वामी तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' हिंदी साहित्य में संस्कृति चिंतन का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रीराम का जीवन ही भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से ओत–प्रोत है। जीवन भर उन्होंने दुख उठाकर भी मूल्यों की रक्षा की। मर्यादित रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उसी औपनिषद् 'सत्यं वद, धर्मं चर' को श्रीराम के जीवन एवं रामायण तथा रामचरितमानस जैसे हिंदी के अमर महाकाव्य में फलित होते देखा गया है। वैदिक सांस्कृतिक परम्परा हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। भारतेंदु के 'सत्य हरिश्चंद्र' शीर्षक अमर नाटक में ''सत्यं वद...'' की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। सत्य के लिए राजा ने पत्नी शैव्या को बेचा, स्वयं बिका, पुत्र रोहिताश्व के मरने पर शैव्या से कर के रूप में उनके वस्त्र का आधा भाग फड़वाकर ले लिया! परंतु उनकी सत्यता नहीं छटी। भारतीय संस्कृति के अनेक मूल्यों को हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में पाया जाता है।''भाषा गई तो संस्कृति गई!''

हिंदी प्रचारिणी सभा, मॉरीशस की यह अनमोल सूक्ति 1925 से ही प्रसिद्ध हो चुकी थी। प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल के स्वदेश 1939 में लौटने के बाद उनके द्वारा प्रारम्भ 'जन आन्दोलन' का सर्वप्रमुख उद्देश्य ही भारतीय संस्कृति का प्रचार–प्रसार करना था। उन्होंने अंग्रेजी–फ्रेंच में पुस्तकें लिखीं, परन्तु सांस्कृतिक प्रचार कार्य हिंदी में किया। उनका प्रवचन हिंदी में होता था। उन्होंने तीन सौ तक छोटी–बड़ी पुस्तिकाएँ–पुस्तकें लिखीं, जो अधिकतर हिंदी ही में थीं। उन्होंने कहानी–कविता की रचना नहीं की, परंतु विद्वतापूर्ण उच्चस्तरीय निबन्ध, लेख, अनुवाद आदि का देश में सांस्कृतिक जागरण को ध्यान में रखकर सृजन किया।

निष्कर्ष : भाषा हमारे भाषा या विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन माना जाता है। समाज या विश्व का बोध में भी भाषा ही माध्यम बनता है। भाषा ही अपने आपको प्रकट या छुपाने का एक माध्यम भी माना गया है। वहीं भाषा की दृष्टि में हिन्दी साहित्य के पारंभ (आदिकाल) का निर्णय करने के सन्दर्भ में हमारे दो मत आते हैं– पहला–विद्वानों का एक वर्ग अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी मानते हैं तो दूसरा–विक्रय संवत की आठवी शताब्दी की रचनाओं को हिन्दी की रचनाओं को मानते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि भाषा अगर पहली कड़ी है तो हिन्दी साहित्य उसकी दूसरी कड़ी।

सन्दर्भ :

1. संस्कृति के चार अध्याय, श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' प्रकाशक : साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 1956
2. तैत्तिरीय उपनिषद् प्रकाशक : श्री रामकृष्ण मठ, मद्रास सत्यार्थ प्रकाश , महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा उद्धृत् प्रकाशक : सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली
3. श्रीमद्भागवदगीता – महर्षि वेदव्यास संपादक, राधेश्याम गुप्त, प्रकाशक : नीता प्रकाशन, नई दिल्ली (2012)
4. गोदान – प्रेमचंद, प्रकाशक : सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद ,1966, पृष्ठ 219
5. मॉरीशस में हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास , श्री जयनारायण रॉय, प्रकाशक, यशपाल जैन, पृष्ठ 54
6. सूरज प्रसाद मंगर 'भगत', मंत्री–हिंदी प्रचारिणी सभा की प्रसिद्ध सूक्ति

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 130-131

सांस्कृतिक नवजागरण का छायावादयुगीन साहित्य पर प्रभाव

डॉ0 साधना जायसवाल*

*न्यू पुलिस लाइन, कल्ली पश्चिम, पी0जी0 आई0 लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : हिन्दी कविता जिन दिनों अनेक नए रास्ते की ओर मुड़ने की तैयारी में थी, उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध के बादल घिर रहे थे। सन् 1914 ई0 में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया। जिसमें पुरानी कई मान्यताएँ घायल हुई कुछ तो बिल्कुल नष्ट हो गयी, और बहुत–सी नई मान्यताओं का जन्म हुआ। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होते–होते सारे देश में नई चेतना की लहर दौड़ गई।

मुख्य शब्द : सांस्कृतिक नवजागरण, छायावादयुगीन साहित्य, राजनीतिक दृष्टि, सामाजिक परिवेश, सामाजिक आन्देालन आदि।

छायावादी साहित्य पर तत्कालीन युग की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। राजनीतिक दृष्टि से प्रथम महायुद्ध के अन्तर भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन ने एक नयी करवट ली। गाँधीजी के नेतृत्व में सत्य, अहिंसा और येग्य की सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग होने लगा था। यद्यपि प्रारम्भ में यह प्रयोग सार्थक नहीं था किन्तु इससे भारतीय नेता हताश या निराश नहीं हुए थे। गाँधीजी का नेतृत्व यथावत् चल रहा था। किन्तु छायावादी कवि तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनों के प्रति उदासीन से थे। इस कवियों की उदासीनता के कारण उनका वैयक्तिकता में लीन हो जाना है। छायावादी कवियों ने प्रत्यक्ष रूप में देश की स्वतन्त्रता के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिखा। उन्होंने शैवदर्शन, अद्धैत, भक्ति वेदान्त और अरविन्द दर्शन अथवा निराकार की प्रणयानुभव का आधार ग्रहण कर सामाजिक चेतना को दिशा देने का कार्य किया है। इस सम्बन्ध में डॉ0 गणपति चन्द्रगुप्त के विचार उल्लेखनीय ''यह आश्चर्य की बात है जिस युग में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, भगत सिंह को फाँसी साइमन कमीशन बहिष्कार, नमक कानून भंग जैसी घटनाएं हुई, उसी युग में जीवित रह करके छायावादी कवि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिख सका इसका क्या कारण खाती थी, जबकि राजनीतिक आन्दोलन स्वातन्त्रय संग्रामों के वीर एवं रौद्र के स्थायी भाव उत्साह एवं जुगुप्सा की आवश्कता पड़ती है। छायावादी करूणा एवं प्रेम में उत्साह एवं जुगुप्सा के विकास की कोई सम्भावना नहीं थी। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन कवि का तत्कालीन राजनीति के प्रति उदासीन रहना स्वाभाविक था।''[1]

डॉ0 नगेन्द्र का मत है– छायावाद का आरम्भ सन् 1918 मे और अन्त 1938 में माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आधुनिक कविता के तृतीय उत्थान की सीमा का आरम्भ सम्वत् 1975 (सन् 1918) में माना है। सन् 1918 को ही छायावाद के आरम्भिक सीमा मानने का कारण यह है कि छायावादी पद्धति को रचनाएं इसके आस–पास प्रकाशित होने लगी थी। निराला की 'जूही की कली' (1916) के अतिरिक्त पन्त की 'पल्लव' की कुछ कविताओं की रचना भी 1920 ई0 के आसपास हो चुकी थी।''[2]

सांस्कृतिक नवजागरण की चेतना से हिन्दी की छायावादी कविता अत्यन्त घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से आरम्भ सांस्कृतिक एवं वैचारिक आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक अपने उत्कर्ष पर पहुँच गये थे तथा नवोत्थान की चेतना से राष्ट्रीय जीवन अत्यधिक प्रभावित हुए'' ब्रहासमाज के सामाजिक आन्दोलन का एक पक्ष नारियों की बन्धन–मुक्ति से सम्बद्ध था–छायावादी कविता में हम नारी रूप को जिस सांस्कृतिक शोभा–सुषमा के रूप में पाते हैं और जिस नारी रूप का प्रभूत प्रभाव छायावादी कविता की सौन्दर्य चेतना पर पड़ा है, उसका आंशिक श्रेय ब्रह्मसमाजी नारी दृष्टि का भी है कुल मिलाकर ब्रह्मसमाजी आन्दोलन से छायावादी कवियों ने नारीं–मुक्ति, मानवतावाद और विधवा–विवाह के समर्थन को ग्रहण किया। साथ ही ब्रह्मसमाजी आन्दोलन में यूरोप की नवीनताओं के प्रति वर्जना के बदले जो समादर का भाव था, उसे छायावादी कवियों ने शिल्प के रूप में ग्रहण किया। छायावादी कवियों ने जिस उन्मुक्त भाव से शैली, वर्डस्वर्थ कीट्स और कालरिज की काव्य–शैली को प्रलुब्ध दृष्टि से देखा, उसके लिए अनुकूल मानसिक पृष्ठभूमि पैदा करने में ब्रह्मसमाज की यूरोपोन्मुखता का अवश्य हाथ रहा होगा। एतादृश अन्य बातों से भी यह समर्पित होता है कि छायावाद केवल व्यक्तिवाद का काव्यात्मक उदय था अंग्रेजी के रोमांटिक साहित्य और रविबाबू का अनुकरण मात्र नहीं था, बल्कि छायावाद का गहरा सम्बन्ध उस हिन्दू नवोत्थान (हिन्दू रिनेसा) से था जिसका सूत्र–संचालन राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती एनीवेसेंट इत्यादि ने किया था।''[3]

''सन् 1920 ई0 में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतवर्ष विदेशी गुलामी को झाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गया। असहयोग–आन्दोलन इसी प्रयत्न का राजनीतिक मूर्त रूप था। इसे सिर्फ राजनीति तक ही सीमित न समझना चाहिए।

यह सम्पूर्ण देश का आत्मस्वरूप समझने का प्रयत्न था और अपनी गलतियों को साधारकर संसार की समृद्ध जातियों की प्रतिद्वंद्विता में अग्रसर होने का संकल्प था। संक्षेप में एक महान सांस्कृतिक आन्दोलन था। उस समय देश की स्वाधीनता को केवल देश को महान बनाने का साधन–भर समझता गया था। आधुनिक काल में आत्मविश्वास की ऐसी प्रचंड लर इसके पूर्व कभी देश में नहीं दिखाई पड़ी थी। जनता का जो भाग पिछड़ा हुआ था, जो पर्दे के कैद था, जो अपमानित और उपेक्षित था, उसके प्रति सामूहिक रूप में सहानुभूति का भाव उत्पन्न हुआ। सौभाग्य से इस महान् आंदोलन का नेता महात्मा गाँधी–जैस सत्यनिष्ठ महापुरूष था। संसार ने पहली बार शुत्रु के विरूद्ध निःशस्त्र सैनिक–युद्ध–जिसका प्रधान अस्त्र मैत्री और प्रेम था–देखा। यह पूरा–का पूरा आन्दोलन मानवीय प्रयत्नों की सात्विक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए इसका वाह्य और आन्तरिक रूप सांस्कृतिक था। भारतवर्ष में सब प्रकार ने नवीन जागरण का सूत्रपात हुआ।''[4]

आर्यसमाजी ब्रह्मसमाजी की भाँति यूरोपोन्मुख न था। इसका प्रभाव छायावादी किविता पर पड़ा–''छायावादी कविताओं में प्राप्त वेदवाद, अपौरूषेयता में विश्वास और पुनर्जन्म में आस्था, आर्य समाजी विचारों के ही प्रकारान्तर प्रभाव हैं– भारत के गौरवपूर्ण अतीत के प्रति हमें जो निविड़ मोह या श्रद्धा का भाव मिलता है, उसका बहुत बड़ा श्रेय आर्यसमाज को है। प्रत्येक देश का साहित्य (रोमांटिक साहित्य) अपनी पीठ पर आँख लेकर पैदा होता है, अर्थात अतीत को बहुत ही लुभावनी दृष्टि से देखता है, तथापि यह सम्भव था कि ब्रह्मसमाजी प्रभाव या भारतीय क्षितिज पर यूरोप के उदय से परणित होकर छायावाद अपने देश के गौरवपूर्ण अतीत को भूलकर केवल पाश्चात्य साहित्य का मुखापेक्षी बनकर रह जाता, किन्तु आर्यसमाज ने इस द्विधा या विचिकित्सा से छायावाद की रक्षा की और वैदिक काल की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति छायावादी कवियों में उदग्र श्रद्धा पैदा कर दी। हमें यह स्वीकार है कि आर्यसमाज का आधार पक्ष और उसकी पवित्रवादी भावना छायावाद की कोमल भावनाओं के विपरीत तथा द्विवेदी युगीन वर्जनओं के अनुकूल पड़ती थी, तथापि यह निश्चित है, कि आर्यसमाज ने जिस नव–जागरण का संचार किया, उसका प्रकारान्तर प्रभाव छायावाद पर पड़ा था।''[5]

परमहंस और विवेकानन्द के अनुभूतिवाद, शक्तिपूजा, उदार उपासना और सर्व धर्म–समादर ने छायावादी कविता की मनोभूमि को प्रभूत मात्रा में प्रभावित किया। निराला के काव्य पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा साथ ही पंत ने भी इसको ग्रहण किया। पंतजी ने तो स्वयं ही पल्लव की भूमिका में लिखा– ''पल्लव काल में मैं परमहंस देव के वचनामृत तथा स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के विचारों के सम्पर्क में आ गया था।''[6]

सन्दर्भः

1. डॉ0 गणपति चन्द्र गुप्त, साहित्यक निबन्ध, पृ0 487
2. डॉ0 नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ0 528–529
3. डॉ0 कुमार विमल, छायावाद काप सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन, पृ0 17
4. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यः उदभव और विकास, पृ0 237
5. डॉ0 कुमार विमल, छायावाद काप सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन, पृ0 17–18
6. सुमित्रानन्दन पंत, उत्तरा, पृ0 22

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 132-134

धर्मशास्त्रों में नारी का धार्मिक–जीवन

मन्जू यादव*

* शोध–छात्रा, प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, तिलकधारी स्नतकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : भारतीय संस्कृति का विश्व की समस्त संस्कृतियों में अग्रणीय स्थान रहा है। ऋषिकाएं, साध्वियाँ, भिक्षुणियाँ, नारियाँ एवं सन्त परम्पराएं इस संस्कृति के गौरवास्पद आयाम है। यह एक ऐतिहासिक यर्थाथ है कि भारत की सामाजिक एवं संस्कृतिक संरचना तथा मूल्यपरक विचारशील पुरुषार्थ, संस्कार आधारित जीवन पद्धति एवं श्रमशील दीर्घकालीन मोक्षप्रद जीवन की मौलिक विचारणा में नारियों का महत्तम अवदान रहा है। अति प्राचीन काल से ही यहाँ धर्म प्राणरूप में प्रतिष्ठित है। सम्पूर्ण समाज में धर्म सदैव मानव जीवन के पवित्र प्रेरक के रूप में स्वीकार किया गया है। धर्म के क्षेत्र में नारियों की दशा में युगानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। नारियों की स्थिति में वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहें है और नारी अधिकारों में परिवर्तन होते रहे है। वैदिक काल में निःसंदेह ही धार्मिक क्षेत्र में नारियों की स्थिति अत्यन्त परिष्कृत थी। यज्ञ हो या धार्मिक कृत्य नारियों का निर्विरोध स्वच्छन्वतापूर्वक इसमें सम्मिलित होना उनका सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित करता है। वह पुरुषों के साथ यज्ञ करती थी और स्वतन्त्र रूप से भी यज्ञ करने की अधिकारिणी थी। समाज में नारी की धार्मिक स्थिति ही उनका स्थान निर्धारित करती थी तथा उनकी उन्नति एवं अवनति की दशा को स्पष्ट करती थी।

मुख्य शब्द : वैदिक काल, मोक्षप्रद जीवन, याज्ञिक अनुष्ठान, सोमरस, अग्निहोत्री कर्म आदि ।

वैदिक काल में नारियों को धार्मिक अधिकार पुरुषों के समान ही प्राप्त थे। नारी वैदिक मन्त्रों का शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकती थी। कन्याएं स्वयं ही याज्ञिक अनुष्ठान सम्पन्न करा लिया करती थी। ऋग्वेद में एक कन्या का उल्लेख मिलता है जो स्नान के पश्चात् सोमरस लेकर घर लौटती है और यज्ञ के द्वारा इन्द्रदेवता को सोमरस प्रदान करती है।[1] एक अन्य स्थान पर विश्ववारा को प्रातः काल अकेले यज्ञ करने का प्रसंग मिलता है।[2] पुरुषों को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए पत्नी का साथ होना आवश्यक था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नि के अभाव में पति पूर्ण नहीं है।[3] शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्निरहित पुरुष की आहुति देवता भी स्वीकार नहीं करते।[4] इस कारण यज्ञ पर पत्नी का होना आवश्यक होता था। पत्नी धार्मिक अनुष्ठान में सहायिका मानी जाती थी। वेदों के अनेक सूक्तों में पति–पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से यज्ञ आहूत करने का उल्लेख प्राप्त होता है।[5] देवी देवताओं को आहुति अर्पित करने के लिए पति–पत्नी द्वारा अग्निहोत्री कर्म करने का उल्लेख मिलता है।[6] पत्नी से अनेक धार्मिक क्रियाएं सम्पादित कराया जाता था।[7] इस प्रकार वैदिक काल में नारी का याज्ञिक कार्य में स्थान औपचारिक नहीं वरन् वास्तविक था।

वैदिक काल में यज्ञ कार्यो में नारी की स्वतन्त्रता उसी काल के उत्तरार्द्ध में कर्मकाण्डों की जटिलता ने यज्ञाधिकार से वंचित करने को भी संकेतित करते है। गौतम धर्मसूत्र स्त्रियों को यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान में अस्वतन्त्र बताते है।[8] फिर भी धर्मशास्त्रों में नारी के धार्मिक जीवन में यज्ञ का विशिष्ट स्थान है तथा याज्ञिक क्रिया–कलाप सम्पन्न कराने में पत्नियां पति का साथ देती थी। धर्मशास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन चर्या तथा विभिन्न अवसरों पर सम्पन्न अनेक यज्ञों का उल्लेख प्राप्त होता है। वायु एवं ब्राह्मण[9] पुराण में निरूपित, वराह की पृथ्वी उद्धार की क्रिया को यज्ञ का रूप कहा गया है जिसके सम्पन्न होने के उसकी पत्नी छाया (ब्राह्मण पुराण में माया) उसके साथ थी। नैमिषारण्य के विशिष्ट क्षेत्र में जब यज्ञ समादित किया गया था तब यज्ञ में स्वयं तप यजमान बने और इला (ब्राह्मण पुराण में इंडा) ने पत्नी के रूप में साथ दिया। ब्राह्मण पुराण में अन्यत्र उल्लिखित है कि नृप सगर ने सपत्निक यज्ञीय स्नान सम्पन्न किया था। यज्ञों को सम्पन्न कराने के अतिरिक्त वे वैदिक शिक्षा सम्पन्न होती थी तथा धार्मिक विषयों पर उनका ज्ञान विलक्षण था।

वैदिक काल में कुछ पातको की शुद्धि हेतु भी पृथक यज्ञ का विधान मिलता है। धर्मशास्त्रकारों ने भी विविध धार्मिक कर्त्तव्यों एवं यज्ञों का वर्णन किया है। धर्मशास्त्रों के प्रमुख यज्ञ इस प्रकार है।

(1) श्रोत यज्ञ : वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक मनुष्य पर तीन ऋण होते हैं–देवऋण, ऋषिऋण, एवं पितृऋण। देवऋण से अनृण होने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों को समन्न किया जाता है। श्रौत यज्ञों का विषद् वर्णन वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है। इन यज्ञों में प्रज्ज्वलित अग्नि में होम किया जाता है जिसे श्रौत अग्नि कहते है। यहाँ श्रौत अग्नि के नियम पुरुष प्रधान समाज के अधिकार को प्रमाणित करते है। केवल वही व्यक्ति जिसके केश पके न हों, जो पुत्रवान हो या उस अवस्था का हो जबकि वह पुत्रवान सकता हो, श्रौत अग्नि प्रज्ज्वलित कर सकता था। इस यज्ञ में पुरोहित का स्थान सर्व प्रमुख होता है। इसके सम्पादन हेतु अनेक सामान्य एवं विशिष्ट नियम बनाये गये है जिसका पालन अनिवार्य है। ये यज्ञ प्रायः देवताओं को प्रसन्न करने मनोवांछित अभिलाषा की पूर्ति हेतु तथा दैनिक क्रिया इत्यादि के रूप में भी किये जाते हैं।

वैदिक काल से ही पंच महायज्ञ की व्यवस्था की गयी है। मनु, शंख, विष्णु स्मृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ के लिए चुल्हा, चक्की, झाडू, ओखली–मूसल, जलघर से प्रतिदिन प्राणियों को आहत करता है और मारता है, इन्हीं पापों से छुटकारा पाने के लिए महर्षियों ने पंच महायज्ञ का विधान किया है।[10] अतएव द्विजों को पंच महायज्ञों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। पंच महायज्ञों एवं श्रौत्र यज्ञों में दो प्रकार के अन्तर है।

(क) पंच महायज्ञों में गृहस्थ को किसी व्यावसायिक पुरोहित की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु श्रौत यज्ञों में पुरोहित का स्थान प्रमुख है एवं गृहस्थ का स्थान गौण रूप में रहता है।

(ख) पंच महायज्ञों में मुख्य उद्‌देश्य है, विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं सम्पूर्ण ब्राह्मण के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन। किन्तु श्रौत यज्ञों में क्रिया की प्रमुख प्रेरणा है–स्वर्ग सम्पत्ति एवं पुत्रादि की कामना। अतः पन्चमहायज्ञों की व्यवस्था में श्रौत यज्ञों के अपेक्षा अधिक नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदस्यता देखने में आती है।

गृहस्थों के लिए अनिवार्य पंच महायज्ञ इस प्रकार हैः

(क) **ब्रहमयज्ञः** गृहस्थ द्वारा वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन–अध्यापन तथा चिन्तन–मनन करना ब्रहमयज्ञ कहलाता है। कालान्तर में स्वाध्याय के साथ सध्याबन्दन तथा गायत्री जप भी ब्रह्मज्ञान के अनुष्ठान में परिगणित होने लगे।

(ख) **देवयज्ञ** : जब मन्त्रोचारण पूर्वक अग्नि में हवन सामग्री अथवा घृत की आहूति दी जाती है, उसे देवयज्ञ कहते हैं।

(ग) **पितृयज्ञ** : पितरों अथवा पूवर्जों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करना पितृयज्ञ कहलाता है।

(घ) **भूतयज्ञ** : इस यज्ञ में जीवों को बलि, भोजन का ग्रास या पिण्ड दिया जाता है।

(ङ) **नृयज्ञ** : जब अतिथियों का भोजन इत्यादि से सत्कार किया जाता है उसे 'नृयज्ञ' कहते हैं।

मनु के अनुसार, प्राचीन ऋषियों ने इस पंचमहायज्ञों के क्रमशः अहुतजय, हुत–होम, प्राशित प्रहुत व ब्रह्महुत व प्राशित कहा है।

पंच महायज्ञ और स्त्रियाँ : पंचमहायज्ञों को गृहस्थ स्वयं सम्पादित कर सकता है। महायज्ञों में स्त्री की स्थिति की समीक्षा करने पर यह दृष्टिगत होता है कि इन महायज्ञों में स्त्रियों का पर्याप्त अधिकार नहीं था। इन यज्ञों में नारी की भूमिका अथवा अधिकार के विषय में धर्मशास्त्रकारों ने विभिन्न मत दिये है।

(1) **ब्रहमयज्ञ में स्त्रियों की भूमिका** : ब्रहमयज्ञ के विषय में अत्यन्त प्राचीन वर्णन शतपथ–ब्राह्मण में मिलता है।[30] ब्रहमयज्ञ प्रतिदिन का वेदाध्यान (स्वाध्याय) और संध्याबन्दन है, पर इसमें स्त्रियों का अधिकार न्युन था। जैसा कि पूर्व में वर्णित है कि नारी शिक्षा के प्रति धर्मशास्त्रों का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट नहीं था। उन्होंने अल्पायु में कन्या के विवाह का समर्थन किया है। धर्मशास्त्रकारों ने स्त्रियों के सभी संस्कार वेदमन्त्रों के बिना ही करने का विधान किया है। अतः सम्यक रूप से उपनीत न होने तथा पर्याप्त शिक्षा के अभाव के कारण व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को ब्रहमयज्ञ की क्रियाओं से वंचित किया है।

(2) **देवयज्ञ में स्त्रियों की भूमिका** : देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में समिधा डालने से होता है। मनु ने होम को देवयज्ञ कहा है। नित्य का होम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों द्वारा कराने से उतना फल प्राप्त नहीं होता है। यज्ञ कराने वाले के बिमार होने या बाहर होने पर पत्नी तथा आविवाहित नित्य होम के लिए समर्थ है। मनु के अनुसार अविवाहिता पुत्री, विवाहिता युवा पुत्री, थोड़ा पढ़ा हुआ, रोगी तथा यज्ञोपवीत्र संस्कार से हीन व्यक्ति को किसी गृहस्थ के स्थान पर अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे के स्थान पर अग्निहोत्र करने वाले व्यक्ति को श्रौत यज्ञ में दक्ष होना जरूरी होता था। मनु का मत है कि अविवाहित पुत्री, विवाहित युवा पुत्री, रोगी, थोड़ा पढ़ा हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार से ही व्यक्ति यदि होम करता है तो वे एवं गृहस्थ नरक के भागी होते है। स्मृत्यर्थसार में भी उल्लिखित है कि पत्नी और पुत्री पर्युक्षण को छोड़कर होम के सारे कार्य क सकती है।[11]

(3) **पितृयज्ञ और स्त्रियाँ** : दैनिक जीवन में कलह एवं झंझटों को दूर करने के लिए भारतीय मनीषियों ने पितृयज्ञ का विधान किया था, जिससे पारिवारिक जीवन आनन्द पूर्वक व्यतीत किया जा सके। इस यज्ञ द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता था। पितृऋण से मुक्ति के लिए पितृयज्ञ का सम्पादन किया जाता था। धर्मशास्त्रकारों को इस यज्ञ में केवल मृत पितर ही अभिष्ट नहीं थे। अपने यशस्वी एवं पुण्यवान् मृत पूर्वजों का प्रतिदिन तर्पण करके गृहस्थ उनके गुणों को तो आत्मसात करें ही साथ ही अपने जीवित मात–पिता आदि पूज्यजनों को भी प्रतिदिन भोजन पान आदि के द्वारा सम्मानित करें। पितृयज्ञ तीन प्रकार से सम्पादित किया जाता है : तर्पण द्वारा, बलिहरण द्वारा, प्रतिदिन श्राद्ध द्वारा।

मनु का मत है कि प्रतिदिन देवी, देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को तपर्ण करना चाहिए। स्नान के पश्चात् पितरों को भक्तिपूर्वक जल द्वारा परितुष्ट करना तपर्ण कहलाता है। यह तर्पण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भाग से जिसे देव तीर्थ कहते है देना चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार पितृतीर्थ हो। पितरों में माता, मातामही एवं प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर तीन बार पितृतीर्थ से जल दिया जाता है और वैसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम व गोत्र बोला जाता है। क्रम से इन पितरों को जल दिया जाता है–पितामह, प्रपितामह माता, मातामही प्रमातामही, विमाता, नाना (नाना के साथ मातामह से संयुक्त सपत्नी) परनाना, परनाना के पिता (उसकी पत्नी के साथ), अपनी पत्नी अपना पुत्र या अपने पुत्र व उनकी पत्नीयाँ (यदि मृत हो), पुत्री (दामाद के साथ यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो), चाचा (मृत चाची के साथ), मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (बहनोई के साथ), श्वसुर (मृत सास व सालों के साथ), गुरू व शिष्य।

(4) **बलिवैश्वदेव और स्त्रियाँ** : बलिवैश्वदेव अथवा भूंतयज्ञ की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। श्रुति का कथन है कि जो मन्द बुद्धि मनुष्य न तो अपने सहयोगियों को और न ही अन्य पशु–पक्षियों को उनका भाग देता है, केवल स्वयं ही उसका उपभोग करता है, तो उसका यह भोग व्यर्थ है क्योंकि अकेला खाने वाला मनुष्य पाप को खाता है।[12] बलिवैश्वदेव यज्ञ वह यज्ञ है जिसमें भोजन करने से पूर्ण विभिन्न प्राणियों के लिए उनका भाग (बलि) निकाल कर उन्हें दिया जाता है। इसे भूतयज्ञ भी कहा जाता है।[67] इसमें निराधार या अन्य किसी कारण से स्वोदर निर्वाह करने में असमर्थ प्राणियों की भोजन आदि से सहायता करने का भाव है। इसमें मनुष्य के त्यागपूर्वक भोग की शिक्षा प्राप्त होती है।

(5) **नृयज्ञ और स्त्रियाँ** : नृयज्ञ अथवा अतिथियज्ञ का तात्पर्य है अतिथि सत्कार करना।[13] अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का प्रधान धर्म माना गया है। इस यज्ञ का तात्पर्य है कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति अतिथियों के प्रति अपने उत्तदायित्वों एवं कर्त्तव्यों को समझे। अतिथि चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, उसे अतिथि एवं सत्कार योग्य माना जाय। इसी लिए अतिथि को देवता माना गया

है। धर्मशास्त्रों में अतिथि सत्कार के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि जिस घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उस घर के समस्त पुण्य ले जाता है। कठोपनिषद् में भी यमराज की पत्नी ने अतिथि सेवा न करने अथवा घर में अतिथि को भूखे रह जाने पर समस्त पुण्यों का नाश कहा है।

अतः यज्ञनुष्ठान आदि धार्मिक क्रिया कलापों के सम्बन्ध में स्त्रियों के योगदान के विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। जहाँ मनु स्वतंत्र रूप से स्त्री द्वारा संपादित धार्मिक कृत्यों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं वही याज्ञवल्क्य, पराशर वृद्ध हारित, विष्णु आदि ने मुक्त कंठ से स्त्रियों द्वारा संपादित यज्ञ का समर्थन करते हैं। तुलनात्मक रूप से आकलन करने पर स्त्रियों को इस सम्बन्ध में पुरुषों से अत्यल्प अधिकार प्राप्त है।

सन्दर्भ :

1. कन्या वारयावती सोममपि स्त्रुता विदत।
   अस्तं भरन्त्यब्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा।। ऋग्वेद, 8/91/1.
2. एतिप्राची विश्ववारा नमोर्भिदेवा ईडाना हविषा घृताची। ऋग्वेद, 5/28/1.
3. ऐतरेय ब्राह्मण, 1/2/5.
4. अयज्ञीयो वैष योडंपत्नीकः/शतपथ ब्राह्मण, 5/1/6/10.
5. ऋग्वेद, 5/53/15; 1/133/3.
6. वही, 5/1/173.
7. शतपथ ब्राह्मण, 1/9/2/1.
8. गौतम धर्मसूत्र, 2/9/1.
9. ब्राह्मण पुराण 1/5/19.
10. पंचसूना गृहस्थस्य, चुल्ली पेषण्युपस्करः। कण्डनी चोदकुम्भ च बाध्यते यास्तु वाहयन्।। मनु० 3/68.
11. डॉ० ऋतु शुक्ला, प्रमुख धर्मग्रन्थों में नारी अधिकार पृ०–197.
12. पी०काणे०, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग–1 पृ०–380.
13. याज्ञवल्क्य स्मृति 1/103.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 135-137

नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति एवं समस्याऐं

डॉ0 रामभजू राम*
*राजनीतिशास्त्र विभाग, दी. द. उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर,उ0प्र0

सारांश : आधुनिक भारत में समाज और राजनीति में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। प्रजातंत्र शिक्षा का प्रचार–सुधार के अच्छे साधन कुशल प्रशासन औद्योगिककरण और नियोजित विकास के फलस्वरूप अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अनूसूचित जातियां भी परिवर्तन से अछुती नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन मुख्यरूप से बाहरी कारकों के फलस्वरूप है। भारतवर्ष में अनूसूचित जातियों के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति एक विरोधाभासी दृश्य उपस्थित करता है। इन परिस्थितियों को हम जीवन के अनेक क्षेत्रों तथा व्यक्ति की सामुदायिक जीवन में देखते हैं।

मुख्य शब्द : नवीन पंचायतीराज व्यवस्था, प्रजातंत्र, पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण, जाति–व्यवस्था, आधुनिकीकरण आदि ।

अनुसूचित जातियों के भूत और वर्तमान दोनों ही सोचनीय जीवन में देखते हैं। अनुसूचित जातियों के भूत और वर्तमान दोनों ही सोचनीय रहा है। परन्तु इनके वर्तमान जीवनशैली में कुछ परिवर्तन आया है। अनुसूचित जातियों का केवल भूतकाल का जीवन अनुभव पर निर्भर करता है। इनकी अनेक आवश्यकताएं हैं इनको अपने जीवन में अनेक दुःखों एवं समस्याओं को झेलना पड़ता है, आज भी इनको प्रायः अछूत माना जाता है। प्रोफेसर श्री निषात आधुनिक भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या दो मुख्य प्रक्रियाओं के माध्यम से करते हैं : एक पश्चिमीकरण तथा दूसरा सांस्कृतिकरण। पश्चिमीकरण के अन्तर्गत आधुनिक शिक्षा प्रायोगिकीय पश्चिमी जीवनशैली और पश्चिमी देशों के भारतवर्ष में उदय उच्च जाति इस वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ संस्कृति के प्रक्रिया से भारतवर्ष की निम्न जातियों विशेषकर अनुसूचित जातियां उच्च जातियों के जीवनशैली के खानपान, रहन–सहन पर सांस्कृतिकरण से प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में उच्च जातियां घृणा के दृष्टि से देखती है और इनसे राजनीति में प्रतिस्पर्धा कर रही है। अब ये शक्तिशाली राजनीतिक समूह के रूप में उभर कर सामने आना चाहती है।

इस तरह से इन लोगों का रूझान अब अधिक बहुजन समाजपार्टी के ओर है, जो मुख्यरूप से अनुसूचित जातियां और जनजातियों का दल है। सांस्कृतिकरण का प्रभाव दो तरह से पड़ा है। इसके अन्तर्गत क्षैतिज गतिशिलता आयी है। जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में वह अपने ही जातियों को संगठीत करके एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर रहे हैं। दूसरी तरफ संस्कृतिकरण से इनका रहन–सहन के विचारों में जो परिवर्तन उच्च जातियों के प्रभाव के कारण हो रहा है, उसको संभवतः सामाजिक गतिशिलता की संज्ञा दी जा सकती है।

अनुसूचित जातियों की समस्याएँ : इसमें कुछ समस्याएँ निम्न है–

1.सामाजिक समस्याएं : अनुसूचित जातियों के जिन–जिन सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें प्रमुख हैं–

(क) अस्पृश्यता : इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में कुछ ऐसी भी जातियां होती थी जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। कुछ हद तक यह वातावरण आज भी विद्यमान है। भारत में अनुसूचित जातियों के लोगों से उच्च वर्ग वाले लोग अपने को दूर रखते थे। छुना तो दूर की बात थी इन जातियों के लोगों की छाया से भी दूर रहते थे। सदियों से चली आ रही यह परंपरा इतना गहरी हो गयी थी कि अनुसूचित जाति के लोग भी इस बात से सहमत हो गये थे कि हम अछूत हैं और उन्हें किसी उच्च जाति के लोगों से दूर रहना चाहिए कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं किसी अछूत से छू जाने के बाद धार्मिक क्रिया कलाप करना पड़ता था। इस अस्पृश्यता का चाहे जो भी औचित्य रहा हो या है। यह मानव जाति के लिए कलंकपूर्ण व्यवहार है

(ख) अशिक्षा : अनुसूचित जातियों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति के निम्न होने,उन्हें अछूत कहे जाने के पीछे चाहे और कोई कारण रहा हो या नहीं, उनकी अशिक्षा तो अवश्य ही प्रमुख रही है। परंपरा से जाति–व्यवस्था में शिक्षा पाने का अधिकार केवल उच्च जातियों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रीय एवं वैश्यों को ही रहा है। शुद्रों का शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इस कारण अनूसूचित जाति सदियों से शिक्षा से वंचित रही है। अनसूचित जातियों के जो लोग शिक्षा पाने का प्रयास करते। उन्हें तरह–तरह से यातनाएं दी जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में भी विद्यालयों में नामांकन ही नहीं ही हो पाते थे। जहाँ उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध भी थी, वहीं निर्धनता के कारण वे शिक्षा पाने में असमर्थ थे।

(ग) धार्मिक समस्याएं : अनुसूचित जाति वाले लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के साथ–साथ धार्मिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वे उच्च जाति वाले हिन्दुओं के मंदिर में नहीं जा सकते थे। उनके धार्मिक उत्सवों में समाज के उच्च वर्गों के पंडित नहीं आना चाहते थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनने, पूजा पाठ करने, धार्मिक पुस्तक पढ़ने आदि की अनुमति नहीं थी। अस्पृश्य होने के कारण वे उच्च जातियों के धार्मिक कृत्यों में भी भाग नहीं ले सकते थे। इन धार्मिक समस्याओं/प्रतिबंधों के कारण ही बहुत से अनुसूचित जातियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया।

(घ) राजनीतिक प्रतिबन्ध : हिन्दू–समाज अधिकारवाद सिद्धान्त पर आधारित है। जाति व्यवस्था एवं अधिकारवाद पर आधारित समाज में अनुसूचित जातियों के लोगों को उच्च जातियों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। उन्हें ऊँची जातियों एवं शासकों के आदेशानुसार आचरण रखना पड़ता था। विभिन्न जातियों के लिए कानून के उपबन्ध भी अलग–अलग थे। उन्हें प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सार्वजनिक सुविधाओं से वर्जित यह वर्ग अपने किसी भी अधिकार का

प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। यद्यपि स्थिति में अब काफी सुधार आया है। तथापि अनुसूचित जाति वाले लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में अनूसूचित जाति अनेक समस्याओं से जूझ रही है। समस्याएँ मुख्यरूप से आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक है।

राजनीतिक आधुनिकीकरण पर अनेक अध्ययन भारतवर्ष में हुए हैं। इन अध्ययनों का निष्कर्ष भी अलग–अलग है। एस0 एन0 मिश्रा ने बिहार के गांव का अध्ययन किया है कि गाँव की सामाजिक व्यवस्था किसी प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण में अनेक माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण इस अध्ययन में किया गया है कि नगरीय प्रभाव के फलस्वरूप गाँव की राजनीतिकरण अधिक हुआ है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के फलस्वरूप गाँव में किस प्रकार के परिवर्तन आये हैं। उसका विश्लेषण लेखक ने वैज्ञानिक ढ़ंग से प्रस्तुत किया है।[1]

डेविस जैंक ने राजनीतिक सामाजिकरण से संबंधित समस्याओं का विष्लेषण किया है साथ ही साथ उन माध्यमों की भूमिकाओं पर भी प्रकाष डाला है जो राजनीतिक आधुनिकीकरण में अपना योगदान देती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित अनेक कारकों ने किस प्रकार सूचनादाताओं को प्रभावित किया है। उसका भी एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।[2]

अनुसूचित जनजातियों की स्थिति : भारत में जनजातियों की संख्या बहुत कम है, भारतीय जनजाति अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलती है। उत्तर प्रदेषों के गोरखपुर जिला के उत्तर में थारू जनजाति पायी जाती है जो पहाड़ी इलाका है। गोरखपुर जनपद के पिपरौली ब्लॉक में जनजातियों की संख्या नगण्य है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टि से आज भी जनजातियाँ पिछड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में उनका अध्ययन बहुत महत्व रखता है। कोई भी समाज विकास के प्रक्रिया में अधिकतम सफलता तब प्राप्त कर सकता है जब समाज का प्रत्येक वर्ग पिछड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज तीव्रगति से परिवर्तन हो रहा है। जिसके लिए कुछ व्यवस्थाएं जिम्मेदार है। नगरीकरण, जनतंत्रीकरण, औद्योगिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं के प्रभावों से अछूती नहीं है। उनका जीवन ढंग अधिक मात्रा में परिवर्तित हो रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि जनजातियों की परंपरागत स्थिति क्या है? तथा उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? यह परिवर्तन उनके हित में कहाँ तक है तथा परिवर्तन का उचित दिशा किस प्रकार दिया जाय।

विश्व में जितनी जनजातियाँ निवास करती हैं उसमें से (5.17) करोड़ भारत में निवास करती है। भारतीय जनजातियों की स्थिति समान नहीं है, समाजशास्त्रियों ने जनजातियों को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। इसमें लेके, ग्रिगसन, सोनार्ट, सेजविक, मार्टिन तथा थक्कर ने उन्हें आदिवासी (रूवारिणिस) नाम से पुकारा है। 'हटन' ने इन्हें आदिम जातियां (प्रिमिटिव ट्राइब्स) नाम से पुकारा है। 'सरवेन्स' ने इन्हें पर्वतीय जनजातियां (हिल ट्राइब्स) की संज्ञा दी है। 'वेन्स' ने उन्हें तथाकथित आदिवासी जंगल पीपुल (फारेस्ट ट्राइब्स) नाम दिया है। प्रो0 छुरिए ने उन्हें तथाकथित आदिवासी (षो क्राल्ड एपरिजिन्स) अथवा पिछड़ा हुआ हिन्दू नाम से संबोधित किया उन्होंने इन्हें अनूसचित जनजातियों (षिड्यूल ट्राइब्स) भी कहा है। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। वैरियन एल्विन ने वैगा जनजाति को देश की मूल स्थायी (ओरिजनल) आनर्स आफ दी कन्ट्री के नाम से व्यक्त किया है। इन विचारकों द्वारा प्रयुक्त शब्द जनजाति अध्ययन की महत्व को और बढ़ा देता है।

जनजातीय अध्ययन : प्रो0 डी0 एन0 मजूमदार ने लिखा है कि कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका एक समान नाम है। जिसका सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर निवास करते हैं। एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। तथा विवाह, व्यवसाय के विषय में हिन्दी निषेधों का पालन करते हैं और जिन्होंने यअपने में एक–दूसरे को अदान–प्रदान करते हैं और संबंधित तथा पारस्परिक कर्त्तव्य विषयक पर एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। साधारणतया जनजाति अंर्तविवाह के सिद्धान्त का समर्थन करती है और उनके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं।[3] एक अन्य परिभाषा में कहा गया है कि स्थानीय जनजातियों का एक ऐसा समूह जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है। एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।[4]

भारतवर्ष का उत्तरी भाग तराई कहलाता है शोध क्षेत्र जनपद गोरखपुर है जो तराई क्षेत्र का एक अंग है। फैन्टि 7 के अनुसार तराई भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है और मुख्यरूप से थारू जनजाति यहाँ बसे हैं। The Terailies on India S. Northern Boundary and is pruduminantly inhobitud by the Thoru clon.[5] उत्तर प्रदेष में विभिन्न जातियों एवं जनजातियों का एक मिश्रण सैडविच पाया जाता है। जनजातियाँ मुख्यतः तराई क्षेत्र के पूर्वी भाग एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पायी जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पायी जाने वाली जनजातियों का विवरण – तराई क्षेत्र – थारू, बुक्सा, पहाड़ी क्षेत्र– कौटिया, जौरसारी, बुक्स राजी, थारू, पूर्वांचल क्षेत्र– कोल, भुइया, गोड़, खरहटा, कोरवा, ओराव, पहरिया, शहरिया, पनिका, पठारी इत्यादि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में तथा नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में पायी जाती है। कैन्टिन के अनुसार थारू लोग तराई क्षेत्र में बसे हैं। इसके मुख्य संबंधित गुरूंग के रूप में जाना जाता है। The Theoru People living in the forui area are the most import ethnic groups amont the ……….. Gurung.[6]

जनजातियों का राजनीतिक संरचना : जनजातियों से संबंधित उपरोक्त विशेषताओं को राजनीति संरचना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जिस पर संपूर्ण जनजातिय व्यवस्था अधारित है। भारत में जनजातियों की राजनीतिक प्रणाली को उनके राजनीतिक संगठन के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। राजनीतिक संरचना कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी प्रकाश डालती है। इस प्रकार राजनीतिक संरचना एवं राजनीतिक स्थिति दोनों मिलकर समुदाय के सदस्यों पर नियंत्रण का काम करते हैं। प्रथम प्रकार के राजनीतिक संगठनों के उदाहरण के रूप में भारत के सम्पूर्ण जनजातिय क्षेत्र की राजनीतिक छवी का निर्णय

ही जनजातिय लोगों का कानून होता है। इसके सहमति के पिदे गांव के बुजूर्ग एवं गांव मुखिया के प्रति विश्वास प्रमुख कारण है। जो गांव के मामले में देखकर प्रत्येक गांव की अपने प्रकार की राजनीति है, जो गाँव के मामलों की देखरेख करती है।[7]

अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं : भारत के विभिन्न पहाड़ी और जंगली इलाकों में कई जनजातियां सदियों से रहती आई है। वे जाति संरचना के अंग नहीं है उनकी अपनी–अपनी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परंपराएं हैं, उनके अपने विशेष सामाजिक संगठन होते हैं। तथा उनके जीवन के तरीके भी अलग–अलग होते हैं। सभ्यता के सम्पर्क में नहीं आने से उनमें कई सामाजिक पहले जैसे बने हुए हैं। जो जनजातिय मैदानी इलाकों में रहती हैं वे भी सभ्यता के मुख्यधारा से विलग सभ्य समाज के तुलना में कई दृष्टियों से पिछड़ी अवस्था में हैं। पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले लोगों में अनुसूचित जनजातियों को सबसे दुर्बल समझा जाता है। अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है –

1.सामाजिक समस्याएँ :अनुसूचित जनजातियों को जिन–जिन सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं –

(क) सामाजिक नियंत्रण में कमी : प्राचीन काल में जनजातियों पर उनके धर्म उनके रीति–रिवाज एवं उनकी परंपरा का बहुत अधिक प्रभाव था। परिणामस्वरूप इनके धर्म जादू–टोना इत्यादि समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते थे। गलत आचरण या परंपरा के विरूद्ध आचरण को धर्म के विरूद्ध आचरण माना जाता था जिसके लिए उन्हें दण्ड का भागी होना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है, सभ्यता के विकास के कारण जादू–टोना एवं धर्म का असर कम हो गया जिसके कारण सामाजिक नियंत्रण में भी कमी आ गयी। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि सामाजिक नियंत्रण की अन्य व्यवस्था न होने के कारण जनजातिय समुदाय में अपराध, वेश्यावृति इत्यादि दुराचरण का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया।

(ख) वेश्यावृति : अनुसूचित जनजातियों की निर्धनता भोलेपन और योन संबंधों के प्रति उनके उदार दृष्टिकोण का अनुचित लाभ उठाकर व्यापारियों, ठेकेदारों तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों ने उनकी स्त्रियों और लड़कियों को अनैतिक यौन संबंधों के लिए बाध्य किया, अत्यन्त गरीब होने के कारण जनजातिय परिवारों ने इस दुराचरण को बुरी नजरों में नहीं देखा और अपने समाज में इसे पनपने का अवसर दिया इसका परिणाम यह हुआ कि जनजातिय परिवारों में यौन रोग एवं अन्य तरह के रोग विकसित हो गये हैं। जिससे कई अन्य समस्याओं का भी जन्म हुआ है।

1.धार्मिक समस्याएं : अनुसूचित जनजातियों के अपने–अपने धर्म होते है। धर्म के प्रति अत्यधिक अन्ध विश्वास, धर्म में ज्यादातर जादू–टोने का समावेश इत्यादि ऐसे कारण हैं। पहले तो जनजातिय परिवारों में सारे कामकाज धर्म के आधार पर ही होते थे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभ्य समाज के संपर्क में आने के बाद से इन जातियों में धार्मिक प्रतिद्वंद्विता भी देखी जाती है। धर्म को लेकर उसके बीच पारस्परिक संघर्ष बढ़ते गये और उनके सामाजिक संगठन का आधार ही विघटित होता गया।

3. राजनीतिक समस्या : जनजातिय क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक एवं उनके संगठन की समस्याएं उत्पन्न हो गयी है, ये समस्याएं दो प्रकार की है। एक तो उनकी पंचायते तथा मुखिया आदि का स्थान प्रशासकीय अधिकारी लेते जा रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि कुछ जनजातियों को ईसाइयों के प्रभाव में है। अपने लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगी है। इससे राष्ट्रीय हित की हानि हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान में उन्हें अन्य जातियों की तरह राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन शिक्षा में कभी राजनीतिक महत्वकांक्षा में कमी एवं निर्धनता के कारण ये जनजातियां कभी भी अपनी इच्छानुसार अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं करती हैं। दूसरी ओर यह राष्ट्र विरोधी तत्वों के बहकावे में आ जाती है। जिससे उनका पतन तो होता ही है राष्ट्र को भी हानि होती है।

निष्कर्ष : भारत में 73वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधित्व से सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को बल मिला है। 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। 73वें संशोधन का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि निर्णय प्रक्रिया में अब अनुसूचित जाति व जनजाति की भागीदारी बढ़ी है। अनेक कमियों और दुर्बलताओं के बावजूद पंचायती राज ग्रावासियों की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। इस तरह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 73 वें संविधान संशोधन से अनुसूचित जाति व जनजाति की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी बढ़ी है। लेकिन सक्रिय भागीदारी के लिए अभी हमें, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के अधिकार की अवधारणा, जन जागरूकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रशासन में जनसहभागिता जैसे कारकों को बल मिला है।

सन्दर्भ :

1. मिश्रा, एस0 एन0; पोलिटिकल सोसलाइजेशन इन रूरल इण्डिया, इण्टर इण्डिया पब्लिकेषन, 1980, पृ0 183
2. जैंक डेविस, सोसलाइजेशन टू पालिटिक्स, 1973, पृ0 503
3. मजूमदार, डी0 एन0; रेसेज एण्ड कल्चर्स आफ इण्डिया, एशिया पब्लिसिंग हाउस, बम्बई, पृ0 367
4. गिलिन एवं गिलिन, कल्चरल एन्थ्रेपोलोजी, 1950, पृ0 282
5. Fantin Mario, Sherpal Himalaya, New Delhi, The English Book Store, 1971, P.14
6. Fantin Mareia of cit Pruf 7, P.P. 18 -19
7. Eleven A New deal of Tribal Indian, New Delhi, 1963, P .130

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 138-139

ब्रिटिश कालीन उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिला

डॉ0 ज्ञान प्रकाश मिश्र*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सर्वोदय किसान पी0जी0 कालेज, कौड़ीराम, गोरखपुर

सारांश : किसी काल और वातावरण में समाज के परिष्करण का माप उसमें महिलाओं की परिस्थितियों पर निर्भर करता हैं एवं उनकी स्थिति के अनुसार ही समाज की सभ्यता का आकलन होता है। भारत में मनुकाल के पश्चात् स्त्रियों की परिस्थिति बार–बार परिवर्तित होती रही है। शास्त्रों में उसे पूरा सम्मान दिया गया है लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पूर्ण स्वावलम्बी नहीं बन पायी, अशिक्षा और अज्ञान के कारण उनमें बौद्धिक विकास की कमी बनी रही तथा पुरूष वर्ग पर वे आश्रित रही। फिर भी परिवार समाज या देश पर उसके यतकिचिंत प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति टीकाकारों के अनुसार हिन्दु महिलाओं की तुलना में काफी कमजोर रहीं थी।

मुख्य शब्द : जनजातिय, विवाह–विच्छेद, कुप्रथा, अन्धविश्वास, कन्या शिशु हत्या आदि।

उन्नीसवीं शदी के उत्तरार्द्ध में पुत्र की तुलना में कन्या के जन्म में एक सामाजिक लधुता का भाव प्रतीत होता हैं इसके पीछे कोई भी धार्मिक विधिक या सामाजिक कारण हों, लेकिन कन्या के जन्म पर अधिकांश लोग कोई उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते थे। कन्या का विवाह एक बड़ा कठिन कार्य माना जाता था और उसका अविवाहित होना लज्जाजनक व अपवित्र था। कुछ क्षेत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कई बार इसका निदान उसका विवाह बड़ी उम्र के तथा कई पत्नियों वाले पुरूष के साथ किया जाता था। शादी के अन्त तक यह परिपाटी तेजी से लुप्त होने लगी थी।''

कन्या शिशु की हत्या की प्रथा प्रान्त के आगरा और अवध क्षेत्रों में पंजाब मध्यभारत और राजपूताने आदि क्षेत्रों में पायी जाती थी। कई जगह यह प्रथा इतनी प्रभावी थी कि स्ट्रैची के अनुसार प्रान्त के कई गांवों में लोगों की याद्दाश्त में एक भी लड़की नहीं थी तथा 200 से अधिक वर्षों तक वहाँ कन्या के विवाह जैसी कोई घटना नहीं हुयी थीं ''कन्या शिशु हत्या का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू था कि इस क्रिया को स्वयं महिलाओं द्वारा बड़े क्रूर तरीके से निष्पादित किया जाता था।'' फिर भी इसका प्रभाव एक बहुत छोटे भाग तक ही था और अधिकांश भारत इससे अछूता था।

जिन क्षेत्रों में उपरोक्त कुप्रथा प्रचलित नही थी वहॉ भी लड़कियों के समुचित दुलार का अभाव पाया जाता था। अन्धविश्वासों में जकड़ दी गयी लड़की का मन धार्मिक कार्यो तथा व्रत इत्यादि में आसानी से लग जाता था। विवाह के तुरन्त बाद लड़कियों पर अनके प्रतिबन्ध लग जाते थे। उन्हें सास के अधीन घर के भीतरी हिस्सों में महिलाओं के बीच रहना पड़ता था। महिलाओं का अलग रहना मुस्लिमों में अधिक कठोरता के साथ पालन किया जाता था। जबकि ऊँची जाति और उच्चपदस्थ हिन्दुओं में यह सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक था। वे ऐसी स्थिति में प्रसन्न भी रहती थी, क्योकि उनका मानना था कि स्त्री और धन परदे में ही ठीक रहते है।

ऊँची जाति एवं उच्च वर्ग की महिलाएँ ढ़के हुए वस्त्रों में ही घर से बाहर निकलती थी तथा घरों में भी परिवार के बाहरी पुरूषों से घूँघट में ही बात करती थी। पति से बड़े रिश्तेदारों से भी थोड़ी बहुत परदे में ही होती थी। छोटे वर्ग की महिलाए मुक्त रूप से समाज में खुलेआम निकलती थी, क्योकि उन्हें जीविकोपार्जन के लिए बाहर कार्य करना पड़ता था। अतः ग्रामीण और जनजातिय क्षेत्र की छोटे वर्ग की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली हुयी थी।

नारी सौन्दर्य में भारत में आभूषणों को बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। अतः सभी वर्गो की महिलाये अपने परिवार के संसाधनों के अनुरूप सोना, चांदी, पीतल तथा शीशे के आभूषणों से सुशोभित रहने का प्रयास करती थी। नारी के सौन्दर्य वृद्धि के अतिरिक्त ये महिलाओं के स्त्री धन भी होते थे। ये आभूषण क्षेत्र धातु और कारीगरों के प्रचलित कौशल के अनुरूप होते थे। महिलायें सिर से पैर तक भिन्न–भिन्न अंगों में भिन्न–भिन्न आभूषण धारण करती थी। छोटी लड़कियॉ भी कान, गले, हाथ और पैरों में हल्के आभूषण पहनती थी।''

सामान्य तौर पर कन्या पैदा करने वाली या बांझ स्त्री की सामाजिक दशा बहुत शोचनीय हो जाती थीं पुत्र की माँ होना बड़े गर्व की बात होती थी। बाझ स्त्री को हमेशा सम्भावित सौत के खतरे का सामना करना पड़ता था। बहु पत्नीवाद पर बहुत अधिक अंकुश नहीं था। विभिन्न वर्गो और समुदायों में इसके अपने मानदण्ड थे फिर भी ऐसी स्थितियों में विवाह–विच्छेद बहुत कम ही सुने जाते थे।

विधवा का जीवन दुःखों से भरा हुआ था अगर विधवा के पुत्र होते तो उसकी स्थिति कुछ ठीक होती थी। युवा विधवाओं का जीवन बहुत तिरष्कार रूप से बीतता था। उसे जीवन के सभी सुखो और आनन्द का त्याग करके पवित्र और धार्मिक जीवन जीना पड़ता था यहाँ तक कि उसे पारिवारिक समारोहों से भी दूर रहना पड़ता था शताब्दी के उत्तरार्द्ध में शिक्षा के विस्तार तथा ईश्वर चन्द विद्यासागर जैसे समाज सेवकों के प्रयासों के फलस्वरूप उच्च वर्गो में विधवा के प्रति नरम दृष्टिकोंण पाया गया। कुछ क्षेत्रों में विधवा स्त्री को अपनी परिपाटी के अनुसार उसी परिवार के किसी कम उम्र के पुरूष के साथ कर दिया जाता था और इस प्रकार फिर वह स्त्री सधवा हो जाती थी।

विवाह से पहले लड़की का पालन उसके पिता या परिवार द्वारा होता था। विवाहित हो जाने पर एक हिन्दू लड़की अपने पति का अंग बन जाती थी और उसे पति के जागीर में अपना हक पाने का अधिकार था हिन्दू नियमानुसार उसके अधिकार केवल

भरण—पोषण तक सीमित थे इसके अतिरिक्त उसके पास केवल उसकी स्त्री धन ही होता था। हिन्दू विधवाओं के विपरित मुस्लिम विधवाओं की स्थिति कुछ ठीक थी उसे अपने पिता एवं पति के सम्पत्ति में से एक निश्चित अंश मिल जाता था, भले ही यह अंश पुत्रों के अंश के कम होता था।

सभी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति एक जीवन साथी की थी। पति अथवा पुरूषों के साथ उनके खेत, व्यापार, गृहस्थी और बच्चों के लालन—पालन द्वारा उसके स्वयं के परिवार का अभिन्न अंश बना लिया था इसी समय में ऐसी अनके विलक्षण महिलाएँ हुई है जिन्हानें सभी परिपाटियों को त्याग कर उच्च आदर्शो की स्थापना की इनमें झांसी की रानी लक्ष्मी बाई तथा पंडित रमा बाई का उल्लेख किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. शिव0एस0 दुआ, सोसायटी एण्ड कल्चर इन नार्दन इण्डिया 1850—1900
2. स्ट्रैची, आन द नीड फार इक्जामिनिंग सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन एन0डब्लू0पी0 एण्ड अवध
3. 14 जनवरी 1870 का गवर्नर जनरल ऑफ इण्डिया के काउंसिल का विवरण।
4. कलकत्ता रिव्यू भाग,104
5. एस0एन0ए0 जाफरी ''द हिस्ट्री एण्ड स्टेट्स ऑफ लैण्ड लार्ड्स एण्ड टीनेन्ट इन द युनाइटेड प्राविन्सेज''
6. वेडेन पावेल, इण्डियन विलेज कम्यूनिटी।
7. एग्रेरियन डिस्ट्रीक्ट्स इन यू0पी0—जी0 अधिकारी।
8. द इण्डियन प्राबलम्स', आर0 कूपलैण्ड।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 140-141

सरयू–अचिरावती घाटी में भोजपुरी का क्रमिक विकास

डॉ0 राम कृपाल राय*
*असिस्टेण्ट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, सर्वो. कि. पी.जी. कालेज, कौड़ीराम, गोरखपुर

सारांश : भोजपुरी लोक–कथाओं, गीतों आदि में सरयू–अचिरावती घाटी में रचे–बसे गाँवों की वह स्वर लहरी विद्यमान है जिसको सुनने के बाद इस क्षेत्र की महक शरीर को रोमांचित कर देती है। भोजपुरी के विकास में इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है यों कहा जाए कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की ही देन है कि आज भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज हो सकी है। आज 'भोजपुरी' नाम इस क्षेत्र के जन–जीवन की चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में सक्षम है। यह क्षेत्र लोकसंस्कृति प्रधान रहा है जिसमें बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे जन–नायको का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध और कबीर जैसे क्रान्तिकारियों ने लोक–जीवन की संवेदना को पहचान कर सामाजिक और धार्मिक रुढ़ियों के विरूद्ध अपने जीवन स्वर को लोक–भाषा के माध्यम से मुखरित किया।

मुख्य शब्द : भोजपुरी लोक–कथाओं, सांस्कृतिक विरासत, लोकसंस्कृति, लोक–भाषा, भोजपुरी भाषा आदि।

भोजपुरी क्षेत्र की सीमा–उत्तर हिमालय की तराई, दक्षिण मध्यप्रांत का जसपुर राज्य, पूरब मुजफ्फरपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग और पश्चिमी बस्ती तक। भोजपुरी के लोकगीतों में सरयू, गंगा, अचिरावती आदि अनेक नदियों का उल्लेख हुआ है जिस के सहारे भारतीय जीवन की अनेक परम्पराएं विकसित हुई हैं–**अयोध्या नगरिया बाबा सरजू बहत है, खेलतारे सरजू के तीर रे। चारु भइया में सुनर एक बाबा, खेले ले, सरजू के तीर रे।।**

सरयू भोजपुरी क्षेत्र की नदी है, जिसके किनारे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी बसी हुई है। अयोध्या एक तीर्थ स्थान तो है ही, उस की मिट्टी के स्पर्श मात्र से ही लोग धन्य हो जाया करते हैं। यदि उसका दर्शन नहीं हो सका तो कम से कम सरयू का भी दर्शन हो जाने से यहाँ की जनता अपने जीवन को सफल समझती है–**पहिले मंगन सीता थुरुमेली जाहू विधि पुरई सीता। मांगेली अजोधा अइसन राज, सरजू जी के दरसन।।**

इस प्रकार देखा जाए तो इस क्षेत्र के विकास में विशेषतया भोजपुरी के विकास में इन नदियों की भूमिका अग्रणी रही है। भोजपुरी एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है जिसको भारत में बोलने वालों की संख्या लगभग 2.3 करोड़ तथा विश्व में 18 करोड़ है। भोजपुरी शब्द का पहली प्रयोग रेमड की पुस्तक 'शेरमुताखरीन' के अनुवाद की भूमिका में हुआ है। सन् 1789 ई में भाषा के अर्थ में यह इस शब्द का पहला प्रयोग है। इसे पूरबी(पुरबिहा) भी कहते हैं। पहले आरा या शाहाबाद जिले के एक परगना का नाम भोजपुर था। अब स्वतंत्र जिला भोजपुर हो गया है। प्राचीन काल में यह राजा भोज की राजधानी के रुप में प्रसिद्ध था।

सरयू–अचिरावती क्षेत्र का समूचा भूभाग भोजपुरी भाषा के विकास में सांस्कृतिक महत्व का वाहक है। यहाँ का प्राकृतिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन के सभी पहलू भोजपुरी भाषा के माध्यम से हमारे विचारों के आदान–प्रदान में महती भूमिका को स्थापित करते हैं। भोजपुरी के विकास की चर्चा करने के पहले हम 'भोज' शब्द की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालना चाहेंगे। ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है कि ऋग्वेदिक तथा ब्राह्मण काल तक 'भोज' शब्द का प्रयोग इन्द्र (ऋग्वेद 2.14.10), शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला (ऋग्वेद 10.117.03), आदि विशेषणों के अर्थ में हुआ है अर्थात ऋग्वेद काल में भोज शब्द महान अर्थों का द्योतक था। पं.ए. बनर्जी शास्त्री का कथन है विश्वामित्र के यजमान भोज थे। वे बड़े पराक्रमी थे। किन्तु इस विषय में विवाद है।

बहुत से वैदिक मंत्रों के रचयिता 'बम्सर' में निवास करते थे। यहीं पर विश्वामित्र का आश्रम था, जहाँ पर ताड़का को रामचन्द्र ने मारा था। डॉ. ए. बनर्जी शास्त्री ने सन् 1926 और 1927 में बम्सर में खुदाई करवाई जिनमें दो टेराकोटा मिले, जिन्हें उन्होंने ताम्रयुग का कहा। (जर्नल आव दि बम्बई हिस्टारिकल सोसायटी, 1930, पृ. 250–252) साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ असूर राज्य के अवशेष मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों जो कहें लेकिन इतना स्पष्ट है कि बम्सर में विश्वामित्र रहते थे और राक्षसों ने उन्हें बाधा पहुंचाई थी। ऐसा साहित्यिक साक्ष्य मिलता है कि जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गंगा पर करने लगे, तो किनारे घने जंगलों को देख कर उन्होंने पूछा कि हे ऋषि! खेद है कि वन बड़ा दुर्गम है और शींगरी नामक कीट के समूहों के शब्द से पूरित भयंकर क्रूर मृग तथा बड़े कठोर शब्द वाले भास नामक जीवों से व्याप्त हैं, यह कौन सा स्थान है?

विश्वामित्र ने बताया: हे नरोत्तम! पूर्वकाल में देवलोक के समान स्थिति वाले तथा धन धान्य से युक्त ''मलदा'' और ''करूशा'' नामक ये दो देश थे। बड़े भारी धन–धान्य से युक्त थे तथा ये संसार में प्रसिद्ध होगे। 'मलदा' और ''करूशा'' इनका नाम होगा क्योंकि ये मेरे अंग के मल को धारण करने वाले है।,

उन्होंने कहा कि हे! अरिन्दम– बहुत समय तक आनन्द युक्त ये दोनों मलद ओर करूशा नामक जनपद धनधान्य आदि से समृद्धशाली रहे। कुछ काल बीतने पर हजारे हाथियों का बल धारण करने वाली ताटका नाम्नी बुद्धिमान सुन्दश्की भार्या कायरुपिणी एक भक्षिणी हुई। इन्द्र के समान पराक्रमी मारीच नामक राक्षस जिसका पुत्र है। हे राघव! वह दुराचारिकणी ताटका मलद और करुश नामक इन दोनों जनपदों को नित्य नाश करती है। यहां ताड़का बन है। अर्थात् भोजपुरी क्षेत्र में प्राचीन मल्ल वज्जि, काशी, कारुष आदि जनपद सम्मिलित हैं। अतः यह तो स्पष्ट हो गया कि इस क्षेत्र की प्राचीन परम्परा रही है और

विश्वामित्र के यजमान भोज कहलायें हो और उनका निवास स्थान 'भोजों की पुरी' कहलाई हो और फिर उसी से 'भोजपुर' हो गया हो। ऋग्वेद के श्लोकों से ज्ञात होता है भोजपुरवासियों के सद्प्रयत्न से विश्वामित्र अपने सत्कर्म में सफल हुए और इस क्षेत्र के निवासी विश्वामित्र द्वारा उस समय के विशिष्ट विशेषण 'भोज' शब्द से सम्मानित हुए।

प्राचीन काल से ही अपनी पहचान बनाने वाली इस क्षेत्र की भाषा का क्रमिक विकास होता गया, जिसके बारे में डॉ0 ग्रियर्सन ने लिखा है कि भोजपुरी उस शक्तिशाली स्फूर्तिपूर्ण और उत्साही जाति की व्यावहारिक भाषा है जो परिस्थिति और समय के अनुकूल अपने को बनाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती है और जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान के हर भाग पर पड़ा है।

भोजपुरी लोक गीतों व कथाओं में भारतीय संस्कृति की पूरी झांकी देखने को मिलती है मसलन वन, पर्वत, बाग–बागीचे, वृक्षों का महात्म्य, समाज व्यवस्था, पारिवारिक संगठन, संयुक्त परिवार, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक संस्कार, आर्थिक जीवन से सम्बंधित सभी पहलुओं की चर्चा, राजनीतिक जीवन के अन्तर्गत स्वतंत्रता आंदोलन की ललकार, धार्मिक जीवन में सूर्य, गणेश, शिव–पार्वती आदि प्रमुख देवताओं का महत्व आदि सभी कुछ ऐसा पिरोया गया है कि सुनने मात्र से ही सब कुछ सामने दृष्टिगोचर होने लगता है जो भोजपुरी की समृद्धता का द्योतक है और उस के विकास को भी रेखांकित करता है। जिसमें सरयू–अचिरावती घाटी की महती भूमिका है। जो लोक संस्कृति के मूल में है।

सन्दर्भ :

1. ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण– अनुवादक–गंगा प्रसाद उपाध्याय
2. भारतीय संस्कृति का इतिहास– चतुरसेन शास्त्री
3. भोजपुरी भाषा और साहित्य– डॉ. उदयनारायण तिवारी
4. भोजपुरी ग्राम गीत–भाग1,2,– डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय
5. भोजपुरी लोक गीतों के विविध रूप– डॉ. श्रीधर मिश्र
6. ऋग्वेद
7. रामायण–सम्पादक दामोदर सातवलेकर
8. हिन्दू सभ्यता– डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी, अनुवादक–डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल
9. लिग्विंस्टिक सर्वे आफ इन्डिया–जी.ए.ग्रियर्सन
10. हिन्दी साहित्य कोश–सं. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 142-143

पुराणों में पर्यावरण : एक विवेचना

डॉ0 अनिल कुमार यादव*

*(असि0 प्रोफेसर) प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, पी0जी0 कालेज पट्टी, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

आज पूरा विश्व यदि किसी एक समस्या को लेकर चिंतित हैं, तो वह पर्यावरण की समस्या है। प्राचीन भारत में मानव का सर्वप्रथम ध्येय प्राकृतिक व्यवस्था के साथ तारतम्यता बनाए रखना था। पर्यावरण दो शब्दों–परि और आवरण से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है चारों ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, परिस्थितियां विद्यमान हैं, वे मानव क्रियाकलापों को प्रभावित करती है और उसके लिए एक दायरा सुनिश्चित करती हैं। इसी दायरे को हम पर्यावरण कहते हैं। यह दायरा आवास, गांव नगर, प्रदेश, देश, महाद्वीप और सम्पूर्ण मंडल का हो सकता है

पुराणों के अनुसार वृक्षों की सेवा से सर्म्पूण सृष्टि की सेवा करने का पुण्य कार्य सम्पन्न होता है। वृक्षों की सेवा में जल से सिंचन का स्थान सर्वोपरि है। पर्याप्त जल पाने से वृक्ष के जीवन की रक्षा होती है, ये तीव्र गति से बढ़ते हैं इन पर आश्रित प्राणियों को सुख मिलता हैं व पर्यावरण भी सुधरता हैं।

सेचनादपि वृक्षास्य रोपितस्य परेण तु ।
महत्फलमवाप्रोति नात्र कार्या विचारणा ।।[1]

पर्यावरण और अध्यात्म दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं ऋषिगणों के समय में यह सम्बन्ध अविच्छिन्न बना रहा इसी करण कभी भी दैवी आपदाएं प्राकृतिक विभीषिकाओं की बहुलता नही रही।

ऋषिगण विश्वराष्ट्र की बात कहते थे एवं उसे पुष्ट बनाने का निर्देश देते थे। ''**माता भूमिः पुत्रोडहं पृथिव्याः**''[2] के रूप में यह सूत्र हमें ऋषियों ने दिया ।

ऋषियों ने धर्मग्रन्थों में वृक्षों को संतान से भी अधिक महत्व दिया है। अपना कल्याण करने के लिए वृक्ष को पुत्र रूप में ग्रहण करने का विधान का निर्धारण करना ऋषियों की इसी सोच का एक भाग है। इस संदर्भ में मत्स्य पुराण स्पष्ट कहता है–

दशकूप समोवापी दशवापी समोह्रदः।
दशह्न्दसमः पुत्रों दश पुत्रसम : द्रुमः ।।[3]

अर्थात् एक सरोवर के निर्माण में जो पुण्य होता है वह दस कुओं के निर्माण के समान हैं और दस सरोवरो के निर्माण में जो पुण्य होता है वह एक ह्रद (विशाल सरोवर) के निर्माण में है। दस विशाल सरोवरों को एक पुत्र के समान कहा गया है।

पुराणकारों ने वृक्षों को 'तरू' की संज्ञा देते हैं, अर्थात् तारने–वाला। पुराण के अनुसार सामान्य रूप में तरू का शाब्दिक अर्थ है तारने वाला। वृक्ष अपने रोपणकर्ता को नरक से तारते हैं, रक्षा करते है इसलिए उन्हे तरू कहा जाता है।

तरू शब्द की व्याख्या ''वाचस्पत्यम्'' में निम्न प्रकार से है

तरूत्यनेन नरकमारोपका : इति तरूः
तृ–उन् (रोपणकर्ता को नरक से तारते हैं)।

अमरकोश की रामाश्रमी टीका मे तरू की व्याख्या इस प्रकार है

तरूःतरति। तरन्त्यनेन इति वर तृ प्लवनसंतरणयो।

वही 'शब्दकल्पतरू'मे तरू की व्याख्या इस प्रकार से है–

तरूः–तरति समुदृादिकमनेनेति ।
समुद्र आदि नरक कुण्डों से पार करते है।

जबकि अग्निपुराण कहता है –

सतपुत्रेण मुनिश्रेष्ठा : समुत्पन्नेन दुम्म्रति ।
उत्ततारान्वियात् स्वर्ग पुन्नामनरकाद्द्रुतम् ।।

हे मुनिश्रेष्ठ। बुरे व्यक्ति के भी सत्पुत्र उत्पन्न हो जाने से उसे पुत्र नरक से रक्षा व स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्कन्ध के बीसवें अध्याय के 32. 33.34 वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने ग्वालबालों को सम्बोधित करते हुए कहा –

पष्येतान् महाभागान् परार्थेकान्तजीवितान् ।
वातवर्षातपहिमान् सहन्तो बारयन्तिन :।।
अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम् ।
सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिन :।।
पत्र पुष्पफच्छायामूल वल्कलदारूभि।
गन्धनिर्यास भस्मास्थितो मैं : कामान् वितन्वते।।

मेरे प्यारे मित्रो ये वृक्ष कितने भाग्यवान् है। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही हैं। ये स्वयं तो हवा के झौंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते है परन्तु हम लोगों की उनसे रक्षा करते है। मैं कहता हूँ कि इन्ही का जीवन

सबसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इसके द्वारा सब प्राणियो को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है जैसे किसी सज्जन पुरूष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गोद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते है। जैसे –

य कुर्वन्ति विष्ठन्ति स्वयमातपे ।।

फलान्यापि परार्थाय वृक्षा : सत्पुरुषा इव।।[4]

अर्थात् वृक्ष दूसरो को छाया करते हैं, स्वयं धूप मे रहते है, फल भी स्वयं नहीं खाते, दूसरो को ही खिलाते हैं वस्तुतः ये वृक्ष, पेड़ ,पौधे किसी महान सत्पुरूष के तरह होते हैं।

''तीर्थे पुत्र सहस्त्राणामेकमेवकरिष्यति''[5]

पुत्र के रूप मे वृक्ष लगाने वाले पुत्रहीन को वृक्ष सुख प्रदान करते है। वृक्षों को तर्पण करने से तीर्थ में तर्पण हो जाता है। हजारो पुत्रों मे तीर्थ में एक ही पुत्र तर्पण करेगा और वृक्ष पुत्रो के समान है।

वरं भूमिरूहाः पच्च न तु कोष्ठरूहा दश।

पत्रैः पुष्पैः फलैमूलैः पणिनः प्रीणयन्त्यमी।।[6]

पाँच वृक्षों का भी रोपण करना दस पुत्र के समान होता है। क्योंकि एक वृक्ष अपने पत्तों से फलों से जड़ मूल से जीवों को जीवनदान करते हैं

तरूपुत्रन्तु यः कुरूर्याद्विधिवद्धहि सन्निधौ।

स महापात कैर्युक्तं समुद्धत्य कुलत्रयम्।।

नरकेभ्यों नरो याति प्रजापति पदं शुभम्।।[7]

जो व्यक्ति विधिपूर्वक अग्नि का स्थापना करके पुत्र के रूप में वृक्ष का रोपण और उत्सर्ग करता है। वह सम्पूर्ण महोपातकों से अधोगति में पड़े हुए अपने तीन पीढ़ी का उद्धार करता है। वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ नरक से मुक्त होकर प्रजापति के लोक में अर्थात् पित्लोक में जाता है।

रोपणात्पालनात्सेकाद् दर्शनात्स्पर्शनान्नृणाम्।

तुलसी दहते पापं वाड़ मनः कायसिज्जतम्।।[8]

तुलसी वृक्ष लगाने, पालन करने सिंचाई करने, दर्शन, स्पर्श से कायिक, वाचिक, मानसिक, संचित पाप नष्ट हो जाते हैं।

यजुर्वेद में–

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे

मित्रस्य चक्षुष समीक्षा महे।

जब पर्यावरण के प्रति मानव में मित्रता का भाव रहेगा, तभी वह पर्यावरण सुरक्षित रख सकेगा। मानव को चाहिए कि वह अपने आस–पास की प्राकृतिक संपदाओं को मित्र समझकर उसका उपयोग करें।

ब्रह्मपुराण[9] में प्रकृति–प्रलय का वर्णन करते हुए शार्दुलमुनि ने पर्यावरण रक्षा के लिए विश्व को सचेत रहने का उपदेश दिया है और भौतिक पर्यावरण में इनकी रक्षा का उपाय बताते हुए कहा कि पृथ्वी मण्डल, जलमण्डल, तेजोमंडल, वायुमण्डल, आकाश मण्डल की रक्षा करना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण की इस सुदीर्घ एवं अति प्राचीन परम्परा का आधुनिकता की आग में भारी नुकसान पहुंचाया है। दोहन और शोषण, वैभव एवं विलास की रीति नीति से पर्यावरण को संकट में डाल दिया है वैज्ञानिक हो या राजनेता सभी प्रकृति के क्रोधावेश से डरे सहमे है। समाधान की खोज के इन पलों में सार्थक निदान के लिए जरूरी है कि हम अपनी विरासत को संभालें। पर्यावरण संरक्षण की टूट–बिखर रही कड़ियों को पुनः जोड़ा जाए। हममे से प्रत्येक मन–वाणी–कर्म से इस सत्य का उद्घोष करना चाहिए।

ऊँ धौ शान्तिः अतंरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्ति।

जब हम अपने आचरण व्यवहार से माता प्रकृति के कोप को शांत करेंगें, तभी हमारा अपना जीवन भी शान्त और सुधीर होगा।

सन्दर्भ :

1. विष्णुपुराण – 3.297
2. अथर्ववेद – 12.01.12
3. विधान पारिजात–खण्ड 4. अ0 49
4. महाभारत
5. विधान परिजात खण्ड–4, अ0 206
6. विधान पारिजात खण्ड 4, अ0–49
7. विधान पारिजात खण्ड 4, अ0–206
8. स्कन्द पुराण
9. ब्रहापुराण – 232/14–19

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 144-146

शिक्षा का वाणिज्यीकरण एक विमर्श

डॉ0 ज्योत्स्ना पाण्डेय*

*असि0 प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, ब्राइट कैरियर गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ

'शिक्षा' शब्द 'शिक्ष' धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ– सीखना और सिखाना। अर्थात् शिक्षा प्राप्त करना और प्राप्त शिक्षा को दूसरों को सिखाना दोनों अर्थों में शिक्षा की व्याख्या की जा सकती है । इसी प्रकार, लेटिन शब्द 'एजूकैटम' अथवा 'एजूकैटम' से अंग्रेजी शब्द एजूकेशन की निष्पत्ति होती है। 'ए' से तात्पर्य होता है– अन्दर से,'डूको' का अर्थ होता है–बाहर ले आना। अर्थात् 'एजूकेशन' का कार्य है व्यक्ति के भीतर से ज्ञान को बाहर अर्थात् प्रायोगिक स्तर तक प्रकट करना। परन्तु इससे अधिक सार्थक निष्पत्ति एजूकेशन की 'एजूकेयर' शब्द से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है–पालन–पोषण करना, विकास करना, पथ–प्रदर्शन करना। वस्तुतः शिक्षा का तात्पर्य है सामर्थ्यवान बनकर अपने को विकसित करना तथा बहुजन हिताय सतत् प्रयत्नशील बने रहना। इसे केवल कक्षा में ही नहीं, बल्कि कक्षा के अतिरिक्त स्वाध्याय, सत्संग, यात्रादृभ्रमण, मीडिया आदि कई माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा को मृत्यु–पर्यन्त अबाध गति से चलती रहने वाली एक सतत् प्रक्रिया स्वीकार किया जाना चाहिए। स्थिरता की स्थिति में शिक्षा की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जीवन गतिवान है अतः शिक्षा जीवन भर सतत् चलती रहनी चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति का वैयक्तिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मानवीय मूल्यों एवं सद्गुणों का विकास होता है। इसमें मार्ग–दर्शन, अभिवृद्धि एवं सभी प्रकार के विकास का भाव निहित रहता है। यह मानवीय विकास के लिए सोद्देश्य एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। शिक्षा से ही मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों में जागृति आती है। व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास होता है। इसी से मानवमन की मूलप्रवृत्तियों का मार्गान्तरीकरण तथा शोधन होता है। वयस्क जीवन की कर्मठता की तैयारी होती है। शिक्षा से ही राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा होती है। चरित्र का निर्माण होता है तथा संस्कृति का संरक्षण होता है। शिक्षा से ही अच्छे नागरिक का निर्माण होता है तथा सामाजिकता की भावना जन्म लेती है। इतना ही नहीं शिक्षा से स्वावलम्बन तथा व्यावसायिक दक्षता की प्राप्ति होती है। शिक्षा ही हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत हितों से सार्वजनिक हित अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा हमें, जाति, सम्प्रदाय, लिंग, भाषा तथा क्षेत्रियता आदि संकीर्ण. परिधि से ऊपर उठाकर उदात्त भावना प्रदान करती है। शिक्षा के तीन ध्रुव हैं– (1) अध्यापक (2) शिक्षार्थी तथा (3) पाठ्यक्रम। 'शिक्षा में सुधार' विषय पर विमर्श करते समय हमारे समक्ष सर्वप्रथम विचारणीय बिन्दु यह प्रकट होता है कि हम विश्वविद्यालीय स्तर पर किस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहते हैं, ताकि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास एवं लक्ष्य की प्राप्ति में वह सर्वाधिक सहायक हो सके। यह भी विचारणीय है कि उच्च शिक्षा में आ रही वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया कहीं हमारी शिक्षापरक सोच को एकांगी एवं सामाजिक सामंजस्य को छति तो नहीं पहुँचाने जा रही है। हमें यह भी सोचना होगा कि इस प्रकार के सुधार हमारी भावनाओं को तो ठेस पहुँचाने नहीं जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए, लेकिन शिक्षा निरन्तर मानवीय मूल्यों से हटती एवं अनिश्चितता की ओर भटकती रही है। वह अब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकी।

वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं विश्व बाजारीकरण के वर्तमान माहौल में हमें उच्च ज्ञान के अर्थशास्त्र को भी गहराई से समझना होगा तथा यह भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हमें मानवीय भावनात्मक जीवन–धारा से अलग तो नहीं होते जा रहे हैं। उच्चशिक्षा के क्षेत्र में समय–समय पर सुधार युगीन परिस्थितियों की माँग अवश्य रही है, और हमने तदनुसार अब तक कतिपय सुधार करने की चेष्टा भी की है। परन्तु इन समस्त सुधारों एवं विकासों से भी अधिक महत्वपूर्ण समृद्ध भावनात्मक जीवन की आज कहीं अधिक आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसी से व्यक्ति और समुदाय में सही सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही दिनों बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1947 के दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने विश्वविद्यालयीय अथवा उच्चशिक्षा के मूल उद्देश्य को लक्षित करते हुए कहा था, कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। लगभग इसी लक्ष्य की ओर **एच0 हेदरिंगटन** ने अपनी पुस्तक दि **सोशल फंक्शन ऑफ दि युनिवर्सिटी** में कहा है कि विश्वविद्यालय का कार्य ज्ञान के उस व्यापक रूप का अन्वेषण करना है, जो मानव संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में विकास तथा उन्नति में सहायक हो सके। अतः उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है–सभी क्षेत्रों में ज्ञान का संकलन, खोज तथा प्रसार करना। 1952–53 में डॉ० राधाकृष्णन आयोग ने तथा 1964–65 में कोठारी आयोग ने भी उच्च शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों को लक्षित किया है। 1986 ई0 में स्व० राजीव गाँधी ने युगीन माँग के आलोक में नवीन शिक्षा नीति घोषित भी किया। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्यता माध्यमिक शिक्षा में प्राविधिक पाठ्यक्रमों को वरीयता तथा उच्च शिक्षा केवल उन विद्यार्थियों को सुलभ करायी जाय, जो उसके लिए पात्रता रखते हों तथा जिनकी इस तरफ गहरी रूझान हो। यहाँ यह समाजवादी विचार कि शिक्षा चाहे प्राथमिक स्तर की हो या उच्च शिक्षा राष्ट्र में प्रत्येक नागरिकों को किंचित गहराई से विचार करने की बात प्रस्तुत की गयी है। उस समय माध्यमिक शिक्षा तक तो सबकी प्रविष्टि पर किसी को कोई एतराज नहीं प्रतीत हुआ, परन्तु उच्च शिक्षा में भीड़ बेरोक टोक बढ़ने लगी, जिसमें डिग्रियों की भरमार किन्तु नौकरियों के लिए तदनुरूप गहराता अभाव, सबके लिए चिन्ता को विषय बनने लगा था। जनसंख्या में अनवरत वृद्धि तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की बढ़ती हुई छात्र–संख्या अभिभावक से लेकर सरकारी तंत्र तक के लिए चिन्ता का विषय बन चुका था। विगत दशक में विशेष रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने से उच्च शिक्षा पर हो

रहे व्यय को सम्भालने में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें अपने को अक्षम पाने लगी हैं। केन्द्र सरकार से उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है क्योंकि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, चिकित्सा, कृषि, औषधि तथा ग्राम्य विकास आदि आवश्यक कार्यों पर बढ़ती हुई माँग के अनुरूप सब्सिडी देने तथा खर्च करने के लिए विवश है। अतः केन्द्र राज्य सरकारों से अब यह आग्रह करने लगी है कि उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय, जो केन्द्र सरकार की अनुदानराशि से अधिक खर्च के रूप में रहा हो, उसके संसाधन वे स्वयं जुटाएँ।

नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्यसेन भारतीय शिक्षा पर चाहे जो भी सोचते हों, इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता है कि भारत में उच्चशिक्षा गहरे आर्थिक संकट में हैं, यह संकट केवल आर्थिक ही नहीं, बहुआयामी है। प्रसंगानुसार यहाँ हम केवल इसके ऊपर मँडराते आर्थिक संकट तथा इसके बाजारीकरण पर ही विमर्श करेंगे। देश में ऐसे भी विचारक हैं जो यह कहते हैं कि यदि हमारे महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पहले की तरह सरकार वित्तीय प्रवाह संचालित कर दे तो उच्चशिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता आने में कोई कठिनाई नहीं रह जायेगी। यह सच है कि उच्चशिक्षा के संस्थानों को यू0जी0सी0 द्वारा की जा रही है सतत् वित्तीय कटौतियों के कारण गहरे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारियों एवं प्राध्यापकों के वेतन संदाय में तो एक भी पैसे की कटौती की नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा करने पर तो हाहाकार मच जायेगा। परिणामतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब कटौतियों के खाते बन चुके हैं—पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ। नए—नए कोर्स खोलने में भी आर्थिक कठिनाई आने लगी है और नए पद पर नियुक्ति की कौन कहे, पुराने रिक्त पदों की नियुक्तियों पर भी राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाने लगा है। कतिपय विभागों में एक या दो प्राध्यापकों से ही स्तनाक और परास्नातक कक्षाएँ चलवायी जा रही हैं। अतिथि व्याख्याताओं से कक्षा चलवाकर उनका भरपूर शोषण भी किया जाने लगा है। विद्यार्थी अब यह समझने लगा है कि उच्च शिक्षा के नाम पर उसे ठगा जा रहा है। इस गहराते आर्थिक संकट से उबरने के लिए न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने और न ही राज्य सरकारे अथवा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने कोई रणनीति तैयार की है। फलतः नौकरशाही इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों को सतत् आदेश—पत्र जारी कर रहा है कि यदि उच्च शिक्षण संस्थान चलाया जाना है, तो उसके आर्थिक संसाधन स्वयं संस्थान को ही जुटाना होगा। भारत की विगत शिक्षा नीतियों एवं समय—समय पर लाए गए सुधार हमें वस्तुस्थिति को कहाँ तक अवगत कराने में सफल रहे हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय राष्ट्रीय नेताओं के सामने लक्ष्य था— बहु—सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता अथवा पंथ—निरपेक्षता, समता और संप्रभुता की प्राप्ति। इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है था जब हम अंग्रेजी और अंग्रेजियत को हटा देते तथा अंग्रेजी नौकरशाही का स्वरूप देश की मांग के अनुरूप परिवर्तित कर देते। लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजी प्रेमी तत्कालीन राष्ट्रनायकों के चलते हम दोनों को बदल न सकें। इन्हें बदलना तो दूर इन्हें छेड़ा तक नहीं गया तब से आज तक जनप्रतिनिधियों से अधिक ताकतवर नौकरशाही व्यवस्था बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्चशिक्षा को कुछ सीमा तक अवश्य विकसित किया गया, किन्तु प्राथमिक शिक्षा क्रमशः हासोन्मुखी होती चली गयी। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से अब तक सम्पन्न शहरी वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्ग सर्वाधिक लाभान्वित होते रहे तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्रमशः नौकरशाही की दृष्टि से आगे निकलते रहे, इसके विपरीत निम्न आर्थिक वर्ग, चाहे जिस किसी भी जाति समुदाय का छात्र हो हिन्दी माध्यम से आधी—अधूरी शिक्षा का हकदार बनता रहा। गाँवों के इस विशाल भारत देश के प्राथमिक विद्यालयों की दुदर्शा किसी की आँखों से ओझल नहीं है। यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया जाना सर्वथा उचित हैं परन्तु भारत में शिक्षा दान की और विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दान को अंग्रेजी माध्यम से दिया जाना और उसे सर्वाधिक शिष्ट, विकसित तथा योग्य मानकर रोजगार में हर जगह प्राथमिकता प्रदान किया जाना हमारे पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता गया है। सवाल यह है कि इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि अधिक जिम्मेदार रहे हैं या सरकारी उच्च नौकरशाह इस विषय में यहीं निकाला जा सकता है कि इसके लिए जनप्रधिनियों से अधिक जिम्मेदार रहे हैं क्योंकि निचले आर्थिक वर्ग से जो, कुछ लोग नौकरशाही वर्ग में सम्मिलित हुए हैं वे भी गाँव छोड़कर शहर के हो गए तथा अन्य नौकरशाह के स्व में स्वर मिलाते आ रहे हैं। सर्वेक्षणों से मिलने वाले साक्ष्य यही संकेत देते हैं कि अपने देश में स्वतंत्रा प्राप्ति के समय से आज तक गाँव से शहर तथा प्राथमिक शिक्षा सवे उच्च शिक्षा की ओर केवल वे ही लोग पहँच सके हैं, जो आर्थिक दृष्टि से इसे संभव बना सकने में समर्थ थे। इनमें भी आई0आई0टी एवं मेडिकल आदि रोजगार प्रदायिनी शिक्षा तो केवल सम्पन्न वर्ग के लोग ही अपने बच्चों को देने में आगे आते हैं, क्योंकि वे शुरू से ही बड़े खर्चीले रहे हैं।

आज उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमानी शुल्क—वृद्धि छात्रों पर आरोपित करके सम्पूर्ण उच्च शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हो गया है। स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा—व्यवस्था चलाने तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक मांगों के अनुरूप विषयाध्ययन संचालित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकारें औद्योगिक घरानों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने लगी हैं। इस समय सरकारों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां है तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं, यह सही है, परन्तु उच्च शिक्षा को सुधारने और संचालित करने के लिए सरकार अपने दायित्व से हटकर पूरी स्वयात्तता के साथ पूँजीपतियों के हाथ में उसे सौंपने अथवा संस्थानों को मनमाने शुल्क—वृद्धि करने की छूट देकर उच्चशिक्षा का वाणिज्यीकरण करना लोकतांत्रिक विकासशील भारतीय समाज एवं गरीब जनता के लिए कदापि उचित नहीं माना जा सकता हैं। इस व्यवस्था से समाज के केवल उच्च आय वर्गों के ही लोग उच्च शिक्षा को पर्याप्त धन व्यय करके खरीद सकेंगे शेष गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित हो जायेगे। इसका परिणाम आगे चलकर कई दृष्टियों से अनर्थकारी हो सकता है। इस नई बाजारीकरण व्यवस्था के चलते उच्च शिक्षित, अल्प शिक्षित दो प्रकार के सामाजिक वर्गों का बनना तय है। इन वर्गों के बीच टकराव को भविष्य में रोक पाना असंभव हो जायेगा। जब चीजें कम होती हैं, और उसे चाहने वाले अधिक होते हैं, तो प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां आदर्श तो त्याग का है तथा धर्म और मोक्ष हमारे सर्वोच्च आदर्श एवं जीवन के लक्ष्य माने गये हैं परन्तु अर्थ और काम हमारी जमीनी आवश्यकता रहे है तथा इन्हें भी पुरूषार्थ माना गया है। अतः मूलतः हमारी संस्कृति उपभोक्तावाद का पूर्ण परित्याग नहीं

करती है। इस उपभोक्तावाद प्रवृत्ति के पोषक केवल उच्च आय वर्ग के लोग ही नहीं गरीब लोग भी रहे हैं। धातव्य है कि उपभोक्तावाद को सर्वाधिक पालता–पोषता एवं संतुलित करता है देश का मध्यमवर्ग। इसी मध्यमवर्ग में से अब एक तबका उच्चशिक्षा के बाजारीकरण को अब समर्थन देने लगा है क्योंकि वह अब इसे खरीदने की हैसियत में आ गया है परन्तु यह वर्ग हमारी कुल आबादी का औसतन 5.5 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त लगभग देश के 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए आज भी जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं ,लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो या तो गरीब हैं या गरीबी रेखा के निकट हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जो लोग भारतीय संस्कृति में प्रदत्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरूषार्थों का हवाला देकर अपनी परम्परा को मूलतः उपभोक्तावादी कहकर उसे दार्शनिक आधार देने का प्रयास करते हैं, अथवा वे जो शिक्षा को संस्कार के साथ–साथ विक्रेय की वस्तु समझते हैं उनकी सोच किस प्रकार का समाज सृजित करने को उद्यत है– कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह सही है कि विश्व के अधिकांश देशों में उच्च शिक्षा सबके लिए सहज सुलभ नहीं होती है तथा उसकी प्राप्ति के लिए लंबी कीमत भी देनी पड़ती है परन्तु ऐसे देशों में सरकारी, प्राइवेट रोजगार अथवा स्वरोजगार की ऐसी परिस्थितियां तैयार की गयी है, जिसमें हर स्तर के लोगों को कार्य करने तथा जीविकोपार्जन का अवसर उपलब्ध है। भारत ही शायद दुनिया का ऐसा पहला पिछड़ा देश है, जहाँ माध्यमिक स्तर तक, 1986 की शिक्षा नीति में प्राविधान होने के बावजूद, व्यावसायिक शिक्षा का अभी तक कुछ भी प्रबन्ध नहीं हो पाया है परन्तु उच्च शिक्षा में प्रवेश को बिना विकल्प तैयार किए रोकने का यत्न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा का विक्रेय वस्तु की तरह खुले बाजार में पर्याप्त मॅहगे दाम पर बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है तथा उसके लिए नया प्रारूप भी तैयार कराया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की आर्थिक सलाहकार समिति के दो महत्वाकांक्षी एवं उत्साही युवा व्यवसायी श्री अम्बानी एवं श्री विड़ला ने न केवल उच्च शिक्षा, बल्कि संपूर्ण शिक्षा में नीतिगत सुधार लाने हेतु एक ऐसी व्यवसाईयों कार्य योजना तैयार की है, जिससे देश के अधिकांश शिक्षाविद् एवं बुद्धिजीवी सशंकित हो उठे हैं। शिक्षा में सुधार से संबंधित यह रिपोर्ट इन दोनों ने अपनी ओर से प्रस्तुत किया है या भारत सरकार अथवा प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से– यह बहुत स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, इतना तो स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तथा शिक्षा में भावी सुधार को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यालय की प्रेरणा से रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से इसका लेना–देना अथवा अब तक कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, तब इसे और भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि उपर्युक्त आर्थिक सलाहकार समिति तथा उसके दो महान् चिन्तक व्यवसाइयों ने देश को शिक्षा मंत्रालय के बावजूद को शिक्षाविदों को तथा चिन्तकों को आज के बाजारीकरण के युग में अप्रसांगिक घोषित कर दिया है। श्री अम्बानी ने चेन्नई की **'बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट'** नामक एजेंसी से डेढ़ सौ मुद्रित पृष्ठों की रिपोर्ट छपवाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूल–चूल बदलाव करने की सिफारिश प्रस्तुत की गयी है। इतना ही नहीं, दोनों व्यवसायी चिन्तकों ने सरकार को यह सलाह दी है कि वह धीरे–धीरे शिक्षा के क्षेत्र से अपनी भागीदारी समाप्त करके इसे निजी पूँजी निवेशकों को सौंपकर अंततः पूर्णरूपेण चुपचाप हट जाय। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बड़ी तार्किक सिफारिश की गयी है, ताकि उसे आज के बाजार की जरूरतों के अनुकूल बना दिया जाय। शिक्षा में निजीकरण के समर्थक व्यवसायाइयों का आज भी और कुछ वर्ष पहले से यह तर्क उपस्थित होता रहा है कि कम से कम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपना धन खर्च कम करे तथा इसमें निजी पूंजी का अधिक से अधिक योगदान लिया जाय। उनका कहना है सरकार अनेक आवश्यक खर्चों सेकटौती करके उच्च शिक्षा में विपुल धनखर्च करके जिस मानव संसाधन को शिक्षित करके तैयार करती है, उसका उपयोग भारत तथा दुनिया के अन्य देशों के निजी क्षेत्रों के व्यवसायी मुफ्त में करते हैं। अतः निजी क्षेत्र से भी उच्च शिक्षा के लिए पूँजी लगवायी जाने चाहिए। सरकारी पूँजी के व्यय के साथ निजी पूँजी का मेलजोल उच्च शिक्षा के सुधार अथवा विकास हेतु किया जाना, कुछ हद तक बहुत चौकाने वाली बात नहीं लगती है। आशंकित करने वाली बात तो यह लगती है कि प्राथमिक से लेकर संपूर्ण उच्च शिक्षा को संचालित करने का पूर्ण दायित्व निजी पूँजी वाले व्यवाइयों को सौंप कर सरकार शिक्षा से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। सम्भवतः इसी बात की जोरदार वकालत श्री अम्बानी–विड़ला समिति ने की है जो निश्चयतः लोकतांत्रिक भारत के संदर्भ में विशेष विचारणीय है।

भारत सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने बजट का मात्र 6 प्रतिशत ही खर्च कर रही है। ध्यातव्य है कि निजी पूँजी को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थन देने वाला देश अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए अपने बजट का 50 प्रतिशत, कनाडा 90 प्रतिशत, नीदरलैंड 98 प्रतिशत तथा डेन्मार्क 99.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष करता है। अब तक भारतीय शिक्षाविदों की यह माँग रही है कि भारत सरकार को उच्च शिक्षा का अत्याधुनिक मानक प्राप्त करने के लिए अपने बजट का कम से कम 25 प्रतिशत तो खर्च करना ही चाहिए। आज सरकार यदि 6 प्रतिशत भी उच्च शिक्षा पर व्यय नहीं करना चाहती तथा उसे व्यवसाइयों को सुपुर्द करके बाजारीकरण के लिए मुक्त करने का प्रारूप तैयार करवा रही है तब यह मुद्दा और भी चौंकाने वाला बन जाना स्वाभाविक है।

सन्दर्भ :

1. पाण्डेय, रामसकल शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि।
2. घोष, अरविन्दः शिक्षा के नए आयाम, पृ0 56–57
3. वही, बेसेज ऑफ एजूकेशन।
4. हेदरिंगटन. एच. दि सोशल फॅक्शन्स ऑफ दि यूनिवर्सिटी इण्ट्रोडक्शन ।
5. राधाकृष्णन, एस0. शिक्षा आयोग रिपोर्ट, पृ0 15, 16, 22 ।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 147-148

ललीत कलाओं का मूलस्त्रोत – वेद

प्रो0 डॉ0 अविराज कृष्णराव तायडे*
*संगीत विभाग प्रमुख, एस.एम.आर.के. बि.के.–अे.के. महिला महाविद्यालय, नाशिक

सारांश : भारतीय संस्कृती अखिल जगत् द्वारा आदरपूर्वक सराही गयी, प्राचीन, उच्चविचार धारा से संपन्न संस्कृती है। भारतीय संस्कृती से अभिभूत होकर अनेको देशों के विद्वान इस संस्कृती का अध्ययन करने हेतू आकृष्ट होते दिखायी देते है। उनका यह आकर्षण निश्चित रूप से सुयोग्य है। आज विज्ञान में अनेकविध नयी लग रही खोजों की जड़ें भारतीय संस्कृतीका मूलाधार कहे जानेवाले 'वेदों' में ही है। वेदों को भारतीय संस्कृती का मूलाधार कहते हुये इस बात की पुष्टि होती है की वेदों की यह जड़ें समाज तथा यहाँ रहने वालें व्यक्तियों के मन में कितने गहरायी और दूरी तक फैली हुई है। वेदों की दृष्टीगोचरता को हजारो वर्ष होकर भी, अनेको विदेशी आक्रमणों को सहकर आज भी केवल हम ही नही किंतु विश्व में उच्चश्रू समझे जाने वाले देश भी वेदों में स्थित अलौकिक ज्ञान की सराहना करते दिखायी देते है।

मनुष्य ने समूह में रहने का आरंभ करने के बाद उसकी जीवनशैली यह वातावरण, भौगोलिक गतीविधियों के अनुसार बनती गयी। कुछ काल पश्चात् इसी पद्धती/शैली को 'संस्कृती' कहा जाने लगा। "जीवन व्यतित करने की शैली को अधिक सुविधाजनक एवं उन्नत बनाने हेतु मनुष्य का पर्यावरण के साथ अनुकूल बनने हेतु जो प्रयास किये गये उन्हे संस्कृती की ओर तथा परिपूर्णता की ओर बढ़ाया गया एक कदम है।" संस्कृती शब्द के अंतर्गत विविध रिती रिवाज, परंपरा, आचार, विचार इन बातों का अंतर्भाव होता दिखायी देता है। सभी के समान उन्नती का समान ध्येय लेकर सर्वेषां अविरोधेन किये गये प्रयासों को हम संमिक रुप से संस्कृती कह सकते है। संस्कृती में स्थित हर कृतीसे ललीत कलाओं का गहरा संबंध है। समाज परिवर्तनशील है परिणामस्वरुप संस्कृती भी परिवर्तनशील है। अनेको परिवर्तन को अपनाते इस संस्कृती में ललीत कलाओं के स्थान का अटल होना दृष्टिगोचर होता है।

'कला' यह एक प्राचीन शब्द है। विश्वकर्मा ने जब चौसट कलाओं की निर्मिती की तब वह कलायें उन्होंने एक पात्र में रखी उस पात्र को 'कलश' कहा गया। आज भी हर पूजा में 'कलश' का पूजन होता है। वस्तूतः यह कलाओं का पूजन है। इससे यही प्रतीत होता है की भारतीय संस्कृती में कलाओं को पूजनीय माना जाता है। कला जानने योग्य है। वह अभ्यासजन्य है। मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास है। कला को किसी बंधन में बांधा नही जा सकता। कला नीत्य नूतन है। वह कभी जीर्ण, जर्जर नही होती। सभी कलाओं की निर्मित मानव के उन्नती एवं कल्याण हेतु मानी जाती है। 'मुझे कुछ कहना है' यही भावना कलाओं की निर्मित का मूलस्त्रोत है। कुछ कहने की यह भावना अपने आप को रंग, स्वर, रेखा, आकार इन माध्यमों से अविष्कृत करते दिखीयी देती है। कला और मनुष्य एक दूसरे के परस्पर सहायक होकर अपनी उन्नतावस्था की ओर चलते है। विचारों की विविधता भिन्न–भिन्न विद्याओं और कलापों द्वारा प्रस्तुती का नाम ही 'ललीत कला' है।

कला के दो विभाग हो सकते है। 1. दृक 2. श्राव्य। ललीत कलाओं में से शिल्प, नाट्या, चित्र तथा वास्तू ये कलायें दृक विभाग में समाती है तथा संगीत में अंतर्भूत 'नृत्य' भी दृक विभाग में संमिलीत है। गायन और वादन यह श्राव्य विभाग से संबंधीत है। कलायें जब बोध स्तर पर है तब तक वह सर्वसाधारण व्यक्ति के आस्वादन के लिये सुगम है किंतु वह जब अबोध स्तर पर मार्गस्थ होती है तब यह सर्वसामान्य व्यक्ति से दूर जाने लगती है। जैसे कोई गाना सून रहा है या चित्र देख रहा है। अगर गाना सुगम है तो उसका आस्वादन वह व्यक्ति अच्छी तरह से ले सकता है किंतु गाना शात्र में बद्ध हो जाये और शास्त्रीय गायन का रूप धारण कर ले तो वही व्यक्ति उसे समझने में कष्ट का अनुभव करेगा। क्योंकी वह गायन अब अबोध स्तर पर है। थोडी देर वह व्यक्ति उसे सुनेगा जरूर क्योंकि स्वरों का जादू उसे पकड़े रखेगा। किंतु वह उसे समझने में नाकाम होने की वजह से थोडी देर में वह उसे सुनने से मुकर जायेगा। उसी तरह चित्र की बात है। अगर चित्र बोध स्तर पर है। यानी देखने वाला व्यक्ति उस चित्र में क्या दिखायी दे रहा है उसे समझ पा रहा है तब तक वह चित्र में रुचि रखेगा। किंतु जब चित्र अबोध स्तर पर चला जाता है तब वह व्यक्ति केवल रंगों का आस्वादन करता है। किंतु वह उस चित्र में क्या दिखाया है उसे समझने में असफल रहता है। बोध–अबोध स्तर का यह अंतर केवल कला का ज्ञान, अध्ययन ना होने की वजह से बढ़ता जाता है। फिर भी कला का आस्वाद लेने के लिये शास्त्र का ज्ञाता होने की आवश्यकता नही होती। शायद इसी कारणवश यह कलायें हमारे जीवन से अविभाज्य अंग की तरह जुडी हुयी है। कलाये मानव से किस समय से जुड़ी है? इसका अवलोकन करते इसकी जड़ें वेदों तक जाती दिखायी देती है। ललीत कलायें वैदिक काल में किस प्रकार अपना रूप बनाये हुये थी इसको देखना एक बहुतही आनंदमय एवं आश्चर्यजनक अनुभव होगा। 'वेद' शब्द 'विद्' धातू से प्राप्त होता है। वेद अपौरुषेय है। द्रष्टाऋषियों द्वारा वेद दृष्टीगोचर हुये। ऋषियों ने तीन दृष्टी से इसे देखा। 1. **आश्चर्य** : जब ऋषियों को वेद की ऋचांये दृष्टीगोचर हुयी तब वे आश्चर्यचकित हुये। ऋचा के रुप, गुण और मूल्य से उन्हे आश्चर्य हुआ। 2. **उपयोगिता** : यह जो हमें दृष्टीगोचर हुआ है इसका उपयोग हम कैसे करें? इसका चिंतन मनन ऋषियों द्वारा किया गया। 3. **सुंदरता** : यह जो हम अनुभव कर रहे है वह सुंदर है। और इसी सुंदरता से संपूर्ण सृष्टी भरी हुयी है। इन तीन दृष्टीयों से जो दिखायी दिया वह सब ज्ञान ऋषियों द्वारा कविता के रुप में समाज में प्रवाहित किया गया। इतनी सुंदर रचना हमें दिखानेवाला, इतने सुंदर सृष्टी की रचना करने वाला कौन है? इसका कोई तो 'कर्ता' है। 'क्री' धातु से 'क्रीया' शब्द मिलता है। क्रीया अर्थात् 'कुछ करना' है और 'कुछ करने' से ही 'कला' है।

द्रष्टा ऋषियों को जो ज्ञान मिला वह मंत्रों में बद्ध हुआ। ऋग्वेद में 'चा', यजुर्वेद में 'यजुस' और सामवेद में 'साम' इन तीन रुपों में प्राप्त हुआ यह ज्ञान 'त्रैविधा' के नाम से जाने जाते है। ऋषियों को जो दृष्टीगोचर हुआ उस पर उन्होंने चिंतन–मनन किया और उसका उपयोजन किया। मनन से मंत्र, तरिका से यजुस, गाने से साम की प्राप्ती हुयी। स्तुती मंत्रों में सृष्टी के रचनाकार से अपनेपर कृपा निरंतर बनाये रखने की याचना दिखायी देती है। अगर सृष्टीकर्ता हमें सारी सुविधायें प्रदान करते है। उसके प्रती कृतज्ञ भाव व्यक्त करने के लिये हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिये इस भावना के परिणामस्वरूप 'यज्ञ' का प्रयोजन हुआ। 'यज्ञ' में 'हवि' देने से वह अग्नीद्वारा (अग्नी जो उस 'पुरुष' अर्थात् 'सृष्टीकर्ता' का मुख माना जाता है) सृष्टीकर्ता तक पहुँच जाता है ऐसी मान्यता है। यह विचारधारा समाज में अपना स्थान बनाती गयी इसिसे 'यज्ञ संस्था' सुस्थापित हुयी।

यज्ञ में यज्ञभूमी, वेदी, गणपत्य, आचार्य आदि जनों की बैठक व्यवस्था इन सभी व्यवस्थाओं से ही कलाओं का जन्म हुआ। यज्ञ में बनायी जाती वेदियों से 'नाट्याशास्त्र' में रंगमंच को बनाया कैसे जाये यह ज्ञान आगे बढ़ा। वेदिया बनते इटे कौन सी रहेगी? कितनी रहेगी? आकार कौन–सा होगा? श्येन पक्षी का आकार, गोलाकार ऐसे कई आकारों में वेदिया बनी। कैसे उनको सुंदरता से सजाया जाये? ऋग्वेदी कहाँ बैठेंगे? सामवेदी कहाँ बैठेंगे? यजुर्वेदी कहाँ बैठेगा? इन सभी व्यवस्थाओं से रंगमच पर कहा क्या रखा जाना चाहिये, यह ज्ञान यज्ञ मंडप से ही आगे कलाओं का रूप धारण कर समाज में प्रवाहित हुआ। सोमयोग में 'सोमरस' की आहुतियाँ दी जाती है। (सोमरस–सोमवल्ली नायक वनस्पती का रस, इस वनस्पती को दो दिन तक भीगोये रखते है। पश्चात उसे सौ बार – 100 बार – छानते है। उसके बाद उस रस की आहुती यज्ञ में दी जाती है। समाज में बहुत से लोग यह बात नहीं जानते, वह तो 'सोमरस' को मदिरा समझते है किंतु यह 'सोमवल्ली' का रस होता है) इस आहुती से पहले राजा जो यजमान होते है वह सामान्य व्यक्ती 'शटक' के साथ सोमलता लाते है। यहा पर सोम खरीद ने का 'नाट्या' होता है यही से 'नाट्या कला' आगे बढी।

सोमयाग में एक और प्रसंग नाट्याद्वारा प्रस्तूत किया जाता है। स्वर्गारोहण के प्रसंग में राजा रथ में बैठकर अपने पत्नी के साथ स्वर्ग जाता है। एक उंची मचान पर राजा सपत्नीक जाता है। वहाँ से वह अपने आप को सर्वशक्तिमान बताते हुये 'अदंज्योस्मि' अर्थात् 'मुझे को दंडित कर नही सकते' ऐसा कहते है। नीचे से उसे सब ऋषी जो की यज्ञ का आचार्यत्व स्विकारे है वह राजा को पत्थर मारते है और अपने हाथ के दंड को जमीन पर पटकते हुये राजा को बताते है 'धर्मदंडयोसि' अर्थात् धर्म है जो राजा को भी दंडित कर सकता है और वह अधिकार ऋषियों को प्राप्त है। राजा इसे विनम्रता से स्वीकार कर मचान से नीचे आता है यह पूरा प्रसंग 'नाट्या' रुप में प्रस्तुत होता है। यह यज्ञ 5/6 दिनों तक चलते है। इस बीच आठ महिलायें सिर पर मृत्तिका कुंभ लेकर वर्तुलाकार में नाचती है। 'नृत्य' का प्रारुप वहीं से बीजारुप में मिलता है। यज्ञ मंडप के चारों ओर 'भू दुंदभि' लगायी जाती थी। वाजपेय यज्ञ में 17 दुंदभि बजाये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। 'सामगायन' के चलते यजमान पत्नी 'काण्डविना' बजाती है यह संदर्भ भी प्राप्त होते है। सामगायन के साथ 'आघाटीवीणा' बजाये जाने की प्रथा थी। 'प्रथम स्वर वेणुर्मध्यमः' इससे सामगायन का प्रथम स्वर मध्यम जो 'वेणू' में बजता है उसको माना गया है इसिसे 'वेणूवादन' के संकेत प्राप्त होते है। सामगायन अवरोही या इससे आरोह–अवरोह की संकल्पनायें वैदिक काल में प्रचलित होने की पुष्टी करते है। उपरोक्त संदर्भों से यह स्पष्ट होता है की गायन, वादन और नृत्य जो की 'संगीत' है वह वेदों की ही देन है।

'प्रश्न बिंदू' में 16 कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। यजुर्वेद का उपवेद 'शिल्प वेद' माना गया है जो की 'शिल्पकला' का आधार है। वैसे तो कलायें चौसट बतायी जाती है पर कुछ कलायें लुप्त हो गयी है। ईश्वर ने बनायी सृष्टी चलायमान है किंतु मनुष्य द्वारा बनायी कृतीया मिट जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है की ललीत कलायें हजारों वर्षों से निरंतर कैसे चलती आ रही है? इस प्रश्न का उत्तर ऋषियों ने पहले से दे रखा है। जो कला आश्चर्य, उपयोगिता तथा सुंदरता इन तीन कसोटीयों पर खरी उतरती है वही कला नित्य, निरंतर चलती है। अर्थात् कला 'सत्य शिवं सुंदरम्' होनी चाहिये। 'सत्य' है तो वह आश्चर्यजनक होगी। उसके नीत्य नूतन रुप से एक अचरज पैदा करती होगी। उसकी 'उपयोगिता' मानव जाती की उन्नती एवं कल्याण के प्रति कटिबद्ध होगी। कला के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी प्रस्तुती मानव को आनंद की अनुभूती देगी। इसके पश्चात् वह 'सुंदर' भी होगी। यद्यपि ये तीनों आयाम जिस कला में है वह समाज प्रवाह से जुडकर उसी के साथ निरंतर प्रवाहित होती दिखायी देती है।

निष्कर्ष यह है की भारतीय संस्कृती का मूलाधार 'वेद' जो की अपौरुषेय, अनंत, अनादि है, उसकी परंपरा में जो कलायें फली, फुली प्रचारित हुयी वहीं आगे अपना स्थान निरंतर बनाती गयी, आज हमारे समक्ष अविष्कृत होती दिखायी देती है। नीत्य नूतनता वेदों की एवं कलाओं की आत्मा है। कला जीवन को जीवन की तरह जीना सिखाती है। अखिल मानव जाती के प्रती कलाओं का योगदान अलौकिक और अमौलिक है। कलाओं के साथ हर मनुष्य अपनी सर्वंकष प्रगती के मार्ग पर मार्गस्थ हो जाये इसी मनिषा से सभी कलायें एवं उनके मूलस्रोत वेदों को सश्रद्ध नमन!!!**सर्वे सुखिनः सन्तुः सर्वे सन्तु निरामयः।सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखः माप्नुयात ।। ओम शांती शांती शांतीः**

सन्दर्भ :

1. सामदेव
2. नारदिय शिक्षा
3. शर्मा, डॉ0 पंकजमाला; सामगान : उद्भव, उगम एवं विकास
4. वैदिक संगीत : वे. मू. धुंडिराज शास्त्री बापट
5. शर्मा, डॉ. पंकजमाला; द्वारा पुनश्चर्या वर्ग में दिया गया
6. व्याख्यान – 2016 अलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. मुद्देबिहाळ, मधुरा; वेदवाणी ते आकाषवाणी एक संगीत, लेखिका, ओम पूर्णवादी संगीत कला अकादमी

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 149-152

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ0 संगीता चौहान*

*असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग), बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है। इस समस्या का समाधान पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। हमें माध्यमिक स्तर के छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के बारे में समझने की आवश्यकता है क्योंकि इस स्तर पर बालक बहुत क्रियाशील व उत्साही होते है। इस अवस्था में उन्हें सही दिशा की आवश्यकता होती है जिससें भविष्य में ये बालक अपने समाज का और देश का कल्याण कर सकते हैं। शोधकर्त्री के संज्ञान में कोई भी अध्ययन यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 के विद्यार्थियो में पर्यावरण जागरूकता को लेकर नहीं किया गया इसलिए शोधकर्त्री ने शोध के इस प्रकरण का चुनाव किया है। शोधकर्त्री ने प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में वर्णानात्मक शोध डिजाइन का उपयोग किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में लखनऊ शहर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के कक्षा 9 के 200 विद्यार्थीयों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में सी0बी0एस0ई0 के 100 विद्यार्थियों तथा यू0पी0 बोर्ड के 100 विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन किया गया है। माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 के 52 छात्र व 48 छात्राओं तथा यू0पी0 बोर्ड के 51 छात्र व 49 छात्राओं का पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया। प्रदत्त विश्लेषण के लिए 'टी' अनुपात नामक सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया।

मुख्य शब्द : पर्यावरण जागरूकता, विद्यालय के बोर्ड (यूपी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0), माध्यमिक स्तर आदि ।

प्रस्तावना : पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है परि + आवरण, 'परि' का अर्थ है– 'चारों ओर' तथा 'आवरण' का अर्थ है– 'घेरना' अर्थात दोनों का सम्मिलित अर्थ है चारो ओर से घिरा हुआ इसका तात्पर्य यह है कि पर्यावरण वह है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे है जैसे– वस्तुऐं, वायु, पेड़, जीव–जन्तु, मिट्टी जल आदि पर्यावरण कहलाते है। इस सन्दर्भ में पी0 जिस्वर्ट ने कहा है ''जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है पर्यावरण कहलाता है।'' **सी0सी0 पार्क (1990) के अनुसार** – ''मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन सम्पूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है।'' विश्व के सभी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें इस गम्भीरता का अनुभव कर रहे है तथा प्रदूषण के नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी और स्वयंसेवी संस्थायें व अभिक्रमों की स्थापना की गई है और नीतियों तथा पर्यावरण नियंत्रण कानून भी प्रतिपादित किये गये है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके पर्यावरण की समस्याओं के प्रकरणो पर दिया जा रहा है। विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों ने इनके माध्यम से एक साथ बैठकर एक मत से प्रस्ताव पारित किये है। पर्यावरण समस्याओं के प्रकरण पर राष्ट्रों में सन्धियाँ भी हुई है इस प्रकार के बहुआयामी प्रयास अधिक समय से चल रहे है, बेलग्रेड की अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला (1975) तथा जार्जिया के विविल्सी सम्मेलन (1977) में पर्यावरण शिक्षा को इस समस्या के समाधान के लिए महत्व दिया और इसे प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव एवं संस्तुतियाँ भी दी गयी है जिससे पर्यावरण शिक्षा की प्रक्रिया से इस गम्भीर समस्या का स्थायी एवं ठोस समाधान किया जा सकता है।

शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण : शिक्षा का एक नया क्षेत्र विकसित हुआ है जो शिक्षाविदों शिक्षकों तथा छात्रों के लिए नया अध्ययन तथा अध्यापन का क्षेत्र है। इस प्रकरण की प्रकृति अन्तः अनुशासनात्मक है। इसका शिक्षण प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाना है और स्थानीय पर्यावरण से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण का ज्ञान तथा बोध कराना है। इन्हीं कारणों के परिणामस्वरूप अभी तक पर्यावरण–शिक्षा का क्षेत्र सुनिश्चित नहीं हो रहा है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा एक समूह या समाज तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि हर व्यक्ति को पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी होनी चाहिए। यह एक निरन्तर और जीवनभर चलने वाली प्रक्रिया होनी है तथा पर्यावरण शिक्षा के प्रति व्यवहरात्मक होना चाहिए ताकि इसे भली–भाँति लागू किया जा सके यदि बच्चों को संसाधनो पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा अपरदन अवनति और संकटग्रस्त पौधो एवं विलुप्त जानवरो के बचाव तथा संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण में काफी हद तक सुधार हो सकता है। माध्यमिक विद्यालयों में पर्यावरण पाठ्यक्रम विज्ञान के अन्तर्गत ही या विद्यार्थियों के रूचि के आधार पर एक केन्द्रित विषय हो सकता है। इससे छात्रों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को एक पाठ्यक्रम के रूप में समेकित करना और छात्रों को बचपन से ही प्रकृति के बारे में अवगत कराना एक सही विकल्प है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण : शोधकर्त्री ने अपने शोधकार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व इस क्षेत्र में हो चुके बहुत से शोधकार्यो तथा उससे सम्बन्धित साहित्यों का अध्ययन किया जिनका विवरण इस प्रकार है–**सेल्वन, (2003)** ने ग्रामीण और शहरी इलाके के शिक्षक प्रशिक्षुओं के बीच पर्यावरण जागरूकता पर एक अध्ययन किया। जिसमें उन्होने अध्ययन में पाया कि ग्रामीण इलाके के शिक्षक, प्रशिक्षुओं तथा शहरी क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षुओं के मध्य पर्यावरण जागरूकता के प्रति कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पाया गया। **समीर कुमार लेनका (2005)** ने पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों में पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता के बारे में एक अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, कला एवं वाणिज्य छात्रों और पुरूष और महिला स्नाकोत्तर छात्रों की तुलना करना था। जिसमें पाया गया कि कला व वाणिज्य की अपेक्षा विज्ञान के छात्रों में पर्यावरण जागरूकता अधिक है। **संतोश कुमार गर्ग और सुकर्ती अग्रवाल**

(2006) ने उच्च विद्यालय स्तर के छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं कला वर्ग के छात्रो और ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। जिसमें कला वर्ग के छात्र विज्ञान वर्ग के छात्रों की तुलना में अधिक जागरूक है। शहरी क्षेत्र के छात्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता है। **कुमार और पाटिल (2007)** ने पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति और पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन किया पोस्ट ग्रेजुएशन विभाग के 120 छात्रों का चयन किया। पर्यावरण शिक्षा अभिवृत्ति मापनी और व्यक्तिगत डेटाशीट का इस्तेमाल किया गया। अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा के प्रति अच्छी अभिवृत्ति पायी गयी और महिला और पुरूषों के बीच पर्यावरण अभिवृत्ति और पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित कोई भी सार्थक अन्तर नही पाया गया। **सरला (2008)** ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का पर्यावरण जागरूकता पर एक अध्ययन का किया जिसमें पाया कि पर्यावरण जागरूकता के प्रति लड़कों और लड़कियों में कोई भिन्नता नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक छात्रों में शहरी क्षेत्र के छात्रों की तुलना में अधिक पर्यावरण जागरूकता है। **सरोजिनी (2010)** ने स्कूल के छात्रों में पर्यावरण जागरूकता के बारे में एक अध्ययन किया जिसमें पाया कि ज्ञान, जागरूकता रवैया और भागीदारी के मामले में पर्यावरण जागरूकता का स्तर औसत है। ग्रामीण छात्रों की तुलना में शहरी छात्रों की उच्च स्तर की पर्यावरण जागरूकता है **कुमार और मल्टी (2011)** ने उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता पर अध्ययन किया अध्ययन का सम्बन्ध विद्यालय के विद्यार्थियों लिंग और स्कूल के प्रकार पर था कक्षा 11 के आठ सौ विद्यार्थियों का चयन किया। जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के राज्य बोर्ड और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के मेरठ के विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन किया जिसमें पर्यावरण योग्यता मापनी का प्रयोग किया। पर्यावरण जागरूकता सभी विद्यार्थियों में समान पायी गयी जिसमें लिंग और विद्यालय के प्रकार का कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पाया गया। **कौर (2012)** ने पर्यावरण जागरूकता पंजाब के पटियाला जिले के बी0एड0 छात्रों पर एक अध्ययन किया जिसमें पर्यावरण जागरूकता का पता करने के लिए स्वंनिर्मित प्रश्नावली तैयार की जिसमें 100 बी0एड0 छात्रों का चयन किया छात्रों में पर्यावरण जागरूकता का स्तर बहुत अच्छा पाया गया और लिंग के अनुसार और विषयानुसार भी छात्रों में पर्यावरण जागरूकता के बीच कोई अन्तर नहीं था। **घोष, कुमुद (2014)** ने गोलाघाट जनपद के माध्यमिक स्तर के छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति का अध्ययन किया जिसमें 200 छात्र लिये गये तथा जिसमें वर्णात्मक शोध का प्रयोग किया गया ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। **त्रिभुवन कुमार (2017)** ने असम के लोगो के बीच पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन किया। अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्वति द्वारा किया गया अध्ययन में सांख्यिकीय माध्य, मोड, तथा मानक का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है विचलन, कुकुद्ता, कुर्टोसिस और सांख्यिकीय उपकरणों के रूप में 'टी' अनुपात लिया, वर्तमान अध्ययन से पता चला है कि असम की महिलाओं को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है असम के पुरूष की अपेक्षा कुल मिलाकर, पर्यावरण जागरूकता का स्तर असम के लोगों में अच्छा है।

समस्या कथन : ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन।''

उद्देश्य : माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।, माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।, माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।, माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।, माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।,

शून्य परिकल्पनायें : उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 0.05 सार्थकता स्तर पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया– माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।, माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।, माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।, माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।, माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन के चर : पर्यावरण जागरूकता, विद्यालय के बोर्ड और लिंग।

अध्ययन का परिसीमन : विद्यालयों का चयन सिर्फ लखनऊ शहर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विघालयों के से ही किया गया है।, प्रस्तुत अध्ययन में केवल कक्षा 9 के विद्यार्थियों को लिया जायेगा। प्रस्तुत अध्ययन में केवल यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यार्थियों को लिया गया है।

शोध डिजाइन : प्रस्तुत शोध में वर्णानात्मक शोध डिजाइन का उपयोग किया गया।

शोध के उपकरण : प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली उपयोग किया गया है।

प्रतिदर्शः प्रस्तुत शोध में लखनऊ शहर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के कक्षा 9 के 200 विद्यार्थीयों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है।

प्रतिदर्श प्रविधि : प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालयों तथा विद्यार्थियों का चयन करन के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

चयनित प्रतिदर्श का वर्गीकरण

क्र. स.	संस्था का नाम	बोर्ड	विद्यार्थियों की संख्या		कुल
			छात्र	छात्रायें	
1	ए0पी0एस0 एकेडमी	सी0बी0एस0ई0	26	22	48
2	एस0के0डी0 एकेडमी	सी0बी0एस0ई0	28	24	52
3	कुंवर राम भरोसे मैकू लाल इण्टर कालेज	यू0पी0 बोर्ड	27	24	51
4	न्यू0 पब्लिक स्कूल	यू0पी0 बोर्ड	24	25	49
कुल			105	95	200

शोध के उपकरण : शोधकर्त्री ने अपने शोध निर्देशिका के निर्देशन में ''पर्यावरण जागरूकता प्रश्नावली'' (PJP) उपकरण का निर्माण किया है जिसमें 26 एकांश का चयन किया गया है। जिसमें प्रदूषण से सम्बन्धित पाँच आयामों में कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक कथनों को रखा गया है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है–

आयामों का वर्गीकरण

आयाम	कथन	सकारात्मक कथन	नकारात्मक कथन	कुल
वायु–प्रदूषण	1,2,12,19,25,30,34,33	2,19,25,30,34	1,12,33	8
जल–प्रदूषण	10,18,23,29,35,37	35,37	10,18,23,29	6
मृदा–प्रदूषण	3,26,27,28	26,27	3,28	4
शोर–प्रदूषण	5,13,17,22,36	22,36,	5,13,17	5
तपमान–प्रदूषण	4,7,11	4,11	7	3
कुल	**26**	**13**	**13**	**26**

प्रत्येक सकारात्मक कथन पर सहमत होने पर 1 तथा असहमत होने पर 0 अंक दिये गये और नकारात्मक कथन पर सहमत होने पर 0 तथा असहमत होने पर 1 अंक दिये गये। प्रत्येक कथन पर आये अंको को जोड़कर समग्र प्राप्तांक प्राप्त किया।

प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ : प्रदत्त विश्लेषण के लिए 'टी' अनुपात नामक सांख्यिकीय प्रविधि का प्रयोग किया गया।

सारिणी – 1. माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी'–मान

विद्यालय बोर्ड	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	टी–मान (t)	सार्थकता स्तर
यू0पी0 बोर्ड	100	13.2	2.33	0.014	असार्थक
सी0बी0एस0ई0	100	14.5	2.78		

गणना से प्राप्त 't' का मान 0.014 है। जो 0.05 सार्थकता स्तर पर t–सारिणी मान 1.96 से कम है इसलिए अन्तर सार्थक नहीं है।

सारिणी– 2. माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड के छात्र एवं यू0पी0 बोर्ड की छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी'–मान

विद्यालय बोर्ड	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	टी–मान (t)	सार्थकता स्तर
यू0पी0 बोर्ड के छात्र	51	13.4	2.59	0.63	असार्थक
यू0पी0 बोर्ड के छात्रायें	149	13.6	2.03		

गणना से प्राप्त 't' का मान 0.63 है, जो 0.05 सार्थकता स्तर पर t–सारिणी मान 1.96 से कम है इसलिए अन्तर सार्थक नहीं है।

सारिणी– 3. माध्यमिक स्तर के सी0बी0एस0ई0 के छात्र एवं छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी'–मान

विद्यालय बोर्ड	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	टी–मान (t)	सार्थकता स्तर
सी0बी0एस0ई के छात्र	52	14.6	2.93	0.34	असार्थक
सी0बी0एस0ई0 की छात्रायें	48	14.1	2.61		

गणना से प्राप्त 't'का मान 0.34 है,जो 0.05 सार्थकता स्तर पर t–सारिणी मान 1.96 से कम है इसलिए अन्तर सार्थक नहीं है।

सारिणी : 4. माध्यमिक स्तर के यू0पी0 एवं सी0बी0एस0ई0 की छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी'–मान

विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान (t)	सार्थकता स्तर
यू0पी0 बोर्ड की छात्रायें	49	13.6	2.03	0.28	असार्थक
सी0बी0एस0ई0 की छात्रायें	48	14.1	2.61		

गणना से प्राप्त 't' का मान 0.28 है। जो 0.05 सार्थकता स्तर पर t– सारिणी मान 1.96 से कम है इसलिए अन्तर सार्थक नहीं है।

सारिणी : 5. माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 के छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी'–मान

विद्यालय बोर्ड	विद्यार्थियों की संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (σ)	टी–मान (t)	सार्थकता स्तर
यू0पी0बोर्ड के छात्र	51	13.4	2.59	0.04	असार्थक
सी0बी0एस0ई0 के छात्र	52	14.5	2.99		

गणना से प्राप्त 't' का मान 0.04 है। जो 0.05 सार्थकता स्तर पर t–सारिणी मान 1.96 से कम है इसलिए अन्तर सार्थक नहीं है।

विवेचना : इस अध्ययन से यह विदित हुआ कि यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 विद्यालय के विद्यार्थियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता में समानता है क्योंकि दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के अभिभावक भी जागरूक है। दोनो ही बोर्ड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कोई विशेष विभिन्नता नही थी। दोनो ही बोर्ड के विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अतः यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 विद्यालय के विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

सन्दर्भ :

1. जैन, बी, एल. (2011) : ''विज्ञान प्रगति वैज्ञानिक तथा औधोगिक अनुसन्धान परिषद, पर्यावरण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास'', भारत प्रकाशन, मेरठ।
2. कुमार,वी, के. (1982) : ''ए स्टडी इन एनवायरमेन्टल पापुलेशन'',तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी।
3. कैथरीन, जोसेफ. (2012) : ''एन्वायरमेंटल एजुकेशन'' (प्रथम संस्करण) नीलकमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
4. कौर, रजिन्दर. (2014) : ''पर्यावरण शिक्षा'', आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
5. लाल, रमन, बिहारी. (2015) :''शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्वान्त',(अठारहवा संस्करण), रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
6. पाठक, पी, डी. (2017) : ''समसमायिक भारत और शिक्षा'', अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
7. पब्लिकेशन्स, दृष्टि. (2017). ''पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी'' (द्वितीय संस्करण), दृष्टि पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
8. रज्जन, राहुल. (2005). ''एन्वायरमेंटल एजुकेशन'' (प्रथम संस्करण), मोहित पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
9. राठौर, एम, बी. एवं महाराणा एन. (2014). ''पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता'', अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
10. राणा, एस, बी. एस. (2005). ''पर्यावरणीय अध्ययन'' रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
11. शर्मा, बी, एल. एवं सक्सेना बी. एम. (2006).''पर्यावरण शिक्षा'' आर0लाल0 बुक0 डिपो,मेरठ।
12. शुक्ला, सी, एस. (2008), ''पर्यावरण शिक्षा'', आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद।
13. सुराणा, एन, एम. एवं सुराणा आर. (2007). ''पर्यावरण अध्ययन'' साहित्य पब्लिसर्श, आगरा।
14. सक्सेना, ए, बी. (2008). ''पर्यावरण संरक्षण अधिनियम'', एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
15. सिंह, एच, एस. (2011).पर्यावरण शिक्षा प्रबन्धन एवं जागरूकता '' एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
16. सिंह, अरूण, कुमार. (2015). ''मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ'' मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
17. वर्मा, जी, एस. (2008). ''मूल्य शिक्षा, पर्यावरण एवं मानवधिकार'', इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VII, No. IV, Supplement 2017, Page No. : 153-155

भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति : एक अवलोकन

डॉ0 रीता मौर्या*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र कन्या महाविद्यालय आर्य समाज भूड़, बरेली, उ0प्र0

सारांश : आज की स्त्री अपने जीवन के मूल्य, स्वयं के सामजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व के लिये संघर्षरत है। सदियों से विश्व के सभी धर्म और संस्कृतियों में स्त्रियों को देवी, पूज्यनीय व सम्माननीय मानने के बावजूद भी उनकी सार्वजनिक भूमिका को नकारा जाता रहा है। प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक प्लटो को भी विश्वास था कि स्त्री और पुरुष की स्वाभाविक प्रतिभा में कोई अन्तर नहीं होता इसलिए दोनों को एक–सी शिक्षा एवं पद मिलने चाहिये। जॉन, लॉक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होनें महिलाओं को उच्च शिक्षा, सेवाओं में समान अवसर और मताधिकार की मांग उठाई।

भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही स्त्रियों को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है।नारी को प्रकृति की सृजनशीलता एवं संरचनात्मक्ता का प्रतीक माना गया है। परिस्थितियों के उतार–चढ़ाव के साथ इनकी दशा में व्यापक परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्णकाल था परंतु उत्तर वैदिक काल के पश्चात इनकी स्थिति परिवर्तित होने लगी। नारी धीरे– धीरे परतन्त्र, निःसहाय व निर्बल होती चली गयी। मध्यकाल के आते आते स्त्री की दशा एक दासी के समान हो गयी जो घर की चारदीवारी में कैद हो कर रह गयी। समय व समाज परिवर्तनशील है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे समाज के एक बड़े भाग ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। फलस्वरुप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार हुआ वह आज तक जारी है। आज स्त्रियों को पुनः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में नवीन अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। स्त्रियों में आयी इस जागरुकता का प्रमुख कारण स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार रहा है।

स्वतंत्रता से पूर्व स्त्रियों के लिए न तो शिक्षा को उचित माना जाता था और न ही उनके लिए शिक्षा की समुचित सुविधायें प्राप्त थी। स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा में व्यापक प्रगति हुई। जनगणना 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1941 में स्त्री साक्षरता दर मात्र 7.3 प्रतिशत थी जबकि 2001 में बढ़कर 53.67 प्रतिशत और 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गयी। स्त्री शिक्षा की इसी प्रगति को देखते हुए के0एम0पणिक्कर ने यह निष्कर्ष दिया कि–"स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफकरना सम्भव हो गया।"[1]

स्त्री साक्षरता दर–

वर्ष	कुल साक्षरता(प्रतिशत)	स्त्री साक्षरता	पुरुष साक्षरता
1951	18.33	08.66	27.16
1961	28.30	15.35	40.40
1971	34.45	21.97	45.95
1981	43.56	29.76	56.38
1991	52.21	39.29	64.13
2001	68.84	53.63	75.76
2011	74.04	65.46	82.14

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट, भारत सरकार

स्वतंत्रता के पश्चात् बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक क्षेत्र की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया। उच्च शिक्षा ने स्त्रियों के आत्मविश्वास, कार्यक्षमता व मानसिक स्तर में अत्यंत वृद्धि की है। श्री पणिक्कर ने लिखा है–कुछ मेधावी महिलाओं ने जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है वह उतने महत्व कि बात नहीं है जितनी यह है कि कट्टरपंथी और पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचार भी करवट लेने लगे हैं। हालांकि ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण वहाँ अभी भी परम्परागत रुढियाँ अस्तित्व में हैं परंतु नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होने से उनके विचारों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो चुका है।

उच्च शिक्षा एवं स्त्रियों की स्थिति : शिक्षा वर्तमान शताब्दी की एक महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रिया है जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन को विविध रुपों में प्रभावित करती है। संकुचित रुप में यदि हम कहें तो शिक्षा विद्यालय की चारदीवारी में चलने वाली एक प्रक्रिया है जबकि व्यापक रुप में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। **थामसन** ने शिक्षा को व्यक्तिगत परिमार्जन की एक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा मनुष्य के आचार–विचार, आदतों एवं व्यवहारों में सुधार होता है। शिक्षा का सर्वोच्च कार्य व्यक्ति एवं समाज के आचरण को विकसित करना है। इसका उद्देश्य समाज के स्त्री–पुरुष में उन अनुभूतियों को उत्पन्न करना है जिसके माध्यम से वे स्वयं को लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक एवं धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर आधारित कर सकें। इस प्रकार शिक्षा समाजीकरण तथा मानवीकरण का प्रधान स्रोत है। यदि हम स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्रियों को शिक्षित करने का प्रमुख उद्देश्य उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में न सिर्फ अधिक योग्य बनाना है। स्त्री शिक्षा की स्थिति पर यदि दृष्टिपात करें तो प्राचीन काल से लेकर अब तक इसमें अत्यंत परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां पुरुषों की तरह ही शिक्षा ग्रहण करती थीं। स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन करती थीं तथा उनको हर क्षेत्र में शिक्षा पाने का अधिकार था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी प्रचलित

था। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही उनका विवाह किया जाता था। घोषा, आपाला, गार्गी, मैत्रेयी आदि उस काल की विदुषी स्त्रियाँ थीं। शिक्षा की दृष्टि से इस काल में पुरुषों और स्त्रियों में सामान्य रुप से समानता थी।

महाकाव्य काल में स्त्रियों की शिक्षा की पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। रामायण में कौशल्या तथा बालि की पत्नी तारा के उच्च शिक्षित होने का उल्लेख मिलता है। महाभारत मे द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। बौध काल में स्त्रियों को शिक्षा गृहण करने के अधिकार से वंचित ती नही किया गया था परंतु उनसे वेदों के अध्ययन का अधिकार छिन गया था। अनेक स्त्रियाँ भिक्षुणी बन कर उच्च धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर जनता को उपदेश दिया करती थीं। गुप्त काल में कुछ स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। लीलावती एवं रत्ना अंकगणित और खगोलशास्त्र की प्रख्यात विशेषज्ञा थीं। परंतु मध्यकाल आते आते अदिकांश स्त्रियाँ शिक्षा से वंचित होने लगीं। मध्यकाल में ऐसी व्यवस्था सर्वमान्य थी कि स्त्रियों व शूद्रों का दर्जा एक ही है।

ब्रिटिश काल में यद्यपि समाज सुधार के अनेक कार्य हुए, परंतु व्यवहारिक रुप से सरकार द्वारा स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये। उस समय भी स्त्री शिक्षा को लेकर अनेक भ्रान्तियाँ फैली हुई थीं। **विलियम एडम** ने 1835 में बंगाल में शिक्षा की समस्या के अध्ययन के अपने दूसरे रिपोर्ट में यह पाया कि अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि यदि कोई स्त्री पढ़ना–लिखना सिखती है तो वह जल्दी विधवा हो जायेगी।[2] इस प्रकार स्त्री शिक्षा मात्र कुछ उच्च घरानों तक सीमित थी। इस दौरान अनेक समाज सुधारको तथा बुद्धिजीवियों का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर गया। इनमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षि कर्वे, बड़ौदा के महाराज सायजी गायकवाड़ आदि ने स्त्रियों के अधिकार दिलाने का प्रयास किया। इसी शताब्दी में अनेक प्रगतिशील महिलाओं जैसे दुर्गाबाई, रामाबाई व रुखमाबाई ने भी स्त्रियों को जागरूक किया।

भारत वर्ष में आधुनिक शिक्षा की नींव ईसाई मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी शासन में ही पड़ गईं थी। 1824 में सर्वप्रथम बम्बई स्कूल में बालिकाओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ। 1882 के बाद ही महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु अनुमति प्रदान की गयी। 1946 तक शिक्षण संस्थाओं में स्त्रियों की संख्या 4 लाख 16 हजार के आसपास पहुँच गयी थी, जिसमें करीब 23 हजार छात्राएँ कालेज व विश्वविद्यालय स्तर की थीं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में स्त्रियों में जागृति प्रारंभ हो चुकी थी।[3]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। इस तथ्य को इस बात से समझा जा सकता है कि 1971 की जनगणना के समय तक शिक्षित स्त्रियों की संख्या बढ़ कर 4 करोड़ 93 लाख से भी अधिक हो गयी।[4] जहाँ 1883 में पहली बार किसी स्त्री ने स्नातक किया, वहीं 1975 में लगभग 3 लाख से भी अधिक छात्राएँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहीं थीं। इससे स्त्री शिक्षा में हुई प्रगति स्पष्ट रुप से दिखलाई पड़ रही है। वर्तमान समय में कला एवं विज्ञान के विभिन्न विषयों में छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि कई नवीन विषयों में तेजी से आगे आ रही हैं।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रा नामांकनः

वर्ष	छात्रा (प्रतिशत)
2011–12	42.66
2012–13	43.28
2013–14	44.40
2014–15	46.93
2015–16	47.27

स्रोतःयू.जी.सी.वार्षिक रिपोर्ट

संकाय वार छात्राओं का नामांकनः

संकाय	कुल नामांकन का प्रतिशत (2014–15)	कुल नामांकन का प्रतिशत(2015–16)
कला	41.70	41.13
विज्ञान	18.60	19.94
कामर्स/प्रबंधन	15.73	15.91
शिक्षा	6.13	5.06
इंजीनियरिंग/टेक्नीकल	9.88	10.10
मैडिसिन	5.11	5.02
कृषि	0.44	0.49
वैटनरी	0.08	0.07
कानून	1.19	1.18
अन्य	1.14	1.10

स्रोत : यू.जी.सी.वार्षिक रिपोर्ट

शिक्षा का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव : मनुष्य की मानसिक शक्ति के विस्तार हेतु शिक्षा एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्त्री हो या पुरुष किसी को शिक्षा से वंचित रखना उसकी मानसिक क्षमता विकसित होने से रोकना है। पूर्णया सुचारु शिक्षा न मिलने से और उसकी मानसिक क्षमता विकसित ना होने से महिला घर–बाहर के दायित्वों का भार उठाने में असमर्थ होती है तथा अपने बच्चों का पथ प्रदर्शन भी प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाती है शिक्षा के माध्यम से महिला के जीवन में गुणवत्ता आना सम्भव होता है वे घर–बाहर के दायित्वों का निर्वाह और अपने बच्चों का पथ प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कर सकती है।

विश्व विकास रिपोर्ट 1988–89 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास के मददगार होने के साथ ही प्रजननता को कम करने, बच्चों के उचित पालन–पोषण तथा माता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है।[5]
स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने भाषण में कहा कि–"इतना गुण संपन्न और सुयोग्य स्त्रियों के होते हुए भी भारतवासी स्त्री को उन्नत नहीं बना सकें। भारत में हमने उसे ज्ञान लोक प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया। भारतीय स्त्री को यदि उचित शिक्षा मिले तो वह संसार की सर्वश्रेष्ठ आदर्श नारी बन सकती है।"[6]
स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार ने नारी की विचारधारा को भी दूर–दूर तक प्रभावित किया है। आज की स्त्री की आकान्क्षाए एवं आवश्यकताएं दिन–प्रतिदिन परिवर्तित होती जा रही हैं। कुछ समय पहले तक किसी भी स्त्री का मात्र एक ही लक्ष्य हुआ करता था– ससुराल जाकर कुशल गृहणी सिद्ध होना, जिसका वह आज भी पूरी शक्ति एवं मर्यादा से पालन कर रही है। परंतु उसे सदैव अपने स्वतंत्र अस्तित्व व व्यक्तित्व की खोज रही है। इन्हीं प्रयत्नों के दौरान और इस्स्में सफलता पाने के बाद उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है।[7]
संस्कृत में एक उक्ति है–**"नास्तिविद्यासमंचक्षुर्नास्तिमातृसमोगुरुः**"अर्थात इस संसार में विद्या के समान नेत्र नहीं और माँ के समान कोई गुरु नहीं। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का महत्व मात्र आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर होने में ही नहीं अपितु मानसिक रुप से सुदृढ़ होने, उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने, समाज एवं देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं आत्मविश्वास वृद्धि हेतु भी है। शिक्षा स्त्री–पुरुष समानता की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। कालेज और विश्वविद्यालयों तक महिलाओं की पहुँच पहले की अपेक्षा अधिक सुगम और सहज हुई है। अभी भी स्त्रियों के प्रगति के मार्ग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक विसंगतियां, विरोधाभास और पितृसत्तात्मक अवरोध हैं, परंतु इन सबके बावजूद शैक्षिक संस्थाओं में छात्राओं की बढ़ती संख्या आशा की किरण की भाँति दिखायी पड़ती है।

सन्दर्भ :

1. पणिक्कर, के.एम.; हन्दू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड' बाम्बे पब्लिशिंग हाऊस,1955 पृ.7
2. एल.लांग,एडम; 'रिपोर्ट ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल एण्ड बिहार आफ 1828–1839 कलकत्ता 1968 पृ.132
3. टुवर्ड्स इक्विलिटीः रिपोर्ट आफ द कमेटी आन द स्टेटस आफ वूमेन इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एण्ड वेल्फेयर, नई दिल्ली, 1974, पृ.14
4. इंडिया 1975, पृ.53
5. प्रतियोगिता दर्पण : अप्रैल 2000 पृ.1551–1554
6. वामी विवेकानंद : भारतीय नारी, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 1992
7. सिंह,रमाः शिक्षित हिन्दू महिलायें और धर्म, बी.आर.पब्लिशिंग कर्पोरेशन, नई दिल्ली 1988 पृ.1
8. यू.जी.सी.वार्षिक रिपोर्ट

प्रकाशित पुस्तकें :

- नारी विमर्श (प्राचीन काल से आधुनिक काल तक) - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विधवायें - डॉ० रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ० त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज्ञतंत्र - डॉ० मिताली देव
- Effects of Migration on Rural Labour Households at Origin - Indra Kant Bharti

Published by :

South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
Email : researchdiscourse2012@gmail.com
Mob. 09453025847, 8840080928

ISSN 2277-2014